IUC ACADEMY
INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY
Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

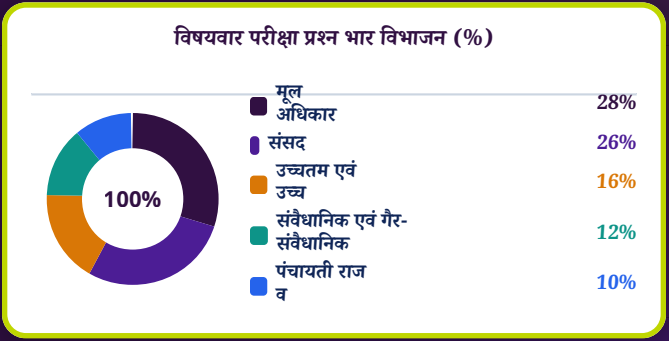
IUC अकादमी नोट्स

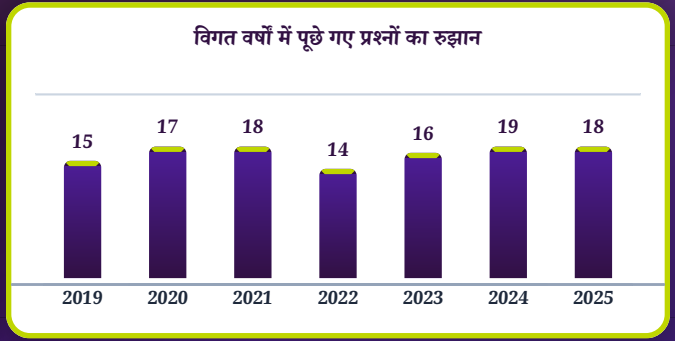
संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

INDIAN POLITY, CONSTITUTION & GOVERNANCE

संवैधानिक विकास, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, संसद, न्यायपालिका, संघ-राज्य संबंध एवं संवैधानिक निकायों के संपूर्ण नोट्स





इस पुस्तक के प्रमुख अध्याय एवं परीक्षा भार

- मूल अधिकार, प्रस्तावना, DPSP एवं मूल कर्तव्य (28%)
- संसद, राष्ट्रपति एवं कार्यपालिका (संघ व राज्य) (26%)
- उच्चतम एवं उच्च न्यायालय (न्यायपालिका) (16%)
- संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक निकाय (12%)
- पंचायती राज (73वाँ व 74वाँ संशोधन) व संघवाद (10%)
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख संविधान संशोधन (8%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

ग्राफ व चित्र
फ्लोचार्ट, सारणियाँ व आरेख

स्मृति ट्रिक्स
त्वरित याद करने के सूत्र

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख एवं परीक्षा रणनीति मार्गदर्शिका — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

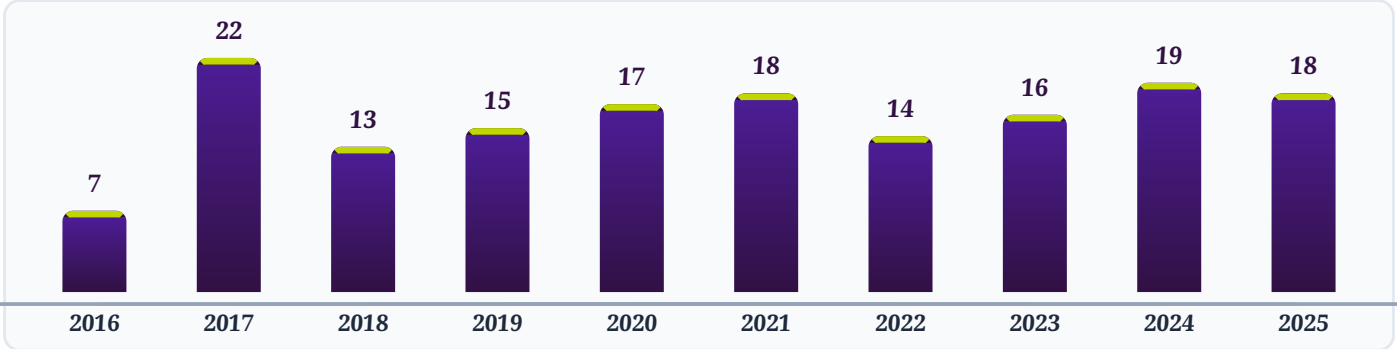
IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy) • छात्रों की सरल समझ हेतु विशेष रूप से निर्मित

प्रिय विद्यार्थियों,

सिविल सेवा (UPSC CSE) एवं विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों (UPPSC, BPSC, MPPSC, RAS) की परीक्षाओं में सफलता का मूल मंत्र है — **"कम से कम समय में सटीक अवधारणा और बार-बार रिवीजन"**। अधिकांश पुस्तकों में सामग्री अत्यंत जटिल और बिखरी हुई होती है, जिससे छात्रों को मुख्य बिंदुओं को याद रखने में कठिनाई होती है।

इसी समस्या के समाधान हेतु **IUC Academy (www.iucacademy.com)** के शिक्षाविदों ने इस पुस्तक को पूर्णतः **मौलिक, छात्र-हितैषी और सुस्पष्ट भाषा** में नए सिरे से संकलित किया है। इसमें प्रत्येक विषय को सरल व्याख्या, स्पष्ट की-वर्ड्स, तुलनात्मक सारणियों, सचित्र आरेखों, डेटा ग्राफ और यादगार **IUC स्मृति ट्रिक्स** के साथ प्रस्तुत किया गया है।

विगत 10 वर्षों (2016–2025) में 'भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान' से पूछे गए प्रश्नों का रुझान ग्राफ



1. सरल छात्र व्याख्या

प्रत्येक कठिन बिंदु को आसान भाषा में समझाया गया है ताकि पहली बार पढ़ने वाला छात्र भी तुरंत समझ सके।

2. स्मृति सूत्र (Tricks)

तथ्यों, तिथियों, सूचियों और अनुच्छेदों को याद रखने के लिए विशेष IUC निमोनिक्स दिए गए हैं।

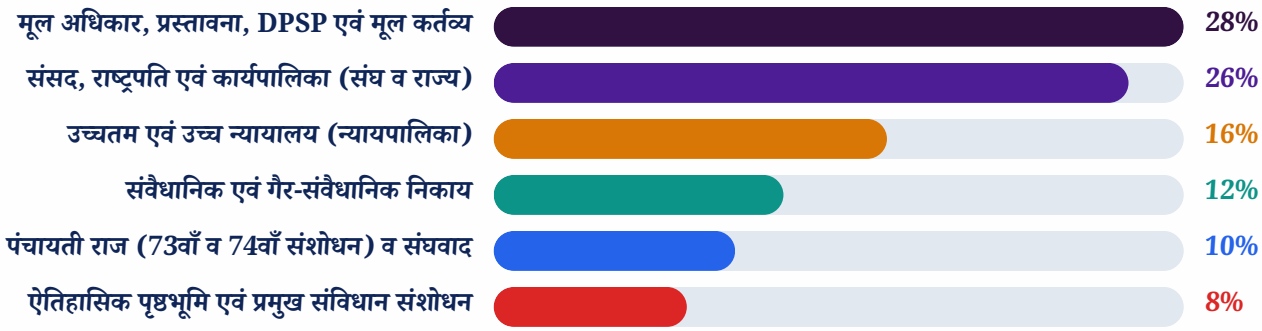
3. त्वरित रिवीजन

सारणियों, फ्लोचार्ट और अध्याय सारांश की सहायता से परीक्षा के अंतिम दिनों में पूरा पाठ्यक्रम दोहराएँ।

विषयवार प्रश्न भार विश्लेषण एवं उच्च-प्राथमिकता डैशबोर्ड

परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने हेतु अध्यायवार प्राथमिकता सूचकांक एवं प्रमुख स्मृति सूत्र

अध्यायवार प्रश्न वितरण सूचकांक (Topic-wise Weightage %)



इस पुस्तक की शीर्ष 5 मास्टर स्मृति ट्रिक्स (Top Memory Mnemonics)

1. संविधान की 12 अनुसूचियों की प्रसिद्ध ट्रिक: ट्रिक: 'TEARS OF OLD PM' — T=Territories (संघ व राज्य), E=Emoluments (वेतन/भत्ते), A=Affirmations (शपथ), R=Rajya Sabha (सीट आवंटन), S=Scheduled Areas (5वीं), O=Other Tribal Areas (6वीं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम — AMTM), F=Federal Lists (सूचियाँ), O=Official Languages (22 भाषाएँ), L=Land Reforms (9वीं), D=Defection (10वीं दल-बदल), P=Panchayats (11वीं, 29 विषय), M=Municipalities (12वीं, 18 विषय)।

2. केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार: ट्रिक: '15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को' — अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं (विदेशियों को नहीं)। राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते (44वाँ संशोधन 1978)।

3. संविधान के विदेशी स्रोत याद रखने की ट्रिक: ट्रिक: 'ब्रिटेन = संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन व रिट; अमेरिका = मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति व महाभियोग; आयरलैंड = DPSP व राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल; कनाडा = सशक्त केंद्र व अवशिष्ट शक्तियाँ; ऑस्ट्रेलिया = समवर्ती सूची व संयुक्त बैठक (108)'।

4. राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल बनाम महाभियोग में शामिल सदस्य: ट्रिक: 'निर्वाचन (अनुच्छेद 54) = केवल निर्वाचित सदस्य (लोकसभा + राज्यसभा + राज्य विधानसभाएँ + दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाएँ)'; 'महाभियोग (अनुच्छेद 61) = संसद (लोकसभा + राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत दोनों); राज्य विधानसभाएँ शामिल नहीं होतीं'।

5. रीट (Writs — अनुच्छेद 32 व 226) के 5 प्रकार: ट्रिक: 'बंदी प्रत्यक्षीकरण (सशरीर प्रस्तुत करना — निजी व सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध), परमादेश (हम आदेश देते हैं — सार्वजनिक कर्तव्य), प्रतिषेध (रोकना — अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही के दौरान), उत्प्रेषण (प्रमाणित होना — निर्णय रद्द करना), अधिकार-पृच्छा (किस अधिकार से पद धारण किया)'।

पुस्तक की विस्तृत विषय-सूची (Table of Contents)

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान का विकास
- कंपनी का शासन (1773 ई. - 1858 ई.)
- क्राउन का शासन (1858 ई.-1947 ई.)

2. भारत के संविधान का निर्माण

- संविधान से संबंधित मूल अवधारणाएँ
- संविधान का वर्गीकरण
- संविधान के स्रोत

3. भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएँ

- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- मूल संरचना सिद्धांत का विकास

4. शासन प्रणाली

- शासन के प्रकार
- शासन के स्वरूप
- भारत के संविधान की तुलना

5. संविधान की उद्देशिका

- उद्देशिका के घटक
- उद्देशिका का महत्त्व
- उद्देशिका में मुख्य शब्द, उनके अर्थ और विशेषताएँ
- उच्चतम न्यायालय में उद्देशिका से संबंधित मामले

6. राज्य और संघ राज्यक्षेत्र (भाग 1: अनुच्छेद 1 से 4)

- संवैधानिक प्रावधान
- राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग
- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन (भाग 8: अनुच्छेद 239-241)

7. नागरिकता (भाग 2: अनुच्छेद 5 से 11)

- नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद
- एकल नागरिकता
- नागरिकता का अर्जन
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019
- एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्डधारक के बीच तुलना

8. मूल अधिकार (भाग 3: अनुच्छेद 12-35)

- मूल अधिकारों की विशेषताएँ
- मूल अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 19 से 22

9. राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (भाग 4: अनुच्छेद 36 से 51)

- राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों की विशेषताएँ
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का वर्गीकरण
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का महत्त्व/सार्थकता

10. मूल कर्तव्य (भाग 4 क- अनुच्छेद 51 क)

- मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ
- मूल कर्तव्यों की सूची
- मूल कर्तव्यों से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामले

11. भारत में संघीय गतिशीलता: के द्र-राज्य और अंतरराज्यीय संबंध

- केंद्र-राज्य संबंध
- विधायी संबंध (भाग-11: अनुच्छेद-245 से 255)
- प्रशासनिक संबंध (भाग-11: अनुच्छेद-256 से 263)
- वित्तीय संबंध (भाग-12: अनुच्छेद-264 से 293)
- अंतर-राज्यीय संबंध
- प्रमुख नदी जल विवाद

12. आपातकालीन प्रावधान

- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
- राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने का प्रभाव
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
- राष्ट्रपति शासन लागू होने का प्रभाव
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
- वित्तीय आपातकाल के प्रभाव
- तीन आपात स्थितियों के बीच संक्षिप्त तुलना

13. उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल

- उप-राष्ट्रपति
- भारतीय और अमेरिकी उप-राष्ट्रपतियों की तुलना

14. भारत में कार्यकारी शक्ति: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उनके मंत्रिपरिषद

- प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री
- संवैधानिक प्रावधान
- प्रधानमंत्री की अतिरिक्त शक्तियाँ
- प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संबध
- मुख्यमंत्री की अतिरिक्त शक्तियाँ
- मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संबंध
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद
- संवैधानिक प्रावधान
- मंत्रियों के उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75/164)
- कैबिनेट/ मंत्रिमंडल
- किचन कैबिनेट/ किचन मंत्रिमण्डल

15. संसद (भाग 5: अनुच्छेद 79 से 122)

- महत्त्वपूर्ण प्रावधान
- लोकसभा और राज्यसभा
- संसद में नेता और सचेतक
- संसद से संबंधित महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ
- विधेयकों के प्रकार
- बजट (अनुच्छेद-112)
- संसदीय और मंत्रिमंडल समितियाँ

16. राज्य विधानमंडल (भाग 6: अनुच्छेद 168 से 212)

- विधानसभा
- धन विधेयक

17. भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्रणाली

- भारतीय,अमेरिकी और ब्रिटिश न्यायपालिका में अंतर
- न्यायालय की अवमानना
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति
- संविधान की व्याख्या (अनुच्छेद 147)
- उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियाँ
- उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- संबंधित प्रावधान
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
- लोक अदालत
- ग्राम न्यायालय
- वाणिज्यिक न्यायालय
- संवैधानिक प्रावधान
- केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक अधिकरण
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)
- राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT)
- जनहित याचिका (पीआईएल)
- परिवार न्यायालय

18. पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियाँ

- ग्रामीण स्थानीय शासन: पंचायतें
- भारत में पंचायतों का विकास
- महत्त्वपूर्ण समितियाँ एवं उनकी सिफारिशें:
- पंचायत (73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992)
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) अधिनियम 1996
- भारत में नगर पालिकाओं का विकास
- नगर पालिका (74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992)
- शहरी शासन के प्रकार
- भारत में सहकारी समितियों का संक्षिप्त इतिहास
- संवैधानिक प्रावधान

19. संविधान में विशेष प्रावधान

- अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
- अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन (5वीं अनुसूची)
- जिला/प्रादेशिक परिषद की शक्तियाँ और कार्य
- विशेष प्रावधान:
- संवैधानिक प्रावधान
- संघ की भाषाएँ
- क्षेत्रीय भाषाएँ
- न्यायपालिका की भाषा और कानूनी कार्यवाही

20. संवैधानिक निकाय

- भारत में निकायों/प्राधिकरणों के प्रकार
- संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग
- भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग
- भारत के महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता
- जीएसटी परिषद और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
- वित्त आयोग

21. गैर-संवैधानिक निकाय

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)
- लोकपाल और लोकायुक्त
- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)
- भारत का विधि आयोग
- उपभोक्ता आयोग

22. चुनाव और दलबदल विरोधी कानून

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- परिसीमन
- दल-बदल विरोधी कानून

भारतीय संविधान का विकास

भारतीय संविधान की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के कार्यों और नीतियों पर आधारित है। यह 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया, जो भारत के एक प्रभुत्व से एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक था। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रारूपण प्रक्रिया में 1946 से 1949 तक संविधान सभा शामिल थी, जिसमें व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इसके विकास को दो प्रमुख कालखंडों में समझा जा सकता है:

• **कंपनी शासन (1773-1858):** ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन ढाँचे की स्थापना की गई।

• **क्राउन शासन (1858-1947):** प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण के कारण बड़े प्रशासनिक परिवर्तन हुए। भारत में व्यापारियों (ईस्ट इंडिया कंपनी) के रूप में अंग्रेजों का आगमन 1600 1919 भारत शासन अधिनियम, 1919 शाह आलम II द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान करना 1765

• रेगुलेटिंग एक्ट, 1773

• समझौता अधिनियम, 1781

• पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

• चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और 1853 1773-1858 1857 का विद्रोह कंपनी शासन का अंत (1773-1858) 1857 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1858 से क्राउन के शासन की शुरुआत 1858 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 क्राउन शासन का अंत (1858-1947) 1947 1892 भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 1909 भारत परिषद् अधिनियम, 1909 चित्र 1.1: अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अधिनियमों का कालानुक्रम कंपनी का शासन (1773 ई. - 1858 ई.) 1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट गवर्नर-जनरल: वॉरेन हेस्टिंग्स

• **प्रथम ब्रिटिश विनियमन:** भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई।

• **उददेश्य:** ईस्ट इंडियाकंपनीके कार्यों कोनियंत्रितऔरविनियमितकरना था।

• **केंद्रीय प्रशासन:** केंद्रीकृत शासन की नींव रखी गई।

• **कंपनी की भूमिका:** कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार को आधिकारिक मान्यता दी गई।

• **गवर्नर-जनरल की नियुक्ति:** बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई।

• **सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना:** कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774 ई.) की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश सम्मिलित थे।

• **निजी व्यापार पर प्रतिबंध:** कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने परप्रतिबंध लगा दिया गया।

• **ब्रिटिश नियंत्रण:** कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी के शासी निकाय) के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया, अब कंपनी के लिए भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।

• **प्रेसीडेंसी की अधीनता:** बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को, बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर पहले तीनों प्रेसीडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थीं।

1781 ई. का संशोधन अधिनियम (एक्ट ऑफ सेटलमेंट)

गवर्नर-जनरल: वॉरेन हेस्टिंग्स

• **गवर्नर-जनरल और परिषद:** गवर्नर-जनरल और परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी।

• **राजस्व मामले:** दीवानी मामलों और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• **पर्सनल लॉ:** न्यायालय को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी, अर्थात, हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

• **अपील:** प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें गवर्नर-जनरल की परिषद (Governor-General-in-Council) में जा सकती थीं, न कि उच्चतम न्यायालय में।

• **अधिनियम:** इस अधिनियम द्वारा गवर्नर-जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 — गवर्नर-जनरल: वॉरेन हेस्टिंग्स

• **कार्य विभाजन:** कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया।

• **द्वैध शासन प्रणाली:**

◦ **नियंत्रण बोर्ड:** राजनीतिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करने, भारत में नागरिक और सैन्य शासन या ब्रिटिश संपत्ति के लगान संबंधी सभी क्रियाकलापों की निगरानी और निर्देशन के लिए स्थापित किया गया।

◦ **कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स:** व्यापारिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया गया।

• **ब्रिटिश संपत्ति:** भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश संपत्ति' कहा गया। इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया।

1786 ई. का अधिनियम गवर्नर-जनरल: लॉर्ड कॉर्नवालिस

• **गवर्नर-जनरल की नियुक्ति:** लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया।

• **अधिरोहण प्राधिकरण:** उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को बदलने की शक्ति दी गई।

1793 ई. का चार्टर अधिनियम गवर्नर-जनरल: जॉन शोर

• **विस्तारित शक्ति:** लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर दी गई अधिभावी शक्ति (Overriding Power) को भविष्य के सभी गवर्नर-जनरलों और प्रेसीडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया गया।

• **अधिकार में वृद्धि:** गवर्नर-जनरल को बंबई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसीडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियाँ और नियंत्रण दिया गया।

• **व्यापारिक एकाधिकार:** भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

• **परिषद की सदस्यता:** कमांडर-इन-चीफ को गवर्नर-जनरल की परिषद का सदस्य तब तक न माना जाए जब तक कि उसे सदस्य के रूप में नियुक्त न किया जाए।

• **वित्तीय प्रावधान:** नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) के सदस्यों और उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा।

1813 ई. का चार्टर अधिनियम गवर्नर-जनरल: वॉरेन हेस्टिंग्स

• भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चीनके साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर, भारत से व्यापार करने की छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को दे दी गई।

• इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया।

• इस अधिनियम ने भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने वालों को दंडित करने का अधिकार दिया।

• कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।

• नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की शक्तियाँ और बढ़ा दी गई।

• इस अधिनियम ने उन व्यक्तियों को भारत जाने की अनुमति दे दी जो ईसाई मिशनरियों के नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाना चाहते थे।

• इसमें प्रावधान किया गया कि कंपनी, भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये का निवेश करेगी।

• इस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित किया गया। इसमें कंपनी को अपने क्षेत्रीय (Territorial) और व्यापारिक खातों को अलग-अलग रखने के लिए कहा गया।

1833 ई. का चार्टर अधिनियम भारत के गवर्नर-जनरल: विलियम बेंटिक

• यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था, क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के तहत इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया।

• इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई।इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को 'ब्रिटिश राजशाही, उनके उत्तराधिकारियों और वारिसों के विश्वास' के अधीन रखा गया।

• चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।

• गवर्नर-जनरल को "भारत सरकार" कहा गया और परिषद को "भारत परिषद (India Council)" कहा गया।

• बंगाल के गवर्नर-जनरल को "भारत का गवर्नर-जनरल" बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।

• भारत के गवर्नर-जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियाँ थीं। इस प्रकार, बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त हो गई। अब इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को "अधिनियम (Acts)" कहा जाता था, वहीं दूसरी ओर इससे पहले के कानूनों को विनियम (Regulations) कहा जाता था।

• गवर्नर-जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार था।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: पिट्स इंडिया एक्ट, 1784



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

मुख्य परीक्षा दृष्टि: गवर्नर-जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार था।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 • गवर्नर-जनरल: वॉरेन हेस्टिंग्स • पर्सनल लॉ • अपील • अधिनियम | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1784, 1786, 1793, 1813, 1833

• इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया, यद्यपि, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया।

• सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग (1834) की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे।

1853 ई. का चार्टर अधिनियम भारत के गवर्नर-जनरल: लॉर्ड डलहौजी

• यह अधिनियम वर्ष 1793 से 1853 ई. के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अनेक चार्टर अधिनियमों में अंतिम अधिनियम था।

• इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर-जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया।

• इसने पहलीबार भारतीय (केंद्रीय)विधानपरिषदमेंस्थानीयप्रतिनिधित्व की शुरुआत की। इसने परिषद में छह नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया जिन्हें विधान पार्षद (Legislative Councilors) कहा जाता था (परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 12 थी)।

• निदेशक मंडल (Board of Directors) के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था।

• परिषद की विधायी शाखा "मिनी-संसद" के रूप में कार्य करती थी, जिसमें ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था।

• सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रसंविदा सिविल सेवा (Covenant Civil Service) भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। वर्ष 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।

• विधि सदस्य (चौथा सदस्य) को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया।

क्राउन का शासन (1858 ई.-1947 ई.) भारतीय शासन अधिनियम, 1858 (भारत सुशासन अधिनियम)

वायसराय: कैनिंग

• **ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन:** ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को समस्त शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी गईं।

• **भारत के वायसराय:** भारत के गवर्नर-जनरल का पदनाम बदलकर "वायसराय" कर दिया गया, वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।

• **द्वैध शासन प्रणाली का अंत:** नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) को समाप्त कर दिया, इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया।

• **नए पद का सृजन:** इसने "भारत-सचिव" (Secretary of State for India) का एक नया पद सृजित किया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था।

• **नया कार्यालय:** इसने भारत-सचिव (Secretary of State for India) की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत-परिषद (Council of India) की स्थापना की। यह परिषद एक सलाहकारी संस्था थी। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया।

• **कॉर्पोरेट निकाय:** इसने काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (Secretary of State-in-Council) को एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में गठित किया, जो भारत और इंग्लैंड मेंमुकदमाकरसकताथाऔर उसके ऊपरभीमुकदमाकिया जा सकता था।

भारत परिषद् अधिनियम, 1861 — वायसराय: कैनिंग

• इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करेगा। वर्ष 1862 में, लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में तीन भारतीयों: बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामित किया।

• बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियाँ बहाल कर दी गई, जिससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विधायी हस्तांतरण की इस नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता प्रदान की गई।

• इसने बंगाल (1862 ई.), उत्तर-पश्चिमी प्रांत (1886 ई.), और पंजाब (1897 ई.) के लिए नई विधान परिषद (उच्च सदन) के गठन काप्रावधान किया।

• आपातकाल की स्थिति में वायसराय को विधान परिषद की सहमति के बिना अध्ययादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो जारी होने की तारीख से 6 महीने के लिए वैध था।

• इसने "पोर्टफोलियो प्रणाली" को मान्यता दी, जिसे वर्ष 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। वायसराय काउंसिल के एक सदस्य को, एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और वह काउंसिल की ओर से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था तथा आदेश जारी कर सकता था।

भारत परिषद अधिनियम, 1892 — वायसराय: लैंसडाउन

• **गैर-सरकारी सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि:**केंद्रीयऔरप्रांतीयविधानपरिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, यद्यपि, सरकारी सदस्यों का बहुमत बरकरार रखा गया।

• **कार्यों में वृद्धि:** विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। इससे उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला।

• इसमें कुछ गैर-सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया गया:

  ◦ **केंद्रीय विधान परिषद:** प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे।

  ◦ **प्रांतीय विधान परिषद:** जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं, विश्विद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों और चैम्बर्स की सलाह पर गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे।

• **अप्रत्यक्ष निर्वाचन:** इस अधिनियम में 'निर्वाचन (Election)' शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्यों के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार)

वायसराय: मिंटो

• **विधान परिषद:**

  ◦ केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, यद्यपि, प्रांतीय परिषदों में यह संख्या एक समान नहीं थी।

  ◦ केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, वहीं दूसरी ओर प्रांतीय विधान परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई।

• **विचार-विमर्श करने की शक्तियाँ:** विधान परिषदों को अधिक विचार-विमर्श की शक्तियाँ दी गईं। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट आदि पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई।

• **मतदान की अनुमति:** बजट की अलग-अलग मदों पर मतदान की अनुमति दी गई, यद्यपि, समग्र रूप से बजट पर अभी भी मतदान की अनुमति नहीं थी।

• **पृथक निर्वाचक मंडल:** मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया और केवल मुसलमान ही मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे।

◦ इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को वैध बना दिया। फलस्वरूप, लॉर्ड मिंटो को "सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक (Father of Communal Electorate)" के रूप में जाना जाने लगा।

• **प्रतिनिधित्व:** वायसराय की कार्यकारी परिषद (Executive Council of the Viceroy)में पहली बारभारतीयों को शामिल किया गया, सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

• प्रेसीडेंसी कॉरपोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्विद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।

भारतीय शासन अधिनियम, 1919

(मॉण्टेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार)

वायसराय: चेम्सफोर्ड

• **उद्देश्य:** 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में एक जिम्मेदार शासन की क्रमिक शुरूआत करना है।

• **विषयों का वर्गीकरण:** इसने प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों अर्थात्केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया। यह वर्गीकरण "हस्तांतरण नियमों (Devolution Rules)" द्वारा किया गया था, जिसने केंद्र से प्रांतों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया।

◦ **द्वैध शासन:** प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन प्रणाली पेश की गई थी। इन विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था

◦ **आरक्षित विषय:** जिन्हें गवर्नर-जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था, इसलिए वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। *[यूपीएससी 2022]*

◦ **हस्तांतरित विषय:** जिन्हें गवर्नर-जनरल द्वारा अपनी परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था। वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे।

[यूपीएससी 2022]

• **वैधानिक संरचना:** पहली बार, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई जिसमें एक उच्च सदन (राज्य परिषद) और एक निचला सदन(विधान सभा) शामिल था। अधिकांश सदस्य, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए।

• **भारतीय प्रतिनिधित्व:** वायसराय की कार्यकारी परिषद के छह सदस्यों में से तीन सदस्य (कमांडर इन चीफ को छोड़कर) भारतीय थे।

• **निर्वाचक मंडल:** सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-यूरोपीय और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया।

हालाँकि संपत्ति, कर, शिक्षा आदि के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया।

• **वित्तीय स्वायत्ता:** प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और प्रांतों को अपना बजट बनाने की अनुमति दी गई।

• **भारत के उच्चायुक्त:** एक नए पद 'लंदन में भारत के उच्चायुक्त' का सृजन किया गया और भारत के राज्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को उसे हस्तांतरित कर दिया।

• **सिविल सेवा भर्ती:** सिविल सेवकों की भर्ती के लिए वर्ष 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।

• **चैंबर ऑफ प्रिंसेस:** इस अधिनियम ने चैंबर ऑफ प्रिंसेस (जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चैंबर का उद्घाटन वर्ष 1921 में हुआ था। इसमें 120 सदस्य थे जिसमें से 108, राज्यों के राजकुमार थे और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि थे। इसका अध्यक्ष वायसराय (गवर्नर-जनरल) होता था। इसने सामान्य हित के मामलों पर परामर्श और चर्चा को सुविधाजनक बनाया।

• **भविष्य में समीक्षा:** इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसे इस अधिनियम के लागू होने के दस साल बाद, इसकी कार्यप्रणाली की जाँच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया।

साइमन कमीशन (1927 ई.)

• **संरचना:** ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग, जिसमें पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्य सम्मिलित थे।

• **प्रमुख प्रस्ताव (1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट):**

◦ द्वैधशासन का उन्मूलन।

- प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार।
- ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ का निर्माण।
- सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का रखरखाव।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: भारतीय शासन अधिनियम, 1919

1909	1919	1917	2022
भारतीय शासन अधिनियम, 1919	अप्रत्यक्ष निर्वाचन	वायसराय	विधान परिषद

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय शासन अधिनियम, 1919

मुख्य परीक्षा दृष्टि: संरचना: ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग, जिसमें पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्य सम्मिलित थे।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: भारतीय शासन अधिनियम, 1919 • अप्रत्यक्ष निर्वाचन • वायसराय • विधान परिषद • मतदान की अनुमति | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1909, 1919, 1917, 2022, 1926

IUC विशेष स्मृति सूत्र #1: संविधान की 12 अनुसूचियों की प्रसिद्ध ट्रिक

ट्रिक: 'TEARS OF OLD PM' — T=Territories (संघ व राज्य), E=Emoluments (वेतन/भत्ते), A=Affirmations (शपथ), R=Rajya Sabha (सीट आवंटन), S=Scheduled Areas (5वीं), O=Other Tribal Areas (6वीं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम — AMTM), F=Federal Lists (सूचियाँ), O=Official Languages (22 भाषाएँ), L=Land Reforms (9वीं), D=Defection (10वीं दल-बदल), P=Panchayats (11वीं, 29 विषय), M=Municipalities (12वीं, 18 विषय)।

सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award):

• वर्ष 1932 में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए सांप्रदायिक पंचाट की शुरुआत की। उन्होंने मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए रखा।

• **गांधी का विरोध:** गांधीजी ने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विस्तार का विरोध किया और संशोधन की माँग के लिए यरवदा जेल में अनशन शुरू किया।

• **पूना पैक्ट:** कांग्रेस और डॉ. बी. आर. अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया, जिसने हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल को तो बनाए रखा, लेकिन दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया।

• **सरकार की स्वीकृति:** ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया, जिससे सांप्रदायिक पंचाट में दलित वर्गों के संबंध में संशोधन किया गया।

• सांप्रदायिक पंचाट से दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को हटा दिया गया।

इसके प्रावधानों को बाद में भारत शासन अधिनियम, 1935 में शामिल किया गया। इसलिए, वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का संशोधित सांप्रदायिक पंचाट के आधार पर गठन किया गया।

भारत शासन अधिनियम, 1935 — वायसराय: विलिंग्डन

• इस अधिनियम का उद्देश्य एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण करना था जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। यद्यपि, इस परिसंघ में रियासतों के शामिल न होने के कारण यह कभी सफल नहीं हो पाया। *[यूपीएससी 2024]*

• **इस अधिनियम ने शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित किया:** संघ सूची (केंद्र के लिए 59 विषय), प्रांत सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषय) और समवर्ती सूची (केंद्र और प्रांत दोनों के लिए, 36 विषय)। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय (गवर्नर-जनरल) में निहित थीं। *[यूपीएससी 2012]*

भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत में उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसमें 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ शामिल थीं।

• इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, इसके बजाय 'प्रांतीय स्वायत्ता' की शुरुआत की। प्रांतों को कुछ निर्धारित क्षेत्रों में स्वायत्ता दी गई और वर्ष 1937 में उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया, यद्यपि, वर्ष 1939 में इस स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया।

• इस अधिनियम ने संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित करते हुए केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा। यद्यपि, यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ।

• बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत सहित ग्यारह प्रांतों में से छह प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था (विधान परिषद और विधान सभा) लागू की गई, लेकिन यह कई प्रतिबंधों के साथ लागू की गई।

• दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) के लिए आरक्षित सीटों तथा महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।

• इसने वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत राज्य सचिव के लिए एक सलाहकार दल की व्यवस्था की गई।

• मताधिकार का विस्तार किया गया, कुल जनसंख्या के लगभग 14% लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया।

• इस अधिनियम ने देश की मुद्रा और ऋण को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की।

• इसने संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के साथ-साथ कई प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया।

• इस अधिनियम ने वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की।

• इसने बर्मा (अब म्याँमार) को भारत से अलग कर दिया।

• दो नए प्रांत ओडिशा और सिंध बनाए गए।

• अल्पसंख्यक हितों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए।

• रेल प्रशासन की देखरेख के लिए एक संघीय रेल प्राधिकरण की स्थापना की गई।

• संघ और प्रांतों के खातों (Accounts) की लेखापरीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक (Auditor-General of India) की नियुक्त की गई।

भारत शासन अधिनियम, 1947 — वायसराय: माउंटबेटन

• **विभाजन योजना:** 3 जून, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इसे तुरंत अधिनियमित करते हुए 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया।

• **अधिराज्यों की स्थापना:** इस अधिनियम ने भारत का विभाजन करके दो स्वतंत्र अधिराज्यों (Independent Dominions) भारत और पाकिस्तान की स्थापना की और उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया गया।

• **शासन में परिवर्तन:**

  ◦ वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक अधिराज्य (डोमिनियन) के लिए एक गवर्नर-जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह के आधार पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया गया था।

  ◦ डोमिनियनों की संविधान सभाओं को अपने-अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अंगीकार करने अधिकार दिया गया, जिसमें स्वयं स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का प्राधिकार भी शामिल था।

• **विधायी प्राधिकरण:** नए संविधान लागू होने तक दोनों अधिराज्य (डोमिनियन) की संविधान सभाएँ अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के लिए कानून बना सकती थीं। 15 अगस्त, 1947 के बाद ब्रिटिश संसद के अधिनियमों को लागू करने के लिए अधिराज्य (डोमिनियन) की विधायिका की मंजूरी आवश्यक थी।

• **ब्रिटिश नियंत्रण का अंत:** भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया।

• भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और जनजातीय क्षेत्रों के साथ संधि-संबंध 15 अगस्त, 1947 को समाप्त हो गए। रियासतों को भारत या पाकिस्तान अधिराज्य (डोमिनियन) में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया।

• अधिराज्य (डोमिनियन) और प्रांतों के शासन ने नए संविधान का निर्माण होने तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम का पालन किया, जिसमें संशोधन करने की शक्ति भी शामिल थी।

• ब्रिटिश सम्राट का विधेयकों को वीटो करने या उन पर आपत्ति जताने का अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन यह शक्ति गवर्नर-जनरल के पास बरकरार रही, जोब्रिटिश क्राउन के नाम पर विधेयकों को सहमति दे सकता था।

• भारत का गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक (नाममात्र) प्रमुख बन गए जो अपनी संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते थे।

• इसने इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी।

• **सिविल सेवा:** भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पद आरक्षित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

15 अगस्त, 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवा सदस्यों के अधिकार और लाभ बरकरार रहे।

लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए अधिराज्य (डोमिनियन) के पहले गवर्नर-जनरल बने। वर्ष 1946 में गठित भारत की संविधान सभा, भारतीय अधिराज्य (डोमिनियन) की संसद बन गई।

स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट — सदस्य विभाग

जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री; विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध; वैज्ञानिक अनुसंधान सरदार वल्लभभाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण; राज्य डॉ राजेन्द्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा डॉ. जॉन मथाई रेल और परिवहन आर.के . शणमुगम चेट्टी वित्त डॉ बी. आर. अंबेडकर विधि जगजीवन राम श्रम सरदार बलदेव सिंह रक्षा राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य सी.एच. भाभा वाणिज्य रफी अहमद किदवई संचार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति वी.एन. गाडगिल निर्माण, खान और विद्युत

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट

1. स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट	**2. सदस्य विभाग**
3. ब्रिटिश नियंत्रण का अंत	**4. सिविल सेवा**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट

मुख्य परीक्षा दृष्टि: लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए अधिराज्य (डोमिनियन) के पहले गवर्नर-जनरल बने। वर्ष 1946 में गठित भारत की संविधान सभा, भारतीय अधिराज्य (डोमिनियन) की संसद बन गई।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट • सदस्य विभाग • ब्रिटिश नियंत्रण का अंत • सिविल सेवा | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1947, 1935, 1946

संविधान से संबंधित मूल अवधारणाएँ

• **विधि:** व्यवहारकोनियंत्रितकरनेवालेनियम,चाहेलिखितहोंयाअलिखित; विधायी निकायों द्वारा कानूनी बल के साथ अधिनियमित। उदाहरण: भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता।

भारत में कानूनों का पदानुक्रम संविधान केंद्रीय कानून राज्यों के कानून अध्यादेश उप कानून नियम व विनियम

• **अध्यादेश:** राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून, जब विधानमंडल सत्र में न हो; इसके लिए विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उदाहरण: COVID-19 लॉकडाउन अध्यादेश।

• **संविधान:** सरकार की संरचना और शक्तियों को रेखांकित करने वाला सर्वोच्च कानून; कानूनी प्रणाली की नींव। उदाहरण: भारत का संविधान।

• **नियम:** कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी विस्तृत निर्देश; कानूनों और उपनियमों के अधीन। उदाहरण: पासपोर्ट आवेदन नियम।

• **विनियम:** विनियामक निकायों द्वारा जारी विशिष्ट और तकनीकी दिशा-निर्देश। उदाहरण: सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी विनियम।

• **कानून का शासन:** ब्रिटिश विधिवेत्ता ए.वी. डाइसी द्वारा परिभाषित, यह इस बात पर बल देता है कि कानून एक राष्ट्र को नियंत्रित करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सहित कोई भी व्यक्ति या संस्था इससे ऊपर न हो।

प्रमुख तत्त्व:

• **कानून की सर्वोच्चता:** कानून सर्वोच्च प्राधिकारी है।

• **कानून के समक्ष समानता:** सभी व्यक्ति समान कानून के अधीन हैं।

• **जवाबदेही:** सरकारी कार्य कानूनी रूप से उचित होने चाहिए।

• **कानूनी निश्चितता:** कानून स्पष्ट, सार्वजनिक और स्थिर होने चाहिए। लोक संप्रभुता विधि का शासन लोकतांत्रिक शासन (उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ) शक्तियों का पृथक्करण (नियंत्रण और संतुलन को समाहित करना) सेना पर असैन्य निगरानी पुलिस, कानूनी और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्तिगत अधिकारों का पालन लुइस हेनकिन के अनुसार संविधानवाद के आठ सिद्धांत भारत का सर्वोच्च न्यायालय 'कानून के शासन' को संविधान के 'मूल ढाँचे' के रूप में मान्यता देता है, जिससे यह संशोधनों के प्रति अभेद्य हो जाता है।

[यूपीएससी 2018]

• **संविधानवाद:** फ्रेडरिक के अनुसार, "संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार निर्धारित नियमों के भीतर ही कार्य करे तथा निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दे।" संविधान का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के लिए एक ढांचा प्रदान करना है, जो इसकी प्रकृति और स्वरूप को निर्धारित करता है। राज्य के मौलिक कानून के रूप में, यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। विधायिका संविधान द्वारा प्रदान की गई सीमाओं और निर्देशों के अनुसार कानून बनाती है। *[यूपीएससी 2023]*

• **संविधान बनाम संविधानवाद:** किसी देश का संविधान तो हो सकता है, लेकिन उसमेंवास्तविकसंविधानवादकाअभावहो सकताहै। उदाहरण के लिए, एक तानाशाही में ऐसा संविधान हो सकता है जिसका पालन नहीं किया जाता।

संविधान का वर्गीकरण

• **विकसित संविधान:** क्रमिक विकास का परिणाम; सम्मेलनों, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों में प्रावधान। उदाहरण: ब्रिटिश संविधान।

• **अधिनियमित संविधान:** संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच-समझकर बनाया जाता है; किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान। उदाहरण: अमेरिकी और भारतीय संविधान।

• **लिखित संविधान:** सरकारी संरचना और नागरिक अधिकारों को रेखांकित करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज़ तथा किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से तैयार किया जाता हैं। उदाहरण: अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, भारत।

• **अलिखित संविधान:** सम्मेलनों, प्रथाओं, सिद्धांतों, कानूनों और न्यायिक निर्णयों में पाए जाने वाले प्रावधान। उदाहरण: यू.के., न्यूजीलैंड, इजराइल। भारत के संविधान का निर्माण

अध्यक्षीय संविधान: कार्यकारी और विधायी शाखाओं को अलग करता है; राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका।

संसदीय संविधान: कार्यपालिका विधायिका से आती है; प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करते हैं। उदाहरण: यू.के., भारत।

राजतन्त्रात्मक संविधान: राजतंत्र/राजा को मान्यता देता है, या तो सीमित शक्तियों (संवैधानिक) या महत्त्वपूर्ण शक्तियों (पूर्ण) के साथ। उदाहरण: यू.के., स्वीडन।

गणतंत्रात्मक संविधान: राजतंत्र के बिना गणतंत्र की स्थापना; राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। उदाहरण: यू.एस., फ्रांस।

धार्मिक संविधान: धार्मिक कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित। उदाहरण: ईरान।

धर्मनिरपेक्ष संविधान: धर्म को सरकारी कानूनों से अलग करता है। उदाहरण: भारतीय संविधान।

संघीय संविधान: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है, और स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है। उदाहरण: यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राजील।

एकात्मक संविधान: राष्ट्रीय सरकार में शक्ति का संकेंद्रण करता है, क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती हैं। उदाहरण: यू.के., फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नार्वे।

प्रक्रियात्मक संविधान: कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है, तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओंऔर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सीमाएँ निर्धारित करता है।

निर्देशात्मक संविधान: सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति स्थापित करता है, सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है।

कठोर संविधान: संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और यह संवैधानिक कानून को सामान्य कानून से अलग करता है। उदाहरण: यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड।

लचीला संविधान: सामान्य कानूनों की तरह ही संशोधित होता है, जिसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसे लचीला संविधान (Elastic constitution) के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण: यू.के., न्यूजीलैंड। भारत का संविधान इन दोनों का समन्वय है।

संविधान सभा की माँग

1934 एम.एन. राय ने भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सामने रखा।

1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की माँग की।

1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, "स्वतंत्र भारत का संविधान, बाहरी हस्तक्षेप के बिना, 'वयस्क मताधिकार' के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।" 1940 अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से उक्त माँग स्वीकार कर ली गई।

1942 क्रिप्स प्रस्ताव – स्वतंत्र संविधान के निर्माण के बारे में एक प्रारूप प्रस्ताव पेश किया गया, इस प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि भारत को दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग संविधान सभा हो।

1946 कैबिनेट मिशन योजना (C.M.P.) – इसने दो संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया लेकिन एक योजना पेश की जिसे मुस्लिम लीग द्वारा कमोबेश स्वीकार कर लिया गया।

सदस्य: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडरI संविधान सभा में महत्त्वपूर्ण तिथियाँ 9 दिसंबर, 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया।

11 दिसंबर, 1946 डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (सबसे बुजुर्ग सदस्य) को फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

उपाध्यक्ष (दो): एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। 13 दिसंबर, 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया।

22 जुलाई, 1947 उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया।

संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।

15 अगस्त, 1947 सत्ता हस्तांतरण के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों (डोमिनियन) का निर्माण हुआ (14 अगस्त, 1947)।

मई 1949: संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 26 नवंबर, 1949 संविधान को अंगीकार/अधिनियमित किया गया।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: संविधान सभा की माँग



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — संविधान सभा की माँग

मुख्य परीक्षा दृष्टि: मई 1949: संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 26 नवंबर, 1949 संविधान को अंगीकार/अधिनियमित किया गया।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: संविधान सभा की माँग • अध्यक्षीय संविधान • संसदीय संविधान • राजतन्त्रात्मक संविधान • गणतंत्रात्मक संविधान | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1934, 1935, 1938, 1940, 1942

राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान को अपनाना।

राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया। मई 1952 में नई संसद के गठन तक यह भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्यरत रही।

26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक गणराज्य बन गया।

25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 पहले आम चुनाव हुए।

- **प्रदेशों का संघ:** इसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य और शामिल होने के इच्छुक क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- **स्वायत्ता:** संघ को सौंपे गए क्षेत्रों को छोड़कर, शेष क्षेत्रों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में दर्जा प्राप्त है, तथा उनके पास शेष शक्तियाँ हैं।
- **लोगों का अधिकार:** सारी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त होती है।
- **न्याय और समानता:** सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी; अवसर की समानता; विचार, अभिव्यक्ति और कार्रवाई की स्वतंत्रता।
- **अल्पसंख्यकसुरक्षा:**अल्पसंख्यकोंऔरपिछड़े वर्गोंके लिएप्रावधान।
- **क्षेत्रीय अखंडता:** भूमि, समुद्र और हवा पर संप्रभु अधिकार बनाए रखा जाता है।
- **वैश्विक योगदान:** विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता।

• भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। संविधान सभा की संरचना गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सदस्यों की संख्या कुल 389 = 296 (ब्रिटिश भारत) + 93 (रियासतें)।

296 में से 292 को 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 को चार मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिया जाना था।

संरचना भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि:

हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ।

इन सभी वर्गों की महिलाएँ भी शामिल थीं।

सीट आवंटन

प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं।

प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को तीन प्रमुख समुदायों– मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाना था।

मतदान पद्धति

प्रांतीय प्रतिनिधित्व के मामले में एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था।

सदस्य

संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित (ब्रिटिश प्रांतों में) और आंशिक रूप से मनोनीत (रियासतों के प्रमुखों द्वारा) निकाय बनी।

सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था।

उल्लेखनीय अनुपस्थिति

महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे।

रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गई, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

कुल सत्र: 11; कुल समय: 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन; कुल व्यय: 64 लाख रुपये।

प्रतीक चिह्न: हाथी को संविधान सभा की मुहर के रूप में अपनाया गया। वस्तुनिष्ठ संकल्प

- इसमें संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन को शामिल किया गया था।

शांति और जन-कल्याण — को बढ़ावा देना

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चिंतन और विचारों की स्वतंत्रता संविधान की उद्देशिका के लिए आधार वंचित, जातीय और अल्पसंख्यक समूहों के लिए सुरक्षा भारत संप्रभु और स्वतंत्र होगा लोग सत्ता का स्रोत होंगे 01 02 03 04 05 07 06 उद्देश्य संकल्प

- **घोषणा:** भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है।

स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा किए गए परिवर्तन संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया, जो किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए स्वतंत्र थी।

सभा को दो अलग-अलग कार्य सौंपे गए– विधायी निकाय (जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष थे)।

संविधान निर्माण निकाय (डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे)।

प्रथम संसद: संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद (डोमिनियन विधायिका) बन गई। जो 26 नवंबर, 1949 तक कार्यरत रहा। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्यों के बाहर होने के बाद कुल संख्या घटकर 299 रह गई वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी।

प्रमुख कार्मिक

सर बी.एन. राव: संवैधानिक सलाहकार।

एच.वी.आर. अयंगर: संविधान सभा के सचिव।

एस.एन. मुखर्जी: संविधान के मुख्य रचयिता।

प्रेम बिहारी रायजादा: संविधान के सुलेखक। नंद लाल बोस और बी.आर. सिन्हा: संविधान को व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी।

हिंदी संस्करण: हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया और इसे नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया। महिलाओं की भागीदारी संविधान सभा की प्रारंभिक सदस्यता:15 महिलाएँ, बाद में 2 और बढ़ गईं।

भारतीय संविधान की महिला हस्ताक्षरकर्ता: 11महिलाएँ, अर्थात्,जी. दुर्गाबाई, अम्मूस्वामीनाथन, अमृतकौर, दक्षिणायनीवेलायुधन, हंसा मेहता, रेणुका रे, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुदसिया ऐज़ाज़ रसूल, कमला चौधरी और एनी मैस्करीन।

संविधान सभा की विभिन्न समितियाँ — प्रमुख समितियाँ — अध्यक्ष समितियाँ — जवाहरलाल — नेहरू

संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति।

कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति (8 जुलाई, 1946): अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू।

उद्देश्य: संविधान सभा के लिए तथ्य तैयार करना। डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति; मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति मौलिक अधिकार उप-समिति - जे.बी. कृपलानी अल्पसंख्यक उप-समिति - एच.सी. मुखर्जी उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति -गोपीनाथ बारदोलोई बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति - ए.वी. ठक्कर उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति डॉ. बी.आर.

अंबेडकर प्रारूप समिति: — गठन: 29 अगस्त, 1947

7 सदस्य: डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष), एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ.के .एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव (उन्होंने बीएल मित्तर का स्थान लिया जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था), टी.टी. कृष्णामाचारी (उन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई)।

प्रारूपण प्रक्रिया: — पहला प्रारूपण: फरवरी 1948 में प्रकाशित — सार्वजनिक प्रतिक्रिया अवधि: आठ महीने — दूसरा प्रारूपण: अक्टूबर 1948 में प्रकाशित — कुल बैठकें : 141 दिन — पूरा होने का समय: छह महीने से कम

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: प्रमुख कार्मिक

1947	1949	1946	1948
प्रमुख कार्मिक	संविधान सभा की विभिन्न समितियाँ	प्रमुख समितियाँ	अध्यक्ष समितियाँ

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — प्रमुख कार्मिक

मुख्य परीक्षा दृष्टि: कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति (8 जुलाई, 1946): अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: प्रमुख कार्मिक • संविधान सभा की विभिन्न समितियाँ • प्रमुख समितियाँ • अध्यक्ष समितियाँ • जवाहरलाल | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1947, 1949, 1946, 1948

IUC विशेष स्मृति सूत्र #2: केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार

ट्रिक: '15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को' — अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं (विदेशियों को नहीं)। राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते (44वाँ संशोधन 1978)।

लघु समितियाँ

डॉ. राजेंद्र प्रसाद: वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति।

अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर: क्रेडेंशियल्स कमेटी।

बी. पट्टाभि सीतारमैया: हाउस कमेटी, मुख्य आयुक्तों की प्रांत समिति। नलिनी रंजन सरकार (गैर-सदस्य): वित्तीय प्रावधान समिति।

एस.के . दार (गैर-सदस्य): भाषाई प्रांत आयोग।

जवाहरलाल नेहरू: मसौदा संविधान समिति।

उषा नाथ सेन: प्रेस गैलरी समिति।

एस वरदाचारी (गैर-सदस्य): नागरिकता समिति, सुप्रीम कोर्ट समिति।

डॉ. के .एम. मुंशी: बिजनेस कमेटी का आदेश।

जी.वी. मावलंकर: संविधान सभा समिति के कार्य। संविधान का अधिनियमन और प्रवर्तन अधिनियमन प्रवर्तन

- इसे 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया था।
- संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 ही वास्तव में उस दिन उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
- उस समय इसमें उद्देशिका (Preamble), 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं।

• संविधान पहले ही अधिनियमित हुआ उसके बाद उद्देशिका अधिनियमित की गई थी ताकि इसे संविधान के दर्शन अनुरूप बनाया जा सके।

• संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर, 1949 को ही लागू किए जा गए थे, जैसे **अनुच्छेद 5** , 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित नागरिकता, निर्वाचन, अनंतिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, और उनके संक्षिप्त नाम।

• अधिकांश भाग 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ (प्रवृत्त दिवस– गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है)।

• **26 जनवरी, 1930:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया।

• भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 तथा उनके सभी अधिनियमनों को निरस्त कर दिया गया।

• प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम (1949) का उन्मूलन जारी रहा। अन्य संबंधित तथ्य कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति 8 जुलाई, 1946 को कांग्रेस पार्टी (इंडियन नेशनल कांग्रेस) ने संविधान सभा के लिए कटेंट तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

इस समिति के सदस्य थे: जवाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष), एम. आसफ अली, के .एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी आयंगर, के .टी. शाह, डी.आर. गाडगिल, के . संथानम।

संविधान के स्रोत — स्रोत जो विशेषताएँ ली गईं

भारत शासन अधिनियम, 1935 संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।

ब्रिटेन का संविधान संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मकता और विशेषाधिकार रिट।

अमेरिका का संविधान

मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और उपराष्ट्रपति का पद।

आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व (डीपीएसपी), राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन।

कनाडा का संविधान

सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार।

ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।

जर्मनी का वाइमर संविधान आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन।

सोवियत संघ का संविधान मूल कर्तव्य और उद्देशिका में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श।

फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक व्यवस्था और उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।

जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

संविधान का हिंदी पाठ

• संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ के बारे में पहले कोई प्रावधान नहीं था। 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग XXII में **अनुच्छेद 394** -क को शामिल करके इसका प्रावधान किया।

• राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद कराने और उसके संशोधनों का हिंदी पाठ तैयार कराने का अधिकार दिया गया है।

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — संविधान का हिंदी पाठ

मुख्य परीक्षा दृष्टि: राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद कराने और उसके संशोधनों का हिंदी पाठ तैयार कराने का अधिकार दिया गया है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: संविधान का हिंदी पाठ | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1987

'संविधान' शब्द का मुख्य अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जो सरकार के संगठन और कार्यप्रणाली के साथ-साथ सरकार और आम नागरिकों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध को रेखांकित करते हैं। संविधान को 'देश का मौलिक कानून (Fundamental law of the land)', 'देश का सर्वोच्च कानून (Supreme law of the state)', 'देश का बुनियादी कानून (Basic law of the country)', 'सरकार का लेख-पत्र (साधन) (Instrument of the government)', 'देश के नियम (Rules of the state)', 'राजव्यवस्था की बुनियादी संरचना (Basic structure of the polity)' और 'देश के मूल-नियम (Ground norm of the country)' के रूप में भी वर्णित किया गया है।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ — विशेषताएँ विवरण — सबसे लंबा लिखित संविधान

- मूल संविधान (1949) में एक उद्देशिका, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं।
- **विशाल आकार के लिए उत्तरदायी आधारभूत कारक:** देश की विशालता और इसकी विविधता, ऐतिहासिक कारक, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक संविधान और संविधान सभा में कानून के विशेषज्ञों का वर्चस्व।
- वर्तमान में, इसमें एक उद्देशिका, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं। विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान
- भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधान अन्य देशों के संविधानों के साथ-साथ वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं।
- संविधान का संरचनात्मक भाग- भारत शासन अधिनियम, 1935।
- संविधान का दार्शनिक भाग (मूल अधिकार और राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व)– क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
- संविधान का राजनीतिक भाग– ब्रिटेन का संविधान। एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था
- संविधान में कहीं भी संघ (फेडरेशन) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
- **अनुच्छेद 1** में भारत को राज्यों का संघ (Union of States) कहा गया है।
- **संघीय विशेषता:** दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदनात्मकता, संविधान की सर्वोपरिता (सर्वोच्चता) आदि।
- **एकात्मक/गैर-संघीय विशेषताएँ:** मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन प्रावधान।

कठोर और लचीला z भारतीय संविधान न तो कठोर है (अमेरिका की तरह) और न ही लचीला है (ब्रिटेन की तरह), बल्कि दोनों का मिश्रण है।

संसदीय शासन प्रणाली

- भारतीय संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तुलना में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली (वेस्टमिंस्टर मॉडल) को प्राथमिकता दी है, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है।
- संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रणाली स्थापित करता है।
- **विशेषताएँ:** नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति; बहुमत दल का शासन; प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व; विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता; निचले सदन (लोकसभा) का विघटन।

संसदीय संप्रभुता और न्यायिक — सर्वोपरिता का संश्लेषण

- संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संसद के समान है।
- न्यायिक सर्वोपरिता (सर्वोच्चता) अमेरिकी प्रणाली के समान है। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएँ

एकीकृत एवं स्वतंत्र

न्यायपालिका

- उच्चतम न्यायालय देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष स्तर पर है, इसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय एवं अन्य निचली अदालतें हैं।
- **उच्चतम न्यायालय:** अपील का सर्वोच्च न्यायालय; नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करने वाला; संविधान का संरक्षक।

• **भारत:** न्यायालयों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है। 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)' (**अनुच्छेद 21)** का प्रावधान है।

• **यूएसए:** संघीय कानून संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। 'कानून की उचित प्रक्रिया (Due Process of Law)' का प्रावधान है।

मूल अधिकार

राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए हैं। संविधान के भाग 3 में सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है:

• समानता का अधिकार (**अनुच्छेद 14** से 18)

• स्वतंत्रता का अधिकार (**अनुच्छेद 19** से 22)

• शोषण के विरुद्ध अधिकार (**अनुच्छेद 23** और 24)

• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (**अनुच्छेद 25** से 28)

• सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (**अनुच्छेद 29** से 30)

• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (**अनुच्छेद 32)** राज्य के नीति- निदेशक तत्त्व

• इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 (**अनुच्छेद 36** -51)में किया गया है।

• सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देना।

• प्रकृति में गैर-न्यायसंगत (Non-Justiciable) हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामलों में न्यायालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

• **तीन वर्गों में वर्गीकृत:** समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual)।

• **उद्देश्य:** भारत में 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना।

• **महत्त्व:** देश के शासन-विधि में मौलिक हैं, और कानून बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मूल कर्तव्य

• स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद ही इन्हें संविधान में (42वें संशोधन अधिनियम द्वारा) जोड़ा गया।

• संविधान के भाग 4-क (केवल एक **अनुच्छेद 51** -क) में 11 मूल कर्तव्य विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

• प्रकृति में गैर-न्यायसंगत। धर्मनिरपेक्ष राज्य

• उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

• भारत का संविधान भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता।

• **धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा:** धर्म (चर्च) और राज्य (राजनीति) के बीच पूर्ण पृथक्करण।

• **धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा:** धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना।

• **धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद:** उद्देशिका, **अनुच्छेद 14** , 15, 16, 25 से 30, 44. प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार

• 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

• **प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार:** यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का आधार है। एकल नागरिकता

• **भारत:** पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार हैं।

• **यूएसए:** प्रत्येक व्यक्ति न केवल यूएसए का नागरिक है, बल्कि उस विशेष राज्य का भी नागरिक है, जहाँ वह रहता है। स्वतंत्र निकाय

• **लोकतांत्रिक प्रणाली के नींव:** निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग।

आपातकालीन प्रावधान

• **प्रावधानों के पीछे तर्क संगतता:** देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना।

• राष्ट्रीय आपातकाल (**अनुच्छेद 352)**

• राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (**अनुच्छेद 356** और **अनुच्छेद 365)**

• वित्तीय आपातकाल (**अनुच्छेद 360)**

• **अद्वितीय विशेषता:** आपातकाल के दौरान, संविधान में औपचारिक संशोधन किएबिना संघीय ढाँचा (Federal Structure) एकात्मक ढाँचे (Unitary Structure) में परिवर्तित हो जाता है।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: एकीकृत एवं स्वतंत्र



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — एकीकृत एवं स्वतंत्र

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अद्वितीय विशेषता: आपातकाल के दौरान, संविधान में औपचारिक संशोधन किएबिना संघीय ढाँचा (Federal Structure) एकात्मक ढाँचे (Unitary Structure) में परिवर्तित हो जाता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: एकीकृत एवं स्वतंत्र • मूल अधिकार • आपातकालीन प्रावधान • उच्चतम न्यायालय • भारत | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1976, 1988, 1989

त्रिस्तरीय सरकार

• **73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992:** पंचायतों को संवैधानिक मान्यता (भाग 9, अनुसूची 11)।

• **74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:** नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता (भाग 9-क, अनुसूची 12)।

• **अनुच्छेद 40 :** ग्राम पंचायतों का गठन (गांधीवादी सिद्धांत)। सहकारी समितियाँ

• **97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011:** सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई है।

• सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार मूल अधिकार (**अनुच्छेद 19)** है।

• सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में एक नया अनुच्छेद 'राज्य का नीति-निदेशक तत्त्व (डीपीएसपी)' जोड़ा गया (**अनुच्छेद 43B)।**

• 'सहकारी समितियाँ' नामक एक नया भाग 9-ख जोड़ा गया (**अनुच्छेद 243** -ZH से 243-ZT)। भारतीय संविधान के भाग भाग विषय अनुच्छेद I संघ और उसके क्षेत्र 1 – 4 II नागरिकता 5 – 11 III मौलिक अधिकार 12 – 35 IV राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत 36 – 51 IV A मौलिक कर्तव्य 51A V संघ 52 – 151 VI राज्य 152 – 237 VII प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य (निरस्त) 238 VIII केंद्र-शासित प्रदेश 239 – 242 IX पंचायतें 243 – 243O IX A नगर पालिकाएँ 243P – 243ZG IX B सहकारी समितियाँ 243ZH – 243ZT X अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 244 – 244A XI संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 – 263 XII वित्त, संपत्ति, संविदाएँएवं वाद 264 – 300A XIII भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 – 307 XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ 308 – 323 XIV A अधिकरण 323A – 323B XV निर्वाचन 324 – 329A XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 – 342 XVII राजभाषा 343 – 351 XVIII आपातकालीन उपबंध 352 – 360 XIX प्रकीर्ण 361 – 367 XX संविधान का संशोधन 368 XXI अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 – 392 XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 – 395

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ — अनुसूची विवरण अनुच्छेद — पहली अनुसूची

यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके क्षेत्रों के साथ सूचीबद्ध करता है। वर्तमान में **अनुच्छेद 1** और 4 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद 1 और 4 — दूसरी अनुसूची

भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए सभी प्रावधान।

अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221 तीसरी अनुसूची यह विधेयक निम्नलिखित के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप उपलब्ध कराता है: संघ और राज्य मंत्रियों, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव के उम्मीदवारों, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188, 219 चौथी अनुसूची राज्य सभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या का विवरण। **अनुच्छेद 4(** 1) और 80(2) पाँ चवीं अनुसूची कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। **अनुच्छेद 244** , 245 छठी अनुसूची यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करती है।

अनुच्छेद 244(2) और 275(1) सातवीं अनुसूची इसमें विधायी प्राधिकार के लिए तीन सूचियाँ सम्मिलित हैं: संघ सूची: केंद्रीय कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय महत्त्व के विषय (जैसे- रक्षा, विदेशी मामले)। राज्य सूची: राज्य कानून बनाने के लिए स्थानीय विषय (जैसे- पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य)। समवर्ती सूची: दोनों के लिए संयुक्त विषय (जैसे, शिक्षा)। नोट: संसद अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है, संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची पर प्रबल होती है; संघर्ष के मामले में केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 246 — आठवीं अनुसूची

सूची में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएँ सम्मिलित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएँथीं, जो अब 22 हो गई हैं।

भाषाओं में सम्मिलित हैं- असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू।

सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा जोड़ा गया।

कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा उड़िया का नाम बदलकर 'ओडिया' कर दिया गया था।

(यूपीएससी 2024) **अनुच्छेद 344(** 1) और 351 नौवीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13, किन्तु वर्तमान में 282 अधिनियम) तथा अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम।

इस अनुसूची को जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था ताकि इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। यद्यपि, सुप्रीमकोर्ट नेफैसलादियाकि 24 अप्रैल, 1973के बादइस अनुसूची में शामिलकानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं (आई आर कोएल्हो के स)। [यूपीएससी 2018, 2019]

अनुच्छेद 31ख — दसवीं अनुसूची

इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के संबंध में प्रावधान (जिसे दलबदल विरोधी कानून के नाम से सुप्रसिद्ध है) सम्मिलित हैं जिसे 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 102(2) और 191(2) ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरणदियागयाहै। इसमें 29कार्यात्मकविषयशामिलहैं:कृषि,भूमिसुधार,भूमिसुधारोंकाकार्यान्वयन, भूमि चकबंदी, आदि।

अनुच्छेद 243ज — बारहवीं अनुसूची

74वें संशोधन (1992) द्वाराजोड़ागया, जिसमें नगर पालिकाओंकीशक्तियों, प्राधिकारोंऔरजिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है। इसमें 18 कार्यात्मक विषय सम्मिलित हैं: शहरी नियोजन, जिसमें नगर नियोजन भी शामिल है, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, आदि।

अनुच्छेद 243ब

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

1967	1992	2003	2011
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ	अनुसूची विवरण अनुच्छेद	पहली अनुसूची	अनुच्छेद 1 और 4

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

मुख्य परीक्षा दृष्टि: इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के संबंध में प्रावधान (जिसे दलबदल विरोधी कानून के नाम से सुप्रसिद्ध है) सम्मिलित हैं जिसे 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ • अनुसूची विवरण अनुच्छेद • पहली अनुसूची • अनुच्छेद 1 और 4 • दूसरी अनुसूची | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1967, 1992, 2003, 2011, 2024

IUC विशेष स्मृति सूत्र #3: संविधान के विदेशी स्रोत याद रखने की ट्रिक

ट्रिक: 'ब्रिटेन = संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन व रिट; अमेरिका = मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति व महाभियोग; आयरलैंड = DPSP व राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल; कनाडा = सशक्त केंद्र व अवशिष्ट शक्तियाँ; ऑस्ट्रेलिया = समवर्ती सूची व संयुक्त बैठक (108)'।

वरीयता क्रम: भारत गणराज्य

वरीयता क्रम गृह मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित एक प्रोटोकॉल सूची है। इसमें भारत सरकार में पद और कार्यालय के अनुसार पदाधिकारियों और प्राधिकारियों का विवरण दर्ज किया जाता है। यह राजकीय और औपचारिक अवसरों के लिए है और सरकार के दैनिक कामकाज में इसका कोई उपयोग नहीं है। सबसे महत्त्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों का वरीयता क्रम इस प्रकार है: 1. राष्ट्रपति> 2. उपराष्ट्रपति> 3. प्रधानमंत्री> 4. अपने-अपने राज्यों के भीतर राज्यों के राज्यपाल> 5. पूर्व राष्ट्रपति> 5A. उप प्रधानमंत्री> 6. भारत के मुख्य न्यायाधीश = लोकसभा के अध्यक्ष> 7. संघ के कैबिनेट मंत्री = अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री = नीति आयोग के उपाध्यक्ष = पूर्व प्रधानमंत्री = राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता> 7A. भारत रत्न धारक > 8. भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत और उच्चायुक्त = अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के मुख्यमंत्री। = अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के राज्यपाल।> 9. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश > 9A. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष = मुख्य चुनाव आयुक्त = भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक > 10. राज्यसभा के उपसभापति = राज्यों के उपमुख्यमंत्री = लोकसभा के उपाध्यक्ष = नीति आयोग के सदस्य = संघ के राज्य मंत्री > 11. भारत के महान्यायवादी = कैबिनेट सचिव = अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर।

संविधान का संशोधन (भाग 20: अनुच्छेद 368) भारत के संविधान में संशोधन करना देश के मूल कानून अथवा सर्वोच्च कानून में बदलाव करने की प्रक्रिया है।

- संविधान में संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो लचीली (ब्रिटेन) और न ही कठोर (यूएसए) है। यह दोनों का सम्मिश्रण है।
- संविधान में, यह कहा गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का भाग हैं (के शवानंद भारती के स, 1973)।
- **अनुच्छेद 368** को क्रमश: 1971 और 1976 में 24वें एवं 42वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (**अनुच्छेद 368)** : मुख्य तथ्य विधेयकों का पुर:स्थापन z संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुर:स्थापित किया जा सकता है। [यूपीएससी 2013]

इसे कौन पुर:स्थापित कर

सकता है?

- या तो किसी मंत्री द्वारा अथवा गैर-सरकारी सदस्य द्वारा।

विधेयक के पुर:स्थापन में राष्ट्रपति की भूमिका

• **विधेयक के पुर:**स्थापन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। [यूपीएससी 2022] आवश्यक बहुमत का प्रकार z विशेष बहुमत: उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (अर्थात् 50% से अधिक) + उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का बहुमत। [यूपीएससी 2022]

सदनों में विधेयक z दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किए जाने की आवश्यकता होती है।

संयुक्त बैठक (**अनुच्छेद 108)** z दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

संघीय प्रावधानों में संशोधन z विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन। [यूपीएससी 2013]

विधेयक को सहमति देने में राष्ट्रपति की भूमिका

• **24 वाँ संविधान संशोधन:** इसने **अनुच्छेद 368** में भी संशोधन किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर उनकी सहमति देना अनिवार्य बना दिया। [यूपीएससी 2022]

• वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।

• राष्ट्रपति की सहमति के बाद, विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान उस अधिनियम की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है।

बहुमत के प्रकार — बहुमत के प्रकार विवरण

साधारण बहुमत z प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।

• यह साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान है।

• ऐसे संशोधनों पर **अनुच्छेद 368** के तहत विचार नहीं किया जाता है। उदाहरण: हाल ही में, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। पूर्ण बहुमत z सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, चाहे रिक्तियाँ हों या सदस्य अनुपस्थित हों।

प्रभावी बहुमत z सदन की प्रभावी संख्या का बहुमत (अर्थात कुल संख्या में से रिक्तियों को घटाकर)।

अनुच्छेद 249 के तहत — विशेष बहुमत

• उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। **अनुच्छेद 368** के तहत विशेष बहुमत

• प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (रिक्तियों/अनुपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना) (अर्थात् 50% से अधिक) तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा।

• 'कुल सदस्यता' शब्द का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, रिक्तियाँ अथवा अनुपस्थिति होने के बावजूद। उदाहरण: ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वाँ संशोधन।

अनुच्छेद 61 के तहत — विशेष बहुमत

• सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 का बहुमत। संसद का विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति

• विशेष बहुमत + साधारण बहुमत से राज्य विधानसभाओं के आधे (50%) का अनुसमर्थन। अधिकांश संघीय प्रावधानों में इसी पद्धति द्वारा संशोधन किया गया। [यूपीएससी 2013]

• यदि एक अथवा कुछ अथवा शेष सभी राज्य विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता; जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति देते हैं, औपचारिकता पूरी हो जाती है। ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। उदाहरण: जीएसटी से संबंधित 101वाँ संशोधन।

विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत के प्रकार:

• ऐसे प्रावधान जिनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है:
  ◦ नये राज्यों का प्रवेश/स्थापना। (**अनुच्छेद 2)**

- नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओंअथवा नामों में परिवर्तन। (**अनुच्छेद 3)**
- दूसरी अनुसूची (परिलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार)।
- राज्य विधान परिषदों की उत्सादन/सृजन। (**अनुच्छेद 169)**
- संसद में गणपूर्ति। (**अनुच्छेद 100)**
- संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। (**अनुच्छेद 106)**
- संसद के प्रक्रिया नियम। (**अनुच्छेद 118)**
- संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग।
- उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों (Puisne judges) की संख्या।
- संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार। (**अनुच्छेद 105)**
- उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना। (**अनुच्छेद 138)**
- राजभाषा का प्रयोग। (**अनुच्छेद 343)**
- नागरिकता। (**अनुच्छेद 5** से 11)
- संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव।
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। (**अनुच्छेद 82)**
- केंद्र शासित प्रदेश।
- पाँचवीं अनुसूची। [**अनुच्छेद 244(** 1)]
- छठी अनुसूची। (**अनुच्छेद 244)**

• ऐसे प्रावधान जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है:

- मूल अधिकार।
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व।
- वे सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं हैं।

• ऐसे प्रावधान जिनके लिए विशेष बहुमत + आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है:

- राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। (**अनुच्छेद 54** और 55)
- केंद्र एवं राज्य कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार।
- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। (**अनुच्छेद 124** एवं 214)
- केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन।
- वस्तु और सेवा कर परिषद।
- सातवीं अनुसूची (3 सूचियाँ)। (**अनुच्छेद 246)**
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
- **अनुच्छेद 368** संशोधन प्रक्रिया की आलोचना

• संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, भारतीय राज्य संवैधानिक संशोधन शुरू नहीं कर सकते; यह अधिकार पूर्णतः संसद के पास है। एकमात्र अपवाद तब होता है जब राज्य विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे संसद स्वीकृत, अस्वीकार या अनदेखा कर सकती है।

• संविधान में उस समय का उल्लेख नहीं है जिसके भीतर राज्य विधानसभाएँ संशोधन की पुष्टि कर सकती हैं अथवा अस्वीकार कर सकती हैं।

• संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है कि क्या राज्य एक बार दी गई स्वीकृति वापस ले सकते हैं।

• किसी विशेष निकाय के लिए कोई प्रावधान नहीं तथा केवल कुछ मामलों में ही राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है।

• संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

• अस्पष्ट प्रावधानों के कारण मामलों को न्यायपालिका तक ले जाने की व्यापक संभावना रहती है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अनुच्छेद 249 के तहत

1. अनुच्छेद 249 के तहत

2. विशेष बहुमत

3. अनुच्छेद 61 के तहत

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुच्छेद 249 के तहत

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अस्पष्ट प्रावधानों के कारण मामलों को न्यायपालिका तक ले जाने की व्यापक संभावना रहती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुच्छेद 249 के तहत • विशेष बहुमत • अनुच्छेद 61 के तहत | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2013

प्रमुख संवैधानिक संशोधन — संशोधन विवरण — पहला संविधान संशोधन — अधिनियम, 1951

• राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार।

• संपदा अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले कानूनों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया।

• प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची जोड़ी। बाद में, **अनुच्छेद 31** , 31क और 31ख जोड़े गए।*[यूपीएससी 2023]*

• **अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंधों के तीन और आधार जोड़े गए:** लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी अपराध के लिए उकसाना।

• किसी व्यवसाय अथवा व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के राज्य के कदम की वैधता तथा व्यापार और वाणिज्य के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इसे अमान्य नहीं किया जाना।

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1952

• उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया।

• उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

• दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया।

• राज्यों के वर्ग क, ख, ग और घ को समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। 9वाँ संशोधन अधिनियम, 1960

• भारत-पाक समझौते(1958) के परिणामस्वरूप भारतीय राज्यक्षेत्र में समायोजन।

• बेरुबाड़ी यूनियन (पश्चिम बंगाल) के भारतीय राज्यक्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। 14वाँ संशोधन अधिनियम, 1962

• पुदुचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया।

• केंद्र शासित प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया।

16वाँ संशोधन अधिनियम, 1963

• राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए स्वतंत्र भाषण तथा सभाओं को सीमित करने के लिए सरकारी अधिकार का विस्तार किया गया।

• पद की शपथ में भारत की एकता के प्रति प्रतिबद्धता शामिल होना आवश्यक था। 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971

• मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की गई।

• राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। 25वाँ संशोधन अधिनियम, 1971

• संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया तथा **अनुच्छेद 39** के तहत कानूनों को **अनुच्छेद 14** , 19 और 31 पर आधारित चुनौतियों से संरक्षित किया गया।

26वाँ संशोधन अधिनियम, 1971

• प्रिवी पर्स और रियासतों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। 35वाँ संशोधन अधिनियम, 1974

• सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

• भारतीय संघ के साथ सिक्किम के संयोजन के नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हुए दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975

• सिक्किम को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दसवीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 39वाँ संशोधन अधिनियम, 1975

• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय न्यायालयों की जाँच से मुक्त रखा गया। इसे आपातकाल (1975-1977) के दौरान लागू किया गया था।

42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 (लघु संविधान)

• प्रस्तावना में तीन नए शब्द - समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता - जोड़े गए।

• नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए (नया भाग 4क)।

• चार नए निर्देशक तत्त्व जोड़े गए, अर्थात्बच्चों का स्वस्थ विकास (**अनुच्छेद 39)** ; समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता (**अनुच्छेद 39क)** ; उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (**अनुच्छेद 43क)** तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण (**अनुच्छेद 48क)।**

• **डीपीएसपी और मौलिक अधिकार:** डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ माना गया।

• **चुनाव:** 2001 की जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में देरी की गई।

• **संसद:** राष्ट्रपति की सलाह को बाध्यकारी बनाया गया; संशोधन शक्तियों को अप्रतिबंधित किया गया।

• **न्यायपालिका:** उच्चत्तम न्यायालय की समीक्षा शक्तियों को सीमित किया गया; संशोधनों को चुनौतियों से मुक्त किया गया। [यूपीएससी 2019]

• **संघवाद:** पाँच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया (शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, और न्याय प्रशासन)

• **आपातकालीन प्रावधान:** स्थानीय आपातकाल की अनुमति दी गई; राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष तक बढ़ाया गया। 43वाँ संशोधन अधिनियम, 1978

• उच्च न्यायालय की मूल स्थिति को बहाल किया गया, साथ ही हाईकोर्ट को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मूल अधिकार क्षेत्र की प्रमुख सिविल अदालतों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई, इस प्रकार उनके पास किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र होगा। [यूपीएससी 2019]

44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978

• राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में 'आंतरिक अशांति (Internal disturbance')'शब्द के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह (Armed rebellion)' शब्द रखा गया।

• कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

• संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया।

• **अनुच्छेद 20** और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। 52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985

• दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता का प्रावधान किया गया और इस संबंध में विवरण हेतु एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।

• **91वाँ सीएए (2001):** विभाजन के अपवादों को हटाकर दलबदल विरोधी कानूनों को मजबूत किया गया। 61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989

• लोक सभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991

• केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992

• पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करते हुए एक नया भाग-9, जिसका शीर्षक है 'पंचायत' और एक नई 'ग्यारहवीं अनुसूची' जिसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें सम्मिलित हैं, जोड़ा गया।

74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992

• शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई और एक नया भाग 9-क जोड़ा गया। जिसे 'नगर पालिकाएं' नाम दिया गया और एक नई 'बारहवीं अनुसूची' में नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई।

84वाँ संशोधन अधिनियम, 2001

• जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के समान उद्देश्य के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध को 25 वर्ष (अर्थात्, 2026 तक) के लिए बढ़ा दिया।

86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002

• **अनुच्छेद 21क** के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया।

• निर्देशक तत्त्वों में **अनुच्छेद 45** की विषय वस्तु को बदल दिया गया।

• **अनुच्छेद 51क** के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 89वाँ संशोधन अधिनियम, 2003

• पूर्वर्ती संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित किया गया, अर्थात्राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (**अनुच्छेद 338)** और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (**अनुच्छेद 338क)।**

97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किये:

• इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया (**अनुच्छेद 19)।**

• इसने राज्य के नीति- निर्देशक तत्त्व में एक नया तत्त्व जोड़ा:सहकारी समितियों को बढ़ावा देना l

• इसने संविधान में एक नया भाग 9-ख जोड़ा जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ"। 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014

• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन।

• 2015 में उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।

• **न्यायमूर्ति मेहर की राय:** न्यायपालिका से देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है, इसे केवल सरकार के अन्य अंगों से पूरी तरह से पृथक और स्वतंत्र रखकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है और प्रस्तावित एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 20



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 20

मुख्य परीक्षा दृष्टि: 2015 में उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: संसद • न्यायपालिका • संघवाद • आपातकालीन प्रावधान • वाँ सीएए | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2019, 1978, 1985, 2001, 1989

100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2015

• भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement, LBA) से संबंधित। 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2017

• 1 जुलाई 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018

• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।(**अनुच्छेद-338ब)** 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान किया गया। 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2020

• लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को आगे बढ़ाया गया। 105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2021

• राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सूची तैयार करने तथा उसके रखरखाव के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने से छूट दी गई है।

106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023

• यह लोक सभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी सम्मिलित हैं।

मूल संरचना सिद्धांत का विकास

मूल संरचना में आधारभूत और बुनियादी मूल्य (Basic and core values) सम्मिलित हैं जो भारतीय संविधान का आधार हैं। यह न्यायिक रूप से नवप्रवर्तित सिद्धांत है जिसे न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय मूल संरचना सिद्धांत का आधार हैं। *[यूपीएससी 2020]*

- संसद द्वारा **अनुच्छेद- 368** के तहत मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- **वर्तमान स्थिति:** **अनुच्छेद- 368** के तहत, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की 'मूल संरचना' को प्रभावित किए बिना। उच्चतम न्यायालय को अभी भी यह परिभाषित या स्पष्ट करना बाकी है कि संविधान की 'मूल संरचना ' क्या है।

मूल संरचना सिद्धांत का विकास — के स विवरण — शंकरी प्रसाद के स 1951

- इस मामले में इस बात पर विचार किया गया कि क्या संसद **अनुच्छेद- 368** के तहत मूल अधिकार में कटौती कर सकती है।
- संपत्ति के अधिकार में कटौती करने वाले पहले संशोधन अधिनियम (1951) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
- **उच्चतम न्यायालय:** **अनुच्छेद- 368** के तहत संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। **अनुच्छेद- 13** में केवल साधारण कानून शामिल है, संविधान संशोधन कानून नहीं। मूल अधिकार को न्यून करने वाले संशोधन **अनुच्छेद- 13** के तहत शून्य नहीं हो सकते।

गोलकनाथ के स 1967

- सत्रहवें संशोधन (1964) को चुनौती दी गई थी, जिसमें कुछ राज्य कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया था।
- **उच्चतम न्यायालय:** मूल अधिकार लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय (Transcendental and Immutable) हैं। संसद किसी भी मूल अधिकार में कटौती नहीं कर सकती या वापस नहीं ले सकती। संविधान संशोधन अधिनियम **अनुच्छेद- 13** के तहत कानून हैं।

इसलिए, मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई भी संशोधन **अनुच्छेद- 13** के तहत शून्य होगा।

गोलकनाथ मामले पर संसद की प्रतिक्रिया

- **24वाँ संशोधन (1971):** इस अधिनियम ने **अनुच्छेद- 13** और 368 में संशोधन किया।
- संसद **अनुच्छेद- 368** के तहत किसी भी मूल अधिकार में कटौती कर सकती है और ऐसे कृत्य **अनुच्छेद- 13** के तहत कानून नहीं हैं। के शवानंद भारती के स 1973
- **उच्चतम न्यायालय:** उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले (1967) में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया और 24वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा।
- मूल संरचना सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया ।
- संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
- संसद मूल संरचना सिद्धांत बनाने वाले मूल अधिकार को नहीं छीन सकती।

39वाँ संशोधन 1975 z प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के बीच निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया।

इंदिरा नेहरू गांधी के स

1975

- उच्चतम न्यायालय ने 39वाँ संशोधन अमान्य कर दिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक भाग है। 42वाँ संशोधन 1976
- **अनुच्छेद- 368** में संशोधन किया, संसद की विधायी शक्ति पर कोई सीमा नहीं और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

मिनर्वा मिल्स के स

1980

- 42वें संशोधन के तहत उपरोक्त परिवर्तन अमान्य।

• न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक भाग है। वामन राव के स 1981

• फिर से, उच्चतम न्यायालय ने 'मूल संरचना' के सिद्धांत का पालन किया और स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल, 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा (के शवानंद भारती के स)।

आई आर कोएल्हो

बनाम तमिलनाडु राज्य, 2007

• उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी कानून (नौवीं अनुसूची में शामिल कानून सहित) न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएँगे, यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

न्यायमूर्ति के .एस.

पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (आधार मामला) 2017

• निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और इसे संविधान की मूल संरचना का अंग माना गया।

99वाँ संविधान संशोधन: न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संशोधन अमान्य है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना का भाग है।

मूल संरचना के तत्त्विभिन्न निर्णयों से, निम्नलिखित 'मूल विशेषताएँ उभर कर सामने आई: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति।

संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र। संविधान की सर्वोच्चता।

संविधान का संघीय स्वरूप। राष्ट्र की एकता और अखंडता।

कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)। न्यायिक समीक्षा।

वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा। संसदीय प्रणाली।

विधि का शासन। समता का सिद्धांत।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

मूल अधिकारों तथा नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति।

न्याय तक प्रभावकारी पहुँच। मूल अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत (या सारतत्त्व)।

अनुच्छेद- 32 , 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ।

अनुच्छेद- 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: इंदिरा नेहरू गांधी के स

1975	1976	1980	1981
इंदिरा नेहरू गांधी के स	मिनर्वा मिल्स के स	आई आर कोएल्हो	वाँ संविधान संशोधन

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — इंदिरा नेहरू गांधी के स

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अनुच्छेद- 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: इंदिरा नेहरू गांधी के स • मिनर्वा मिल्स के स • आई आर कोएल्हो • वाँ संविधान संशोधन | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1975, 1976, 1980, 1981, 1973

IUC विशेष स्मृति सूत्र #4: राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल बनाम महाभियोग में शामिल सदस्य

ट्रिक: 'निर्वाचन (अनुच्छेद 54) = केवल निर्वाचित सदस्य (लोकसभा + राज्यसभा + राज्य विधानसभाएँ + दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाएँ)'; 'महाभियोग (अनुच्छेद 61) = संसद (लोकसभा + राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत दोनों); राज्य विधानसभाएँ शामिल नहीं होतीं'।

राज्य का मुख्य अभिप्राय एक राजनीतिक संस्था से है जो एक निश्चित क्षेत्र में एक स्वतंत्र सरकार के अधीन संगठित संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और किसी बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं होती है। इस प्रकार, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर स्थायी रूप से रहता है और एक संगठित सरकार का निर्माण करता है। सरकार एक संघ है जो किसी क्षेत्र और उसके लोगों पर अधिकार का प्रयोग करता है, जो कानून बनाने और लागू करने, सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन करने और आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। शासन प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच प्राधिकार के विभाजन को परिभाषित करती है, तथा देश की शासन संरचना का निर्धारण करती है। *[यूपीएससी 2021]*

शासन के प्रकार:

• **एकात्मक प्रणाली (Unitary System):** एकात्मक प्रणाली में, केंद्र सरकार के पास सारी शक्ति केंद्रित होती है, तथा क्षेत्रीय प्राधिकरण उससे अपना प्राधिकार प्राप्त करते हैं। एकात्मक प्रणालियों में हमेशा मजबूत सरकार होती है तथा इसमें लिखित (फ्रांस) या अलिखित (ब्रिटेन) संविधान, सर्वोच्च (जापान) या गैर-सर्वोच्च (ब्रिटेन) संविधान, कठोर (फ्रांस) या लचीला (ब्रिटेन) संविधान, द्विसदनीय (ब्रिटेन) या एकसदनीय (चीन) विधायिका हो सकती है।

• **संघीय प्रणाली (Federal System):** संघीय प्रणाली केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है, जिनमें से प्रत्येक को संवैधानिक रूप से परिभाषित स्वायत्ताप्राप्त होती है। उदाहरण:अमेरिका, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना और जर्मनी।

• **परिसंघीय प्रणाली (Confederate System):** परिसंघीय प्रणाली में, क्षेत्रीय सरकारों के पास सबसे अधिक शक्तियाँ होती हैं और एक कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण होता है जो स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करता है। इसमें एक लचीला संविधान होता है। उदाहरण: पूर्व सोवियत संघ और स्विटजरलैंड की कैंटन प्रणाली।

• संवैधानिक सरकार, वह सरकार होती है जो देश के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करती है, और देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करती है। *[यूपीएससी 2020, 2021]*

• संवैधानिक सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। *[यूपीएससी 2014]*

• **शक्ति का स्रोत:** यह सभी सरकारी शक्तियों का अंतिम स्रोत है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली महत्त्वपूर्ण सीमाओं को रेखांकित करता है।

[यूपीएससी 2023, 2014]

• **सरकार पर सीमाएं:** इसका एक प्रमुख पहलू संप्रभु सरकारों को उनकी शासन क्षमता में बाधित करने तथा सीमित सरकारी संरचना की स्थापना करने में इसकी निर्णायक भूमिका होती है। *[यूपीएससी 2020]*

शासन के स्वरूप:

विशेषता संसदीय प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली अर्द्ध- अध्यक्षात्मक प्रणाली कार्यपालक प्राधिकारी प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं; संसद से प्राधिकार प्राप्त करते हैं।

राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है; उसका निर्वाचन स्वतंत्रूप से होता है।

दोहरी कार्यपालिका: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्राधिकार साझा करते हैं।

विधायिका के साथ संबंध प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटाया जा सकता; उसका कार्यकाल निश्चित होता है।

राष्ट्रपति निर्वाचित होता है; प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है।

कैबिनेट की संरचना कैबिनेट के सदस्य सामान्य रूप से विधायिका से होते हैं।

कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति

द्वारा की जाती है; वे विधायिका का हिस्सा नहीं होते।

कैबिनेट में राष्ट्रपति और विधायिका के सदस्य शामिल होते हैं।

विधायी भूमिका शासन और नीति निर्माण में विधायिका निर्णायक भूमिका निभाती है।

राष्ट्रपति के निर्णयों पर विधायिका का प्रभाव सीमित होता है।

विधायिका के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वह इन्हें राष्ट्रपति के साथ भी साझा करती है।

स्थिरता

अस्थिर हो सकती है; सरकार बार-बार बदल सकती है।

अधिक स्थिर होती है; निश्चित कार्यकाल स्थिरता प्रदान करता है।

स्थिरता बदलती रहती है; यह शक्ति संतुलन पर निर्भर करती है।

शासन प्रणाली

निर्णय प्रक्रिया कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण त्वरित निर्णय लिया जा सकता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है; राष्ट्रपति को कांग्रेस से विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है, लेकिन इसमें टकराव का सामना करना पड़ सकता है।

संवैधानिक लचीलापन

संसदीय प्रक्रियाओं की विकासशील प्रकृति के कारण प्रायः अधिक लचीला होती है।

सामान्यतः कठोर होती है; संविधान में निश्चित शर्तें परिभाषित की जाती हैं।

शक्ति संतुलन के आधार पर यह लचीला और कठोर दोनों प्रकार की हो सकती है।

उदाहरण देश यूनाइटेड किंगडम, भारत, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको फ्रांस, रूस, यूक्रे न गुण

- विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य।
- उत्तरदायी सरकार जो संसदके प्रति जवाबदेह होती है; *[यूपीएससी 2020]*
- सत्ता केंद्रीकृत नहीं होती है; मंत्रिपरिषद सामूहिक प्राधिकार सुनिश्चित करता है।
- यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देता है तो विपक्ष एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है।
- मंत्रपरिषद शासन मेंविविध वर्गों को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।
- स्थिर सरकार।
- नीतियों में निश्चितता।
- शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित।
- विशेषज्ञों द्वारा सरकार।
- निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष जनादेश वैधता को बढ़ाता है।
- दोनों प्रणालियों की शक्तियों का संयोजन।
- शक्ति के विभाजन में लचीलापन।
- सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **स्थिर नेतृत्व:** संसद एक अलोकप्रिय प्रधानमंत्री को हटा सकती है,जिससे स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- नियंत्रण और संतुलन।
- **विकास के साथ संरेखण:** एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री राजनीतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

दोष

- बहुमत खोने से बार-बार सरकार बदल सकती है।
- नई सरकारें अक्सर मौजूदा नीतियों में परिवर्तन करती हैं।
- एक मजबूत मंत्रिमंडल सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है।
- शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण।

• मंत्री विशेषज्ञ नहीं भी हो सकते, जिससे प्रभावी शासन सीमित हो जाता है।

• विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव।

• गैर-जिम्मेदार सरकार।

• इससे निरंकुशता आ सकती है।

• संकीर्ण प्रतिनिधित्व।

• आम सहमति बनाने में कठिनाइयाँ।

• राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव की संभावना; जिसके परिणामस्वरूप अकुशलताएँ पैदा हो सकती हैं।

• नीतियोंके परिणामोंके लिए अस्पष्टजिम्मेदारी।

• विश्वास मत विधायी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।

• अलोकप्रिय नीतियों को प्रधानमंत्री पर थोपा जा सकता है, जिससे वास्तविक जवाबदेही अस्पष्ट हो जाती है।

भारतीय शासन प्रणाली

• भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय शासन प्रणाली (कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है) का प्रावधान करता है। *[यूपीएससी 2017]*

• **संसदीय शासन प्रणाली:** इसे कैबिनेट सरकार/ जिम्मेदार सरकार/ वेस्टमिंस्टर मॉडल की सरकार के रूप में भी जाना जाता है और यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा एवं भारत सहित अन्य देशों में प्रचलित है। यह संविधान के **अनुच्छेद 74**, 75 (केंद्र) और **अनुच्छेद 163**, 164 (राज्य) में परिभाषित है।

• भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण

◦ **परिचितता (Familiarity):** संविधान निर्माता ब्रिटिश शासन की संसदीय प्रणाली से परिचित थे, जिससे यह एक स्वाभाविक विकल्प बन गया।

◦ **उत्तरदायित्व (Responsibility):** डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने स्थिरता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक कार्यपालिका की आवश्यकता पर बल दिया।

◦ **टकराव से बचना (Avoiding Conflicts):** संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को रोकने में मदद करती है, जो भारत जैसे युवा लोकतंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है।

◦ **प्रतिनिधित्व (Representation):** भारत सामाजिक विविधता को देखते हुए, संसदीय प्रणाली छोटे निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।

• भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ

◦ नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका (Nominal and Real Executives): राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख (विधित:, **अनुच्छेद 74)** है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख (वस्तुत:, **अनुच्छेद 75)** है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: संवैधानिक

1. संवैधानिक	**2. लचीलापन**
3. भारतीय शासन प्रणाली	**4. स्थिर नेतृत्व**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — संवैधानिक

मुख्य परीक्षा दृष्टि: भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय शासन प्रणाली (कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है) का प्रावधान करता है। *[यूपीएससी 2017]*

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: संवैधानिक • लचीलापन • भारतीय शासन प्रणाली • स्थिर नेतृत्व • विकास के साथ संरेखण | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2020, 2017

◦ **बहुमत दल का शासन (Majority Party Rule):** लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है (**अनुच्छेद 75)** और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

- सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility): मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं (**अनुच्छेद 75)** , जो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। *[यूपीएससी 2015]*
- **दोहरी सदस्यता (Double Membership):** मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों से संबंधित होते हैं (**अनुच्छेद 75)।**
- **लोकसभा का विघटन (Dissolution of Lok Sabha):** राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर, लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले विघटित कर सकता है (**अनुच्छेद 85)।**
- **गोपनीयता (Secrecy):** मंत्री अपने निर्णयों और कार्यवाहियों में गोपनीयता बनाए रखते हैं (**अनुच्छेद 75)।** भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बीच अंतर भारतीय मॉडल ब्रिटिश मॉडल

• गणतांत्रिक प्रणाली जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है।

• संवैधानिक सर्वोपरिता पर आधारित।

• प्रधानमंत्री किसी भी सदन (लोक सभा या राज्य सभा) का सदस्य हो सकता है।

• गैर-संसद सदस्यों को छह महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।

• कानूनी जिम्मेदारी की कोई व्यवस्था नहीं है; मंत्री शासकीय कार्रवाइयों पर हस्ताक्षर नहीं करते है।

• छाया मंत्रिमंडल जैसी कोई संस्था नहीं है।

• राजतंत्रीय प्रणाली जिसमें वंशानुगत राजा/रानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं।

• संसदीय संप्रभुता पर आधारित।

• प्रधानमंत्री निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होता है।

• मंत्री सामान्य रूप से केवल संसद के सदस्य होते हैं।

• मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है; उन्हें कार्रवाइयों पर हस्ताक्षर करना होता है।

• छाया मंत्रिमंडल का गठन विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने और भावी मंत्रियों को तैयार करने के लिए किया जाता है।

[यूपीएससी 2021]

भारत का संविधान और संघीय प्रणाली

• विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ, यूएसए, अमेरिकी क्रांति (1775-83) के बाद 1787 में बना था। भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है, हालाँकि संघ (Federation) शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यूएसए के विपरीत, भारतीय संघवाद राज्यों के बीच समझौतों से उत्पन्नहीं हुआ; यह कनाडाई प्रणाली पर आधारित है।

• भारतीय संघवाद संघ की इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। (यूपीएससी 2017)

• **उच्चतम न्यायालय का निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई मामले (1994)में संघवाद की एक बुनियादी संरचना के रूपमें पुष्टि की; व्यायवहारिक वास्तविकताओं को मान्यता देते हुए राज्यों को अपने क्षेत्र में सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है।

• **संघीय संरचना (Federal Structure):** भारत को राज्यों का संघ (Union of States) (**अनुच्छेद 1)** के रूप में वर्णित किया गया है, जो इसकी सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता और विशाल आकार को दर्शाता है। यह संरचना एक अर्ध-संघीय प्रणाली का निर्माण करता है जो एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय स्वायत्ता को समायोजित करती है।

• **अर्ध-संघीय (Quasi-Federal):** भारत में संघवाद निम्नलिखित दो परस्पर विरोधी विचारों के बीच एक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है: शक्तियों का सामान्य विभाजन जिसके तहत राज्यों को अपने क्षेत्रों में स्वायत्ता प्राप्त होती है; और असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रीय अखंडता और एक मजबूत संघ सरकार की आवश्यकता।

राजनीतिशास्त्री और उनके द्वारा भारतीय संघ का वर्णन

• **पॉल एप्पलेबी (Paul Appleby):** भारतीय शासन प्रणाली को अत्यंत संघीय (Extremely Federal) बताते हैं।

• **मॉरिस जोन्स:** इसे "सौदेबाजी वाला संघवाद (Bargaining Federalism)" कहते हैं, जो शासन के विभिन्न स्तरों के बीच समझौता वार्ता को इंगित करता है।

• **आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings):** उन्होंने इसे एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ बताया और कहा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए अद्वितीय सुरक्षा उपाय हैं।

• **एलेक्जेंड्रोविच (Alexandrowicz):** उन्होंने भारत को विशिष्ट की संज्ञा देते हुए (case sui generis) इसके अद्वितीय चरित्र पर जोर दिया है।

• **ग्रैनविले ऑस्टिन (Granville Austin):** भारतीय संघवाद को "सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)" कहते हैं, तथा इसे भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार एक नए प्रकार का संघ बताते हैं।

• **के .सी. व्हीयरे (K.C. Wheare):** भारत को एक अर्द्ध-संघीय राज्य मानते हैं, तथा इसकी मिश्रित विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं।

• **के . संथानम (K. Santhanam):** केंद्र सरकार के वित्तीय प्रभुत्व के कारण प्रणाली को एकात्मकता की ओर झुका हुआ बताते हैं।

• **डॉ. बी.आर. अंबेडकर:** इस बात पर जोर देते हैं कि भारत का संघ अविनाशी (indestructible) है और राज्यों के बीच समझौतों से नहीं बना है, उन्होंने कहा, भारत का संविधान एक संघीय संविधान है जिसमें दोहरी राजनीति है - संघ और राज्य दोनों ही संविधान से अपना प्राधिकार प्राप्त करते हैं।

भारत के संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताएँ संघीय विशेषताएँ एकात्मक विशेषताएँ

• **दोहरी राजनीति:** संघ राष्ट्रीय मामलों की निगरानी करते है, राज्य स्थानीय मामलों की निगरानी करते है (**अनुच्छेद 246)।**

• **लिखित संविधान:** विश्व का सबसे लंबा संविधान, जिसमें केंद्र और राज्य के स्पष्ट क्षेत्राधिकार सम्मिलित हैं (**अनुच्छेद 1)।**

• **शक्तियों का विभाजन:** केंद्र और राज्य समवर्ती विषयों पर कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र का कानून ऊपर माना जाता है। (यूपीएससी 2017)

• **संविधान की सर्वोच्चता:** यह सर्वोच्च कानून है, जिसे न्यायिक समीक्षा (**अनुच्छेद 13)** द्वारा लागू किया जाता है।

• **कठोर संविधान:** संघीय ढाँचे में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है (**अनुच्छेद 368)।**

• **द्विसदनीयता:** राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है; लोक सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है (**अनुच्छेद 79)।**

• **स्वतंत्र न्यायपालिका:** उच्चतम न्यायालय केंद्र-राज्य विवादों का निपटारा करता है और संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा करता है (**अनुच्छेद 131** , 32, 136)। *[यूपीएससी 2017/ 2021]*

• **सशक्त केंद्र:** संघ के पास अधिक महत्त्वपूर्ण विषय हैं और समवर्ती सूची में अधिभावी शक्तियाँ उपलब्ध हैं (**अनुच्छेद 248** , 249)।

• **एकल संविधान:** केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है (**अनुच्छेद 1)।**

• **राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं:** राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है। (यूपीएससी 2017)

• **राज्य अविनाशी नहीं:** संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है (**अनुच्छेद 3)।**

• **लचीला संविधान:** अधिकांश प्रावधानों को केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है (**अनुच्छेद 368)।**

• **आपातकालीन प्रावधान:** आपातकाल के दौरान केंद्र को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है (**अनुच्छेद 352** , 356, 360)।

• **एकल नागरिकता:** देश भर में समान अधिकार (**अनुच्छेद 5** -11)।

• **एकीकृत न्यायपालिका:** उच्चतम न्यायालय केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों की देखरेख करता है (**अनुच्छेद 141)।**

• **अखिल भारतीय सेवाएँ:**केंद्र द्वारा नियंत्रित सेवाएँ (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस) (**अनुच्छेद 312)।**

• **एकीकृत लेखापरीक्षा:** सीएजी केंद्र और राज्य दोनों की लेखापरीक्षा करता है (**अनुच्छेद 148)।**

• **राज्यपाल की नियुक्ति:** राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है (**अनुच्छेद 155** -156)।

• **संसद का प्राधिकार:** यदि आवश्यक हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है (**अनुच्छेद 249)।**

• **राज्य के विधेयकों पर वीटो:** राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकते हैं (**अनुच्छेद 200)।**

भारत के संविधान की तुलना — विशेषता भारत यूनाइटेड किंगडम — संयुक्त राज्य

अमेरिका कनाडा फ्रांस जापान दक्षिण अफ्रीका संविधान का प्रकार लिखित एवं लंबा अलिखित, संविधियों, कन्वेंशनों और संधियों पर आधारित लिखित एवं संहिताबद्ध लिखित एवं संहिताबद्ध लिखित एवं संहिताबद्ध लिखित एवं संहिताबद्ध लिखित एवं संहिताबद्ध मूल अधिकार हाँ, भाग III में विस्तृत उल्लेख है स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है; अधिकार सामान्य कानून और संविधियों से प्राप्त होते हैं हाँ, अधिकार पत्र (पहले दस संशोधन) हाँ, कनाडा के अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर में दिए गए हैं हाँ,

मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा में दिए गए हैं हाँ, संविधान के **अनुच्छेद 11** के तहत गारंटी दी गई है हाँ, अधिकार पत्र (संविधान के अध्याय 2) में संशोधन प्रक्रिया कठोर और लचीला (विभिन्न प्रक्रियाएं) औपचारिक नहीं; संसदीय संप्रभुता पर आधारित कठोर; कांग्रेस में बहुमत और राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है लचीला; संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है कठोर; दोनों सदनों में बहुमत और जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है कठोर; इसके लिए दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है कठोर; संसद में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: भारत के संविधान की तुलना



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारत के संविधान की तुलना

मुख्य परीक्षा दृष्टि: राज्य के विधेयकों पर वीटो: राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकते हैं (अनुच्छेद 200)।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: भारत के संविधान की तुलना • विशेषता भारत यूनाइटेड किंगडम • संयुक्त राज्य • दोहरी राजनीति • लिखित संविधान | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2017, 2021

शक्तियों का पृथक्करण हाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन है कोई सख्त पृथक्करण नहीं है; संसद के पास सर्वोच्च प्राधिकार है हाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन है हाँ, संसदीय प्रणाली के साथ स्पष्ट पृथक्करण हाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन है हाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन है हाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन है न्यायिक समीक्षा हाँ, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।

कोई औपचारिक

न्यायिक समीक्षा नहीं; संसद संप्रभु है हाँ, मार्बरी बनाम मैडिसन मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति स्थापित की गई हाँ, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है हाँ, संवैधानिक परिषद संविधान के अनुपालन को सुनिश्चित करती है हाँ, उच्चतम न्यायालय संवैधानिक वैधता के लिए कानूनों की समीक्षा कर सकता है हाँ, संवैधानिक न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली (अर्ध-संघीय) संसदीय प्रणाली (एकात्मक तथा हस्तांतरित शक्तियां) संघीय प्रणाली संघीय प्रणाली अर्द्ध-अध्यक्षात्मक प्रणाली (एकात्मक, लेकिन क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता प्राप्त है) संसदीय प्रणाली (एकात्मक प्रणाली लेकिन स्थानीय स्वायत्ता को मान्यता देती है) संसदीय गणतंत्र (एकात्मक प्रणाली) राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति (औपचारिक भूमिका) राजा (औपचारिक भूमिका) राष्ट्रपति (कार्यकारी भूमिका) राजा (औपचारिक भूमिका) राष्ट्रपति (कार्यकारी भूमिका) सम्राट (औपचारिक भूमिका) राष्ट्रपति (कार्यकारी भूमिका) दलीय प्रणाली बहुदलीय प्रणाली द्वि-दलीय प्रणाली द्वि-दलीय प्रणाली बहुदलीय प्रणाली बहुदलीय प्रणाली बहुदलीय प्रणाली बहुदलीय प्रणाली आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी अंग्रेज़ी संघीय स्तर पर कोई राजभाषा नहीं अंग्रेज़ी और फ्रें च फ्रें च जापानी अंग्रेजी और अफ़्रीकी

भारत का संविधान

उद्देशिका (Preamble) “हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; *[यूपीएससी 2013]*
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; *[यूपीएससी 2017]*
- प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए; तथा उन सब में
- व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
- दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत्दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।” *[यूपीएससी 2021]*

परिचय

• भारत के संविधान की उद्देशिका 'उद्देश्य संकल्प (Objective Resolution)' पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और पेश किया गया था, और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था।

• 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अब तक इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है।

• तीन नए शब्द जोड़े गए– 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष', और 'अखंडता'।

• इसमें संविधान सभा का महान दृष्टिकोण शामिल है और यह संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है।

[यूपीएससी 2017]

• यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है।

• यह न तो न्यायालय में विचार योग्य है और न ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।

• संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद इसे संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था ताकि इसे संविधान के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।

• **'हम भारत के लोग':** यह इस बात पर जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है। यह 'लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा' पर जोर देता है।

• **संविधान दिवस:**

  ◦ **तिथि:** प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।

  ◦ **उद्देश्य:** 1949 में भारत के संविधान को अपनाने का स्मरणोत्सव और नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना।

  ◦ **अधिसूचना:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को इस उत्सव की घोषणा की। (यूपीएससी 2023) उद्देशिका के घटक संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग भारतीय राज्य की प्रकृति प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।

संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व।

संविधान को अंगीकृत किए जाने की तिथि 26 नवंबर, 1949 संविधान का दर्शन गांधीजी के स्वराज के विचार (आत्मनिर्भरता, न्याय, सहिष्णुता) उद्देशिका का महत्त्व

• यह भारतीय संविधानका सारांशऔर दर्शनहै साथ ही यह संविधाननिर्माताओं के मन की कुंजी भी है।

• "हमारे संविधान का पहचान पत्र"। (एन.ए. पालकीवाला)

• "हमारे संप्रभु भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली" - के .एम. मुंशी

• "संविधान के लिए मुख्य टिप्पणी" – सर अर्नेस्ट बार्क र

• "न्यायिक व्याख्या के लिए मार्गदर्शक" - के शवानंद भारती मामले में न्यायमूर्ति सीकरी।

• यह भारत के संविधान का सारांश, दर्शन तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। यह कानून की संवैधानिकता तय करने में न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मपत्रिका (Horoscope) के समान है।

उद्देशिका में मुख्य शब्द, उनके अर्थ और विशेषताएँ "हम भारत के लोग": इस बात पर जोर दिया गया है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। यह "लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा" पर जोर देता है, संविधान की उद्देशिका

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: भारत का संविधान

2013	2017	1949	2021
भारत का संविधान	तीन नए शब्द जोड़े गए	'हम भारत के लोग'	संविधान दिवस

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारत का संविधान

मुख्य परीक्षा दृष्टि: "न्यायिक व्याख्या के लिए मार्गदर्शक" - के शवानंद भारती मामले में न्यायमूर्ति सीकरी।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: भारत का संविधान • तीन नए शब्द जोड़े गए • 'हम भारत के लोग' • संविधान दिवस • तिथि | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2013, 2017, 1949, 2021, 1976

IUC विशेष स्मृति सूत्र #5: रीट (Writs — अनुच्छेद 32 व 226) के 5 प्रकार

ट्रिक: 'बंदी प्रत्यक्षीकरण (सशरीर प्रस्तुत करना — निजी व सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध), परमादेश (हम आदेश देते हैं — सार्वजनिक कर्तव्य), प्रतिषेध (रोकना — अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही के दौरान), उत्प्रेषण (प्रमाणित होना — निर्णय रद्द करना), अधिकार-पृच्छा (किस अधिकार से पद धारण किया)'।

जिसके अनुसार नागरिक संवैधानिक अधिकार का अंतिम स्रोत हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि शासन भलाई के अनुरूप हो।

प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign):

परिभाषा: यह दर्शाता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है, वह न तो किसी अन्य देश का अधिराज्य (Dominion) है और न ही किसी देश पर निर्भर है।

- यह अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों की देखरेख के लिए स्वतंत्र है।
- यह किसी विदेशी राज्यक्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश को अपने राज्यक्षेत्र का एक हिस्सा सौंप सकता है।
- भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया, यह संविधानेतर घोषणा किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है।
- संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) में भारत की सदस्यता भी किसी भी तरह से उसकी संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है।
- **समाजवादी (Socialist):** यह शब्द 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
- समाजवादी प्रकृति राज्य की नीति-निदेशक तत्त्वों (डीपीएसपी) में निहित है (**अनुच्छेद 36** से 51), लेकिन 42वें संशोधन में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
- **परिभाषा:** समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामूहिक रूप से सरकार के पास होता है, जिसमें सामाजिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है।
- **समाजवाद के प्रकार:**
  - **लोकतांत्रिक समाजवाद:**भारत द्वारा अपनाई गईमिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सम्मिलित हैं।
  - **साम्यवादी समाजवाद:** चीन, रूस, आदि में प्रचलित पूर्ण राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है।
- **भारतीय समाजवाद:** यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जो गांधीवाद की ओर काफी झुका हुआ है।
- **लोकतांत्रिक समाजवाद:** इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है।
  - यह मिश्रित आर्थिक मॉडल (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व) में विश्वास रखता है। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों ही राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में भिन्नता विद्यमान है।
- मार्क्सवाद राज्य को उत्पीड़न के एक साधन के रूप में देखता है, जो पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है, और एक राज्यविहीन समाज को प्राप्त करने के लिए वर्ग संघर्ष और क्रांति की वकालत करता है।
- गांधीवाद बल पर निर्भरता के कारण न्यूनतम राज्य का भी विरोध करता है, जो अहिंसा का खंडन करता है। गांधी इसके बजाय स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के पक्षधर थे। [यूपीएससी 2020]

पंथनिरपेक्ष (Secular): यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

- **परिभाषा:** भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना।
- यह मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) का एक हिस्सा है।
- **उच्चतम न्यायालय (1974):** **अनुच्छेद 25** से 28 में धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

• **भारत में सकारात्मक पंथनिरपेक्षता:** सभी धर्मों के लिए समान दर्जा और समर्थन पर जोर दिया गया है, तथा यहाँ एक विविध और समावेशी समाज को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही आकार या प्रभाव की परवाह किए बिना प्रत्येक धर्म को समान मान्यता प्राप्त है।

पंथनिरपेक्षता का भारतीय तथा पश्चिमी मॉडल

मापदंड भारतीय पंथनिरपेक्षता पश्चिमी पंथनिरपेक्षता परिभाषा और इतिहास सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता; सहिष्णुता की प्राचीन परंपराओं में निहित।

चर्च और राज्य का पृथक्करण यूरोप में धार्मिक युद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा।

धर्म की भूमिका राज्य धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकता है और उन्हें समर्थन दे सकता है।

धार्मिक मामलों में राज्य की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है।

धर्म का प्रदर्शन सीमित सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ अभ्यास करने की स्वतंत्रता। सामान्यतः सार्वजनिक धार्मिक प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करता है।

राज्य का हस्तक्षेप

हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करता है।

जब तक कानून का उल्लंघन न हो, हस्तक्षेप न करना।

कानून संहिता और कानून — से संबंध

वैयक्तिक कानून धर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं; वे कई धार्मिक सिद्धांतों को समायोजित करते हैं।

सभी पर एक समान कानूनी संहिता लागू होती है; कानून धर्म से स्वतंत्र होते हैं।

धर्म और समाज धर्म समाज का अभिन्न अंग है। धर्म को एक निजी मामले के रूप में देखा जाता है।

अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक उद्देश्य अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक दोनों मुद्दों को संबोधित करता है।

मुख्य रूप से अंतर-धार्मिक मामलों पर केंद्रित है।

अधिकार एवं प्रभाव

व्यक्तिगत एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है; धार्मिक समूह राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

सरकार में धार्मिक निकायों की सीमित भूमिका के साथ समग्र स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है।

लोकतांत्रिक (Democratic): इसका मुख्य अभिप्राय लोकप्रिय संप्रभुता या 'सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास है' के सिद्धांत से है।

परिभाषा: लोकतंत्र नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने, शासकों को चुनने और उन्हें जवाबदेह बनाने की अनुमति देता है। यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है।

प्रस्तावना में इसे स्पष्ट किया गया है।

लोकतंत्र के प्रकार

प्रत्यक्ष लोकतंत्र: नागरिक प्रत्यक्ष तौर पर शासन में भाग लेते हैं हैं (उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह, पहल, वापस बुलाना और जनमत संग्रह का उपयोग किया जाता है)।

• **पहल (Initiative):** वह विधि जिसके माध्यम से लोग किसी विधेयक को अधिनियमित करने के लिए विधायिका के समक्ष प्रस्ताव रख सकते हैं।

• **वापस बुलाना (Recall):** वह विधि जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं।

• **जनमत संग्रह (Referendum):** वह प्रक्रिया जिसके तहत किसी प्रस्तावित विधान के बारे में निर्णय लेने के लिए मतदाताओं से उनके प्रत्यक्ष वोट द्वारा राय माँगी जाती है।

• **जनमत (Plebiscite):** सार्वजनिक महत्त्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने की विधि। इसका उपयोग आम तौर पर क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र: निर्वाचित प्रतिनिधि शासन (संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली) करते हैं।

• **भारतीय लोकतंत्र:** एक जवाबदेह कार्यपालिका वाला प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। इसकी विशेषताओं में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समय-समय पर चुनाव, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और गैर-भेदभाव सम्मिलित हैं।

• **व्यापक दृष्टिकोण:** इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम सम्मिलित हैं।

• **उच्चतम न्यायालय अंतर्दृष्टि (1997):** संविधान का उद्देश्य समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाना है, जो भारत के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में न्याय सुनिश्चित करता है।

• **नोट:** लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि यह सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र को क्रियाशील बनाता है।

(यूपीएससी 2017)

गणराज्य (Republic): परिभाषा: यह लोगों को राजनीतिक संप्रभुता प्रदान करता है। इसका अर्थ है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं।

• **दो श्रेणियाँ:** राजशाही (ब्रिटेन) और गणराज्य (यूएसए/भारत)।

• **भारतीय गणराज्य:** राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

  ◦ **अनुच्छेद 54 और 55:** राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं।

न्याय (Justice): रूसी क्रांति (1917) से प्रेरित।

• वितरणात्मक न्याय (सामाजिक और आर्थिक न्याय सम्मिलित हैं) और राजनीतिक न्याय को अपनाया गया है।

• **सामाजिक न्याय:**

  ◦ जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना।
  ◦ किसी विशेष वर्ग को विशेषाधिकारों का अभाव।
  ◦ पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार करना।

• **आर्थिक न्याय:** [यूपीएससी 2014]

  ◦ आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव न करना।
  ◦ धन, आय और संपत्ति में असमानताओं का उन्मूलन।

• **राजनीतिक न्याय:** सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक पदों तक समान पहुँच और सरकार में समान अधिकार (मत)।

• **समग्र रूपरेखा:**मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों के माध्यम से न्याय की रक्षा की जाती है, जो इसके व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

रॉबर्ट पुटनम द्वारा लोकप्रिय सामाजिक पूंजी शब्द का अर्थ है "साझा मानदंडों, मूल्यों और समझ वाले नेटवर्क जो सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं।" इसमें विश्वास, आपसी समझ और साझा मूल्य सम्मिलित हैं जो समुदाय और सहकारी कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं। साक्षरता दर और कामकाजी आयु की आबादी का आकार मानव पूंजी के उदाहरण हैं। इमारतें और बुनियादी ढाँचा भौतिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। [यूपीएससी 2019]

• **स्वतंत्रता (Liberty):** स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श फ्रांसीसी क्रांति (1789) से प्रेरित हैं।

• व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंधो का अभाव। [यूपीएससी 2019]

• व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना।

• उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है।

“जहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब दूसरों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और हिंसा से मुक्त होना है, जो वहाँ संभव नहीं है जहाँ कोई कानून नहीं है।" जॉन लॉक [यूपीएससी 2018]

• **उद्देशिका में प्रावधान:**

- स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है। संविधान में वर्णित सीमाओं के भीतर ही स्वतंत्रता का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।
- उद्देशिका में स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, और मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं बल्कि अर्हित हैं (Not Absolute But Qualified)।

अन्य संबंधित तथ्य — सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता — कोई व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो — सकता है, उसके बाहर नहीं। इसलिए, यह

इस तरह से कार्य करने की संभावना या कार्य करने का तथ्य है कि व्यक्ति का अपने जीवन पर नियंत्रण हो और उसके मौलिक उद्देश्यों को साकार किया जा सके। गैर-अहस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से संबंधित है, न कि समाज की स्थितियों से, अर्थात बाधाओं, रुकावटों या अड़चनों का अभाव होता है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: लोकतंत्र के प्रकार

1. लोकतंत्र के प्रकार	**2. अन्य संबंधित तथ्य**
3. सकता है, उसके बाहर नहीं। इसलिए, यह	**4. लोकतांत्रिक (Democratic**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — लोकतंत्र के प्रकार

मुख्य परीक्षा दृष्टि: गैर-अहस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से संबंधित है, न कि समाज की स्थितियों से, अर्थात बाधाओं, रुकावटों या अड़चनों का अभाव होता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: लोकतंत्र के प्रकार • अन्य संबंधित तथ्य • सकता है, उसके बाहर नहीं। इसलिए, यह • लोकतांत्रिक (Democratic • परिभाषा | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1997, 2017, 1917, 2014, 2019

- **समानता (Equality):** उद्देशिका, स्थिति (Status) और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है।
- समाज के किसी वर्ग विशेष को विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव। [यूपीएससी 2017]
- बिना किसी भेदभाव के सभी को पर्याप्त अवसर।
- **नागरिक समानता:**
  - **अनुच्छेद 14 :** विधि के समक्ष समानता।
  - **अनुच्छेद 15 :** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
  - **अनुच्छेद 16 :** सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता।
  - **अनुच्छेद 17 :** अस्पृश्यता का अंत।
  - **अनुच्छेद 18 :** उपाधियों का अंत।
- **राजनीतिक समानता:**
  - **अनुच्छेद 325 :** धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है।
  - **अनुच्छेद 326 :** लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर।
- **आर्थिक समानता:**
  - **अनुच्छेद 39 :** आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन।
- **महत्त्व:** संविधान इसके माध्यम से एक निष्पक्ष औरनिष्पक्ष समाज को बढ़ावा देता है।

बंधुत्व (Fraternity):

यह बंधुत्व की भावना का प्रावधान करता है।

- **परिभाषा:** डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने बंधुत्व को सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारे और बहनचारे की भावना के रूप में परिभाषित किया है।

• एकल नागरिकता बंधुत्व को बढ़ावा देती है।

• **मौलिक कर्त्तव्य अनुच्छेद (51क):** धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

• उद्देशिका में घोषणा की गई है कि बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेगा।

• व्यक्तियोंकी गरिमामूलअधिकारों, राज्यके नीति-निदेशक तत्त्वों (डीपीएसपी) और मूल कर्तव्यों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

• किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और राज्यक्षेत्रीय दोनों आयामों को समाहित करती है। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

संघ-त्रय (त्रिमूर्ति) (Union of Trinity)

• संघ-त्रय (त्रिमूर्ति) (सामाजिक लोकतंत्र) - स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को त्रय (त्रिमूर्ति) में अलग-अलग मदों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित है, तो यह लोकतंत्र के उद्देश्य को विफल कर देगा।

• समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी।

उच्चतम न्यायालय में उद्देशिका से संबंधित मामले संबंधित के स उच्चतम न्यायालय की राय बेरुबाड़ी यूनियन के स (1960)

• उद्देशिका संविधान के कई प्रावधानों के पीछे के सामान्य उद्देश्य को दर्शाती है।

• यदि अनुच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट हैं, तो व्याख्या के लिए उद्देशिका से कुछ सहायता ली जा सकती है।

• उच्चतम न्यायालय नेमाना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है।

गोलकनाथ बनाम

पंजाब राज्य (1967) न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा कि प्रस्तावना में सरकार के कामकाज के लिए आवश्यक स्थायी सिद्धांत सम्मिलित हैं, जो इसे संविधान का शाश्वत और अपरिवर्तनीय सार बनाता है।

के शवानंद भारती के स

(1973)

उच्चतम न्यायालय: उद्देशिका संविधान का एक हिस्सा है। (बेरुबाड़ी यूनियन के स (1960) में दी गई अपनी राय को उलट दिया।) उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि यह संविधान की 'मूल संरचना' को नष्ट न करे।

भारतीय जीवन बीमा

निगम के स (1995)

उच्चतम न्यायालय ने पुन: कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है।

[यूपीएससी 2020]

• **भारत राज्यों के एक संघ के रूप में:** **अनुच्छेद-1** में इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख 'राज्यों के संघ (Union of States)' के रूप में किया गया है।

अनुसूची 1: इसमें राज्यों के नाम और उनकी राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता (Territorial Jurisdiction) शामिल है।

• भारत के राज्यक्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  ◦ राज्यों के राज्यक्षेत्र।
  ◦ पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र।
  ◦ ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ।

• **राज्यों के राज्यक्षेत्र:** 28 राज्य (2020) और 8 संघ राज्यक्षेत्र (2020)।

• **प्रशासन:**

- **राज्य (States):** राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं।
- **संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories):** सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित।
- **अर्जित राज्यक्षेत्र (Acquired Territories):**सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित।

• **पूर्व संघ राज्यक्षेत्र (अब राज्य):** हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा।

• **संघ राज्यक्षेत्रों की आवश्यकता:** राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से; सांस्कृतिक विशिष्टता; सामरिक महत्त्व; पिछड़े एवं जनजातीय लोगों के प्रति विशेष व्यवहार एवं उनका संरक्षण।

• **उच्च न्यायालय वाले संघ राज्यक्षेत्र:** दिल्ली, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख (जम्मू-कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र दोनों का उच्च न्यायालय है)।

राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

(भाग 1: अनुच्छेद 1 से 4) 6 संवैधानिक प्रावधान **अनुच्छेद-1** संघ का नाम और राज्यक्षेत्र **अनुच्छेद-2** नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना **अनुच्छेद-2** क (निरसित) सिक्किम को संघ में जोड़ा (शामिल) जाना।

अनुच्छेद-3

• नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।

• **राज्यों के मामले में:**

- उपर्युक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति को विधेयक पर सिफारिश करने से पहले, एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजना होता है।
- राष्ट्रपति (या संसद), राज्य विधानमंडल के विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

• **संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में:** विधेयक को संबंधित विधायिका के विचार जानने के लिए उसके पास भेजने की आवश्यकता नहीं है और संसद स्वयं ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकती है जो वह उचित समझे।

अनुच्छेद-4

• पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करने तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए **अनुच्छेद 2** और **अनुच्छेद 3** के अधीन बनाए गए कानून।

• **अनुच्छेद 4 :** यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि **अनुच्छेद 2** और **अनुच्छेद 3** के अधीन बनाए गए कानूनों को, **अनुच्छेद 368** के तहत संविधान के संशोधनों के रूप में नहीं माना जाएगा।

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ

• **संघ बनाम परिसंघ:** 'राज्यों का संघ (Union of States)' वाक्यांश को दो कारणों से 'राज्यों के परिसंघ (Federation of States)' वाक्यांश पर प्राथमिकता दी गई है:

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: राज्य और संघ राज्यक्षेत्र



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

मुख्य परीक्षा दृष्टि: संघ बनाम परिसंघ: 'राज्यों का संघ (Union of States)' वाक्यांश को दो कारणों से 'राज्यों के परिसंघ (Federation of States)' वाक्यांश पर प्राथमिकता दी गई है:

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: राज्य और संघ राज्यक्षेत्र • अनुच्छेद-3 • अनुच्छेद-4 • अनुसूची • राज्यों के राज्यक्षेत्र | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2020

- भारतीय परिसंघ अमेरिकी परिसंघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है।
- राज्यों को परिसंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।

• **अविनाशी संघ:** भारत को "विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ (An Indestructible Union of Destructible States)" के रूप में वर्णित किया गया है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका को 'अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ' के रूप में वर्णित किया गया है। अमेरिकी संघीय सरकार, संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य नहीं बना सकती या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकती।

• **संसदीय प्राधिकार:** संविधान संसद को राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओंया नामों कोबदलने के लिए अधिकृत करता है, अर्थात्संविधान किसी भी राज्य के अस्तित्व की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता है।

• **भारत का राज्यक्षेत्र (Territory of India):**

- 'भारत संघ' से भी व्यापक अभिव्यक्ति।
- इसमें राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और वे राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं जिन्हें भविष्यमें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है।

• **भारत संघ:** इसमें केवल राज्य सम्मिलित हैं।

• संविधान में अधिग्रहीत प्रदेशों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

क्षेत्रों का आदान-प्रदान

• **संसद की शक्तियाँ:** **अनुच्छेद 3** के अनुसार, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है, लेकिन किसी विदेशी राष्ट्र को क्षेत्र नहीं सौंप सकती, जैसा कि 1960 में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी संघ मामले में कहा था।

• **प्रादेशिक हस्तांतरण:** किसी क्षेत्र को विदेशी राज्यों को केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही सौंपा जा सकता है।

- उदाहरण के लिए 100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2015) भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी अंत:क्षेत्र (Enclaves) के हस्तांतरण से संबंधित है।
- एक संप्रभु राज्य के रूप में, भारत ने संविधान लागू होने के बाद दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी और सिक्किम जैसे विभिन्न विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है।

• **अनुच्छेद 368** के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्यक्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। इसे बेरुबारी वाद में 1960 के 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित किया गया।

• **उच्चतम न्यायालय (1969):** भारत और किसी दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसमें भारतीय राज्यक्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं है।

बांग्लादेश के साथ आदान-प्रदान

• **रेडक्लिफ आयोग:** स्वतंत्रता के समय सीमाओं का सीमांकन किया गया, छोटे परिक्षेत्रों की उपेक्षा की गई।

• **परिक्षेत्र:**चितमहलके नाम सेप्रसिद्ध इन क्षेत्रोंको 1958के नेहरू-नून समझौते में शामिल किया गया था।

• **परिक्षेत्र विवरण:** बांग्लादेश में111 भारतीय परिक्षेत्र;भारत में51 बांग्लादेशी परिक्षेत्र।

राज्यों और के द्रशासित प्रदेशों के नामों में परिवर्तन

• सभी नाम परिवर्तन संविधान के **अनुच्छेद 3** के अंतर्गत संसद द्वारा किये गएहैं।

• इसमें उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत, 1950), तमिलनाडु (पूर्व में मद्रास, 1969); कर्नाटक: पूर्व में मैसूर, 1973 में पुनः नामित, लक्षद्वीप: पूर्व में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिंदीवी द्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली: 69वें संविधान संशोधन अधिनियमके तहत1992में पुनः नामित,उत्तराखंड:पूर्व में उत्तरांचल, 2006 में पुनः नामित, पुडुचेरी: पूर्व में पांडिचेरी, 2006 में पुनः नामित और ओडिशा: पूर्व में उड़ीसा, 2011 में पुनः नामित।

प्रादेशिक जलक्षेत्र

• **परिभाषा:** प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रादेशिक जल उस रेखा तक विस्तृत है जो आधार रेखा के निकटतम बिंदु से बारह समुद्री मील की दूरी तक स्थित है।

• **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड):** भारत के ईईजेड को तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील आगे तक विस्तारित किया गया है, जिसकी घोषणा 15 जनवरी, 1977को की गई थी। यहविस्तार 1976के संविधान (42वें संशोधन) अधिनियम और उपरोक्त समुद्री क्षेत्र अधिनियम का अनुसरण करता है।

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रोंके पुनर्गठन से संबं धित विभिन्न आयोग धर आयोग (दिसंबर 1948):

• इस आयोग ने दिसंबर, 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

• इसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए।

जे. वी. पी. समिति (दिसंबर 1948 – अप्रैल 1949):

• भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया।

• **सदस्य:** जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया।

• **गठन:** यह समिति दिसंबर, 1948 में गठित की गई और अप्रैल, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

• **पट्टाभि सीतारमैया:** अक्टूबर, 1953 में, भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे आंध्र राज्य के नाम से सुप्रसिद्ध है।

फजल अली आयोग (दिसंबर 1953 – सितंबर 1955):

• राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूपमें भाषा कोव्यापक रूप से स्वीकार किया गया। 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। राज्यों और राज्यक्षेत्रों के चार-स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया गया।

• यह आयोग दिसंबर, 1953 में गठित हुआ था।

• **सदस्य:** फजल अली (अध्यक्ष), के .एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू।

• आयोग ने सितंबर, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956):

• सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिशों को मामूली बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) के माध्यम से 1 नवम्बर, 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्यक्षेत्र बनाए गए।

1956 में भारत का राज्यक्षेत्राज्य संघ राज्यक्षेत्र आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा।

वर्ष 1956 के बाद बनाए गए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र 1960 महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन 1961 दादरा और नगर हवेली का निर्माण (10वाँ संविधान संशोधन)।

1962 गोवा, दमन, दीव (12वाँ संविधान संशोधन)।

फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को भारत को सौंप दिया (14वाँ संविधान संशोधन)।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली

1963 नागालैंड 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1966 चण्डीगढ़, पंजाब और हरियाणा 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, झारखण्ड 1971 हिमाचल प्रदेश 2014 तेलंगाना 1974 सिक्किम पूर्ण राज्य (36वाँ संशोधन)।

2019 2 संघ राज्यक्षेत्र: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

- 2019 तक, पूर्वर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान था, जिसे भारत के संविधान के **अनुच्छेद 370** के आधार पर विशेष दर्जा प्राप्त था।
- 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, जिसे "संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019" के नाम से सुप्रसिद्ध है।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने पूर्वर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजित कर दिया:
  - जम्मू-कश्मीर संघराज्यक्षेत्र (विधानमंडल के साथ):इसमें कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर पूर्वर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के सभी जिले सम्मिलित हैं।
  - **लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र (विधानमंडल के बिना):** इसमें कारगिल और लेह जिले सम्मिलित हैं।(**अनुच्छेद – 3** के तहत)
- दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 के माध्यम से दोनों संघ राज्यक्षेत्रों का विलय कर दिया है।

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की तुलना — राज्य संघ राज्यक्षेत्र

- केंद्र के साथ संबंध संघीय (Federal) होते है।
- केंद्र के साथ शक्ति वितरण को साझा करते हैं।
- स्वायत्ता होती है।
- उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता है।
- राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- संसद असाधारण परिस्थितियों के सिवाय राज्यों के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती।
- केंद्र के साथ संबंध एकात्मक (Unitary) होते हैं।
- ये केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन के तहत होते हैं।
- उनके पास स्वायत्ता नहीं होती है।
- उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता नहीं है।
- **कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति का प्रतिनिधि):** प्रशासक, उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त।
- संसद संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में तीनों सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन

(भाग 8: अनुच्छेद 239 -241)

- **अनुच्छेद:** संविधान के भाग VIII में **अनुच्छेद 239** -241 द्वारा प्रशासित।
- **प्रशासन:** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित।प्रशासक,राष्ट्रपति काप्रतिनिधि होता है,राज्य काप्रमुख नहीं।
- **उपराज्यपाल:** दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं।
- **प्रशासक:** चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप।
- **विधान सभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद:** पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर।
- **सलाहकार समितियाँ:** विधानसभा रहित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए गृह मंत्री सलाहकार समिति (HMAC) का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सलाहकार समिति (AAC) की अध्यक्षता संघ शासित प्रदेश के प्रशासक करते हैं।

• **राष्ट्रपति का अधिकार:** राष्ट्रपति संसदीय अधिनियमों के समान प्रभाव से अंडमान औरनिकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए नियम बना सकते हैं।

• संविधान में अर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। दिल्ली राज्य सूची (कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर) और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून।

जम्मू-कश्मीर

राज्य सूची (कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर) और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून।

पुदुचेरी राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून।

केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

• **संसदीय प्राधिकार:** किसी क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है या उसे किसी नजदीकी राज्य के उच्च न्यायालय को सौंप सकता है।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956)

1956	1960	1961	1962
राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956)	जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019	राज्य संघ राज्यक्षेत्र	संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956)

मुख्य परीक्षा दृष्टि: संसदीय प्राधिकार: किसी क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है या उसे किसी नजदीकी राज्य के उच्च न्यायालय को सौंप सकता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 • राज्य संघ राज्यक्षेत्र • संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन • जम्मू-कश्मीर | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1956, 1960, 1961, 1962, 1963

IUC विशेष स्मृति सूत्र #6: धन विधेयक (110) बनाम साधारण विधेयक बनाम संविधान संशोधन (368)

ट्रिक: 'धन विधेयक = राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, केवल लोकसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन, संयुक्त बैठक नहीं, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते'। 'संविधान संशोधन (368) = किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक नहीं, राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य (24वाँ संशोधन 1971)'।

• **दिल्ली:** 1966 से अपना उच्च न्यायालय वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश।

• अन्य में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन, अंडमान औरनिकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधीन, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अधीन है।

के द्र शासित प्रदेशों की शक्तियों और उनकी विधानसभाओं में अंतर विशेषता दिल्ली पुडुचेरी जम्मू और कश्मीर (2019 के बाद) संवैधानिक स्थिति **अनुच्छेद 239AA** **अनुच्छेद 239A** जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 विधानसभा में सीटें 70 33 114 (जम्मू और कश्मीर में 90, पीओके में 24) मंत्रियों की अधिकतम संख्या 7 6 9 विधायी शक्तियाँ सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस को छोड़कर राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं; समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकते हैं आरक्षित विषय सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि सामान्य राज्य सूची और समवर्ती सूची का पालन करता है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, नौकरशाही (अखिल भारतीय सेवाएँ), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपराज्यपाल की भूमिका असहमतियों की स्थिति में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा; सेवाओं (नौकरशाही) पर नियंत्रण; आरक्षित मामलों पर अंतिम निर्णय उपराज्यपाल कम दखल देता है लेकिन विवादों को राष्ट्रपति के पास भेजता है प्रमुख क्षेत्रों में विवेकाधिकार पर अंतिम निर्णय; न्यायिक कार्यों सहित शासन में व्यापक शक्तियाँ वित्तीय विधेयक उपराज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होगी कुछ विधेयकों के लिए उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है प्रस्ताव से पहले एलजी की संस्तुति की आवश्यकता होती है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) दिल्ली के नौकरशाहों तक सीमित; केंद्रीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता होगी कोई विशेष प्रावधान नहीं है उपराज्यपाल के नियंत्रण में अनन्य विशेषताएं 2023 के कानून के माध्यम से सेवाओं को एलजी के नियंत्रण में लाया जाएगा; एसीबी का अधिकार क्षेत्र सीमित केंद्रीय निगरानी के साथ राज्य शासन के समान उपराज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त करता है, अभियोजन को नियंत्रित करता है; वित्तीय प्रावधानों पर उपराज्यपाल का कड़ा नियंत्रण संघ राज्यक्षेत्रों के संबंधमें कानून बनाने कीसंसद की शक्ति

• संसद तीनों सूचियों (राज्य सूची सहित) में सेकिसी भी विषय पर कानून बना सकती है और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

◦ **अनुच्छेद 239कक** के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

• राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीवकी शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं। इसकी शक्ति और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही है।

• विधान सभा सदस्यों की संख्या 70 निर्धारित की गई है - जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे।

• मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 10% निर्धारित की गई है।

• निर्वाचन,भारतनिर्वाचनआयोग द्वारा आयोजितकिए जातेहैं (**अनुच्छेद 324)।**

• जब ऐसीस्थिति उत्पन्न होती हैजिसमें राज्यक्षेत्र का प्रशासन उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार नहीं किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उपर्युक्त प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं और **अनुच्छेद 356** के तहत राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक आकस्मिक या परिणामी (अहम) प्रावधान कर सकते हैं।

• उपराज्यपाल को अध्ययादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है जिसे विधानसभा द्वारा उसकी अगली बैठक के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित (Promulgate) करना होता है।

• उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल निर्णय के लिए मामले को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और तदनुसार कार्रवाई करते हैं।

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1956): साझा हित के मामलों पर सलाह देने के लिए भारत में प्रादेशिक परिषदों (क्षेत्रीय परिषद) का गठन किया गया है।

नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद 5 से 11: संविधान के भाग 2 में स्थित ये प्रावधान उन लोगों की पहचान करते हैं जो 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। इनमें नागरिकता पर स्थायी या विस्तृत नियम शामिल नहीं हैं।

अनुच्छेद विवरण

अनुच्छेद-5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।

अनुच्छेद-6

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता।

अनुच्छेद-7

भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले और फिर भारत वापस आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता।

अनुच्छेद-8 भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता।

अनुच्छेद-9

नागरिकता की समाप्ति (किसी अन्य देश की नागरिकता स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करने पर नागरिकता की स्वतः समाप्ति)।

अनुच्छेद-10

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना (जब तक कि संसद ने कानून न बना दिया हो)।

अनुच्छेद-11

संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी।

संसद के पास नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति होगी।

एकल नागरिकता

• **परिभाषा:** यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी शासन प्रणाली (केंद्र और राज्य) की परिकल्पना करता है, फिर भी यह केवल एकल नागरिकता (कनाडा की तरह) प्रदान करता है। नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं। जिसका अर्थ है कि सभी नागरिक भारतीय नागरिक हैं, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हों। *[यूपीएससी 2021]*

• **तुलना:** अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, इसके विपरीत भारत में अलग से राज्य नागरिकता की व्यवस्था नहीं है।

• भारत में, सभी नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यद्यपि, भेदभाव न किए जाने का यह सामान्य नियम **अनुच्छेद 15** , 16 और 19 के तहत कुछ अपवादों के अधीन है।

अनुच्छेद 15 : राज्य उन मामलों में अपने निवासियों को विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं या प्राथमिकता दे सकते हैं जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के दायरे में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए कोई राज्य अपने निवासियों को शिक्षा की फीस में रियायत दे सकता है।

अनुच्छेद 16 : संसद किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कतिपय रोजगार या नियुक्तियों के लिए उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। सार्वजनिक रोजगार (निवास के संबंध में आवश्यकता) अधिनियम, 1957 ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (**अनुच्छेद 371D)** , हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों को ऐसी शर्तें निर्धारित करने की अनुमति दी है।

अनुच्छेद 19 : संचरण और निवास की स्वतंत्रता किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के अधीन है। (जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश, निवास और बसने का अधिकार, विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाजों आदि के संरक्षण के कारण सीमित है)।

• **राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता:**
  ◦ **भारत में:** जन्म से नागरिक (Citizen by Birth) और देशीकरण द्वारा नागरिक (Naturalized Citizen) दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं।
  ◦ **संयुक्त राज्य अमेरिका में:** केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है, न कि देशीकरण द्वारा नागरिक।

• **न्यायाधिकरण अधिकारिता:**
  ◦ गृह मंत्रालय ने विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन करके सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकरण (अर्द्ध-न्यायिक निकाय) स्थापित करने का अधिकार दिया है जो यह तय करेगा कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
  ◦ **कुछ सार्वजनिक पद धारण करने की पात्रता:** भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के महाधिवक्ता।

नागरिकता

(भाग 2: अनुच्छेद 5 से 11)

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद

1. नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद	**2. अनुच्छेद विवरण**
3. अनुच्छेद-6	**4. अनुच्छेद-7**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद

मुख्य परीक्षा दृष्टि: तुलना: अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, इसके विपरीत भारत में अलग से राज्य नागरिकता की व्यवस्था नहीं है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद • अनुच्छेद विवरण • अनुच्छेद-6 • अनुच्छेद-7 • अनुच्छेद-9 | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1950, 2021, 1957, 1964

नागरिकों और अन्यदेशीय के बीच तुलना: — नागरिक अन्यदेशीय

• **सदस्यता:** वे भारतीय राज्य (The Indian State) के पूर्ण सदस्य होते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं।

नागरिकता का अधिग्रहण और परित्याग नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा नियंत्रित होता है।

- **अधिकार:** उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।
- **मौलिक अधिकार:** **अनुच्छेद 15** , 16, 19, 29 और 30 के तहत विशेष अधिकार।

[यूपीएससी 2021]

- **कर्तव्य:** नागरिकों के भी भारतीय राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कर देना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना इत्यादि।
- **परिभाषा:** वे किसी अन्य राज्य/देश के नागरिक होते हैं।
- **अधिकार:** उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
- **इनकी दो श्रेणियाँ हैं:**
  - **मित्र देशों के व्यक्ति:** उन देशों के लोग जिनके भारत के साथ मधुर संबंध हैं।
  - **शत्रु-देशों के व्यक्ति:** उस देश के व्यक्ति जो भारत के साथ युद्धरत है। उन्हें मित्रदेशों के व्यक्तियों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है (**अनुच्छेद 22)।**
- अन्यदेशीय व्यक्तियों को अधिकार
- **अन्यदेशीय:** (**अनुच्छेद 15** , 16, 19, 29, 30 को छोड़कर) अन्य सभी अधिकार प्राप्त हैं।
- **शत्रु देशों के व्यक्ति:** उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है (**अनुच्छेद 22)।**

नागरिकता अधिनियम, 1955

संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता का अर्जन (5 प्रकार से) और परित्याग (3 प्रकार से) किया जा सकता है। इसे बाद में 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में कई बार संशोधित किया गया है। शुरू में इसमें राष्ट्रमंडल नागरिकता शामिल थी, जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

नागरिकता का अर्जन

जन्म से (धारा 3) भारत में जन्मा व्यक्ति

- 26 जनवरी, 1950 से 1 जुलाई, 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
- 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा व्यक्ति- उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक हो।
- 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति – यदि उसके माता-पिता या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो।
- **अपवाद:** भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों और शत्रु देशों के व्यक्तियों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते।

वंशक्रम

द्वारा (धारा 4) भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति

- 26 जनवरी, 1950 से 10 दिसंबर, 1992 के बीच जन्म हुआ हो और पिता भारत के नागरिक थे।
- 10 दिसंबर, 1992 के बाद जन्मा व्यक्ति - उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक है।
- 3 दिसंबर, 2004 से – बशर्ते कि उसका जन्म, जन्म तिथि के एक वर्ष के भीतर या अवधि समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार की अनुमति से भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत हो।

पंजीकरण

द्वारा (धारा 5)

• केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति (अवैध प्रवासी नहीं) द्वारा आवेदन करने पर उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, यदि वह कतिपय शर्तों को पूरा करता है और ऐसे व्यक्तियों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ (Oath of Allegiance) लेनी होगी।

देशीयकरण

द्वारा (धारा 6)

• केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति (अवैध प्रवासी नहीं) द्वारा आवेदन करने पर उसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है, यदि उसके पास कुछ अर्हताएँ हैं।

• **आवश्यकताएँ:** भारत में 12 वर्षों तक लगातार निवास (पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष)।

• अच्छा चरित्र और आठवीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

किसी क्षेत्र

के समावेशन द्वारा (धारा 7)

• यदि कोई विदेशी राज्यक्षेत्र भारत का अंग बन जाता है, तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो उस राज्यक्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं।

• **उदाहरण:** नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश, 1962, पांडिचेरी निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।

नागरिकता अधिनियम (1955) में नागरिकता की समाप्ति के तीन तरीके निर्धारित किए गए हैं, चाहे वह नागरिकता इस अधिनियम के तहत प्राप्त की गई हो या संविधान के तहत उससे पहले प्राप्त की गई हो:

1. परित्याग द्वारा (धारा 8) (By Renunciation):

• **प्रक्रिया:** पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारत का कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है।

• **प्रभाव:** उस घोषणा के पंजीकृत होने पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। यद्यपि, ऐसे पंजीकरण को रोका जा सकता है यदि वह घोषणा किसी युद्ध के दौरान की गई हो, जिसमें भारत शामिल हो।

• **नाबालिग बच्चे:** उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यद्यपि, जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकता है।

2. पर्यवसान द्वारा (धारा 9) (By Termination):

• **स्वत:** समाप्त: जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से (जानबूझकर और बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या दबाव के) किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वत: ही समाप्त हो जाती है।

• **अपवाद:** यह उपबंध उस युद्ध के दौरान लागू नहीं होता जिसमें भारत शामिल हो।

3.वंचित किए जाने द्वारा (धारा 9) (By Deprivation):

• केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता को अनिवार्यत: समाप्त कर दिया जाता है, यदि किसी व्यक्ति ने -
  ◦ धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो;
  ◦ भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की हो;
  ◦ युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ गैर-कानूनी तरीके से व्यापार या संचार किया गया हो।

• पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर, किसी भी देश में 2 वर्ष के लिए कारावास में रहा हो; और

• सामान्यत: लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

• **अवैध प्रवासियों की परिभाषा:** यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है।

• यह ऐसे अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है, जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है या अनुमत समय से अधिक समय तक रहता है।

• **विशिष्ट समूहों के लिए नागरिकता:** अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और व्यक्तियों के इन समूहों के लिए, 11 वर्ष की शर्त को कम करके 5 वर्ष किया जाएगा।

• **अपवर्जन:**

  ◦ अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के ये प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे।

  ◦ इसके अतिरिक्त, यह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड पर लागू बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित "इनर लाइन" क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।

एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्डधारक के बीच तुलना एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्डधारक वर्ग अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक परिभाषा ऐसा भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर निवास कर रहा है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है।

ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वज

भारतीय राष्ट्रीयता के थे और जिसके पास वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता/राष्ट्रीयता है अर्थात् उसके पास विदेशी पासपोर्ट है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।

लाभ भारतीय नागरिकों को सभी लाभ समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अधीन उपलब्ध हैं।

कोई विशेष लाभ नहीं।

- किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने के लिए एकाधिक आजीवन वीजा (भारत में अनुसंधान कार्य करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है)।
- विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) के पास पंजीकरण कराने से छूट।
- कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में एनआरआई के साथ समानता।
- भारत में घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए पर टैरिफ के मामले में निवासी भारतीय नागरिकों के बराबर माना जाता है।

वीज़ा आवश्यकताएँ

किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है। वीजा की आवश्यकता। आजीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकते हैं।

स्थानीय

पुलिस के साथ पंजीकरण भारत में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

हाँ, यदि ठहरने की अवधि 180 दिनों से अधिक है।

भारत में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

भारत में गतिविधियाँ सभी क्रियाकलाप कर सकते हैं।

प्राप्त वीजा के प्रकार के अनुसार क्रियाकलाप कर सकते हैं।

अनुसंधान कार्य को छोड़कर सभी क्रियाकलाप कर सकते हैं।

अनुसंधान कार्य के लिए संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट/ एफआरआरओ से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वज



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वज

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अनुसंधान कार्य के लिए संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट/ एफआरआरओ से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वज • वीज़ा • आवश्यकताएँ • स्थानीय • अपवाद | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2019, 2014, 1873, 1955

नागरिकता

पात्रता वह एक भारतीय नागरिक है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले उसे 7 वर्ष की अवधि के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी होना होगा।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, एक व्यक्ति जो 5 वर्षों के लिए ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले बारह महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है, भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पात्र है।

ओसीआई कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द किया जाना अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर ओसीआई का पंजीकरण रद्द कर सकती है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- यदि ओसीआई धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकृत किया गया है, या
- यदि, पंजीकरण के पाँच वर्ष के भीतर, ओसीआई को दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो, या
- यदि यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, या
- यदि ओसीआई ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
- ओसीआई रद्द करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ओसीआई कार्डधारक को सुनवाई का अवसर न दिया जाए।

नोट: भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड योजना का विलय, 9 जनवरी 2015 को प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड योजना के साथ कर दिया गया है।

मूल अधिकार सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्ययात्मिक विकास) के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (अधिकार पत्र) (Bill of Rights) से प्रेरित थे। भारत में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी अन्य देश में पाए जाने वाले मूल अधिकारों से अधिक विस्तृत हैं। इन्हें भारत का मैग्नाकार्टा कहा गया है।

मूल अधिकारों की विशेषताएँ

- **संशोधन योग्य:** संविधान के "मूल ढाँचे" में परिवर्तन किए बिना, संसद द्वारा संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसमें संशोधन किया जा सकता है।
- **सीमित:** मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं, बल्कि सापेक्ष हैं - युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन हैं।
- **राज्य एवं व्यक्तियों के विरुद्ध संरक्षण:** यद्यपि ये सभी मूल अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के कार्यों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं।
- **सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकार:** इनमें सेकुछ प्रकृति में नकारात्मक हैं (राज्यों के प्राधिकार पर सीमाएँ लगाते हैं), वहीं दूसरी ओर अन्य प्रकृति में सकारात्मक हैं (व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं)।
- मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देते हैं।
  - ये कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमाएँ लगाते हैं, ताकि एक सत्तावादी तथा निरंकुश शासन की स्थापना को रोका जा सके।

◦ इनका उद्देश्य विधि का शासन स्थापित करना है।

• ये न्यायालय में विचार योग्य प्रकृति के हैं। (यदि कभी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह इनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है)।

• अधिकार, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, न कि नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। [यूपीएससी 2017]

• **अनुल्लंघनीय अथवा स्थायी प्रकृति के नहीं:** इसे संसद द्वारा संविधान की 'मूल संरचना' को प्रभावित किए बिना केवल संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

• सभी व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा बिना किसी भेदभाव के इनकी गारंटी दी गई है।

• राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

◦ इस तरह के प्रतिबंध युक्तियुक्त है या नहीं, इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है।

◦ ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के मध्य संतुलन बनाते हैं।

• **अनुच्छेद 20** और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं।

◦ **अनुच्छेद 19** द्वारा गारंटीकृत छह मूल अधिकार केवल विदेशी आक्रमण (बाह्य आपातकाल) के आधार पर स्वत: निलंबित हो जाते हैं, सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) के आधार पर नहीं।

• **इनके प्रवर्तन का दायरा सीमित है:**

◦ **अनुच्छेद 31क** - संपदाओं के अर्जन का प्रावधान करने वाले कानून आदि।

◦ **अनुच्छेद 31ख** - 9वीं अनुसूची में शामिल कुछ कृत्यों का सत्यापन।

◦ **अनुच्छेद 31ग** - कतिपय निर्देशक तत्त्वों को प्रभावी बनाने वाले कानून।

मूल अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान — 1. समता का अधिकार (अनुच्छेद- 14 से 18):

• विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। (**अनुच्छेद 14)**

• धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। (**अनुच्छेद 15)**

• लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। (**अनुच्छेद 16)**

• अस्पृश्यता का अंत। (**अनुच्छेद 17)**

• उपाधियों का अंत। (**अनुच्छेद 18)**

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 19 से 22):

• स्वतंत्रता के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण (**अनुच्छेद 19)** : वाक् एवं अभिव्यक्ति; सम्मेलन; संघ; संचरण; निवास; वृत्ति।

• अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।(**अनुच्छेद 20)**

• प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। (**अनुच्छेद 21)**

• प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। (**अनुच्छेद 21क)**

• कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। (**अनुच्छेद 22)**

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद- 23 से 24):

• मानव तस्करी और बलात्श्रम का प्रतिषेध। (**अनुच्छेद 23)**

• कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। (**अनुच्छेद 24)** 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (**अनुच्छेद- 25** से 28):

• **अंत:**करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। (**अनुच्छेद 25)**

• धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। (**अनुच्छेद 26)**

• किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। (**अनुच्छेद 27)**

• कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। (**अनुच्छेद 28)** मूल अधिकार (भाग 3: **अनुच्छेद 12** -35)

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: मूल अधिकारों की विशेषताएँ

1. मूल अधिकारों की विशेषताएँ	**2. संशोधन योग्य**
3. सीमित	**4. अंत**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — मूल अधिकारों की विशेषताएँ

मुख्य परीक्षा दृष्टि: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। (अनुच्छेद 28) मूल अधिकार (भाग 3: अनुच्छेद 12-35)

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: मूल अधिकारों की विशेषताएँ • संशोधन योग्य • सीमित • अंत | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2017

IUC विशेष स्मृति सूत्र #7: पंचायती राज की प्रमुख समितियाँ (कालक्रम)

ट्रिक: 'बलवंत अशोक जीवीके ने एल.एम. सिंघवी को थुंगन और गाडगिल से मिलाया' — बलवंत राय मेहता (1957, त्रि-स्तरीय), अशोक मेहता (1977, द्वि-स्तरीय), जी.वी.के. राव (1985), एल.एम. सिंघवी (1986, संवैधानिक दर्जा), थुंगन (1988), गाडगिल (1988)।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (**अनुच्छेद- 29** से 30):

• अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। (**अनुच्छेद 29)**

• शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। (**अनुच्छेद 30)**

6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) (निलंबित)

7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (**अनुच्छेद-32)** : बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा याचिकाओं सहित मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार।

(**अनुच्छेद-32 के अंतर्गत:** मूल संरचना का भाग) 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग XII में **अनुच्छेद 300** -ए के अंतर्गत कानूनी और संवैधानिक अधिकार के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है।

मूल अधिकारों की उपलब्धता

• **केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं: अनुच्छेद 15** , 16, 19, 29 और 30

• नागरिकों और विदेशियों (शत्रु देशों के नागरिकों को छोड़कर) दोनों के लिए उपलब्ध: **अनुच्छेद 14** , 20 से 28 राज्य की परिभाषा (**अनुच्छेद 12)** मूल अधिकारों से असंगत कानून (**अनुच्छेद 13)**

• **अनुच्छेद 12** के अनुसार 'राज्य' शब्द में सरकार और संसद; राज्यों की सरकार और विधायिका; सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात्नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि; अन्य सभी प्राधिकरण, अर्थात्भारतीय जीवन बीमा निगम, ओएनजीसी, सेल आदि जैसे सांविधिक अथवा गैर-सांविधिक प्राधिकरण सम्मिलित हैं।

• **उच्चतम न्यायालय के अनुसार:** यहाँ तक कि राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाला कोई निजी निकाय अथवा एजेंसी भी **अनुच्छेद 12** के तहत राज्य के अर्थ के दायरे में आते हैं।

• **अनुच्छेद 13 :** मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे (स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है)।

• **अनुच्छेद 13 में 'कानून (Law)' शब्द:** केंद्र और राज्य द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून; राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अस्थायी अध्ययादेश; आदेश की तरह प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान) के सांविधिक उपकरण; कानून का बल रखने वाली रूढ़ि अथवा प्रथा।

• **अनुच्छेद 13(** 4) में उल्लेख है कि इस अनुच्छेद का कोई भी प्रावधान **अनुच्छेद 368** के अधीन किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। (24वाँ संविधान संशोधन, 1971)

• हालाँकि के शवानंद भारती वाद (1973) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, जो संविधान की 'मूल संरचना' का हिस्सा है, इसलिए उसे निष्प्रभावी घोषित किया जा सकता है।

अनुच्छेद विषय – वस्तु — अनुच्छेद 14

• **अनुच्छेद-14 :** राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को "विधि के समक्ष समता" या "विधियों के समान संरक्षण" से वंचित नहीं करेगा।

• कानून के समक्ष समता (ब्रिटिश उत्पत्ति + नकारात्मक धारणा):

- किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति;
- साधारण कानून या साधारण कानूनी न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार;
- कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

• कानूनों का समान संरक्षण (अमेरिकी उत्पत्ति + सकारात्मक धारणा):

- कानूनों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्ययारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाना;
- समान कानून के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम;
- बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए (Like should be treated alike)।

• उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है, वहाँ **अनुच्छेद 14** लागू नहीं होता है।

• **अनुच्छेद 14** श्रेणी विधान (Class Legislation) को अस्वीकृत करता है, लेकिन यह कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन-देन के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है (मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल वाला नहीं होना चाहिए)।

•

एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून लागू करने के मामले में अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, संविधान के **अनुच्छेद 14** का उल्लंघन करता है। [यूपीएससी 2021]

• सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों) को अधिकार प्रदान करता है और इसमें विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

• विधि का शासन (ए.वी. डायसी द्वारा) (संविधान की मूल विशेषता): 'कानून के समक्ष समानता' का विचार 'विधि का शासन' सिद्धांत का मूल तत्त्व है।

• **विधि के शासन (कानून के शासन) के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं:** पहला और दूसरा तत्त्व भारतीय व्यवस्था पर लागू होते हैं (संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है)।

- इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति - भारतीय व्यवस्था पर लागू । [यूपीएससी 2021]
- विधि के समक्ष समता - भारतीय व्यवस्था पर लागू।
- वैयक्तिक अधिकारों की प्रमुखता - लागू नहीं, क्योंकि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है।

• **समता के अपवाद:**

- **अनुच्छेद 361 :** भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं।
- **अनुच्छेद 361 -क:** कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही की सही/उचित रिपोर्ट के समाचार रिपोर्टों (या रेडियो/टेलीविजन द्वारा) में प्रकाशन के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- **अनुच्छेद 105 :** संसद सदस्यों का संसदीय विशेषाधिकार।
- **अनुच्छेद 194 :** राज्य विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।
- **अनुच्छेद 31ग :** उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जहाँ " **अनुच्छेद 31ग** प्रभावी होता है, वहाँ **अनुच्छेद 14** निष्प्रभावी हो जाता है"।

• इसमें प्रावधान है कि **अनुच्छेद 39** के खंड (ख) अथवा खंड (ग) में निहित निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे **अनुच्छेद 14** का उल्लंघन करते हैं।

- विदेशी संप्रभु (शासक) और राजनयिकों को आपराधिक और सिविल कार्यवाही से छूट प्राप्त है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों को राजनयिक छूट प्राप्त है। **अनुच्छेद 15**

- **अनुच्छेद 15(1):** राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
  - 'केवल' शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 15(2):** कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा -
  - दुकानों, सार्वजनिक रेस्तराँ, होटलों और मनोरंजन के स्थानों तक पहुँच;
  - कु ओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट्स के स्थानों का उपयोग जो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य के धन से बनाए गए हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हैं।
- यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा विभेद पर रोक लगाता है, वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रावधान केवल राज्य द्वारा विभेद पर रोक लगाता है।
- **अनुच्छेद 15(3) और 15(4):** देश में आरक्षण प्रणाली की आधारशिला।
- विभेद से प्रतिषेध (Non-Discrimination) के इस सामान्य नियम के चार अपवाद:
  - राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने की अनुमति है।
  - सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।
  - नागरिकों के किसी भी सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं।
  - नागरिकों में से किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के विकास के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण:
  - **अनुच्छेद 15(5) में अपवाद:** 93वें संविधान संशोधन अधिनियम (2005) द्वारा अधिनियमित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आई.आई.टी और आई.आई.एम सहित सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया गया।
  - उच्चतम न्यायालय ने इस वैधता को बरकरार रखा और केंद्र सरकार को कानून को लागू करते समय ओबीसी के 'क्रीमी लेयर' (उन्नत वर्गों) को बाहर करने का निर्देश दिया।
- **शैक्षणिक संस्थानों में ई.डब्ल्यू.एस के लिए आरक्षण:**
  - **अनुच्छेद 15(** 6) में अपवाद 2019 के 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ई.डब्ल्यू.एस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
  - ई.डब्ल्यू.एस - जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की किसी भी मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 42

1. समता के अपवाद	**2. अनुच्छेद**
3. अनुच्छेद 361-क	**4. अनुच्छेद 31ग**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 42

मुख्य परीक्षा दृष्टि: शैक्षणिक संस्थानों में ई.डब्ल्यू.एस के लिए आरक्षण:

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: समता के अपवाद • अनुच्छेद • अनुच्छेद 361-क • अनुच्छेद 31ग • अनुच्छेद 15(3) और | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2021, 2005, 2006, 2019

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रीमी लेयर:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समीक्षा निर्णय में राज्यों को आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे आरक्षित श्रेणी समूहों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार दिया गया है।
- इस निर्णय ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2004 के फैसले को बदल दिया है, जिसने भारत में आरक्षण नीतियों के परिदृश्य को बदल दिया था।

• सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को बाहर करने के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करते हुए राज्यों को पिछड़ेपन के आधार पर एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी है। साथ ही यह भी कहा है कि उप-वर्गीकरण प्रायोगिक आंकड़े/अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होना चाहिए, और किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण अनुमेय नहीं है।

• सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, राज्य अब सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए 15% आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए।

अनुच्छेद 16

लोक नियोजन (Public employment) अथवा राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

• केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान अथवा निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है अथवा उसे राज्य के अधीन किसी भी रोजगार अथवा पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

• **अवसर की समता के इस साधारण नियम के चार अपवाद:**

◦ संसद किसी राज्य अथवा संघ-राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण (केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में) में किसी नियोजन अथवा नियुक्ति के लिए निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है।

◦ राज्य किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण प्रदान कर सकता है।

◦ कानून के तहत यह व्यवस्था की जा सकती है कि किसी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कार्यालय का पदाधिकारी अथवा उसके शासी निकाय का सदस्य किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय से संबंधित हो।

◦ राज्य को ई.डब्ल्यू.एस से संबंधित किसी भी नागरिक की नियुक्ति में 10% तक का आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति है।

• **1953:** काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया।

• **1979:** **अनुच्छेद 340** के तहत, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बी.पी.मण्डल की अध्यक्षता में एस.ई.बी.सी (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग) की स्थितियों की जाँच करने तथा उनके विकास के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया था।

◦ **लगभग 52%:** सामाजिक + शैक्षणिक रूप से पिछड़े (एस.सी को छोड़कर) और एस.टी.।

◦ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण - कुल आरक्षण का 50% होगा।

• **1990:** वी.पी. सिंह सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की।

• **1991:** नरसिम्हा राव सरकार ने दो बदलाव किए:

◦ 27% कोटा (आर्थिक मानदंड) में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ गरीब वर्गों को प्राथमिकता देना।

◦ उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए नौकरियों में अतिरिक्त 10% आरक्षण।

न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग:

• भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 340** के तहत 2017 में ओ.बी.सी के बीच आरक्षण लाभों के असमान वितरण की जाँच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसके उद्देश्यों में ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, केंद्रीय सूची में जातियों की पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना तथा त्रुटियों, दोहराव और विसंगतियों को समाप्त करने के लिए सूची की समीक्षा करना आदि शामिल है। 2020 में, अस्पष्टताओं और प्रतिलेखन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है।

• इंद्रा साहनी (1992) मामलें में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय (1992), **अनुच्छेद 16(** 4) का दायरा और सीमा:

◦ उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

◦ ओ.बी.सी. के उन्नत वर्गों (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए।

◦ गरीब वर्गों के लिए 10% के अतिरिक्त आरक्षण को अस्वीकार कर दिया।

◦ कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

◦ पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं; आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए।

◦ अन्य पिछड़े वर्गों के उन्नत वर्गों-क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाना चाहिए

◦ रिक्तियों के मामले में 'कैरी फॉरवर्ड नियम' वैध है - 50% नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

◦ समावेशन-अपवर्जन प्रयोजनों (Inclusion-Exclusion Purposes) की जाँच के लिए स्थायी सांविधिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।

(यूपीएससी 2023)

• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) की स्थापना 1993 में एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम (2018) द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 338ख** जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया गया।

अनुच्छेद 17

• यह 'अस्पृश्यता (Untouchability)' का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। (यूपीएससी 2020)

◦ अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर "सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (Protection of Civil Rights Act 1955)" कर दिया गया।

◦ "अस्पृश्यता" शब्द को न तो संविधान में और न ही उक्त अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

◦ **मैसूर उच्च न्यायालय: अनुच्छेद 17** का विषय शाब्दिक या व्यवहारिक अर्थ में अस्पृश्यता नहीं है, बल्कि 'देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई प्रथा' है।

◦ **अपवाद:** इसमें कुछ व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं आदि से उनका बहिष्कार शामिल नहीं है।

◦ उच्चतम न्यायालय ने 'पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (People's Union For Democratic Rights)' के मामले(1982) में निर्णय दिया कि **अनुच्छेद 17** के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध होगा और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए।

अनुच्छेद 18

• **अनुच्छेद 18** उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में चार प्रावधान करता है:

◦ यह राज्य द्वारा किसी नागरिक अथवा विदेशी व्यक्ति को कोई उपाधि (सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि के अतिरिक्त) प्रदान किए जाने का प्रतिषेध करता है।

◦ यह भारत के किसी नागरिक को विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करने का प्रतिषेध करता है।

◦ कोई विदेशी, राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

◦ राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास का पद धारण करने वाला कोई नागरिक अथवा विदेशी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, परिलब्धि अथवा पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

• बालाजी राघवन मामले (1996) में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया। [यूपीएससी 2021]

◦ **उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:** ये पुरस्कार **अनुच्छेद 18** के अर्थ में 'उपाधि' नहीं हैं, जो केवल कुलीनता के वंशानुगत उपाधियों– महाराजा, राज/राय बहादुर, राय साहब और दीवान बहादुर को प्रतिबंधित करता है।

• इन्हें पुरस्कार विजेताओं के नाम के साथ प्रत्य या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा, उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा।'

• राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1977 में इन्हें बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इन्हें फिर से शुरू किया गया।

स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 19 से 22

• **अनुच्छेद 19(1):** सभी नागरिकों को छह अधिकारों की गारंटी देता हैं:

◦ वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

◦ शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार।

◦ संघ अथवा यूनियन अथवा सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार।

◦ भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार।

◦ भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार।

◦ संपत्ति के अर्जन, धारण और निपटान का अधिकार (1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया)।

◦ कोई भी वृत्ति, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार।

• मूल रूप से, संविधान ने **अनुच्छेद 19** के तहत सात मूल अधिकारों का प्रावधान किया था। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।

• संविधान के भाग 12 में **अनुच्छेद 300**-क के तहत इसेविधिक (कानूनी)

अधिकार बनाया गया है। अत: वर्तमान में **अनुच्छेद 19** के तहत केवल छह मूल अधिकार हैं। [यूपीएससी 2021]

उच्चतम न्यायालय ने फै सला सुनाया है कि **अनुच्छेद 19** और 21 के तहत मूल अधिकार को राज्य अथवा उसके उपकरणों/लिखतों (State or its instrumentalities) के अलावा अन्य निजी पक्षकारों के विरूद्ध भी लागू किया जा सकता है।

• राज्य केवल **अनुच्छेद 19(** 2) में उल्लिखित आधारों पर ही इन 6 अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, अन्य आधारों पर नहीं।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: अनुच्छेद 17



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुच्छेद 17

मुख्य परीक्षा दृष्टि: राज्य केवल अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों पर ही इन 6 अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, अन्य आधारों पर नहीं।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुच्छेद 17 • अनुच्छेद 18 • मैसूर उच्च न्यायालय • अपवाद • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2023, 1993, 2018, 2020, 1955

अनुच्छेद विषय-वस्तु — अनुच्छेद

19(1)(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालय ने माना कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं:

• अपने अथवा किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार।

• प्रेस की स्वतंत्रता।

• व्ययावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता।

• फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार।

• प्रसारित करने का अधिकार अर्थात्सरकार का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है।

• किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार।

• सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार।

• चुप रहने का अधिकार।

• किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार।

• प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं।

• राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार।

• निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का मतदाताओं का अधिकार।

• प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार।

• लैंगिक पहचान व्यक्त करने का अधिकार।

• उत्तर देने का अधिकार (आलोचना का उत्तर देने का अधिकार)।

• इंटरनेट/सोशल मीडिया पर जानकारी/वीडियो पोस्ट करने का अधिकार।

• फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्में प्रदर्शित करने का अधिकार।

• इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार (इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुँच का अधिकार)

• **अनुच्छेद 19(2):** राज्य निम्नलिखित आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है: विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951); किसी अपराध के लिए उकसाना (पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951); लोक व्यवस्था (पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951); भारत की संप्रभुता और अखंडता (16वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1963); मानहानि; न्यायालय की अवमानना; राज्य की सुरक्षा; शालीनता अथवा नैतिकता।

अनुच्छेद

19(1)(ख) शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के संगठित होने का अधिकार है।

• सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार।

• केवल सार्वजनिक भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के किया जा सकता है।

• हिंसा, अव्यवस्था, दंगापूर्ण सम्मेलन अथवा ऐसी सभा जो लोक-शांति भंग करती हो अथवा जिसमें हथियार शामिल हों, उनको संरक्षण प्रदान नहीं करता है।

• इस अधिकार में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है।

• **अनुच्छेद 19(3)** में दो आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है: भारत की संप्रभुता और अखंडता; लोक व्यवस्था, जिसमें संबंधित क्षेत्र में यातायात का अनुरक्षण भी शामिल है।

• **धारा 144 (दंड प्रक्रिया संहिता):** मजिस्ट्रेट ऐसी सभा, बैठक अथवा जुलूस पर रोक लगा सकता है जिसमें बाधा, परेशानी अथवा मानव-जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के लिए खतरा अथवा सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी अथवा दंगा अथवा किसी झगड़े का जोखिम शामिल हो - जिसे कई मामलों में कोविड-19 से निपटने के लिए लागू किया गया था।

• **धारा 141 (भारतीय दंड संहिता):** पाँच अथवा उससे अधिक लोगों का एकत्र होना गैर-कानूनी हो सकता है यदि उनका उद्देश्य:
  ◦ किसी कानून के कार्यान्वयन अथवा कानूनी प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना हो।
  ◦ कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करना हो।
  ◦ शरारत करना अथवा आपराधिक कृत्य करना हो।
  ◦ किसी व्यक्ति पर गैर-कानूनी काम के लिए दबाव डालना हो।
  ◦ सरकार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने पर उन्हें धमकाना हो।

अनुच्छेद

19(1)(ग) संघ बनाने का अधिकार सभी नागरिकों को संघ, यूनियन अथवा सहकारी समितियाँ गठित करने का अधिकार होगा:

• **गठन का अधिकार:** राजनीतिक दल + कंपनी + साझा फर्म + समितियाँ + क्लब + संगठन + व्यापार संगठन अथवा लोगों का कोई निकाय।

• इसमें संघ को जारी रखने का अधिकार शामिल है।

• किसी संघ अथवा यूनियन को बनाने अथवा उसमें शामिल न होने का नकारात्मक अधिकार शामिल है।

• **अनुच्छेद 19(4) - युक्तियुक्त प्रतिबंध:** भारत की संप्रभुता + भारत की अखंडता + लोक व्यवस्था + नैतिकता।

• संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है।

• **उच्चतम न्यायालय ने कहा कि श्रमिक संगठन (ट्रेड यूनियन):**
  ◦ के पास प्रभावी सौदेबाजी का कोई गारंटीशुदा अधिकार नहीं है।
  ◦ को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। (इसे समुचित औद्योगिक कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।)

• तालाबंदी घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। **अनुच्छेद- 19(1)**(घ) अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से संचरण करने का अधिकार है - अंतरराज्यीय और राज्यांतर्गत या राज्य के भीतर संचरण (Inter-state and Intra-state movement)।

• **उद्देश्य:** भारत की एकता + राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना + कोई प्रांतीयता नहीं।

• **अनुच्छेद 19(5) - युक्तियुक्त प्रतिबंध:** सार्वजनिक हित + किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा।

• **उच्चतम न्यायालय:** वेश्याओं के संचरण को सार्वजनिक-स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

• **अनुच्छेद-19 :** आंतरिक संचरण की स्वतंत्रता - देश में निर्बाध संचरण का अधिकार।

• **अनुच्छेद- 21 :** बाहरी संचरण की स्वतंत्रता - देश से बाहर जाने का अधिकार। **अनुच्छेद- 19(** 1)(ङ) निवास की स्वतंत्रता

• प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है। (अस्थायी रूप से रहने अथवा स्थायी रूप से किसी भी स्थान पर निवास स्थापित करने के लिए।)

• इसका आशय देश के भीतर आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। (राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और संकीर्ण मानसिकता से बचने के लिए।)

• **अनुच्छेद 19(5) - युक्तियुक्त प्रतिबंध:** आम जनता के हित + किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए।

• देश के कई हिस्सों में, आदिवासियों को अपने पारंपरिक नियमों और कानूनों के अनुसार अपने संपत्ति अधिकारों को विनियमित करने की अनुमति दी गई है।

• **उच्चतम न्यायालय:** वेश्याओं और आदतन अपराधियों जैसे कुछ प्रकार के व्यक्तियों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

• निवास का अधिकार और संचरण का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। **अनुच्छेद- 19(** 1)(छ) व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने और व्यापार एवं व्यवसाय शुरू करने का अधिकार दिया गया है।

• **बहुत व्यापक:** यह अधिकार बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें व्यक्ति की आजीविका अर्जित करने के सभी साधन सम्मिलित हैं।

• **अनुच्छेद 19(** 6) - राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह:
  ◦ किसी पेशे, व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए पेशेगत/तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है।
  ◦ किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है और उन्हें नागरिकों के लिए (पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से) वर्जित कर सकता है।
  ◦ राज्य को अपने एकाधिकार को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है।

• **इसमें शामिल नहीं है:** किसी ऐसे पेशे अथवा व्यवसाय अथवा व्यापार अथवा उद्योग को जारी रखने का अधिकार जो अनैतिक अथवा खतरनाक है - राज्य इन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है अथवा लाइसेंस के माध्यम से विनियमित कर सकता है।

किसी भी अभियुक्त अथवा दोषी करार व्यक्ति, जो चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेशी हो अथवा किसी कंपनी अथवा निगम जैसा विधिक व्यक्ति हो, को उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दण्ड से संरक्षण प्रदान करता है।

• कोई कार्योत्तर (पूर्व-प्रभावी) कानून नहीं(No ex-post-facto Law) (पूर्व्यापी रूप से दंड लगाता है): किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के समय लागू कानून के उल्लंघन के सिवाय किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और न ही अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड लगायी जाएगी।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अनुच्छेद

1. अनुच्छेद
2. गठन का अधिकार
3. उच्चतम न्यायालय
4. बहुत व्यापक

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुच्छेद

मुख्य परीक्षा दृष्टि: किसी भी अभियुक्त अथवा दोषी करार व्यक्ति, जो चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेशी हो अथवा किसी कंपनी अथवा निगम जैसा विधिक व्यक्ति हो, को उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दण्ड से संरक्षण प्रदान करता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुच्छेद • गठन का अधिकार • उच्चतम न्यायालय • बहुत व्यापक • इसमें शामिल नहीं है

IUC विशेष स्मृति सूत्र #8: आपातकालीन प्रावधान (भाग 18: 352, 356, 360)

ट्रिक: 'राष्ट्रीय आपातकाल (352) = मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, 1 माह में विशेष बहुमत से अनुमोदन; राष्ट्रपति शासन (356) = 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन, अधिकतम 3 वर्ष; वित्तीय आपातकाल (360) = 2 माह में साधारण बहुमत, एक बार अनुमोदन के बाद अनिश्चित काल तक (भारत में आज तक कभी नहीं लगा)'।

(अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण)

- यह सीमा केवल आपराधिक कानून पर लागू होती है, सिविल कानूनों अथवा कर कानूनों पर नहीं;
- इसका किसी व्यक्ति से निवारक अभिरक्षा अथवा व्यक्ति से सुरक्षा की मांग के मामले में दावा नहीं किया जा सकता है।

• **दोहरी क्षति नहीं (No Double Jeopardy):** किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। यह केवल न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण (न्यायिक निकाय) के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है अर्थात् उन निकायों के लिए जो प्रकृति में न्यायिक हैं। विभागीय अथवा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जाँच इसका अपवाद हैं।

• **कोई आत्म-दोषारोपण नहीं (No Self-Incrimination):** किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा (मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य)। यह आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, सिविल कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है:

- भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन पर,
- अंगूठे का निशान, रक्त का नमूना देने की बाध्यता पर,
- शरीर के अनिवार्य प्रदर्शन पर। **अनुच्छेद 21** (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।

• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (जापानी संविधान से ली गई है): किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि वह कानून अनुचित अथवा अन्यायपूर्ण है।

• **विधि की उचित प्रक्रिया (अमेरिकी अवधारणा):** एक सिद्धांत जो न केवल यह जाँचता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तो नहीं वंचित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष और उचित रूप से बनाया गया है।

[यूपीएससी 2023]

अनुच्छेद 21 से संबंधित ऐतिहासिक मामले:

• गोपालन के स (1950)

- **अनुच्छेद 21** के तहत संरक्षण, मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध। यहाँ उच्चतम न्यायालय ने **अनुच्छेद 21** की संकीर्ण व्याख्या की।
- **दैहिक स्वतंत्रता:** केवल किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय से संबंधित स्वतंत्रता।

• मेनका गांधी के स (1978)

- **'विधि की उचित प्रक्रिया' पेश की: अनुच्छेद 21** के तहत संरक्षण न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध होना चाहिए।
- किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण हो।
- **जीवन (प्राण) का अधिकार:** मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार।
- **व्यक्तिगत (दैहिक) स्वतंत्रता:** सर्वाधिक व्यापक आयाम और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार सम्मिलित हैं, जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं।
- यह **अनुच्छेद 21** की व्यापक व्याख्या है।

• के .एस. पुट्टास्वामी के स (2017)

- यह माना गया कि निजता एक नैसर्गिक अधिकार है, जो सभी प्राकृतिक व्यक्तियों में निहित है और यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है बशर्ते कि यह तीन कसौटियों में से प्रत्येक पर खरा उतरता हो:
- ऐसी राज्य सरकार की कार्रवाई के लिए विधायी आदेश होना चाहिए;
- यह राज्य के वैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए;
- यह आनुपातिक होना चाहिए। *[यूपीएससी 2018]*

• **हादिया के स (2017):** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के **अनुच्छेद 21** (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का अभिन्न अंग है"। *[यूपीएससी 2019]*

• हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **अनुच्छेद 21** और 14 के तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को जीवन और समानता के लिए आवश्यक माना है। (अप्रैल, 2024)

अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार:

(1) मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।

(2) स्वच्छ पर्यावरण - प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा।

(3) आजीविका का अधिकार।

(4) निजता का अधिकार। *[यूपीएससी 2021, 2018]*

(5) आश्रय का अधिकार।

(6) स्वास्थ्य का अधिकार।

(7) 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार।

(8) निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार।

(9) एकान्त कारावास के विरुद्ध अधिकार।

(10) त्वरित सुनवाई का अधिकार।

(11) हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार।

(12) अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार।

(13) विलंबित फांसी के विरुद्ध अधिकार।

(14) विदेश यात्रा का अधिकार।

(15) बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार।

(16) हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार।

(17) आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार।

(18) सरकारी अस्पतालों में समय पर चिकित्सा उपचार पाने का अधिकार।

(19) किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार।

(20) निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।

(21) कैदी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ प्राप्त करने का अधिकार।

(22) महिलाओं के साथ शिष्टता और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार।

(23) सार्वजनिक फाँसी के विरुद्ध अधिकार।

(24) पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार।

(25) सूचना का अधिकार।

(26) प्रतिष्ठा का अधिकार।

(27) दोषसिद्धि के फै सले के विरुद्ध अपील का अधिकार।

(28) पारिवारिक पेंशन का अधिकार।

(29) सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और सशक्तीकरण का अधिकार।

(30) बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार (31) उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार (32) शयन का अधिकार (33) ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार (34) सतत विकास का अधिकार (35) अवसर का अधिकार (36) उचित अंत्येष्टि/दाह-संस्कार का अधिकार।

(37) अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार।

(38) सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार। (निष्क्रिय इच्छा मृत्यु) ।

अनुच्छेद 21क

(86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा सम्मिलित)

- **राज्य छह से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:**शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जो कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे।
- यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च अथवा व्ययावसायिक शिक्षा को नहीं।
- **अनुच्छेद 21क के अनुसरण में, संसद ने बच्चों को नि:**शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया।
- उन्नीकृष्णन मामले (1993) में, उच्चतम न्यायालय ने **अनुच्छेद 21** के तहत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को मान्यता दी।
- **86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2002):** सभी के लिए शिक्षा को "नागरिक अधिकारों के अध्याय में दूसरी क्रांति की शुरुआत" माना जाता है।
  - 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा किए गए अन्य परिवर्तन।
  - **भाग 4 में अनुच्छेद 45 :** राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व - नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान।
  - **86वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद परिवर्तन:** राज्य बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
  - **अनुच्छेद 51क :** भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे अथवा पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार

1. अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार
2. अनुच्छेद 21क
3. भाग 4 में अनुच्छेद
4. अनुच्छेद 51क

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार

मुख्य परीक्षा दृष्टि: 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2002): सभी के लिए शिक्षा को "नागरिक अधिकारों के अध्याय में दूसरी क्रांति की शुरुआत" माना जाता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार • अनुच्छेद 21क • भाग 4 में अनुच्छेद • अनुच्छेद 51क | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2021, 2018, 2002, 2009, 1993

यह कुछ मामलों में गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। [यूपीएससी 2023]

- **अनुच्छेद 22 (1):** साधारण विधि के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है।

इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार;
- किसी विधिक व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार;
- 24 घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार;
- 24 घंटे के बाद रिहा करने का अधिकार, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत न कर दे।
- ये सुरक्षा उपाय किसी विदेशी शत्रु अथवा निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

- **निवारक हिरासत (Preventive detention):** न्यायालय द्वारा विचारण और दोषसिद्धि के बिना।
- **दंडात्मक हिरासत (Punitive detention):** विचारण और दोषसिद्धि के बाद सजा।
- **अनुच्छेद 22(2):** निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है।
  - किसी व्यक्ति की हिरासत तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताता। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे।

- **अनुच्छेद 22** संसद को उन परिस्थितियों और मामलों की श्रेणियाँ विनिर्धारित करने के लिए भी अधिकृत करता है जिनमें किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध कानून के तहत तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह अनुच्छेद अधिकतम अवधि, जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में रखा जा सकता है; सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है।
- **संसद के पास अनन्य अधिकार:** रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाना।
- **संसद और राज्य विधानमंडल दोनों:** राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति तथा सेवाओं के लिए निवारक निरोध कानून साथ-साथ बना सकते हैं।

विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने निवारक निरोध कानून को संविधान का अभिन्न अंग नहीं बनाया है, जैसा कि भारत में किया गया है।

अनुच्छेद 22(5):

- **निवारक निरोध अधिकार:** निरुद्ध व्यक्तियों को निरुद्ध करने के आधारों के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है।
- **प्रतिनिधित्व का अवसर:** हिरासत को कानूनी रूप से चुनौती देने के अधिकार की गारंटी देता है। आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा), 2002: उद्देश्य: आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करना; 2004 में निरस्त कर दिया गया।

स्वीकारोक्ति स्वीकार्यता: एक निर्दिष्ट रैंक के पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति को परीक्षणों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई, जिससे दबाव के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं। (यूपीएससी 2023)

अनुच्छेद विषय-वस्तु

मानव तस्करी और बलात्श्रम (Forced Labour) का प्रतिषेध। (यूपीएससी 2017)

- यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
- यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है।

अपवाद: **अनुच्छेद 23** राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। जैसे सैन्य सेवा अथवा सामाजिक सेवा, जिसके लिए वह भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है।

- 'मानव तस्करी (मानव दुर्व्यापार)' शब्द में वस्तु के समान पुरुष, महिला और बच्चों की बिक्री एवं खरीद; महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार; वेश्यावृत्ति; देवदासियाँ; और दासता सम्मिलित हैं।
  - इन कृत्यों को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 लागू किया है।
- **शब्दों के अर्थ:**
  - **बेगार:** इसका अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक के कार्य कराना।
  - **बलात श्रम (Forced labor):** इसका अभिप्राय है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करना।
- **नोट:** **अनुच्छेद 23** में 'आयु' का उल्लेख नहीं है। **अनुच्छेद 24** किसी भी कारखाने, खान अथवा निर्माण कार्य अथवा रेलवे जैसी अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में (14 वर्ष से कम उम्र के) बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। (यूपीएससी 2017)
- यह किसी नुकसान न पहुँचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में उनके नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है।
- **बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005:** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन की त्वरित सुनवाई के लिए बाल न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष (Child Labour Rehabilitation Welfare Fund) की स्थापना का निर्देश दिया।
- 2006 में, सरकार ने होटल, ढाबों, रेस्तराँ, दुकानों आदि जैसे व्यायवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू नौकरों अथवा श्रमिकों के रूप में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने वाला। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की जा सके गी।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: **अनुच्छेद- 25** से 28 अनुच्छेद विषय-वस्तु **अनुच्छेद 25** सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience) का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- **अंतरात्मा की स्वतंत्रता:** किसी व्यक्ति की भगवान अथवा प्राणियों के साथ अपने संबंध को अपनी इच्छानुसार ढालने की आंतरिक स्वतंत्रता।
- **धर्म अपनाने का अधिकार:** किसी व्यक्ति द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास की खुले तौर पर तथा स्वतंत्र रूप से घोषणा करना।
- **आचरण का अधिकार:** धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोहों का प्रदर्शन और आस्था एवं विचारों को व्यक्त करने का अधिकार।
- **प्रचार का अधिकार:** किसी व्यक्ति द्वारा अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुँचाना और प्रसारित करना अथवा अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रदर्शन।
  - प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबरन धर्मांतरण सभी व्यक्तियों को समान रूप से दी गई अंत:करण की स्वतंत्रता' का उल्लंघन करता है।
- **अनुच्छेद 25** धार्मिक विश्वास (सिद्धांत) और धार्मिक प्रथाओं (अनुष्ठानों) को शामिल करता है।
- **अनुच्छेद 25 में दो स्पष्टीकरण भी सम्मिलित हैं:**
  - कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा;
  - **हिंदू:** इसमें सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं।
- **सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध:** यह अधिकार नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है।
- **अपवाद:** लोक व्यवस्था+नैतिकता+स्वास्थ्य+मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: अनुच्छेद विषय-वस्तु



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुच्छेद विषय-वस्तु

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अपवाद: लोक व्यवस्था+नैतिकता+स्वास्थ्य+मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुच्छेद विषय-वस्तु • अपवाद • शब्दों के अर्थ • बेगार • बलात श्रम (Forced labor | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2017, 1956, 2005, 2006

धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

- धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार।
- अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार।
- चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
- ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। **अनुच्छेद 25** व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं दूसरी ओर **अनुच्छेद 26** धार्मिक संप्रदायों अथवा उनके वर्गों के अधिकारों की गारंटी देता है, इस प्रकार धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- **प्रतिबंध:** **अनुच्छेद 26** लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अध्यधीन है ,लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अध्यधीन नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि धार्मिक संप्रदायों को तीन शर्तें पूरी करनी होंगी:
  - यह उन मान्यताओं (सिद्धांतों) का संग्रह होना चाहिए, जिन्हें वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के अनुकूल मानते हैं।
  - इसका एक साझा संगठन होना चाहिए।
  - इसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया जाना चाहिए।

• उच्चतम न्यायालय ने माना कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक संप्रदाय हैं, वहीं दूसरी ओर अरबिंदो सोसाइटी कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है।

अनुच्छेद 27

किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति: किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि अथवा पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

- प्रावधान राज्य को एक धर्म की तुलना में दूसरे धर्म पर पक्ष लेने, संरक्षण देने और समर्थन करने से रोकता है।
- करों का उपयोग सभी धर्मों की अभिवृद्धि अथवा पोषण में किया जा सकता है न कि किसी विशेष धर्म के लिए।
- यह प्रावधान केवल कर लगाने पर रोक लगाता है, शुल्क पर नहीं।
  - विनियमन व्यय को पूरा करने के लिए धार्मिक विन्यास (Religious Endowments) पर फीस लगाई जा सकती है। **अनुच्छेद 28** धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता राज्य निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है, किं तु जो किसी ऐसे विन्यास अथवा न्यास के अधीन स्थापित हुई है, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।
- राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उस संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा अथवा पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **अनुच्छेद-28** चार प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है:
  - ऐसे संस्थान, जिनका पूरी तरह रख-रखाव राज्य करता है। - धार्मिक शिक्षा का पूर्णत: प्रतिषेध है।
  - ऐसे संस्थान, जिनका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास अथवा न्यास के तहत हो- धार्मिक शिक्षा की अनुमति है।
  - राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान - स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है।
  - ऐसे संस्थान, जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों- स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार: **अनुच्छेद 29** से 30 अनुच्छेद विषय-वस्तु **अनुच्छेद 29** अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण किसी समूह के अधिकार: यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

एक व्यक्ति के रूप में एक नागरिक का अधिकार: राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 29 , धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण प्रदान करता है।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'नागरिकों का वर्ग' शब्द में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी सम्मिलित हैं।

भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है।

अनुच्छेद 30

शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार होगा।

किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि उन्हें दिए गए अधिकार को निर्बन्धित अथवा निराकृत (Restrict or abrogate) नहीं करेगी।

शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म अथवा भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक अथवा भाषाई) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है।

- संविधान में कहीं भी 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। **अनुच्छेद 30** के तहत प्रदत्त अधिकार में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है।

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान तीन प्रकार के होते हैं: (क) राज्य से मान्यता के साथ-साथ सहायता प्राप्त करते हैं - वे राज्य की विनियामक शक्ति के अध्यधीन होते हैं।

(ख) राज्य से केवल मान्यता प्राप्त करते हैं, सहायता नहीं - वे राज्य की विनियामक शक्ति के अध्यधीन होते हैं।

(ग) राज्य से न तो मान्यता प्राप्त करते हैं और न ही सहायता - वे अपने कार्यों का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन संविदा कानून, श्रम कानून आदि जैसे सामान्य कानूनों के प्रवर्तन के अध्यधीन होते हैं।

अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखना नहीं है। अल्पसंख्यकों के पक्ष में कोई उलटा भेदभाव (Reverse Discrimination) नहीं होना चाहिए।

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार पूर्ण (निरपेक्ष) नहीं है। न ही इसमें कुप्रबंधन का अधिकार शामिल है।

भारत में, यदि किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो वह निम्नलिखित का हकदार होता है: वह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है और वह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है (यूपीएससी 2011)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार: अनुच्छेद 32 इनमें एक पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय सम्मिलित हैं।

मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार है।

- **अनुच्छेद 32 के चार प्रावधान:**
  - उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार।
  - उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
  - संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभीप्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है।
  - उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा, जब तक कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि **अनुच्छेद 32** के तहत इसकी शक्ति संविधान की एक मूल विशेषता है।
- मूल अधिकारों का उल्लंघन **अनुच्छेद 32** द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के लिए अनिवार्य शर्त (Sine qua non) है।
- संवैधानिक रूप से, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है (**अनुच्छेद 359)।**
- **मूल अधिकारों का प्रवर्तन:** उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार मूल है,लेकिन अनन्य नहीं है (Original but not exclusive)। यह **अनुच्छेद 226** के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के समवर्ती है।
  - उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया जहाँ **अनुच्छेद 226** के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत उपलब्ध है, वहाँ पीड़ित पक्ष को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए।
- किसी कार्यकारी आदेश अथवा कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए **अनुच्छेद-32** का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह सीधे तौर पर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन न करता हो।
- **अंबेडकर:** "इस अनुच्छेद के बिना यह संविधान निरर्थक होगा।" यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है।" रिट: (विविध प्रकार और दायरा)
- न्याय का स्रोत (Fountain of justice) को अंग्रेजों के विशेषाधिकार रिट से लिया गया।
- संसद **अनुच्छेद 32** के तहत किसी अन्य न्यायालय को ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है।
- उच्चतम न्यायालय (**अनुच्छेद 32)** और उच्च न्यायालय (**अनुच्छेद 226)** निम्नलिखित रिट जारी कर सकते हैं:

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अनुच्छेद 30

1. **अनुच्छेद 30**
2. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार**
3. **अनुच्छेद 32 के चार प्रावधान**
4. **मूल अधिकारों का प्रवर्तन**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुच्छेद 30

मुख्य परीक्षा दृष्टि: उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) निम्नलिखित रिट जारी कर सकते हैं:

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुच्छेद 30 • संवैधानिक उपचारों का अधिकार • अनुच्छेद 32 के चार प्रावधान • मूल अधिकारों का प्रवर्तन • अंबेडकर | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2011

IUC विशेष स्मृति सूत्र #9: प्रमुख संसदीय समितियाँ एवं सदस्य संख्या

ट्रिक: 'प्राक्कलन समिति (Estimates) = 30 सदस्य (केवल लोकसभा से, सबसे बड़ी समिति); लोक लेखा समिति (PAC) व सार्वजनिक उपक्रम समिति (CoPU) = 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)'। मंत्री किसी भी वित्तीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

रिट के प्रकार संबंधित तथ्य — बंदी प्रत्यक्षीकरण

(Habeas Corpus)

अर्थ: "को प्रस्तुत किया जाए (To have the body of)"।

- न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया आदेश जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, कि उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
- मनमानी/अवैध हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है।
- निजी और सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के ख़िलाफ़ जारी की जा सकती है।
- **कब जारी नहीं की जा सकती:**हिरासत विधिसम्मत है; न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही; हिरासत न्यायालय के आदेश द्वारा होती है; हिरासत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हुई हो।

परमादेश

(Mandamus)

अर्थ: हम आदेश देते हैं (We command)" – कार्रवाई करने ने लिए आदेश।

- न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को आदेश जारी किया जाता है कि वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें जिन्हें करने में वह विफल रहे हैं अथवा जिन्हें करने से इनकार किया है।
- उक्त उद्देश्य के लिए किसी सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण अथवा सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है।
- **किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती:** निजी व्यक्ति अथवा निकाय के विरुद्ध; गैर–संवैधानिक विभाग द्वारा जारी विभागीय निर्देश को लागू करने में; जब कर्तव्य विवेकाधीन हो; संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए; राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, के विरुद्ध। *[यूपीएससी 2022]*

प्रतिषेध

(Prohibition)

अर्थ: रोकना (To forbid)" – कार्रवाई न करने के लिए आदेश।

- एक उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है।
- यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।
- **किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती:** प्रशासनिक प्राधिकारी; विधायी निकाय; निजी व्यक्ति और निकाय। *[यूपीएससी 2024]*

उत्प्रेषण (Certiorari)

अर्थ: प्रमाणित होना अथवा सूचित होना (To be certified' or 'to be informed)'।

- उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को या तो अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण में लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए अथवा मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
- यह रिट क्षेत्राधिकार की अधिकता अथवा क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर जारी की जाती है।
- प्रतिषेध केवल निवारक होता है, इसके विपरीत उत्प्रेषण, निवारक और उपचारात्मक दोनों है।
- प्रतिषेध रिट कार्यवाही को आगे जारी रखने से रोकने के लिए अंतिम आदेश पारित होने से पहले जारी की जाती है, वहीं दूसरी ओर अंतिम आदेश पारित होने के बाद उसे रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है।
- न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

- **वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय:** प्रशासनिक प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है - जब वह व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करता है।
- **किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है:** विधायी निकाय और निजी व्यक्ति अथवा निकाय। अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

अर्थ: किस प्राधिकार अथवा वारंट के द्वारा (By what authority or warrant)"।

- सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध कब्ज़ा किए जाने से रोकती है।
- केवल किसी व्यक्ति द्वारा मूल सार्वजनिक पद (Substantive public office)के ग्रहण के मामले में जारी की जाती है।
- **किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है:** लिपिक वर्गीय पद और निजी पद।
- किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसकी मांग की जा सकती है, जरूरी नहीं कि कोई पीड़ित व्यक्ति ही इसकी मांग करे। [यूपीएससी 2022]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के बीच तुलना उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय संकीर्ण क्षेत्राधिकार: केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में रिट जारी कर सकता है।

व्यापक क्षेत्राधिकार: न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि "किसी अन्य प्रयोजन" (साधारण कानूनी अधिकारों) के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

व्यापक राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार: उच्चतम न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है।

संकीर्ण राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालय अपने राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर अथवा बाहर स्थित किसी व्यक्ति अथवा सरकार अथवा प्राधिकारी के खिलाफ केवल तभी रिट जारी कर सकता है, जब कार्रवाई का कारण उसके राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर आता है।

अनिवार्य: **अनुच्छेद 32** के तहत उपचार अपने आप में एक मूल अधिकार है, उच्चतम न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है।

विवेकाधीन: **अनुच्छेद 226** के तहत उपचार विवेकाधीन है, उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

अनुच्छेद विषय-वस्तु — अनुच्छेद 33

- संसद निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ मूल अधिकारों को कानून द्वारा निर्बन्धित अथवा निराकृत (Restrict or abrogate) कर सकती है:
  - सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और उनके सदृश बलों के सदस्य।
  - बल, जिन्हें लोक-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है।
- जहाँ तक मूल अधिकार के प्रवर्तन का संबंध है, **अनुच्छेद 33** के तहत अधिनियमित संसदीय कानून कोर्ट मार्शल (सैन्य कानून के तहत स्थापित अधिकरणों) को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है।
- **अनुच्छेद 33** के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, राज्य विधान मंडलों को नहीं।
- ऐसे किसी भी कानून को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 'सशस्त्र बलों के सदस्य' शब्द में सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जैसे नाई, बढ़ई, मैके निक, रसोइया, चौकीदार, जूते बनाने वाले और दर्जी जो गैर-युद्धक (Non-combatants) हैं।

अनुच्छेद 34

जब भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, तो मूल अधिकार को निर्बन्धित किया जा सकता है।

- **उच्चतम न्यायालय का निर्णय:** मार्शल लॉ की घोषणा से वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निलंबित नहीं हो जाती है।
- यह संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए संरक्षण का अधिकार देता है। संसद द्वारा बनाये गये संरक्षण अधिनियम (The Act of Indemnity) को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **मार्शल लॉ की अवधारणा:** इसे ब्रिटिश सामान्य कानून (English common law) से ली गई है।
- संविधान में कहीं भी 'मार्शल लॉ' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

• संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट अथवा स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत करता हो, यह **अनुच्छेद 34** में निहित है।

मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ है 'सैन्य शासन'। इसका मुख्य अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें नागरिक प्रशासन सैन्य अधिकारियों द्वारा साधारण कानून के बाहर बनाए गए अपने नियमों और विनियमों के अनुसार चलाया जाता है। इस प्रकार इसका तात्पर्य सैन्य अधिकरणों द्वारा साधारण कानून और सरकार के निलंबन से है। यह सशस्त्र बलों पर लागू होने वाले सैन्य कानून से अलग है।

अनुच्छेद 35

यह प्रावधान करता है कि केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त नही हैं-

- यह सुनिश्चित करता है कि भारत में मूल अधिकारों और दंड के प्रकारों के संबंध में एकरूपता हो।
- संसद के पास निम्नलिखित के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी (और किसी राज्य के विधान मंडल के पास नहीं होगी):
  - **अनुच्छेद 16 :** किसी रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना।
  - **अनुच्छेद 32 :** उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार देना।
  - **अनुच्छेद 33 :** सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकार को निर्बन्धित अथवा निराकृत करना।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अनुच्छेद विषय-वस्तु

1. अनुच्छेद विषय-वस्तु
2. अनुच्छेद 33
3. अनुच्छेद 34
4. अनुच्छेद 35

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुच्छेद विषय-वस्तु

मुख्य परीक्षा दृष्टि: संसद के पास निम्नलिखित के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी (और किसी राज्य के विधान मंडल के पास नहीं होगी):

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुच्छेद विषय-वस्तु • अनुच्छेद 33 • अनुच्छेद 34 • अनुच्छेद 35 • व्यापक क्षेत्राधिकार

- **अनुच्छेद 34 :** मार्शल लॉ में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति की सुरक्षा देना।
- संसद के पास उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की शक्तियाँ होंगी (और किसी राज्य विधान मंडल के पास नहीं होंगी) जिन्हें मूल अधिकार के तहत अपराध घोषित किया गया है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - **अनुच्छेद 17 :** अस्पृश्यता
  - **अनुच्छेद 23 :** मानव तस्करी और बलात्श्रम।
- **अनुच्छेद 35** ऊपर निर्दिष्ट मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता का विस्तार करता है, हालाँकि उनमें से कुछ मामले राज्य विधान मंडलों (राज्य सूची) के क्षेत्र में आ सकते हैं।

मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच अंतर

मार्शल लॉ राष्ट्रीय आपातकाल (**अनुच्छेद 352)** यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है।

यह न केवल मूल अधिकारों को बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व और विधायी शक्तियों के वितरण को भी प्रभावित करता है और संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकता है।

यह सरकार और साधारण विधि न्यायालयों को निलंबित कर देता है।

यह सरकार और साधारण विधि न्यायालयों को यथावत बनाए रखता है।

यह किसी भी कारण से बिगड़ी कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया जाता है।

इसे केवल तीन आधारों पर लगाया जा सकता

है- युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह।

इसे देश के कुछ विशेष इलाकों में लगाया जाता है।

इसे या तो पूरे देश में अथवा उसके किसी भाग में लगाया जाता है।

संविधान में इसका कोई

विशेष प्रावधान नहीं है। यह अन्तर्निहित है।

संविधान में इसके विशिष्ट और विस्तृत प्रावधान हैं। यह स्पष्ट है।

- **अनुच्छेद- 31क :** यह **अनुच्छेद 14** और **अनुच्छेद 19** द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर पांच श्रेणी के कानूनों को चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है। ये हैं:
  - राज्य द्वारा संपदा और संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण;
  - राज्य द्वारा संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना;
  - निगमों का एकीकरण;
  - निगमों के निदेशकों अथवा शेयरधारकों के अधिकारों का शमन अथवा संशोधन;
  - खनन पट्टों का शमन अथवा संशोधन।
- **अनुच्छेद- 31ख :** नौवीं अनुसूची (1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गयी) में शामिल अधिनियमों और विनियमों को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है।
  - आई.आर. कोएल्हो मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2007): नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से कोई पूर्ण छूट नहीं हो सकती है। न्यायिक समीक्षा संविधान की एक 'मूल विशेषता' है। 24 अप्रैल, 1973(के शवानंद भारती के फैसले की तारीख) के बाद बनाए गए ऐसे कानून, यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हैं।

[यूपीएससी 2018]

- **अनुच्छेद-31ग : अनुच्छेद 39(ख)** अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट समाजवादी राज्य के नीति -निर्देशक तत्त्वों (Socialistic DPSP) को लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी कानून **अनुच्छेद 14** अथवा **अनुच्छेद 19** द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा।

मतदान करने का अधिकार (संवैधानिक अधिकार)

- यह भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 दोनों द्वारा प्रदान किया गया है।
- **अनुच्छेद 326 (भाग 18 :)**15 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मत देने के अधिकार की गारंटी देता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, मतदान करने का हकदार होगा।
- **61वाँ संविधान संशोधन 1989:** लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights, UDHR):

- 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यू.डी.एच.आर) के तहत 30 अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा की, जो सभी के लिए हैं।
- **यू.डी.एच.आर का अनुच्छेद 26 :** निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
- **यू.डी.एच.आर का अनुच्छेद 27 :** सांस्कृतिक भागीदारी और बौद्धिक कार्य के संरक्षण का अधिकार।
- यह उन सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों का वादा करता है, जो अभाव और भय मुक्त जीवन का आधार हैं। मूल अधिकारों, डीपीएसपी, मूल कर्तव्यों और उद्देशिका के सिद्धांतों में परिलक्षित होता है। *[यूपीएससी 2020]*
- प्रस्तावना न्याय, समानता और स्वतंत्रता यू.डी.एच.आर के **अनुच्छेद 3** को प्रतिबिंबित करती है: जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार।

[यूपीएससी 2020]

• डीपीएसपी यू.डी.एच.आर के **अनुच्छेद 22** के अनुरूप है, जो सामाजिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करता है।

• मौलिक कर्तव्य (**अनुच्छेद 51ए)** नागरिक दायित्व हैं, जिसमें 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। [यूपीएससी 2020]

• यू.डी.एच.आर की संरचना सदियों पहले नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा तैयार किए गएकानूनों के एक सेट सेप्रभावित थी,जिसे सामूहिक रूप सेनेपोलियन कोड के रूप में प्रचलित था।

• दूसरा प्रारूप फ्रांसीसी न्यायविद रेने कैसिन (René Cassin) द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने कनाडा के विधिक विद्वान जॉन पीटर्स हम्फ्री (John Peters Humphrey) द्वारा तैयार प्रारंभिक प्रारूप पर काम किया था।

भाग 3 के अतिरिक्त अधिकार

अनुच्छेद/ भाग विवरण **अनुच्छेद-265** /भाग 12 कानून के प्राधिकार के बिना किसी कर को उद्गृहीत अथवा संगृहीत नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-300 -क/भाग 12 कानून के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद- 301 /भाग 13 भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा।

अनुच्छेद- 326 / भाग 15 वयस्क मताधिकार (मतदान का अधिकार): संवैधानिक अधिकार। [यूपीएससी 2017]

मूल अधिकारों, नीति-निर्देशक तत्त्वों और मूल कर्तव्ययों के बीच तुलना मूल अधिकार राज्य के नीति- निर्देशक तत्त्व मौलिक कर्तव्य

• न्यायालय के विचार योग्य।

• राजनीतिक न्याय।

• कानूनी मान्यता।

• वैयक्तिक और व्यक्तिवादी।

• **स्वत:** लागू।

• यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।

• न्यायालय के विचार योग्य नहीं।

• आर्थिक एवं सामाजिक न्याय।

• कोई कानूनी मान्यता नहीं।

• सामाजिक और समाजवादी।

• **स्वत:** लागू नहीं।

• न्यायालय इन्हें असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं।

• न्यायालय के विचार योग्य नहीं।

• मात्र कर्तव्य हैं।

• मान्यता का कोई बल नहीं, मान्य बनाने के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है।

[यूपीएससी 2017]

• **स्वत:** लागू नहीं।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: भाग 3 के अतिरिक्त अधिकार

1. भाग 3 के अतिरिक्त अधिकार

2. स्वत

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भाग 3 के अतिरिक्त अधिकार

मुख्य परीक्षा दृष्टि: मान्यता का कोई बल नहीं, मान्य बनाने के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: भाग 3 के अतिरिक्त अधिकार • स्वत | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2020, 2017

• 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व' वाक्यांश उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफारिशें हैं।

• डॉ. भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व को भारतीय संविधान की 'अनोखी विशेषता (Novel Feature)' के रूप में वर्णित किया।

• इसमें मूल अधिकारों के साथ-साथ संविधान का दर्शन भी समाहित है और यह संविधान की आत्मा है।

• **स्रोत:** आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन' से मिलता जुलता है।

• राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व भारतीय राजनीति का लक्ष्य 'राजनीतिक लोकतंत्र' से अलग 'सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र' के रूप में निर्धारित करते हैं। *[यूपीएससी 2015]*

• **महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि:**

◦ **ग्रेनविले ऑस्टिन:** राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व + मूल अधिकार = संविधान की मूल आत्मा।

◦ **अनुच्छेद 37 :** ये सिद्धांत देश के शासन के मूल आधार हैं और कानून बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

[यूपीएससी 2013]

◦ **राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व के अपवाद:** राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों से संबंधित **अनुच्छेद 39** (ख) और (ग) को प्रभावी बनाने वाले कानूनोंको **अनुच्छेद14और** 19के उल्लंघनके आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

◦ **मिनर्वा मिल्स के स (1980):** मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता हैं।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों की विशेषताएँ

• राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं।

• ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफारिशें हैं। *[यूपीएससी 2020]*

• 'राज्य' शब्द में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी एवं कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण तथा देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण सम्मिलित हैं।

• **नैतिक दायित्व:** हालाँकि गैर-न्यायसंगत (कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं), इनका कार्यान्वयन राज्य अधिकारियों का नैतिक दायित्व होता है, लेकिन उनके पीछे असली शक्ति राजनीतिक है, अर्थात्जनता का मत।

[यूपीएससी 2020, 2015]

• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत विधायी और कार्यकारी कार्य पर सीमाएँ नहीं लगाते हैं1 *[यूपीएससी 2017]*

• सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र (जो प्रकृति में सकारात्मक है, मूल अधिकार के विपरीत जो प्रकृति में नकारात्मक है) को प्रतिष्ठापित करता है। *[यूपीएससी 2015]*

• ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक हैं। उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करके भाग 3 की रिक्ता को भरना है।

• सर बी.एन. राव (संवैधानिक सलाहकार) ने सिफारिश की किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए – न्यायालय में विचार योग्य और न्यायालय में गैर-विचार योग्य (Justiciable and non- justiciable), जिसे प्रारूप समिति (अध्यक्ष: अंबेडकर) ने स्वीकार कर लिया।

• राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व एक 'कल्याणकारी राज्य' का प्रतीक हैं न कि पुलिस राज्य का। *[यूपीएससी 2020, 2015]*

• राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को साकार करना है।

• **न्यायालय में विचार योग्य नहीं हैं:** उल्लंघन या गैर-कार्यान्वयन के मामले में इन्हें न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। *[यूपीएससी 2020, 2015]*

• राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जाँच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं।

• **उच्चतम न्यायालय:** राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व लागू करने के लिए किसी भी कानून को **अनुच्छेद 14** और 19 के अनुसार उचित होना चाहिए।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का वर्गीकरण संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन विषयवस्तु के आधार पर इन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक (Liberal-intellectual) में वर्गीकृत किया गया है।

समाजवादी

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है तथा कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। [यूपीएससी 2020, 2015]

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व

(भाग 4: अनुच्छेद 36 से 51)

- राज्य, सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्ध हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा।
- आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओंव अवसरों की असमानता को भी कम करेगा (44वें संविधान संशोधन,1978 द्वारा जोड़ा गया)। **अनुच्छेद 39** राज्य अपनी नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में निम्न निर्देशित करेगा:
- अपने नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण सर्वोत्तम हो।
- यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। [यूपीएससी 2021]
- पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।
- जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों, बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण।
- आर्थिक विवशता के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, जो उनकी आयु व शक्ति के अनुरूप न हो। बच्चों के स्वस्थ विकास और नैतिक व भौतिक विकास से बचपन तथा युवाओं की सुरक्षा का अवसर। (42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976) ।

अनुच्छेद 39क

समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना (42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976)।

उदाहरण: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987; धारा 12: समाज के विभिन्न वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करना।

अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा का अधिकार,बेरोजगारी, वृद्धावस्था तथा बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता का अधिकार।

अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा मातृत्व राहत का प्रावधान।

अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित करना।

अनुच्छेद 43क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना (42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976)।

अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा लोक-स्वास्थ्य में सुधार करना।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

धारा 12: नि:शुल्क विधिक सेवाएँ (**अनुच्छेद 39क)** : यह महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों (विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते समय अन्य पिछड़े वर्गों का उल्लेख नहीं करता है), औद्योगिक कामगारों, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार, दिव्ययांग व्यक्तियों, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, मानव तस्करी के पीड़ित व्यक्तियों या भिखारी, ट्रांसजेंडर के लिए आय सीमा सीमा 2,00,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों (सभी वरिष्ठ नागरिक नि:शुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्र नहीं हैं, यह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करता है, जो आय सीमा निर्धारित कर सकते हैं) के लिए उपलब्ध हैं।

गांधीवादी

गांधीवादी विचारधारा पर आधारित। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधीजी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अनुच्छेद-40

• ग्राम पंचायतों का गठन (जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना) और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना। *[यूपीएससी 2012]*

• **73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,1992:** पंचायतों को संवैधानिक मान्यता (भाग 9, अनुसूची 11)। **अनुच्छेद-43** z ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। *[यूपीएससी 2012]*

अनुच्छेद-43ख

• सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्ययावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना (97वाँ संशोधन, 2011)।

अनुच्छेद-46

• राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा।

अनुच्छेद-47 z औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाता है।

अनुच्छेद-48 z गायों व बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं भार-वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना।

उदार बौद्धिक

उदारवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करना।

अनुच्छेद-44

पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना।

• **शाहबानो के स (1985):** शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: अनुच्छेद 39क

1978	2021	1976	1987
अनुच्छेद 39क	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987	गांधीवादी	अनुच्छेद-40

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुच्छेद 39क

मुख्य परीक्षा दृष्टि: शाहबानो के स (1985): शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुच्छेद 39क • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 • गांधीवादी • अनुच्छेद-40 • अनुच्छेद-43ख | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1978, 2021, 1976, 1987, 2012

IUC विशेष स्मृति सूत्र #10: प्रमुख संविधान संशोधन (91वाँ से 106वाँ)

ट्रिक: '91वाँ (2003: मंत्रिपरिषद आकार 15% तक), 97वाँ (2011: सहकारी समितियाँ), 99वाँ (NJAC — रद्द), 100वाँ (भारत-बांग्लादेश भूमि), 101वाँ (GST), 102वाँ (NCBC), 103वाँ (EWS 10%), 104वाँ (SC/ST आरक्षण बढ़ाया व आंग्ल-भारतीय समाप्त), 105वाँ (राज्यों को OBC सूची अधिकार), 106वाँ (2023: नारी शक्ति वंदन — 33% महिला आरक्षण)'।

अनुच्छेद-45

• प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखरेख और राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा (86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002)। [यूपीएससी 2012]

• **नोट:** संविधान के निम्नलिखित प्रावधान शिक्षा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची पर प्रभाव डालते हैं। [यूपीएससी 2012]

अनुच्छेद-48 आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि तथा पशुपालन को व्यवस्थित करना।

अनुच्छेद-48क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा (42वाँ संशोधन 1976)।

अनुच्छेद-49 कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि वाले स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करें जिन्हें राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया गया है।

अनुच्छेद-50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। [यूपीएससी 2020]

अनुच्छेद-51

अन्तरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अन्तरराष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान करना तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना। [यूपीएससी 2014/2015]

नये निर्देशक तत्त्व — संशोधन विवरण

1976 का 42वाँ संशोधन अधिनियम

• **अनुच्छेद 39(च)** , **अनुच्छेद 39क** , **अनुच्छेद 43क** और **अनुच्छेद 48क** जोडे गये। [यूपीएससी 2017]

• 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) ने पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया - शिक्षा, वन, तौल और माप, वन्य जीवों तथा पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन।

1978 का 44वाँ संशोधन अधिनियम

• **अनुच्छेद 38(** 2) जोड़ा गया- आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना,प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को भी कम करना।

2002 का 86वाँ संशोधन अधिनियम

• **अनुच्छेद 45 जोड़ा गया:** इस संशोधन ने **अनुच्छेद 45** की विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को **अनुच्छेद 21क** के तहत मूल अधिकार बना दिया गया।

2011 का 97वाँ संशोधन अधिनियम z **अनुच्छेद 43ख** जोड़ा गया: सहकारी समितियों के गठन, क्रियान्वयन और प्रबंधन को बढ़ावा देना।

भाग 4 के बाहर के निर्देश

अनुच्छेद 335 भाग 16 सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे।

अनुच्छेद 350ए भाग 17 मातृभाषा में शिक्षा।

अनुच्छेद 351 भाग 17 हिंदी भाषा का विकास।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का महत्त्व/सार्थकता

• मूल अधिकारों के पूरक हैं, घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता तथा निरंतरता प्रदान करते हैं।

• मूल अधिकारों के पूर्ण और उचित उपभोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं।

• विपक्ष को सरकार के संचालन पर प्रभाव और नियंत्रण रखने में मदद करते हैं।

• सरकार के कार्य-निष्पादन के लिए एक महत्त्वपूर्ण कसौटी के साथ-साथ एक साझा राजनीतिक घोषणापत्र के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व के बीच अंतर पहलू मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद: मौलिक कर्त्तव्य राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत परिभाषा व्यक्तियों को गारंटीकृत अधिकार। नागरिकों के उत्तरदायित्व राज्य शासन के लिए दिशा-निर्देश।

अनुच्छेद **अनुच्छेद 12** -35 **अनुच्छेद 51** (ए) **अनुच्छेद 36** -51 प्रकृति न्यायसंगत; न्यायालय में लागू करने योग्य। न्यायसंगत नहीं; न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता।

गैर-न्यायसंगत; राज्य नीति का मार्गदर्शन करना।

उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। नागरिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।

प्रवर्तन स्वतः लागू; न्यायालय कानूनों को अमान्य कर सकते हैं (**अनुच्छेद 32** , 226)।

स्वैच्छिक अनुपालन के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है।

कानून की आवश्यकता है; स्वचालित रूप से लागू

नहीं किया जाता। (यूपीएससी 2015) प्रतिबंध कानूनी प्रतिबंध; व्यक्तिगत कल्याण पर ध्यान।

कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं; केवल कर्तव्य। नैतिक प्रतिबंध; सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें।

संशोधन संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल

संरचना में नहीं (**अनुच्छेद 368)**।

संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सामाजिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार लिया गया। सोवियत संविधान आयरिश संविधान।

राज्य की भूमिका राज्य की कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है। कुछ भी नहीं राज्य कार्रवाई का निर्देश देता है।

न्यायिक समीक्षा

FRs का उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं। न्यायालय कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते।

नोट: अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं। (यूपीएससी 2017) मूल अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों के बीच टकराव वाद उच्चतम न्यायालय की राय चंपकम दोरायराजन के स 1951

• यदि मूल अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व के बीच कोई टकराव होता है,तो मूल अधिकार अभिभावी (Prevail) होगा।

• संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ के स 1967

• संसद किसी भी मूल अधिकार को नहीं छीन सकती क्योंकि वे अनुल्लंघनीय (Sacrosanct) हैं।

• राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 24वाँ संशोधन 1971

• संसद के पास संविधान संशोधन अधिनियमित करके किसी भी मूल अधिकार को वापस लेने की शक्ति है।

• **अनुच्छेद 31ग** जोड़ा गया – **अनुच्छेद 39(ख)** और **अनुच्छेद 39(ग)** के कार्यान्वयन के लिए यदि कोई कानून **अनुच्छेद 14** तथा **अनुच्छेद 19** का उल्लंघन करता है,तो वह शून्य नहीं होगा।

• ऐसे कानूनों पर न्यायालयों में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। के शवानंद भारती के स 1973

• **अनुच्छेद 31ग** के दूसरे प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया गया।

• न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का भाग है। 42वाँ संशोधन 1976

• किसी भी नीति-निर्देशक तत्त्व के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया कोई भी कानून यदि **अनुच्छेद 14** और **अनुच्छेद 19** का उल्लंघन करता है,तो वह शून्य नहीं होगा।

• राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व को **अनुच्छेद 14** और **अनुच्छेद 19** पर प्रधानता प्रदान की गई। मिनर्वा मिल्स के स 1980

• 42वें संशोधन के तहत मूल अधिकार पर राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व की प्रधानता को अवैध घोषित किया गया।

• **उच्चतम न्यायालय:** भारत का संविधान मूल अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित किया गया है।

वर्तमान स्थिति

• मूल अधिकारों को निर्देशक तत्त्वों पर सर्वोच्चता प्राप्त है।

• हालाँकि संसद निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुँचाते या नष्ट नहीं करता है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: संशोधन संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल

1. न्यायिक	**2. समीक्षा**
3. वर्तमान स्थिति	**4. अनुच्छेद 31ग जोड़ा गया**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — संशोधन संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल

मुख्य परीक्षा दृष्टि: हालाँकि संसद निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुँचाते या नष्ट नहीं करता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: न्यायिक • समीक्षा • वर्तमान स्थिति • अनुच्छेद 31ग जोड़ा गया • उच्चतम न्यायालय | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2017, 1951, 1967, 1971, 1973

मूल कर्तव्य जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करते हैं, व्यक्तियों से राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने, संप्रभुता को बनाए रखने और राष्ट्रीय कल्याण में योगदान करने का आग्रह/प्रेरित करते हैं। भारत के मूल संविधान में केवल मूल अधिकार सम्मिलित थे, मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे।

मूल कर्तव्ययों की विशेषताएं

• **स्वर्ण सिंह समिति:** 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा पहली बार मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई; आंतरिक आपातकाल (1975-77) के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई। समिति ने आठ मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की थी।

• **42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976:** इसके द्वारा संविधान में भाग IV-क, **अनुच्छेद 51क** जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के दस मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं, जो सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित है। अधिकार कर्तव्यों से सहसंबद्ध हैं [यूपीएससी 2017]।

• **कुल कर्तव्य:** मूलत: 10 मूल कर्तव्य थे, 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है।

• **महत्त्व:** जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करते हैं तथा राष्ट्रीय कल्याण और अखंडता में योगदान देते हैं।

• **कानूनी निहितार्थ:** न्यायालयों को कानूनों की संवैधानिक वैधता का आकलन करने में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्यों को बढ़ावा देने वाले कानूनों को **अनुच्छेद 14** और 19 के तहत "उचित" माना जा सकता है।

• **लागू होना:** केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।

• न्यायालय में विचार योग्य नहीं (Non-justiciable)। यद्यपि, संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से इन्हें लागू कर सकती है। [यूपीएससी 2017]

• **अपवर्जन:** करों का भुगतान करने का कर्तव्य और वोट देने का कर्तव्य मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं हैं।

• **अंतरराष्ट्रीय तुलना:** जापान के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की एक विशिष्ट सूची शामिल है।

• **नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी वर्मा समिति (1999):**
  ◦ कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की मौजूदगी की पहचान की गई। उदाहरण: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972।
  ◦ स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रति दृष्टिकोण को पुन: उन्मुख करने तथा उच्च एवं व्यायावसायिक शिक्षा में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई।

मूल कर्तव्ययों की सूची

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा:

• **आदर करना (Respect):** संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे (**अनुच्छेद 51क** [i])।

उदाहरण: राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (यूपीएससी 2011)।

• **संजोए रखना (Cherish):** स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे (**अनुच्छेद 51क** [ii])। उदाहरण: संविधान (73वाँ और 74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992।

• **अक्षुण्ण रखना (Uphold):** भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। (**अनुच्छेद 51क** [ii])। उदाहरण: गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूपीएससी 2015)।

• **रक्षा करना (Defend):** देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। (**अनुच्छेद 51क(iv))।** उदाहरण: राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)।

• **प्रोत्साहित करना (Promote):** भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। (**अनुच्छेद 51क(v))।** उदाहरण: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961।

• **परिरक्षण करना (Preserve):** हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे (**अनुच्छेद 51क(vi))।**

उदाहरण: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (यूपीएससी 2012) ।

• **संरक्षण करना (Protect):** प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे (**अनुच्छेद 51क(vii))।** उदाहरण: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980।

• **वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना:** वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे (**अनुच्छेद 51क(viii))।**

उदाहरण: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005. (यूपीएससी 20121/2012)। मूल कर्तव्य (भाग 4 क- **अनुच्छेद 51** क)

• सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना (Safeguard Public Property): सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे (**अनुच्छेद 51क(ix))।**

उदाहरण: राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)। (यूपीएससी 2011)

• **उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना (Strive for Excellence):** व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊं चाइयों को छू ले (**अनुच्छेद 51क(x))।** उदाहरण: मनरेगा, 2005 (यूपीएससी 2012)।

• **अवसर प्रदान करना (Provide Opportunities):** यदि माता-पिता या संरक्षक, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे (जैसा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया है) (**अनुच्छेद 51क(xi))।**

उदाहरण: किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015; बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986।

मूल कर्तव्ययों से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामले

• **मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980):** 42वें संशोधन को बरकरार रखा गया लेकिन कहा गया कि मूल कर्तव्य न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।

• **उच्चतम न्यायालय (1992):** किसी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते समय, यदि विचाराधीन कानून मूल कर्तव्यों को प्रभावी करने का प्रयास करता है, तो वह ऐसे कानून को **अनुच्छेद 14** या **अनुच्छेद 19** के संबंध में "उचित" मान सकता है और इस प्रकार ऐसे कानून को असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है।

• **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2000):** स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण पर एक घंटे का व्याख्यान अनिवार्य किया गया; इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया।

• **रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव (2012):** वाक्स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है; संविधान का सम्मान करने वाले कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया।2

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 62

1. उच्चतम न्यायालय

2. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 62

मुख्य परीक्षा दृष्टि: रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव (2012): वाक्स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है; संविधान का सम्मान करने वाले कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया।2

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: उच्चतम न्यायालय • एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2011, 2005, 2012, 2002, 2015

के द्र-राज्य संबंध: भारत का संविधान, संरचना में संघीय होने के कारण सभी शक्तियों (विधायी, कार्यकारी और वित्तीय) को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करता है।

यद्यपि, न्यायिक शक्ति का कोई विभाजन नहीं करता है। संविधान एक एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान करता है जो केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों दोनों को लागू करती है।

विधायी संबंध (भाग 11: अनुच्छेद- 245 से 255) के द्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार

• संसद और राज्य विधानमंडल क्रमशः भारत और राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं।

• अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान (Extraterritorial legislation): (विश्व के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू) केवल संसद द्वारा बनाया जा सकता है।

• **संसद के क्षेत्रीय न्यायक्षेत्र पर संवैधानिक प्रतिबंध:**

◦ राष्ट्रपति चार संघ राज्यक्षेत्रों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन व दीव, और लद्दाख में शांति, प्रगति तथा सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं। इनका संसद के अधिनियम के समान ही शक्ति और प्रभाव होता है। ये विनियम इन संघशासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकते हैं।

◦ राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या विनिर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा।

◦ असम के राज्यपाल इसी तरह निर्देश दे सकते हैं कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के जनजातीय क्षेत्र (स्वायत्त जिला) पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में भी इसी प्रकार की समान शक्ति प्राप्त है।

विधायी विषयों का बँटवारा

1935 के भारत शासन अधिनियम में विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय प्रावधान था, अर्थात संघीय, प्रांतीय और समवर्ती।

• **संघ/केंद्र सूची:** 97 विषय (वर्तमान में 98)। संसद के पास कानून बनाने की अनन्य शक्तियाँ हैं।

• **राज्य सूची:** 66 विषय (वर्तमान में59)। राज्य विधानमंडल के पास "सामान्य परिस्थितियों में" कानून बनाने की अनन्य शक्तियाँ हैं।

• **समवर्ती सूची:** 47 विषय (वर्तमान में 52)। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बना सकते हैं।

• अवशिष्ट विषयों (अर्थात वे विषय जो तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। कानून बनाने की इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट कर (Residuary taxes) लगाने की शक्ति भी शामिल है।

विशेष प्रावधान:

• केंद्र के पास भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह मामला राज्य सूची में शामिल हो। यह प्रावधान केंद्रशासित प्रदेशों और किसी भी अधिगृहीत क्षेत्र पर लागू होता है।

• **101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016:** संसद/राज्य विधानमंडल के पास संघ/राज्य द्वारा लगाए गए वस्तु और सेवा कर (Goods and services tax) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। यदि वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है, वहाँ संसद के पास वस्तु और सेवा कर से संबंधित कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

• कौन से कानून प्रभावी (Prevail) होंगे?

◦ संघ सूची > समवर्ती सूची > राज्य सूची।

भारत में संघीय गतिशीलता: के द्र-राज्य और अंतरराज्यीय संबंध

◦ आम तौर पर, केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होता है, लेकिन एक अपवाद है। यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया है और उनकी सहमति मिल गई है, तो उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी होता है।

राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना

• **जब राज्य सभा कोई संकल्प पारित करती है:**

◦ जो राष्ट्रहित में आवश्यक हो।

◦ उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। *[यूपीएससी 2016]*

• संकल्प एक वर्ष तक लागू रहता है। इसे कितनी भी बार नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं।

• संकल्प प्रवर्तित न रहने के छह महीने की समाप्ति पर कानूनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

• **राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान:**

◦ संसद को जीएसटी/राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपातकाल समाप्त होने के छह महीने की समाप्ति पर कानून अप्रभावी हो जाते हैं।

◦ एक ही मामले पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन, राज्य और संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले में, संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होता है।

• **जब राज्य अनुरोध करता है:**

◦ दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं तो यह कानून केवल उन राज्यों पर लागू होता है, जिन्होंने संकल्प पारित किया है। कोई अन्य राज्य बाद में इस आशय का संकल्प पारित करके इसे अपना सकता है।

◦ उक्त कानून का संशोधन या निरसन (Repeal) केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य विधायिका के पास उस विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है।

• **अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए:** *[यूपीएससी 2013]*

◦ अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का अधिकार देता है। उदाहरण: जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम।

• **राष्ट्रपति शासन के दौरान:**

◦ संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है। इसे राज्य विधायिका द्वारा निरस्त या परिवर्तित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है।

राज्य विधान पर के द्र का नियंत्रण

• राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति को उन पर पूर्ण वीटो का अधिकार प्राप्त है (**अनुच्छेद- 200** और 201)।

• राज्य सूची के कतिपय मामलों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में पेश किए जा सकते हैं उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक (**अनुच्छेद- 304)।**

• वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना।

• राज्यपाल कतिपय मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्ययादेश प्रख्यापित नहीं कर सकते (**अनुच्छेद- 213)।**

प्रशासनिक संबंध

(भाग- 11: अनुच्छेद- 256 से 263) कार्यकारी शक्तियों का बँटवारा कुछ मामलों को छोड़कर, केंद्र और राज्य दोनों की कार्यकारी शक्तियाँ क्रमशः उनके विधान निर्माण शक्तियों के साथ सह-अस्तित्व में हैं। यद्यपि, समवर्ती सूची के कानूनों को राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब कोई संवैधानिक प्रावधान या संसदीय कानून इसे खास तौर पर केंद्र को प्रदान करता है।

राज्यों और के द्र की बाध्यता

- **अनुच्छेद-256 :** संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और भारत सरकार इसके लिए निर्देश भी दे सकती है।
- **राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर दो प्रतिबंध:**
  - संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
  - केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना।
- **अनुच्छेद-365 :** कहता है कि जहाँ कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने (या उसे लागू करने) में विफल रहा है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

राज्यों को के द्र के निर्देश (**अनुच्छेद- 257)**

- केंद्र को निम्नलिखित के संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है:
  - राज्य द्वारा संचार के साधनों (राष्ट्रीय या सैन्य महत्त्व का घोषित) का निर्माण और रखरखाव;
  - राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा;
  - राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ; और

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: प्रशासनिक संबंध

1. प्रशासनिक संबंध	**2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान**
3. जब राज्य अनुरोध करता है	**4. राष्ट्रपति शासन के दौरान**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — प्रशासनिक संबंध

मुख्य परीक्षा दृष्टि: केंद्र को निम्नलिखित के संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है:

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: प्रशासनिक संबंध • राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान • जब राज्य अनुरोध करता है • राष्ट्रपति शासन के दौरान • भाग | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2016, 2013

IUC विशेष स्मृति सूत्र #11: भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ

ट्रिक: 'TEARS OF OLD PM' — T (1: संघ व राज्य क्षेत्र), E (2: वेतन/भत्ते), A (3: शपथ), R (4: राज्यसभा सीटें), S (5: अनुसूचित क्षेत्र), O (6: असम-मेघालय-त्रिपुरा-मिजोरम), F (7: संघ-राज्य-समवर्ती सूची), O (8: 22 भाषाएँ), L (9: भूमि सुधार - 1st संशोधन), D (10: दलबदल - 52वाँ संशोधन), P (11: पंचायत - 73वाँ संशोधन, 29 विषय), M (12: नगरपालिका - 74वाँ संशोधन, 18 विषय)।

भारत में संघीय गतिशीलता: केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय 65

- राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन।
- इन मामलों में भी **अनुच्छेद- 365** (ऊपर उल्लिखित) के तहत केंद्र के निर्देश राज्यों पर लागू होते हैं।

विधायी शक्तियाँ — केंद्र X राज्य — कार्यकारी शक्ति सौंपना

सहमति से सहमति से बिना सहमति से अध्यक्ष राज्यपाल संसद राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार कार्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन

• राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, संघ के कार्यकारी कार्यों को राज्य को सौंप सकते हैं।

• इसी प्रकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार की सहमति से, राज्य के कार्यकारी कार्यों को संघ को सौंप सकता है। यह प्रत्यायोजन सशर्त या बिना शर्त हो सकता है।

• इसके अतिरिक्त, संविधान राज्य की सहमति के बिना संघ के कार्यकारी कार्यों को राज्य को सौंपने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसा प्रतिनिधिमंडल संसद द्वारा अधिकृत होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। यद्यपि, कोई राज्य इस तरह से अपनी कार्यकारी शक्तियाँ नहीं सौंप सकता है।

के द्र और राज्य के बीच सहयोग संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम की अंतरराज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए एक समुचित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। अभी तक ऐसे किसी प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है।

अनुच्छेद 261 (1)- भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी।

किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध संसद अंतररज्यिक नदी **अनुच्छेद-262** अखिल भारतीय सेवाएँ (**अनुच्छेद- 312)**

• **अनुच्छेद- 312 :** संविधान संसद को राज्यसभा के संकल्प के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देता है।

• अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप सेनियंत्रित किया जाता है। अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, वहीं दूसरी ओर तत्काल नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है।

नौकरशाही, स्थायी कार्यपालिका, सरकारी निर्णयों को कार्यान्वित करती है और राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन के बावजूद नीतियों में निरंतरता सुनिश्चित करती है। इसका चयन योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और यह निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि संसदीय लोकतंत्र का विस्तार करने पर। *[यूपीएससी 2020]*

लोक सेवा आयोग

• **राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य:** राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, केवल राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं।

• **संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग:** संसद संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

• संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

• संघ लोक सेवा आयोग किसी भी ऐसी सेवा, जिसके लिए विशेष अर्हता वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है, के लिए संयुक्त भर्ती हेतु योजनाएँ तैयार करने और उनके कार्यान्वयन/ संचालन में राज्यों की सहायता करती है (जब दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाए)।

एकीकृत न्याय प्रणाली

• न्याय प्रशासन की कोई द्वैध प्रणाली नहीं है। शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन राज्य उच्च न्यायालयों के साथ एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है।

• संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। उदाहरण: महाराष्ट्र और गोवा या पंजाब तथा हरियाणा।

आपातकाल के दौरान संबंध

• **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद- 352) :** केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार होता है।

• **राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद- 356) :** राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लेता है।

• **वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद- 360) :** केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है और राज्य में सेवारत व्यक्तियों के वेतन में कटौती सहित अन्य आवश्यक निर्देश दे सकता है।

अन्य प्रावधान

• **अनुच्छेद- 355 :** बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना; यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।

- **राज्यपाल:** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है; केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
- **राज्य निर्वाचन आयुक्त:** राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है; राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- **संविधानेतर संस्थाएँ:** नीति आयोग + राष्ट्रीय एकता परिषद + प्रादेशिक परिषदें (Zonal Councils) + उत्तर-पूर्वी परिषद।

वित्तीय संबंध (भाग- 12: अनुच्छेद- 264 से 293)

- **अनुच्छेद 264 :** वित्तीय संबंधों की व्याख्या।
- **अनुच्छेद- 265 :** कानून के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा।
- **अनुच्छेद 266 :** भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते।
- **अनुच्छेद 267 :** आकस्मिकता निधि। कराधान शक्तियों का आवंटन
- संसद/राज्य विधानमंडल के पास संघ/राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है।
- अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। इस प्रावधान के तहत संसद ने उपहार कर, संपत्ति कर और व्यय कर लगाया है।
- समवर्ती सूची में कोई भी कर प्रविष्टियाँ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, कर संबंधी कानून के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार लागू नहीं है।
  - वर्ष 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने जीएसटी के संबंध में एक विशेष प्रावधान करके एक अपवाद बनाया है। इस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी को नियंत्रित करने तथा इस विषय पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान की है।
- संविधान राज्यों की कर लगाने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंधों के साथ-साथ कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति तथा लगाए और एकत्र किए गए कर की आय को विनियोजित करने की शक्ति के बीच अंतर भी निर्धारित करता है।

गैर-कर राजस्व का बँटवारा

- **केंद्र के गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोत:** (i) डाक एवं तार; (ii) रेलवे; (iii) बैंकिंग; (iv) प्रसारण (v) सिक्के एवं मुद्रा; (vi) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम; (vii) राजगामी या व्यपगत या स्वमीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति और (viii) अन्य।
- **राज्यों के गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोत:** (i) सिंचाई; (ii) वन; (iii) मत्स्य पालन; (iv) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम; (v) राजगामी या व्यपगत या स्वमीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति और (vi) अन्य राज्यों को सहायता अनुदान सांविधिक अनुदान विवेकाधीन अनुदान **अनुच्छेद- 275** : संसद को उन राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, न कि प्रत्येक राज्य को।

यह राशि प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होती है।

अनुच्छेद- 282 : केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी लोक प्रयोजन के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो।

संविधान किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या किसी राज्य (असम राज्य सहित) में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुदान भी प्रदान करता है।

इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के रूप में भी जाना जाता है, इसका कारण यह है कि केंद्र इन अनुदानों को देने के लिए बाध्य नहीं है और यह पूर्णत: उसके स्विवेक पर निर्भर करता है।

अनुच्छेद- 275 के तहत राज्यों को सांविधिक अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।

ये अनुदान योजनागत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य को वित्तीय रूप से मदद करने तथा राष्ट्रीय योजना को प्रभावी बनाने के लिए राज्य की कार्रवाई को प्रभावित करने और समन्वय में केंद्र को कुछ विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए हैं।

अन्य अनुदान

- संविधान ने एक तीसरे प्रकार के सहायता अनुदान का भी प्रावधान किया है, लेकिन अस्थायी अवधि के लिए। असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट तथा जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान का प्रावधान किया गया था।
- ये अनुदान संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाने थे।
- ये राशियाँ भारत की संचित निधि पर भारित की गईंथीं और वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर राज्यों को प्रदान की गईंथीं। राज्यों के हितों का संरक्षण

• निम्नलिखित विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किये जा सकते हैं (**अनुच्छेद- 274)** :

• ऐसा विधेयक जो किसी ऐसे कर या शुल्क को अध्ययारोपित करता है या बदलता है जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो;

• ऐसा विधेयक जो "कृषि आय" शब्द का अर्थ बदलता है;

• ऐसा विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है, जिनके आधार पर राज्यों को धन वितरित किया जाता है या किया जा सकता है।

• ऐसा विधेयक जो केंद्र के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता है।

• **"कर या शुल्क जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो":**

• कर या शुल्क जिसकी निवल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता है; या

• कर या शुल्क, जहाँ निवल प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल यह राशि भारत की संचित निधि से किसी राज्य को देय होती है।

• **'निवल प्राप्ति' (अनुच्छेद- 279) :** कर या शुल्क की प्राप्तियाँ - संग्रहण की लागत।

• यह सीएजी द्वारा सुनिश्चित एवं प्रमाणित की जाती है। उसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: गैर-कर राजस्व का बँटवारा

1. गैर-कर राजस्व का बँटवारा	**2. अन्य अनुदान**
3. वित्तीय संबंध (भाग	**4. अनुच्छेद**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — गैर-कर राजस्व का बँटवारा

मुख्य परीक्षा दृष्टि: यह सीएजी द्वारा सुनिश्चित एवं प्रमाणित की जाती है। उसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: गैर-कर राजस्व का बँटवारा • अन्य अनुदान • वित्तीय संबंध (भाग • अनुच्छेद • 'निवल प्राप्ति' (अनुच्छेद | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2016

भारत में संघीय गतिशीलता: केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय 67

• **वित्त आयोग:**

• **अनुच्छेद 280** के तहत केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण के लिए संवैधानिक निकाय।

• राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है।

• **15वाँ वित्त आयोग:** 2021-22 से 2025-26 तक।

• मुख्य अनुशंसाएँ

  ◦ **ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण:** 41% पर बनाए रखा गया।

  ◦ **क्षैतिज हस्तांतरण:** आय (45%), जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (12.5%), जनसंख्या, क्षेत्र (प्रत्येक 15%), वन (10%), और राजकोषीय प्रयास (2.5%) पर आधारित सूत्र।

  ◦ **राजस्व घाटा अनुदान:** अपूर्ण राजकोषीय आवश्यकताओं वाले राज्यों के लिए।

  ◦ **प्रोत्साहन/अनुदान:** सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शासन और बिजली के लिए प्रदर्शन-आधारित।

  ◦ **स्थानीय सरकार अनुदान:** नगरपालिका सेवाओं, नए शहरों और स्वास्थ्य के लिए। केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण लिया जाना केंद्र (**अनुच्छेद- 292)** राज्य (**अनुच्छेद- 293)**

• संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर भारत की संचित निधि (भारत में + भारत से बाहर) की गारंटी पर ऋण ले सकता है।

• किसी भी राज्य को ऋण दे सकता है या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी दे सकता है।

• राज्य, केंद्र की अनुमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता (यदि केंद्र द्वारा दिया गया कोई ऋण बकाया है)

• संसद द्वारा नियत सीमा के भीतर राज्य की संचित निधि (भारत के भीतर, भारत से बाहर नहीं) की गारंटी पर ऋण ले सकता है। संघ की परिसंपत्तियों को राज्य के कराधान से छूट (**अनुच्छेद- 285)**

• केंद्र की परिसंपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी भी निकाय जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों आदि द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्रदान की गई है। लेकिन संसद इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है।

• उस परिसंपत्ति का उपयोग संप्रभु (जैसे सशस्त्र बल) या व्यायवसायिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

• केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निगम या कंपनियाँ राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से मुक्त नहीं हैं (क्योंकि वे पृथक विधिक निकाय हैं)। राज्य की परिसंपत्तियों को केंद्रीय कराधान से छूट (**अनुच्छेद- 289)**

• किसी राज्य की परिसंपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान की गई है। ऐसी आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से प्राप्त की जा सकती है।

• लेकिन केंद्र सरकार किसी राज्य के वाणिज्यिक संचालनों पर कर लगा सकती है, बशर्ते कि संसद ऐसा प्रावधान करे।

• किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्राप्त नहीं है।

• इसी तरह, किसी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की परिसंपत्ति या आय पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है।

• केंद्र सरकार किसी राज्य द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा सकती है, या किसी राज्य द्वारा उत्पादित या विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है - उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय,1963।

आपातकाल के प्रभाव

राष्ट्रीय आपातकाल (**अनुच्छेद- 352)** वित्तीय आपातकाल (**अनुच्छेद- 360)**

• राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण संबंधी संवैधानिक प्रावधान को परिवर्तित कर सकता है।

• केंद्र से राज्यों को वित्त अंतरण (कर साझाकरण और सहायता अनुदान दोनों) को कम कर सकता है या रोक सकता है।

• ऐसे परिवर्तन, जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं।

• **केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है:**

• वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए।

• राज्य में सेवारत सभी वर्गों के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए; और

• सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए।

कर राजस्व का वितरण — उद्ग्रहण संग्रहण विनियोजन विभिन्न कर

268 केंद्र राज्य राज्य z शेयर, चेक, वचन पत्र, बीमा आदि पर स्टांप शुल्क।

269 केंद्र केंद्र राज्य z अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर कर। राजस्व भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है।

270 केंद्र केंद्र केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाते हैं

• **अनुच्छेद- 268** , 269 और 269-क में निर्दिष्ट शुल्कों और करों को छोड़कर संघ सूची में सम्मिलित सभीकर तथा शुल्क; **अनुच्छेद- 271** में उल्लिखित करों एवं शुल्कों पर अधिभार

271 केंद्र केंद्र केंद्र z **अनुच्छेद- 269** , 270 के अंतर्गत करों पर अधिभार।

• वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को इस अधिभार से छूट दी गई है। यह अधिभार जीएसटी पर नहीं लगाया जा सकता।

अन्य

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण (Levy and Collection) (**अनुच्छेद 269** -क)।

राज्यों द्वारा उद्गृहीत, संगृहीत और अपने पास रखे गए कर: ये अनन्य रूप से राज्यों से संबंधित कर हैं जैसे: भूमि राजस्व, खनिज अधिकारों पर कर, आदि।

नोट: टूथपेस्ट खरीदते समय आप जो बिक्री कर अदा करते हैं, वह राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाने वाला कर है। (यूपीएससी 2014) प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत

• **अनुच्छेद 245** के अनुसार कानून प्रादेशिक सीमाओं के भीतर लागू होते हैं।

• **उदाहरण:** बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह: अपर्याप्त प्रादेशिक संबंध के कारण कर कानून अमान्य।

अंतर-राज्यीय संबंध — महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

• **अनुच्छेद- 261 :** सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयाँ

• **अनुच्छेद- 262 :** अंतर-राज्यीय जल विवाद

• **अनुच्छेद- 263 :** अंतर-राज्यीय परिषदें

• **अनुच्छेद- 301 से 307:** अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य

• **क्षेत्रीय परिषदें:** अंतर-राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयाँ (**अनुच्छेद- 261)**

• भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाहियों को “पूरा विश्वास एवं पूरी मान्यता" दी जाएगी।

• ‘सार्वजनिक कार्यों’ शब्द में सरकार के विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य सम्मिलित हैं तथा 'सार्वजनिक अभिलेख’ में कोई भी ऐसी आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख शामिल हैं जो एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बनाए गए हैं।

• संसद विधि द्वारा उस रीति और शर्तों को निर्धारित करेगी जिसके तहत ऐसे कार्यों, अभिलेखों तथा कार्रवाहियों को साबित किया जाना है एवं उनका प्रभाव निर्धारित किया जाना है।

• भारत के किसी भी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों और आदेशों को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर कहीं भी निष्पादित किया जा सके गा। यह नियम सिविल निर्णयों पर लागू होता है, आपराधिक निर्णयों पर नहीं।

अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद- 262) :

• **प्रविष्टि 17 (राज्य सूची):** राज्य जल संबंधी मामलों (आपूर्ति, सिंचाई, आदि) पर कानून बनाते हैं।

• **प्रविष्टि 56 (संघ सूची):** केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार अंतर-राज्यीय नदियों को नियंत्रित करती है।

के द्र-राज्य संबंधों पर समितियाँ केंद्र द्वारा राज्य द्वारा

• सरकारिया आयोग (1983)

• पुंछी आयोग (2007)

• प्रशासनिक सुधार आयोग I और II

• राजमन्नार समिति - तमिलनाडु

• आनंदपुर साहिब संकल्प - पंजाब का अकाली दल राज्य विधान पर के द्र का नियंत्रण

• **प्रथम एआरसी अनुशंसा (1966):** सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में व्यापक अनुभव वाले गैर-पक्षपाती राज्यपालों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया।

• **राजमन्नार समिति (1969):** राज्य के मंत्रालयों को राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटाने की सिफारिश की गई।

• **सरकारिया आयोग (1983):** सलाह दी गई कि राज्यपालों को बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, जिनके मजबूत राजनीतिक संबंध न हों, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में भाग नहीं लिया हो, और सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। (यूपीएससी 2019)

• संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000): प्रस्ताव दिया गया कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ही की जानी चाहिए।

के द्र-राज्य संबंधों पर न्यायिक सिद्धांत तत्त्व और सार का सिद्धांत: कानूनों की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके , विवादों को कम करके विधायी क्षमता सुनिश्चित करता है। उदाहरण:

• **पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ (1967):** अंतर-राज्यीय व्यापार पर कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

• **फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1981):** भूमि अधिग्रहण पर कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

• **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980):** कपड़ा राष्ट्रीयकरण पर कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

छद्मता का सिद्धांत

- **के .सी. गजपति देव बनाम उड़ीसा राज्य (1953):** भूमि अधिग्रहण पर कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था।
- **बॉम्बे एजुके शन सोसाइटी (1954):** शैक्षिक विनियमन कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: अंतर-राज्यीय संबंध



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अंतर-राज्यीय संबंध

मुख्य परीक्षा दृष्टि: बॉम्बे एजुके शन सोसाइटी (1954): शैक्षिक विनियमन कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अंतर-राज्यीय संबंध • महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद • छद्मता का सिद्धांत • अनुच्छेद • अनुच्छेद- 301 से | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2014, 1983, 2007, 1966, 1969

भारत में संघीय गतिशीलता: केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय 69

- **अनुच्छेद 262(1):** संसद अंतरराज्यीय नदी जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों पर कानून बना सकती है।
- **अनुच्छेद 262(2):** संसद इन विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है।

प्रमुख कानून: नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956

- **स्थापना:** अंतर-सरकारी परामर्श के लिए नदी बोर्ड का गठन किया जाता है।
- **वस्तु-स्थिति:** अभी तक किसी नदी बेसिन का निर्माण नहीं हुआ है।
- **प्राधिकरण:** केंद्र द्वारा अनुरोध पर या स्वतंत्र रूप से बोर्डों के गठन को अधिसूचित कर सकता है।
- **कार्य:** नदी प्रबंधन और विकास पर सलाहकारी सहायता प्रदान करना।
- **संरचना:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य सम्मिलित हैं।
- **उद्देश्य:** सहयोग और सतत जल प्रबंधन को बढ़ाना।
- **उद्देश्य:** अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना करता है।
- **संरचना:** न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों के दो न्यायाधीश होते हैं।
- **अधिकार क्षेत्र:** सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को छोड़कर, विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण को विशेष शक्ति प्रदान करता है।

अंतर-राज्यीय परिषद (**अनुच्छेद- 263)** उद्देश्य z राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

स्थिति z **अनुच्छेद- 263** के तहत एक संवैधानिक निकाय।

स्थापना

- इसे पहली बार वर्ष 1990 में सरकारिया आयोग (अंतरराज्यीय संबंधों पर) की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- राष्ट्रपति इसकी स्थापना कर सकता है तथा उसके कर्तव्य, संगठन एवं प्रक्रिया को निर्धारित कर सकता है। कार्य
- अंतर-राज्यीय विवादों की जाँच करना और उनपर सलाह देना (**अनुच्छेद- 131** के तहत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का सम्पूरक)।
- उन विषयों की जाँच और उनपर चर्चा करना, जिनमें राज्यों या केंद्र तथा राज्यों का साझा हित हों।

• नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए किसी भी मामले पर सिफारिश करना। निर्णय z सलाहकारी निकाय, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं।

संरचना

• अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री + सभी राज्यों के मुख्यमंत्री + विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री + विधानसभा रहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक + राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल + गृह मंत्री सहित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत) + स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट रैंक के पाँच मंत्री / राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

बैठकें z परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी। सभी प्रश्न सर्वसम्मति से तय किए जाएँगे।

परिषद की स्थायी समिति

• परिषद के विचारार्थ मामलों पर निरंतर परामर्श और कार्रवाही के लिए वर्ष 1996 में स्थापित की गई।

• **समिति के सदस्य:** अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री + पाँच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री + नौ मुख्यमंत्री।

• परिषद को अंतर-राज्य परिषद सचिवालय (वर्ष 1991 में स्थापित) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह सचिवालय भारत सरकार के सचिव के अधीन काम करता है।

• वर्ष 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अनुच्छेद विवरण 301

• भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होंगे।

• यह स्वतंत्रता अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य दोनों पर लागू है। 302 प्रतिबंधों का प्रावधान:

• संसद जनहित में उपर्युक्त स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है।

• संसद भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकती। 303

• राज्य विधानमंडल जनहित में उस राज्य के भीतर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

• ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

• राज्य, अन्य राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकते।

राज्य दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से आयातित वस्तुओं पर कोई भी कर लगा सकते हैं यदि उस राज्य में वैसी ही वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है।

305

• स्वतंत्रता (**अनुच्छेद- 301** के तहत) राष्ट्रीयकरण कानूनों के अध्यधीन है।

• संसद या राज्य का कानून केंद्र या राज्य के पक्ष में एकाधिकार प्रदान कर सकता है। ऐसे कानून नागरिकों या अन्य लोगों को इस तरह के व्यापार से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपवर्जित कर सकते हैं।

307 (समुचित प्राधिकारी) संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा उस पर प्रतिबंधों से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक समुचित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

• **प्रकृति:** ये सांविधिक (संविधानेतर), केवल विमर्शी और सलाहकारी निकाय हैं; इनकी सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। (यूपीएससी 2013)

• **गठन:** राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,1956) के तहत स्थापित की गई हैं।

• **उद्देश्य:** राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहयोग तथा समन्वय को बढ़ावा देना।

• **क्षेत्र:** इस अधिनियम ने देश को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया।

• **गठन का मानदंड:** इन क्षेत्रों के निर्माण में देश के प्राकृतिक विभाजनों,नदी प्रणालियों और संचार के साधनों, सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा व कानून- व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है।

• **क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य:** अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री + क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री + क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से दो अन्य मंत्री + क्षेत्र के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक।

• **सलाहकार:** वे व्यक्ति जो क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार के रूप में जुड़ सकते हैं (अर्थात, बैठकों में मताधिकार के बिना): (i) नीति आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति; (ii) क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव; और (iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त।

• केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री पाँचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं।

• प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं , वह एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते है। क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय सदस्य उत्तरी नई दिल्ली हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रीय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पूर्वी कोलकाता बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पश्चिमी मुंबई गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव दक्षिणी चेन्नई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी

• एक पृथक अधिनियम 'पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम,1971' द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय। इसकी स्थापना 8 अगस्त, 1972 को हुई।

• **सदस्य:** सभी पूर्वोत्तर राज्य - असम, मणिपुर, मिजोरम , अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम (वर्ष 2002 में जोड़ा गया)।

• **संरचना:**

  ◦ **पदेन अध्यक्ष:** केंद्रीय गृह मंत्री।

  ◦ **पदेन उपाध्यक्ष:** पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री।

  ◦ **सदस्य:** सभी आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य।

• **कार्य:** क्षेत्रीय परिषदों के समान + साझा महत्त्व के मामलों पर एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाना; क्षेत्र में सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के उपायों की समीक्षा करना।

भारतीय संविधान में असममित संघवाद और इसकी विशेषताएँ : असममित संघवाद का अर्थ है कि विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के पास विविध क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग स्तर की शक्ति और स्वायत्ता होती है।

भारतीय संघवाद में असममित विशेषताएँ

• **ऊर्ध्वाधर विषमता:** केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति होती है, जैसे राज्य की सीमाओं को बदलना (**अनुच्छेद 3)** और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना (**अनुच्छेद 352)** आदि।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: भारतीय संघवाद में असममित विशेषताएँ

2013	1956	1971	1972
भारतीय संघवाद में असममित विशेषताएँ	प्रकृति	गठन	क्षेत्र

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय संघवाद में असममित विशेषताएँ

मुख्य परीक्षा दृष्टि: ऊर्ध्वाधर विषमता: केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति होती है, जैसे राज्य की सीमाओं को बदलना (अनुच्छेद 3) और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना (अनुच्छेद 352) आदि।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: भारतीय संघवाद में असममित विशेषताएँ • प्रकृति • गठन • क्षेत्र • गठन का मानदंड | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2013, 1956, 1971, 1972, 2002

IUC विशेष स्मृति सूत्र #12: संविधान के विदेशी स्रोत

ट्रिक: 'ब्रिटेन से संसद-विधि, अमेरिका से मूल अधिकार-न्यायिक पुनर्विलोकन, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, कनाडा से सशक्त केंद्र' — समवर्ती सूची (ऑस्ट्रेलिया), आपातकाल (जर्मनी का वाइमर संविधान), संविधान संशोधन (दक्षिण अफ्रीका), मूल कर्तव्य व न्याय आदर्श (सोवियत संघ)।

भारत में संघीय गतिशीलता: केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय 71

• **क्षैतिज विषमता:** राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व (जैसे, उत्तर प्रदेश: 31 सीटें, अरुणाचल प्रदेश: 1)। केंद्र शासित प्रदेशों के पास विशेष प्रशासनिक प्रावधान (भाग VIII)।

• **राजकोषीय विषमता:**

  ◦ **वित्त आयोग:** केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करता है (2021-26 के लिए 41%)।

- **हस्तांतरण:** आय असमानता और वन आवरण जैसे कारकों पर आधारित।
- **अनुदान:** केंद्र सरकार राजस्व घाटा और क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान प्रदान करती है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाएँ:** विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए उच्च केंद्र अंशदान के साथ संयुक्त वित्त पोषण।

अंतरराज्यीय सीमा विवाद:

- ये विवाद ऐतिहासिक विसंगतियों, औपनिवेशिक सीमा निर्धारण और संसाधन संघर्षों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो सहकारी संघवाद को चुनौती देते हैं।
- **प्रमुख विवाद:**
  - **कर्नाटक-महाराष्ट्र:** बेलगाम जिला।
  - **असम-मिजोरम:** ब्रिटिश काल की सीमाओं पर अलग-अलग दावे।
  - **हरियाणा-हिमाचल प्रदेश:** परवाणू पर विवाद।
  - **हिमाचल प्रदेश-लद्दाख:** सरचू पर दावा।
  - **अरुणाचल प्रदेश-असम:** वन क्षेत्र विवाद।
  - **मेघालय-असम:** मिकिर पहाड़ियों के ब्लॉक I और II।
  - **असम-नागालैंड:** 1963 के बाद से सबसे लंबे समय तक चलने वाला विवाद।
- समाधान तंत्र (क्रिस्प)
  - **न्यायिक हस्तक्षेप:** सर्वोच्च न्यायालय **अनुच्छेद 131** के तहत विवादों का निपटारा करता है।
  - **अंतर-राज्य परिषद:** **अनुच्छेद 263** के तहत सहायता प्रदान करती है।
  - **द्विपक्षीय वार्ता:** केंद्र के सहयोग से राज्य वार्ता करते हैं। प्रमुख नदी जल विवाद नाम वर्ष सम्मिलित राज्य कृष्णा नदी जल विवाद 1969 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी जल विवाद 1969 मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा नर्मदा 1969 राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रावी और ब्यास 1986 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कावेरी 1990 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी दूसरा कृष्णा नदी जल विवाद 2004 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वंशधारा 2010 ओडिशा, आंध्र प्रदेश महादायी 2010 गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र महानदी 2018 ओडिशा और छत्तीसगढ़

ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढाँचे को एकात्मक ढाँचे में परिवर्तित कर देते हैं। यह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है।

'आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन' संबंधी प्रावधान वाइमर संविधान से लिया गया है।

- **अनुच्छेद 352 :** युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्रविद्रोह के कारण आपातकाल (राष्ट्रीय आपातकाल)।
- **अनुच्छेद 356 :** राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)।
- **अनुच्छेद 360 :** भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरे के कारण वित्तीय आपातकाल।

राष्ट्रीय आपातकाल (**अनुच्छेद 352)** घोषणा का आधार राष्ट्रपति: युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि संकट सन्निकट है तो वह इसके होने से पहले इस आशय की घोषणा कर सकते हैं।

- **बाह्य आपातकाल:** 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर घोषित किया जाता है।
- **आंतरिक आपातकाल:** 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर घोषित किया जाता है।
- **38वाँ संशोधन:** उपर्युक्त आधारों पर अलग-अलग उद्घोषणाएँ जारी कर सकते हैं, चाहे उनके द्वारा पहले से ही कोई उद्घोषणा की गई हो या न की गई हो।
- **42वाँ संशोधन:** राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पूरे देश या उसके किसी भाग पर लागू हो सकती है।
- **44वाँ संशोधन:** 'आंतरिक अशांति' शब्द के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को शामिल किया गया गए। कैबिनेट की भूमिका
- **मूल संविधान:** कैबिनेट की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं।
- **44वाँ संशोधन:** कैबिनेट की लिखित अनुशंसा के बाद ही राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। संसदीय अनुमोदन
- **प्रारंभ में:** 2 महीने के भीतर।
- **44वाँ संशोधन:** एक माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन।

• यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई है, या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना 1 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात् उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्य सभा ने इस बीच इसे अनुमोदित कर दिया हो।

अनुमोदन हेतु आवश्यक — बहुमत का प्रकार

• **प्रारंभ में:** साधारण बहुमत।

• **44वाँ संशोधन:** अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया। अवधि

• प्रारंभ में, यह प्रावधान था कि एक बार स्वीकृति मिलने के पश्चात् आपातकाल तब तक जारी रह सकता है जब तक कार्यपालिका चाहे।

• **44वाँ संशोधन:** इसे हर छह महीने में संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।

• यदि लोकसभा का विघटन आपातकाल को आगे जारी रखने का अनुमोदन किए बिना छह महीने के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच इसे जारी रखने को अनुमोदित कर दिया हो।

आपातकालीन प्रावधान

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अनुमोदन हेतु आवश्यक

1. अनुमोदन हेतु आवश्यक

2. बहुमत का प्रकार

3. आपातकालीन प्रावधान

4. अनुच्छेद

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अनुमोदन हेतु आवश्यक

मुख्य परीक्षा दृष्टि: 44वाँ संशोधन: इसे हर छह महीने में संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अनुमोदन हेतु आवश्यक • बहुमत का प्रकार • आपातकालीन प्रावधान • अनुच्छेद • बाह्य आपातकाल | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1935

न्यायिक समीक्षा

• प्रारंभ में, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में न्यायिक समीक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था।

• **38वाँ संशोधन:** राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया।

• **44वाँ संशोधन:** 38वें संशोधन के तहत किए गए प्रावधान को हटा दिया गया।

• **मिनर्वा मिल्स के स:** राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना के आधार पर या इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह घोषणा पूरी तरह से बाह्य या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है या असंगत या विकृत है।

वापस लेना

(Revocation)

• राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

• **44वाँ संशोधन:** यदि लोकसभा आपातकाल जारी रखने का निरनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना होता है (इससे पूर्व आपातकाल को वापस लेने में लोकसभा की कोई भूमिका नहीं थी)।

  ◦ 1/10 लोकसभा सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति (यदि लोकसभा सत्र में नहीं है) को लिखित रूप से सूचना देनी होगी। ऐसे संकल्प पर विचार करने के लिए 14 दिनों के भीतर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है।

निरनुमोदन के लिए बहुमत (Majority for disapproval)

44वाँ संशोधन: निरनुमोदन के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत आवश्यक है। आपातकाल लगाया जाना अब तक तीन बार अर्थात्वर्ष 1962, 1971 और 1975 में आपातकाल घोषित किया गया है।

शाह आयोग: 1975 के आपातकाल की जाँच की और आपातकाल की घोषणा को उचित नहीं ठहराया। राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने का प्रभाव के द्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव: कार्यकारी विधायी वित्तीय

- केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी ऐसेमामले में, जिसमें केंद्र आवश्यक समझे, किसी भी राज्य को निदेश देने तक विस्तारित है।
- सामान्य स्थिति में केंद्र केवल विनिर्दिष्ट मामलों पर ही राज्य को कार्यकारी निदेश दे सकता है।
- हालाँकि राज्यों को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया जाता।
- संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
- यद्यपि राज्य विधानमंडलों को निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन संसद को अधिभावी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
- राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून आपातकाल वापस लिए जाने के 6 महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।
- यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तोराष्ट्रपति राज्यसूची के विषयों पर अध्ययादेश जारी कर सकता है।
- **42वाँ संशोधन:** उपरोक्त विधायी और कार्यकारी कार्य न केवल उस राज्य तक विस्तारित होते हैं जहाँ आपातकाल लागू है, बल्कि किसी अन्य राज्य तक भी विस्तारित होते हैं।
- राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित (कम/रद्द) कर सकता है।
- ऐसा संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल को वापस लिया जाता है।
- राष्ट्रपति का ऐसे प्रत्येक आदेश दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना होता है।

लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव: लोकसभा पर राज्य विधानसभा पर

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद के कानून द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढाते हुए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है।
- आपातकाल समाप्त होने के पश्चात यह विस्तार 6 महीने से अधिक जारी नहीं रह सकता है।
- केवल संसद ही विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा सकती है (एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाते हुए कितनी भी बार) अर्थात्विस्तार की अवधि संसद के समान ही होती है।

मूल अधिकारों पर प्रभाव

(**अनुच्छेद 19**) के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।

- **अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले छह मूल अधिकार स्वत:** निलंबित हो जाते हैं और निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।
- राज्य **अनुच्छेद 19** के तहत इन अधिकारों को वापस लेने के लिए कानून बना सकता है या कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है। आपातकाल के दौरान या उसके बाद भी ऐसे कानूनों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **आपातकाल समाप्त होने के बाद, अनुच्छेद 19 स्वत:** पुनः लागू हो जाता है। और **अनुच्छेद 19** से असंगत कोई भी कानून लागू नहीं होता।

(**अनुच्छेद 20** और 21 के सिवाय) अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।

- यह राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है।
- मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। उक्त अधिकार सैद्धांतिक रूप से जीवित हैं लेकिन उपचार माँगने का अधिकार निलंबित होता है।
- प्रवर्तन का निलंबन केवल उनमूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में विनिर्दिष्ट होते हैं और निलंबन आदेश पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से तक विस्तारित हो सकता है
- ऐसे किसी भी आदेश को अनुमोदन के लिए दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए।

44वाँ संशोधन

• **अनुच्छेद 19** के अंतर्गत आने वाले छह मूल अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल 'युद्ध या बाह्य आक्रमण' के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर।

• केवल वे कानून जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाता है और किसी अन्य कानून को नहीं।

44वाँ संशोधन

• राष्ट्रपति, **अनुच्छेद 20** और 21 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते।

• केवल वे कानून जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाता है और किसी अन्य कानून को नहीं।

अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के दौरान ही लागू होता है, आंतरिक आपातकाल के दौरान नहीं।

अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों के दौरान लागू होता है।

अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए **अनुच्छेद 19** में शामिल मूल अधिकारों को निलंबित करता है।

अनुच्छेद 359 : मूल अधिकार के निलंबन और इसकी अवधि का उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में किया जाता है।

इसका विस्तार संपूर्ण देश पर होता है। इसका विस्तार संपूर्ण देश पर होता है।

समानताएँ: दोनों अनुच्छेद केवल उन कानूनों को चुनौती से छू ट प्रदान करते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं, अन्य किसी कानून को नहीं। केवल ऐसे कानून के अंतर्गत की गई कार्यकारी कार्रवाई दोनों अनुच्छेदों द्वारा संरक्षित होती है।

राष्ट्रपति शासन (**अनुच्छेद 356)** घोषणा का आधार

• राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है।

• **अनुच्छेद 355 :** संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।

• **अनुच्छेद 356 :** यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर /या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। (यूपीएससी 2018)

• **अनुच्छेद 365 :** यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है। संसदीय अनुमोदन

• दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

• ऐसे मामलों को दो महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

• यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई हो या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदन दिए बिना 2 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच इसकी निरंतरता को अनुमोदित कर दिया हो।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: मूल अधिकारों पर प्रभाव



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — मूल अधिकारों पर प्रभाव

मुख्य परीक्षा दृष्टि: ऐसे मामलों को दो महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: मूल अधिकारों पर प्रभाव • अनुच्छेद • समानताएँ | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2018

अवधि

• 6 महीने, यद्यपि, इसे हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- **44वाँ संशोधन:** राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से आगे 6 महीने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों–
  - यदि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत अथवा राज्य के किसी भाग में लागू हो।
  - यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि कठिनाइयों के कारण निर्वाचन नहीं कराए जा सकते। न्यायिक समीक्षा
- **38वाँ संशोधन:** **अनुच्छेद 356** के तहत राष्ट्रपति के संतुष्टि (President's satisfaction) को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान की गई।
- **44वाँ संशोधन:** उपर्युक्त प्रावधान हटा दिया गया। वापस लेना (Revocation)
- राष्ट्रपति द्वारा बाद की उद्घोषणा द्वारा किसी भी समय इसे वापस लिया जा सकता है।
- ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। लगाया जाना (Imposition) सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

डॉ. भीमराव अंबेडकर को उम्मीद थी कि **अनुच्छेद 356** द्वारा प्रदत्त कठोर शक्ति 'अप्रचलित कानून' (Dead-letter) बनी रहेगी और इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा।

राष्ट्रपति शासन लागू होने का प्रभाव

राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं–

- **शक्तियों का अधिग्रहण:** राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है।
- **विधायी शक्तियाँ:** वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा।
- **संवैधानिक संवैधानिक प्रावधानों का निलंबन:** वह राज्य में किसी भी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित सभी आवश्यक कदम उठा सकता है।
- **मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी:** वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है और संसद राज्य के विधेयकों और बजट को पारित करती है। *[यूपीएससी 2017]*
- **राज्य प्रशासन:** राज्य प्रशासन राष्ट्रपति की ओर सेमुख्य सचिव की सहायता से राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- **कानूनों की निरंतरता:** संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहते हैं।
- **विधानसभा पर प्रभाव:** राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित कर सकता है।
- **न्यायिक स्थिति:** राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, दर्जा, शक्तियाँ और कार्य यथावत बने रहते हैं।

एस.आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय (1994)

- राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- राष्ट्रपति का समाधान सुसंगत सामग्री के आधार पर हो। न्यायालय सामग्री की सत्यता या उसकी पर्याप्ता पर विचान नहीं कर सकता लेकिन यह देख सकता है कि यह सुसंगत है या नहीं।
- केंद्र को राष्ट्रपति शासन का औचित्य बताना पड़ता है। असंवैधानिक या अवैध पाए जाने पर न्यायालय राज्य विधानसभा को पुनर्गठित कर सकता है।
- राज्य विधानसभा को संसद के अनुमोदन के बाद ही विघटित किया जा सकता है, तब तक की अवधि के लिए उसे सिर्फ निलंबित ही किया जा सकता है।
- राज्य सरकार द्वारा विधानसभा का विश्वास खोने के प्रश्न का निर्णय सदन के पटल पर किया जाना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक मंत्रिमंडल को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए।
- यदि राज्य सरकार पंथनिरपेक्षता विरोधी नीति अपना रही है तो उस पर **अनुच्छेद 356** के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

बोम्मई मामले (1994) में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1988) की सिफारिशों का हवाला देते हुए उन परिस्थितियों की रूपरेखा तैयार की, जिनके तहत **अनुच्छेद 356** के तहत शक्ति (राष्ट्रपति शासन लगाने) के उपयोग को उचित या अनुचित ठहराया जा सकता है।

उचित राष्ट्रपति शासन अनुचित राष्ट्रपति शासन त्रिशंकुविधानसभा (किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं)।

यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या बहुमत खो दे और राज्यपाल वैकल्पिक सरकार की संभावना का आकलन किए बिना आपातकाल लगाने की सिफारिश करे।

बहुमत प्राप्त दल मंत्रिपरिषद बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल को बहुमत वाला गठबंधन नहीं मिले।

यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बहुमत सिद्ध करने की अनुमति न दे और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे।

यदि विधानसभा में हार के बाद मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और किसी अन्य दल को बहुमत प्राप्त न हो।

यदि विधानसभा में सत्तारूढ़ दल लोकसभा के आम चुनाव में हार गया है।

यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देश की अवहेलना करे। राज्य में कुप्रशासन।

यदि सरकार संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य कर रही है या हिंसक विद्रोह भड़का रही है।

आंतरिक अशांति जिससे कोई आंतरिक उच्छेदन अथवा भौतिक विघटन/ गड़बड़ी न हो।

भौतिक विघटन (Physical breakdown): सरकार जानबूझकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर दे जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा हो।

राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो। केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ स्थितियाँ, विपत्तिकारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हों।

वित्तीय आपातकाल (**अनुच्छेद 360)** घोषणा का आधार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है– यदि वह इस बात से 'संतुष्ट' है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है।

संसदीय अनुमोदन

- साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
- इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है।
- यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई हो या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदन दिए बिना 2 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच इसकी निरंतरता को अनुमोदित कर दिया हो।

अवधि एक बार अनुमोदन मिलने के पश्चात्, आपातकाल अनिश्चित काल तक के लिए जारी रहता है जब तक कि इसे वापस न लिया जाए।

न्यायिक समीक्षा

- **38वाँ संशोधन:** वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान की गई।
- **44वाँ संशोधन:** 38वें संशोधन के तहत किए गए प्रावधान हटा दिए गए, अत: यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। निरसन
- राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जाता है।
- किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अधिरोपण अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है।
- **कानूनी आधार:** **अनुच्छेद 360** कमोबेश 1933 में पारित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम (National Recovery Act) के पैटर्न का अनुसरण करता है।
- **ऐतिहासिक तथ्य:** भारत में अब तक कोई भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, हालाँकि वर्ष 1991 वित्तीय संकट का वर्ष था।
- **केंद्रीय प्राधिकार:** केंद्र की कार्यकारी अधिकारिता किसी भी राज्य को उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वित्तीय औचित्य के मानदंडों का पालन करने का निदेश देने तक विस्तारित है।
- राष्ट्रपति निम्नलिखित निदेश दे सकते हैं–
  - **वेतन कटौती:** राज्य या संघ में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती करना।
  - **विधेयकों का आरक्षण:** सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।

तीन आपात स्थितियों के बीच संक्षिप्त तुलना

विशेषता राष्ट्रीय आपातकाल (**अनुच्छेद 352)** राष्ट्रपति शासन (**अनुच्छेद 356)** वित्तीय आपातकाल (**अनुच्छेद 360)** घोषणा के लिए आधार युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह राज्य सरकार का संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफलता वित्तीय स्थिरता या ऋण के लिए खतरा कैबिनेट की भूमिका निर्दिष्ट नहीं (44वें

संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है) कैबिनेट से लिखित अनुशंसा की आवश्यकता है दोनों सदनों से अनुमोदन की आवश्यकता है वित्तीय आपातकाल के प्रभाव

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: न्यायिक समीक्षा

1. न्यायिक समीक्षा

2. वाँ संशोधन

3. कानूनी आधार

4. ऐतिहासिक तथ्य

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — न्यायिक समीक्षा

मुख्य परीक्षा दृष्टि: केंद्रीय प्राधिकार: केंद्र की कार्यकारी अधिकारिता किसी भी राज्य को उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वित्तीय औचित्य के मानदंडों का पालन करने का निदेश देने तक विस्तारित है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: न्यायिक समीक्षा • वाँ संशोधन • कानूनी आधार • ऐतिहासिक तथ्य • केंद्रीय प्राधिकार | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1933, 1991

IUC विशेष स्मृति सूत्र #13: रिट (Writs - अनुच्छेद 32 व 226) के 5 प्रकार

ट्रिक: 'बंदी को परमादेश, प्रतिषेध से उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा' — 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus: शरीर प्रस्तुत करना), 2. परमादेश (Mandamus: हम आदेश देते हैं), 3. प्रतिषेध (Prohibition: कार्यवाही रोकना), 4. उत्प्रेषण (Certiorari: प्रमाणित करना/रद्द करना), 5. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto: किस प्राधिकार से)।

संसदीय अनुमोदन 1 माह के भीतर मंजूरी (44वाँ संशोधन) लोकसभा भंग होने पर भी अस्तित्व में रहेगा 2 माह के भीतर अनुमोदन बहुमत का प्रकार विशेष बहुमत की आवश्यकता (44वाँ संशोधन) साधारण बहुमत की आवश्यकता है साधारण बहुमत की आवश्यकता है अवधि अनिश्चित; हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है (44वाँ संशोधन) प्रारंभ में 6 माह; अनुमोदन के साथ 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अनुमोदित होने के बाद अनिश्चित काल तक; निरस्त होने तक न्यायिक समीक्षा पुनर्स्थापित (44वाँ संशोधन) 44वें संशोधन द्वारा उन्मुक्ति हटा दी गई 44वें संशोधन द्वारा बहाल निरसन राष्ट्रपति बिना मंजूरी के रद्द कर सकते हैं; लोकसभा अस्वीकृत कर सकती है राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी रद्द किया जा सकता है राष्ट्रपति बिना अनुमोदन के निरस्त कर सकते हैं ऐतिहासिक संदर्भ तीन बार घोषित: 1962, 1971, 1975 सबसे पहले पंजाब में लगाया गया (1951) कभी घोषित नहीं किया गया; 1991 में संकट शासन पर प्रभाव केंद्र ने शक्तियाँ ग्रहण कीं; संसद को सर्वोपरि शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति राज्य के कार्य संभालता है; विधानसभाएँ सक्रिय होती हैं केंद्र ने राज्यों को वित्तीय औचित्य पर निर्देश दिए; वेतन में कटौती संभव

उप-राष्ट्रपति — महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- **अनुच्छेद 63 :** भारत का एक उप-राष्ट्रपति होगा।
  - उप-राष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद है।
  - वरीयता तालिका (Table of Precedence) में वह दूसरे स्थान पर है।
  - उप-राष्ट्रपति का पद अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है।

निर्वाचन

- भारत के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित।
- निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं: इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं (राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं)। [यूपीएससी 2013]
- इसमें राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति के मामले में, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं)।
- **निर्वाचन पद्धति:** आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से होता है।
- **विवाद समाधान:** उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच की जाती है और उसका निर्णय अंतिम होता है। यदि उप-राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की ऐसी घोषणा की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते हैं।

• उप-राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था।

• **ध्यान दें:** अब तक चार उप-राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नामांकन

• कम-से-कम 20 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में और 20 निर्वाचक अनुमोदक के रूप में होने चाहिए।

• भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। पात्रता

• वह भारत का नागरिक हो।

• 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है।

• राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।

• कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो।

• **ध्यान दें:** संघ के वर्तमान राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है और इसलिए वे उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अर्ह (Qualified) हैं।

• संविधान में लाभ के पद को सुस्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। *[यूपीएससी 2020]*

शपथ (**अनुच्छेद 69)**

• शपथ राष्ट्रपति या उसकी ओर से इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

पद की शर्तें

• संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उप-राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपनी सीट उस तारीख को रिक्त कर दिया है जिस तारीख को वह उप-राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।

• लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता हो। परिलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार

• संविधान में उप-राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियाँ निर्धारित नहीं की गई हैं।

• वह राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है।

उप-राष्ट्रपति पद का कार्यकाल (**अनुच्छेद 67)**

• **अवधि:** जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है उस तारीख से 5 वर्ष तक।

• उप-राष्ट्रपति, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।

• अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बने रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

• वह कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। पद से हटाया जाना

• इस हेतु औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, और उसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

• संकल्प केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं।

उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति

और राज्यपाल

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: उप-राष्ट्रपति

1. उप-राष्ट्रपति	**2. महत्त्वपूर्ण प्रावधान**
3. निर्वाचन	**4. पद की शर्तें**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — उप-राष्ट्रपति

मुख्य परीक्षा दृष्टि: संकल्प केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: उप-राष्ट्रपति • महत्त्वपूर्ण प्रावधान • निर्वाचन • पद की शर्तें • उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2013, 2020

भारतीय और अमेरिकी उप-राष्ट्रपतियों की तुलना संविधान ने उप-राष्ट्रपति को उस क्षमता के अनुरूप कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा है। अत: कुछ विद्वान इसे उनकी अनावश्यक महामहिमता (Superfluous Highness) कहते हैं। यह पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से सृजित किया गया है। भारतीय उप-राष्ट्रपति का पद अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसमें एक अंतर है: राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच अंतर विशेषताएँ राष्ट्रपति राज्यपाल परिचय z संघीय कार्यकारिणी का हिस्सा: इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और महान्यायवादी सम्मिलित हैं। (**अनुच्छेद 52** -78, भाग V)।

- **भूमिका:** भारतीय राज्य के प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक, एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक। [यूपीएससी 2015]
- **तथ्य:** केवल डॉ. राजेंद्र प्रसाद ही दो कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे।
- **राज्य कार्यकारिणी का भाग:** इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और महाधिवक्ता सम्मिलित हैं (**अनुच्छेद 153** -167, भाग VI)।
- **भूमिका:** राज्य के मुख्य कार्यकारी, दोहरी भूमिका:
  - संवैधानिक प्रमुख
  - केंद्रीय सरकार का एजेंट।
- **प्रथम महिला राज्यपाल:** सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल (1947-49) योग्यता z भारत का नागरिक
- 35 वर्ष से अधिक आयु
- लोकसभा चुनाव के लिए योग्य
- कोई लाभ का पद नहीं
- भारत का नागरिक
- 35 वर्ष से अधिक आयु
- अधिमानत: राज्य से बाहर का व्यक्ति
- राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं (हमेशा इसका पालन नहीं किया जाता) शपथ z भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा
- राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा कार्यालय की शर्तें z किसी भी सदन का सदस्य नहीं
- कोई लाभ का पद नहीं
- किसी भी सदन का सदस्य नहीं
- कोई लाभ का पद नहीं
- राज्यसभा प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित करती है तथा लोकसभा साधारण बहुमत से उस पर अपनी सहमति प्रदान करती है।
- ऐसा कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि कम-से-कम 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो।
- उप-राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लिखित नहीं है।

पद रिक्ति

- **रिक्ति के कारण:**
  - उनके पाँच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर।
  - उनके त्यागपत्र पर।
  - उन्हें पद से हटाए जाने पर।
  - उनकी मृत्यु पर।
  - जब वह पद धारण करने के लिए निरर्हित हो जाता हैं या जब उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है।

- **कार्यकाल की समाप्ति पर:** रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए।
- त्यागपत्र, पदच्युति, मृत्यु या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना चाहिए।
- नव-निर्वाचित उप-राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए पद पर बना रहता है।

शक्तियाँ:

- राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है (**अनुच्छेद 64)**
  - उसकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान है।
  - वह अमेरिकी उप-राष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है जो अमेरिकी विधायिका के ऊपरी सदन सीनेट के अध्यक्ष के रूप में भीकार्य करता है।
- राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (**अनुच्छेद 65)**
  - जब राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु/ पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो।
  - अधिकतम केवल छह महीने तक की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है इस अवधि में नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करना होता है।
  - जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उप-राष्ट्रपति तब तक उसके कार्यों का निर्वहन करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपना पद फिर से ग्रहण नहीं कर लेता।
  - इस दौरान उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। उन कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है।

परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार

- संसद द्वारा निर्धारित
- कार्यकाल के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता
- आपराधिक कार्यवाही (व्यक्तिगत) से उन्मुक्त
- गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता।
- व्यक्तिगत कृत्यों के लिए सिविल मामलों में 2 महीने का नोटिस आवश्यक
- संसद द्वारा निर्धारित
- कार्यकाल के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता
- आपराधिक कार्यवाही (व्यक्तिगत) से मुक्त
- गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता।
- दो/अधिक राज्यों के राज्यपाल होने पर भत्ते साझा किए जाते हैं। [यूपीएससी 2018, 2013]

अवधि z पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष

- त्यागपत्र देकर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं
- बिना किसी सीमा के पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।
- 'अंतराल' से बचने के लिए उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहते हैं।
- 5 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन
- कोई निश्चित कार्यकाल नहीं
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र
- उसी/किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित या पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
- 'अंतराल' से बचने के लिए उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहते हैं।

महाभियोग/ निष्कासन

- संविधान के उल्लंघन के लिए (अपरिभाषित)
- 14 दिन के नोटिस पर किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा शुरू किया गया

- दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता
- अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया
- अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया
- राष्ट्रपति द्वारा हटाने के लिए कोई विशिष्ट आधार नहीं - न्यायोचित नहीं (सूर्य नारायण मामला 1981) [यूपीएससी 2013]

रिक्ति z कारण: कार्यकाल समाप्ति , त्यागपत्र , महाभियोग , मृत्यु

- 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। - नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा करता।
- यदि चुनाव में देरी के कारण राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ जाता है तो उपराष्ट्रपति के लिए कोई अंतरिम कार्यकाल नहीं होता।
- **कारण:** कार्यकाल समाप्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या निष्कासन
- राष्ट्रपति तब तक अंतरिम गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं जब तक कि कोई उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले।

विशेषाधिकार z आधिकारिक कार्यों के लिए गिरफ्तारी और व्यक्तिगत दायित्व से उन्मुक्ति

- व्यक्तिगत कानूनी कार्यवाही के लिए 2 महीने का नोटिस आवश्यक
- आधिकारिक कार्यों के लिए गिरफ्तारी और व्यक्तिगत दायित्व से उन्मुक्ति
- कार्यकाल के दौरान सिविल कार्यवाही के लिए 2 महीने का नोटिस कार्यकारी शक्तियाँ z उसके नाम पर की गई सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ ।
- संघ के आदेशों और व्ययावसायिक लेन-देन के लिए नियम बनाता है। प्रधानमंत्री को मामलों को मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोगों की नियुक्ति करता है। अंतर-राज्य परिषद और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है।
- प्रधानमंत्री, मंत्रियों, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक , मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों, राज्यपालों, आयोगों के अध्यक्षों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है।
- अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करता है।
- अपने नाम से राज्य कार्यकारी कार्यों को क्रियान्वित करता है।
- राज्य वित्त आयोग, एस.पी.एस.सी. के सदस्यों जैसे प्रमुख राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
- केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है ।
- जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता है, तब अध्यादेश जारी करता है।
- अपने नियंत्रण में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करता है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अवधि z पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष

1. अवधि z पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष

2. रिक्ति z कारण

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अवधि z पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अपने नियंत्रण में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अवधि z पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष • रिक्ति z कारण | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2018, 2013, 1981

विधायी शक्तियाँ z संसद का अभिन्न अंग।

- लोकसभा को बुलाना, स्थगित करना, भंग करना ।
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
- प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और आम चुनावों के बाद संसद को संबोधित करता है।
- विधेयकों या अन्य मुद्दों पर संसद को संदेश भेजता है।

• कुछ विधेयकों के लिए पूर्व अनुमति लेता है।
• 12 राज्यसभा सदस्यों और 2 लोकसभा एंग्लो-इंडियन सदस्यों को नामित करता है (2020 तक)।
• अध्ययादेशोंकोप्रख्यापितकरता है(6सप्ताहके भीतर अनुमोदित)।
• राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करता है/नए राज्य बनाता है। वित्त आयोग, यूपीएससी और सीएजी की रिपोर्टें सदन के पटल पर रखता है।
• सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय लेता है।
• राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग।
• राज्य विधान सभा को बुलाता है, स्थगित करता है, भंग करता है।
• आम चुनावों के बाद और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है। **[UPSC 2019]**
• राज्य विधानमंडल को संदेश भेजता है।
• राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों और एक एंग्लो-इंडियन (2020 तक) को नामित करता है।
• अध्ययादेश जारी करता है (6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित)।
• राज्य वित्त आयोग, एस.पी.एस.सी., सी.ए.जी. की रिपोर्टें प्रस्तुत करता है।

वित्तीय शक्तियाँ z धन विधेयक और अनुदान की मांग के लिए पूर्व सिफारिश।

• वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रस्तुत करता है।
• प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है।
• भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि।
• धन विधेयक और अनुदान की मांग के लिए पूर्व सिफारिश करना।
• राज्य का बजट प्रस्तुत करना।
• प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करना।
• राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि देना। न्यायिक शक्तियाँ z मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
• सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय मांगता है (गैर-बाध्यकारी)।
• संघीय कानून अपराधों, कोर्ट-मार्शल सजाओं और मृत्युदंडों के लिए क्षमा, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण या विराम में परिवर्तन प्रदान करता है।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से परामर्श किया जाता है।
• उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
• राज्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए क्षमा, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण या विराम में परिवर्तन प्रदान किया जाता है।

कूटनीतिक शक्तियाँ

• अंतरराष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करना और उन्हें संपन्न करना (संसद के अनुमोदन के अधीन)।
• अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना , राजनयिकों को भेजना और उनका स्वागत करना।
• कोई कूटनीतिक शक्तियाँ नहीं। सैन्य शक्तियाँ z भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर।
• सेना, नौसेना, वायु सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
• संसद की मंजूरी के अधीन, युद्ध/शांति की घोषणा कर सकता है।
• कोई सैन्य शक्ति नहीं। आपातकालीन शक्तियां
• राष्ट्रीय आपातकाल (**अनुच्छेद 352)** , राष्ट्रपति शासन (**अनुच्छेद 356** , 365), वित्तीय आपातकाल (**अनुच्छेद 360)** की घोषणा करता है।
• कोई आपातकालीन शक्तियाँ नहीं। वीटो शक्ति z वीटो पावर (**अनुच्छेद 111)** : जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: विधेयक को स्वीकृति देना । स्वीकृति न देना , जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना।

यदि संसद इसे फिर से पारित करती है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी।

- **साधारण विधेयकों के लिए राज्यपाल के पास चार विकल्प हैं:**
- विधेयक को स्वीकृति प्रदान करें।
- स्वीकृति रोककर विधेयक को समाप्त कर दिया गया।
- विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना (यदि पुनः पारित किया जाए तो स्वीकृति अवश्य देना)।
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।
- **राज्य विधान पर राष्ट्रपति का वीटो (अनुच्छेद 201) :** जब कोई राज्य विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है:
  - स्वीकृति, स्वीकृति रोकना, जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है और पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस कर दिया जाता है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा इसे फिर से पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।
  - **संविधान संशोधनों पर वीटो का अधिकार नहीं:** 24वें संशोधन अधिनियम, 1971 के बाद से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होगी।
  - राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।

(यूपीएससी 2023)

- **धन विधेयक:** राज्यपाल केवल अपनी सहमति दे सकता है, रोक सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है।

राज्यपाल धनविधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता।

अध्ययादेश (**अनुच्छेद 123)**

- संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्ययादेश जारी कर सकते हैं।
- इन्हें संसद के पुनः एकत्र होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और अधिनियम बनने के लिए 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत किया जाना चाहिए। कुल वैधता 6 महीने + 6 सप्ताह है।
- अध्ययादेश संविधान में संशोधन नहीं कर सकते।
- **न्यायिक समीक्षा:** 44वाँ संशोधन राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायालय में प्रश्नगत अध्ययादेश जारी करने की अनुमति देता है।

(अनुच्छेद 213)

- राज्यपाल अध्ययादेश तब जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो। अध्ययादेश राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के बाद 6 सप्ताह तक वैध रहता है। कुल अधिकतम अवधि 6 महीने + 6 सप्ताह है।
- अध्ययादेशों को पुनः विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- अध्ययादेशों के लिए राष्ट्रपति के निर्देश की आवश्यकता होती है, जैसे विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- डी.सी. वाधवा मामले (1987) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अध्ययादेशों को बार-बार जारी करना असंवैधानिक है।

क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति (**अनुच्छेद 72)** निम्नलिखित के लिए क्षमा प्रदान कर सकते हैं:- संघीय कानून अपराध, कोर्ट मार्शल दंड, मृत्युदंड

- शक्तियाँ कैबिनेट की सलाह पर आधारित हैं। जब तक निर्णय मनमाना या भेदभावपूर्ण न हो, वे न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं।
- शक्तियों में मृत्युदंड के लिए क्षमा, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण या विराम सम्मिलित हैं।

राज्यपाल (**अनुच्छेद 161)** निम्नलिखित के लिए क्षमा प्रदान कर सकते हैं:

- राज्य कानूनों के विरुद्ध अपराध
- सैन्य न्यायालय की सजा या मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते (केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं)।
- शक्तियों में मृत्यु दंड की सजा में विराम, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण सम्मिलित हैं, लेकिन मृत्यु दंड के लिए क्षमा नहीं दी जा सकती।

विवेकाधीन शक्तियाँ

- राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है।
- लेकिन कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधिकारों में ये सम्मिलित हैं:
  - स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति।

- यदि वे लोक सभा का विश्वास खो देते हैं तो मंत्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- जब मंत्रिमण्डल बहुमत खो दे तो लोक सभा को भंग कर दिया जाएगा।

संवैधानिक विवेकाधिकार:

- राष्ट्रपति के लिए विधेयकों का आरक्षण।
- राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिशें।
- मुख्यमंत्री से जानकारी माँगना।
- निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन *[यूपीएससी 2014]*

परिस्थितिजन्य विवेक:

- किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर या वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति।
- जब मंत्रिमंडल बहुमत खो दे तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- यदि मंत्रिमंडल बहुमत खो दे तो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: विवेकाधीन

1971	2023	1987	2014
विवेकाधीन	शक्तियाँ	संवैधानिक विवेकाधिकार	परिस्थितिजन्य विवेक

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — विवेकाधीन

मुख्य परीक्षा दृष्टि: यदि मंत्रिमंडल बहुमत खो दे तो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: विवेकाधीन • शक्तियाँ • संवैधानिक विवेकाधिकार • परिस्थितिजन्य विवेक • धन विधेयक | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1971, 2023, 1987, 2014

IUC विशेष स्मृति सूत्र #14: पंचायती राज समितियाँ (कालानुक्रम)

ट्रिक: 'बलवंत ने अशोक के साथ जी.वी.के. और सिंघवी को थुंगन में मिलाया' — बलवंत राय मेहता (1957: त्रि-स्तरीय), अशोक मेहता (1977: द्वि-स्तरीय), जी.वी.के. राव (1985), एल.एम. सिंघवी (1986: संवैधानिक दर्जे की सिफारिश), पी.के. थुंगन (1988)।

चुनाव राष्ट्रपति

- निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित।
  - **अप्रत्यक्ष चुनाव का कारण:** नाममात्र की कार्यकारी भूमिका; वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रत्यक्ष चुनाव महंगा और समय लेने वाला होगा।
- **विधि:** एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा।
- नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता है।
- **सुरक्षा जमा:** ₹15,000 (यदि 1/6 वोट प्राप्त न हुए तो जब्त) राज्यपाल
- जनता या निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित नहीं। राष्ट्रपति (केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत) द्वारा नियुक्त। GOI अधिनियम, 1935 से उधार लिया गया ।
- **कनाडाई मॉडल:**केंद्र द्वारा नियुक्त राज्य का गवर्नर (कनाडा में गवर्नर-जनरल)।
- **7वां संविधान संशोधन (1956):** दो या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की अनुमति देता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय (1979):** राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है; वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद धारण करता है।
- **राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल:** निर्वाचक मंडल में संघ और राज्यों के सदस्य शामिल होते हैं , जिससे राष्ट्रपति दोनों का प्रतिनिधि बन जाता है।

- **प्रतिभागी:**
  - लोक सभा और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य।
  - राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।
  - दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- **गैर-प्रतिभागी:**
  - लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य।
  - राज्य विधान परिषदों के सदस्य।
  - दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। *[यूपीएससी 2023]*

राष्ट्रपति चुनाव में वोट का मूल्य

• **एक विधायक के वोट का मूल्य:** प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य दर राज्य अलग-अलग होता है। (यूपीएससी 2018) Total Population of StateTotal No.

of elected members in SLA X 11000

• **एक सांसद के वोट का मूल्य:** **[UPSC 2023,2019,18]** Total Value of votes of all MLAs of all statesTotal No. of elected members of Parliament

• राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए किसी उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना होगा- Electoral Quota=Total No. of valid votes polled1+1+ 1 वीटो के प्रकार:

• **आत्यंतिक वीटो:** स्वीकृति को स्थायी रूप से रोक देना।

• **निलम्बनकारी वीटो:** विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। यदि संसद इसे पुनः पारित करती है, तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकृति देनी होगी (धन विधेयकों पर लागू नहीं)।

• **जेबी (पॉके ट) वीटो:** राष्ट्रपति बिना कोई कार्रवाई किए विधेयक को लंबित रखते हैं। राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय सीमा नहीं होती, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में यह समय सीमा 10 दिन होती है।

• **विशेषित (क्वालिफ़ाइड) वीटो:** इसे विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से खारिज किया जा सकता है। (अमेरिका में, भारत में नहीं)

क्षमादान शक्तियों के प्रकार:

• **क्षमा (Pardon):** व्यक्ति को दंड से पूर्णतः मुक्त कर देती है।

• **लघुकरण (Commutation):** दण्ड को हल्के दण्ड से प्रतिस्थापित करना।

• **परिहार (Remission):** दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दण्ड की अवधि में कमी।

• **विराम (Respite):** विशेष परिस्थितियों के कारण सजा को कम करना।

• **प्रविलंबन (Reprieve):** किसी दंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक।

भारत की संसदीय प्रणाली में, कार्यकारी शक्ति संघ और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, अपने-अपने मंत्रिपरिषद के साथ, वास्तविक कार्यकारी शक्ति रखते हैं, जो राष्ट्रीय और राज्य नीतियों को आकार देते हैं।

प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री

भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद

• **74:** मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है।

• **75:** मंत्रियों की नियुक्ति और आचरण के लिए प्रावधान।

• **77:** भारत सरकार का कार्य संचालन।

• **78:** राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य।

• **88:** सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार।

• **163:** मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है।

• **164:** राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति के प्रावधान।

• **167:** परिषद के निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य।

• **169:** विधान परिषद की संरचना के लिए कानून बनाने की शक्ति।

• **180:** सदन की कार्यवाही में भाग लेने और संबोधित करने का मुख्यमंत्री का अधिकार। संसदीय शासन प्रणाली की योजना में

• **राष्ट्रपति:** नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकारी (विधित: कार्यकारी) होता है।

• **प्रधानमंत्री:** वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी (वस्तुत: कार्यकारी) होता है।

• **राज्यपाल:** राज्य में नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकारी (विधित: कार्यकारी) होता है।

• **मुख्यमंत्री:** राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी (वस्तुत: कार्यकारी) होता है। संवैधानिक प्रावधान मानदंड प्रधानमंत्री (पीएम) मुख्यमंत्री (सीएम) नियुक्ति एवं शपथ **अनुच्छेद 75** : प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। **अनुच्छेद 164** : मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

• संविधान में किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

• संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है।

• स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में, राष्ट्रपति/राज्यपाल नियुक्ति के लिए अपने वैयक्तिक विवेक का प्रयोग कर सकता है और क्रमश: प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री को एक महीने के भीतर अपने संबंधित सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है।

• जब कार्यरत प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है तो राष्ट्रपति /राज्यपाल को प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता है।

• संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री, संसद/राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है।

• एक व्यक्ति जो संसद/राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, इस समय के भीतर उसे संसद/राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना आवश्यक होता है। (उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय में यह प्रावधान किया गया है)।

• राष्ट्रपति/राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।

निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।

वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित होता है।

भारत में कार्यकारी शक्ति: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उनके मंत्रिपरिषद

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री

1. प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री

2. राष्ट्रपति

3. प्रधानमंत्री

4. राज्यपाल

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री

मुख्य परीक्षा दृष्टि: भारत में कार्यकारी शक्ति: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उनके मंत्रिपरिषद

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री • राष्ट्रपति • प्रधानमंत्री • राज्यपाल • मुख्यमंत्री

भारत में कार्यकारी शक्ति: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उनक 85 शक्तियाँ और कार्य

• **अनुच्छेद 74 /163:** राष्ट्रपति/राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी।

• **अनुच्छेद 75 /164:** अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति/ राज्यपाल द्वारा की जाती हैं।

• सभी मंत्री राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते है और सामूहिक रूप से लोक सभा/ राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते है। *[यूपीएससी 2013]*

• प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है।

• **मंत्रिपरिषद के संबंध में:**

  ◦ ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति/ राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
  ◦ मंत्रियों को विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
  ◦ किसी मंत्री को त्यापत्र देने के लिए कह सकता है या मतभेद होने पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है।
  ◦ मंत्रिपरिषद (COM) की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।
  ◦ सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निदेशन, नियंत्रण और समन्वय करता है।
  ◦ पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद (COM) को भंग कर सकता है।
  ◦ दूसरी ओर, किसी अन्य मंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु के फलस्वरूप केवल एक रिक्ति होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री स्वतंत्र होते है।

प्रधानमंत्री की अतिरिक्त शक्तियाँ

• **राष्ट्रपति के संबंध में:**

  ◦ राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संप्रेषण का प्रमुख माध्यम होता है। *[यूपीएससी 2013]*
  ◦ भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।

• **संसद के संबंध में:** राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है; किसी भी समय राष्ट्रपति को लोक सभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है; सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है।

• **अन्य शक्तियाँ और कार्य:** नीति आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), अंतर-राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य निकायों का अध्यक्ष होता है; देश की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में निर्णायक भूमिका निभाता है; केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है; आपात स्थितियों के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य आपदा-प्रबंधक होता है; सत्तारूढ दल का नेता; सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संबध

• **अनुच्छेद 74 :** राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देनेके लिए एक मंत्रि-परिषद्होगी जिसका प्रमुख, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद्से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सके गा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात्दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

• **अनुच्छेद 75 :** प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा; मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे; और मंत्रि-परिषद्सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

• **अनुच्छेद 78 :** प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं(Proposals) संबंधी मंत्रि-परिषद्के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे; संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद्ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद्के समक्ष विचार के लिए रखे।

मुख्यमंत्री की अतिरिक्त शक्तियाँ

• **राज्य विधानमंडल के संबंध में:** मुख्यमंत्री को सदन के नेता के रूप में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं: राज्य विधानमंडल के सत्रों को आहूत करने और सत्रावसान करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना; किसी भी समय राज्यपाल को विधान सभा के विघटन की सिफारिश करना; सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना।

• **अन्य शक्तियाँ और कार्य:** राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष; चक्रानुक्रम (रोटेशन) के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष, एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है; अंतर-राज्यीय परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य इन दोनों निकायों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं; राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता; आपात स्थितियों के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य आपदा प्रबंधक; सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संबंध

• **अनुच्छेद 163 :** जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है किवह अपने कृत्यों या उनमें से किसीको अपने विवेकानसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद्होगी जिसका प्रमुख, मुख्यमंत्री होगा।

• **अनुच्छेद 164 :** मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे; और मंत्रि-परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

• **अनुच्छेद 167 :** प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद्के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे; राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल माँगे, वह दे; और, राज्य के मामलों के प्रशासन और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रि-परिषद्ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ):

• पीएमओ भारत सरकार के प्रबंधन और संवैधानिक, कार्यकारी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निष्पादन में प्रधानमंत्री को सहायता प्रदान करता है।

• विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करना, नीति और प्रशासनिक मामलों पर परामर्श देना।

• प्रधान सचिव के नेतृत्व में, वरिष्ठ अधिकारी पीएम की सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री निधि

• **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ):** विस्थापित लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1948 में स्थापित, अब प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की सहायता करने और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने पर केंद्रित है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत दान 100% कर-कटौती योग्य है।

• **राष्ट्रीय रक्षा कोष:** 1962 में चीन-भारत युद्ध के बाद स्थापित, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, सार्वजनिक स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत योगदान 100% कर-कटौती योग्य है।

• **पीएम के यर्स फं ड:** कोविड-19 महामारी के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2020 में बनाया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटना है।

प्रधानमंत्री की भूमिका संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण कथन भारतीय प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

• **सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट:** प्रधानमंत्री छोटे सितारों के बीच एक चंद्रमा की तरह हैं।

• **आइवर जेनिंग्स:** प्रधानमंत्री वह सूर्य हैं जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं।

• **लॉर्ड मॉर्ले:** प्रधानमंत्री एक दूसरे के बीच सर्वोच्च व्यक्ति हैं और कैबिनेट आर्क के आधारशिला हैं।

• **हर्बर्ट मॉरिसन:** प्रधानमंत्री एक दूसरे के बीच सर्वोच्च व्यक्ति हैं, जिनकी भूमिका अधिक मजबूत है।

• **आर.एच. क्रॉसमैन:** कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में बदल गई है।

• **हम्फ्री बर्क ली:** प्रधानमंत्री के पास सुपर-मंत्रिस्तरीय शक्तियाँ हैं, जो लोकतंत्र को खतरे में डालती हैं।

• **डॉ. बी.आर. अंबेडकर:** प्रधानमंत्री की भूमिका राष्ट्रपति से बढ़कर है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है।

• **सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले:** जवाहरलाल नेहरू (1947-1964)।

• **दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले:**इंदिरा गांधी।

• **पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री:** मोरारजी देसाई।

• पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय प्रधानमंत्री: मोरारजी देसाई।

• **सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री:** राजीव गांधी।

- **दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री:** पी.वी. नरसिम्हा राव।
- **पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे:** इंदिरा गांधी।
- **दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री:** गुलजारी लाल नंदा।

नोट: भारत के प्रधानमंत्री को अपनी नियुक्ति के समय संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्हें छह महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। (यूपीएससी 2012) मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री राज्य प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई बम्बई (1952-56) मार्च 1977 (पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री) चरण सिंह उत्तर प्रदेश (1967-68, 1970) जुलाई 1979 वी.पी. सिंह उत्तर प्रदेश दिसंबर 1989 (राष्ट्रीय मोर्चा सरकार) पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश (1971-73) जून 1991 एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक जून 1996 (संयुक्त मोर्चा सरकार) नरेंद्र मोदी (भाजपा) गुजरात (2001-2014) मई 2014 के द्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** पोर्टफोलियो प्रणाली (विभाग आवंटन प्रणाली) की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 में की थी।
- **ब्रिटेन में:** मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है जो परंपरा के अनुसार काम करती है।
- **भारत में:** मंत्रिपरिषद प्रणाली भारत के संविधान में संहिताबद्ध और उल्लिखित है।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)

मुख्य परीक्षा दृष्टि: भारत में: मंत्रिपरिषद प्रणाली भारत के संविधान में संहिताबद्ध और उल्लिखित है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) • अनुच्छेद • प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ • राष्ट्रीय रक्षा कोष • पीएम के यर्स फं ड | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1948, 1961, 1962, 2020, 1947

भारत में कार्यकारी शक्ति: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उनक 87 संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 74 :** राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देनेके लिए एक मंत्रि-परिषद्होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति, मंत्रि-परिषद्के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद्से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है तथा राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात्दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- **अनुच्छेद 163 :** राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद्होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के दायरे में आता है या नहीं, तो इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद/राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जाँच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।
- लोकसभा /राज्यविधान सभा के विघटन के बाद भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद/ राज्य मंत्रिपरिषद बनी रहती है।
- जहाँ भी संविधान में राष्ट्रपति/राज्यपाल के संतुष्टी (Satisfaction) की आवश्यकता होती है, वहाँ राष्ट्रपति /राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टी न होकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद/राज्य मंत्रिपरिषद की संतुष्टी होगी (1974 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय)।
- **अनुच्छेद 75 /164:** नियुक्त मंत्री: प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति /राज्यपाल द्वारा और राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।
- **91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003:**
  - केंद्रीय मंत्रिपरिषद/राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री सहित लोक सभा / विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। [यूपीएससी 2022]
  - किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।

◦ जो सदस्य दलबदल के आधार पर निरर्हित होता है, वह मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए भी निरर्हित होगा।

• संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार और वर्गीकरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, यह समय और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है।

• केंद्रीय मंत्रिपरिषद/राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा (संसद नहीं)/राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

• जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नही है वह अधिकतम छह माह की तक अवधि के लिए मंत्री पद पर बना रह सकता है।

[यूपीएससी 2020]

• **अनुच्छेद 88 :** प्रत्येक मंत्री को दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है।

• **अनुच्छेद 177 :** एक मंत्री जो संसद/राज्य विधानमंडल के एक सदन का सदस्य है, उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है।

मानदंड केंद्रीय मंत्रिपरिषद (UCoM) राज्य मंत्रिपरिषद (एससीओएम) परिभाषा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी निकाय, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है।

राज्य स्तर पर कार्यकारी निकाय, जो राज्यपाल को सलाह देता है।

संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 74** और 75 भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 163** और 164 प्रमुख प्रधानमंत्री (पीएम) मुख्यमंत्री (सीएम) नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पीएम; पीएम की सलाह पर अन्य मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त सीएम; सीएम की सलाह पर अन्य मंत्री शपथ राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रशासित वेतन संसद द्वारा निर्धारित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कार्यकाल मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद धारण करते हैं। *[यूपीएससी 2013]*

राज्यपाल की इच्छा के अनुसार मंत्री पद धारण करते हैं सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी आकार सामान्य रूप से 60 से 70 मंत्री न्यूनतम 12 मंत्रियों की आवश्यकता संरचना इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सम्मिलित हैं *[यूपीएससी 2022]*

कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री सम्मिलित हैं विवेकाधिकार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं राज्यपाल कुछ मामलों में विवेक का प्रयोग कर सकते हैं न्यायिक समीक्षा दी गई सलाह अदालती जाँच के अधीन नहीं है न्यायिक समीक्षा के संबंध में समान प्रावधान मंत्रियों के अधिकार दोनों सदनों में बोल सकते हैं, केवल अपने सदन में मतदान कर सकते हैं विधायी भागीदारी के संबंध में यूकॉम के समान अधिकार बैठक कार्य के लिए निकाय के रूप में बैठक नहीं करते हैं विधायी कार्यों के लिए बैठक बुला सकते हैं

मंत्रियों के उत्तरदायित्व (**अनुच्छेद 75** /164) सामूहिक उत्तरदायित्व

• वे एक दल के रूप में कार्य करते हैं तथा एक साथ तैरते और डूबते हैं (अर्थात निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते है)।

[यूपीएससी 2018]

• **अविश्वास प्रस्ताव:** अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर राज्य सभा /राज्य विधान परिषद के मंत्रियों सहित पूरे केंद्रीय मंत्रिपरिषद / राज्य मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

• कैबिनेट के निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों (और अन्य मंत्रियों) पर बाध्यकारी होते हैं। ऐसा न करने पर त्यागपत्र देना पड़ता है।

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

मंत्री, राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद पर बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति/राज्यपाल, प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकते हैं जब मंत्रिपरिषद को लोक सभा/ विधान सभा में विश्वास मत प्राप्त हो।

कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं

ब्रिटेन के विपरीत, किसी मंत्री की विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।

अन्य केंद्रीय मंत्रि-परिषद

• संवैधानिक निकाय है, इस संबंध में संविधान के **अनुच्छेद 74** और 75 में विस्तार से बताया गया है।

• 60 से 70 मंत्रियों का बड़ा निकाय है।

• कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी तीनों श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। [यूपीएससी 2022]

• सरकारी कार्य के लिए एक निकाय के रूप में बैठक नहीं करती। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करती है।

कैबिनेट / मंत्रिमंडल

• 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा **अनुच्छेद 352** में अंत:स्थापित किया गया था। इस अनुच्छेदमेंकेवल कैबिनेट को परिभाषित किया गया है और इसकी शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है।

• अपेक्षाकृत लघु निकाय- 15 से 20 मंत्री।

• केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं।

[यूपीएससी 2013]

• एक निकाय के रूप में बैठक करते हैं और सरकारी कार्यों से संबंधित निर्णय लेते हैं।

• कैबिनेट अपने निर्णयों का मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यान्वयन किए जाने का पर्यवेक्षण करती है।

किचन कैबिनेट / किचन मंत्रिमण्डल

• अनौपचारिक निकाय जिसमें प्रधानमंत्री और दो-चार प्रभावशाली सहयोगी होते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है और जिनके साथ वे प्रत्येक समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। इसे 'इनर कैबिनेट (Inner Cabinet)' कहा जाता है जो सत्ता का वास्तविक केंद्र बन गया है।

• इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मित्र और परिवार के सदस्य जैसे बाहरी लोग भी शामिल होते हैं।

• 'किचन कैबिनेट' का परिदृश्य भारत के लिए अद्वितीय नहीं है; यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी मौजूद है।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

2018	2022	1978	2013
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व	कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं	केंद्रीय मंत्रि-परिषद	अविश्वास प्रस्ताव

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

मुख्य परीक्षा दृष्टि: 'किचन कैबिनेट' का परिदृश्य भारत के लिए अद्वितीय नहीं है; यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी मौजूद है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: व्यक्तिगत उत्तरदायित्व • कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं • केंद्रीय मंत्रि-परिषद • अविश्वास प्रस्ताव | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2018, 2022, 1978, 2013

(केंद्र सरकार का विधायी अंग) में राष्ट्रपति, लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) सम्मिलित हैं। भाग 5 में **अनुच्छेद 79** से 122 तकसंसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं। हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा 1954 में अपनाए गए। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान — राष्ट्रपति

• किसी भी सदन का सदस्य नहीं, किन्तु संसद का अभिन्न अंग है। ब्रिटेन और भारत के विपरीत, अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है।

• दोनों सदनों को आमंत्रित करता है और उनका सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित करता है, दोनों सदनों को संबोधित करता है, जब वे सत्र में नहीं होते हैं तो अध्यादेश जारी करता है, इत्यादि।

• 5 वर्ष पूरे होने से पहले लोकसभा को विघटित किया जा सकता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा और राज्यसभा राज्यसभा लोकसभा

• **अधिकतम सदस्य संख्या:** 250 = 238 (राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) + 12 (राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)।

• **वर्तमान संख्या:** 245 = 225 (राज्य) + 8 (संघ राज्यक्षेत्र) + 12 (कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)

• **चौथी अनुसूची:** राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।

• **नोट:** केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है (कुल 8 संघ राज्यक्षेत्र)।

• **अधिकतम सदस्य संख्या:** 550 = 530 (राज्य) + 20 (संघ राज्यक्षेत्र)

• **वर्तमान संख्या:** 543 = 524 (राज्य) + 19 (संघ राज्यक्षेत्र)

• राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल-भारतीयों का मनोनयन (**अनुच्छेद 331)** 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया)

• **17वीं लोकसभा:** आंग्ल-भारतीय समुदाय से कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है।

सदस्य

• **राज्यों का प्रतिनिधित्व:** विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं।

• **संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:** इस उद्देश्य के लिए खास तौर पर गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। यह निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है।

सदस्य

• **राज्यों का प्रतिनिधित्व:** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है (जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली (First-past-the-post system))।

• **संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:** संविधान ने संसद को लोकसभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तदनुसार, संसद ने संघ राज्यक्षेत्र (लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम, 1965 अधिनियमित किया, जिसके द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों से भी लोकसभा सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। (यूपीएससी 2012)

• सतत सदन (स्थायी निकाय)। विघटन नहीं किया जा सकता है।

• इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।

• सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुनः निर्वाचन और पुनः मनोनयन के लिए पात्र हैं।

• सतत सदन नहीं है।

• **सामान्य कार्यकाल:** आम चुनाव के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष, जिसके बाद यह स्वतः ही विघटित हो जाती है।

• राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून द्वारा कितनी भी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है (**अनुच्छेद 352)।** हालाँकि आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार छह महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता है।

संसद

(भाग 5: अनुच्छेद 79 से 122)

संसद की सदस्यता

अर्हताएँ (Qualifications) संविधान में उल्लेखित

• भारत का नागरिक होना चाहिए; इस उद्देश्य के लिए शपथ ले अथवा प्रतिज्ञान करे और उस पर हस्ताक्षर करे (अनुसूची-3);

• **आयु:** 25 वर्ष (लोकसभा) और 30 वर्ष (राज्यसभा)

• संसद द्वारा विधान के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य अर्हता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951)

• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। [यूपीएससी 2018]

• आरक्षित सीट पर निर्वाचन लड़ने के लिए किसी भी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य होना चाहिए। निरर्हता (Disqualification)

• **संविधान में उल्लेखित:** यदि वह लाभ का पद धारण करता है; यदि भारत का नागरिक नहीं है; यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और न्यायालय ने ऐसा घोषित किया है; यदि एक निर्मुक्त दिवालिया है; यदि भारत का नागरिक नहीं है अथवा उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभिस्वीकार किए हुए है; यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निरर्हित कर दिया जाता है।

• **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951:** चुनावी अपराध/भ्रष्ट आचरण का दोषी; निर्धारित समय के भीतर अपने चुनावी खर्च का हिसाब देने में विफल रहे; सरकारी संविदाओं, कार्यों अथवा सेवाओं में रुचि; निगम में लाभ के पद अथवा निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक के पद पर हो, जिसमें सरकार की कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हो; विभिन्न समूहों में शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया गया हो; सामाजिक अपराधों का प्रसार करने और संलिप्त पाए जाने के लिए दंडित किया गया हो; भ्रष्टाचार अथवा राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त हो; 2 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडित हो।

[यूपीएससी 2020]

• इस प्रश्न पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है कि क्या कोई सदस्य उपर्युक्त निरर्हताओं में से किसी के अधीन है अथवा नहीं। हालाँकि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की राय लेनी चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

• **दल-बदल के आधार पर निरर्हता (10वीं अनुसूची):** उस सदन के पीठासीन अधिकारी अर्थात्राज्यसभा के सभापति अथवा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है। हालाँकि उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है (किहोतो होलोहन मामले में निर्णय)।

• **आधार:** स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देता है; अपनी पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है; निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी दल में शामिल होता है; मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं।

पद रिक्ति

• **दोहरी सदस्यता:** कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) निम्नलिखित प्रावधान करता है:

• दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होने पर 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है अन्यथा स्वत: ही राज्यसभा से सीट रिक्त हो जाती है।

• वर्तमान सदस्यों के दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होने पर पहले सदन की सीट रिक्त हो जाती है।

• एक सदन में दो सीटों के लिए निर्वाचित होने पर एक को चुनना होगा, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएँगी। कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, अन्यथा 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल से त्यागपत्र न देने पर उसकी संसदीय सीट रिक्त हो जाती है।

• **निरर्हता:** यदि संसद का कोई सदस्य संविधान में निर्दिष्ट किसी भी निरर्हता के अधीन हो जाता है, तो उसकी सीट रिक्त हो जाती है। निरर्हताओं की सूची में संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दलबदल के आधार पर निरर्हता भी शामिल है।

• **त्यागपत्र:** सदन के पीठासीन अधिकारी को त्यागपत्र देता है।

• **अनुपस्थिति:** बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक। अन्य मामले

• यदि उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो;

• यदि उसे सभा से निष्कासित कर दिया गया हो;

• यदि वह राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है; और

• यदि उसे किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है।

संबंधित तथ्य: यदि कोई निरर्हित व्यक्ति संसद के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो संविधान में उसके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इस मामले को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) द्वारा संबोधित किया गया है, जो निरर्हित उम्मीदवार के निर्वाचित होने पर उच्च न्यायालय को निर्वाचन को शून्य घोषित करने में सक्षम बनाता है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: संसद की सदस्यता

1. संसद की सदस्यता	2. पद रिक्ति
3. आयु	4. संविधान में उल्लेखित

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — संसद की सदस्यता

मुख्य परीक्षा दृष्टि: यदि उसे किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: संसद की सदस्यता • पद रिक्ति • आयु • संविधान में उल्लेखित • आधार | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1951, 2018, 2020

शपथ/ प्रतिज्ञान

• राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

• विहित शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने से पहलेवह मतदान नहीं कर सकता और सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकताऔर संसदीय विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों का पात्र नहीं होता।

• एक व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में सदन में सदस्य के रूप में बैठने अथवा मतदान करने के लिए प्रत्येक दिन 500 रुपये के जुर्माने दंडनीय होगा: विहित शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने से पहले; अथवा जब वह जानता हो कि वह अर्हित नहीं है अथवा वह सदस्यता के लिए निरर्हित है; अथवा जब वह जानता हो कि उसे किसी संसदीय कानून के आधार पर सदन में बैठने अथवा मतदान करने से प्रतिबंधित किया गया है।

वेतन और भत्ते: संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि, 1976 में संसद ने सदस्यों को पेंशन प्रदान की। लोकसभा के लिए निर्वाचन की प्रणाली

• लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (Territorial constituencies) में विभाजित किया जाता है।

• संविधान यह सुनिश्चित करता है कि दो मामलों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता हो: (क) विभिन्न राज्यों के बीच और (ख)एक ही राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच।

• यद्यपि संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को त्याग दिया है, लेकिन यह जनसंख्या अनुपात के आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण काप्रावधान करता है।

  ◦ आरक्षित सीटों का निर्वाचन किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है, इसके लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान नहीं किया गया है।

  ◦ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सामान्य (गैर-आरक्षित) सीट से भी निर्वाचन लड़ने से नहीं रोका जाता है।

• 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने राज्यों को लोकसभा में सीटों के आवंटन और 1971 के स्तर पर वर्ष 2000 तक प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को रोक दिया। जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के इसी उद्देश्य से 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा पुन:समायोजन पर इस प्रतिबंध को अगले 25 वर्षों (वर्ष 2026 तक) के लिए बढ़ा दिया गया था।

• **61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988:** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

संसद के पीठासीन अधिकारी

संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में एक सभापति एवं एक उप-सभापति होता है। इसके अतिरिक्त, लोकसभा के लिए अध्यक्षों (Chairpersons) का सदस्यों के बीच से एक पैनल नियुक्त किया जाता हैं तथा राज्यसभा के लिए उप-सभापति के लिए सदस्यों के बीच से एक पैनल नियुक्त किया जाता हैं।

• **104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019:** लोकसभा और विधायी निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण (**अनुच्छेद 330** और 332) को आगे (25 जनवरी 2030 तक) बढ़ा दिया गया है।

• लोकसभा (2 सदस्य) और विधायी निकायों (1 सदस्य) में एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने के प्रावधान (**अनुच्छेद 331)** को समाप्त करना।

• **प्रोटेम स्पीकर (अनुच्छेद 95) :**

  ◦ पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त कर देता है। प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी पद) पिछले लोकसभा सदस्यों से नवनिर्वाचित सदस्यों तक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। वह सदन को नये अध्यक्ष का निर्वाचन करने में भी मदद करता है।

  ◦ राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है (शपथ भी दिलाता है)। सामान्य रूप से इसके लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है।

  ◦ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करते समय, कोई अलग से शपथ नहीं लेते हैं अथवा प्रतिज्ञान नहीं करते हैं और न ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की संस्था का इतिहास

• **संस्था की उत्पत्ति:** भारत शासन अधिनियम, 1919 से हुई।

• 1921 से पहले, भारत का गवर्नर-जनरल केंद्रीय विधायी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था।

• 1921 में, फ्रे डरिक व्हाईट और सचिदानंद सिन्हा को भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा केंद्रीय विधायी सभा के पहले अध्यक्ष तथा पहले उपाध्यक्ष (क्रमशः) के रूप में नियुक्त किया गया था।

• 1925 में, विट्ठलभाई जे. पटेल केंद्रीय विधायी सभा के पहले भारतीय और पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने।

• 1935 के भारत शासन अधिनियम ने केंद्रीय विधायी सभा के प्रेसीडेंट और डिप्टी प्रेसीडेंट का नामकरण बदलकर क्रमशः अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) कर दिया। हालाँकि पुराना नामकरण 1947 तक जारी रहा क्योंकि 1935 के अधिनियम का संघीय भाग लागू नहीं किया गया था।

• **इस प्रकार लोकसभा के पहले अध्यक्ष:** श्री जी.वी. मावलंकर और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष: श्री अनंतशयनम अय्यंगर थे।

लोकसभा अध्यक्ष (**अनुच्छेद 93)**

• लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का निर्वाचन करती है।

• **निर्वाचन की तिथि:** राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

• लोकसभा के कार्यकाल के दौरान पद पर बना रहता है। हालाँकि उन्हें निम्नलिखित तीन मामलों में से किसी एक में अपना पद पहले खाली करना होगा:

◦ लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है; *[यूपीएससी 2018]*

◦ उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे देता है; और

◦ लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (अर्थात प्रभावी बहुमत) द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जाता है (**अनुच्छेद 94)।**

[यूपीएससी 2012]

■ ऐसा प्रस्ताव केवल 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही लाया जा सकता है।

■ पद से हटाने के इस प्रस्ताव पर तभी विचार और चर्चा की जा सकती है जब इसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।

[यूपीएससी 2024]

■ जब उपयुक्त प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। हालाँकि वह पहले वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में नहीं।

• यदि लोकसभा विघटित हो जाती है, तो अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक होने तक पद पर बना रहता है।

शक्तियाँ और कर्तव्य

वह अपनी शक्तियाँ और कर्तव्य तीन स्रोतों से प्राप्त करता है, अर्थात्भारत का संविधान, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम और संसदीय परंपरा (Parliamentary Conventions)।

• सदस्यों, समग्र रूप से सदन और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।

• सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखता है।

• **अंतिम व्याख्याकार:** सदन के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों और संसदीय दृष्टांतों का अंतिम व्याख्याकार होता है।

• गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर देता है अथवा बैठक निलंबित कर देता है। सदन की बैठक करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ हिस्सा है।

• पहले मतदान नहीं करता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है।

• वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है (**अनुच्छेद 108)।**

• सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की 'गुप्त' बैठक की अनुमति देता है।

• यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। विधेयक पर यहप्रमाणपत्र पृष्ठांकित करता है कि यह एक धन विधेयक है।

• दल-बदल के आधार पर लोकसभा सदस्य की निरर्हता के प्रश्नों का निर्णय करता है। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है (किहोतो होलोहन मामला)।

• लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों की निगरानी करता है।

• **पदेन अध्यक्ष:** कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति।

• भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। यह समूह भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है।

• देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन अध्यक्ष होता है।

स्वतंत्रता और निष्पक्षता

• कार्यकाल की सुरक्षा।

• वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किये जाते हैं। वे भारत की संचित निधि पर प्रभारित होते हैं।

• लोकसभा में किसीसारभूत प्रस्ताव के अलावा उनके कार्य और आचरण पर चर्चा तथा आलोचना नहीं की जा सकती।

• सदन में प्रक्रिया को विनियमित करने, कार्य संचालित करने अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं।

• केवल निर्णायक मत का प्रयोग करता है।

• पदानुक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सातवें स्थान(रैंक) पर रखा गया है।

• ब्रिटेन में, स्पीकर पूरी तरह से एक निष्पक्ष व्यक्ति (Nonparty man) होता है। यह स्वस्थ परंपरा भारत में पूर्णतः स्थापित नहीं है।

राज्यसभा के सभापति (**अनुच्छेद 89)**

• भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

• किसी भी अवधि के दौरान जब उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। साथ ही, वह राज्यसभा के सभापति को देय किसी भी वेतन अथवा भत्ते का हकदार नहीं होता है।

लेकिन ऐसे समय में उसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता दिया जाता है।

• लोकसभा अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है।

• लोकसभा अध्यक्ष की तरह, राज्यसभा का सभापति पहली बार में मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में मतदान कर सकता है, अर्थात्निर्णायक मत दे सकता है।

• **वेतन एवं भत्ता:** संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर प्रभारित होते हैं।

• **पद से हटाया जाना (अनुच्छेद 67) :** केवल तभी जब उसे उप-राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। जब ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वह मतदान के अधिकार के बिना एक सामान्य सदस्य के रूप में कार्यवाही में भाग ले सकता है।

  ◦ जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वे राज्यसभा के सभापति के रूप में किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता।

शक्तियाँ और कर्तव्य

• नीचे उल्लिखित दो विशेष शक्तियों को छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष के समान शक्तियाँ और कर्तव्य होते हैं:

  ◦ लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है।

  ◦ लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है (**अनुच्छेद 108)।**

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: शक्तियाँ और कर्तव्य



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — शक्तियाँ और कर्तव्य

मुख्य परीक्षा दृष्टि: नीचे उल्लिखित दो विशेष शक्तियों को छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष के समान शक्तियाँ और कर्तव्य होते हैं:

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: शक्तियाँ और कर्तव्य • स्वतंत्रता और निष्पक्षता • अंतिम व्याख्याकार • पदेन अध्यक्ष • वेतन एवं भत्ता | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2018, 2012, 2024

लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उप-सभापति लोकसभा के उपाध्यक्ष (**अनुच्छेद 93)** राज्यसभा के उप-सभापति (**अनुच्छेद89)**

- **11वीं लोकसभा के बाद से:** यह सर्वसम्मति बनी है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल अथवा गठबंधन से और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से होगा। *[यूपीएससी 2022, 2017]*
- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होने के बाद, ऐसी तिथि पर, जो अध्यक्ष तय कर सकता है, उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। *[यूपीएससी 2022]*
- जब भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो लोकसभा उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है।
- लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है (**अनुच्छेद 108)।**
- यदि किसी संसदीय समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है।
- राज्यसभा द्वारा स्वयं अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है। जब भी
- उप-सभापति का पद रिक्त होता है, तो राज्यसभा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का निर्वाचन करती है।
- सभापति का पद रिक्त होने पर अथवा जब उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उप-सभापति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
- उप-सभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति (उप-राष्ट्रपति) को सौंपता है।

लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उप-सभापति दोनों:

- संबंधित सदन द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते हैं और निर्वाचन की तारीख अध्यक्ष/सभापति द्वारा तय की जाती है।
- अध्यक्ष/सभापति के अधीन नहीं होते हैं, सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह अध्यक्ष/सभापति का का पद रिक्त होने पर अथवा सदन की बैठक से उनके अनुपस्थित रहने पर उनके कर्तव्यों निर्वहन करते हैं।

तीन मामलों में अपना पद पहले खाली कर सकते हैं:

- लोकसभा/राज्यसभा का सदस्य नहीं रहते हैं;
- अध्यक्ष/सभापति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे देते हैं; और
- लोकसभा/राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटा दिए जाते हैं।
- पहले मतदान नहीं करते हैं। केवल निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं।
- **वेतन और भत्ता:** संसद द्वारा तय किये जाते हैं और भारत की संचित निधि पर प्रभारित होते हैं।
- **पद से हटाने की प्रक्रिया:** लोकसभा अध्यक्ष के समान। जब उपाध्यक्ष/उप-सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, हालाँकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है।
- राज्यसभा के उप-सभापति को पद से हटाया जाना। (**अनुच्छेद 90)**
- लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाना। (**अनुच्छेद 94)** लोकसभा की अध्यक्षता पैनल/राज्यसभा की उप-सभापति पैनल
- लोकसभा अध्यक्ष/ राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत होते हैं, पैनल में 10 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं।

• लोकसभा अध्यक्ष/ राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष/उप-सभापति की अनुपस्थित में अध्यक्षता करता है।

• जब अध्यक्ष/सभापति के अध्यक्षता पैनल का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है, तो सदन द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष/सभापति के रूप में कार्य करता है।

• यदि लोकसभा अध्यक्ष/ राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष/उप-सभापति दोनों के पद रिक्त हैं, तो अध्यक्षता नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति सदन से एक सदस्य को नियुक्त करता है।

संसद सचिवालय

• संसद के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालयी कर्मचारी होता है, हालाँकि दोनों सदनों में कुछ पद समान हो सकते हैं।

• उनकी भर्ती और सेवा शर्तें संसद द्वारा विनियमित होती हैं ।

• प्रत्येक सदन के सचिवालय का नेतृत्व एक महासचिव करता है । वह एक स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है।

संसद में नेता और सचेतक — सदन का नेता

• लोकसभा के नियमों के तहत, 'सदन के नेता (Leader of the House)' का अर्थ प्रधानमंत्री है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है अथवा एक मंत्री है, जो लोकसभा का सदस्य है और उसे प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

• राज्यसभा में भी 'सदन का नेता' होता है। वह एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है और इस सदनके नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।

• प्रधानमंत्री सदन के एक उपनेता (Deputy leader of the House) को भी नामित कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वही पदाधिकारी 'बहुमत के नेता (Majority leader)' के नाम से जाना जाता है।

विपक्ष का नेता (Leader of Opposition)

• सदन के नियमों और संसदीय विधान(संविधि) में इसका उल्लेख है।

• 1969 में पहली बार विपक्ष के नेता की मान्यता मिली। *[यूपीएससी 2018]*

• 1977 में सांविधिक मान्यता मिली, जैसा कि संसद अधिनियम, 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते में उल्लिखित है।

• विपक्ष के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक सीटें कुल सीटों के 1/10 से कम नहीं होनी चाहिए। *[यूपीएससी 2018]*

• **मंत्री का दर्जा:** विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएँ पाने का हकदार होता है।

• आइवर जेनिंग्स ने इसे "वैकल्पिक प्रधानमंत्री (Alternative Prime Minister)" कहा।

• संयुक्त राज्य अमेरिका में वही पदाधिकारी 'अल्पमत नेता (minority leader)' के नाम से जाना जाता है। सचेतक (Whip)

• संविधान, सदन के नियमों और संसदीय संविधि में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की परंपराओं पर आधारित है।

• प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना मुख्य सचेतक और सचेतक (सहायक फ्लोर लीडर) होता है, जो अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है; किसी विशेष मुद्दे के पक्ष अथवा विपक्ष में उनका समर्थन सुरक्षित करता है; संसद में उनके व्यवहार का विनियमन और निगरानी करता है।

• सदस्यों को सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

• लोकसभा में सत्ता दल का मुख्य सचेतक संसदीय कार्य मंत्री होता है। राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री यह पद धारण करता है।

• **व्हिप के प्रकार:**

  ◦ **प्रथम-पंक्ति व्हिप:** सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करता है, बिना यह बताए कि उन्हें कैसे मतदान करना है।

  ◦ **द्वितीय-पंक्ति व्हिप:** सदस्यों को मतदान में भाग लेने का निर्देश देता है, बिना किसी विशेष मतदान निर्देश के ।

  ◦ **तृतीय-पंक्ति व्हिप:** सदस्यों को पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करने का निर्देश देता है।

• किसी मान्यता प्राप्त दल अथवा समूह का मुख्य सचेतक, संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता एवं मुख्य सचेतक (सुविधाएँ) अधिनियम, 1998 के तहत टेलीफोन तथा सचिवालयी सुविधाओं का हकदार है।

- **मान्यता प्राप्त दल:**इसके लोकसभा मेंकम सेकम 55 अथवा राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए।
- **मान्यता प्राप्त समूह:** इसके लोकसभा में कम से कम 30 सदस्य अथवा राज्यसभा में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिए।

संसद से संबंधित महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ

सत्र बुलाना (Summoning) (**अनुच्छेद 85)**

• राष्ट्रपति समय-समय पर अथवा ऐसे स्थिति पर, जहाँ वह उचित समझे, संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाता है। *[यूपीएससी 2020]*

• सदन की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए। दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों तक बैठक करनी है, इसका कोई प्रावधान नहीं है।

[यूपीएससी 2020]

सत्र (Session)

• यह सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान (अथवा लोकसभा के मामले में विघटन) के बीच की अवधि है, जिसके दौरान सदन की बैठक कामकाज निपटाने के लिए होती है।

• **एक वर्ष में सामान्यतः तीन सत्र होते हैं:** *[यूपीएससी 2020]*

- बजट सत्र (फरवरी से मई);
- मानसून सत्र (जुलाई से सितम्बर); और
- शीतकालीन सत्र (नवम्बर से दिसम्बर)। अवकाश (Recess) सदन के सत्रावसान (Prorogation) और पुनः समवेत होने (Reassembly) के बीच की अवधि।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: संसद में नेता और सचेतक

1969	2018	1977	1998
संसद में नेता और सचेतक	सदन का नेता	मंत्री का दर्जा	व्हिप के प्रकार

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — संसद में नेता और सचेतक

मुख्य परीक्षा दृष्टि: एक वर्ष में सामान्यतः तीन सत्र होते हैं: *[यूपीएससी 2020]*

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: संसद में नेता और सचेतक • सदन का नेता • मंत्री का दर्जा • व्हिप के प्रकार • प्रथम-पंक्ति व्हिप | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1969, 2018, 1977, 1998, 2020

स्थगन

(Adjournment)

• संसद की बैठक को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप एक निर्दिष्ट समय के लिए बैठक में कार्य निलंबित हो जाता है, यह स्थगन कुछ घंटे, दिन अथवा सप्ताह के लिए हो सकता है।

• यह सदन के समक्ष लंबित विधेयकों अथवा किसी अन्य कार्य को प्रभावित नहीं करता है और सदन की दोबारा बैठक होने पर इसे फिर से शुरू किया जा सकता है।

• एक दिन में सदनकी दो बैठकेंहोती हैं, अर्थात्पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक की बैठक और भोजनावकाश के बाद की बैठक अपहराह्न 2 बजे से सायं 6 बजे तक।

अनिश्चित काल के लिए स्थगन

(Adjournment Sine Die)

• इसका अर्थ है सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना।

• यह स्थगन सदन के समक्ष लंबित विधेयकों अथवा किसी अन्य कार्य को भी प्रभावित नहीं करता है।

• **ध्यान दें:** पीठासीन अधिकारी सदन की बैठक उस तारीख अथवा समय से पहले भी बुला सकता है जिसके लिए इसे स्थगित किया गया है अथवा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय बुलाया जा सकता है।

सत्रावसान

(Prorogation)

• राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करते हैं। हालाँकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं।

• इससे सदन की बैठक और सत्र समाप्त हो जाता है।

• यह सदन के समक्ष लंबित विधेयकों अथवा किसी अन्य कार्य को भी प्रभावित नहीं करता है। हालाँकि सभी लंबित नोटिस (विधेयक पुर:स्थापित करने की सूचनाओं को छोड़कर) सत्रावसान पर समाप्त हो जाती हैं और अगले सत्र के लिए नई नोटिस देनी पड़ती हैं। ब्रिटेन में, सत्रावसान से सदन के समक्ष लंबित सभी विधेयक अथवा कोई अन्य कार्य समाप्त हो जाते हैं।

विघटन

(Dissolution)

• केवल लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। सत्रावसान के विपरीत, विघटन से मौजूदा सदन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । विघटन अपरिवर्तनीय (Irrevocable) है।

• जब लोकसभा विघटित हो जाती है, तो उसके अथवा उसकी समितियों के समक्ष लंबित विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प आदि सहित सभी कार्य व्यपगत (Lapse) हो जाते हैं।

• लोकसभा का विघटन निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी भी तरीके हो सकता है:

  ◦ स्वत: विघटन (लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति)।

  ◦ जब भी राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय लेता है।

• हालाँकि कुछ लंबित विधेयक और सभी लंबित आश्वासन, जिनकी जाँच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होते हैं।

लेम डक सेशन

(Lame Duck Session)

• नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र।

• वे मौजूदा सदस्य जो नई लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित नहीं हो सके, उन्हें लेम-डक्स (Lame- ducks) कहा जाता है। गणपूर्ति (Quorum)

• सदन द्वारा कोई भी कार्य करने से पहले उसमें न्यूनतम संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है (पीठासीन अधिकारी सहित सदन के कुल सदस्यों का दसवाँ हिस्सा)।

• यदि गणपूर्ति न हो, तो पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे अथवा गणपूर्ति होने तक बैठक को निलंबित कर दे।

संसद में भाषा

• संविधान ने संसद में कामकाज निपटाने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी को भाषा घोषित किया है। हालाँकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

• राजभाषा अधिनियम (1963) ने संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी को हिन्दी के साथ जारी रखने की अनुमति दी।

मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार

• भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को दोनों सदनों + संयुक्त बैठक + संसद की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य है, की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है।

सदन में मतदान

• सभी मामलों का निर्णय पीठासीन अधिकारी को छोड़कर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है।

• केवल कुछ मामलों, जिनका संविधान में खास तौर पर उल्लेख किया गया है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान में संशोधन, संसद के पीठासीन अधिकारियों को पद से हटाना, के लिए या तो प्रभावी बहुमत अथवा विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की नहीं।

• किसी सदन की कार्यवाही किसी भी अनधिकृत मतदान अथवा भाग लेने अथवा उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति के बावजूद वैध होती है।

• मतदान के तरीकों में ध्वनि मत (Voice Vote), गुप्त मतदान (Secret Ballot), पर्चियों के वितरण द्वारा मतों की रिकॉर्डिंग, औपचारिक मतदान के बजाय सदस्यों की उनके स्थानों पर वास्तविक गणना करना और निर्णायक मत (Casting Vote) सम्मिलित हैं।

लोकसभा विघटित होने पर विधेयकों के व्यपगत होने के संबंध में विधेयकों की स्थिति

• **विधेयक व्यपगत हो जाता है:**
  ◦ जो विधेयक लोकसभा में लंबित है।
  ◦ जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है, लेकिन लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। *[यूपीएससी 2016]*

• **विधेयक व्यपगत नहीं होता:**
  ◦ दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक व्यपगत नहीं होता है।
  ◦ विधेयक राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है। *[यूपीएससी 2016]*
  ◦ विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया है और यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले संयुक्त बैठक बुलाने करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
  ◦ कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लंबित है, तो वह व्यपगत नहीं होता है। संसदीय कार्यवाही की युक्तियाँ प्रश्नकाल (Question Hour)

• संसद की बैठक के पहले घंटे में सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं, कभी-कभी गैर-सरकारी सदस्यों (Private Members) से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

• प्रारंभ में भारतीय परिषद अधिनियम *1892* द्वारा प्रावधान किया गया था।

• प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है।

• **प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं:**
  ◦ **तारांकित प्रश्न:** मौखिक उत्तर देना होता है और उन पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है।
  ◦ **अतारांकित प्रश्न:** लिखित उत्तर देना होता है और उन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।
  ◦ **अल्प सूचना प्रश्न:** मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है और *10* दिनों से कम की अल्प सूचना पर पूछा जा सकता है।

• तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्नों और गैर-सरकारी सदस्यों से पूछे जाने प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफेद, हल्के गुलाबी और पीले रंग में मुद्रित की जाती है, ताकि उन्हें एक दूसरे से अलग पहचाना जा सके।

शून्यकाल

(Zero Hour)

• यह अविलंबनीय लोक महत्त्व के विभिन्न मामले उठाने के लिए सदस्यों के लिए उपलब्ध अनौपचारिक युक्ति है।

• प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन की कार्यसूची समाप्त होने तक चलता है।

• प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। यह एक भारतीय नवाचार है (1962 से अस्तित्व में है)। प्रस्ताव (Motions) संसद में सामान्य लोक महत्त्व के मामलों पर चर्चा के लिए पीठासीन अधिकारी की सहमति से प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता होती है। सदन प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करके अपना निर्णय या राय व्यक्त करता है, फिर उन प्रस्तावों को मंत्रियों अथवा गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है।

प्रस्ताव तीन श्रेणियों के हैं:

• **मौलिक प्रस्ताव (Substantive Motion):** यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामले से संबंधित स्वत: पूर्ण, स्वतंत्र प्रस्ताव होता है।

• **स्थानापन्न प्रस्ताव (Substitute Motion):** एक विकल्प प्रस्तावित करता है, यदि सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह मूल प्रस्ताव (Original Motion) का स्थान ले लेता है।

• **गौण प्रस्ताव (Subsidiary Motion):** इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है और इसके लिए सदन के मौलिक प्रस्ताव अथवा कार्यवाही के संदर्भ की आवश्यकता होती है अन्यथा यह सदन के निर्णय को नहीं बता सकता है। इसकी तीन उप-श्रेणियाँ हैं:

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: सदन में मतदान

1. सदन में मतदान	**2. शून्यकाल**
3. प्रस्ताव तीन श्रेणियों के हैं	**4. विधेयक व्यपगत हो जाता है**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — सदन में मतदान

मुख्य परीक्षा दृष्टि: स्थानापन्न प्रस्ताव (Substitute Motion): एक विकल्प प्रस्तावित करता है, यदि सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह मूल प्रस्ताव (Original Motion) का स्थान ले लेता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: सदन में मतदान • शून्यकाल • प्रस्ताव तीन श्रेणियों के हैं • विधेयक व्यपगत हो जाता है • विधेयक व्यपगत नहीं होता | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2016, 1892, 1962

- **सहायक प्रस्ताव (Ancillary Motion):** इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य के साथ कार्यवाही के नियमित तरीके के रूप में किया जाता है।
- **अधिक्रमण प्रस्ताव (Superseding Motion):** यह किसी अन्य मुद्दे पर बहस के दौरान पेश किया जाता है और इसका आशय उस मुद्दे का अधिक्रमण करना होता है।
- **संशोधन प्रस्ताव (Amendment Motion):** इसका आशय मूल प्रस्ताव के केवल एक भाग को संशोधित अथवा प्रतिस्थापित करना है।

समापन प्रस्ताव

(Closure Motion) किसी सदस्य द्वारा बहस को कम करने का प्रस्ताव, यदि स्वीकृत हो जाता है, तो बहस रोक दी जाती है और मामले को मतदान के लिए रखा जाता है।

समापन प्रस्ताव चार प्रकार के होते हैं:

• **सरल समापन (Simple Closure):** मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब मतदान के लिए रखा जाता है।

• **समूहीकृत समापन (Closure by Compartments):** किसी विधेयक/संकल्प के खंडों को बहस के लिए समूहीकृत किया गया। बहस के बाद पूरे समूह को मतदान के लिए रखा जाता है।

• **कंगारू समापन (Kangaroo Closure):** केवल महत्त्वपूर्ण खंडों को बहस के लिए लिया जाता है और उन पर मतदान किया जाता है, अन्य खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है।

• **गिलोटिन समापन (Guillotine Closure):** जब समय की कमी के कारण चर्चा न किए गए खंडों/संकल्पों को भी चर्चा किए गए खंडों/संकल्पों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

(Privilege Motion) संसद में किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तब लाया जाता है, जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर अथवा विकृत करके सदन अथवा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(Calling Attention Motion)

- किसी सदस्य द्वारा लोक महत्त्व के अविलंबनीय मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है।
- भारतीय नवाचार है (1954 से अस्तित्व में है) एवं प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)
- अविलंबनीय लोक महत्त्व के निश्चित मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है।
- एक असाधारण युक्ति है, जो सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करता है।
- राज्यसभा को इस प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्त्व शामिल होता है।
- स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम दो घंटे तीस मिनट तक चलनी चाहिए।
- **मानदंड:** एक से अधिक मामला शामिल न हो; हाल की घटना का विशिष्ट मामला हो और इसे सामान्य शब्दों में नहीं बताया जाना चाहिए; विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए; पहले चर्चा नहीं की गई हो (उसी सत्र में); किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए, जो न्यायालय के विचाराधीन हो; ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए, जो किसी अलग प्रस्ताव द्वारा उठाया जा सके ; 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। *[यूपीएससी 2012]*

विश्वास प्रस्ताव

(Confidence Motion)

- विश्वास प्रस्ताव खंडित जनादेश, जिससे त्रिशंकुसंसद, अल्पमत की सरकारें और गठबंधन सरकारें बनती हैं, की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक युक्ति के रूप में उभरा है।
- ऐसे मामलों में जब अल्प बहुमत (Slim majorities) वाली सरकारों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति उनसे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने की माँग कर सकते हैं।
- वैकल्पिक रूप से सरकारें स्वेच्छा से विश्वास प्रस्ताव लाकर अपना बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करती हैं। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो सरकार गिर जाती है।

अविश्वास प्रस्ताव

(No-Confidence Motion)

- **अनुच्छेद 75 :** मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र का आधार है।
- संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसे प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के तहत पेश किया जाता है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। *[यूपीएससी 2014]*
- मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बने रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
- अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है, इसे स्वीकृत किए जाने के कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ (व्यक्तिगत मंत्री/मंत्रियों के समूह के खिलाफ नहीं) लाया जाता है और यदि पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा।

निंदा प्रस्ताव

(Censure Motion)

- सरकार की कुछ(कतिपय) नीतियों के निरनुमोदन की माँग करने के लिए पेश किया जाता है।

• इसे स्वीकृत किए जाने के कारणों को बताने की आवश्यकता होती है।

• किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह अथवा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ मामला उठाया जा सकता है ।

• यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं होती है। धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)

• यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाया जाता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा सरकार की नीतियों की रूपरेखा बतायी जाती है। इस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होती है।

• मतदान के लिए रखा जाता है और प्रस्ताव पारित होना चाहिए अन्यथा यह सरकार की हार होगी। अनियत दिन वाला प्रस्ताव (No-Day-Yet- Named Motion)

• वह प्रस्ताव जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उस पर चर्चा के लिए कोई तारीख नियत नहीं की गयी है। विलम्बकारी प्रस्ताव (Dilatory Motion)

• यह किसी विधेयक/प्रस्ताव/संकल्प आदि पर बहस को स्थगित करने का प्रस्ताव है।

• प्रस्ताव रखे जाने के बाद किसी भी समय इसे किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है ।

• बहस को प्रस्ताव में शामिल मुद्दे तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

• यह प्रस्ताव सदन में विचाराधीन किसी कार्य की प्रगति को धीमा अथवा विलंबित करने के लिए लाया जाता है।

• यदि अध्यक्ष की राय है कि ऐसा प्रस्ताव सदन के नियमों का दुरुपयोग है, तो वह या तो तुरंत उस पर प्रश्न रख सकता है अथवा प्रश्न प्रस्तावित करने से इनकार कर सकता है।

व्यवस्था का प्रश्न

(Point of Order)

• जब सदन की कार्यवाही में प्रक्रिया के सामान्य नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं; व्यवस्था का प्रश्न सामान्य रूप से विपक्ष द्वारा उठाया जाता है।

• इसे सदन के नियमों अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्याख्या अथवा प्रवर्तन से संबंधित होना चाहिए, जो सदन के कार्य को नियंत्रित करते हैं और ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिए, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

• यह एक असाधारण युक्ति है, क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है और व्यवस्था के प्रश्न पर बहस की अनुमति नहीं दी जाती है।

आधे घंटे की चर्चा

(Half-an-Hour Discussion)

• यह पर्याप्त लोक महत्त्व के मामले पर चर्चा करने के लिए है।

• अध्यक्ष ऐसी चर्चाओं के लिए सप्ताह में तीन दिन आवंटित कर सकते हैं।

• सदन में न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव दिया जाता है और न ही मतदान होता है। अल्पावधि चर्चा (Short Duration Discussion)

• इसे दो घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसी चर्चा के लिए आवंटित समय दो घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष ऐसी चर्चाओं के लिए सप्ताह में दो दिन आवंटित कर सकते हैं।

• सदन के समक्ष न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव दिया जाता है और न ही मतदान होता है।

• यह युक्ति 1953 से अस्तित्व में है। विशेष उल्लेख (Special Mention)

• ऐसा मामला जो व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाए जाने के योग्य नहीं है अथवा जिसे प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा के दौरान अथवा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना अथवा सदन के किसी अन्य नियम के तहत नहीं उठाया जा सकता है, उसे राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत उठाया जा सकता है।

• लोकसभा में, इसके प्रक्रियात्मक समकक्ष को 'नियम 377 के अधीन नोटिस (उल्लेख)' कहा जाता है। संकल्प

• एक संकल्प (Resolution) एक स्वतः पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव होता है, जो सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इस तरह से तैयार किया जाता है कि वह सदन के निर्णय को व्यक्त करने में सक्षम हो।

• सदस्य सामान्य लोक हित के मामलों पर सदन अथवा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संकल्प पेश करते हैं।

• कोई भी सदस्य जिसने कोई संकल्प पेश किया है अथवा किसी संकल्प में संशोधन किया है, वह सदन की अनुमति के बिना इसे वापस नहीं ले सकता।

• सभी संकल्प मौलिक प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं, वहीं दूसरी ओर सभी प्रस्तावों का मौलिक होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, सभी प्रस्तावों पर सदन में मतदान कराना जरूरी नहीं है, जबकि सभी संकल्पों पर मतदान कराना जरूरी होता है।

• **संकल्प तीन प्रकार के होते हैं:**

  ◦ **गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प:** गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है और हर दूसरे शुक्रवार को केवल अपराह्न की बैठक में चर्चा की जाती है।

  ◦ **सरकारी संकल्प:** किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।

  ◦ **सांविधिक संकल्प:** इसे किसी निजी सदस्य अथवा मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे सांविधिक संकल्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के किसी प्रावधान अथवा संसद के किसी अधिनियम के अनुसरण में पेश किया जाता है।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: निंदा प्रस्ताव



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — निंदा प्रस्ताव

मुख्य परीक्षा दृष्टि: कोई भी सदस्य जिसने कोई संकल्प पेश किया है अथवा किसी संकल्प में संशोधन किया है, वह सदन की अनुमति के बिना इसे वापस नहीं ले सकता।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: निंदा प्रस्ताव • व्यवस्था का प्रश्न • आधे घंटे की चर्चा • गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प • सरकारी संकल्प | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1953

युवा संसद (Youth Parliament)

• युवा पीढ़ी को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं से परिचित कराने, अनुशासन तथा सहिष्णुता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज के बारे में उचित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन (Fourth All India Whips Conference) की सिफारिश पर शुरू की गई।

• संसदीय कार्य मंत्रालय यह योजना शुरू करने के लिए राज्यों को आवश्यक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करता है। संसद में विधायी प्रक्रिया

• संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया समान है।

• प्रत्येक विधेयक को प्रत्येक सदन में समान चरणों से गुजरना पड़ता है।

• विधेयककानून बनानेके लिए एकप्रस्ताव होता है औरविधिवत अधिनियमित होने पर यह एक अधिनियम अथवा कानून बन जाता है।

विधेयकों के प्रकार

पुरःस्थापन के आधार पर (Based on Introduction) सरकारी विधेयक निजी विधेयक

• यह किसी मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है।

• यह सरकार (सत्तारूढ़ दल) की नीतियों को दर्शाता है।

• इसे मंत्री के सिवाय संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है।

[यूपीएससी 2017]

• इसे संसद द्वारा अनुमोदित किये जाने की संभावना अधिक होती है।

• सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति सरकार में संसदीय विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति होती है और इसके कारण उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है।

• इसे सदन में पेश करने के लिए सात दिन पूर्व सूचना देनी होती है।

• इसका प्रारूप संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।

• इसे संसद द्वारा अनुमोदित किये जाने की संभावना कम होती है।

• सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार पर संसदीय विश्वास अथवा उसके त्यागपत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

• इसे सदन में पेश करने के लिए एक महीने पूर्व सूचना देनी होती है।

• इसका प्रारूप तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है।

संसद में विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया के आधार पर उनके प्रकार

• **साधारण विधेयक:** वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित होता है।

• **धन विधेयक (अनुच्छेद 110) :** कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित होता है।

• **वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117) :** यह भी वित्तीय मामलों से भी संबंधित होता है (लेकिन धन विधेयक से भिन्न है)। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।

• **संविधान संशोधन विधेयक:** संविधान के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होता है (**अनुच्छेद 368)।** संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

साधारण विधेयक (Ordinary Bill)

• इसे लोकसभा अथवा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।

• इसे किसी मंत्री अथवा किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।

• इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश किया जाता है।

• इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है।

• इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम छह महीने के लिए रोका जा सकता है।

• राज्यसभा में प्रेषित किए जाने (यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया है) के लिए इसे अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

• दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने बाद ही इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध की स्थिति में, गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

• लोकसभा में इसके पारित न होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है (यदि इसे किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है)।

• इसे राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार, अनुमोदित किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है।

साधारण विधेयक के अधिनियमन के चरण — प्रथम वाचन

• विधेयक का पुर:स्थापन और राजपत्र में इसका प्रकाशन विधेयक का पहला वाचन होता है। इस स्तर पर विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है।

• सदस्यों को विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए सदन से अनुमति लेनी होती है।

• बाद में, विधेयक भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि कोई विधेयक पुर:स्थापित किए जाने से पहले राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है, तो विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए सदन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

द्वितीय वाचन

विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत संवीक्षा की जाती है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है। इसके तीन और उप-चरण हैं:

• **सामान्य चर्चा का चरण:** विधेयक के सिद्धांतों और उसके प्रावधानों पर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है और समिति को भेजा जाता है। विधेयक के विवरण पर चर्चा नहीं की जाती है।

  ◦ इस स्तर पर, सदन निम्नलिखित चार कार्रवाईयों में से कोई एक कार्रवाई कर सकता है: वह विधेयक पर तुरंत अथवा किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार कर सकता है;वह विधेयक को सदनकी प्रवर समिति (Select Committee) को भेज सकता है; वह विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज सकता है; और यह जनता की राय जानने के लिए विधेयक को प्रसारित कर सकता है।

• **समिति चरण:** समिति विधेयक की खंड-वार गहन जाँच करती है और उसके प्रावधानों में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन इसके अंतर्निहित सिद्धांतों में बदलाव किए बिना। समिति जाँच और चर्चा पूरी करने के बाद विधेयक पर अपना प्रतिवेदन सदन को सौंपती है।

• **विचार चरण:** विधेयकों के प्रावधान पर खंड-वार विचार किया जाता है और प्रत्येक खंड पर अलग से चर्चा एवं मतदान किया जाता है। सदस्य संशोधन भी पेश कर सकते हैं तथा यदि स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो वे विधेयक का अंग बन जाते हैं।

तृतीय वाचन

• बहस कुल मिलाकर विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तक ही सीमित होती है। किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होती है।

• यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक स्वीकृत हो जाता है, तो उसे सदन द्वारा पारित माना जाता है। इसके बाद, विधेयक को सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है तथा विचार एवं अनुमोदन के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है।

• किसी विधेयक को संसद द्वारा तभी पारित माना जाता है, जब दोनों सदन उस पर संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना सहमत हों।

दूसरे सदन में विधेयक

• दूसरे सदन में भी विधेयक तीनों चरणों अर्थात्प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन से होकर गुजरता है।

• **इस सदन के समक्ष चार विकल्प होते हैं:**

  ◦ वह पहले सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को पारित कर सकता है (अर्थात्, संशोधन के बिना);

  ◦ वह विधेयक को संशोधनों के साथ पारित कर सकता है और पुनर्विचार के लिए इसे पहले सदन को लौटा सकता है;

  ◦ वह विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकृत कर सकता है;

• वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, इस प्रकार विधेयक को लंबित रख सकता है। *[यूपीएससी 2015, 2024]*

• यदि दूसरा सदन बिना किसी संशोधन के विधेयक को पारित कर देता है अथवा पहला सदन दूसरे सदन द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार कर लेता है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और उसे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है।

• यदि पहला सदन दूसरे सदन द्वारा सुझाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर देता है अथवा दूसरा सदन विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकृत कर देता है अथवा दूसरा सदन छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो गतिरोध उत्पन्न हुआ माना जाता है।

• ऐसे गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यदि विधेयक संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत हो जाता है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। *[यूपीएससी 2015]*

राष्ट्रपति की सहमति

• यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है, तो विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और उसके बाद उसे राजपत्र में प्रकाशित करके लागू कर दिया जाता है।

• यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक लेता है, तो विधेयक का अंत हो जाता है।

• यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और यदि इसे दोनों सदनों द्वारा संशोधनों के साथ अथवा संशोधन के बिना पुनः पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी।

धन विधेयक

किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाता है, जब उसमें 'केवल' निम्नलिखित सभी अथवा किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं:

• किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार (Imposition, Abolition, Remission), परिवर्तन अथवा विनियमन; *[यूपीएससी 2019]*

• केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन; *[यूपीएससी 2019]*

• भारत की संचित निधि अथवा भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना अथवा उससे निकालना; *[यूपीएससी 2019]*

• भारत की संचित निधि से धन का विनियोग; *[यूपीएससी 2019]*

• भारत की संचित निधि पर प्रभारित किसी व्यय की घोषणा करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि बढ़ाना;

• भारत की संचित निधि अथवा भारत के लोक लेखा (Public Account of India) में धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा अथवा जारी करना अथवा संघ या किसी राज्य के लेखाओं की लेखापरीक्षा; अथवा

• ऊपर निर्दिष्ट किसी भी मामले का आनुषंगिक कोई भी मामला।

• **नोट:** किसी विधेयक को केवल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं: जुर्माना अथवा अन्य आर्थिक दंड लगाना; अथवा लाइसेंस अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्की माँग अथवा भुगतान; अथवा स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा किसी भी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन।

धन विधेयक के लिए विधायी प्रक्रिया

• **परिचय:**
  ◦ इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
  ◦ इसे केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है और इसे एक सरकारी विधेयक माना जाता है।
  ◦ इसे राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर ही पेश किया जा सकता है।

• **राज्य सभा की कार्यवाही:**

• इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित अथवा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को विधेयक को सिफ़ारिशों के साथ अथवा सिफ़ारिशों के बिना लौटा देना चाहिए, जिन्हें लोकसभा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है। *[यूपीएससी 2013]*

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: तृतीय वाचन

2015	2024	2019	2013
तृतीय वाचन	दूसरे सदन में विधेयक	राष्ट्रपति की सहमति	धन विधेयक

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — तृतीय वाचन

मुख्य परीक्षा दृष्टि: इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित अथवा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को विधेयक को सिफ़ारिशों के साथ अथवा सिफ़ारिशों के बिना लौटा देना चाहिए, जिन्हें लोकसभा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है। *[यूपीएससी 2013]*

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: तृतीय वाचन • दूसरे सदन में विधेयक • राष्ट्रपति की सहमति • धन विधेयक • समिति चरण | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2015, 2024, 2019, 2013

• इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है।

• इसे राज्यसभा में भेजने से पहले अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करना होता है।

• **राष्ट्रपति की मंजूरी:**
  ◦ इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, भले ही इसे केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो। दोनों सदनों के बीच किसी भी असहमति की संभावना नहीं है, इसलिए इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। *[यूपीएससी 2013]*

• **सरकार की जवाबदेही:**
  ◦ लोकसभा में धन विधेयक पारित न होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
  ◦ इसे राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत अथवा अनुमोदित किया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाया जा सकता है।

वित्त विधेयक (I) और वित्त विधेयक (II) के बीच अंतर वित्त विधेयक (I) [**अनुच्छेद 117** (1)]

वित्त विधेयक (II) [**अनुच्छेद 117(** 3)]

वह विधेयक जिसमें न केवल **अनुच्छेद 110** के विशेष मामले शामिल होते हैं, बल्कि सामान्य विधान के अन्य मामले भी शामिल होते हैं।

वह विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं, लेकिन इसमें **अनुच्छेद 110** में उल्लिखित कोई भी मामला शामिल नहीं होता है।

• केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है ।

• राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर ही पेश किया जाता है।

• संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है।

• पेशकिएजान के लिएराष्ट्रपति की सिफ़ारिश आवश्यक नहीं है, बल्कि विचार करने के लिए आवश्यक है।

एक साधारण विधेयक पर लागू होने वाली विधायी प्रक्रिया को अपनाया जाता है।

संयुक्त बैठक (**अनुच्छेद 108)**

- यह किसी विधेयक को पारित करने में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई एक असाधारण मशीनरी है।
- **संयुक्त बैठक के लिए शर्तें:**
- किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन में भेजे जाने के बाद निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक के तहत गतिरोध उत्पन्न हुआ माना जाता है:
  - यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है;
  - यदि दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर अंततः असहमत होते हैं; अथवा
  - यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से छह महीने से अधिक समय बीत चुका है।
- **संयुक्त बैठक बुलाना:**
  - राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श और मतदान के उद्देश्य से दोनों सदनों को संयुक्त बैठक पर बुला सकते हैं।
  - यदि विवादित विधेयक संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
- **संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना:**
  - लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है।
  - यदि उपाध्यक्ष भी संयुक्त बैठक से अनुपस्थित रहता है, तो राज्यसभा का उप-सभापति अध्यक्षता करता है। यदि वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा, जो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाए।
- राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।
- **गणपूर्ति एवं प्रक्रिया:** संयुक्त बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति (Quorum) दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का दसवाँ हिस्सा है, लेकिन यह राज्यसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के प्रक्रिया-नियमों द्वारा शासित होती है।
- यदि विवादित विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण पहले ही व्यपगत हो चुका है, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
  - हालाँकि यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी बैठक बुलाने के अपने आशय को अधिसूचित करने के बाद लोकसभा विघटित हो जाती है, तो संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है (क्योंकि इस मामले में विधेयक व्यपगत नहीं होता है)।
  - एक बार जब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अपने आशय को अधिसूचित कर देते हैं, तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकता है।
- **ऐतिहासिक उदाहरण:** दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान केवल तीन बार लागू किया गया है:
  - दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1960;
  - बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977;
  - आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002।
- **प्रयोज्यता:**
- संयुक्त बैठककाप्रावधानकेवल सामान्यविधेयकोंअथवावित्तविधेयकों पर लागू होता है, धन विधेयकों अथवा संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं।
- **संशोधन प्रावधान:**
  - संविधान ने यह विहित किया है कि संयुक्त बैठक में दो मामलों को छोड़कर विधेयक में नए संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं:
  - वे संशोधन जिनके कारण सदनों के बीच अंतिम असहमति हुई है; और
  - वे संशोधन जो विधेयक के पारित होने में विलम्ब के कारण जरूरी हो गए हैं।

बजट (**अनुच्छेद-112)**

- संविधान में इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)' (**अनुच्छेद 112)** कहा गया है। संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
- यह एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है।

• **बजट में निम्नलिखित शामिल होते हैं:**

◦ राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के प्राक्कलन (Estimates);

◦ राजस्व बढ़ाने के तरीके एवं साधन;

◦ व्यय के प्राक्कलन;

◦ समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण;

◦ आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीति। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003: एफआरबीएम अधिनियम, 2003 संसद में समष्टि-आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यह विवरण जीडीपी वृद्धि, केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र संतुलन का आकलन करता है। (यूपीएससी 2020)

• **ऐतिहासिक प्रसंग:** 2017 तक, भारत सरकार के दो बजट थे, रेल बजट और सामान्य बजट।

• 1924 में एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट (1921) की सिफ़ारिशों पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था।

• भारत के संविधान में बजट के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

◦ राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखते हैं। (**अनुच्छेद 112)** (यूपीएससी 2024)

◦ राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं की जाएगी। (**अनुच्छेद 113)**

◦ कानून द्वारा किए गए विनियोग के सिवाय भारत की संचित निधि (सीएफआई) से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। (**अनुच्छेद 114)**

◦ कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा और ऐसा कोई विधेयक राज्यसभा में भी पेश नहीं किया जाएगा। (**अनुच्छेद 117)**

◦ कानून के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया अथवा एकत्र नहीं किया जाएगा। (**अनुच्छेद 265)**

◦ संसद किसी कर को कम अथवा समाप्त कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती।

◦ राज्यसभा को अनुदान की माँग पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है; यह लोकसभा का विशिष्ट विशेषाधिकार है। (**अनुच्छेद 113)**

◦ भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय तथा भारत की संचित निधि से किये गये व्यय का अलग-अलग लेखांकन होगा (**अनुच्छेद 112)।**

भारत की संचित निधि (सीएफआई) पर प्रभारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है।

◦ लोकसभा किसी भी माँग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है अथवा माँग में निर्दिष्ट राशि को कम कर सकती है, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती (**अनुच्छेद 113)।**

◦ संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव स्वीकृत अनुदान की राशि में परिवर्तन अथवा उसके प्रयोजन में परिवर्तन, या भारत की संचित निधि पर प्रभारित किसी भी व्यय की राशि में परिवर्तन होगा (**अनुच्छेद 114)।**

◦ लोकसभा अनुदान की माँगों पर मतदान पूरा होने औरविनियोग विधेयक (**अनुच्छेद 116)** के अधिनियमित होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम रूप से कोई भी अनुदान (लेखानुदान) दे सकती है।

नोट: जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोक सभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तो प्रधानमंत्री एवं मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। (यूपीएससी 2011) भारत की संचित निधि पर "प्रभारित" व्यय प्रभारित व्यय पर संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है, अर्थात इस पर संसद द्वारा केवल चर्चा की जा सकती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं-

• राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्ते।

• उच्चतम न्यायालय, सीएजी और यूपीएससी के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें इन कार्यालयों में सेवारत व्यक्तियों के वेतन, भत्ते और पेंशन भी सम्मिलित हैं।

• किसी भी न्यायालय अथवा मध्यस्थता अधिकरण (Arbitral Tribunal) के किसी निर्णय, डिक्री अथवा पंचाट (award) का समाधान करने के लिए आवश्यक कोई भी धनराशि।

• वह ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है।

• संसद द्वारा इस प्रकार प्रभारित किए जाने के लिए घोषित कोई अन्य व्यय। बजट के अधिनियमन के चरण बजट का प्रस्तुतीकरण:

• परंपरागत रूप से, बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता था। 2017 से, बजट के प्रस्तुतीकरण की तिथि 1 फरवरी कर दी गई है।

• बजट को दो अथवा दो से अधिक भागों में भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और जब ऐसी प्रस्तुति होती है, तो प्रत्येक भाग को ऐसे देखा जाएगा जैसे कि यह संपूर्ण बजट हो।

• इसके अतिरिक्त, जिस दिन बजट सदन में पेश किया जाएगा उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 102

मुख्य परीक्षा दृष्टि: इसके अतिरिक्त, जिस दिन बजट सदन में पेश किया जाएगा उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: ऐतिहासिक प्रसंग | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2003, 2020, 2017, 1924, 1921

सामान्य चर्चा:

• बजट पर सामान्य चर्चा बजट के प्रस्तुतीकरण के कुछ दिनों बाद शुरू होती है। यह संसद के दोनों सदनों में होती है और सामान्यत: तीन से चार दिनों तक चलती है।

• इस चरण के दौरान, लोकसभा बजट पर समग्र रूप से अथवा उसमें शामिल सिद्धांत के किसी भी प्रश्न पर चर्चा कर सकती है, लेकिन कोई कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, न ही बजट को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त मंत्री को चर्चा के अंत में उत्तर देने का सामान्य अधिकार है।

विभागीय समितियों द्वारा संवीक्षा:

• बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद सदनों को लगभग तीन से चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

• इस अंतराल अवधि के दौरान संसद की 24 विभागीय स्थायी समितियाँ संबंधित मंत्रियों की अनुदान माँगों की जाँच और विस्तार से चर्चा करती हैं एवं उन पर प्रतिवेदन तैयार करती हैं।

• ये प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। 1993 में स्थापित (और 2004 में विस्तारित) स्थायी समिति प्रणाली मंत्रालयों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण को अधिक विस्तृत, गहन और व्यापक बनाती है।

अनुदानों की माँगों पर मतदान:

• लोकसभा विभागीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए अनुदानोंकीमाँगों परमतदानकरती है। येमांगेंमंत्रालयवारप्रस्तुतकी जाती हैं।

• विधिवत मतदान के बाद कोई माँग अनुदान बन जाती है।

• अनुदान की माँगों पर मतदान करना लोकसभा का विशिष्ट विशेषाधिकार है।

• मतदान बजट के मतदान योग्य भाग तक ही सीमित है। भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

• प्रत्येक माँग पर लोकसभा द्वारा अलग से मतदान किया जाता है। इस चरण के दौरान, संसद सदस्य बजट के विवरण पर चर्चा कर सकते हैं। वे अनुदान की किसी भी माँग को कम करने के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ऐसे प्रस्तावों को 'कटौती प्रस्ताव' कहा जाता है, जो तीन प्रकार के होते हैं: कटौती प्रस्ताव

• **नीतिगत कटौती (Policy Cut):** यह माँग में अंतर्निहित नीति के निरनुमोदन (Disapproval) को दर्शाती है। माँग की मात्रा को कम करके 1 रुपया करना होता है। सदस्य वैकल्पिक नीति का भी समर्थन कर सकते हैं।

• **मितव्ययता कटौती (Economy Cut):** इसमें कहा जाता है कि माँग की मात्रा को निर्दिष्ट राशि तक कम किया जाए (जो या तो माँग में एकमुश्त कमी या माँग की किसी मद का लोप या कटौती हो सकती है)।

• **सांके तिक कटौती (Token Cut):** यह एक विशिष्ट शिकायत को उजागर करती है, जो भारत सरकार की जिम्मेदारी के क्षेत्र में होती है। इसमें कहा जाता है कि माँग की राशि में 100 रुपये कम किए जाएँ।

कटौती प्रस्ताव को ग्राह्य होने के लिए उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

• स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ केवल किसी एक माँग/विशिष्ट मामले से संबंधित होना चाहिए और उसमें कोई तर्क अथवा मानहानिकारक कथन नहीं होना चाहिए;

• मौजूदा कानूनों में संशोधन अथवा निरसन के लिए कोई सुझाव नहीं होना चाहिए।

• ऐसे मामले का उल्लेख नहीं होना चाहिए, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सरोकार का विषय नहीं है।

• भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए।

• इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह न्यायालय के निर्णयाधीन है।

• विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

• जिस विषय पर उसी सत्र में निर्णय हो चुका हो उस पर दोबारा चर्चा की माँग नहीं होनी चाहिए।

• किसी कम महत्त्व के मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए।

• किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र अथवा आचरण पर चिंतन नहीं होना चाहिए, जिसके आचरण को केवल मौलिक प्रस्ताव पर चुनौती दी जा सकती है।

• उस मामले की आशा नहीं की जानी चाहिए, जो पहले उसी सत्र में विचार के लिए नियत किया गया हो।

• किसी सांविधिक अधिकरण या न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाले सांविधिक प्राधिकरण या किसी आयोग अथवा जाँच अदालत (Court of enquiry) के समक्ष लंबित किसी मामले पर चर्चा करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। विनियोग विधेयक पारित किया जाना (Passing of Appropriation Bill):

• संविधान में कहा गया है कि "कानून द्वारा किए गए विनियोग के सिवाय भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।" तदनुसार, लोकसभा द्वारा अनुदान की माँगों को स्वीकृत और पारित किए जाने के बाद, भारत की संचित निधि से विनियोग का प्रावधान करने के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाता है।

• राष्ट्रपति की सहमति के बाद विनियोग विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम भारत की संचित निधि से भुगतान को अधिकृत (या वैध) करता है।

• **लेखानुदान:**

  ◦ विनियोग विधेयक को पारित करने से संबंधित कार्यात्मक कठिनाई को दूर करने के लिए, संविधान ने लोकसभा को अनुदान की माँगों को स्वीकृत किए जाने और विनियोग विधेयक के अधिनियमन तक वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम अनुदान देने के लिए अधिकृत किया है।

  ◦ इस प्रावधान को 'लेखानुदान (Vote on Account)' के नाम से जाना जाता है। इसे बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद पारित किया जाता है (या प्रदान किया जाता है) और यह सामान्यतः दो महीने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसकी राशि कुल प्राक्कलन के छठे हिस्से के बराबर होती है। अंतरिम बजट और लेखानुदान के बीच तुलना

• **अनुच्छेद 266 :** भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है।

• **अनुच्छेद 114(3):** कानून (विनियोग विधेयक) बनाये बिना संचित निधि से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अंतरिम बजट (Interim Budget) लेखानुदान (Vote on Account)

• यदि सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने का समय नहीं है, अथवा आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो सरकार द्वारा संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाता है।

• चुनाव नजदीक आने की स्थिति में यह संभव है कि आने वाली सरकार पूर्ण बजट बनाए।

• यदि सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पूर्ण बजट पेश करने में सक्षम नहीं है, तो उसे नया बजट पारित होने तक नए वित्तीय वर्ष में व्यय करने के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

• जब तक संसद बजट पर चर्चा नहीं करती और इसे अंतरिम बजट के माध्यम से पारित नहीं कर देती, तब तक सरकार लेखानुदान पारित करती है जिससे सरकार अपने प्रशासनिक व्ययों को पूरा कर सकती है।

• लेखानुदान एक प्रावधान है, जिसके द्वारा सरकार नई सरकार के गठन तक व्यय वहन करने के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए संसद का अनुमोदन लेती है।

• लेखानुदान में केवल सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय की सूची होती है।

• लेखानुदान को एक औपचारिक मामला माना जाता है इसलिए इसे बिना चर्चा के लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है।

• लेखानुदान किसी भी कीमत पर प्रत्यक्ष करों में बदलाव नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष करों में कोई भी परिवर्तन केवल वित्त विधेयक पारित करके ही किया जा सकता है।

• लेखानुदान अंतरिम बजट के जरिए पारित किया जा सकता है।

• "लेखानुदान" केवल सरकार के बजट में होने वाले व्यय से संबंधित होता है। (यूपीएससी 2011) वित्त विधेयक पारित किया जाना अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए प्रतिवर्ष 'वित्त विधेयक' पेश किया जाता है, जिसमें किसी भी अवधि के लिए अनुपूरक प्रस्ताव भी शामिल होते हैं।

• इसे धन विधेयक के रूप में माना जाता है और इसमें करों से संबंधित संशोधन हो सकते हैं। संसद सदस्य चर्चा के चरण के दौरान सामान्य प्रशासन, स्थानीय शिकायतों अथवा मौद्रिक नीतियों से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं।

• करों का अनंतिम संग्रह अधिनियम (The Provisional Collection of Taxes Act) के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर पारित किया जाना अनिवार्य है।

• वित्त अधिनियम, बजट के आय पक्ष को वैध बनाकर बजट प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान करता है।

• विभिन्न प्रकार की निधियों के बीच तुलना भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) भारत का लोक लेखा (Public Account of India) भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India) **अनुच्छेद 266** **अनुच्छेद 266** **अनुच्छेद 267** सभी प्राप्तियाँ क्रेडिट की जाती हैं और सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं।

भारत की संचित निधि में जमा राशि के अलावा सभी सार्वजनिक धन को इसमें जमा किया जाएगा।

संसदीय कानून द्वारा निर्धारित राशि समय-समय पर इस निधि में भुगतान की जाती है।

भारत सरकार की ओर से सभीकानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इस निधि से किए जाते हैं।

इसमें पीएफ जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, विप्रेषण आदि सम्मिलित हैं।

इसे राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में रखा गया है और वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इससे अग्रिम राशि ले सकता है।

संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा इस निधि से कोई धन जारी नहीं किया जा सकता है।

[यूपीएससी 2015]

कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा धारित किया जाता है। यह कार्यकारी कार्यवाही द्वारा संचालित होती है।

नोट: भारत की संचित निधि से धन निकालने का प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए। भारत की संसद, सरकारी कामकाज के संचालन के लिए करों और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं। (यूपीएससी 2011)

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 104

1. लेखानुदान

2. अनुच्छेद

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 104

मुख्य परीक्षा दृष्टि: कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा धारित किया जाता है। यह कार्यकारी कार्यवाही द्वारा संचालित होती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: लेखानुदान • अनुच्छेद | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2011, 2015

भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण: संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन निकालना, अनुपूरक अनुदानों और वोट-ऑन अकाउंट्स का प्रावधान करना तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करना। (यूपीएससी 2012) विभिन्न प्रकार के अनुदान अनुपूरक अनुदान z **अनुच्छेद 115** - जब चालू वित्तीय वर्ष हेतु सेवा के लिए अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है।

अतिरिक्त अनुदान z **अनुच्छेद 115** - कुछ नई सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय, जिन पर उस वर्ष के बजट में विचार नहीं किया गया था।

अधिक अनुदान

(Excess Grant)

• **अनुच्छेद 115** - जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक धन व्यय किया गया हो।

• **अनुच्छेद 116** - अतिरिक्त अनुदान की माँगों को स्वीकृत करने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

ऋण की अनुमति

(Vote of Credit)

• **अनुच्छेद 116** - यह भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है, जब सेवा के परिमाण या अनिश्चित प्रकृति के कारण, मांग का सामान्य रूप से बजट में दिए गए विवरण के साथ उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

असाधारण अनुदान

(Exceptional Grant)

• **अनुच्छेद 116** - यह एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है और यह किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है।

सांके तिक अनुदान

(Token Grant)

• यह तब प्रदान किया जाता है, जब एक नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

• एक सांके तिक राशि (1 रुपये) के अनुदान की माँग लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती है और यदि स्वीकृत हो जाती है, तो धन उपलब्ध कराया जाता है।

• पुनर्विनियोग में एक मद से दूसरे मद में धन का अंतरण किया जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं होता है। अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक और असाधारण अनुदान तथा ऋण की अनुमति उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित होते हैं, जो नियमित बजट के मामले में लागू होती है।

लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा की स्थिति

लोकसभा के समान स्थिति लोकसभा के साथ असमान स्थिति राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ

• साधारण विधेयक।

• संविधान संशोधन विधेयक। *[यूपीएससी 2020,2013]*

• भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित वित्तीय विधेयक।

• राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

राज्यसभा के पास धन विधेयक में संशोधन करने/ उसे अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है। *[यूपीएससी 2015]*

• **अनुच्छेद-249 :** राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।

• **अनुच्छेद- 312 :**राज्यसभा केंद्र और राज्य दोनों के लिए सामान्य अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है।

• उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों, सीईसी एवं सीएजी को पद हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश।

• उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाना (राज्यसभा अकेले ही पद से हटाने की पहल कर सकती है)।

• राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्ययादेश का अनुमोदन।

• आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन

• प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन।

• संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना।

• उच्चतम न्यायालय और यूपीएससी की अधिकारिता का विस्तार।

• लोकसभा, राज्यसभा की सभी अथवा किसी भी सिफ़ारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

दोनों ही मामलों में, धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

• कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष में निहित है।

• वित्त-विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।

• लोकसभा अध्यक्ष संयुक्तबैठककी अध्यक्षताकरता है।

• राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान की माँग पर मतदान नहीं कर सकती।

[यूपीएससी 2015]

• राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है।

• अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। [यूपीएससी 2022, 2014]

• **अनुच्छेद 67 :** राज्यसभा अकेले ही उप-राष्ट्रपति को पद से हटाने की पहल कर सकती है।

• **अनुच्छेद 352 , 356 और 360:** आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा उस समय जब लोकसभा विघटित हो गई हो या उसके अनुमोदन के लिए दी गई अवधि के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाए, तब भी प्रभावी रह सकती है यदि इसे अकेले राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

संसदीय विशेषाधिकार

• **संसदीय विशेषाधिकार:** संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ तथा छूट।

• संविधान ने भारत के महान्यायवादी को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए है, जो संसद का अभिन्न अंग भी हैं।

विशेषाधिकारों के स्रोत

• मूल रूप से, संविधान (**अनुच्छेद 105)** में दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है: संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।

• अब तक संसद ने सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है ।

• **वे पाँच स्रोतों पर आधारित हैं, अर्थात्:** संवैधानिक प्रावधान; संसद द्वारा बनाये गये विभिन्न कानून; दोनों सदनों के नियम; संसदीय परम्पराएं; और न्यायिक व्याख्याएँ।

सामूहिक विशेषाधिकार

• अपने प्रतिवेदन, वाद-विवाद और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार; दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार।

• कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए गुप्त बैठकें आयोजित करना। इसकी कार्यवाही से अपरिचितों को बाहर रखना।

• अपनी स्वयं की प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाना तथा ऐसे मामलों पर निर्णय लेना।

• संसद के विशेषाधिकारों के उल्लंघन अथवा इसकी अवमानना के लिए सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को भी दंडित करना।

• किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोष-सिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

• पूछताछ करने और गवाहों की उपस्थिति का आदेश देने तथा प्रासंगिक दस्तावेज और रिकॉर्ड मंगवाने का विशेषाधिकार।

• न्यायालयों को किसी सदन अथवा उसकी समितियों की कार्यवाही की जाँच करने से प्रतिबंधित किया गया है।

• पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति (सदस्य या बाहरी व्यक्ति) को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और कोई कानूनी प्रक्रिया (सिविल या आपराधिक) नहीं की जा सकती है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

• संसद के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले तथा सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है (केवल नागरिक मामलों में लागू होता है, आपराधिक मामलों अथवा निवारक हिरासत के मामलों में नहीं)।

• **बोलने की स्वतंत्रता:** कोई भी सदस्य संसद अथवा इसकी समितियों में कही गई किसी भी बात अथवा दिए गए वोट के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।

• **जूरी सेवा से छूट:** जब संसद सत्र चल रहा हो, तो वह न्यायालय में लंबित किसी मामले में साक्ष्य देने और साक्षी के रूप में उपस्थित होने से इनकार कर सकता है।

विशेषाधिकार का उल्लंघन

• जब कोई व्यक्ति अथवा प्राधिकारी किसी सदस्य की व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप में सदन के किसी भी विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्तियों की अवहेलना अथवा उल्लंघन करता है, वह सदन द्वारा दंडनीय है।

संसद की संप्रभुता

• **संप्रभुता:** राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति; इसके प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र पर कोई 'कानूनी' प्रतिबंध नहीं हैं।

• 'संसद की संप्रभुता' का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है अर्थात्ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है।

• भारत की संसद को उसी अर्थ में एक संप्रभु निकाय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र पर 'कानूनी' प्रतिबंध हैं।

[यूपीएससी 2021]

भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले कारक इस प्रकार हैं:

• लिखित संविधान

• संघीय शासन प्रणाली

• न्यायिक समीक्षा प्रणाली

• मूल अधिकार इस संबंध में, भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका (जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है) के समान है। कांग्रेस की संप्रभुता कानूनी रूप से लिखित संविधान, संघीय शासन प्रणाली, न्यायिक समीक्षा प्रणाली और अधिकारों के विधेयक द्वारा निर्बन्धित है।

संसदीय और मंत्रिमंडल समितियाँ

भारत के संविधान में इन समितियों का उल्लेख अलग-अलग जगहों पर किया गया है, लेकिन उनकी संरचना, कार्यकाल, कार्यों आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। दोनों सदनों के नियमों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है।

संसदीय समिति

• सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित अथवा लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत।

• लोकसभा अध्यक्ष /राज्यसभा के सभापति के निर्देशन में कार्य करती हैं।

• अपना प्रतिवेदन सदन अथवा लोकसभा अध्यक्ष /राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत करती हैं।

• लोकसभा/राज्यसभा द्वारा संसदीय समितियों के सचिवालय की व्यवस्था की जाती है।

• परामर्शदात्री समितियाँ (Consultative committees), जिनमें संसद के सदस्य भी शामिल होते हैं, संसदीय समितियाँ नहीं हैं, क्योंकि वे उपर्युक्त चार शर्तों को पूरा नहीं करती हैं।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: संसदीय विशेषाधिकार

1. संसदीय विशेषाधिकार	**2. विशेषाधिकारों के स्रोत**
3. सामूहिक विशेषाधिकार	**4. व्यक्तिगत विशेषाधिकार**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — संसदीय विशेषाधिकार

मुख्य परीक्षा दृष्टि: परामर्शदात्री समितियाँ (Consultative committees), जिनमें संसद के सदस्य भी शामिल होते हैं, संसदीय समितियाँ नहीं हैं, क्योंकि वे उपर्युक्त चार शर्तों को पूरा नहीं करती हैं।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: संसदीय विशेषाधिकार • विशेषाधिकारों के स्रोत • सामूहिक विशेषाधिकार • व्यक्तिगत विशेषाधिकार • विशेषाधिकार का उल्लंघन | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2021

वर्गीकरण

संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं:-

• **स्थायी समितियाँ:** ये समितियाँ स्थायी (प्रत्येक वर्ष अथवा समय-समय पर गठित), निरंतर आधार पर कार्य करती हैं।

• **तदर्थ समितियाँ:** ये समितियाँ अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं: जाँच समितियाँ (Inquiry Committees) और सलाहकार समितियाँ (Advisory Committees)।

महत्त्वपूर्ण संसदीय समितियाँ

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) गठन

• इस समिति की गठन 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति से मानी जा सकती है।

• स्वातंत्र्योत्तर काल में पहली प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। संरचना

• 30 सदस्य, सभी लोकसभा से (सबसे बड़ी समिति)। [यूपीएससी 2014]

• ये सदस्य लोकसभा द्वारा प्रत्येक वर्ष एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार अपने स्वयं के सदस्यों में से चुने जाते हैं।

• मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। कार्य बजट की जाँच करना और सार्वजनिक व्यय की मितव्ययियताओं का सुझाव देना।

नीति में भागीदारी सार्वजनिक व्यय की मितव्ययियता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव देती है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में गठित की गई।

संरचना

• 22 = 15 (लोकसभा) + 7 (राज्यसभा)। [यूपीएससी 2013]

• सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं।

  ◦ अध्यक्ष विपक्ष से होता है।

  ◦ मंत्री सदस्य नहीं हो सकते।

• समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से की जाती है।

• 1966-67 तक अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था।

• 1967 से अध्यक्ष सदैव विपक्ष से रहा है। कार्य

• सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की जाँच करना और अनियमितताओं का पता लगाया। [यूपीएससी 2013]

• समिति सार्वजनिक व्यय की जाँच न केवल कानूनी और औपचारिक दृष्टि से बल्कि मितव्ययिता, विवेक, बुद्धिमत्ता तथा औचित्य के दृष्टिकोण से भी करती है। [यूपीएससी 2013]

• सीएजी – लोक लेखा समिति के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (Committee on Public Undertakings) गठन कृष्ण मेनन समिति 1964।

संरचना

• 22 सदस्य = 15 (लोकसभा) + 7 (राज्यसभा)

• मंत्री सदस्य नहीं हो सकते।

• समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा से चुने गए सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कार्य

• सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्टों और लेखाओं की जाँच करना।

• पीएसयू के रोजमर्रा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

• सिफ़ारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। विभागीय स्थायी समितियाँ (24 समितियाँ) गठन लोकसभा की नियम समितियों की सिफारिश पर (1993) पहली बार गठित की गईं। 2004 में, ऐसी सात और समितियाँ गठित की गईं, इस प्रकार उनकी संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई।

संरचना

• 31 सदस्य = 21 (लोकसभा) + 10 (राज्यसभा)।

• सदस्य संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं।

• **कार्यकाल:** प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से एक वर्ष होता है।

• मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट होने के पात्र नहीं हैं। कार्य

• विधेयकों, अनुदानों की मांगों और उन्हें सिफारिशों के लिए सौंपे गए अन्य मामलों की जाँच करना।

• 24 स्थायी समितियों में से 8 राज्यसभा के अधीन और 16 लोकसभा के अधीन कार्य करती हैं।

अन्य समितियाँ

ऐसी समितियाँ जिनके पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति होते हैं-

• **नियम समिति (Rules Committee):** सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है तथा सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन अथवा परिवर्धन की सिफारिश करती है। लोकसभा की नियम समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की नियम समिति में सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं।

• **कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee):** सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है। यह सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी और अन्य कार्यों के संचालन के लिए समय आवंटित करती है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं।

• **सामान्य प्रयोजन समिति (General Purposes Committee):** सदन के कामकाज से संबंधित उन मामलों पर विचार करती है और सलाह देती है, जो किसी अन्य संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

• **निजी सदस्य समिति (Private Members' Committee):** निजी सदस्यों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। कुल 15 सदस्य (लोकसभा, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) शामिल होते है, तथा उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है।

• सरकारी आश्वासन समिति (Committee on Government Assurance): सदन को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों की जाँच करता है। 15 सदस्य (लोकसभा) तथा 10 सदस्य (राज्यसभा), अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत।

• सभा पटल पर रखे गए पत्रों पर समिति (Committee on Papers Laid on the Table): सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किए गए पत्रों की समीक्षा करता है। 15 सदस्य (लोकसभा) तथा 10 सदस्य (राज्यसभा), अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत।

• अधीनस्थ विधान समिति (Committee on Subordinate Legislation): विधायी शक्तियों के तहत अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की जाँच करता है। [यूपीएससी 2018] 15 सदस्य (लोकसभा) तथा 15 सदस्य (राज्यसभा), अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत।

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (Committee on Welfare of SC and ST): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को चिह्नित करता है।

कुल 30 सदस्य (लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10), अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत।

• महिला सशक्तीकरण समिति (Committee on Empowerment of Women): महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है। कुल 30 सदस्य (20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से), अध्यक्ष द्वारा मनोनीत।

• लाभ के पदों पर संयुक्त समिति (Joint Committee on Offices of Profit): लाभ के पदों के निहितार्थों की जाँच करता है। कुल 15 सदस्य (लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5)।

• **याचिका समिति (Committee on Petitions):** सदन में विचारार्थ प्रस्तुत याचिकाओं की समीक्षा करता है। 15 सदस्य (लोकसभा) तथा 10 सदस्य (राज्यसभा), अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत।

• **विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges):**सदनके सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों की जाँच करता है। 15 सदस्य (लोकसभा) तथा 10 सदस्य (राज्यसभा), अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत।

• **आचार समिति (Ethics Committee):** सदन के सदस्यों के बीच नैतिक आचरण और व्यवहार की निगरानी करता है। कोई निश्चित संख्या नहीं; दोनों सदनों के लिए अलग-अलग, अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत।

• **पुस्तकालय समिति (Library Committee):** संसद पुस्तकालय के कामकाज और प्रबंधन की निगरानी करता है। 9 सदस्य (लोकसभा से 6, राज्य सभा से 3); सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

• सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति (Joint Committee on Salaries and Allowances of Members): सदन के सदस्यों के वेतन और भत्तों की समीक्षा और अनुशंसा करता है। कुल 15 सदस्य (10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से)।

कैबिनेट समिति (Cabinet Committee)

• संविधान में इसका उल्लेख नहीं है।

• भारत में कार्यपालिका भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के तहत काम करती है।

• ये नियम संविधान के **अनुच्छेद 77(3)** के आधार पर बनाए गए हैं, जिसमें कहा गया है: "राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।"

• प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती है; इसका उद्देश्य मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करना है; इसमें 3 से 8 तक सदस्य हो सकते हैं; प्रभारी मंत्री शामिल होता है; वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं; और ऐसे निर्णय लेती है, जिनकी समीक्षा मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है।

• **ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं:** स्थायी समिति और किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समिति अथवा अस्थायी समिति।

• इनका नेतृत्व अधिकांशत: प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। कभी-कभी अन्य वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी उनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन, यदि प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य है, तो वह अनिवार्य रूप से इसकी अध्यक्षता करता है।

महत्त्वपूर्ण कैबिनेट समितियाँ

• **राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति:** इसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, जो विदेशी और घरेलू मामलों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों को देखती है।
  ◦ **सदस्य:** प्रधानमंत्री सहित प्रमुख कैबिनेट मंत्री (सुपर-कैबिनेट)

• **आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति:** आर्थिक क्षेत्र से संबंधित सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करती है।
  ◦ **सदस्य:** वित्त, योजना और आर्थिक विभागों के मंत्री।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अन्य समितियाँ

1. अन्य समितियाँ

2. महत्त्वपूर्ण कैबिनेट समितियाँ

3. नियम समिति (Rules Committee

4. आचार समिति (Ethics Committee

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अन्य समितियाँ

मुख्य परीक्षा दृष्टि: आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति: आर्थिक क्षेत्र से संबंधित सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अन्य समितियाँ • महत्त्वपूर्ण कैबिनेट समितियाँ • नियम समिति (Rules Committee • आचार समिति (Ethics Committee • सदस्य | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2018, 1961

• **नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति:** केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सभी उच्च-स्तरीय नियुक्तियों का निर्णय लेती है।
  ◦ **सदस्य:** प्रधानमंत्री और गृह मंत्री।

• **संसदीय मामलों संबंधी कैबिनेट समिति:** संसद में सरकारी कामकाज की प्रगति की देखभाल करती है।
  ◦ **सदस्य:** विभिन्न विभागों के मंत्री, जिनका नेतृत्व अक्सर संसदीय मामलों के मंत्री करते हैं।

• **निवेश और वृद्धि संबंधी कैबिनेट समिति:** निवेश तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

◦ **सदस्य:** वित्त, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्रों के मंत्री।

• **रोजगार एवं कौशलविकास संबंधी कैबिनेट समिति:** रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है और कौशल विकास पहल को बढ़ावा देता है।

◦ **सदस्य:** श्रम, कौशल विकास और शिक्षा मंत्री।

• **सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति:** राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति के मुद्दों के लिए जिम्मेदार।

◦ **सदस्य:** प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, और प्रमुख सुरक्षा अधिकारी।

• **आवास संबंधी कैबिनेट समिति:** अधिकारियों के लिए सरकारी आवास के आवंटन और रखरखाव का प्रबंधन करता है।

◦ **सदस्य:** आवास एवं शहरी विकास के लिए उत्तरदायी मंत्री।

• **कैबिनेट सचिवालय:** कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। (यूपीएससी 2015)

• भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय को आवंटित कार्य में सम्मिलित हैं: (i) कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता; (ii) कार्य: कैबिनेट बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना औरकैबिनेट समितियों को सचिवालयी सहायता। (यूपीएससी 2014)

• **केंद्रीय सरकार की मशीनरी के पुनर्गठन पर रिपोर्ट (1950):**

◦ एन. गोपालस्वामी अय्यंगर ने मंत्रालयों को समूहीकृत करने और ओ एंड एम प्रभाग में कार्मिक क्षमताओं को बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन प्रशासनिक सुधार के लिए मंत्री या सचिव का प्रस्ताव नहीं दिया।

(यूपीएससी 2021)

• **प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC):**

◦ प्रथम एआरसी ने प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर एक मंत्री और सचिव को नामित करने की सिफारिश की।

(यूपीएससी 2021)

• **कार्मिक विभाग की स्थापना:**

◦ 1970 ई. में कार्मिक विभाग की स्थापना कैबिनेट सचिवालय के तहत ARC की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

◦ 1985 ई. में यह प्रधानमंत्री के अधीन आ गया, जिसकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होता था। (यूपीएससी 2021) नारी शक्ति वंदन अधिनियम-संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 उद्देश्य: अगले परिसीमन के बाद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना।

मुख्य प्रावधान:

• संशोधित अनुच्छेद

◦ **अनुच्छेद 239AA :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

• सम्मिलित अनुच्छेद

◦ **अनुच्छेद 330A :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीटों सहित महिलाओं के लिए लोकसभा की एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

• **अनुच्छेद 332A :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीटों सहित महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा की एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

• **अनुच्छेद 334A :** संविधान (106 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात्पहली जनगणना के सुसंगत आँकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात्प्रभावी होंगे तथा 106 वाँ संशोधन संविधान अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे। (यूपीएससी 2024)

मुख्य विशेषताएँ :

• **लोकसभा:** राज्यों के बीच आवधिक रोटेशन के साथ, एससी/एसटी आवंटन सहित महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं।

• **राज्य विधानसभाएँ:** प्रत्यक्ष चुनावों सहित महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण।

• **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली:** महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का विशिष्ट आरक्षण।

• **समीक्षा:** आरक्षण प्रावधानों की 70 वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी; संसद द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है।

• **रोटेशन:** परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को समय-समय पर रोटेट किया जाएगा।

भारत का संविधान एक संघीय ढाँचा स्थापित करता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित करता है। भाग VI (**अनुच्छेद 168** - 212) द्वारा शासित राज्य विधानमंडल प्राथमिक विधायी निकाय के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें उनके संगठन, संरचना और शक्तियों का विवरण दिया गया है।

विधानमंडलों के प्रकार:

• **एक सदनीय विधानमंडल:** इसमें एक एकल विधायी संस्था (विधान सभा) होती है, जो कानून बनाने, बजट पारित करने और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जिम्मेदार होता है।

• **द्विसदनीय विधानमंडल:** इसमें दो कानून बनाने वाली संस्थाएँ (विधान सभा और विधान परिषद) होती हैं।

राज्य विधानमंडल संरचना:

• राज्य विधान मंडलों में एकरूपता नहीं है।

• **द्विसदनीय विधानमंडल वाले 6 राज्य:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार।

• **राज्य विधायिका में सम्मिलित हैं:** राज्यपाल + विधान मंडल (विधानसभा) + विधान परिषद (द्विसदनीय मामले में)।

• **अनुच्छेद 169 :** संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या उसका सृजन कर सकती है, बशर्ते कि संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से इस आशय काप्रस्ताव पारित करे। संसद के इस अधिनियम को **अनुच्छेद 368** के प्रयोजनों के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और इसे एक साधारण कानून (साधारण बहुमत द्वारा) की तरह पारित किया जाता है।

विधानसभा

सदस्य संख्या

• **अधिकतम सदस्य:** 500

• **न्यूनतम सदस्य:** 60

• **अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा:** न्यूनतम सदस्य 30 हैं

• मिजोरम- 40, नागालैंड- 46 निर्वाचन की प्रक्रिया z सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।

मनोनीत सदस्य

• **अनुच्छेद 334 :** राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो-इंडियन को विधानसभा में मनोनीत किया जा सकता है।

• ***104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2019):*** एंग्लो-इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। कार्यकाल

• **सामान्य कार्यकाल:** आम चुनाव के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष।

• राज्यपाल किसी भी समय विघटित कर सकता है।

• राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि, आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार छह महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता है।

निर्वाचन क्षेत्र

• प्रत्येक राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

• निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात पूरे राज्य में समान हो।

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः — समायोजन

• प्रत्येक जनगणना के बाद, (a) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या और (b) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के अनुरूप समायोजित किया जाता है।

• संसद को प्राधिकार और उसके तरीके को निर्धारित करने का अधिकार है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

• प्रत्येक राज्य में उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर।

• प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए, लेकिन उसके बाद 10 वर्षों तक लगातार बढ़ाया गया।

• 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए वर्ष 2030 तक बढ़ाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल (भाग 6: **अनुच्छेद 168** से 212)

(भाग 6: अनुच्छेद 168 से 212)

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: विधानमंडलों के प्रकार



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — विधानमंडलों के प्रकार

मुख्य परीक्षा दृष्टि: 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए वर्ष 2030 तक बढ़ाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल (भाग 6: अनुच्छेद 168 से 212)

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: विधानमंडलों के प्रकार • विधानसभा • मनोनीत सदस्य • निर्वाचन क्षेत्र • प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2019

राज्य विधानमंडल (भाग 6: अनुच्छेद 168 से 21 111 विधान परिषद सदस्य संख्या

• **अधिकतम संख्या:** विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3

• **न्यूनतम सदस्य:** 40

• सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ।

• संविधान ने सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय की है लेकिन वास्तविक संख्या संसद द्वारा तय की जाती है। निर्वाचन का तरीका

• विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं (आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा):

• **1/3:** स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

• **1/3:** विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

• **1/12:** राज्य में तीन वर्ष से स्थायी निवासी स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

• **1/12:** राज्य में माध्यमिक विद्यालय से तीन वर्ष से कार्यरत शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य

• राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य सहकारी आंदोलन, साहित्य, कला, सामाजिक सेवा, विज्ञान में ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं।

कार्यकाल

• सतत सदन (स्थायी निकाय)।

• एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक सदस्य छह वर्ष तक पद पर बना रहता है।

• सदस्य पुनः निर्वाचन और राज्यपाल द्वारा पुनः मनोनयन के लिए पात्र होते हैं। संविधान में निर्धारित विधान परिषद की संरचना की योजना अनंतिम (Tentative) है, अंतिम नहीं है। संसद इसे संशोधित करने या बदलने के लिए अधिकृत है।

विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित अन्य प्रावधान शपथ अथवा प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)

• राज्यपाल या इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं।

• **शपथ के बिना:** वह मतदान नहीं कर सकता और सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता और कोई विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं।

• एक व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में सदन में सदस्य के रूप में बैठने या मतदान करने के लिए प्रत्येक दिन 500 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होता है: निर्धारित शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने से पहले; या जब वह जानता हो कि वह सदस्य बनने के लिए अर्हित नहीं है या उसे सदस्यता से निरर्हित किया गया है; या जब वह जानता हो कि उसे किसी संसदीय कानून के आधार पर सदन में बैठने या मतदान करने से निषिद्ध किया गया है।

अर्हता (Qualification) संविधान में उल्लिखित

• भारत का नागरिक होना चाहिए।

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ले या प्रतिज्ञान करे और उस पर हस्ताक्षर करे।

• **आयु:** 25 वर्ष (राज्य विधान सभा) और 30 वर्ष (राज्य विधान परिषद) से कम नहीं होनी चाहिए।

• संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ।

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संसद द्वारा)

• **राज्य विधान परिषद:** उस राज्य में किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक/मतदाता होना चाहिए और राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने के लिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए।

• **राज्य विधान सभा:** उस राज्य में किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक/मतदाता होना चाहिए।

• **आरक्षित सीट से निर्वाचन लड़ना:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। यद्यपि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य ऐसी सीट पर भी निर्वाचन लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है।

निरर्हता (Disqualification) संविधान में उल्लिखित

• यदि वह लाभ का पद धारण करता हो (संघ/राज्य में)

• मानसिक रूप से विक्षिप्त है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

• निर्मुक्त दिवालिया हो।

• भारत का नागरिक नहीं हो।

• यदि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत निरर्हित किया गया हो।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संसद द्वारा)

• चुनाव अपराध/भ्रष्ट आचरण का दोषी; निर्धारित समय के भीतर अपने चुनावी व्यय का हिसाब देने में विफल रहे; सरकारी संविदाओं, निर्माणकार्य या सेवाओं में हित रखता हो; किसी निगम, जिसमें सरकार की कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हो, में निदेशक या प्रबंध अभिकर्ता या लाभ का पद धारण करता हो;

• शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया गया हो; सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और आचरण करने के लिए दंडित किया गया हो; भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अनिष्ठा के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो; 2 या उससे अधिक वर्षों के कारावास से दंडित किया गया हो।

> **नोट:** उपर्युक्त निरर्हताओं के बारे में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और राज्यपाल को भारत निर्वाचन आयोग की राय लेनी चाहिए।

दल-बदल के आधार पर

• संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निरर्ह घोषित।

• विधान परिषद के मामले में सभापति निर्णय लेता है और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष निर्णय लेता है।

• **किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू मामला:** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभापति/अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

सीटों की रिक्ति

(Vacation of seats)

• **दोहरी सदस्यता:** कोई व्यक्ति एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गए कानून के अनुसार एक सीट रिक्त हो जाती है।

• **निरर्हता:** संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या दसवीं अनुसूची के अनुसार।

• **त्यागपत्र:** विधान परिषद के सभापति या विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र पत्र, जैसा भी मामला हो।

• **अनुपस्थिति:** यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है।

• **अन्य मामले:** न्यायालय द्वारा निर्वाचन को शून्य घोषित किया गया हो; सदन से निष्कासित; राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित; राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया हो।

राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी:

• **राज्य विधान सभा (एसएलए):** अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति।

• **राज्य विधान परिषद (एसएलसी):** सभापति और उपसभापति। पैरामीटर राज्य विधानसभा अध्यक्ष राज्य विधान परिषद का सभापति निर्वाचन

• विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से।

• विधानसभा के कार्यकाल के दौरान पद पर बना रहता है। विधान परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से। **[UPSC 2015]**

रिक्ति/ त्यागपत्र/ पद से हटाया जाना तीन मामलों में पहले अपना पद खाली कर देता है:

• यदि वह विधानसभा/ विधान परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है।

• अध्यक्ष/सभापति पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष/उपसभापति को देते हैं और उपाध्यक्ष/उपसभापति पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र अध्यक्ष/सभापति को देते हैं।

• विधानसभा/ विधान परिषद के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा (केवल 14 दिन की अग्रिम सूचना देने पर) पद से हटाया जा सकता है।

अध्यक्ष/ सभापति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

• विधानसभा/विधान परिषद की व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखता है।

• **उपबंधों का अंतिम व्याख्याकार:** संविधान + विधानसभा/परिषद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम + विधानसभा/परिषद के भीतर पूर्व विधायी उदाहरण।

• गणपूर्ति के अभाव में विधानसभा को स्थगित कर देता है या बैठक निलंबित कर देता है।

• बराबरी की स्थिति में मतदान करता है, पहले मतदान नहीं करता है।

• सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति देता है।

• धन विधेयक पर अंतिम निर्णय (केवल विधानसभा अध्यक्ष)।

• 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी मामला) के तहत निरर्हता का फै सला करता है।

• विधानसभा/परिषद की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ।

• कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता करता है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: सीटों की रिक्ति

1. सीटों की रिक्ति
2. राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी
3. दोहरी सदस्यता
4. निरर्हता

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — सीटों की रिक्ति

मुख्य परीक्षा दृष्टि: कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता करता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: सीटों की रिक्ति • राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी • दोहरी सदस्यता • निरर्हता • त्यागपत्र | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1951, 2015

राज्य विधानमंडल (भाग 6: अनुच्छेद 168 से 21 113 वेतन एवं भत्ते

• राज्य विधायिका द्वारा तय किए जाते हैं।

• राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं- राज्य विधायिका के वार्षिक मतदान के अध्यधीन नहीं होते हैं। उपाध्यक्ष/ उप-सभापति अध्यक्ष/सभापति का पद रिक्त होने पर या अध्यक्ष/सभापति के बैठक से अनुपस्थित होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते है।

सभापति

(एसएलसी) अध्यक्ष सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए नाम निर्दिष्ट करता है। अध्यक्ष के समान शक्तियाँ होती हैं। सभापति तालिका के नए सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किए जाने तक पद पर बने रहते है सभापति सदस्यों में से किसी सदस्य को सभापति/ उपसभापति की अनुपस्थिति में विधान परिषद की अध्यक्षता करने के लिए नाम निर्दिष्ट करता है। सभापति के समान शक्तियाँ होती हैं। उप-सभापति तालिका के नए सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किए जाने तक पद पर बने रहते है राज्य विधानमंडल के सत्र सत्र आहूत किया जाना (Summoning)

• राज्यपाल समय-समय पर सत्र आहूत करते हैं।

• **दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल:** 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। स्थगन (Adjournment)

• बैठक में कार्य को एक निर्दिष्ट समय (घंटे, दिन या सप्ताह) के लिए निलंबित कर दिया जाता है।

• **अनिश्चित काल के लिए स्थगन:** किसी बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना।

• स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सत्रावसान (Prorogation)

• अनिश्चित काल के लिए स्थगन के बाद, राज्यपाल सत्रावसान (वर्तमान सत्र के समापन) के लिए अधिसूचना जारी करता है। यद्यपि, राज्यपाल उस सदन का सत्रावसान भी कर सकता है जो सत्र में है।

विघटन (Dissolution) z विघटन, मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त कर देता है।

गणपूर्ति (Quorum)

• दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ हिस्सा (पीठासीन अधिकारी सहित), जो भी अधिक हो।

• यदि गणपूर्त नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी गणपूर्ति होने तक बैठक को या तो स्थगित कर देता है या निलंबित कर देता है।

विघटन पर विधेयकों का व्यपगत

होना (Lapsing of bills on dissolution)

विधेयक व्यपगत हो जाता है:

• विधानसभा में लंबित विधेयक (चाहे पहले विधानसभा में पेश किया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे भेजा गया हो)।

• विधेयक विधानसभा में पारित हो गया हो लेकिन विधान परिषद में लंबित है।

विधेयक व्यपगत नहीं होता:

• विधेयक विधान परिषद में लंबित है लेकिन विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है।

• विधानसभा (एकसदनीय) या दोनों सदनों (द्विसदनीय) द्वारा पारित विधेयक, लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित है।

• राष्ट्रपति द्वारा सदन में विचार हेतु लौटाया गया विधेयक। सदन में मतदान (Voting in House)

• **साधारण बहुमत:** सभी मामलों के लिए।

• **विशेष बहुमत:** विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति का संकल्प।

- **पूर्ण बहुमत:** अध्यक्ष या सभापति को पद से हटाने के लिए।
- **निर्णायक मत:** अध्यक्ष और सभापति पहले मतदान नहीं करते हैं। राज्य विधानमंडल में भाषा
- **संविधान के अनुसार:** विधानमंडल के कार्य संचालन के लिए भाषा राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी होगी।
- पीठासीन अधिकारी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
- राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने के लिए अधिकृत है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष पूरे होने के बाद अंग्रेजी को सदन की भाषा के रूप में जारी रखा जाए या नहीं। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के मामले में, यह समय सीमा पच्चीस वर्ष है तथा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के लिए यह चालीस वर्ष है।

मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार

- प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को किसी भी सदन या उसकी समितियों में बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है।

राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया साधारण विधेयक आरंभिक सदन (Originating House) में विधेयक/पुरःस्थापन:

- किसी भी सदन में और मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- **चरण:** प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन।
- आरंभिक सदन द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, इसे विचार और पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है।
- किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदन उस पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमत हों। एक सदनीय विधायिका के मामले में, विधान सभा द्वारा पारित विधेयक सीधे राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है।

दूसरे सदन में विधेयक — विधान परिषद के पास चार विकल्प होते हैं:

1. विधेयक बिना संशोधन के पास कर दे।
2. संशोधनों के साथ पारित करे और पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा दे।
3. विधेयक को अस्वीकार कर दे।
4. कोई कार्रवाई नहीं करे और उसे 3 महीने तक लंबित रख सकती है।

- बिना किसी संशोधन के पारित होने पर राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है।
- **दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प में:** विधानसभा विधेयक को पुनः पारित कर सकती है और इसे पुनः विधान परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद विधेयक को उन संशोधनों के साथ पारित करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं हैं या विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकृत कर देती है या 1 महीने तक लंबित रखती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
- विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है और परिषद केवल इसे अधिकतम 4 (3 +1) महीने तक लंबित रख सकती है।
  - संविधान में विधेयक पर असहमति के समाधान के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

राज्यपाल की सहमति: 4 विकल्प

- विधेयक पर सहमति देता है, तो विधेयक कानून बन जाता है।
- सहमति रोक देता है, तो विधेयक का अंत हो जाता है।
- विधेयक को सदन में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि विधेयक को पुनः सदन द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को अपनी सहमति देनी होगी।
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखता है।

राष्ट्रपति की सहमति: 3 विकल्प

- विधेयक पर सहमति दे सकता है।
- सहमति रोक सकता है।

• विधेयक को सदन में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि विधेयक लौटा दिया जाता है तो सदन को 6 माह के भीतर इस पर पुनर्विचार करना होगा। राष्ट्रपति के लिए ऐसे पुनर्विचारित विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है या नहीं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।

धन विधेयक

आरंभिक सदन में विधेयक/पुरःस्थापन

• राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है।

• इसे केवल मंत्री द्वारा ही पुरःस्थापित किया जा सकता है क्योंकि यह एक सरकारी विधेयक है।

दूसरे सदन में विधेयक

• विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने के बाद; इसे विचारार्थ विधान परिषद को भेजा जाता है।

• विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में शक्तियाँ सीमित हैं। विधान परिषद किसी धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती।

14 दिनों के भीतर विधेयक वापस करना होता है ।

• यदि विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक संशोधित रूप में पारित माना जाता है। यदि वह सिफारिशों को अस्वीकृत कर देती है तो विधेयक अपने मूल स्वरूप में ही पारित मान लिया जाता है। यदि विधान परिषद 14 दिन में विधेयक वापस नहीं करती है तो विधेयक को मूल रूप में दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है।

राज्यपाल की सहमति: 3 विकल्प

• विधेयक पर सहमति दे सकता है।

• सहमति रोक सकता है।

• विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकता है।

• राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा नहीं सकता।

राष्ट्रपति की सहमति: राष्ट्रपति

• सहमति दे सकता है।

• सहमति रोक सकता है।

• राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983-88) ने संविधान के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया:

• वे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य आरक्षित किया जाना चाहिए: इस श्रेणी में वे विधेयक आते हैं: जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना ह्रास करते हैं, जिससे वह स्थिति खतरे में पड़ जाती है जिसे भरने के लिए वह न्यायालय संविधान के तहत बना है (**अनुच्छेद 200)** ; जो कतिपय मामलों में पानी या बिजली पर कर लगाने से संबंधित हैं तथा जो **अनुच्छेद 288** के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। ये प्रकरण वित्तीय आपातकाल के दौरान **अनुच्छेद 360** के अंतर्गत आते हैं।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: दूसरे सदन में विधेयक

1. दूसरे सदन में विधेयक	**2. राज्यपाल की सहमति: 4 विकल्प**
3. धन विधेयक	**4. चरण**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — दूसरे सदन में विधेयक

मुख्य परीक्षा दृष्टि: राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा नहीं सकता।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: दूसरे सदन में विधेयक • राज्यपाल की सहमति: 4 विकल्प • धन विधेयक • चरण • राज्यपाल की सहमति | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1983

राज्य विधानमंडल (भाग 6: अनुच्छेद 168 से 21 115 • वे विधेयक जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति के विचार और सहमति के लिए आरक्षित किया जा सकता है: इस श्रेणी में, निम्नलिखित विधेयक आते हैं: **अनुच्छेद 14** और 19 के प्रवर्तन से उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए; समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय से संबंधित विधेयक, **अनुच्छेद 254** के संदर्भ में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके , संघ कानून या मौजूदा कानून के प्रतिकूल होने के बावजूद इसके प्रावधानों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए; व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक जिसके लिए **अनुच्छेद 304** के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है जो प्राप्त नहीं की गई थी।

• वे विधेयक जो खास तौर पर उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, फिर भी राज्यपाल द्वारा **अनुच्छेद 200** के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।

विधान परिषद की स्थिति

विधानसभा के समान स्थिति विधानसभा से असमान स्थिति

• साधारण विधेयकों को पेश एवं पारित किया जाना।

• असहमति की स्थिति में, विधानसभा की इच्छा विधान परिषद पर अभिभावी होती है।

• राज्यपाल द्वारा जारी अध्ययादेशों का अनुमोदन (**अनुच्छेद 213)।**

• मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन (मंत्री केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं)

• राज्य वित्त आयोग, सीएजी जैसी संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना।

• राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना।

• धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जाता है।

• विधान परिषद के पास धन विधेयक में संशोधन/अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है।

• केवल विधानसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

• साधारण विधेयक पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है।

• विधान परिषद केवल बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन मांगों पर मतदान नहीं कर सकती।

• विधान परिषद राष्ट्रपति और राज्यसभा के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है।

• संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि के संबंध में विधान परिषद के पास प्रभावी अधिकार नहीं है।

• अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही शुरू किया जा सकता है।

• विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार

• विशेषाधिकार = सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों को विशेषाधिकार + उन्मुक्तियाँ + छूट प्राप्त हैं।

• संविधान ने ये विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी प्रदान किए हैं जो राज्य विधानमंडल के सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इनमें राज्य के महाधिवक्ता और मंत्री सम्मिलित हैं।

• राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं हैं जो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग भी है।

सामूहिक विशेषाधिकार

• प्रतिवेदन, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार; दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार।

• महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने और अजनबियों को बाहर करने के लिए गुप्त बैठकें आयोजित करने का अधिकार।

• अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने; अपने कार्य का संचालन करने और ऐसे मामलों पर निर्णय देने हेतु नियम बना सकता है।

• इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन या इसकी अवमानना के लिए सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को भी भर्त्सना, चेतावनी या कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है।

• सदस्यों की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

• जाँच शुरू करने और साक्षियों की उपस्थिति का आदेश देने और प्रासंगिक दस्तावेज और रिकॉर्ड माँगने का अधिकार।

• न्यायालयों को सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जाँच करने से प्रतिबंधित किया गया है।

• पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति (सदस्य या बाहरी व्यक्ति) को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और कोई कानूनी प्रक्रिया (सिविल/आपराधिक) नहीं की जा सकती है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

• सदस्यों को सत्र के दौरान और ऐसे सत्र के प्रारंभ से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति के 40दिन बाद तकगिरफ्तार नहीं किया जा सकता(केवल सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों या निवारक हिरासत के मामलों में नहीं)।

• राज्य विधानमंडल में सदस्यों कोबोलने की स्वतंत्रता है। राज्य विधानमंडल या उसकी समितियों में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए किसी भी सदस्य के खिलाफ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

• सदस्यों को जूरी सेवा से छूट दी गई है । जब राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा हो तो वे न्यायालय में लंबित किसी मामले में साक्ष्य देने और साक्षी के रूप में पेश होने से इनकार कर सकते हैं।

राज्य विधान परिषद् , राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा में अंतर: अंतर के बिंदु राज्य विधान परिषद्राज्यसभा लोकसभा राज्य विधानसभाएँ पद और शक्ति विधानसभा से कमज़ोर वित्तीय मामलों को छोड़कर लोकसभा के बराबर वित्तीय मामलों में अधिक शक्तिशाली राज्य विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली संवैधानिक महत्त्व संविधान के तहत कम महत्त्व संघीय ढाँचे को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निचले सदन के रूप में उच्च महत्त्व राज्य शासन के लिए महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्विशिष्ट हित समूहों का प्रतिनिधित्व करता है; सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या मनोनीत होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है; राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है; सदस्य सीधे चुने जाते हैं विशिष्ट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है; सदस्य सीधे चुने जाते हैं विधायी प्रक्रिया विधेयकों को आरंभ कर सकते हैं और उन पर चर्चा कर सकते हैं; विधानसभा का अंतिम निर्णय होता है विधेयकों पर चर्चा और संशोधन कर सकते हैं; विधायी प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेते हैं वित्तीय विधेयकों को आरंभ करता है; वित्तीय मामलों में एकमात्र अधिकार विधेयक आरंभ और पारित कर सकते हैं; कानून पर अंतिम अधिकार अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव आरंभ नहीं कर सकते अविश्वास प्रस्ताव शुरू नहीं कर सकते अविश्वास प्रस्ताव आरंभ करता है और पारित करता है अविश्वास प्रस्ताव आरंभ और पारित कर सकते हैं सदस्यों का कार्यकाल सदस्य 6 वर्ष तक सेवा करते हैं सदस्य 6 वर्ष तक सेवा करते हैं सदस्य 5 वर्ष तक सेवा करते हैं सदस्य 5 वर्ष तक सेवा करते हैं सदस्यों की अयोग्यता संविधान और राज्य कानूनों द्वारा शासित संविधान और संसदीय कानूनों द्वारा शासित संविधान और चुनावी कानूनों द्वारा शासित संविधान और चुनावी कानूनों द्वारा शासित सदन का स्थायित्व स्थायी नहीं; समाप्त किया जा सकता है स्थायी सदन; समाप्त नहीं किया जा सकता स्थायी नहीं; हर पांच साल में चुनाव होते हैं स्थायी नहीं; हर पांच साल में चुनाव होते हैं विशेष शक्तियाँ विशेष शक्तियों का अभाव आपातकालीन उद्घोषणाओं और अखिल भारतीय सेवाओं को मंजूरी देना (**अनुच्छेद 352** , 312) वित्तीय मामलों में विशेष अधिकार रखता है विशेष शक्तियों का अभाव

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 116

मुख्य परीक्षा दृष्टि: इस खंड के अंतर्गत 'भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 116' से जुड़े मूलभूत सिद्धांतों, संरचनात्मक विशेषताओं और परीक्षा उपयोगी तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 116

भारतीय न्यायपालिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• **रेगुलेटिंग एक्ट, 1773:** कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बाद में, किंग जॉर्ज तृतीय के आदेशानुसार मद्रास (1800) और बॉम्बे (1823) में उच्चतम न्यायालय स्थापित किए गए।

• **भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861:** कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और सदर अदालतों में सर्वोच्च न्यायालयों को समाप्त करके प्रांतों में उच्च न्यायालयों का निर्माण किया गया। प्रांतों और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना होने तक ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय थे।

• **स्वतंत्रता के बाद:** स्वतंत्रता के बाद, प्रांतों के लिए विद्यमान उच्च न्यायालय राज्यों के उच्च न्यायालय बन गए। 1956 के सातवें संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने की अनुमति दी।

भारतीय न्यायपालिका की संरचना:

• **एकल न्यायिक प्रणाली:** भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जहाँ केंद्रीय और राज्य कानून एक ही अदालत द्वारा लागू किये जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके बाद उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय जैसी अधीनस्थ अदालतें आती हैं।

• **उच्च न्यायालय:** उच्च न्यायालय किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और बाद में इलाहाबाद (1866) में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार उनके संबंधित राज्यों या संयुक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर होता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं; जिनमें कलकत्ता उच्च न्यायालय (1862) सबसे पुराना है।

• संविधान में राजस्व मामलों पर उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, वहीं दूसरी ओर संविधान-पूर्व युग में उसके पास यह क्षेत्राधिकार नहीं था।

• **अधीनस्थ न्यायालय:** ये उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं।

• **उच्चतम न्यायालय(भाग V: अनुच्छेद 124** से 146)

• **अनुच्छेद 124 :** उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। भारतीय,अमेरिकी और ब्रिटिश न्यायपालिका में अंतर पैरामीटर भारतीय न्यायपालिका अमेरिकी न्यायपालिका ब्रिटिश न्यायपालिका न्याय प्रणाली न्यायालयों की एकल और एकीकृत प्रणाली: वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपनाई गई। केंद्रीय और राज्य, दोनों कानूनों को लागू करती है।

न्यायालयों की दोहरी प्रणाली: संघीय — कानूनों को संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू

किया जाता है और राज्य के कानूनों को राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है।

एकात्मक प्रणाली

कानूनी प्रणाली संविधान एवं सामान्य कानून संविधान एवं सामान्य कानून सामान्य कानून एवं संवैधानिक परंपराएँ मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों तक ही सीमित।

इसमें न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री गतिविधियों, राजदूतों आदि से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं।

स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है अपीलीय क्षेत्राधिकार संवैधानिक+सिविल+आपराधिक मामले। केवल संवैधानिक मामले। विभिन्न सिविल और आपराधिक मामले सलाहकारी क्षेत्राधिकार इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। इसका कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है।

इसका कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है।

विवेकाधिकार

किसी भी न्यायालय या अधिकरण (सैन्य को छोड़कर) के फै सले के खिलाफ किसी भी मामले में अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है।

ऐसी कोई पूर्ण शक्ति नहीं।

नियुक्तियों पर राजशाही का विवेकाधिकार है भारतीय न्यायपालिका की भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्रणाली संरचना एवं कार्यप्रणाली

न्यायिक समीक्षा इसका दायरा सीमित है। इसका दायरा बहुत व्यापक है।

सीमित (वैधानिक व्याख्या पर केंद्रित) क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तक सीमित।

संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत कार्य

करता है नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) के अनुसार।

'विधि की यथोचित प्रक्रिया' (Due process of law) के अनुसार।

क़ानून और सामान्य कानून सिद्धांत

न्यायिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुनिश्चित अत्यधिक स्वतंत्र (आजीवन नियुक्ति) परंपरागत रूप से स्वतंत्र (संसद से प्रभावित) न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक परामर्श के बाद राष्ट्रपति सीनेट की मंजूरी के साथ राष्ट्रपति क्राउन (प्रधानमंत्री या लॉर्ड चांसलर की सलाह पर) न्यायाधीशों का कार्यकाल भिन्न-भिन्न (सर्वोच्च न्यायालय: 65 वर्ष, उच्च न्यायालय: 62 वर्ष) महाभियोग न लगने तक आजीवन 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त विधानमंडल की भूमिका संशोधनों के साथ न्यायिक

निर्णयों को पलट सकते हैं कानून पारित कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा के अधीन न्यायिक निर्णयों को रद्द कर सकते हैं मंत्रियों का कानूनी उत्तरदायित्व सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (कानूनी नहीं) कोई कानूनी जवाबदेही नहीं (जब तक कि कानून का उल्लंघन न हो) कानूनी उत्तरदायित्व (अदालत में जवाबदेह)

कॉलेजियम प्रणाली का विकास: सहमति बनाम परामर्श प्रथम न्यायाधीश मामला (1982) उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है और इसका मुख्य अभिप्राय केवल विचारों का आदान-प्रदान है।

द्वितीय न्यायाधीश

मामला (1993) उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के फै सले को पलट दिया और परामर्श शब्द की व्याख्या को सहमति में बदल दिया। न्यायालय ने फै सला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करने के बाद अपनी सलाह देंगे।

तृतीय न्यायाधीश

मामला (1998)

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए बहुसंख्यक न्यायाधीशों (अकेले सीजेआई नहीं) के परामर्श की आवश्यकता होती है।
- सीजेआई को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए (भले ही दो के प्रतिकूल राय देने पर सिफारिश नहीं जा सकती)।
- परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और शर्तों का अनुपालन किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

चतुर्थ न्यायाधीश

मामला (2015)

- **एनजेएसी मामला:**वर्ष 2014 के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और वर्ष 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम ने कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) नामक एक नए निकाय का प्रावधान किया।
- उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप कर 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और एनजेएसी अधिनियम दोनों को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, पहले वाली कॉलेजियम प्रणाली फिर से लागू हो गई। **[UPSC 2019]**

वर्तमान परिदृश्य

- भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कई प्रमुख चरण सम्मिलित हैं:
  - **आरंभ:** मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त होने पर प्रक्रिया आरंभ करते हैं।
  - **कॉलेजियम अनुशंसाएँ:** कॉलेजियम (मुख्य न्यायाधीश + चार वरिष्ठ न्यायाधीश) उम्मीदवारों की अनुशंसा करता है।
  - **परामर्श:** यह योग्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या वकीलों से परामर्श करता है।
  - **सरकारी समीक्षा:** सिफारिशें मूल्यांकन के लिए सरकार को भेजी जाती हैं।
  - **राष्ट्रपति की स्वीकृति:** राष्ट्रपति नियुक्तियों को मंजूरी देते हैं, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। **[UPSC 2019]**

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत कार्य

1982	1993	1998	2015
संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत कार्य	क़ानून और सामान्य कानून सिद्धांत	द्वितीय न्यायाधीश	तृतीय न्यायाधीश

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत कार्य

मुख्य परीक्षा दृष्टि: भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कई प्रमुख चरण सम्मिलित हैं:

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत कार्य • क़ानून और सामान्य कानून सिद्धांत • द्वितीय न्यायाधीश • तृतीय न्यायाधीश • चतुर्थ न्यायाधीश | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1982, 1993, 1998, 2015, 2014

भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्र 119 उच्चतम न्यायालय के बारे में संवैधानिक प्रावधान प्रावधान विवरण तथ्य

- एकीकृत न्यायिक प्रणाली भारत शासन अधिनियम, 1935 से ली गई है।
- केंद्रीय और राज्य कानूनों को लागू किया जाता है।
- 28 जनवरी, 1950 को उद्घाटन किया गया; भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया लेकिन साथ ही अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान भी लिया।

संरचना

- कुल 34 न्यायाधीश (सीजेआई + 33 अन्य न्यायाधीश)।
- **नोट:** उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई।

नियुक्ति

- **वर्ष 1950 से 1973 तक:** SC के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रथा रही है। इसका उल्लंघन दो बार 1973 (ए.एन. रे) और 1977 (एम.यू. बेग) में किया गया है।
- **द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993):** SC ने फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **मुख्य न्यायाधीश के लिए:** राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद नियुक्ति करता है।
- **अन्य न्यायाधीशों के लिए:** राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश + उच्चतम न्यायालय + उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद नियुक्ति करता है। **[UPSC 2012,2013]**
- **नोट:** सीजेआई के सिवाय अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सीजेआई का परामर्श अनिवार्य है। न्यायाधीशों की अर्हता
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- किसी उच्च न्यायालय (या लगातार एक से अधिक उच्च न्यायालयों में) में पाँच वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो।
- किसी उच्च न्यायालय (या लगातार एक से अधिक उच्च न्यायालयों) में अधिवक्ता के रूप में दस वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए (नोट: उच्च न्यायालय के मामले में ऐसी कोई शर्त नहीं)।
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। शपथ अथवा प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation) राष्ट्रपति या इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ अथवा प्रतिज्ञान लिया जाता है।

वेतन एवं भत्ते (**अनुच्छेद 125)**

- संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।
- वित्तीय आपातकाल (**अनुच्छेद 360)** को छोड़कर अन्यथा उनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन एवं भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है।
- सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मासिक पेंशन के रूप में अपने अंतिम महीने के वेतन का 50 प्रतिशत पाने के हकदार हैं।

कार्यकाल

संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया है। यद्यपि, निम्नलिखित तीन प्रावधान हैं:

- 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण करता है। उसकी उम्र के संबंध में कोई भी प्रश्न संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी और रीति से निर्धारित किया जाता है।

• राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है।

• संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाना

• **पद से हटाने का आधार:** सिद्ध कदाचार या/और अक्षमता।

• **प्रक्रिया:** न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968 द्वारा शासित।

• केवल संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। **[UPSC 2019]**

• प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए।

• अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

• किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लोक सभा के विघटित होने पर व्यपगत नहीं होता है।

न्यायाधीश जाँच — अधिनियम, 1968

• **पद से हटाने का प्रस्ताव:** 100 सदस्यों (लोकसभा के मामले में) या 50 सदस्यों (राज्यसभा के मामले में) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

• अध्यक्ष / सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

• **यदि स्वीकार किया जाता है तो:** आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति (उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/ अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायविद) गठित की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (**अनुच्छेद 126)**

• दोषी पाए जाने पर प्रस्ताव को सदन में विचारार्थ रखा जाता है।

• प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

• फिर प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है, जो न्यायाधीश को हटाने का अंतिम आदेश पारित करता है।

• राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, यदि:

  ◦ सीजेआई का पद रिक्त हो अथवा अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो।

तदर्थ न्यायाधीश

(उच्चतम न्यायालय) (**अनुच्छेद 127)**

• जब उच्चतम न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो, तो सीजेआई उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है (केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श + राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद)। **[UPSC 2021]**

• तदर्थ न्यायाधीश के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

• इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होना चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश

• किसी भी समय, सीजेआई उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य) से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

• **शर्त:** केवल राष्ट्रपति और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति से।

• उसके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होते हैं। लेकिन, तकनीकी रूप से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

उच्चतम न्यायालय का स्थान (**अनुच्छेद 130)**

• **संविधान द्वारा:** दिल्ली

• संविधान सीजेआई को केवल राष्ट्रपति के पुर्वानुमोदन से किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है।

• यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। न्यायालय की प्रक्रिया

• सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति की स्वीकृति से, समय-समय पर न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

• संवैधानिक मामलों या **अनुच्छेद 143** (सलाहकारी क्षेत्राधिकार) के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों का निर्णय कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया जाता है।

• **अन्य सभी मामले:** एकल न्यायाधीश और खंडपीठों द्वारा निर्णय दिए जाते है।

• सभी निर्णय बहुमत से दिए जाते हैं, लेकिन असहमतिपूर्ण निर्णय/राय भी दिए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता

• **नियुक्ति का तरीका:** न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय + उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ।

• **कार्यकाल की सुरक्षा:** न्यायाधीशों को संविधान द्वारा विहित रीति से ही हटाया जा सकता है।

• **नियत सेवा शर्तें:** वित्तीय आपातकाल को छोड़कर अन्यथा उनकी नियुक्ति के बाद कोई नकारात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता। (**अनुच्छेद 360)।**

• संबंधित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। **[UPSC 2012]**

• न्यायाधीशों के आचरण पर तब तक चर्चा नहीं की जा सकती जब तक महाभियोग प्रस्ताव संसद में विचाराधीन न हो।

• **सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध:** भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष पैरवी/वकालत करने या कार्य करने पर प्रतिबंध है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: न्यायाधीश जाँच

1. न्यायाधीश जाँच	**2. अधिनियम, 1968**
3. तदर्थ न्यायाधीश	**4. पद से हटाने का प्रस्ताव**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — न्यायाधीश जाँच

मुख्य परीक्षा दृष्टि: सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष पैरवी/वकालत करने या कार्य करने पर प्रतिबंध है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: न्यायाधीश जाँच • अधिनियम, 1968 • तदर्थ न्यायाधीश • पद से हटाने का प्रस्ताव • यदि स्वीकार किया जाता है तो | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1968, 2021, 2012

• **अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति:** उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है।

• अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता।

• **क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया जा सकता है:** यद्यपि, संसद द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। **[UPSC 2014]**

• कार्यपालिका से पृथक्करण [**अनुच्छेद 50** (राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व)]: न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।

• इस प्रकार यह लोकतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। **[UPSC 2021]** उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ

• संविधान ने उच्चतम न्यायालय को बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ प्रदान की हैं।

• यह संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है साथ ही नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर भी है। **[UPSC 2015,2019]**

• अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर (भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले सदस्य): "भारत के उच्चतम न्यायालय के पास विश्व के किसी भी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं।"

• उच्चतम न्यायालय न केवल अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह एक संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ब्रिटिश संसद का ऊपरी सदन) की तरह अपील का अंतिम न्यायालय भी है।

मूल क्षेत्राधिकार (**अनुच्छेद 131)**

• निम्नलिखित के बीच विवाद के मामलेमें मूल (आरंभिक) क्षेत्राधिकार (ऐसे विवादों को पहली बार में सुनने की शक्ति, अपील के माध्यम से नहीं) और अनन्य क्षेत्राधिकार (केवल उच्चतम न्यायालय के पास ऐसे मामलों को सुनने की शक्ति) है:

- राज्य और केंद्र; **[UPSC 2014]**
- एक राज्य और अन्य राज्य; **[UPSC 2012]**
- केंद्र और राज्य एक ओर तथा अन्य राज्य दूसरी ओर;
- राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों से बचा जाता है;
- विवाद में ऐसा प्रश्न शामिल होना चाहिए (चाहे कानून का हो या तथ्य का), जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो;
- इसके तहत किसी निजी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में लाए गए किसी भी वाद (मुकदमे) पर विचार नहीं किया जा सकता है।

• मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्नलिखित मामलों तक नहीं है:

- संविधान-पूर्व संधि
- किसी संधि, समझौते आदि से उत्पन्न होने वाला विवाद
- अंतरराज्यीय जल विवाद
- केंद्र और राज्यों के बीच कुछ व्ययों और पेंशन का समायोजन
- वित्त आयोग को भेजा गया मामला
- केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति का सामान्य विवाद
- किसी राज्य द्वारा केंद्र के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली का विवाद

• वर्ष 1961 में, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के तहत पहला मुकदमा, पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के विरुद्ध लाया गया था।

रिट क्षेत्राधिकार (**अनुच्छेद 32)**

• **रिट:** बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण।

• पीड़ित सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है।

• उच्चतम न्यायालय के पासमूल क्षेत्राधिकारहै लेकिन विशिष्ट क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं।

• केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं – (उच्च न्यायालय की तुलना में संकीर्ण)।

• संसद, उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार (**अनुच्छेद 132)**

• **संवैधानिक मामले:** यदि मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित हो जिसके लिए संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

• **सिविल मामले (अनुच्छेद 133) :** यदि मामले में विधि का सारवान प्रश्निहित हो + यदि प्रश्न का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है तो अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

• **आपराधिक मामले (अनुच्छेद 134) :** उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील सुनता है यदि:

- किसी अपील पर उच्च न्यायालय ने एक आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को पलट दिया है और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है;
- उच्च न्यायालय किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी मामले को अपने पास लेता है और आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराता है और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाता है;
- उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है।

• **ध्यान दें:** यदि न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को पलट कर बरी कर दिया है तो अपील करने का कोई अधिकार नहीं है।

विशेष अनुमति द्वारा अपील (**अनुच्छेद 136)**

• देश में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किसी भी मामले में किसी भी फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति।

• **अपवाद:** कोर्ट मार्शल या सैन्य अधिकरण

• **चार पहलू:**

- विशेष अनुमति विवेकाधिकार है, अधिकार नहीं।

- यह अंतिम या अंतरिम निर्णय में प्रदान की जाती है।
- **यह किसी भी मामले से संबंधित होती है:** संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम राजस्व, अधिवक्ता आदि।
- किसी भी अधिकरण या न्यायालय के विरुद्ध दी जाती है और जरूरी नहीं कि वह उच्च न्यायालय हो।

• यह एक असाधारण और अधिभावी शक्ति है, जिसका प्रयोग संयमित ढंग से और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार (**अनुच्छेद 143)**

• राष्ट्रपति दो श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकते हैं:

- सार्वजनिक महत्त्व के कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर जो उठा हो या उठने की संभावना हो। उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है और नहीं भी।
- किसी भी संविधान-पूर्व संधि, समझौते, प्रसंविदा, अनुबंध, सनद या इस प्रकार के अन्य दस्तावेज से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय को सलाह देनी चाहिए।

• सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय को मान सकते हैं और नहीं भी।

• व्यक्त की गई राय केवल सलाह होती है, न्यायिक निर्णय नहीं ।

• **वर्ष 2019 तक:** अभी तक राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार (जिसे परामर्शी क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है) के तहत उसे 15 मामले भेजे हैं।

अभिलेख न्यायालय (Court of Record) (**अनुच्छेद 129)**

• उच्चतम न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और प्रमाण के लिए अभिलिखित (रिकार्ड) किए जाते हैं।

• इनका साक्ष्यात्मक महत्त्व होता है। किसी भी न्यायालय द्वारा उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

• कानूनी पूर्व-उदाहरण और संदर्भ (Legal precedents and references)। न्यायालय की अवमानना

• न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act, 1971): इसमें अवमानना के लिए जाँच और दंड के संबंध में प्रक्रिया की रूपरेखा निर्धारित की गई है। यह एच.एन. सान्याल समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित था।

• **अवमानना:** न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।

• **आपराधिक अवमानना:** किसी भी ऐसे विषय का प्रकाशन या ऐसा कार्य करना जो न्यायालय के प्राधिकार को बदनाम या कम करता है, या न्यायिक कार्यवाही की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है, किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है।

• ऐसी कार्रवाइयाँ जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में नहीं आतीं: किसी विषय का अनजाने में प्रकाशन और वितरण + न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट + न्यायिक कृत्यों कीनिष्पक्ष और उचित आलोचना + प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी।

• न्यायालय की अवमानना के लिए 6 महीने तक साधारण कारा वास या 2000/- रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

• अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि कोई भी अदालत उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद अवमानना की कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगी जिस दिन अवमानना का आरोप लगाया गया है।

• इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम न्याय पंचायत या अन्य ग्राम न्यायालयों की अवमानना पर लागू नहीं होता है जो न्याय प्रदान के लिए स्थापित किए गए हैं।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

• संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है।

• विधायी या कार्यकारी अधिनियमनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है।

• राज्य और केंद्र सरकार दोनों के कानून और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति, यदि वे:

- मूल अधिकारों का हनन करते हैं।
- उस प्राधिकरण की क्षमता से बाहर हैं जिसने निर्णय दिया है।
- संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हैं।
- यदि संविधान का उल्लंघन देखने को मिलता है (अधिकारातीत हैं), तो उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (निष्प्रभाव और शून्य) घोषित किया जा सकता है।

• **अनुच्छेद:** 13; 32; 131 से 136, 143, 226, 246, 256 आदि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करते हैं।

संविधान की व्याख्या (**अनुच्छेद 147)**

• उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है।

• संविधान की व्याख्या करते समय, उच्चतम न्यायालय कई सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है: जैसे- पृथक्करणीयता, छूट, ग्रहण, प्रादेशिक संबंध, सार और तत्त्व, संभाव्य विधान, निहित शक्तियाँ, आनुषंगिक और सहायक शक्तियाँ, पूर्व-उदाहरण, अधिकृत क्षेत्र, संभावित अधिनिर्णय, सामंजस्यपूर्ण निर्माण, उदार व्याख्या।

संवैधानिक व्याख्या के मुख्य सिद्धांत:

• **विच्छेदनीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability):**संपूर्ण क़ानून को अमान्य किए बिना आपत्तिजनक प्रावधानों कोनिरस्त किया जा सकता है।

• **त्याग कासिद्धांत (Doctrine of Waiver):**अधिकारों या विशेषाधिकारों को जानबूझकर छोड़ा जा सकता है।

• **आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse):** मौलिक अधिकारों से असंगत कानून अमान्य नहीं, बल्कि अस्पष्ट हैं।

• प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत (Doctrine of Territorial Nexus): राज्य के कानून केवल राज्य के भीतर ही लागू होते हैं, जब तक कि पर्याप्त संबंध मौजूद न हों।

• तत्त्व और सार का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance): कानून की वैधता क्षेत्राधिकार के भीतर उसके सार पर निर्भर करती है।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: न्यायिक समीक्षा की शक्ति



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — न्यायिक समीक्षा की शक्ति

मुख्य परीक्षा दृष्टि: तत्त्व और सार का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance): कानून की वैधता क्षेत्राधिकार के भीतर उसके सार पर निर्भर करती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: न्यायिक समीक्षा की शक्ति • संवैधानिक व्याख्या के मुख्य सिद्धांत • वर्ष 2019 तक • अवमानना • आपराधिक अवमानना | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2019, 1971, 2000

• **छद्मता कासिद्धांत (Doctrine of Colourable Legislation):**छद्मता का सिद्धांत तब लागू होता है जब किसी विधायिका के पास किसी विशेष विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होती है लेकिन फिर भी वह अप्रत्यक्ष रूप से उस पर कानून बनाती है।

• आकस्मिक या सहायक शक्तियों का सिद्धांत (Doctrine of Incidental or Ancillary Powers): यह तत्त्व और सार के सिद्धांत के अतिरिक्त व्याख्या से विकसित हुआ है।

• **मिसाल का सिद्धांत (Doctrine of Precedent):** न्यायालय के पूर्व निर्णयों का पालन सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

• अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत (Doctrine of Occupied Field): संसदीय कानूनों में बाधा डालने वाले राज्य कानून प्रतिकूल हैं।

• संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत (Doctrine of Prospective Overruling): निर्णय केवल भविष्य में लागू होते हैं।

• सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत (Doctrine of Harmonious Construction): सामंजस्यपूर्ण निर्माण शब्द का मुख्य अभिप्राय ऐसे निर्माण से है जिसके द्वारा किसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बीच सामंजस्य या एकता स्थापित की जाती है।

• उदारवादी व्याख्या का सिद्धांत (Doctrine of Liberal Interpretation): संविधान को व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियाँ

• यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। इस संबंध में, उसके पास मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार है।

• राष्ट्रपति द्वारा सलाह माँगे जाने पर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण और व्यवहार की जाँच करता है। उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है।

• अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है–इस प्रकार वह स्व-सुधार करने वाली एजेंसी है।

• उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को अपने पास माँगने और उन्हें स्वयं निपटाने के लिए अधिकृत है। यह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले या अपील को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है।

• उच्चतम न्यायालय का कानून और निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

• संघ सूची के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

• **अनुच्छेद 141 :** उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

• **अनुच्छेद 142 :** उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश।

अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या आज्ञप्ति पारित करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान अक्सर न्यायिक सक्रियता से जुड़ा होता है।

उदाहरण: भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले (1989) में, सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय कानूनों को दरकिनार करते हुए पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए **अनुच्छेद 142** का इस्तेमाल किया।(UPSC 2019) अधिवक्ताओं के प्रकार

• अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अधिवक्ताओं की 2 श्रेणियों का प्रावधान करता है -वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता, जो न्यायालयों के समक्ष कानून की प्रैक्टिस करने के हकदार हैं।

• किसी अधिवक्ता को, उसकी सहमति से, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अभिहित किया जा सके गा। यदि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय की यह राय है कि वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित अर्हताओं को पूरा करता हो।

• किसी अधिवक्ता को, उसकी सहमति से, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अभिहित किया जा सके गा यदि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय की यह राय है कि वह अपनी योग्यता /विधि व्यवसायी वर्ग में स्थान/ विधि विषयक विशेष ज्ञान/अनुभव के आधार पर ऐसे सम्मान के योग्य है।

अधिवक्ता, जो उच्चतम — न्यायालय में वकालत करने के योग्य हैं: — 1. वरिष्ठ अधिवक्ता

• अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नामित अधिवक्ता या ऐसे सभी अधिवक्ता जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नामावली में थे।

• उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित करने से संबंधित है। ये नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों को, अधिवक्ता की सहमति से, एक अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। यह पदनाम तब प्रदान किया जाता है जब, उनके निर्णय में अधिवक्ता असाधारण क्षमता प्रदर्शित करता है, विधिक वृत्ति में खड़ा होता है या विधि में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता है जो ऐसी मान्यता प्रदान किए जाने योग्य है।

• उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश भी उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में विचार किए जाने के लिए पात्र हैं।

• एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड के बिना उच्चतम न्यायालय में पेश होने का हकदार नहीं है।

• उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। समिति की संरचना इस प्रकार है:

  ◦ अध्यक्ष - भारत के मुख्य न्यायमूर्ति।
  ◦ उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश।
  ◦ भारत के महान्यायवादी।
  ◦ इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नामित बार का एक सदस्य।

2. एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड (Advocate-on-record)

• एक अधिवक्ता जो उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013 के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी पक्ष के लिए कार्य करने/पैरवी करने के लिए योग्य है।

• एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड के अलावा कोई भी अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में किसी पक्ष के लिए उपस्थिति दर्ज कराने या कार्य करने के लिए योग्य नहीं है।

• 'एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड' ने 'एजेंटों' की प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया।

• 7 वर्ष के अनुभव वाला अधिवक्ता स्वयं को 'एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड' के रूप में पँजीकृत कराने का हकदार है, बशर्ते वह निर्धारित शर्तों को पूरा करता/ करती हो।

• **वर्ष 1959 का संशोधन:** उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली 'एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड' परीक्षा की शुरुआत की गई। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री परीक्षा समिति के अनुमोदन से और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त परीक्षक बोर्ड के सचिव की देखरेख में समय-समय पर एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा आयोजित कराई जाती है।

• एक अधिवक्ता परीक्षा में भाग लेने के लिए तब तक अयोग्य है जब तक कि उसने कम-से-कम दस वर्ष के अनुभव वाले एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो। यह प्रशिक्षण अधिवक्ता के नामांकन के बाद चौथे वर्ष के अंत से शुरू होकर एक वर्ष की अवधि तक निरंतर होना चाहिए।

3. अन्य अधिवक्ता

• वे अधिवक्ता जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी राज्य बार काउंसिल की नामावली में दर्ज हैं।

• वे उच्चतम न्यायालय में किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी मामले में तब तक उपस्थिति/ पैरवी/ न्यायालय को संबोधित नहीं कर सकते जब तक कि एडवोके ट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा निर्देश न दिया जाए या न्यायालय द्वारा अनुमति न दी जाए।

• अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अधिवक्ताओं को भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के एकमात्र वर्ग के रूप में मान्यता देता है। इसमें कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट वकील सम्मिलित हैं, जिन्हें उनकी मान्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के साथ वकील के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

(UPSC 2022) उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान प्रावधान विवरण तथ्य

• **संविधान:** प्रारंभ में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था।

• **सातवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956:** संसद को दो या दो से अधिक राज्यों अथवा दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया।

• **उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार:** किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के साथ सह-समाप्त (co-terminus) होता है।

• **साझा उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार:** संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों के साथ सह-समाप्त होता है।

• संसद किसी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने या बाहर करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है।

• भारत में केवल दिल्ली और जम्मू-कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है।

• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक साझा उच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों की संख्या और न्यायालय की संरचना

• संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है।

• प्रत्येक उच्च न्यायालय (अनन्य या साझा) में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

नियुक्ति (**अनुच्छेद- 217)**

• **मुख्य न्यायाधीश के लिए:** राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद नियुक्त करता है।

• **अन्य न्यायाधीशों के लिए:** राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश + राज्यपाल + राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्त करता है। (द्वितीय न्यायाधीश मामला)

• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना होगा। (तृतीय न्यायाधीश मामला)।

• **साझा उच्च न्यायालय:** राष्ट्रपति द्वारा सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श किया जाता है। न्यायाधीशों के लिए अर्हता (**अनुच्छेद- 217)**

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 10 वर्षों तक भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा हो।
- 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार एक से अधिक उच्च न्यायालयों) में अधिवक्ता रहा हो।
- कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है।
- संविधान में उच्चतम न्यायालय के मामले के विपरीत, राष्ट्रपति की राय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी "प्रतिष्ठित न्यायविद्" की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: 3. अन्य अधिवक्ता

2013	1959	1961	2022
3. अन्य अधिवक्ता	वर्ष 1959 का संशोधन	संविधान	मुख्य न्यायाधीश के लिए

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — 3. अन्य अधिवक्ता

मुख्य परीक्षा दृष्टि: संविधान में उच्चतम न्यायालय के मामले के विपरीत, राष्ट्रपति की राय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी "प्रतिष्ठित न्यायविद्" की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: 3. अन्य अधिवक्ता • वर्ष 1959 का संशोधन • संविधान • मुख्य न्यायाधीश के लिए • अन्य न्यायाधीशों के लिए | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2013, 1959, 1961, 2022, 1956

भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्र 125 शपथ अथवा प्रतिज्ञान (**अनुच्छेद- 219)**

- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है अथवा प्रतिज्ञान करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है।

वेतन एवं भत्ते

(अनुच्छेद- 221)

- संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।
- वित्तीय आपातकाल (**अनुच्छेद- 360)** को छोड़कर उनकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो उनके अहित में हो।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन "राज्य की संचित निधि" पर भारित होता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन "भारत की संचित निधि" पर भारित होती है। कार्यकाल
- संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियत कार्यकाल का प्रावधान नहीं किया गया है।
- **चार प्रावधान:**
  - 62 वर्ष तक (उच्चतम न्यायालय के मामले में 65 वर्ष)
  - राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है।
  - संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
  - जब उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है या जब उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो वह अपना पद रिक्त कर देता है।

न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। **[UPSC 2019]**
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है।
- **प्रक्रिया:** न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) के अनुसार।
- केवल संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।

• प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए।

• **पद से हटाने का आधार:** सिद्ध कदाचार और अक्षमता। अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

न्यायाधीश जाँच — अधिनियम, 1968 — पद से हटाने का प्रस्ताव:

• 100 सदस्यों (लोक सभा के मामले में) या 50 सदस्यों (राज्य सभा के मामले में) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

• लोक सभा अध्यक्ष / राज्य सभा के सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं।

• **यदि स्वीकार किया जाता है:** आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति (उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद) गठित की जाती है।

• दोषी पाए जाने पर प्रस्ताव पर सदन विचार करता है।

• प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए।

• फिर राष्ट्रपति आदेश पारित करते हैं। न्यायाधीशों का स्थानांतरण (**अनुच्छेद- 222)**

• राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं।

• स्थानांतरण पर, न्यायाधीश अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाए।

• **वर्ष 1977 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल एक असाधारण उपाय और जन हित के रूप में है, सज़ा के रूप में नहीं।

• **वर्ष 1994 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय:** न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। केवल स्थानांतरित न्यायाधीश ही इसे चुनौती दे सकता है।

• **तृतीय न्यायाधीश मामला (1998):** भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के अलावा, दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों (स्थानांतरित और प्राप्त करने वाले) से परामर्श करना चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य

न्यायाधीश (**अनुच्छेद- 223)**

• जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो;

• वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो;

• राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश (**अनुच्छेद- 224)**

• जब उच्च न्यायालय के काम-काज में अस्थायी वृद्धि हो या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य हो तो राष्ट्रपति विधिवत् अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को अस्थायी रूप से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए किसी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं ।

• अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश दोनों ही 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकते। सेवानिवृत्त न्यायाधीश (**अनुच्छेद- 224क)**

• किसी भी समय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

• वह राष्ट्रपति और नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति से ही ऐसा कर सकता है ।

• उसे उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता

• **नियुक्ति का तरीका:** न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं न्यायपालिका (भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) से परामर्श करके की जाती है। **[UPSC 2013]**

• **कार्यकाल की सुरक्षा:** न्यायाधीशों को संविधान द्वारा विहित रीति से ही पद से हटाया जा सकता है।

• **नियत सेवा शर्तें:** वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उनकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके अहित में हो (**अनुच्छेद- 360)।**

• व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, न कि राज्य की संचित निधि पर।

• **न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती:** सिवाय इसके कि जब महाभियोग प्रस्ताव संसद में विचाराधीन हो।

• **सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध:** उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है।

• **अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति:** उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है।

• अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता।

• क्षेत्राधिकार में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन इसे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बदला जा सकता है।

• कार्यपालिका से पृथक्करण (**अनुच्छेद- 50)** (राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ उच्च न्यायालय का वर्तमान क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ निम्नलिखित द्वारा शासित होती हैं: (क) संवैधानिक प्रावधान, (ख) एकत्व अभिलेख (Letters Patent), (ग) संसद के अधिनियम, (घ) राज्य विधानमंडल के अधिनियम, (ङ) भारतीय दंड संहिता,1860, (च) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, और (छ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

प्रावधान उच्च न्यायालय — मूल क्षेत्राधिकार

(अनुच्छेद- 225)

• मूल (प्रारंभिक) क्षेत्राधिकार का मुख्य अभिप्राय उच्च न्यायालय की पहली बार में विवादों की सुनवाई करने की शक्ति से है, अपील के माध्यम से नहीं।

• **इसका विस्तार निम्नलिखित तक है:**

  ◦ संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन में विवाद।

  ◦ राजस्व मामले।

  ◦ नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन।

  ◦ संविधान की व्याख्या से जुड़े ऐसे मामले, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।

  ◦ चार उच्च न्यायालयों (कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय) के पास उच्च मूल्य के मामलों में मूल सिविल क्षेत्राधिकार है।

• उच्चतम न्यायालय की तुलना में संकीर्ण क्षेत्राधिकार है।

• **नोट:** 1973 से पहले, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास भी मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार था, जिसे सीआरपीसी, 1973 द्वारा समाप्त कर दिया गया।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: प्रावधान उच्च न्यायालय

1. प्रावधान उच्च न्यायालय	**2. मूल क्षेत्राधिकार**
3. नियुक्ति का तरीका	**4. कार्यकाल की सुरक्षा**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — प्रावधान उच्च न्यायालय

मुख्य परीक्षा दृष्टि: नोट: 1973 से पहले, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास भी मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार था, जिसे सीआरपीसी, 1973 द्वारा समाप्त कर दिया गया।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: प्रावधान उच्च न्यायालय • मूल क्षेत्राधिकार • नियुक्ति का तरीका • कार्यकाल की सुरक्षा • नियत सेवा शर्तें | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2013, 1860, 1973, 1908

भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्र 127 रिट क्षेत्राधिकार (**अनुच्छेद- 226)**

• **उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक:** उच्च न्यायालय मूल अधिकार + अन्य कानूनी अधिकार दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

• उच्च न्यायालय न केवल अपने राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर बल्कि अपने राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर भी रिट जारी कर सकते हैं यदि कार्रवाई का कारण उसके राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होता है।

• उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (**अनुच्छेद- 226)** अनन्य (Exclusive) नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (**अनुच्छेद- 32)** का समवर्ती है।

• **चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय (1997):** उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का रिट क्षेत्राधिकार मूल संरचना का एक हिस्सा है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

• सिविल+आपराधिक दोनों मामले।

• किसी उच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार उसके मूल क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक होता है। अभिलेख न्यायालय (**अनुच्छेद- 215)**

• उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्रवाई और कार्य निम्नलिखित के लिए अभिलिखित (रिकार्ड) किए जाते हैं:

  ◦ साक्ष्य संबंधी महत्त्व - शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य।

  ◦ इन पर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता।

  ◦ कानूनी पूर्व-उदाहरण और संदर्भ के रूप में मान्यता प्राप्त।

• अभिलेख न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय के पास अपने निर्णय की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने की शक्ति है, भले ही संविधान द्वारा इसे समीक्षा की कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। **[UPSC 2021]**

• अभिलेख न्यायालय के रूप में, उसके पास न्यायालय की अवमानना के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने की शक्ति है।

न्यायालय की अवमानना

• 'न्यायालय की अवमानना' वाक्यांश को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। **[UPSC 2022]**

• इसे 1971 के न्यायालय की अवमानना अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

• **सिविल अवमानना:** न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।

• **आपराधिक अवमानना:** किसी भी ऐसे विषय का प्रकाशन या ऐसा कार्य करना जो न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित या कम करता है; न्यायिक कार्रवाई के प्रति दुराग्रह या उसमें हस्तक्षेप; किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है।

• ऐसी कार्रवाइयाँ जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में नहीं आतीं: किसी बात का निर्दोष प्रकाशन और वितरण + न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट + न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष तथा उचित आलोचना + प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी।

पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

(Supervisory Jurisdiction) (**अनुच्छेद- 227)**

• राज्य के अन्य सभी न्यायालयों, अधिकरणों (सैन्य न्यायालय या अधिकरण को छोड़कर) का अधीक्षण करना।

• इसमें प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण दोनों सम्मिलित हैं।

• यह एक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार (Revisional jurisdiction) है।

• यह स्वप्रेरणा से (अपने आप) किया जा सकता है और जरूरी नहीं कि यह किसी पक्ष के आवेदन पर किया जाए।

• केवल असाधारण मामलों में उपयोग किया जाता है और सामान्यतः यह सीमित है: क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन, कानून की त्रुटि, वरिष्ठ न्यायालय के कानून की अवहेलना, अनुचित निष्कर्ष और प्रकट अन्याय के मामलों में।

अधीनस्थ

न्यायालयों पर नियंत्रण (**अनुच्छेद-227)**

• **राज्यपाल द्वारा परामर्श:** जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति के मामलों में तथा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति में।

• यह राज्य की न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों के अलावा) की पदस्थापना, पदोन्नति आदि के मामले देखता है।

• अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले को वापस ले सकता है, यदि इसमें महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो जिसके लिए संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो ।

• इसका कानून इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है।

न्यायिक समीक्षा

• संविधान में कहीं भी “न्यायिक समीक्षा" वाक्यांश का उल्लेख नहीं किया गया है।

• राज्य और केंद्र सरकार दोनों के कानून तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने के लिए यदि:

  ◦ वह मूल अधिकारों का हनन करता है।
  ◦ उस प्राधिकरण की क्षमता से बाहर है जिसने इसे तैयार किया है।
  ◦ संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है।

• **संवैधानिक प्रावधान:** **अनुच्छेद- 13** , 32, 131 से 136, 143, 226, 246, 256 आदि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करते हैं।

• **अनुच्छेद- 13** और 226 के प्रावधान स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं । दो या दो से अधिक राज्यों/ के द्र शासित प्रदेश वाले उच्च न्यायालय का साझा क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार बंबई महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन तथा दीव गुवाहाटी असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पंजाब और हरियाणा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ कलकत्ता पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मद्रास तमिलनाडु, पुदुचेरी केरल केरल, लक्षद्वीप संबंधित प्रावधान

• जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

• **अर्हताएँ:** पहले से ही केंद्र अथवा राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए।

  ◦ अधिवक्ता/वकील के रूप में सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
  ◦ नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।

• **अन्य न्यायिक नियुक्तियाँ (अनुच्छेद 234) :** राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

• **अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (अनुच्छेद 235) :** उच्च न्यायालय जिला और निचली अदालतों का प्रबंधन करता है, जिला न्यायाधीश रैंक से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति और छुट्टी की निगरानी करता है।

• **‘जिला न्यायाधीश (अनुच्छेद 236) ’ की व्याख्या:** इनमें सिटी सिविल कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश; अपर जिला न्यायाधीश; संयुक्त जिला न्यायाधीश; सहायक जिला न्यायाधीश; मुख्य न्यायाधीश (लघु वाद न्यायालय); चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट; एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट; सत्र न्यायाधीश; अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश सम्मिलित हैं।

• **न्यायिक संरचना और अधिकार क्षेत्र:** राज्यों के अनुसार अलग-अलग है, जिसमें उच्च न्यायालय के नीचे तीन स्तर की अदालतें सम्मिलित हैं। जिला न्यायाधीश (सिविल) और सत्र न्यायाधीश (आपराधिक) के पास अपीलीय और मूल अधिकार क्षेत्र है।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: न्यायिक समीक्षा



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — न्यायिक समीक्षा

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (अनुच्छेद 235): उच्च न्यायालय जिला और निचली अदालतों का प्रबंधन करता है, जिला न्यायाधीश रैंक से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति और छुट्टी की निगरानी करता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: न्यायिक समीक्षा • संवैधानिक प्रावधान • अर्हताएँ

भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्र 129 वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)

परिभाषा: ADR विवाद समाधान का एक तंत्र है जो गैर-प्रतिकूल है, यानी सभी के लिये सर्वोत्तम समाधान तक पहुँचने के लिये सहकारी रूप से मिलकर कार्य करता है।

ADR को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

• आर्बिट्रेशन- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाता है, जो दोनों पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी निर्णय को लागू करता है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित, इसका उपयोग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों विवादों के लिए किया जाता है।

• सुलह- यह एक अव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें एक तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों से मिलकर विवाद का समाधान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) के सुलह नियम (1980) का अनुसरण करता है तथा इसका उपयोग सामान्य रूप से वाणिज्यिक और नागरिक विवादों के समाधान में किया जाता है।

• **मध्यस्थता:** मध्यस्थता में, "मध्यस्थ" नामक एक निष्पक्ष व्यक्ति पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने में मदद करता है। यह गैर-बाध्यकारी है और हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा अनिवार्य है, जिसका प्रयोग अक्सर पारिवारिक और वैवाहिक विवादों में किया जाता है।

• **समझौता:** एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना पक्षों के बीच चर्चा शुरू की जाती है, जिसका उद्देश्य विवाद के लिये बातचीत के जरिए समझौता करना होता है। यह पारिवारिक, औद्योगिक और छोटे-मोटे विवादों के लिए उपयोगी है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क और उचित विधिक सेवाओं के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के लिए अधिनियमित किया गया था, जो 9 नवंबर, 1995 से लागू हुआ।

• राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) उक्त अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए नीतियाँ निर्धारित करते हुए विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करता है।

• प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया जाता है।

• राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) की नीतियों को लागू करने, निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करने और लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिलों और अधिकांश तालुकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समितियाँ स्थापित की गई हैं। **[UPSC 2013]**

• उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित विधिक सेवा कार्यक्रम का प्रबंधन और कार्यान्वयन करती है।

• राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियाँ, सिद्धांत, दिशा-निर्देश और आर्थिक योजनाएँ निर्धारित करता है।

• संविधान का **अनुच्छेद 39क** गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए न्याय को बढ़ावा देता है।

• **अनुच्छेद 14** और 22(1) राज्य को कानून के समक्ष समानता और समान अवसर पर आधारित विधिक प्रणाली सुनिश्चित करने का अधिदेश देते हैं।

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

• किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में देय अथवा व्यय किए गए न्यायालय शुल्क, प्रक्रिया शुल्क और अन्य सभी शुल्कों का भुगतान।

• कानूनी कार्यवाही में वकीलों की सेवा प्रदान करना।

• कानूनी कार्यवाही में आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना तथा संबंधित व्यक्तियों को देना।

• कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों की छपाई और अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक तैयार करना।

• निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) महिलाएँ और बच्चे (ii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य (iii) औद्योगिक कामगार (iv) सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के पीड़ित (v) दिव्ययांगजन (vi) अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति (vii) ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं है (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए यह सीमा ₹5,00,000/- है) (viii) मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति अथवा भिखारी। **[UPSC 2020]**

• पहल

  ◦ **कानूनी सेवा मोबाइल ऐप:** न्याय तक पहुँच को सुगम बनाता है।

  ◦ **दिशा योजना:** न्याय तक समग्र पहुँच का लक्ष्य (2021-26)।

• **नालसा की भूमिकाएँ और कार्य:**
  ◦ नीतियाँ निर्धारित करना, कार्यान्वयन कीनिगरानी करना, लोक अदालतों का आयोजन करना और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।
  ◦ प्रभावी सेवा वितरण के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

लोक अदालत

• जो मामले लंबित हैं अथवा मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में हैं, उनकी सुनवाई करता है: गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर; एडीआर (वैकल्पिक विवाद निवारण) का एक घटक है; अनौपचारिक, सस्ता, शीघ्र न्याय प्रदान करती है।

• **स्वतंत्रता के बाद का पहला लोक अदालत शिविर:** गुजरात (1982)।

• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।

• राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ तालुक विधिक सेवाएँ विभिन्न समयों और स्थानों पर लोक अदालत का आयोजन कर सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

संरचना

इसमें एजेंसी द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट संख्या में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होते हैं। सामान्य रूप से, लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और सदस्य के रूप में एक वकील (अधिवक्ता) और एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं।

विवाद

लोक अदालत के पास पक्षकारों के बीच समझौता अथवा निपटान निर्धारित करने और लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति है:

• किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मामला।

• कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता हो और उस न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो। क्षेत्राधिकार

• समझौते के अयोग्य (गैर-प्रशमनीय) अपराधों (non-compoundable offenses) के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

• न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि: (i) उसके पक्षकार लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत हों; अथवा (ii) उसका कोई पक्षकार मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए न्यायालय में आवेदन करता है; अथवा (iii) न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने के लिए उपयुक्त है।

• मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में विवाद के मामले में, विवाद के किसी भी पक्षकार से आवेदन प्राप्त होने पर, मामले को लोक अदालत का आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निपटान के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है।

शक्ति

लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं:

• शपथ के बारे में किसी गवाह की जाँच करने के लिए उसे बुलाना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना; किसी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुति; शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना; किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज़ की मांग करना और ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएँ।

लोक अदालत का पंचाट

सिविल न्यायालय का आदेश/किसी न्यायालय की डिक्री। पंचाट के लिए कोई अपील नहीं की जा सकती।

लोक अदालत के प्रकार

लोक अदालतें तीन प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय लोक अदालतें, राज्य लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं)।

राष्ट्रीय लोक अदालतें

• इन्हें नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाता है, जहाँ एक ही दिन में पूरे देश में, उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक स्तर तक सभी न्यायालयों में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

• 2015 से, हर महीने विशिष्ट विषय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती रही हैं।

राज्य लोक अदालतें

इन्हें नियमित लोक अदालतों (Regular Lok Adalats) के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें आगे निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• **सतत लोक अदालत (Continuous Lok Adalat):** लोक अदालत पीठ अनसुलझे मामलों को अगली तारीख तक स्थगित करके औरवास्तविक निपटान से पहले पारस्परिक रूप से स्वीकृत निपटान की शर्तों पर विचार करने के लिए पक्षकारों को प्रोत्साहित करके निपटान करने के लिए निर्धारित दिनों के लिए लगातार बैठती है।

• **दैनिक लोक अदालत (Daily Lok Adalat):** इस प्रकार की लोक अदालत दैनिक आधार पर बैठती है।

• **मोबाइल लोक अदालत:** छोटे मामलों को सुलझाने और क्षेत्र में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए मल्टी-यूटिलिटी वैन में स्थापित लोक अदालत को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाकर आयोजित किया जाता है।

• **मेगा लोक अदालत:** यह राज्य में एक ही दिन राज्य के सभी न्यायालयों में आयोजित की जाती है।

स्थायी लोक अदालत

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 और 2002 में संशोधन करके स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया।

• **विशेषताएँ:**
  ◦ इसमें एक अध्यक्ष,जो जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश है अथवा रहा है अथवा जिला न्यायाधीश से उच्च न्यायिक पद पर रहा है और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्ति शामिल होंगे।
  ◦ एक अथवा अधिक उपयोगिता सेवाओं (परिवहन, टेलीफोन सेवाएँ आदि) के संबंध में क्षेत्राधिकार।

• आर्थिक क्षेत्राधिकार - 10 लाख रुपये तक। हालाँकि केंद्र सरकार समय-समय पर उक्त आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। तदनुसार, 2015 में, केंद्र सरकार ने उक्त आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है।

• समझौते के अयोग्य (गैर-प्रशमनीय) अपराधों (Non-compoundable offenses) के मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

• स्थायी लोक अदालत में आवेदन किए जाने के बाद, उस आवेदन का कोई भी पक्षकार उसी विवाद में किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करेगा।

• **निर्णय:** निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी है, तथा अपील की अनुमति नहीं होती है।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: विवाद

1908	2015	1987	2002
विवाद	शक्ति	लोक अदालत	का पंचाट

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — विवाद

मुख्य परीक्षा दृष्टि: निर्णय: निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी है, तथा अपील की अनुमति नहीं होती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: विवाद • शक्ति • लोक अदालत • का पंचाट • लोक अदालत के प्रकार | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1908, 2015, 1987, 2002

भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्र 131 ग्राम न्यायालय ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है।

उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और किफायती विवाद समाधान सुनिश्चित करते हुए जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुँच प्रदान करना।

ग्राम न्यायालय अधिनियम की विशेषताएँ :

• ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा और इसके पीठासीन अधिकारी (न्यायाधिकारी) (केवल न्यायिक अधिकारी) को उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

• **स्थापना:** किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत अथवा मध्यवर्ती स्तर पर आस-पास की पंचायतों के समूह के लिए।

• **शक्तियाँ:** मोबाइल कोर्ट आपराधिक और सिविल न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

  ◦ केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी संबंधित विधायी क्षमता के अनुसार अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति दी गई है।

• **स्थान:** मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर स्थित होगा।

• **क्षेत्राधिकार:** उन आपराधिक मामलों, सिविल मुकदमों, दावों अथवा विवादों की सुनवाई करेगा, जो अधिनियम कीपहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

• **सुलह:** जहाँ तक संभव हो सुलहकर्ताओं की मदद से सुलह कराकर विवादों को निपटाने का प्रयास करेंगे। **[UPSC 2016]**

• **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा बाध्य नहीं होंगे, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगे और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अध्ययाधीन होंगे।

• **आपराधिक मामलों में अपील:** सत्र न्यायालय में, जिसकी सुनवाई छह महीने की अवधि के भीतर की जाएगी और निपटारा किया जाएगा।

• **सिविल मामलों में अपील:** जिला न्यायालय में, जिसकी सुनवाई छह महीने की अवधि के भीतर की जाएगी और निपटारा किया जाएगा।

[UPSC 2016]

• **वेतन:** न्यायाधिकारियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं।

• **भाषा:** निर्णय और कार्यवाही स्थानीय राज्य भाषा में आयोजित की जाती है।

• **निर्णय:** ग्राम न्यायालय के निर्णय को एक आदेश के रूप में माना जाता है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

वाणिज्यिक न्यायालय

उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, वाणिज्यिक खंडपीठ और वाणिज्यिक अपीलीय खंडपीठ स्थापित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया था।

• इन न्यायालयों को निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करने के लिए नामित किया गया है।

• 'वाणिज्यिक विवाद' शब्द को मोटे तौर पर व्यापारियों, बैंकरों, फाइनेंसरों और व्यापारियों के विशिष्ट लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली असहमति से संबंधित विवादों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

विशेषताएँ

• राज्य सरकारों को एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है।

• जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों को जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए नामित किया जा सकता है।

• साधारण मूल सिविल क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों में, मुख्य न्यायाधीश एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिए एक वाणिज्यिक खंडपीठ का गठन कर सकते हैं।

• संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक खंडपीठ के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक वाणिज्यिक अपीलीय खंडपीठ का गठन करेंगे।

• वाणिज्यिक विवादों के लिए निर्दिष्ट मूल्य 3 लाख रुपये अथवा उससे अधिक मूल्य, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, से कम नहीं होना चाहिए। 2018 में, वाणिज्यिक विवादों का निर्दिष्ट मूल्य पहले के 1 करोड़ रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था।

• अंतरिम राहत के बिना मुकदमा शुरू करने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है और एक पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता एवं निपटान तंत्र (Pre-Institution Mediation and Settlement Mechanism) स्थापित किया जाता है। केंद्र सरकार पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता के प्रयोजन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान कर सकती है।

संवैधानिक प्रावधान

• मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था।

• 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में 'अधिकरण' नामक एक नया भाग 14-क जोड़ा। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित था (इसी समिति ने मूल कर्तव्यों की भी सिफारिश की थी)।

अनुच्छेद- 323क अनुच्छेद- 323ख

• केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की सार्वजनिक सेवा के लिए अधिकरणों की स्थापना।

• केवल संसद द्वारा स्थापित किए जाते हैं, राज्य विधानमंडलों द्वारा नहीं।

• केंद्र के लिए केवल एक और प्रत्येक राज्य के लिए अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण स्थापित किया जा सकता है।

• अधिकरणों के पदानुक्रम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

• कतिपय अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की स्थापना। जैसे कराधान, भूमि सुधार आदि।

• संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा अपनी विधायी क्षमता के तहत मामलों के संबंध में स्थापित किया जा सकता है।

• अधिकरणों का पदानुक्रम बनाया जा सकता है।

• **भाग 14-क में दो अनुच्छेद सम्मिलित हैं:** **अनुच्छेद- 323क** , प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, और **अनुच्छेद- 323ख** , अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है।

• अधिकरण को सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं।

• अधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम का पालन नहीं करते।

मुख्य विशेषताएँ :

• **विशेषज्ञता:** विशेष ज्ञान वाले सदस्यों से बना है।

• **लचीली प्रक्रियाएँ:** सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) से बाध्य नहीं।

• **प्राकृतिक न्याय:** निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का पालन करता है।

• **अर्ध-न्यायिक:** साक्ष्य सुन सकते हैं, गवाहों की जाँच कर सकते हैं और बाध्यकारी निर्णय ले सकते हैं।

• **त्वरित प्रक्रिया:** पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में तेज़ समाधान प्रक्रिया।

• **अपीलीय प्राधिकरण:** न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है।

• **कार्य:** विवादों का समाधान करना और अधिकारों का निर्धारण करना। प्रशासनिक निर्णय लाना और मौजूदा निर्णयों की समीक्षा करना। कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।

के द्रीय और राज्य प्रशासनिक अधिकरण **अनुच्छेद- 323क** के अनुसार, संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया है जो केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT) स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।

के द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) इसकी स्थापना वर्ष 1985 में नई दिल्ली में मुख्य पीठ और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठों के साथ की गई थी।

नियुक्ति

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-selection Committee) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

संरचना बहुसदस्यीय निकाय: 1 अध्यक्ष + 69 सदस्य। अवधि

- **अध्यक्ष:** 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।
- **सदस्य:** 4 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक। विविध (Miscellaneous)
- दिल्ली में प्रधान खंडपीठ और अतिरिक्त 17 नियमित खंडपीठें (उच्च न्यायालय के स्थानों पर 15 + जयपुर और लखनऊ में 2)।
- 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
- सदस्य न्यायिक + प्रशासनिक क्षेत्रों से लिए जाते हैं, लेकिन, 50 वर्ष की आयु पूरी न करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
- **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं है। आवेदन के लिए नाममात्र ₹50 शुल्क की आवश्यकता होती है। आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देता है।
- **क्षेत्राधिकार:** अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं और केंद्र के अधीन सिविल पदों तथा रक्षा सेनाओं के असैन्य कर्मचारियों तक विस्तारित है। यद्यपि, रक्षा बलों के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा संसद के सचिवालयी कर्मचारी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं।

राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT) 1985 का प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT) स्थापित करने का अधिकार देता है।

नियुक्ति

- नियुक्ति राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा साझा खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

विविध

(Miscellaneous)

- राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में की गई है।
- **क्षेत्राधिकार:** राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सभी सेवा मामलों तक विस्तारित है। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण(JATs)
- यह अधिनियम दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण (Joint Administrative Tribunal, JAT) की स्थापना का भी प्रावधान करता है।
- **नियुक्ति:** अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से की जाती है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: मुख्य विशेषताएँ

1. मुख्य विशेषताएँ
2. नियुक्ति
3. विविध
4. विशेषज्ञता

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — मुख्य विशेषताएँ

मुख्य परीक्षा दृष्टि: नियुक्ति: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से की जाती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: मुख्य विशेषताएँ • नियुक्ति • विविध • विशेषज्ञता • लचीली प्रक्रियाएँ | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1985, 1908

भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्र 133 अन्य मामलों के लिए अधिकरण (**अनुच्छेद 323बी)**

• **प्राधिकरण:** संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित कर सकते हैं।

• **क्षेत्र:** कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात/निर्यात, औद्योगिक और श्रम विवाद, भूमि सुधार, शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा, चुनाव (संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए), खाद्य पदार्थ और किराया और किरायेदारी अधिकार।

• **उदाहरण:** एनजीटी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण इत्यादि।

• **चंद्र कुमार के स:** उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों अनुच्छेदों के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर करते थे। इसलिए, अब इन अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध न्यायिक उपचार उपलब्ध हैं। इसमें कहा गया कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष की जाएगी।।

न्यायालय और अधिकरण के बीच तुलना — न्यायालय अधिकरण

पारंपरिक न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है। क़ानून द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है और इसे न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है।

सिविल न्यायालयों के पास सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने की न्यायिक शक्ति है, जब तक कि संज्ञान स्पष्ट रूप से वर्जित न हो।

अधिकरण (अर्ध-न्यायिक निकाय) के पास विशेष मामलों की सुनवाई करने की शक्ति है जो उन्हें संविधियों (Statutes) द्वारा प्रदान की गई है।

सामान्य न्यायालयों के न्यायाधीश अपने कार्यकाल, सेवा के नियमों और शर्तों आदि के संबंध में कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है।

प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल, नियम एवं सेवा शर्तें पूर्णत: कार्यपालिका के अधीन होती हैं।

न्यायालय किसी कानून की वैधता का निर्णय कर सकता है। प्रशासनिक अधिकरण ऐसा नहीं कर सकता।

न्यायालय साक्ष्य और प्रक्रिया के सभी नियमों से बंधा होता है। प्रशासनिक अधिकरण नियमों से नहीं, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से बंधा होता है।

न्यायालय का पीठासीन अधिकारी कानून और कानूनी पेशे में प्रशिक्षित होता है।

अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य कानून में अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होता है।

वह प्रशासनिक मामलों का विशेषज्ञ हो सकता है।

न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और सामग्री के आधार पर सभी प्रश्नों पर निष्पक्ष रूप से निर्णय करना होता है।

प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय वस्तुनिष्ठ के बजाय व्यक्तिपरक हो सकते हैं।

प्रशासनिक अधिकरण विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्णय कर सकता है।

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021:

उद्देश्य: दक्षता में सुधार और लागत को कम करने के लिए विभिन्न न्यायाधिकरणों के कामकाज को सुव्यवस्थित और तर्क संगत बनाना।

• **वित्त अधिनियम 2017:** क्षेत्रों के आधार पर कई न्यायाधिकरणों का विलय किया गया। खोज और चयन समितियों को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया।

• **चयन समितियाँ:** खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जाता है। राज्य न्यायाधिकरणों में अलग-अलग चयन पैनल होते हैं। सरकार को सिफारिशों पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए।

• **पात्रता और कार्यकाल:** अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष, सदस्यों के लिए 67 वर्ष और नियुक्तियों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष के साथ 4 साल का कार्यकाल।

- **एक समान वेतन:** न्यायाधिकरणों में खोज और चयन के लिए एक समान मुआवजा और नियम सुनिश्चित करता है।
- **अध्यक्ष/सदस्यों को हटाना:** हटाने के आधार में सम्मिलित हैं: दिवालियापन, नैतिक पतन, अक्षमता, हितों का टकराव या पद का दुरुपयोग।
- **मुआवजा:** विघटित न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों को समय से पहले समाप्ति के लिए 3 महीने का वेतन और भत्ते मिलते हैं।
- **न्यायिक समीक्षा:** यद्यपि संविधान में कहीं भी 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कई अनुच्छेदों में विभिन्न प्रावधान हैं जो स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे **अनुच्छेद 13**, 32, 131-136, 143, 226, 227 आदि।
- कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति की न्यायिक समीक्षा करता है। (UPSC 2017)
- न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। यह शब्द पहली बार 1947 में एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक आर्थर स्लेसिंगर जूनियर (Arthur Schlesinger Jr.) द्वारा गढ़ा गया था।
- भारत में, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में पेश किया गया था।
- जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी।
- अन्य संबंधित अवधारणाओं में न्यायिक अतिक्रमण और न्यायिक संयम सम्मिलित हैं। नीचे दी गई तालिका न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण और न्यायिक संयम के बीच बुनियादी अंतर प्रस्तुत करती है।

अंतर के बिंदु न्यायिक समीक्षा न्यायिक सक्रियता न्यायिक संयम न्यायिक अतिक्रमण परिभाषा कानूनों की समीक्षा करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे संविधान के अनुरूप हैं।

समकालीन मुद्दों के समाधान के लिए संविधान की व्याख्या।

न्यायाधीश तब तक कानूनों

को रद्द करने से बचते हैं जब तक कि कोई स्पष्ट उल्लंघन न हो न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करती है।

लक्ष्यह सुनिश्चित करता है कि कानून — मौलिक अधिकारों और संविधान

के अनुरूप हों।

सरकार द्वारा छोड़ी गई सामाजिक

आवश्यकताओं और कमियों को संबोधित करता है।

नीतिगत मामलों में न्यायिक

हस्तक्षेप को सीमित करता है।

कार्यपालिका/विधायिका की विफलताओं की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास।

आशय संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित कानूनों को मान्य करता है।

आवश्यक सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देना, कभी-कभी संवैधानिक समर्थन के बिना भी।

शक्तियों के पृथक्करण को संरक्षित करता है।

कार्यकारी/विधायी कार्यों में अतिक्रमण या हस्तक्षेप करना।

शक्ति असंवैधानिक कानूनों को अमान्य

करके मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करता है।

जब अन्य संवैधानिक निकाय विफल हो जाते हैं तो जनहित याचिकाओं या स्वत: संज्ञान कार्रवाई जैसे तंत्रों के माध्यम से कार्य करना।

न्यायिक विनम्रता बनाए — रखना तथा केवल — संवैधानिक मामलों में ही

हस्तक्षेप करना।

प्राय: कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होता है।

उदाहरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन — करने के लिए आईटी अधिनियम

की धारा 66 ए को खत्म करना।

जनहित याचिकाओं, स्वप्रेरणा — मामलों का प्रयोग, तथा प्रत्यक्ष — संवैधानिक समर्थन के बिना नए

सिद्धांतों का निर्माण।

कानूनों को कायम रखना

जब तक कि वे स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न करते हों राजमार्गों के निकट शराब पर प्रतिबंध, जॉली एलएलबी 2 जैसी फिल्मों पर सेंसरशिप।

प्रभाव कानून का शासन सुनिश्चित करता

है और संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखता है।

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करता है।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मामलों की न्यायिक समीक्षा:

- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):**शासित संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- **24वाँ संशोधन:** संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की अनुमति।
- **के शवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):** संशोधन शक्ति पर स्थापित सीमाएँ; मूल संरचना को संरक्षित किया जाना चाहिए।
- **आई.आर. कोलोहो के स (2007):** न्यायिक समीक्षा को एक बुनियादी विशेषता के रूप में पुष्टि की गई; 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है।

जनहित याचिका (PIL)

- इसे सामाजिक कार्रवाई याचिका (Social Action Litigation, SAL), सामाजिक हित याचिका (Social Interest Litigation, SIL) और वर्ग हित याचिका (Class Action Litigation, CAL) के नाम से भी जाना जाता है।
- जनहित याचिका का मतलब सार्वजनिक हित को लागू करने के लिए न्यायालय में शुरू की गई, कानूनी कार्रवाई है जिसमें जनता के कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित होते हैं।
- जनहित याचिका की अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई, जिसका उद्देश्य उन समूहों तथा हितों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना था, जिनको पहले प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था।
- भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में हुई, जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का परिणाम है।
- न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता हैं।
- जनहित याचिका किसी भी उच्च न्यायालय अथवा सीधे उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है।

उद्देश्य

- विधि के शासन की पुष्टि करना।
- समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोरवर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुँच की सुविधा प्रदान करना।

- मूल अधिकारों की सार्थक प्राप्ति। विशेषताएँ
- न्याय को उस गरीब जनता की पहुँच में लाती है, जिसकी ओर सबसे कम ध्यान जाता है।
- जनहित याचिका सामान्य पारंपरिक मुकदमे से बिल्कुल अलग तरह का मुकदमा है।
- जनहित को बढ़ावा देने और उसकी पुष्टि करने के इरादे से दायर की जाती है।
- जनहित याचिका मांग की जाती हैकि बड़ी संख्या में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: न्यायाधीश तब तक कानूनों



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — न्यायाधीश तब तक कानूनों

मुख्य परीक्षा दृष्टि: जनहित याचिका मांग की जाती हैकि बड़ी संख्या में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: न्यायाधीश तब तक कानूनों • लक्ष्यह सुनिश्चित करता है कि कानून • मौलिक अधिकारों और संविधान • सरकार द्वारा छोड़ी गई सामाजिक • नीतिगत मामलों में न्यायिक | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** *1967, 1973, 2007, 1960, 1980*

भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्र 135 अनदेखी नहीं की जानी चाहिए तथा उनकी शिकायतें अनसुनी नहीं रहनी चाहिए।

- यह याचिकाकर्ता की ओर से समुदाय के कमजोर वर्गों के संबंध में एक सहकारी प्रयास है।
- यह सार्वजनिक क्षति के निवारण, सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने, सामाजिक, सामूहिक, प्रचलित अधिकारों और हितों की रक्षा करने अथवा सार्वजनिक हित की पुष्टि करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुकदमेबाजी है।
- जनहित याचिका की भूमिका निष्क्रिय के बजाय रचनात्मक है और यह कार्यों के निर्धारण में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।
- पारंपरिक विवाद समाधान तंत्र के विपरीत, व्यक्तिगत अधिकारों के न्याय-निर्णयन के बारे में कोई दृढ़ संकल्प नहीं है।

जनहित याचिका का दायरा: बंधुआ मजदूरी मामले; उपेक्षित बच्चे; श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान न करना और अस्थायी श्रमिकों का शोषण; पुलिस द्वारा उत्पीड़न एवं पुलिस हिरासत में मृत्यु; जेलों में उत्पीड़न की शिकायत वाली याचिकाएँ; महिलाओं पर अत्याचार; पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन की गड़बड़ी; खाद्य पदार्थों में मिलावट; विरासत तथा संस्कृति का रख-रखाव; दंगा-पीड़ितों की याचिकाएँ; दंगा-पीड़ितों की याचिकाएँ; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों पर सह-ग्रामीणों अथवा पुलिस द्वारा अत्याचार संबंधी याचिकाएं।

निम्नलिखित विषयों पर जनहित — याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाएगा

- मकान मालिक और किरायेदार के बीच के मामले।
- सेवा मामले और पेंशन एवं ग्रेच्युटी से संबंधित मामले।
- केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के विरुद्ध शिकायतें।
- चिकित्सा एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश।
- उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु याचिकाएँ।

जनहित याचिका के सिद्धांत

- जनहित याचिका पर संविधान के **अनुच्छेद 32** और 226 के तहत विचार किया जा सकता है।
- न्यायालय प्रक्रिया संबंधी कानूनों और अभिवचनों से संबंधित कानून में भी ढील देता है।
- अधिस्थिति (Locus Standi) के सामान्य नियम में ढील दी जाती है ताकि न्यायालयों को संबंधित शिकायतों पर गौर करने में सक्षम बनाया जा सके।

• न्यायालय राज्य अथवा सरकार को याचिका की विचारणीयता पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता है।

• पूरी तरह से निजी कानून के दायरे में आने वाले विवादों को जनहित याचिका के रूप में उठाने की अनुमति नहीं है।

• हालाँकि किसी उपयुक्त मामले में, न्यायालय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाते हुए, व्यक्तिगत शिकायत के मामले को न्याय के हित में जाँच के लिए आवश्यक माना जा सकता है।

• आरोपों की जाँच करने और तथ्यों का पता लगाने के लिए विशेष आयोग अथवा अन्य निकाय नियुक्त किए जाने चाहिए।

• उच्च न्यायालय को किसी क़ानून अथवा सांविधिक नियम की संवैधानिकता अथवा विधिमान्यता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका के माध्यम से रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए।

• जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है?

  ◦ **कोई भी नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है:**

    ■ **अनुच्छेद 32** के तहत उच्चतम न्यायालय में।

    ■ उच्च न्यायालय में **अनुच्छेद 226** के तहत।

    ■ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में।

• राज्य/केंद्र सरकार और नगर निगम प्राधिकरणों के विरुद्ध दायर किया जा सकता है, निजी पक्षों के विरुद्ध नहीं।

जनहित याचिका से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय:

• **बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984):** बंधुआ मजदूरों के शोषण को संबोधित किया गया; उनकी रिहाई और मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

• **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987):** पर्यावरण प्रदूषण पर पहली जनहित याचिका; पूर्ण दायित्व सिद्धांत की स्थापना।

• **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (1997):** कानूनी सहायता और मानव सम्मान के अधिकार को शामिल किया गया।

• **विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1997):** कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा-निर्देश स्थापित किए गए, जिससे प्रासंगिक कानूनों का निर्माण हुआ।

परिवार न्यायालय

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम,1984 (Family court act 1984): विवाह और पारिवारिक मुद्दों से संबंधित विवादों का सुलह तथा शीघ्र निपटान करता है।

विशेषताएँ

• राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से परिवार न्यायालय की स्थापना की जाती है।

• राज्य सरकार के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय का गठन करना अनिवार्य है। यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य सरकार अन्य क्षेत्रों में परिवार न्यायालय स्थापित कर सकती है।

• **अनन्य क्षेत्राधिकार (Exclusive jurisdiction):** वैवाहिक राहत; जीवनसाथी की संपत्ति; एक व्यक्ति की वैधता की घोषणा; किसी व्यक्ति की संरक्षकता अथवा किसी नाबालिग की अभिरक्षा; पत्नी, बच्चों एवं माता-पिता का भरण-पोषण।

• परिवार न्यायालय के लिए पहले सुलह कराना अनिवार्य है। इस चरण के दौरान, कार्यवाही अनौपचारिक होगी और प्रक्रिया के कठोर नियम लागू नहीं होंगे।

• किसी विधिक प्रैक्टिशनर द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि न्यायालय, न्याय के हित में, न्याय मित्र के रूप में किसी कानूनी विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

• केवल उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।

ग्रामीण स्थानीय शासन: पंचायतें

• **परिभाषा:** पंचायती राज ग्रामीण भारत में एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (UPSC 2017) के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है "पांच लोगों का शासन", जो समुदाय के लिए निर्णय लेने वाले पांच बड़े ग्रामीणों की रीति पर आधारित है।

• पंचायतों को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक बनाया गया था।

• सब्सिडियरी का सिद्धांत एक राजनीतिक अवधारणा है जो शासन में विकेंद्रीकरण और स्थानीय निर्णय लेने की वकालत करती है। राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओंऔर नगरपालिकाओं को शक्तियों का हस्तांतरण इसी सिद्धांत के अनुरूप है।

• विकास में जनता की भागीदारी तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की निर्णायक भूमिका होती है। (UPSC 2015) भारत में पंचायतों का विकास ब्रिटिश काल:

• **स्वायत्ता का ह्रास:** ब्रिटिश शासन के तहत ग्राम पंचायतें कमज़ोर हो गईं।

• **मेयो का संकल्प (1870):** स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों औरजिम्मेदारियों का विस्तार किया गया।

• **लॉर्ड रिपन संकल्प (स्थानीय स्वायत्त-शासन के जनक):** स्थानीय स्वायत्त-शासन का मैग्नाकार्टा 1882 में पेश किया गया।

• **विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन (1907):** ग्राम पंचायतों के महत्त्व को मान्यता दी गई।

• **मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार (1919):** स्थानीय सरकार की शक्तियों को प्रांतों को हस्तांतरित किया गया।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि:

• **अनुच्छेद-40 (राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व):** राज्य ग्राम पंचायतों का गठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

• स्थानीय शासन सातवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की पाँचवीं प्रविष्टि 'स्थानीय शासन' से संबंधित है)।

• सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953): नौकरशाही और भागीदारी की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

• **बलवंत राय मेहता समिति (1957):** संवर्द्धन की अनुशंसा की गई, जिससे 1959 में राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रपात हुआ।

• **73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992):** औपचारिक पंचायती राज संस्थाएं, 24 अप्रैल, 1993 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) से प्रभावी।

• **पंचायती राज स्थापित करनेवाला पहला राज्य:** राजस्थान, नागौरमें पहली पंचायत स्थापित की गई (प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को)

• **'शहरी स्थानीय शासन' का विषय:** आवास और शहरी कार्य मंत्रालय + रक्षा मंत्रालय + गृह मंत्रालय।

महत्त्वपूर्ण समितियाँ एवं उनकी सिफारिशें: — बलवंत राय मेहता समिति (1957):

इसका उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (1953) के काम-काज की जाँच करना था।

सिफारिशें

• त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था।

• ग्राम पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन।

• पंचायत समिति (कार्यकारी निकाय) और जिला परिषद (सलाहकार, समन्वयक और पर्यवेक्षी निकाय) के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन।

• जिला स्तर पर योजना एवं विकास।

• जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए।

• भविष्य में प्राधिकार का और अधिक हस्तांतरण होना चाहिए।

• समिति कीसिफ़ारिशों को जनवरी 1958मेंराष्ट्रीय विकासपरिषद (National Development Council) द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अशोक मेहता समिति (1977) इसने अगस्त 1978 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए 132 सिफारिशें कीं।

सिफारिशों

• 2 स्तर (जिला परिषद और मंडल पंचायत)।

• विकेंद्रीकरण के लिए जिला पहला बिंदु होना चाहिए । पंचायत, नगर पालिका पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समि और सहकारी समितियाँ तियाँ

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: ग्रामीण स्थानीय शासन: पंचायतें

2017	1992	2015	1870
ग्रामीण स्थानीय शासन: पंचायतें	स्वतंत्रता के बाद की अवधि	बलवंत राय मेहता समिति (1957)	सिफारिशों

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — ग्रामीण स्थानीय शासन: पंचायतें

मुख्य परीक्षा दृष्टि: विकेंद्रीकरण के लिए जिला पहला बिंदु होना चाहिए । पंचायत, नगर पालिका पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समि और सहकारी समितियाँ तियाँ

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: ग्रामीण स्थानीय शासन: पंचायतें • स्वतंत्रता के बाद की अवधि • बलवंत राय मेहता समिति (1957) • सिफारिशों • ग्रामीण स्थानीय शासन | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2017, 1992, 2015, 1870, 1882

- पंचायती राज संस्थाओं(पीआरआई) काजिला-स्तरीय एजेंसी द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट होना चाहिए।
- अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिए।
- पंचायत निर्वाचन के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए।
- राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं(पीआरआई) का अधिक्रमण नहीं करना चाहिए।
- **कार्यकारी निकाय:** जिला परिषद (योजना एवं विकास)
- न्याय पंचायत (एक योग्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में) की सिफारिश की।
- विकास संबंधी कार्य जिला परिषद के सीईओ को हस्तांतरित किए जाने चाहिए।
- जिला कलेक्टर राज्य सरकार के राजस्व कार्यों के विनियामक के रूप में कार्य करें।
- **पंचायती राज मंत्री:** राज्य मंत्रिपरिषद में नियुक्त किए जाने चाहिए।
- **सीटों का आरक्षण:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर।
- **संवैधानिक मान्यता (पंचायती राज संस्थाएँ):** पवित्रता और दर्जा सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा निरंतर कार्यकरण का आश्वासन दिया जाना चाहिए।
- किसी भी सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। दांतेवाला समिति (1978) ब्लॉक स्तरीय योजना के बारे में सिफारिश की।

हनुमंत राव समिति (1984) जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन पृथक जिला योजना निकाय की सिफारिश की।

जी.वी.के . राव समिति (1985) ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की जाँच करना।

सिफारिशें

जिला परिषद का महत्त्वपूर्ण स्थान होना चाहिए।

- जिला और निचले स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का काम सौंपा जाना चाहिए।
- जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन।
- नियमित निर्वाचन होने चाहिए।
- **निष्कर्ष:** विकास प्रक्रिया को धीरे-धीरे नौकरशाहीकृत कर दिया गया है और इसे पंचायती राज से अलग कर दिया गया है तथा समिति ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को "बिना जड़ों वाली घास (Grass Without Roots)" कहा।

एल.एम. सिंघवी समिति (1986) 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' विषय पर एक अवधारणा पत्र (Concept paper) तैयार करना।

सिफारिशें

- भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए।
- जिला परिषद के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली (जिला स्तर पर योजना और विकास)

- गाँवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें।
- ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार्य (प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अवतार) बनाएँ।
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के मुद्दों के लिए अधिकरणों की स्थापना।

थुंगन समिति: जिला योजना (1988) जिला योजना के प्रयोजन के लिए ज़िले में राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की जाँच करना।

सिफारिशें

- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संवैधानिक मान्यता देना।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज।
- योजना एवं विकास हेतु जिला परिषद।
- 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
- किसी निकाय के अधिक्रमण (Supersession) की अधिकतम अवधि छह महीने।
- तीनों स्तरों पर जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण।
- प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग।
- राज्य स्तर पर योजना एवं समन्वय समिति (योजना मंत्री की अध्यक्षता में)
- जिला कलेक्टर को जिला परिषद का सीईओ होना चाहिए। गाडगिल समिति (नीति और कार्यक्रम समिति) (1988) समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया कि "पंचायती राज संस्थाओं को कैसे सबसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है"।

सिफारिशें

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा।
- 3 स्तर, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
- पंचायती राज निकायों को सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाने और कार्यान्वित करने की ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संविधान में विषयों की एक सूची निर्दिष्ट की जानी चाहिए।
- तीनों स्तरों पर पंचायत सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण।
- पंचायती राज संस्थाओं को कर और शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्ति।
- राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना।
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार करने का आधार बनी।

संविधान-पश्चात समितियाँ (73वें संशोधन के बाद):

- शक्तियों के हस्तांतरण पर टास्क फोर्स (2001) - ललित माथुर की अध्यक्षता में।
- जमीनी स्तर के योजना पर विशेषज्ञ समूह (2005) - वी. रामचंद्रन की अध्यक्षता में।
- जिला योजना पर नियमावली के लिए टास्क फोर्स (2008) - राजवंत संधू की अध्यक्षता में।
- डीआरडीए के पुनर्गठन पर समिति (2010) - वी. रामचंद्रन की अध्यक्षता में।
- पंचायतों के लाभ उठाने पर विशेषज्ञ समिति (2012) - मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में।

पंचायत (73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992)

संवैधानिक प्रावधान: ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 कार्यात्मक मदें सम्मिलित हैं; भाग 9 में **अनुच्छेद- 243** से 243ण के प्रावधान शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

• **243छ:** शक्ति, प्राधिकार और ज़िम्मेदारियाँ

• **243ज:** पंचायतों द्वारा और उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्तियाँ

• **243झ:** वित्त आयोग विशेषताएँ ग्राम सभा (**अनुच्छेद- 243क)**

• **अनुच्छेद- 40 :** "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

• प्रत्यक्ष लोकतंत्र (लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण) का प्रतीक; गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं; कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। **[UPSC 2017]**

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था

• पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में एकरूपता है।

• **स्तर:** ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर।

• 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं भी कर सकते हैं।

• स्थानीय स्वायत्त शासन के सभी संस्थाओं के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे।

• ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। पंचायत के अध्यक्ष और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत के अन्य सदस्यों को पंचायतों की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

• **तीनों स्तरों पर आरक्षण (अनुच्छेद- 243घ) :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (जनसंख्या के आधार पर) + महिलाओं(एक तिहाई आरक्षण) के लिए सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है (2000 का 83वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम)।

  ◦ राज्य विधानमंडल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायत अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएँगे।

• यह अधिनियम राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर पंचायत में सीटों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है।

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के साथ-साथ पंचायतों में अध्यक्षों के पदों का आरक्षण **अनुच्छेद- 334** में निर्दिष्ट अवधि (जो वर्तमान में अस्सी वर्ष है, अर्थात वर्ष 2030 तक) की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगा।

अवधि:

पाँच वर्ष (इसकी अवधि पूरी होने से पहले विघटित किया जा सकता है) (अनुच्छे-द 243ङ)

• **पंचायत के नए निर्वाचन:** (क) इसकी पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले; या (ख) इसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले।

• किन्तु, जहाँ शेष अवधि (जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रही होती) छह महीने से कम है, तो ऐसी अवधि के लिए नई पंचायत के लिए कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

• समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल पूरे पाँच वर्ष का नहीं होता है, बल्कि शेष अवधि के लिए ही पद पर रहती है।

[UPSC 2016]

निरर्हता (**अनुच्छेद- 243च)**

• संबंधित राज्य की विधायिका के निर्वाचन के उद्देश्य से किसी भी समय लागू कानून के तहत दोषी पाया जाना।

• राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून के तहत दोषी पाया जाना।

• 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो उसे इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। **[UPSC 2016]**

• निरर्हता के सभी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को भेजे जाएँगे जो राज्य विधान मंडल निर्धारित करे।

राज्य निर्वाचन आयोग (**अनुच्छेद- 243ट)**

• राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के सभी चुनाव कराता है।

• राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए निर्धारित तरीके तथा आधार के सिवाय पद से नहीं हटाया जाएगा।

• राज्य निर्वाचन आयोग के पद की शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

• राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता है जो उसके अहित में हो।

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों — के हस्तक्षेप पर रोक [अनुच्छेद- 243ण]

• यह अधिनियम पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

• किसी भी पंचायत के किसी भी निर्वाचन पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित रीति से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका द्वारा सवाल उठाने के सिवाय कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

• निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन या पंचायत के निर्वाचन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर, पूर्वनिर्धारित तरीके से निर्वाचन याचिका के अलावा किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

• **निर्वाचन याचिकाएँ:** राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

1. महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद	**2. अवधि**
3. के हस्तक्षेप पर रोक [अनुच्छेद- 243ण]	**4. संवैधानिक प्रावधान**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

मुख्य परीक्षा दृष्टि: निर्वाचन याचिकाएँ: राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद • अवधि • के हस्तक्षेप पर रोक [अनुच्छेद- 243ण] • संवैधानिक प्रावधान • अनुच्छेद | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1992, 2017, 2000, 2016

राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियाँ, कार्य और वित्त

• राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकता है, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

• **11वीं अनुसूची:** 29 मामले जो पंचायत को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

• आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाएँ तैयार करना एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

• **वित्त:** राज्य विधानमंडल निम्नलिखित का प्रावधान कर सकता है।

  ◦ किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करना;

  ◦ राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए गए करों, शुल्कों, टोलों तथा फीस में से पंचायत को आवंटन करना;

  ◦ राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान करना; और

  ◦ पंचायतों के सभी धनराशियों को जमा करने के लिए कोषों के गठन का प्रावधान करना। क्रम सं. क्षेत्र और गतिविधियाँ क्रम सं. क्षेत्र और गतिविधियाँ 1. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है 15. गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत 2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन और मृदा संरक्षण

16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-संभर (वाटरशेड) विकास 17. शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं 4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन 18. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा

5. मत्स्य पालन 19. प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा — 6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी 20. पुस्तकालय — 7. लघु वनोपज 21. सांस्कृतिक गतिविधियाँ

8. लघु उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित हैं 22. बाज़ार और मेले 9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग 23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा औषधालय शामिल हैं

10. ग्रामीण आवास 24. परिवार कल्याण — 11. पेय जल 25. महिला और बाल विकास

12. ईंधन और चारा 26. सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों का कल्याण भी शामिल है 13. सड़कें , पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन 27. कमज़ोर वर्गों और खास तौर पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें विद्युत वितरण भी शामिल है 28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

29. सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव — अनिवार्य प्रावधान

- किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना।
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन।
- मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन।
- पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी।
- तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना। तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
- पाँच वर्ष का कार्यकाल नियत करना और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण (Supersession) की स्थिति में छह महीने के भीतर नए निर्वाचन कराना।
- पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना।
- राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा (प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद) करेगा। स्वैच्छिक प्रावधान
- ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना।
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति का निर्धारण करना।
- ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को मध्यवर्ती पंचायतों में या, किसी राज्य में मध्यवर्ती पंचायतें न होने की स्थिति में, जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
- मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
- संसद (दोनों सदनों) और राज्य विधानमंडल (दोनों सदनों) के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
- किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना।
- पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाने के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने; तथा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी कार्य करने के लिए पंचायतों को शक्तियों एवं ज़िम्मेदारियों का हस्तांतरण करना।
- पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना - कर, शुल्क, टोल और फीस।
- राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान प्रदान करना।
- पंचायतों की सभी धनराशियाँ जमा करने के लिए कोष का गठन करना। राज्य वित्त आयोग (**अनुच्छेद- 243झ)** राज्य का राज्यपाल हर पाँच वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगा:
- राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध(निवल) प्राप्तियों का राज्य तथा पंचायतों के बीच वितरण एवं सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच के हिस्सों का आवंटन।
- करों, शुल्कों, टोलों और फीस का निर्धारण करना, जिन्हें पंचायतों को सौंपा जा सकता है।
- राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान।

• **संरचना + अर्हता:** राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

• राज्यपाल आयोग की सिफ़ारिशों को की-गई कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेंगे।

• केंद्रीय वित्त आयोग राज्य की संचित निधि को बढ़ाने और राज्य में पंचायत के संसाधनों को पूरक करने के उपायों की सिफारिश कर सकता है।

अन्य प्रावधान

• **मौजूदा कानूनों और पंचायतों को जारी रखना:** इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की समाप्ति तक लागू रहना। (**अनुच्छेद- 243ढ)**

• **लेखापरीक्षा और लेखा:** राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएँगे (**अनुच्छेद- 243ञ)**

• **संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होना:** यह संघ राज्यक्षेत्रों के लिए लागू है। यद्यपि, राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि वे संघ राज्यक्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के अध्यधीन लागू होंगे, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करें। (**अनुच्छेद- 243ठ)**

• **कुछ (कतिपय) क्षेत्रों को छूट दी गई है:** नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अन्य (मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए जिला परिषदें मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है)।

  ◦ संसद इस भाग के प्रावधानों को ऐसे अपवादों और संशोधनों के अध्यधीन अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है, जो वह विनिर्दिष्ट करे।

  ◦ इस प्रावधान के तहत, संसद ने "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम," 1996 (Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act," 1996) को अधिनियमित किया, जिसे सामान्य रूप से पेसा अधिनियम (PESA Act) या विस्तार अधिनियम (Extension Act) के नाम से सुप्रसिद्ध है।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) अधिनियम 1996 **[UPSC 2012]**

पंचायतों के संबंध में संविधान के भाग- 9 के प्रावधान पाँचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। यद्यपि, संसद के पास विशिष्ट अपवादों और संशोधनों के साथ इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों पर विस्तारित करने की शक्ति है। इस प्राधिकार के अनुरूप संसद ने यह अधिनियम बनाया। **[UPSC 2013]**

पेसा अधिनियम की विशेषताएँ

• अनुसूचित क्षेत्रों मेंपंचायतों के संबंधमेंराज्य का कानून (State legislation) प्रथागत कानून, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होना चाहिए।

• एक गाँव बस्ती या बस्तियों के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें एक समुदाय शामिल होगा और परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन करेगा।

• अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों का 50% नहीं होगा।

• सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा।

• राज्य सरकार उन जनजातियों को सीधे नामित कर सकती है, जिनका मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है (कुल सदस्यों के दसवें से अधिक नहीं)।

• विकास परियोजनाओं और पुनर्वास के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श करना होगा।

• अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन पंचायतों को सौंपा जाएगा।

• अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (Prospecting License) या खनन पट्टा देने और नीलामी द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायत के लिए ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य हैं।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: अन्य प्रावधान



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अन्य प्रावधान

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (Prospecting License) या खनन पट्टा देने और नीलामी द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायत के लिए ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य हैं।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अन्य प्रावधान • पेसा अधिनियम की विशेषताएँ • संरचना + अर्हता • लेखापरीक्षा और लेखा | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1996, 2012, 2013

ग्राम सभा

- हर गाँव में एक ग्राम सभा होगी।
- यह ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने का अधिकार ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का स्वामित्व है।

(UPSC 2012)

- इसके पास समुदाय की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सांप्रदायिक संसाधनों तथा विवादों को सुलझाने की पारंपरिक पद्धति की रक्षा करने एवं बनाए रखने का अधिकार होगा।
- लाभार्थियों कीपहचान और योजनाओं की मंज़ूरी के लिए ज़िम्मेदार होगी।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार होगा। (UPSC 2013)
- ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत को उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए धन के उपयोग का प्रमाणन ग्राम सभा से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- निषेध लागू करने या किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री और उपभोग को विनियमित या प्रतिबंधित करने, लघु वन उपज का स्वामित्व, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकना, गाँव के बाजारों का प्रबंधन, अनुसूचित जनजातियों तथा सभी सामाजिक क्षेत्रों के संस्थानों एवं पदाधिकारियों को धन उधार देने पर नियंत्रण की शक्ति।
- जनजातीय उप-योजनाओंसहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति।
- राज्य के कानून उच्च स्तर की पंचायतों को निचले स्तर की किसी भी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकार को हड़पने से रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करेंगे।
- राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर की पंचायतों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करते समय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित प्रशासनिक संरचना का अनुकरण करने का प्रयास करेगा।
- पेसा अधिनियम के असंगत किसी भी कानून (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित) का कोई भी प्रावधान इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर वन और आजीविका उद्देश्यों से संबंधित है। (UPSC 2021) पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व का स्रोत (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार)

- केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से अनुदान (**अनुच्छेद- 280)।**
- **अनुच्छेद- 243झ** के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार से हस्तांतरण।

• राज्य सरकार से ऋण/अनुदान।

• केंद्र प्रायोजित योजनाओंऔर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत कार्यक्रम-विशिष्ट आवंटन।

• आंतरिक संसाधन सृजन (कर और गैर-कर)।

• **स्थानीय सरकार:** संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत यह राज्य का विषय है।

• **नगरीय स्थानीय सरकार:** आवास और शहरी मामलों, रक्षा और गृह मंत्रालयों द्वारा विनियमित।

• नगर स्थानीय निकाय नगर प्रशासन और विकास की देखरेख करते हैं तथा सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

• **संवैधानिक अधिदेश:** भारतीय संविधान में प्रारंभ में नगर स्वशासन के लिए स्पष्ट प्रावधानों का अभाव था। वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक सिद्धांतों में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, नगरपालिकाओं का उल्लेख केवल राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, जिसमें स्थानीय स्वशासन को राज्य के अधीन रखा गया है।

भारत में नगर पालिकाओं का विकास

• **1687:** मद्रास: पहला नगर निगम।

• **1726:** बम्बई और कलकत्ता नगर निगम।

• **1870:** वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव।

• **1882:** लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। (स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक): स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा।

• **1907:** विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन। इसके अध्यक्ष सी.ई.एच. हॉबहाउस (C.E.H. Hobhouse) थे।

• **1919:** भारत शासन अधिनियम 1919, स्थानीय स्वायत्त शासन एक स्थानांतरित विषय (Transferred Subject) बन गया।

• **1924:** छावनी अधिनियम पारित किये गए।

• **1935:** भारत शासन अधिनियम,1935:- स्थानीय शासन एक प्रांतीय विषय बन गया।

• **1989:** 65वें संविधान संशोधन विधेयक (नगरपालिका विधेयक) को प्रस्तुत करने का उद्देश्य नगर निकायों को संवैधानिक बनाना और उन्हें मजबूत बनाना था; यह राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया गया।

• **1992:** 65वाँ संशोधन विधेयक 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, जो पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ।

नगर पालिका (74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992) नगरीय शासन प्रणाली को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

• संवैधानिक प्रावधान
  ◦ बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 कार्यात्मक मदें सम्मिलित हैं;
  ◦ भाग 9-क जोड़ा गया, जिसमें **अनुच्छेद- 243त** से 243यछ के प्रावधान सम्मिलित हैं।

• महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
  ◦ **243ब:** नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और ज़िम्मेदारियाँ।
  ◦ **243भ:** नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियाँ।
  ◦ **243म:** राज्य वित्त आयोग।

• **अपवाद:** यदि कोई ऐसा शहरी क्षेत्र है जहाँ किसी व्यायवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा नगरपालिका सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, तो राज्यपाल उस क्षेत्र को एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसे मामले में नगरपालिका का गठन नहीं किया जा सके गा।

राज्यपाल को किसी क्षेत्र की सीमा, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, गैर-कृषि रोजगार का प्रतिशत, आर्थिक महत्त्व, और उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उसे एक संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area), लघुतर नगरीय क्षेत्र या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करना आवश्यक है।

संरचना (**अनुच्छेद- 243द)**

• नगरपालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएँगे। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।

• राज्य विधानमंडल किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीके का प्रावधान कर सकता है।वह किसी नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान कर सकता है।

  ◦ नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का, उन्हें नगर पालिका की बैठकों में मताधिकार दिए बिना।
  ◦ लोकसभा और राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों काप्रतिनिधित्व करतेहैं,जिनमेंपूर्णया आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है।
  ◦ राज्यसभा और राज्य विधानपरिषद के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं।
  ◦ समितियों (वार्ड समितियों के अलावा) के अध्यक्षों का।

• यदि नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो एक वार्ड समिति होती है।

• **अन्य समितियाँ:** राज्य विधानमंडल अन्य समितियों के गठन के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है।

• **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय, संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में गृह मंत्रालय।

नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन

(अनुच्छेद- 243यक)

• मतदाता सूची तैयार करने और नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। **(अनुच्छेद- 243ट)।**

• राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान बना सकता है।

• राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं में मनोनीत सदस्यों के बारे में निर्णय लेता है।

आरक्षण **(अनुच्छेद- 243न)**

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें (जनसंख्या के आधार पर) आरक्षित होती हैं।

• **महिलाओं के लिए:** 1/3 आरक्षण।

• नगरपालिका अध्यक्षों और ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण के साथ-साथ अध्यक्षों के पदों का आरक्षण, **अनुच्छेद- 334** में निर्दिष्ट अवधि (जो वर्तमान में अस्सी वर्ष, अर्थात वर्ष 2030 तक है) की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगा।

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक **(अनुच्छेद- 243यछ)**

• यह अधिनियम नगरपालिकाओं के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

• नगरपालिका के किसी भी निर्वाचन पर राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित रीति से निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका द्वारा सवाल उठाने के सिवाय कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

• निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

निरर्हता **(अनुच्छेद-243फ)**

• संबंधित राज्य की विधान मंडल के निर्वाचन के उद्देश्य से किसी भी समय लागू कानून के तहत दोषी पाया जाना।

• राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून के तहत दोषी पाया जाना।

• 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो उसे इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है।

• निरर्हता के सभी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को भेजे जाएँगे जो राज्य विधान मंडल निर्धारित करे।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन

1. नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन	**2. अपवाद**
3. अन्य समितियाँ	**4. मंत्रालय**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन

मुख्य परीक्षा दृष्टि: निरर्हता के सभी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को भेजे जाएँगे जो राज्य विधान मंडल निर्धारित करे।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन • अपवाद • अन्य समितियाँ • मंत्रालय • महिलाओं के लिए

कार्यकाल (**अनुच्छेद-243प)**

- अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका के लिए पाँच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है। यद्यपि, इसको कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है।
- नगर पालिका के गठन के लिए नए सिरे से निर्वाचन संपन्न कराए जाएँगे
  - पाँच वर्ष की इसकी अवधि समाप्त होने से पहले; या
  - विघटन की स्थिति में, विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले।
  - यदि शेष अवधि (जिसके लिए विघटित नगर पालिका जारी रही होती) छह महीने से कम है, तो कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।
- समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित नगरपालिका का कार्यकाल पूरे पाँच वर्ष का नहीं होता है, बल्कि शेष अवधि के लिए ही पद पर बनी रहती है।
- **अधिनियम विघटन के संबंध में दो और प्रावधान भी करता है:** (क) किसी नगरपालिका को उसके विघटन से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए; तथा (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून में कोई भी संशोधन पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले नगरपालिका के विघटन का कारण नहीं बनेगा।

राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियाँ, कार्य और वित्त

- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाएँ तैयार करना एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- **12वीं अनुसूची:** 18 मामले जो नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किये जा सकते हैं।

12वीं अनुसूची नगर नियोजन सहित नगरीय योजना; भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों के निर्माण; आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजना; सड़कें एवं पुल; घरेलू, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति; लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध; अग्निशमन सेवाएँ; नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण तथा पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि; समाज के दुर्बल वर्गों के , जिनके अंतर्गत विकलांग एवं मानसिक रूप मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा; गंदी-बस्ती सुधार व प्रोन्नयन; नगरीय निर्धनता उन्मूलन; नगरीय सुख-साधनों और सुविधाओं, जैसे पार्क , उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था; सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि; दफनाने तथा कब्रिस्तान, शवदाह एवं श्मशान व विद्युत शवदाह गृह; मवेशीशाला, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण; जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है; सार्वजनिक सुख-सुविधाएँ, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएँ भी हैं; तथा वधशालाओं व चर्मशोधन शालाओं का विनियमन।

- **वित्त:** राज्य विधान मंडल (क) किसी नगरपालिका को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने तथा विनियोजन करने; (ख) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए एवं एकत्र किए गए करों, शुल्कों, टोल व फीस को नगरपालिका को सौंपने; (ग) राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान देने का प्रावधान; और (घ) नगरपालिकाओं की सभी धनराशियों को जमा करने के लिए कोषों का प्रावधान करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

अन्य प्रावधान

- **लेखाओं की लेखापरीक्षा (अनुच्छेद- 243य) :** किसी राज्य का विधान मंडल नगरपालिकाओं द्वारा लेखा रखे जाने और ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकता है।
- **संघ राज्यक्षेत्रों में लागू होना:** इस भाग के प्रावधान संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होते हैं। यद्यपि, राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे अपवादों और संशोधनों के अध्यधीन संघ राज्यक्षेत्र पर लागू होंगे जैसा कि वह निर्दिष्ट करें।
  - राष्ट्रपति ने (वर्ष 2001 में) उपर्युक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया कि **अनुच्छेद- 243यघ** (जिला योजना समिति) और **अनुच्छेद- 243यङ** (महानगरीय योजना समिति) के प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू नहीं होंगे।

• **छूट प्राप्त क्षेत्र:** यह अधिनियम राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इसका पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यों तथा शक्तियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद इस भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों तक ऐसे अपवादों तथा संशोधनों के अध्यधीन विस्तारित कर सकती है, जिन्हें वह निर्दिष्ट करे।

• **मौजूदा कानूनों और नगरपालिकाओं का जारी रहना:** इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक।

शहरी शासन के प्रकार — 1. नगर निगम

• बड़े शहरों के प्रशासन के लिए राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा (संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में संसद द्वारा) गठित किया जाता है। किसी राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक सामान्य अधिनियम या प्रत्येक नगर निगम के लिए एक अलग अधिनियम हो सकता है।

• **एक नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते हैं:**

  ◦ परिषद

  ◦ स्थायी समितियाँ

  ◦ आयुक्त

• परिषद का अध्यक्ष एक महापौर (मेयर) होता है। उसकी सहायता के लिए एक उप-महापौर होता है। अधिकांश राज्यों में मेयर का निर्वाचन एक वर्ष के नवीकरणीय कार्यकालके लिएकिया जाता है।वह मूल रूप से एक शोभायमान व्यक्ति और निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। उसका मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है।

  ◦ परिषद निगम की विचारशील और विधायी शाखा है। इसमें लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के साथ-साथ नगरपालिका प्रशासन का ज्ञान या अनुभव रखने वाले कुछ मनोनीत व्यक्ति भी शामिल होते हैं।

• स्थायी समितियाँ परिषद के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जाती हैं, जो आकार में बहुत बड़ी हैं। वे सार्वजनिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान, वित्त आदि से संबंधित हैं। वे अपने-अपने क्षेत्र में निर्णय लेती हैं।

• नगर निगम आयुक्त परिषद और इसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गएनिर्णयों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार होता है। इस प्रकार, वह निगम का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और सामान्य रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का सदस्य होता है।

2. नगरपालिकाएँ

• कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य विधानमंडल के अधिनियमों (संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में संसद द्वारा) द्वारा स्थापित की गई हैं। इन्हें नगरपालिका परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड, शहरी नगरपालिका आदि जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है।

• एक नगरपालिका में नगर निगम की तरह तीन प्राधिकरण होते हैं:- परिषद, स्थायी समितियाँ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

• परिषद का नेतृत्व एक अध्यक्ष/सभापति करता है। उसकी सहायता एक उपाध्यक्ष/उप-सभापति द्वारा की जाती है।वह परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नगर निगम के मेयर के विपरीत, वह एक निर्णायक भूमिका निभाता है और नगरनिगम प्रशासन की धुरी होता है। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा, उसे कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

  ◦ परिषद नगरपालिका की विचारशील और विधायी शाखा है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद शामिल होते हैं।

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के दिन-प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार होता है। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

• परिषद के काम-काज को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थायी समितियाँ बनाई जाती हैं। वे सार्वजनिक कार्यों, कराधान, स्वास्थ्य, वित्त आदि से संबंधित होती हैं।

3. नगर क्षेत्र समिति

• यह एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा बनायी जाती है। यह एक अर्ध-नगरपालिका प्राधिकरण है और इसे जल निकासी, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग और साफ-सफाई जैसे सीमित संख्या में नागरिक कार्य सौंपे गए हैं।

• इसकी संरचना, कार्य और अन्य मामले अधिनियम द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हो सकती है।

4. छावनी बोर्ड

• छावनी अधिनियम 2006 केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है; छावनी क्षेत्र में नागरिक प्रशासन से संबंधित है, औररक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

• छावनी बोर्ड आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था है। निर्वाचित सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं, वहीं दूसरी ओर मनोनीत सदस्य (अर्थात, पदेन सदस्य) तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक वे संबंधित स्टेशन में अपने पद पर बने रहते हैं।

• स्टेशन की कमान संभालने वाला सैन्य अधिकारी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।

• छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह बोर्ड और उसकी समितियों के सभी प्रस्तावों तथा निर्णयों को लागू करता है। वह इस उद्देश्य के लिए स्थापित केंद्रीय काडर (Central Cadre) से संबंधित होता है।

5. अधिसूचित क्षेत्र समिति

तेजी से विकसित हो रहे या नगरपालिका की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले कस्बों के प्रशासन के लिए, राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से बनाई जाती है। यह पूरी तरह से एक मनोनीत संस्था है। यह न तो निर्वाचित निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है।

6. टाउनशिप

बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती है; कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है।

7. पत्तन न्यास

संसद के एक अधिनियम द्वारा दो प्रयोजनों के लिए स्थापित किया गया: (क) पत्तनों की रक्षा करना; और (ख) पत्तनों में तथा उसके आसपास नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना। इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष एक अधिकारी होता है।

8. विशेष प्रयोजन एजेंसी

राज्य द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है अर्थात यह कार्य-आधारित संगठन, न कि क्षेत्र-आधारित। वे स्थानीय नगर निकायों की अधीनस्थ एजेंसियाँ नहीं हैं।

जिला योजना समिति (DPC) (UPSC 2011)

• **अनुच्छेद- 243यघ :** पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित करना तथा विकास योजना का प्रारूप तैयार करना।

• ज़िले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को जिला स्तर पर समेकित करने के लिए प्रत्येक राज्य इसका गठन करेगा।

• राज्य विधानमंडल जिला योजना समिति (डीपीसी) के निर्वाचन की पद्धति और रीति, कार्यों, संरचना का प्रावधान कर सकता है।

• **डीपीसी के 4/5 सदस्य:** ज़िले की जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व ज़िले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप होना चाहिए।

• ऐसी समिति का अध्यक्ष विकास योजना को राज् य सरकार को अ ग्रसारित करेगा।

महानगर योजना समिति (एमपीसी) (**अनुच्छेद- 243यङ)** (UPSC 2011)

• **महानगरीय क्षेत्र:** देश का वह क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। (**अनुच्छेद- 243त)**

• विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: 2. नगरपालिकाएँ

1. 2. नगरपालिकाएँ	2. 3. नगर क्षेत्र समिति
3. 4. छावनी बोर्ड	4. 5. अधिसूचित क्षेत्र समिति

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — 2. नगरपालिकाएँ

मुख्य परीक्षा दृष्टि: महानगरीय क्षेत्र: देश का वह क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। (अनुच्छेद- 243त)

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: 2. नगरपालिकाएँ • 3. नगर क्षेत्र समिति • 4. छावनी बोर्ड • 5. अधिसूचित क्षेत्र समिति • 6. टाउनशिप | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2006, 2011

• राज्य विधानमंडल महानगर योजना समिति (एमपीसी) के निर्वाचन की पद्धति और रीति, कार्यों, संरचना का प्रावधान कर सकता है।

• **एमपीसी के 2/3 सदस्य:** महानगरीय क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व ज़िले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप होना चाहिए।

• **1/3 सदस्य:** मनोनीत होते हैं।

• ऐसी समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे।

नगरपालिका कार्मिक

• **पृथक कार्मिक प्रणाली:** प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने स्वयं के कर्मियों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण करता है। उनका अन्य स्थानीय निकायों में स्थानांतरण नहीं होता है। यह सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है। यह प्रणाली स्थानीय स्वायत्ता के सिद्धांत को कायम रखती है और अविभाजित निष्ठा को बढ़ावा देती है।

• **संयुक्त कार्मिक प्रणाली:** राज्य सरकार राज्य में नगरपालिका कर्मियों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण करती है, उनका स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरण किया जा सकता है।

• **एकीकृत कार्मिक प्रणाली:** राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के कार्मिक एक ही सेवा का हिस्सा होते हैं तथा उनका स्थानांतरण न केवल राज्य में स्थानीय निकायों के बीच बल्कि स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार के विभागों के बीच भी किया जा सकता है।

नगरपालिका राजस्व

• **कर राजस्व:** स्थानीय कर और उपकर।

• **गैर-कर राजस्व:** किराया, उपयोगकर्ता शुल्क।

• **अनुदान:** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा।

• **हस्तांतरण:** राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का अंतरण।

• **ऋण:** राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों से लिया जाता है। के द्रीय स्थानीय शासन परिषद

• वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा **अनुच्छेद- 263** (अंतर-राज्य परिषद) के तहत स्थापित की गई। यह एक सलाहकारी निकाय है।

• **संरचना:** इसमें भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्री तथा राज्यों के स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय मंत्री, परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

• **परिभाषा:** सहकारी समितियाँ लोकतांत्रिक संगठन हैं जो अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो निर्णय लेने और नीति निर्माण में भाग लेते हैं।

• **विषय:** राज्य सूची प्रविष्टि 32 संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को संदर्भित करती है।

• **सदस्यता:** इसमें किसान, कारीगर, छोटे व्यवसाय या उपभोक्ता जैसे व्यक्ति या समूह शामिल होते हैं।

• **सिद्धांत:** सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग, स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता द्वारा संचालित।

• **मान्यता:** 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से भारत में इसे पंचायती राज संस्थाओं के समान संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई।

भारत में सहकारी समितियों का संक्षिप्त इतिहास स्वतंत्रता-पूर्व चरण:

• **19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध:** किसानों पर साहूकारों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इसकी शुरुआत हुई।

• **1901:** सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति ने सहकारी ऋण समितियों की स्थापना की सिफारिश की।

• **1904:** सहकारी समिति अधिनियम की शुरुआत, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटकके कनागिनहालमेंपहली कृषि ऋण सहकारी समिति की स्थापना हुई।

• **1914-1915:** सर ई.डी. मैक्लेगन द्वारा किए गए मूल्यांकन ने सहकारी आंदोलन में महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रस्ताव रखा।

• **1919:** भारत सरकार अधिनियम ने सहकारिता को एक प्रांतीय विषय में स्थानांतरित कर दिया, जिसकी देखरेख एक मंत्री द्वारा की जाती थी।

स्वतंत्रता के बाद का चरण:

• **1947 के बाद:** नियोजित आर्थिक विकास के लिए एक उपकरण के रूप में सहयोग पर जोर दिया गया।

• **नेहरू का दृष्टिकोण:** प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया।

• **वर्तमान स्थिति:** भारत में लगभग 8.55 लाख सहकारी समितियाँ हैं, जिनकी सदस्य संख्या 29 करोड़ है, तथा जो 91% गाँवों में विस्तृत हैं। इसमें 21 राष्ट्रीय सहकारी समितियाँ, 390 राज्य स्तरीय संघ, 2,705 जिला संघ और 97,961 प्राथमिक कृषि समितियाँ (पीएसीएस) सम्मिलित हैं।

• **उल्लेखनीय सहकारी समितियाँ:** प्रसिद्ध समितियों में अमूल, लिज्जत पापड़, पीएमसी बैंक और इफको (IFFCO) आदि सम्मिलित हैं।

विषय/सूची: सातवीं अनुसूची, राज्य सूची (प्रविष्टि 32) वर्ष 2011 का 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम: इस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया, साथ ही संविधान में तीन उपबंध किए गए:

• सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है (**अनुच्छेद 19)।**

• राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में एक नया उपबंध जोड़ा गया (**अनुच्छेद 43** B)।

• **संविधान में नया भाग 9-B जोड़ा गया:** 'सहकारी समितियाँ' (**अनुच्छेद 243** ZH से 243 ZT)। संवैधानिक प्रावधान

• **सहकारी समितियों का निगमन:** राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन, समापन के लिए प्रावधान कर सकता है (**अनुच्छेद 243** ZI)।

• बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल: (**अनुच्छेद 243** ZJ)

  ◦ **निदेशक:** समितियों के निदेशक, राज्य विधायिका द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।

  ◦ **पदावधि:** चुनाव की तारीख से 5 वर्ष और बोर्ड का चुनाव वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति सेपहले (**अनुच्छेद 243** ZK) ऐसेनिकाय द्वारा आयोजित किया जाएगा, जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किया गया है।

  ◦ मतदाता सूची की तैयारी और सहकारी समिति के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ऐसे निकाय में निहित होगा, जिसका राज्य विधानमंडल द्वारा प्रावधान किया जाए।

  ◦ **सीटों का आरक्षण:** राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों में 1 सीट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा।

  ◦ **सहयोजित सदस्य (Co-opted Members):** राज्य विधानमंडल बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त आदि में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को बोर्ड में सहयोजित करने का प्रावधान करेगा, जिनकी संख्या दो (इक्कीस निदेशकों के अलावा) से अधिक नहीं होगी और उन्हें वोट देने के अधिकार नहीं होगा।

• बोर्ड का अधिक्रमण औरनिलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन (Suppression and Suspension of Board and Interim Management) (**अनुच्छेद 243** ZL)

  ◦ कोई भी बोर्ड छह महीने से अधिक की अवधि के लिए अतिष्ठित नहीं किया जाएगा या निलंबित नहीं रखा जाएगा। (बहु-राज्य सहकारी बैंकों के अलावा अन्य सहकारी बैंकों के मामले में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

  ◦ यद्यपि, ऐसी किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड को अतिष्ठित नहीं किया जाएगा या निलंबित नहीं रखा जाएगा जिसमें कोई सरकारी शेयरधारिता नहीं है या सरकार द्वारा काई ऋण या वित्तीय सहायता या गारंटी नहीं दी गई है।

• सहकारी समितियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा (**अनुच्छेद 243** ZM)

- राज्य विधानमंडल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम एक बार (वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर) सहकारी समितियों के लेखाओं के रखरखाव और लेखा परीक्षा (ऑडिट) के लिए प्रावधान कर सकता है।
- प्रत्येक सहकारी समिति का ऑडिट, सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त एक ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म द्वारा किया जाएगा।

यद्यपि, ऐसे ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निकाय से नियुक्त किया जाएगा।

- शीर्ष सहकारी समिति के लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (ऑडिट रिपोर्ट) राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

• **रिटर्न दाखिल करना:** सहकारी समितियों को वित्तीय वर्ष के बाद छह महीने के भीतर रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसमें परिचालन संबंधी पहलू और ऑडिट रिपोर्ट शामिल होंगी।

• **वार्षिक आम सभा की बैठकें (अनुच्छेद 243ZN) :** वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर अनिवार्य।

• **पारदर्शिता को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 243ZO) :** सदस्यों को पुस्तकों, खातों और सूचनाओंतक पहुँच का अधिकार; सहकारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना।

• **अपराध और दंड (अनुच्छेद 243ZQ) :** राज्य विधानमंडल सहकारी प्रबंधन और चुनावों के संबंध में अपराध और दंड को परिभाषित कर सकते हैं।

• राज्य विधानमंडल, सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान कर सकता है।

• प्रत्येक सहकारी समिति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी को रिटर्न दाखिल करना होगा।

सहकारी समितियों से संबंधित मामले

• राजेंद्र शाह मामले (2013) में गुजरात उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 में भाग 9-B को सम्मिलित करना, अनुच्छेद 368 के तहत राज्यों द्वारा अपेक्षित अनुसमर्थन के अभाव में भारत के संविधान के अधिकारातीत (Ultra vires) है।

• वर्ष 2021 में, उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ की अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की, सिवाय उस हिस्से के, जिसने भारत के संविधान के भाग 9-B को समग्र रूप से अविधिमान्य कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि भाग 9-B केवल राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है।

• राज्य विधानमंडल यह प्रावधान कर सकता है कि प्रत्येक सहकारी समिति की वार्षिक आमसभा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर बुलाई जाएगी।

• बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होना (अनुच्छेद 243 ZR): इस भाग के प्रावधान बहु-राज्य सहकारी समितियों पर इस संशोधन के अध्यधीन लागू होंगे कि 'राज्य विधानमंडल,' 'राज्य अधिनियम' या 'राज्य सरकार' के किसी भी संदर्भ को क्रमशः 'संसद,' 'केंद्रीय अधिनियम' या 'केंद्र सरकार' के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

• **संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होना (अनुच्छेद 243 ZS):** इस भाग के प्रावधान संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होंगे। राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि इस भाग के प्रावधान किसी भी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि वह एक अधिसूचना में निर्दिष्ट करें।

• **मौजूदा कानूनों की निरंतरता (अनुच्छेद 243ZT) :** सहकारी समितियों पर मौजूदा राज्य कानून संशोधन होने तक या संशोधन लागू होने के एक वर्ष बाद तक प्रभावी रहते हैं।

सहकारिता मंत्रालय (2021):

2021 में भारत सरकार द्वारा स्थापित, सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करके "सहकार से समृद्धि" (सहयोग के माध्यम से समृद्धि) को बढ़ावा देना है। इसे कृषि मंत्रालय से जिम्मेदारियाँ स्थानांतरित की गई है।

उद्देश्य:

• **सहकारी ढाँचे को मजबूत करना:** एक सहायक प्रशासनिक और कानूनी संरचना विकसित करना।

• **जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देना:** जन-केंद्रित सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना।

• **कारोबार में आसानी बढ़ाना:** सहकारी समितियों और बहु-राज्यीय समितियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

• **पारदर्शिता और आधुनिकीकरण सुनिश्चित करना:** पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ग्रामीण समुदायों को लाभ पहुँचाना और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए गाँवों को सहकारी समितियों से जोड़ना।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: सहकारी समितियों से संबंधित मामले



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — सहकारी समितियों से संबंधित मामले

मुख्य परीक्षा दृष्टि: पारदर्शिता और आधुनिकीकरण सुनिश्चित करना: पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ग्रामीण समुदायों को लाभ पहुँचाना और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए गाँवों को सहकारी समितियों से जोड़ना।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: सहकारी समितियों से संबंधित मामले • सहकारिता मंत्रालय (2021) • पदावधि • सीटों का आरक्षण • रिटर्न दाखिल करना | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2013, 2011, 2021

संविधान में विशेष प्रावधान — संविधान में विशेष प्रावधान — अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र — संवैधानिक प्रावधान

• **अनुच्छेद- 244 ; भाग- 10:** 'अनुसूचित क्षेत्रों' (Scheduled Areas(SA)) और 'जनजातीय क्षेत्रों' (Tribal Areas'(TA) के लिए प्रशासन की विशेष निकाय।

• **5वीं अनुसूची:** 4 राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (एएमटीएम) को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। [यूपीएससी 2015]

• **6वीं अनुसूची:** 4 उत्तर-पूर्वी राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन [यूपीएससी 2015]

• भारतीय संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। (यूपीएससी 2015] अंतर के बिंदु पाँचवीं अनुसूची छठी अनुसूची उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों का पर्यवेक्षण और प्रशासन। स्वायत्त जिलों में जिला और क्षेत्रीय परिषदों का गठन, शक्तियाँ और कार्य।

कार्यक्षेत्र

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय हितों की रक्षा करता है।

पांचवीं अनुसूची में शामिल न होने वाले अनुसूचित क्षेत्रों को संबोधित करता है।

विशेष क्षेत्र

असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में जनजातीय समुदायों की सुरक्षा करता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी समुदायों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है।

सलाहकार परिषद

जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करता है। स्वायत्त जिलों में जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार और कार्यों को परिभाषित करता है।

राज्यपाल की भूमिका राज्यपाल को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बनाने का अधिकार देता है।

राज्यपाल को छठी अनुसूची के अनुसार परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों को नामित करने की अनुमति देता है।

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन (5वीं अनुसूची)

• अनुसूचित क्षेत्रों की विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को देखते हुए इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी अधिक है।

• राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त करेंगे, लेकिन संविधान के लागू होने के 10 वर्ष बाद अनिवार्य रूप से नियुक्त करेंगे (संवैधानिक दायित्व)।

• **ऐसे दो आयोग:**

  ◦ यू.एन. ढेबर आयोग (1960) और
  ◦ दिलीप सिंह भूरिया समिति (2002)।

• आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं (2019 तक)।

5वीं अनुसूची की प्रमुख विशेषताएँ अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा

• राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। [यूपीएससी 2023]

• राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसके क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ऐसे नाम को रद्द कर सकता है या किसी क्षेत्र के ऐसे पुन: नामकरण के लिए नए आदेश जारी कर सकता है।

राज्य एवं केंद्र की कार्यकारी — शक्ति

• राज्य की कार्यकारी शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित है, लेकिन राज्यपाल की एक विशेष ज़िम्मेदारी है।

• राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपता है।

• केंद्र ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) (Tribes Advisory Council (TAC))

• राज्य को कल्याणकारी उपायों पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित करनी होगी।

• इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं।

• यदि राष्ट्रपति निर्देश दें तो जिन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ हैं, लेकिन कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, उनके पास जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) हो सकती है।

अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू — कानून

• इस संबंध में राज्यपाल निर्देश देते हैं कि क्या कोई केंद्रीय या राज्य अधिनियम ऐसे क्षेत्रों पर लागू होता है या किसी संशोधन के साथ लागू होता है।

• राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं। ऐसे विनियम अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित (Prohibit or Restrict) कर सकते हैं। [यूपीएससी 2022]

• समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (1997) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षों को हस्तांतरण पांचवीं अनुसूची के तहत अमान्य है।[यूपीएससी 2019]

जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (छठी अनुसूची)

• **छठी अनुसूची:** 4 उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मोज़ोरम (एएमटीएम) में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।

• **इस व्यवस्था का औचित्य:** ऐसे क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति, रीति-रिवाजों और सभ्यताओं की रक्षा करना, जो अभी भी ऐसे क्षेत्रों के बहुसंख्यकों के साथ घुले-मिले (आत्मीकरण) नहीं हैं।

राज्य जनजातीय क्षेत्र राज्य जनजातीय क्षेत्र असम

• उत्तरी कछार हिल्स जिला
• कार्बी आंगलोंग जिला
• बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला मेघालय
• खासी हिल्स जिला
• जयंतिया हिल्स जिला

• गारो हिल्स जिला त्रिपुरा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला मिजोरम

• चकमा जिला

• मारा जिला

• लाई जिला छठी अनुसूची के अनुसार प्रशासन की विशेषताएँ

• असम, मेघालय,त्रिपुरा औरमिजोरम (एएमटीएम) राज्यों में जनजातीय क्षेत्र: स्वशासी ज़िले (Autonomous Districts, ADs), राज्य कार्यकारी प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं।

• राज्यपाल को स्वशासी ज़िलों को संगठित और पुनर्संगठित करने का अधिकार है। यदि स्वशासी ज़िलों में अलग-अलग जनजातियाँ हैंतो राज्यपाल स्वशासी ज़िलों को कई स्वशासी क्षेत्रों (Autonomous regions) में भी विभाजित कर सकते हैं।

• प्रत्येक स्वशासी ज़िले में 30 सदस्यों की एक जिला परिषद होती है (26 निर्वाचित + 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत)।

• **कार्यकाल:** निर्वाचित सदस्य (5 वर्ष)+ मनोनीत सदस्य (राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त)।

• प्रत्येक स्वशासी क्षेत्र में एक पृथक प्रादेशिक परिषद (Regional Council) होती है। जिला और प्रादेशिक परिषदों की शक्तियाँ एवं कार्य

• जिला और प्रादेशिक परिषदें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं; और कुछ (कतिपय) मामलों: भूमि, वन, नहर का पानी आदि पर कानून बना सकती हैं, लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है।

• जिला और प्रादेशिक परिषदें जनजातियों के बीच के मुकदमों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों/न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। ऐसे मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

• **जिला परिषद:**- ज़िले में प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजार, घाट और सड़केंबना सकती है। यह गैर-जनजातीय लोगों द्वारा धन उधार देने और व्यापार पर नियंत्रण के लिए भी नियम बना सकती है, लेकिन ऐसे नियमों के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है।

• उन्हें भूमि राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने तथा कुछ (कतिपय) निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार है।

• केंद्रीय या राज्य अधिनियम स्वशासी ज़िलों और स्वशासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों तथा अपवादों के साथ लागू होते हैं।

• असम के मामले में केंद्रीय और राज्य दोनों अधिनियमों के लिए राज्यपाल निर्देश देते हैं।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: राज्य एवं केंद्र की कार्यकारी

2023	2022	1997	2019
राज्य एवं केंद्र की कार्यकारी	शक्ति	अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू	कानून

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — राज्य एवं केंद्र की कार्यकारी

मुख्य परीक्षा दृष्टि: असम के मामले में केंद्रीय और राज्य दोनों अधिनियमों के लिए राज्यपाल निर्देश देते हैं।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: राज्य एवं केंद्र की कार्यकारी • शक्ति • अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू • कानून • छठी अनुसूची | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2023, 2022, 1997, 2019

• मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के मामले में केंद्रीय अधिनियमों के संबंध में राष्ट्रपति निर्देश देते हैं तथा राज्य अधिनियमों के संबंध में राज्यपाल निर्देश देते हैं।

• राज्यपाल स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जाँच और रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे आयोग की सिफारिश पर जिला एवं क्षेत्रीय परिषद को भंग भी कर सकता है।

जिला/प्रादेशिक परिषद की शक्तियाँ और कार्य विधायी कार्य न्यायिक कार्य

• संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाज।

• वनों का प्रबंधन (आरक्षित वनों को छोड़कर)

• नहर का पानी, झूम खेती, मत्स्य पालन।

• प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण एवं प्रबंधन।

• कुछ उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थ, मवेशी, चारा, कच्चा कपास, कच्चा जूट आदि में व्यापार और वाणिज्य।

- भू-राजस्व और कुछ (कतिपय) करों का निर्धारण तथा संग्रहण करने की शक्ति।
- जिला/प्रादेशिक परिषदों की विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- परिषद की न्यायिक शक्तियाँ राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।
- प्रादेशिक और जिला परिषदें ऐसे क्षेत्रों के भीतर अनुसूचित जनजाति के लोगों के मुकदमों तथा मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों/न्यायालयों का गठन कर सकती हैं।
- यह ऐसी ग्राम परिषदों के सदस्य या इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है।
- राज्यपाल की पूर्व सहमति से जिला/प्रादेशिक परिषदें ग्राम परिषदों और न्यायालयों के गठन तथा उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को विनियमित करने वाले नियम बनाती हैं।

मूल संविधान में इन राज्यों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किये गए थे।

ये प्रावधान राज्यों के पुनर्गठन या संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान करने के संदर्भ में बाद में किए गए विभिन्न संशोधनों द्वारा शामिल किए गए हैं।

विशेष प्रावधान: — सामग्री भाग-21, अनुच्छेद- 371 से 371ज

12 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक।

उद्देश्य

- पिछड़े क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना;
- जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना;
- राज्य के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना;
- राज्य के कुछ भागों में अशांतिपूर्ण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटना।

संवैधानिक प्रावधान — 1. महाराष्ट्र और गुजरात (अनुच्छेद- 371)

- राष्ट्रपति यह प्रावधान करने के लिए अधिकृत हैं कि राज्यपाल के पास निम्नलिखित के लिए अलग-अलग विकास बोर्ड स्थापित करने की विशेष ज़िम्मेदारी होगी:
  - **महाराष्ट्र:** विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र।
  - **गुजरात:** सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात।
- प्रत्येक वर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान करना।
- उपर्युक्त क्षेत्रों में विकास संबंधी व्यय के लिए धन का न्यायसंगत आवंटन करना।
- तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने वाली न्यायसंगत व्यवस्था करना।

2. नगालैंड (अनुच्छेद- 371क)

- निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम नगालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा निर्णय न ले ले:
  - नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ।
  - नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया।
  - दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन।
  - भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व तथा हस्तांतरण।
- जब तक उपद्रवी नागाओं द्वारा उत्पन्न आंतरिक अशांति जारी रहती है तब तक राज्य में कानून और व्यवस्था के प्रति राज्यपाल की विशेष ज़िम्मेदारी है (व्यक्तिगत निर्णय और विनिश्चय अंतिम होते हैं)।
- राज्यपाल, इस कर्तव्य को पूरा करने में, मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करता है, और किया गया निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल की यह अनूठी ज़िम्मेदारी राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर समाप्त होती है।

• राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होगाकि केंद्र सरकार द्वारा विशेषप्रयोजनों के लिए प्रदान किया गया धन केवल उस प्रयोजन से संबंधित अनुदान की माँग में शामिल किया जाए।

• राज्य के तुएनसांग ज़िले से 35 सदस्यों वाली एक प्रादेशिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

• **राज्यपाल द्वारा तुएनसांग ज़िले का प्रशासन:**

◦ नगालैंड विधायिका का कोई भी अधिनियम तुएनसाँग ज़िले पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्यपाल इसकी सिफारिश न करें।

◦ राज्य मंत्रिपरिषद में तुएनसाँग मामलों का एक मंत्री होगा।

3. असम (अनुच्छेद- 371ख)

• राष्ट्रपति को असम विधानसभा की एक समिति के गठन का अधिकार है, जिसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें वह निर्दिष्ट करें।

4. मणिपुर (अनुच्छेद- 371ग)

• राष्ट्रपति को मणिपुर विधानसभा की एक समिति के गठन के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।

• राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि उस समिति के समुचित काम-काज को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल की विशेष ज़िम्मेदारी होगी।

• राज्यपाल कोपहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति कोएक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

• केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है।

5. आंध्र प्रदेश या तेलंगाना (अनुच्छेद- 371घ)

• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना में विस्तारित किया गया है।

• **राष्ट्रपति:**

◦ लोक नियोजन और शिक्षा के मामले में राज्य के विभिन्न भागों के लोगों के लिए समान अवसर और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं तथा राज्य के विभिन्न भागों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जा सकते हैं।

◦ राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न भागों के लिए स्थानीय काडर में नागरिक पदों को संगठित करने के लिए कह सकते हैं, और आरक्षण का प्रावधान भी कर सकते हैं।

◦ राज्य में सिविल पदों पर नियुक्ति, आवंटन या पदोन्नति से संबंधित कुछ विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए राज्य में एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान कर सकते हैं।

◦ उक्त अधिकरण राज्य उच्च न्यायालय के दायरे से बाहर है।

ध्यान दें:

• **अनुच्छेद- 371ङ :** संसद आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्विद्यालय की स्थापना के लिए प्रावधान करेगी।

ध्यान दें: अनुच्छेद- 371ङ : संसद आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्विद्यालय की स्थापना के लिए प्रावधान करेगी।

6. सिक्किम (अनुच्छेद- 371च)

• 1975 के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ कापूर्ण राज्य बनादिया। इसके द्वारा सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधानों वाला एक नया **अनुच्छेद- 371च** जोड़ा गया।

• **विधानसभा:** 30 से कम सदस्य नहीं होंगे।

• **लोकसभा:** एक सीट सिक्किम को आवंटित की गई है।

• संसद को सिक्किम की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित निर्धारित करने का अधिकार है:

◦ सिक्किम विधानसभा में इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या;

- इन वर्गों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति देते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन।

• शांति के लिए तथा सिक्किम के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल की विशेष ज़िम्मेदारी होगी।

• राष्ट्रपति भारत संघ के किसी राज्य में लागू किसी भी कानून का विस्तार सिक्किम पर कर सकते हैं।

7. मिजोरम (अनुच्छेद- 371छ)

• संसद के अधिनियम निम्नलिखित मामलों में मिज़ोरम पर तब तक लागू नहीं होते जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा निर्णय न ले ले:

- मिजोरम की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ;
- मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया;
- दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन;
- भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण।

• **विधान सभा:** 40 से कम सदस्य नहीं होंगे।

8. अरुणाचल प्रदेश (अनुच्छेद- 371ज)

• अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य में कानून व्यवस्था की विशेष ज़िम्मेदारी होगी।

• राज्यपाल, इस कर्तव्य को पूरा करने में, मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करता है, और किया गया निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल की यह अनूठी ज़िम्मेदारी राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर समाप्त होती है।

• **विधानसभा:** 30 से कम सदस्य नहीं होंगे।

9. गोवा (अनुच्छेद- 371झ)

• **विधानसभा:** 30 से कम सदस्य नहीं होंगे।

10. कर्नाटक (अनुच्छेद- 371ज)

राष्ट्रपति के पास यह प्रावधान करने की शक्ति है कि कर्नाटक के राज्यपाल की निम्नलिखित के लिए विशेष ज़िम्मेदारी होगी:

• हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना करना।

• हर वर्ष राज्य विधानसभा को बोर्ड के काम-काज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

• क्षेत्र में विकास संबंधी व्यय के लिए धन का न्यायसंगत आवंटन करना।

• **सीटों का आरक्षण:** क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के लिए क्षेत्र के शैक्षिक और व्यायावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: 3. असम (अनुच्छेद- 371ख)

1. 3. असम (अनुच्छेद- 371ख)	**2. 4. मणिपुर (अनुच्छेद- 371ग)**
3. 6. सिक्किम (अनुच्छेद- 371च)	**4. 7. मिजोरम (अनुच्छेद- 371छ)**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — 3. असम (अनुच्छेद- 371ख)

मुख्य परीक्षा दृष्टि: सीटों का आरक्षण: क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के लिए क्षेत्र के शैक्षिक और व्यायावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: 3. असम (अनुच्छेद- 371ख) • 4. मणिपुर (अनुच्छेद- 371ग) • 6. सिक्किम (अनुच्छेद- 371च) • 7. मिजोरम (अनुच्छेद- 371छ) • 8. अरुणाचल प्रदेश (अनुच्छेद- 371ज) | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2014, 1975

भारत में विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS):

भारतीय संविधान में कुछ राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने, सांस्कृतिक विशिष्टता को संरक्षित करने और प्रशासनिक स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।

प्रावधान:

- **पहाड़ी क्षेत्र:** कठिन भौगोलिक स्थिति वाले राज्य, जैसे हिमाचल प्रदेश।
- **कम जनसंख्या घनत्व/आदिवासी आबादी:** सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकता वाले क्षेत्र, जैसे अरुणाचल प्रदेश।
- **सामरिक सीमा स्थान:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक, जैसे जम्मू और कश्मीर (2019 से पहले के बदलाव)।
- **आर्थिक पिछड़ापन:** बुनियादी ढाँचे और विकास की कमी वाले राज्य, जैसे उत्तराखंड।
- **कमज़ोर वित्तीय स्थिति:** वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे राज्य, जैसे मणिपुर।

हाल के परिवर्तन: 14वें वित्त आयोग ने अधिकांश राज्यों के लिए एससीएस को समाप्त कर दिया तथा इसे केवल पूर्वोत्तर राज्यों और तीन पहाड़ी राज्यों के लिए बरकरार रखा। संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए कर हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया।

संघ की भाषाएँ

- देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी, संघ की राजभाषा होगी।
- संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक, संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका प्रयोग वर्ष 1950 से पहले किया जाता था।
- पंद्रह वर्षों के बाद भी संसद, निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का उपबंध कर सके गी।
- राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के संबंध में और अन्य संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेंगे।
- **अनुच्छेद 344 :** इस अनुच्छेद के अनुसार आयोग की सिफारिशों की जाँच करने और उन पर अपने विचार राष्ट्रपति को भेजने के लिए संसद की एक समिति का गठन किया जाता है।
- **राजभाषा अधिनियम, 1963:** बिना समय-सीमा के अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना (वर्ष 1967 में संशोधित – कुछ (कतिपय) मामलों में हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया)।
- **राजभाषा आयोग:**
  - बी.जी. खेर आयोग (1955)
  - जी.बी. पंत के नेतृत्व में संसदीय समिति (1957)। क्षेत्रीय भाषाएँ
- **अनुच्छेद 345 :** राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ।
- संविधान में विभिन्न राज्यों की राजभाषा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में, यह निम्नलिखित प्रावधान करता है:
  - किसी राज्य का विधानमंडल राज्य में प्रयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को राज्य की राजभाषा के रूप में अपना सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक अंग्रेजी उस राज्य की राजभाषा बनी रहेगी।
- **अनुच्छेद 346 :** संघ की आधिकारिक भाषा (अर्थात अंग्रेजी) संघ और राज्यों के बीच संचार के लिए संपर्क भाषा होगी।
- **अनुच्छेद 347 :** जब राष्ट्रपति इस बात के लिए (किसी माँग पर) संतुष्ट हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह राज्य के अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों की रक्षा के लिए उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का निर्देश दे सकता है।
- **राजभाषा अधिनियम, 1963:** यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों (गैर -हिन्दी राज्यों) के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा।

न्यायपालिका की भाषा और कानूनी कार्यवाही

• जब तक संसद अन्यथा प्रावधान न करे, निम्नलिखित केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे (**अनुच्छेद 348)** :
  ◦ उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ।
  ◦ केंद्र एवं राज्य स्तर पर सभी विधेयकों, अधिनियमों, अध्ययादेशों आदि के प्राधिकृत पाठ।

• राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की किसी अन्य राजभाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा पारित निर्णयों, डिक्री और आदेशों के संबंध में नहीं।

• राज्य विधानमंडल विधेयकों, अधिनियमों, अध्ययादेशों आदि के संबंध में किसी भी भाषा (अंग्रेजी के सिवाय) के प्रयोग को निर्धारित कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा।

• उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए संसद ने कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं की सुनवाई करता है जो अंग्रेजी में याचिका या अपील दायर करते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963

• राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियमों, अध्ययादेशों, आदेशों, विनियमों और उप-नियमों के हिंदी अनुवाद प्राधिकृत ग्रंथ (Texts) माने जाते हैं।

• संसद में पुरःस्थापित किए जानेवाले प्रत्येक विधेयक के साथ हिंदी अनुवाद भी होना चाहिए।

• राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, डिक्री और आदेशों के लिए हिंदी या राज्य की किसी अन्य राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए।

• इस अधिनियम ने संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना का प्रावधान किया। तदनुसार, इस समिति की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। इस समिति में 30 संसद सदस्य (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) शामिल होते हैं।

विशेष निर्देश

संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष निर्देश सम्मिलित हैं, जो निम्नवत्हैं:

• **अनुच्छेद 350 :** शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा।

• **अनुच्छेद 350क :** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा।

• **अनुच्छेद 350ख :** राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करने और उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति ऐसी सभी प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखेंगे और उन्हें संबंधित राज्य सरकार को भेजेंगे।

• **अनुच्छेद 351 :** हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश। शास्त्रीय भाषा का दर्जा

• वर्ष 2004 में, भारत सरकार ने "श्रेण्य/शास्त्रीय भाषाएँ" (Classical Languages) नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2006 में, सरकार ने श्रेण्य/शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए।

• **लाभ:** वित्तीय सहायता; प्रख्यात विद्वानों के लिए दो प्रमुख पुरस्कार; विश्विद्यालय अनुदान आयोग से (कम-से-कम केंद्रीय विश्विद्यालय में) उस भाषा के प्रख्यात विद्वानों के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पीठें (Professional Chairs) स्थापित करने का अनुरोध किया जा सकता है।

• **मानदंड:**
  ◦ उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500-2000 वर्ष पुराना होना चाहिए।
  ◦ संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए, जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियाँ अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हों।
  ◦ उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, जो किसी अन्य भाषाई समुदाय से न ली गई हो।

• श्रेण्य/शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए श्रेण्य/शास्त्रीय भाषा और उसके परवर्ती रूपों में विसंगति हो सकती है।

भाषाएँ जिन्हें श्रेण्य/शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है भाषाएँ जिन्हें श्रेण्य/शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है तमिल (2004) संस्कृत (2005) तेलुगु (2008) कन्नड़ (2008) मलयालम (2013) उड़िया (2014)

- **भाषाओं पर अन्य संवैधानिक प्रावधान:**
- **आठवीं अनुसूची:** इसमें 22 आधिकारिक भाषाएँ सूचीबद्ध हैं; जिसमें 9 शास्त्रीय भाषाएँ हैं, लेकिन पाली और प्राकृत सूचीबद्ध नहीं हैं।
- **अनुच्छेद 120 :** संसद का कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में संचालित होगा; परंतु सदस्य अनुमति लेकर स्थानीय भाषा में बोल सकते हैं।
- **अनुच्छेद 210 :** विधायी मामलों में हिंदी, अंग्रेजी या राज्य भाषाओं की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 345 :** राज्य आधिकारिक प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं को अपना सकते हैं; निर्णय होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी।

राजभाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद प्रावधान — अनुच्छेद 343 z संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 344 z राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति **अनुच्छेद 345** z किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ **अनुच्छेद 346**

- संघ की आधिकारिक भाषा (अर्थात अंग्रेजी) संघ और राज्यों के बीच संचार के लिए संपर्क भाषा होगी **अनुच्छेद 347**
- किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित विशेष प्रावधान **अनुच्छेद 348**
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।

अनुच्छेद 349

- भाषा से संबंधित कुछ (कतिपय) कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया **अनुच्छेद 350**
- शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा **अनुच्छेद 350क**
- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा **अनुच्छेद 350ख** z भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी **अनुच्छेद 351** z हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: विशेष निर्देश



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — विशेष निर्देश

मुख्य परीक्षा दृष्टि: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा अनुच्छेद 350ख z भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 351 z हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: विशेष निर्देश • अनुच्छेद प्रावधान • अनुच्छेद 343 z संघ की राजभाषा • अनुच्छेद 349 • अनुच्छेद | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2004, 2006, 1500, 2000, 2005

संवैधानिक निकाय — संवैधानिक निकाय

भारत में निकायों/प्राधिकरणों के प्रकार निकाय का प्रकार गठन उदाहरण शक्तियाँ संवैधानिक निकाय (UPSC 2023) संविधान द्वारा स्थापित चुनाव आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी, सीएजी संविधान में परिभाषित शक्तियाँ गैर-संवैधानिक निकाय प्रशासनिक निर्णयों द्वारा निर्मित राष्ट्रीय विकास परिषद, विभिन्न सलाहकार निकाय शासी ढाँचे के आधार पर भिन्न होती हैं वैधानिक निकाय संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सक्षम क़ानून द्वारा परिभाषित शक्तियाँ न्यायिक निकाय संविधान या कानून के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक शक्तियाँ; कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का समाधान करना कार्यकारी निकाय संविधान या कानून द्वारा स्थापित मंत्रिपरिषद, विभिन्न मंत्रालय कानूनों को लागू करना और शासन का प्रशासन करना अर्ध-न्यायिक निकाय क़ानूनों या विनियमों द्वारा निर्मित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सीमित न्यायिक शक्तियाँ; कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग

• **1919 का भारत शासन अधिनियम:** केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission) की स्थापना 1926 में की गई और उसे सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य सौंपा गया।

• **1935 का भारत शासन अधिनियम:** संघीय लोक सेवा आयोग (Federal Public Service Commission), प्रांतीय लोक सेवा आयोग (Provincial Public Service Commission) और दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना।

• **संविधान के आधार (Bulwarks of constitution):** नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएजी), उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग।

तुलना के बिंदु संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) अनुच्छेद **अनुच्छेद- 315** से 323, भाग- 14 **अनुच्छेद- 315** से 323, भाग- 14 नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा लेकिन केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।

अर्हता

संविधान में इसका उल्लेख नहीं है सिवाय इसके कि 50% सदस्यों के पास भारत सरकार या राज्य सरकार में 10 वर्ष का अनुभव हो।

संविधान में इसका उल्लेख नहीं है सिवाय इसके कि 50% सदस्यों के पास भारत सरकार या राज्य सरकार में 10 वर्ष का अनुभव हो।

सदस्य

संविधान में यूपीएससी/एसपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है और इसे राष्ट्रपति/ राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

सेवा की शर्तें

संविधान राष्ट्रपति /राज्यपाल को यूपीएससी/ एसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार देता है।

कार्यकाल

6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।

अध्यक्ष: भारत सरकार या राज्य सरकार में आगे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

सदस्य: पुनर्नियुक्ति (अर्थात सदस्य के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए) या भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन यूपीएससी या एसपीएससी का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र हैं।

जब यूपीएससी के किसी सदस्य को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह छह वर्ष तक या सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो, नए पद पर रहता है।

6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।

अध्यक्ष: पुनर्नियुक्ति (अर्थात दूसरे कार्यकाल के लिए) या भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए पात्र है।

सदस्य: पुनर्नियुक्ति (अर्थात सदस्य के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए) या भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य और उसी एसपीएससी या अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र हैं।

स्वतंत्रता

• यूपीएससी/एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन सहित संपूर्ण व्यय भारत/राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होते हैं।

• अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तों में अहितकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

• यूपीएससी/एसपीएससी के अध्यक्ष/सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित रीति और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित राज्यपाल को संबोधित कार्य और अन्य पहलू

• भारत में 'योग्यता प्रणाली (मेरिट सिस्टम)' का प्रहरी है।
• इसके द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।
• निम्नलिखित मामलों पर यूपीएससी/एसपीएससी से परामर्श किया जाता है:
• सिविल सेवा एवं सिविल पदों पर भर्ती की विधियाँ।
• नियुक्तियाँ करते समय अपनाए जाने वाले सिद्धांत।
• नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्ता।
• सभी अनुशासनिक मामले।
• अस्थायी नियुक्तियों के मामले।
• सेवा विस्तार प्रदान करने से संबंधित मामले।
• **उच्चतम न्यायालय:** यदि सरकार उपर्युक्त मामलों में यूपीएससी/एसपीएससी से परामर्श करने में विफल रहती है, तो पीड़ित लोक सेवक के पास न्यायालय जाने का कोई अधिकार नहीं है। उपर्युक्त प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं। न्यायालय ने माना कि यूपीएससी द्वारा किसी अभ्यर्थी का चयन उसे पद पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है (अधिकार का मामला नहीं है)।
• यूपीएससी संयुक्त भर्ती में राज्यों की सहायता करता है, यदि दो से अधिक राज्य इसके लिए कहते हैं।
• राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है।
• राष्ट्रपति पदों, सेवाओं और मामलों को यूपीएससी के दायरे से बाहर कर सकते हैं।
• यूपीएससी प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।
• संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य संसद द्वारा यूपीएससी को सौंपे जा सकते हैं।
• **यूपीएससी का क्षेत्राधिकार:** संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
• यूपीएससी केवल एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
• कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है।
• राज्यपाल द्वारा जिला जज के सिवाय राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए नियम बनाते समय एसपीएससी से परामर्श किया जाता है।
• राज्यपाल पदों, सेवाओं और मामलों को एसपीएससी के दायरे से बाहर कर सकते हैं।
• एसपीएससी प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
• राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।
• राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य राज्य विधायिका द्वारा एसपीएससी को सौंपे जा सकते हैं।
• **एसपीएससी:** राज्य में केवल एक राज्य भर्ती एजेंसी है।
• **कार्मिक विभाग:** राज्य में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी उपस्थित होते है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: सेवा की शर्तें

1. सेवा की शर्तें	**2. कार्यकाल**
3. स्वतंत्रता	**4. अध्यक्ष**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — सेवा की शर्तें

मुख्य परीक्षा दृष्टि: कार्मिक विभाग: राज्य में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी उपस्थित होते है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: सेवा की शर्तें • कार्यकाल • स्वतंत्रता • अध्यक्ष • सदस्य

सीमाएँ यूपीएससी के क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले

किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करना।

सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करना।

आयोगों या अधिकरणों के अध्यक्ष/सदस्य, उच्चतम राजनयिक प्रकृति के पदों और समूह ग तथा समूह घ सेवाओं के लिए चयन।

किसी पद पर अधिकतम एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति के लिए चयन।

एसपीएससी के क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले

किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करना।

सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करना।

पद से हटाए जाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में संविधान में दी गई रीति के अनुसार पद से हटाया जा सकता है: दिवालिया घोषित कर दिया गया है; या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी भी वैतनिक रोज़गार में संलग्न है; या राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त होने के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

- राष्ट्रपति दुर्व्यवहार के लिए यूपीएससी/एसपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भी हटा सकते हैं। यद्यपि, इस स्थिति में राष्ट्रपति को उक्त मामले को जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होगा।
- यदि जाँच के बाद उच्चतम न्यायालय अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाए जाने के कारण को सही ठहराता है और सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
- जाँच के दौरान राष्ट्रपति यूपीएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। राज्यपाल एसपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जाने का अंतिम आदेश जारी करने तक निलंबित कर सकते हैं।

- **संविधान में यथापरिभाषित 'दुर्व्यवहार' है, यदि:**
- किसी भी सरकारी संविदा में सरोकार या हित रखता है या
- ऐसी संविदा के लाभ में किसी भी तरह से भाग लेता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
- संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया जा सकता है।
- जेएसपीएससी एक सांविधिक (Statutory) संस्था है, संवैधानिक नहीं (Not a constitutional body).
- **अध्यक्ष एवं सदस्य:** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- **कार्यकाल:** 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- **निलंबन या पदच्युति:** राष्ट्रपति द्वारा।
- **त्यागपत्र:** राष्ट्रपति को
- **सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तें:** राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- **वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट:** प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपालों को देता है। प्रत्येक राज्यपाल रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सभापटल पर रखता है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) तुलना के बिंदु भारत निर्वाचन आयोग (ECI) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अनुच्छेद
- **अनुच्छेद- 324** , भाग- 15
- भारत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के पद और भारत के उप-राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करता है।
- भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता है।
- **अनुच्छेद- 148** से 151, भाग- 5
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है।

• "लोक निधि का संरक्षक (Guardian of the Public Purse)" और केंद्र एवं राज्य, दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।

• सीएजी भारत के संविधान की एक एकात्मक विशेषता है।

नियुक्ति

• राष्ट्रपति द्वारा जब किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

• राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकते हैं, जिन्हें वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझें।

• राष्ट्रपति द्वारा, उनके हस्ताक्षर एवं मुहर लगे अधिपत्र द्वारा। अर्हता अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है।

सदस्य

• सदस्यों की संख्या संविधान में निर्दिष्ट नहीं है और राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ी गई है।

• वर्तमान में 3 सदस्यीय निकाय। [यूपीएससी 2017] एकल सदस्यीय निकाय कार्यकाल एवं वेतन

• संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

• वर्तमान में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।

• संविधान ने आगे की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है।

• सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

• वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है।

• मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ, वेतन और भत्ते समान हैं।

• 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।

• भारत सरकार या राज्य में आगे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं।

• वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

• वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को पद हटाए जाने की प्रक्रिया

• उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है।

• वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण नहीं करता है। अन्य पहलू

• **अखिल भारतीय निकाय:** केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए साझा।

• राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से कोई सरोकार नहीं है।

• मुख्य निर्वाचन आयुक्त और/या दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में, मामले का निर्णय आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है।

• राज्य स्तर पर,निर्वाचनआयुक्त को मुख्यनिर्वाचनअधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है।

• जिला स्तर पर, कलेक्टर जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वह ज़िले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है।

• **सीएजी से परामर्श:** भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तें तथा सीएजी की प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

• सीएजी संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।

• संसद का एक एजेंट है और संसद की ओर से व्यय की लेखापरीक्षा करता है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

• सीएजी तीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है-

- विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
- वित्त लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
- सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। इसके बाद, लोक लेखा समिति उनकी जाँच करती है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट संसद को देती है।

• **सीमाएँ:** गुप्त सेवा व्यय सीएजी की लेखापरीक्षा भूमिका पर एक सीमा है। संचित निधि से धन जारी करने पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकिसीएजी की भूमिका केवल लेखापरीक्षा चरण तक ही सीमित है।

• **ब्रिटेन का सीएजी मॉडल:** सीएजी के अनुमोदन से ही कार्यपालिका सरकारी खजाने से धनराशि निकाल सकती है।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: नियुक्ति

1. नियुक्ति	**2. सदस्य**
3. अखिल भारतीय निकाय	**4. सीएजी से परामर्श**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — नियुक्ति

मुख्य परीक्षा दृष्टि: ब्रिटेन का सीएजी मॉडल: सीएजी के अनुमोदन से ही कार्यपालिका सरकारी खजाने से धनराशि निकाल सकती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: नियुक्ति • सदस्य • अखिल भारतीय निकाय • सीएजी से परामर्श • सीमाएँ | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2017

भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य

• संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों (Territorial Areas) का निर्धारण करना।
• मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना।
• निर्वाचन की तारीखों और कार्यक्रमों की अधिसूचना प्रकाशित करना तथा नामांकन पत्रों की जाँच करना।
• राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करना।
  ◦ राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करने से संबंधित विवादों का निपटान करना।
• निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जाँच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना।
• निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का निर्धारण करना।
• निर्वाचन के समय रेडियो और टीवी पर राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार-प्रसार के लिए रोस्टर तैयार करना।
• संसद सदस्यों की निरर्हता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना।
• राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना।
• धाँधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और अन्य अनियमितताओं की स्थिति में चुनाव को रद्द करना।
• निर्वाचन कराने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारियों की माँग करने का अनुरोध करना।
• आपातकाल की अवधि को एक वर्ष के बाद बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में निर्वाचन कराने की सलाह देना।
• राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और उनके चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा प्रदान करना।

भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता

• **मुख्य निर्वाचन आयुक्त:**
  ◦ कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।
  ◦ उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और समान आधारों के सिवाय पद से नहीं हटाया जा सकता है।
  ◦ **अन्य निर्वाचन आयुक्त:** मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के सिवाय पद से नहीं हटाए जा सकते।

• सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे उनका अहित हो।

• अनूप बरनवाल के स (2023)में, उच्चतम न्यायालय ने सभी बाहरी राजनीतिक और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए:

◦ उच्चतम न्यायालय ने घोषणा कीकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलिते होंगे

■ प्रधानमंत्री।

■ लोकसभा में विपक्ष के नेता (यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो संख्या बल की दृष्टि से सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता)

■ भारत के मुख्य न्यायाधीश।

◦ यह वाँछनीय है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाए जाने का आधार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होगा।

• अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे उनका अहित हो।

◦ उपरोक्त निर्देश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक संसद संविधान के **अनुच्छेद- 324** के अनुरूप कानून नहीं बना लेती।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की शक्तियाँ और कार्य संविधान (**अनुच्छेद- 149)** संसद को संघ एवं राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों तथा शक्तियों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है। तदनुसार, संसद ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया।

• भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से किए जाने वाले सभी व्ययों से संबंधित लेखाओं(राज्य और विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्र); केंद्र और राज्यों की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) तथा लोक लेखाओं (Public Account) की लेखापरीक्षा करता है।

• केंद्र और राज्य के सभीव्यापारिक, विनिर्माण, लाभ तथाहानि लेखाओं, बैलेंस शीट (तुलन पत्र) एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है।

• केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों तथा व्ययों की लेखापरीक्षा करता है एवं निम्नलिखित की लेखापरीक्षा करता है:

◦ सभी निकाय और प्राधिकरण, जो केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं;

◦ सरकारी कंपनियाँ; और

• अन्य निगम और निकाय, जब संबंधित कानूनों के अनुसार आवश्यक हो।

• ऋण, ऋण-शोधन निधि (Sinking Funds), जमा, अग्रिम, सस्पेंस खाते (Suspense Accounts) और विप्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी लेनदेन।

• राष्ट्रपति के अनुमोदन से, या जब राष्ट्रपति द्वारा कहा जाए, प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं और अन्य की लेखापरीक्षा करता है।

• राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण,उदाहरण के लिएस्थानीयनिकायोंके लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है।

• राष्ट्रपति को उस प्रारूप (Form) के निर्धारण के संबंध में सलाह देता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के लेखा रखे जाएँगे (**अनुच्छेद- 150)।**

• केंद्र के लेखाओं से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, फिर राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएँगे (**अनुच्छेद- 151)।**

• किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो फिर उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएँगे (**अनुच्छेद- 151)।**

• किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध (निवल) प्राप्तियों को प्रमाणित करता है (**अनुच्छेद- 279)।** उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। 'शुद्ध (निवल) प्राप्तियों (Net proceeds)' का अर्थ है किसी कर या शुल्क की आय से संग्रहण की लागत घटाने के बाद प्राप्त राशि।

• राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन एवं रखरखाव करना।

• वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। [यूपीएससी 2012]

• कोई भी मंत्री संसद (दोनों सदनों) में सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, और न उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी मंत्री को कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए कहा जा सकता है।

• वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और रखरखाव करता है। वर्ष 1976 में, लेखाओं को लेखापरीक्षा से अलग करने, अर्थात लेखाओं के विभागीकरण के कारण उन्हें केंद्र सरकार के लेखाओं के संकलन और रखरखाव के संबंध में उनकी ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता

• **कार्यकाल की सुरक्षा:** राष्ट्रपति द्वारा उसे संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है।

• भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत आगे कोई पद ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं है।

• **सेवा शर्तें:** संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं और नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता सकता है।

• सेवारत व्यक्तियों के प्रशासनिक व्यय, वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर प्रभारित होते हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग तुलना के बिंदु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद

• मूल रूप में **अनुच्छेद- 338** द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारियों का प्रावधान किया गया।

• **1978:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सांविधिक बहु-सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई (प्रावधान के माध्यम से)।

• **1987:** आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया (प्रावधान के माध्यम से)।

• **65वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1990:** संवैधानिक दर्जे के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग।

• **89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003:** एकल आयोग को विभाजित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) (**अनुच्छेद- 338)** और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (**अनुच्छेद- 338क)** की स्थापना की गई।

• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया।

• मूल रूप से मंडल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय (1992) के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की स्थापना वर्ष 1993 में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।

• **102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018:** नई धारा 338ख जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया गया।

[यूपीएससी 2023]

अनुच्छेद- 338 , भाग- 16 **अनुच्छेद- 338क** , भाग- 16 **अनुच्छेद- 338ख** , भाग- 16 नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत अधिपत्र द्वारा।

सदस्य अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य।

कार्यकाल

• राष्ट्रपति पद का कार्यकाल और सेवा की शर्तें निर्धारित करता है।

• नियमों के तहत, वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। वे दो से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। रिपोर्टें

• राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

• राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टें संसद के समक्ष रखता है।

• राज्य सरकार से संबंधित आयोग की किसी भी रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल को भी भेजता है। राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता

मुख्य परीक्षा दृष्टि: राज्य सरकार से संबंधित आयोग की किसी भी रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल को भी भेजता है। राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: कार्यकाल • कार्यकाल की सुरक्षा • सेवा शर्तें • वाँ संविधान संशोधन अधिनियम | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2012, 1976, 1978, 1987, 1990

अन्य पहलू

• कुछ (कतिपय) मामलों में सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है।

- आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
- आंग्ल-भारतीय समुदाय के संबंध में समान कार्यों का निर्वहन करता है।
- वर्ष 2018 तक, आयोग को ओबीसी के संबंध में भी इसी तरह के कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक था।
- उसे एनसीबीसी (अनुच्छे-द 338ख) के निर्माण के बाद इससे मुक्त कर दिया गया।
- कुछ (कतिपय) मामलों में सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है।
- आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
- पेसा अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन के उपाय करता है।
- **निम्नलिखित के लिए उपाय करता है:**
- जनजातियों में प्रचलित झूम खेती की प्रथा को कम करना और अंततः समाप्त करना।
- राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावकारिता में सुधार करना।
- जनजातीय लोगों के अलगाव को रोकना।
- लघु वन उपज (MFP) के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करना।
- कुछ (कतिपय) मामलों में सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है।
- आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करना तथा सलाह देना।

भारत के महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता तुलना के बिंदु भारत के महान्यायवादी राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद

- **अनुच्छेद- 76** , भाग-5
- संघ कार्यपालिका का हिस्सा
- देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी
- **अनुच्छेद- 165** , भाग-6
- राज्य कार्यपालिका का हिस्सा
- राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा अर्हता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित होना चाहिए अर्थात
- भारत का नागरिक हो
- 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या
- किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो या
- राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात न्यायविद्हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित होना चाहिए अर्थात
- भारत का नागरिक हो
- राज्य की न्यायिक सेवा में 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा
- उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो। कार्यकाल
- संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
- संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।
- राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। त्यागपत्र
- राष्ट्रपति को
  - परंपरागत रूप से, वह तब त्यागपत्र देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र देती है या जब किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है [यूपीएससी 2022]
- राज्यपाल को
  - परंपरागत रूप से, वह तब त्यागपत्र देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र देती है या जब किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है

पद से हटाए

जाने की प्रक्रिया

- पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है।
- संविधान में उसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और आधार का उल्लेख नहीं हैं।
- पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है।
- संविधान में उसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और आधार का उल्लेख नहीं हैं। कर्तव्य एवं कार्य
- कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से पैरवी करना, जिनमें भारत सरकार का सरोकार है।
- संविधान की धारा 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
- कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- संविधान द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करता है।
- कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

अन्य पहलू

- महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) एक पूर्णकालिक वकील नहीं है और वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए वह अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस कर सकता है।
- भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
- संसद या उसकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य है, की कार्रवाई में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने के अधिकार नहीं है। *[यूपीएससी 2022]*
- उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होती हैं।
- राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है।
- राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य है, की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है।
- उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं जो एक राज्य विधानमंडल के सदस्य को प्राप्त होती हैं।

भारत के महान्यायवादी के पद की सीमाएँ

उसे भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं देनी चाहिए या कोई संक्षिप्त जानकारी नहीं देनी चाहिए।

उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में आरोपी व्यक्तियों का बचाव नहीं करना चाहिए।

भारत के सॉलिसिटर जनरल

- भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के एडीशनल सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी (एजीआई) को उनकी आधिकारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
- संविधान द्वारा केवल महान्यावादी का पद सृजित किया गया है।
- **अनुच्छेद- 76** में सॉलिसिटर जनरल और एडीशनल सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है। जीएसटी परिषद और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी निकाय जीएसटी परिषद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद **अनुच्छेद- 279क** , भाग- 12 **अनुच्छेद- 350ख** , भाग- 16 नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संरचना और अन्य पहलू
- वित्त मंत्री (अध्यक्ष) + केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री + प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
- राज्यों से परिषद के सदस्यों को अपने में से किसी एक को परिषद का उपाध्यक्ष चुनना होता है। वे उनका कार्यकाल भी तय कर सकते हैं।

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष को परिषद की सभी कार्रवाई में स्थायी आमंत्रित सदस्य (मतदान का अधिकार नहीं) के रूप में शामिल करने का भी निर्णय लिया।

• संविधान में अर्हता, कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें और पद से हटाने की प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है।

• मूलत: भारत के संविधान में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

• राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) ने इस संबंध में एक सिफ़ारिश की। तदनुसार, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग- 17 में एक नई धारा 350ख को जोड़ा।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: पद से हटाए

2022	1953	1956
पद से हटाए	अन्य पहलू	भारत के महान्यायवादी के पद की सीमाएँ

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — पद से हटाए

मुख्य परीक्षा दृष्टि: राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) ने इस संबंध में एक सिफ़ारिश की। तदनुसार, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग- 17 में एक नई धारा 350ख को जोड़ा।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: पद से हटाए • अन्य पहलू • भारत के महान्यायवादी के पद की सीमाएँ | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2022, 1953, 1956

• **गणपूर्ति:** कुल सदस्यों का 50%।

• प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है।

• **वोटों का वेटेज:**

  ◦ **केंद्र:** 1/3

  ◦ **राज्य:** 2/3

  ◦ **जीएसटी:** 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2016।

  ◦ परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

• भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद वर्ष 1957 में सृजित किया गया था, और उसे भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त (Commissioner for Linguistic Minorities, CLM) के रूप में नामित किया गया था।

• सीएलएम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उनके बेलगाम (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक का प्रमुख एक सहायक आयुक्त होता है।

• आयुक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

• वार्षिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपता है जीएसटी परिषद के कार्य: केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों, उपकरों और अधिभारों का जीएसटी में विलय किए जाने के बारे में सिफारिशें करना। किसी प्राकृतिक संकट या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें निर्धारित करना। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान करना।

वित्त आयोग

भाग-12 के तहत **अनुच्छेद- 280** वित्त आयोग को एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-judicial body) के रूप में स्थापित करता है। भारत के राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में या यदि आवश्यक समझा जाए तो उससे पहले इस आयोग का गठन करते हैं।

• **संरचना:** अध्यक्ष + 4 अन्य सदस्य।

• **अर्हता:** संसद द्वारा निर्धारित। संसद ने निम्नलिखित निर्दिष्ट किया है:

• **अध्यक्ष:** सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और चार अन्य सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए:

- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्ति।
- सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।
- ऐसा व्यक्ति जिसके पास वित्तीय मामलों और प्रशासन का अनुभव हो।
- वह व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। कार्यकाल

• इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष में या उससे भी पहले, जब वह आवश्यक समझे, किया जाता है।

• राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद पर बने रहता है।

• पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। कार्य

• केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध (निवल) आय का वितरण, तथा ऐसी आय के संबंधित शेयरों का राज्यों के बीच आवंटन करना।

• केंद्र द्वारा (अर्थात, भारत की संचित निधि से) राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निर्धारित करना।

• राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय करना। राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

अन्य पहलू

• वित्त आयोग की सिफ़ारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं।

• राजकोषीय संघवाद के 'संतुलनकारी चक्र (Balancing wheel)' के रूप में कार्य करता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वह इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है।

• 15वें वित्त आयोग द्वारा निधियों के हस्तांतरण के लिए निर्धारित मानदंड:

- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5% वेटेज, आय को 45% वेटेज
- जनसंख्या को 15% वेटेज, क्षेत्रफल को 15% वेटेज।
- वन और पारिस्थितिकी को 10% वेटेज।
- कर और राजकोषीय प्रयासों के लिए 2.5% वेटेज। *[यूपीएससी 2023]*

• **प्रथम वित्त आयोग (1951) के अध्यक्ष:** के .सी. नियोगी

• **पंद्रहवें वित्त आयोग (2021) के अध्यक्ष:** एन.के . सिंह

के द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) संक्षिप्त जानकारी

• संथानम समिति (भ्रष्टाचार पर) द्वारा सिफारिश की गई।

• केंद्र सरकार की प्रमुख जाँच एजेंसी है।

• इसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Special Police Establishment Act) से मानी जाती है जिसे वर्ष 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।

• इसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा वर्ष 1963 में स्थापित; दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (Delhi Special Police Establishment Act, 1946) से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

• यह एक गैर-सांविधिक निकाय है।

• वर्तमान में यह निकाय कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन (अब इसे संबद्ध कार्यालय (Attached Office) का दर्जा प्राप्त है) कार्य करता है। संरचना

• निदेशक इसका प्रमुख होता है। उसकी सहायता के लिए विशेष निदेशक और अपर निदेशक होते हैं।

• **इसके अतिरिक्त:** अनेक संयुक्त निदेशक + उप महानिरीक्षक + पुलिस अधीक्षक + अन्य सभी सामान्य रैंक के पुलिस कर्मियों के साथ-साथ फोरेंसिक वैज्ञानिक और विधि अधिकारी होते हैं।

• लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन किया और सीबीआई की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए:

◦ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत मामलों का संचालन करने के लिए निदेशक की अध्यक्षता में एक अभियोजन निदेशालय होगा। अभियोजन निदेशक, सीबीआई निदेशक की समग्र निगरानी में काम करेगा। उसे केंद्रीय सतर्क ता आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

◦ केंद्र सरकार एक समिति की सिफारिश के आधार पर सीबीआई में पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

◦ इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय सतर्क ता आयुक्त करेंगे और इसके सदस्यों में सतर्क ता आयुक्त, गृह मंत्रालय के सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव शामिल होंगे।

कार्यकाल

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा सीबीआई निदेशक के कार्यकाल में बदलाव किया गया है। सीवीसी अधिनियम, 2003 के तहत प्रारंभ में सीबीआई निदेशक का कार्यकाल दो साल का निश्चित था, अब यह संशोधन केंद्र सरकार को कार्यकाल को पाँच साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।

• कार्यकाल का विस्तार वार्षिक हो सकता है, ऐसे अधिकतम तीन विस्तार दिए जा सकते हैं और प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि सहित कुल पाँच वर्ष पूरे करने के बाद कोई और विस्तार संभव नहीं है।

• कोई भी विस्तार जनहित के अध्यधीन होता है, प्रारंभिक नियुक्ति से संबंधित समिति की सिफारिश होनी चाहिए और लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ होनी चाहिए।

निदेशक की नियुक्ति

• **3 सदस्यीय समिति:** प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + विपक्ष के नेता (लोकसभा) + भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के (उनके द्वारा नामित) न्यायाधीश।

• यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा। सीबीआई की जाँच के विषय

• भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर और संगठित अपराध (आतंकवाद नहीं)।

• सीबीआई भारत में इंटरपोल के 'राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो' के रूप में कार्य करती है।

• यह केंद्रीय सतर्क ता आयोग (सीवीसी), लोकपाल और लोकायुक्त को सहायता प्रदान करती है। गैर-संवैधानिक निकाय गैर-संवैधानिक निकाय

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: कार्यकाल

1. कार्यकाल

2. इसके अतिरिक्त

3. सदस्यीय समिति

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — कार्यकाल

मुख्य परीक्षा दृष्टि: यह केंद्रीय सतर्क ता आयोग (सीवीसी), लोकपाल और लोकायुक्त को सहायता प्रदान करती है। गैर-संवैधानिक निकाय गैर-संवैधानिक निकाय

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: कार्यकाल • इसके अतिरिक्त • सदस्यीय समिति | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** *1941, 1963, 1946, 2013, 2021*

सामान्य सहमति

• संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही सीबीआई का क्षेत्राधिकार राज्यों तक बढ़ाया जा सकता है।

• जब कोई राज्य किसी मामले की जाँच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अनुसार) देता है, तो एजेंसी को हर बार जाँच के मामले में या हर मामले के लिए उस राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

कार्य

• केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जाँच करना।

• राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करना अर्थात निर्यात और आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी विनिमय नियमों आदि से संबंधित कानूनों का उल्लंघन।

• पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जाँच करना।

• राज्य सरकार के अनुरोध पर, लोक महत्त्व के किसी भी मामले की जाँच शुरू करना।

• अपराध से संबंधित आँकड़े रखना और आपराधिक सूचना प्रसारित करना। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) स्थापना

• देश की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी; राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2009 में स्थापित की गई।

• एनआईए की स्थापना वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में की गई थी।

• नकली करेंसी नोटों और आतंकी फंडिंग से निपटने के लिए एनआईए के पास एक अलग विशेष प्रकोष्ठ है जिसे टीएफएफसी (TFFC) के नाम से जाना जाता है।

मुख्यालय नई दिल्ली में, भारत के विभिन्न राज्यों में शाखा कार्यालय हैं।

नोडल मंत्रालय

• गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन।

• राज्य सरकारें, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों की जाँच के लिए एनआईए को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करती हैं।

आयोग की संरचना

• केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक महानिदेशक इसका प्रमुख होता है।

• उसकी शक्तियाँ राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के समान हैं। कार्य

• आतंकवाद रोधी जाँचों को एकत्र करना, मिलान करना और उनका विश्लेषण करना।

• एनआईए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के संबंध में अपराधों की जाँच करना और मुकदमा चलाना।

• केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य खुफिया और जाँच एजेंसियों को सहायता प्रदान करना/ उनसे सहायता लेना।

• एनआईए अधिनियम के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करना। उद्देश्य नवीनतम वैज्ञानिक विधियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके गहन पेशेवर जाँच करना; प्रभावी और त्वरित परीक्षण; नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर कार्यबल; परिणाम-उन्मुख संगठन, भारत के संविधान और देश के कानूनों को बनाए रखना; वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील भावना।

क्षेत्राधिकार

• भारत की संप्रभुता/सुरक्षा/अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और यूएनओ/इसकी एजेंसियों/अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को लागू करने के लिए अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाने का समवर्ती क्षेत्राधिकार।

• बम विस्फोट, विमान और जलयानों का अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जाँच करना।

• वर्ष 2019 के पश्चात्, मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोट, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री, साइबर-आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार दिया गया।

एनआईए

(संशोधन) अधिनियम, 2019

• एनआईए अधिनियम के प्रावधानों को उन व्यक्तियों पर लागू किया गया जो भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध कोई अनुसूचित अपराध करते हैं या भारत के हित को प्रभावित करते हैं।

• एनआईए के अधिकारियों के पास न केवल भारत में, बल्कि भारत के बाहर भी अपराधों की जाँच के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली समान शक्तियाँ, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व होंगे।

• भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराध के संबंध में केंद्र सरकार, एनआईए को मामला दर्ज करने और जाँच करने का निर्देश दे सकती है जैसे कि ऐसा अपराध भारत में ही हुआ हो।

• केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, एनआईए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त — स्थापना

• संसद के अधिनियम (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013) के तहत एक सांविधिक निकाय है।

• केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त होते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की विशेषताएँ संरचना यह एक बहुसदस्यीय निकाय है।

• अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक सदस्य)।

• न्यूनतम 50% सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे। अर्हता

• **न्यायिक सदस्य:** उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश।

• **गैर-न्यायिक सदस्य:** भ्रष्टाचार-रोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्क ता, वित्त, बीमा बैंकिंग, विधि और प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्ष की विशेषज्ञता और विशेष ज्ञान रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति।

क्षेत्राधिकार

• प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों और केंद्र सरकार के समूह क, ख, ग और घ अधिकारियों और कर्मचारियों पर।

• वे संस्थाएँ जो पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में हैं, लेकिन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाएँ उनके क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।

नियुक्ति

• लोकपाल के लिए - राष्ट्रपति द्वारा।

• लोकायुक्त के लिए - राज्यपाल द्वारा।

• **चयन समिति (3 सदस्य):** प्रधानमंत्री + लोकसभा अध्यक्ष + विपक्ष का नेता (लोकसभा) + उच्चतम न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश + चयन समिति के पहले चार सदस्यों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद।

• **खोज समिति:** चयन समिति की सहायता के लिए (50% सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाएँ होंगी)। कार्यकाल/ वेतन

• **कार्यकाल:** 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।

• **वेतन/भत्ता:** अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान और सदस्य को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन/भत्ते मिलते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को अन्य पहलू

• लोकपाल संस्था (Institution of Ombudsman) पहली बार वर्ष 1809 में स्वीडन में बनाई गई थी।

• भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (वर्ष 1966-1970) ने 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' नामक दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की।

• लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए सीबीआई सहित किसी भी जाँच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति है।

• अभियोजन लंबित होने के बावजूद लोक सेवकों की भ्रष्ट तरीकों से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्त करने के प्रावधान सम्मिलित हैं।

• लोकपाल द्वारा जाँच के लिए नियुक्त किए गए किसी भी सीबीआई अधिकारी को लोकपाल की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

• यह एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करता है। प्रारंभिक जाँच के लिए यह तीन महीने है, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। छानबीन के लिए यह छह महीने है जिसे एक बार में छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। सुनवाई के लिए इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इस समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएँगे।

• यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर देता है।

• लोकपाल को सरकार या सक्षम प्राधिकरण के स्थान पर लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की शक्ति प्रदान की गई है।

• प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई निदेशक के चयन की सिफारिश करेगी।

• लोकायुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी। यद्यपि, ओडिशा ने वर्ष 1970 में इस संबंध में अधिनियम पारित किया था।

CVC , CIC , और SIC की मुख्य विशेषताएँ निकाय केंद्रीय सतर्क ता आयोग (CVC) केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) राज्य सूचना आयोग (SIC) प्रावधान सीवीसी अधिनियम, 2003 संथानम समिति द्वारा अनुशंसित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वैधानिक निकाय अध्यक्ष मुख्य सतर्क ता आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: लोकपाल और लोकायुक्त



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — लोकपाल और लोकायुक्त

मुख्य परीक्षा दृष्टि: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई निदेशक के चयन की सिफारिश करेगी।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: लोकपाल और लोकायुक्त • स्थापना • क्षेत्राधिकार • नियुक्ति • न्यायिक सदस्य | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2013, 1809, 1966, 1970, 1971

सदस्य बहुसदस्यीय निकाय: केंद्रीय सतर्क ता आयुक्त (2 से अधिक नहीं) मुख्य सूचना आयुक्त+ 2 सदस्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त (10 से अधिक नहीं) नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री की तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।

राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (लोकसभा), प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) के आधार पर राज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय समिति (मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता (राज्य विधानसभा), मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य कैबिनेट मंत्री) के आधार पर।

अवधि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो; आगे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं।

केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा या 65 वर्ष; पुनर्नियुक्ति नहीं।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि; पुनर्नियुक्ति नहीं।

योग्यता

और वेतन यूपीएससी अध्यक्ष के समान; सतर्क ता आयुक्त यूपीएससी सदस्यों के समान। (नकारात्मक रूप से कम नहीं किया जा सकता) कानून, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, मीडिया या शासन में विशेषज्ञता के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, या किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता।

त्यागपत्र राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को राज्यपाल को पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा: दिवालियापन, नैतिक अधमता या दुर्बलता ; कदाचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जाँच की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रपति द्वारा: दिवालियापन, नैतिक अधमता, कार्यालय से बाहर वेतनभोगी रोजगार, या अक्षमता (मानसिक/शारीरिक)।

राज्यपाल द्वारा विशिष्ट आधारों पर, जिसमें कदाचार या अक्षमता शामिल है।

कार्य z भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई का पर्यवेक्षण करना।

- भ्रष्टाचार से संबंधित जाँच पर सरकार को सलाह देना।
- व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट (2014) के तहत व्हिसलब्लोअर कीशिकायतें प्राप्त करता है।
- व्हिसिलब्लोअर्स की पहचान की रक्षा करता है, झूठी शिकायतों के लिए दंड लगाता है (2 साल तक की कैद, 30,000रुपये का जुर्माना), कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता की पहचान की आवश्यकता होती है।
- निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जाँच करना:
  - सूचना की अनुपलब्धता

- अस्वीकृत अनुरोध
- विलंबित प्रतिक्रियाएँ
- अनुचित शुल्क
- अधूरी/झूठी जानकारी

• स्वप्रेरणा से जाँच करने की शक्ति। जाँच के दौरान सिविल न्यायालय की शक्तियाँ।

• निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

• जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना (25,000 रुपये तक) लगाना।

• दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना।

• वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (केंद्र सरकार को CIC, संसद के समक्ष रखी जाती है, राज्य सरकार को SIC, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है) अतिरिक्त बिंदु सिविल न्यायालय की शक्तियाँ; अखिल भारतीय सेवाएँ , ग्रुप ए के केंद्रीय सरकार के अधिकारी , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, आरबीआई, एलआईसी आदि के वरिष्ठ अधिकारी।

सूचना के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने और दंड लगाने की शक्तियाँ।

सूचना के अधिकार के उल्लंघन के संबंध

में शिकायतें प्राप्त करने और दंड लगाने की शक्तियाँ।

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) स्थापना

• सरकार ने वर्ष 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया।

• यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से गठित एक संविधानेतर निकाय (Extra Constitutional Body) है।

• यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक' है।

• नीचे से ऊपर (Bottom-up) दृष्टिकोण को अपनाता है।

• नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लिए नोडल एजेंसी है। कार्य

• नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना।

• सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

• निगरानी और मूल्यांकन करना।

• थिंक-टैंक, नॉलेज और इनोवेशन हब।

शासन के 7 स्तंभों पर आधारित

• **जनपक्षधर (Pro-people):** यह समाज के साथ-साथ व्यक्तियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है।

• **प्रो-एक्टिव (Proactive):** नागरिकों की जरूरतों का अनुमान लगाने और प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित है।

• **भागीदारी (Participation):** नागरिक वर्ग की भागीदारी।

• **सशक्तीकरण (Empowering):** खास तौर पर महिलाओं को उनके जीवन के सभी पहलुओं में सशक्त बनाना।

• **सभी का समावेशन (Inclusion of all):** जाति, पंथ और लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों का समावेश करना।

• **समानता (Equality):** सभी को समान अवसर प्रदान करना, विशेषकर युवाओं को।

• **पारदर्शिता (Transparency):** सरकार को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना। उद्देश्य

• नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना।

संरचना

• **अध्यक्ष:** भारत के प्रधानमंत्री।

• शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल सम्मिलित हैं।

• **क्षेत्रीय परिषदें:** एक से अधिक राज्यों या किसी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं का समाधान करने के लिए गठित की जाती हैं।

• इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है।

• एक निर्दिष्ट कार्यकाल के लिए गठित की जाती हैं।

• प्रधानमंत्री द्वारा बैठक बुलाई जाती है और उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री एवं क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।

• **विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitees):** प्रासंगिक क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ और व्यवसायी, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं।

पूर्णकालिक संगठनात्मक — ढाँचा

• **उपाध्यक्ष:** उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।

• **पूर्णकालिक सदस्य:** उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।

• **अंशकालिक सदस्य:** अग्रणी विश्विद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। अंशकालिक सदस्य चक्रानुक्रम में चयनित होंगे।

• **पदेन सदस्य:** केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

• **मुख्य कार्यकारी अधिकारी:** भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी को एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।

• **सचिवालय:** जैसा आवश्यक समझा जाए। नीति आयोग हब

• **टीम इंडिया हब:** राज्यों और केंद्र के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

• **नॉलेज एंड इनोवेशन हब:** नीति आयोग के थिंक-टैंक कौशल का निर्माण करता है। नीति आयोग की पहलें

• 15 वर्ष का रोडमैप

• 7-वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना

• इंडिया@75

• डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन आदि। नीति आयोग से संबद्ध कार्यालय

• राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान

• विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय। प्रासंगिकता z सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, अधिक जवाबदेही, नवीन विचारों का थिंक टैंक, समाधान के लिए अभिसरण।

सूचकांक/रिपोर्टें/ कार्यक्रम

• एसडीजी इंडिया इंडेक्स

• समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

• अटल इनोवेशन मिशन

• साथ (SATH) (मानव पूँजी परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई (Sustainable Action for Transforming Human Capital)) कार्यक्रम।

• आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme)

• स्वास्थ्य सूचकांक - (स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत) आदि।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: पूर्णकालिक संगठनात्मक

1. **पूर्णकालिक संगठनात्मक**
2. **ढाँचा**
3. **जनपक्षधर (Pro-people**
4. **प्रो-एक्टिव (Proactive**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — पूर्णकालिक संगठनात्मक

मुख्य परीक्षा दृष्टि: स्वास्थ्य सूचकांक - (स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत) आदि।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: पूर्णकालिक संगठनात्मक • ढाँचा • जनपक्षधर (Pro-people • प्रो-एक्टिव (Proactive • भागीदारी (Participation

नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत — अन्त्योदय

• गरीबों, वंचितों तथा दलितों की सेवा और उत्थान को प्राथमिकता देना, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्ययाय के 'अंत्योदय' के विचार में प्रतिपादित किया गया है।

समावेश

• सभी प्रकार की असमानताओं- लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति या वर्ग की पहचान-आधारित असमानताओं का निवारण करते हुए कमजोर और हाशिये पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाना।

गाँव z अपने गाँवों को विकास प्रक्रिया में एकीकृत करना।

जनसांख्यिकीय लाभ

• अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना: उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करके , शिक्षा और कौशल के माध्यम से तथा उत्पादक आजीविका के अवसरों के माध्यम से उनके सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करके ।

जनभागीदारी

• विकास प्रक्रिया को जन-संचालित प्रक्रिया में बदलना, एक जागृत और सहभागी नागरिक वर्ग (एनआरआई समुदाय सहित) को सुशासन का संचालक बनाना।

शासन z शासन की एक खुली, पारदर्शी, जवाबदेह, सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण शैली को बढ़ावा देना।

संधारणीयता

• पर्यावरण के प्रति सम्मान की अपनी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, योजना और विकास प्रक्रिया के मूल में संधारणीयता को बनाए रखना।

भारत का विधि आयोग — स्थापना

• यह एक गैर-सांविधिक सलाहकारी निकाय (Non-Statutory Advisory Body) है, जिसकी स्थापना समय-समय पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए केंद्र सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। *[यूपीएससी 2023]*

• ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 19वीं शताब्दी में चार विधि आयोगों की स्थापना की गई थी। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम और कुछ अन्य कानून इन चार आयोगों सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

• पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन महान्यायवादी एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में तीन वर्ष के लिए गठित किया गया था।

• वर्ष 1955 से अब तक 21 और विधि आयोगों का गठन किया जा चुका है, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष रहा है वहीं दूसरी ओर विचारार्थ विषय अलग-अलग रहे हैं।

• स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

• वर्तमान विधि आयोग (22वें) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी (2020-2024) हैं। आयोग की संरचना

• आयोग की संरचना निश्चित नहीं है और यह हर आयोग में भिन्न होती है। विचारार्थ विषयों की प्रकृति के आधार पर सामान्यत: इसमें एक अध्यक्ष, कुछ पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य सचिव तथा कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं।

• अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य या तो उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश/विधिक विशेषज्ञ/न्यायविद/भारत के किसी भी विश्विद्यालय में विधि के प्रोफेसर होते हैं।

• सदस्य सचिव भारतीय विधिक सेवा से संबंधित होता है और भारत सरकार के अपर सचिव/सचिव का पद धारण करता है।

• अंशकालिक सदस्य बार के प्रतिष्ठित सदस्यों/शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित विद्वानों/विधि की किसी विशेष शाखा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं।

कार्य

• विधियों के समेकन और संहिताकरण के उद्देश्य के लिए विधायी उपायों की सिफारिश करना। इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं।

• उन विधियों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या जो अब प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें तुरंत निरसित किया जा सकता है।

• राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के आलोक में मौजूदा विधियों का परीक्षण करना और उनमें सुधार व संशोधन के उपाय सुझाना।

• विधि और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना।

• किसी अन्य राष्ट्र द्वारा अनुसंधान में मदद करने के अनुरोध पर विचार करना।

• निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना।

• साधारण महत्त्व के केंद्रीय अधिनियमों को सरल बनाने और विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर करने के लिए उन्हें संशोधित करना।

कार्यकरण

• विभिन्न परियोजनाओं के कार्यकरण और समस्याओं से संबंधित प्रतिवेदनों की पूरे आयोग द्वारा लंबी बैठकों में जाँच की जाती है ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

• अंतिम प्रतिवेदन सरकार (विधि एवं न्याय मंत्रालय) को अग्रेषित किया जाता है। इन प्रतिवेदनों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है और समय-समय पर संसद को प्रस्तुत किया जाता है। अब तक आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर 277 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।

NDMA, SDMA एवं DDMA की मुख्य विशेषताएँ : तुलना के बिंदु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)

अधिनियम इतिहास: 1999: उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

2001: गुजरात भूकंप के बाद राष्ट्रीय समिति का गठन।

2005: 2004 की सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया।

गठन: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन 2005 में कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया गया; 2006 में अधिसूचित किया गया।

नोडल मंत्रालय : गृह मंत्रालय। अध्यक्ष प्रधान मंत्री (पदेन अध्यक्ष); मुख्यमंत्री (पदेन अध्यक्ष); कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट (पदेन अध्यक्ष); सदस्य 9 सदस्य (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित अधिकतम) अधिकतम 7 सदस्य (अध्यक्ष सहित) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दो जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं।

नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत; राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अवधि निर्दिष्ट नहीं है। निर्दिष्ट नहीं है। निर्दिष्ट नहीं है।

वेतन सीएफआई सीएफएस राज्य की समेकित निधि

कार्य z राष्ट्रीय योजना और विभागीय योजनाओं को मंजूरी देना।

• राज्य आपदाप्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA)के लिएदिशानिर्देशस्थापित करना।

- नीति प्रवर्तन का समन्वय करना तथा शमन के लिए वित्तपोषण की सिफारिश करना।
- अंतरराष्ट्रीय आपदा राहत प्रदान करना तथा आपदा राहत के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना।
- जिला आपदा प्रबंधन एवं प्रतिक्रिया योजना तैयार करना।
- नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- संवेदनशीलक्षेत्रों औरनिवारक उपायों कीपहचान करना।
- राहत केंद्रों के रूप में उपयोग के लिए इमारतों की पहचान करना।

अतिरिक्त बिंदु

सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और लचीलापन को बढ़ाना। आपदा जोखिमों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना। शमन के लिए प्रौद्योगिकी और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना। आपदा प्रबंधन को नियोजन प्रक्रियाओं में एकीकृत करना। मीडिया के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) की मुख्य विशेषताएँ : निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अध्यक्ष अध्यक्ष: सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

अध्यक्ष: सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

सदस्य 5 सदस्य:

- सेवारत/सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश।
- उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
- मानव अधिकारों में ज्ञान/अनुभव वाले 3 अन्य (एक महिला अनिवार्य)।

पदेन सदस्य: NCBC, NCW, NCSC, NCST, NCPCR, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, और दिव्ययांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।

2 सदस्य:

- सेवारत/सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश याजिला न्यायाधीश (7 वर्ष का अनुभव)।
- मानव अधिकारों के विशेषज्ञ

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: कार्यकरण

1. कार्यकरण	**2. अतिरिक्त**
3. बिंदु	**4. सदस्य 5 सदस्य**

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — कार्यकरण

मुख्य परीक्षा दृष्टि: सेवारत/सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश याजिला न्यायाधीश (7 वर्ष का अनुभव)।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: कार्यकरण • अतिरिक्त • बिंदु • सदस्य 5 सदस्य • अधिनियम इतिहास | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1999, 2001, 2005, 2004, 2006

नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष),
- अध्यक्ष (लोकसभा),
- उपाध्यक्ष (राज्यसभा),

• विपक्षी नेता (लोकसभा और राज्यसभा), और केंद्रीय गृह मंत्री। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श।

राज्यपाल द्वारा चयन समिति:

• मुख्यमंत्री (अध्यक्ष),

• अध्यक्ष (राज्य विधान सभा), अध्यक्ष (राज्य विधान परिषद्),

• विपक्षी नेता (राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद्), और राज्य गृह मंत्री।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अवधि z 3 वर्ष या 70 वर्ष तक , जो भी पहले हो। z 3 वर्ष या 70 वर्ष तक , जो भी हो।

वेतन z केंद्रीय सरकार ने नियुक्ति के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है।

• राज्य सरकार ने नियुक्ति के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है।

त्यागपत्र z राष्ट्रपति को z राज्यपाल को कार्य z मानव अधिकार उल्लंघन या लापरवाही की जाँच - स्वप्रेरणा से या याचिका द्वारा।

• जेलों और हिरासत केंद्रों का दौरा।

• कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा और मानवाधिकार साक्षरता को बढ़ावा देना।

• केंद्र/राज्य सरकारों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विधानमंडलों के समक्ष रखना।

• **न्यायिक शक्तियाँ:** सिविल न्यायालय की शक्तियाँ

• **जाँच प्राधिकरण:** स्वयं का स्टाफ और सरकारी एजेंसियों का उपयोग। प्रमुख शक्तियाँ z मानव अधिकार उल्लंघन की जाँच करने और कार्रवाई कीसिफारिश करने की शक्तियाँ

• राज्य स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच करने की शक्तियाँ अतिरिक्त बिंदु मानवाधिकार न्यायालय:

• मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) में त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों का प्रावधान है।

• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से राज्य सरकार द्वारा स्थापित।

• **सरकारी वकील:** इन न्यायालयों के लिए नियुक्त (7 वर्ष का कानूनी अभ्यास अनिवार्य)।

निष्कासन: एनएचआरसी/एसएचआरसी अध्यक्ष/सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि:

• दिवालिया घोषित कर दिया गया।

• कार्यकाल के दौरान वेतनभोगी रोजगार में संलग्न रहता है।

• विकृत मस्तिष्क या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

• दुर्व्यवहार/अक्षमता (सर्वोच्च न्यायालय की जाँच की अनुशंसा के आधार पर)।

• **सीमाएँ:** घटना के 1 वर्ष बाद मामले की जाँच नहीं की जा सकती।

• प्रकृति में अनुशंसात्मक निकाय; 1 महीने के भीतर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

• इसे कोई दंडात्मक शक्तियाँ या राहत/मुआवज़ा देने की शक्ति नहीं।

• **सशस्त्र बलों द्वारा उल्लंघन:** सीमित भूमिका; केवल अनुशंसाएँ। NCW, NCPCR और NCM की मुख्य विशेषताएं : निकाय राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम z राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 ।

• **नोडल मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।

• भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (1974) और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988) द्वारा अनुशंसित।

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के आधार पर 2007 में स्थापित

• **नोडल मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992। अधिनियम में 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन यह केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'अल्पसंख्यकों' को अधिसूचित करने की अनुमति देता है।

• **नोडल मंत्रालय:** अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय।

प्रमुख अध्यक्ष बाल कल्याण में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति अध्यक्ष सदस्य 5 सदस्य: विधि, विधान, महिला रोजगार, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य आदि के विशेषज्ञ। कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। सदस्य सचिव: प्रबंधन में विशेषज्ञ या सिविल सेवा का अधिकारी।

> **6 सदस्य:** शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान और बच्चों से संबंधित कानून जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ, जिनमें कम से कम 2 सदस्य महिलाएँ होंगी।

7 सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 5 सदस्य, जिनमें 5 अल्पसंख्यक समुदायों से हैं) नियुक्ति केंद्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा नामित केंद्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा नामित; अध्यक्ष की नियुक्ति 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित अवधि 3 वर्ष 3 वर्ष (2 कार्यकाल से अधिक नहीं); अध्यक्ष: अधिकतम 65 वर्ष, सदस्य: अधिकतम 60 वर्ष 3 वर्ष वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित; नियुक्ति के पश्चात् इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्य महिलाओं के लिए विधिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों पर सिफारिशों के साथ सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, जेलों, रिमांड होम और महिला संस्थानों का निरीक्षण करना, महिलाओं के मामलों के लिए मुकदमेबाजी हेतु निधि प्रदान करना

- बच्चों के लिए संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना; उल्लंघनों की जाँच करना; शिकायत निवारण में सहायता करना; अनुसंधान करना; बाल अधिकार साक्षरता को बढ़ावा देना।
- सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- अनुसंधान का संचालन करना तथा जागरूकता को बढ़ावा देना
- किशोर गृहों का निरीक्षण करना
- बाल अधिकार उल्लंघन की जाँच करना
- अल्पसंख्यक विकास प्रगति का मूल्यांकन करना
- संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों की निगरानी करना
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना
- अधिकारों के हनन की विशिष्ट शिकायतों का समाधान करना। भेदभाव और विकास संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करना
- केंद्र सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रमुख शक्तियाँ
- समितियों को नियुक्त करना और प्रक्रियाओं को विनियमित करना।
- सरकार को प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करना चाहिए।
- सूचना माँगने, गवाहों को बुलाने और दस्तावेज प्रस्तुत करने की शक्ति।
- शिकायतों की जाँच करने और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने, तथा गवाहों को बुलाने और दस्तावेजों माँगने की शक्ति।
- आरटीई अधिनियम 2009, पोक्सो अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दायित्व।
- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ; गवाहों को बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती हैं, दस्तावेज प्रस्तुत करने की माँग कर सकती हैं अतिरिक्त बिंदु
- मौखिक या लिखित रूप में शिकायतें स्वीकार करता है। संबोधित किए जाने वाले मुद्दों में बलात्कार, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा सम्मिलित हैं।

पुलिस कार्रवाई की निगरानी करता है और परामर्श प्रदान करता है। पारिवारिक महिला लोक अदालत NCW द्वारा पारिवारिक विवादों को सुलझाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA) की सहायता के लिए स्थापित किया गया है। लोक अदालतके मॉडल कापालन करते हुए, त्वरित, लागत-मुक्त न्याय प्रदान करता है।

- इन अदालतों के आयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों और राज्य महिला आयोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- बाल अधिकार सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उन्हें सुनिश्चित करना
- शिकायत निवारण में सुविधा प्रदान करना। आयोग राज्य आयोगों या अन्य वैधानिक आयोगों के समक्ष लंबित मामलों की जाँच नहीं कर सकता।
- **बाल न्यायालय:** 2005 अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई के लिए स्थापित।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नामित प्रत्येक न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है।
- **मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक:** मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (1993)

- जैन धर्म को 2014 में जोड़ा गया
- केंद्र को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट कार्यवाही ज्ञापन के साथ संसद में प्रस्तुत की जाती है,
- राज्य से संबंधित रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती है।
- **निष्कासन के आधार (अन्य आयोगों के समान):** दुर्व्यवहार, अक्षमता, दिवालियापन, दोषसिद्धि, आदि।

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 170



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — खंड 170

मुख्य परीक्षा दृष्टि: निष्कासन के आधार (अन्य आयोगों के समान): दुर्व्यवहार, अक्षमता, दिवालियापन, दोषसिद्धि, आदि।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: सदस्य • बाल न्यायालय • मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2009, 2012, 2015, 2005, 1993

बार काउंसिल की मुख्य विशेषताएँ :

विशेषताएँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) राज्य बार काउंसिल (SBC) अधिनियम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत वैधानिक, स्वायत्त निकाय।

नोडल मंत्रालय: विधि एवं न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों का विभाग)। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित ; वर्तमान में 24 एसबीसी विद्यमान हैं।

प्रमुख अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदस्यों में से चुने जाते हैं (कार्यकाल: 2 वर्ष) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों में से किया जाता है सदस्यों इसमें निर्वाचित और पदेन सदस्य सम्मिलित हैं; इसमें अटॉर्नी-जनरल और सॉलिसिटर-जनरल शामिल हैं निर्वाचित एवं पदेन सदस्य।

मतदाताओं के आधार पर आकार: 15 (5,000-10,000 मतदाता), 20 (>10,000), 25 (10,000 से अधिक)। राज्य का महाधिवक्ता इसका पदेन सदस्य होता है।

अवधि 5 वर्ष 5 वर्ष

वेतन भारत की समेकित निधि राज्य की समेकित निधि कार्य अधिवक्ताओं के लिए व्यायावसायिक आचरण मानक तय करना। एसबीसी की निगरानी करना और उनसे प्राप्त संदर्भों का प्रबंधन करना। कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना और शैक्षिक मानक निर्धारित करना। विधि की डिग्री योग्यता के लिए विश्विद्यालयों को मान्यता देना। कानूनी सेमिनार आयोजित करना तथा गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना। विदेशी कानूनी योग्यताओं को मान्यता देना।

अधिवक्ताओं को स्वीकार करना और उनकी भूमिका बनाए रखना।

अधिवक्ताओं के विरुद्ध कदाचार के मामलों को संबोधित करना।

अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशनों के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देना। सेमिनार आयोजित करना, धन का प्रबंधन करना तथा विधिक सहायता पहल की निगरानी करना।

अतिरिक्त कार्य

दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ; गवाहों को बुला सकते हैं तथा उनसे पूछताछ कर सकते हैं, दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की माँग कर सकते हैं। निधि और अनुदान: कल्याणकारी योजनाओं, कानूनी सहायता और विधि पुस्तकालयों के लिए निधि स्थापित कर सकते हैं। अनुदान, दान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निकायों में सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में कानूनी शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने की शक्तियाँ निधि एवं अनुदान: कल्याण, कानूनी सहायता और विधि पुस्तकालयों के लिए निधि स्थापित कर सकते हैं।

अनुदान, दान और उपहार के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सीसीआई एवं ट्राई की मुख्य विशेषताएँ :

विशेषताएँ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) अनुच्छेद/अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ट्राई अधिनियम, 1997 प्रमुख अध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य 5 सदस्य (राज्यीय एवं राष्ट्रीय) 6 सदस्य नियुक्ति सरकार द्वारा नियुक्त सरकार द्वारा नियुक्त अवधि निर्दिष्ट नहीं है निर्दिष्ट नहीं है वेतन भारत की समेकित निधि पर भारित (सीएफआई) भारत की समेकित निधि पर भारित (सीएफआई) त्यागपत्र लागू नहीं लागू नहीं हटाना लागू नहीं लागू नहीं कार्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जाँच करना; विनियमनों पर सलाह देना; बाजार अध्ययन करना दूरसंचार को विनियमित करना; गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना; उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देना प्रमुख शक्तियाँ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जाँच करने और उन्हें प्रतिबंधित करने की शक्तियाँ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्तियाँ एनआईसी और एनडीसी की मुख्य विशेषताएँ : पहलू राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC) राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) स्थापित 1961 1952 उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना आर्थिक विकास और सहकारी संघवाद को सुविधाजनक बनाना संघटन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में; इसमें राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में; इसमें मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं।

कार्य राष्ट्रीय एकीकरण के मुद्दों पर ध्यान देना, सामाजिक सामंजस्य के लिए नीतियों की सिफारिश करना पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन करना, सामाजिक-आर्थिक उपायों पर चर्चा करना

प्रमुख कार्य सामाजिक मुद्दे, एकीकरण और सद्भाव आर्थिक योजना और विकास प्रकृति कार्यकारिणी निकाय कार्यकारिणी निकाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एक 3-स्तरीय निवारण प्रणाली स्थापित करता है: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- **स्थापना:** राज्य सरकारों द्वारा गठित; एक जिले में कई आयोग मौजूद हो सकते हैं।
- **अधिकार क्षेत्र:** रुपए 1 करोड़ तक की शिकायतें (2021 में यह राशि घटाकर 50 लाख कर दी गई)।
- **संरचना:** अध्यक्ष + 2 सदस्य।
- **शक्तियाँ:** त्रुटियों के लिए आदेशों की समीक्षा करना; जिला मुख्यालय पर कार्य करना।
- **स्थापना:** राज्य सरकारों द्वारा, सामान्य रूप से राज्य की राजधानियों में स्थापित।
- **अधिकार क्षेत्र:** ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ के बीच की शिकायतें (2021 में इसे ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तककर दिया गया है)।
- **संरचना:** अध्यक्ष + 4+ सदस्य।
- **शक्तियाँ:** अनुचित अनुबंधों को शून्य घोषित करना; आदेशों की समीक्षा करना; शिकायतों को स्थानांतरित करना।
- **स्थापना:** केंद्र सरकार द्वारा गठित, राष्ट्रीय राजधानी में स्थित।
- **अधिकार क्षेत्र:** 10 करोड़ रूपए से अधिक की शिकायतें (2021 में इसे ₹2 करोड़ कर दिया गया है)।
- **संरचना:** अध्यक्ष + 4-11 सदस्य (कम से कम एक महिला)।
- **शक्तियाँ:** आदेशों की समीक्षा करना; शिकायतों को स्थानांतरित करना; 30 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना।

उपभोक्ता आयोग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3-स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना का प्रावधान करता है।

- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) (जिला आयोग): राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया। एक जिले में एक से अधिक जिला आयोग भी स्थापित किए जा सकते हैं।
- **राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग):** राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थापित। यह सामान्यतः राज्य की राजधानी में कार्य करेगा और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्थानों पर भी अपना कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग): केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। यह सामान्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में कार्य करेगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्थानों पर भी अपना कार्य करेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्रीय शाखाएँ भी स्थापित कर सकती है।

[UPSC 2023]

यह खास तौर पर उपभोक्ताओं के लिए एक वैकल्पिक विवाद प्रतितोष तंत्र प्रदान करता है और एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) आयोग की संरचना

- अध्यक्ष + कम-से-कम 4 या अधिकतम उतनी संख्या में सदस्य, जो विहित की जाए।
- केंद्र सरकार (2020) द्वारा एक अध्यक्ष और न्यूनतम चार या अधिकतम ग्यारह सदस्य विहित किए जा सकते है, जिनमें से कम-से-कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।

नियुक्ति

- **अध्यक्ष और सदस्य:** इन्हें केंद्र सरकार द्वारा एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता भारत का मुख्य न्यायमूर्ति / भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल z अध्यक्ष/सदस्यों के मामले में 4 वर्ष या 70/67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो।

वेतन एवं भत्ते

- केंद्र सरकार अध्यक्ष/सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पदच्युति और सेवा की अन्य शर्तों के लिए नियम बना सकती है।
- नियुक्ति के पश्चात अध्यक्ष/सदस्य के न तो वेतन और भत्ते और न ही सेवा के अन्य नियमों और शर्तों में उनके लिए अलाभकारी बदलाव किया जाएगा।

क्षेत्राधिकार

- **आर्थिक क्षेत्राधिकार:** उन शिकायतों पर विचार करना जहाँ प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक है। केंद्र सरकार ऐसे अन्य मूल्य निर्धारित कर सकती है जो वह उचित समझे। तदनुसार, वर्ष 2021 में यह सीमा घटाकर 2 करोड़ रुपये से अधिक कर दी गई।
- **अपीलीय क्षेत्राधिकार:** किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील पर विचार करना। अपील राज्य आयोग के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।
  - दिए गए समय के भीतर अपील दायर न कर पाने के पर्याप्त कारण से संतुष्ट होने पर यह 30 दिनों की समाप्ति के बाद दायर की गई अपील पर विचार कर सकता है।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: उपभोक्ता आयोग

2019	2021	2023	2020
उपभोक्ता आयोग	नियुक्ति	वेतन एवं भत्ते	क्षेत्राधिकार

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — उपभोक्ता आयोग

मुख्य परीक्षा दृष्टि: अपीलीय क्षेत्राधिकार: किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील पर विचार करना। अपील राज्य आयोग के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: उपभोक्ता आयोग • नियुक्ति • वेतन एवं भत्ते • क्षेत्राधिकार • स्थापना | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2019, 2021, 2023, 2020

  - इसके पास केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के आदेशों के विरुद्ध अपील पर विचार करने का भी अधिकार क्षेत्र है। अपील सीसीपीए से आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।

- **पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार (Revisional Jurisdiction):** किसी भी उपभोक्ता विवाद में रिकॉर्ड मँगवाने और उचित आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार, जो किसी राज्य आयोग द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में लंबित है या तय किया गया है:
  - राज्य आयोग ने उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या
  - राज्य आयोग इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है, या
  - राज्य आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से/वास्तविक अनियमितता के साथ कार्य किया है। अन्य शक्तियाँ

• किसी उपभोक्ता के साथ अन्याय होने की स्थिति में संविदा की शर्तों को अमान्य घोषित कर सकता है।

• यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट हो तो उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति।

• यदि राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक-पक्षीय आदेश पारित किया जाता है, पीड़ित पक्ष ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन कर सकता है।

• एक राज्य के जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी भी शिकायत को दूसरे राज्य के जिला आयोग को या एक राज्य आयोग के समक्ष दूसरे राज्य आयोग को शिकायतकर्ता के आवेदन/उसके प्रस्ताव पर स्थानांतरित करना।

• राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अपील राष्ट्रीय आयोग के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। यद्यपि, उच्चतम न्यायालय 30 दिनों की समाप्ति के बाद दायर अपील पर विचार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि दिए गए समय के भीतर अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण था।

प्रशासनिक नियंत्रण

निम्नलिखित मामलों में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण:

• मामलों के निपटान के संदर्भ में निष्पादन।

• किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की जाँच करना और संबंधित राज्य सरकार को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

• **इस संबंध में निर्देश:** मामलों की सुनवाई में एक समान प्रक्रिया अपनाना; एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों की विरोधी पक्षों को पूर्व सेवा; किसी भी भाषा में लिखे गए निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करना; और दस्तावेजों की प्रतियों को शीघ्रता से प्रदान करना।

• निरीक्षण के माध्यम से या किसी अन्य रीति से राज्य आयोग या जिला आयोग के कामकाज की निगरानी करना। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आयोग की संरचना

• एक अध्यक्ष + न्यूनतम 4 या अधिकतम उतने सदस्य, जितने केंद्र सरकार के परामर्श से विहित किए जाएँ। नियुक्ति, वेतन एवं भत्ते

• केंद्र सरकार अध्यक्ष /सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा की अन्य शर्तों के लिए नियम बना सकती है।

• नियुक्ति के बाद अध्यक्ष/सदस्य के न तो वेतन और भत्ते और न ही सेवा के अन्य नियमों और शर्तों में उनके लिए अलाभकारी बदलाव किया जाएगा। क्षेत्राधिकार

• **आर्थिक क्षेत्राधिकार:** उन शिकायतों पर विचार करना जहाँ प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ से अनधिक है। केंद्र सरकार ऐसे अन्य मूल्य निर्धारित कर सकती है जो वह उचित समझे। तदनुसार, वर्ष 2021 में यह सीमा 50 लाख से अधिक परंतु अधिकतम 2 करोड़ तक कम कर दी गई।

• **अपीलीय क्षेत्राधिकार:** राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील पर विचार करना। अपील जिला आयोग के आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर की जा सकती है।

• दिए गए समय के भीतर अपील दायर न कर पाने के पर्याप्त कारण से संतुष्ट होने पर यह 45 दिनों की समाप्ति के बाद दायर की गई अपील पर विचार कर सकता है।

• **पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार:** निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के समक्ष लंबित या निर्णय किए गए किसी भी उपभोक्ता विवाद में रिकॉर्ड मँगवाने और उचित आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार:

• जिला आयोग ने उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

• जिला आयोग इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है, या

• जिला आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से/वास्तविक अनियमितता के साथ कार्य किया है।

अन्य शक्तियाँ

• यदि किसी ग्राहक के साथ अन्याय हुआ तो संविदा की शर्तों को अमान्य घोषित किया जा सकता है।

• यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट हो तो उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति।

• जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी भी शिकायत को शिकायतकर्ता के आवेदन/उसके प्रस्ताव पर राज्य के भीतर किसी अन्य जिला आयोग में स्थानांतरित करना।

• अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आयोग की संरचना: एक अध्यक्ष + न्यूनतम 2 या अधिकतम उतने सदस्य, जितने केंद्र सरकार के परामर्श से विहित किए जाएँ।

नियुक्ति, वेतन एवं भत्ते

• केंद्र सरकार नियुक्तियों, भर्ती की प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र और अध्यक्ष/सदस्यों को हटाने के लिए अर्हता/प्रक्रियाओं के लिए नियम बना सकती है।

• राज्य सरकार अध्यक्ष/सदस्यों के वेतन-भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों के लिए नियम बना सकती है।

• जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य का पद रिक्त होने की स्थिति में, राज्य सरकार निर्देश दे सकती है-

  ◦ उक्त जिले के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कोई अन्य निर्दिष्ट जिला आयोग।

  ◦ किसी अन्य निर्दिष्ट जिला आयोग का अध्यक्ष/सदस्य उस जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की शक्ति का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन भी कर सकता है।
क्षेत्राधिकार

• उन शिकायतों पर विचार करना जहाँ प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अनधिक है। केंद्र सरकार ऐसे अन्य मूल्य निर्धारित कर सकती है जो वह उचित समझे। तदनुसार, वर्ष 2021 में यह सीमा घटाकर 50 लाख रुपये तक कर दी गई।

• सामान्यत: कार्य जिला मुख्यालय में किए जाएँगे। यह जिले में ऐसे अन्य स्थानों पर भी अपना कार्य कर सकता है, जैसा कि राज्य सरकार राज्य आयोग के परामर्श के बाद अधिसूचित कर सकती है।

• यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट हो तो उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति। ऐसा आयोग द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर या ऐसे आदेश के 30 दिनों के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर किया जा सकता है।

उपभोक्ता आयोगों का आर्थिक क्षेत्राधिकार

नाम वर्ष 2021 नियमावली के अंतर्गत वर्ष 2019 अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1986 अधिनियम के अंतर्गत जिला आयोग 50 लाख रुपये तक 1 करोड़ रुपये तक 20 लाख रुपये तक राज्य आयोग 50 लाख रुपये से ऊपर लेकिन 2 करोड़ रुपये तक 1 करोड़ रुपये से ऊपर लेकिन 10 करोड़ रुपये तक 20 लाख रुपये से ऊपर लेकिन 1 करोड़ रुपये तक राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ रुपये से ऊपर 10 करोड़ रुपये से ऊपर 1 करोड़ रुपये से ऊपर होम गार्ड

• **स्थापना:** इसे दिसंबर 1946 में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों में पुलिस की सहायता के लिए गठित किया गया। जिसे विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाया गया।

• **केंद्रीय निर्देश:** 1962 के चीनी आक्रमण के बाद, केंद्र ने राज्यों को मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होम गार्ड में एकीकृत करने की सलाह दी।

• **स्थापना प्राधिकरण:** होम गार्ड की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत की जाती है।

• भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

• **सहायक सहायता:** आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।

• **आपातकालीन प्रतिक्रिया:** प्राकृतिक आपदाओं (हवाई हमले, आग, चक्रवात, आदि) में सहायता करना।

• **सामुदायिक सेवाएँ:** आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और समाज के कमज़ोर वर्गों की सहायता करने में मदद करना।

• **सामाजिक-आर्थिक भागीदारी:** कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेना और नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करना। (UPSC 2023) बॉर्डर विंग होम गार्ड्स (BWHG)

• **गठन:** सीमा सुरक्षा बल की सहायता के लिए सीमावर्ती राज्यों (जैसे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात) में 15 बटालियनें बनाई गईं।

• **उद्देश्य:** बाहरी आक्रमण के दौरान घुसपैठ को रोकना और उन क्षेत्रों की सुरक्षा करना।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: अन्य शक्तियाँ

1. अन्य शक्तियाँ	2. नियुक्ति, वेतन एवं भत्ते
3. स्थापना	4. केंद्रीय निर्देश

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — अन्य शक्तियाँ

मुख्य परीक्षा दृष्टि: उद्देश्य: बाहरी आक्रमण के दौरान घुसपैठ को रोकना और उन क्षेत्रों की सुरक्षा करना।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: अन्य शक्तियाँ • नियुक्ति, वेतन एवं भत्ते • स्थापना • केंद्रीय निर्देश • स्थापना प्राधिकरण | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 2021, 2019, 1986, 1946, 1962

राजनीतिक दल एक स्वैच्छिक संघ या व्यक्तियों का संगठित समूह होता है, इस दल के राजनीतिक विचार अथवा विचारधाराएँ दोनों ही समान होती हैं। ये राजनितिक दल संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं।

दल प्रणालियों के प्रकार

1. एक-दलीय प्रणाली: केवल एक सत्तारूढ़ दल, कोई विपक्ष नहीं [उदाहरण: पूर्व यूएसएसआर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)]।

2. दो-दलीय प्रणाली: दो प्रमुख दलों काप्रभुत्व [उदाहरण: यूएसए (डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन), ब्रिटेन]।

3. बहु-दलीय प्रणाली: कई दलों के गठबंधन सरकारों का नेतृत्व [उदाहरण: भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन (आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ बहु-दलीय प्रणाली), भारत: मजबूत क्षेत्रीय दलों के साथ बहु-दलीय प्रणाली, दक्षिण अफ्रीका: रंगभेद के बाद एएनसी प्रभुत्व के साथ बहु-दलीय प्रणाली]।

भारत में दलीय व्यवस्था

- **बहुदलीय प्रणाली:** भारत में एक बड़ा क्षेत्रफल, सामाजिक विविधता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में भारत में तकरीबन 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ, 54 राज्य पार्टियाँ और 2,597 पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दल विद्यमान हैं।

पार्टियों को मान्यता

- **राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियाँ:** भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) मतदान प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्रदान करता है।
- **पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ:** राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दर्जे के लिए मानदंड पूरा नहीं करती हैं।

मान्यता के लाभ:

- मतदाता सूची तक पहुँच।
- राज्य मीडिया पर राजनीतिक प्रसारण का समय।
- **विशेष पार्टी चिह्न। पार्टियों के लिए चिह्नों का आवंटन:**
- **राष्ट्रीय पार्टी:** पूरे भारत में उपयोग के लिए आरक्षित चिह्न है।
- **राज्यीय पार्टी:** मान्यता प्राप्त राज्य (राज्यों) पार्टी के लिए विशेष चिह्न।
- **पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त पार्टी:** मुक्त चिह्नों की सूची में से चुनती है।

प्रस्तावक और स्टार प्रचारक:

- **मान्यता प्राप्त पार्टियाँ:** सामान्यत: केवल 1प्रस्तावक की आवश्यकता होती है; इसके अतिरिक्त इनके तकरीबन 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं।
- **पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ:** 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं।
- स्टार प्रचारकों के लिए अभियान व्यय व्यक्तिगत उम्मीदवार व्यय में शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए मानदंड

- 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट और 4 लोकसभा सीटें।
- 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा।
- 3 राज्यों से 2% लोकसभा सीटें।

• **वर्तमान राष्ट्रीय पार्टियाँ:** चूँकि भारत में बहुदलीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इसलिए वर्तमान में देश में छह राष्ट्रीय पार्टियाँ विद्यमान हैं - AAP, BSP, BJP, INC, CPI-M और नेशनल पीपुल्स पार्टी (उत्तर-पूर्व क्षेत्र की पहली राष्ट्रीय पार्टी)।

राज्य पक्ष के रूप में मान्यता के लिए मानदंड

• लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 8% वोट।

• राज्य की 25 सीटों के लिए 1 लोकसभा सीट।

• विधानसभा सीटों का 3% या 3 सीटें, जो भी अधिक हो। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। CPI ने 16 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर और कुल मतदान का 45% वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बने। *[यूपीएससी 2018]*

राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करना

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A ईसीआई के साथ पार्टियों के पंजीकरण को नियंत्रित करती है।

• यदि धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त किया गया हो, केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषणा की गई हो और भारतीय संविधान का उल्लंघन किया गया हो, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

• **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA):** चुनाव, उपचुनाव, पार्टी पंजीकरण और योग्यता/अयोग्यता को नियंत्रित करता है। चुनाव के लिए चुनाव व्यय और प्रशासनिक तंत्र का प्रबंधन करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ईसीआई द्वारा पार्टियों के पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति नहीं देता है।

चुनाव और दलबदल — चुनाव और दलबदल — विरोधी कानून — विरोधी कानून

चुनाव

• चुनाव एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। भारतीय संविधान का भाग XV (**अनुच्छेद 324** -329) चुनाव कराने के लिए प्रावधान निर्धारित करता है और इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग की स्थापना करता है।

• **निर्वाचन क्षेत्र:** निर्वाचन क्षेत्र एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ से मतदाता किसी विधायी निकाय के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिससे नागरिकों को ऐसे व्यक्तियों को चुनने की अनुमति मिलती है जो विभिन्न विधायी निकायों (जैसे, संसद, विधानसभाएँ) में उनके हितों की वकालत करते है।

निर्वाचन क्षेत्रों के प्रकार में संसदीय, विधानसभा और स्थानीय सरकार के निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित हैं।

चुनाव की विधियाँ

1. फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम (First-Past-the-Post System):
    - लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए उपयोग किया जाता है।
    - निर्वाचक एक उम्मीदवार को वोट देते हैं; सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत हासिल करता है।
    - बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त, आकार की चिंता किए बिना प्रत्येक पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व:

- विधानमंडल के सदस्यों के मध्य वोट आनुपातिक रूप से वितरित किए जाते हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि पार्टियों को उनके समग्र वोट शेयर के अनुसार सीटें मिलें,जो विधानमंडलमें अधिक सटीक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

चुनाव से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

• **अनुच्छेद 324 :** संसद, राज्य विधानसभाओंऔर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग की स्थापना करता है।

• **अनुच्छेद 325 :** धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बहिष्करण पर रोक लगाता है।

- **अनुच्छेद 326 :** वयस्क मताधिकार के आधार पर लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 327 :** संसद को मतदाता सूची और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सहित चुनाव से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 328 :** संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य विधानसभाओं को चुनावों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 329 :** चुनाव याचिकाओं के अलावा चुनावी मामलों में अदालती हस्तक्षेप को रोकता है।

अन्य संवैधानिक प्रावधान

- भारत का चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का प्रबंधन करता है। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों (**अनुच्छेद 243K)** और नगरपालिकाओं(**अनुच्छेद 243ZA)** के चुनावों का प्रबंधन करता है।
- मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता (**अनुच्छेद 325)।**
- सभी भारतीय नागरिक जो निर्धारित आयु की सीमा को पूरा करते हैं, उन्हें मतदान का अधिकार है, गैर-निवास, अक्षमता, आपराधिक कृत्य या भ्रष्ट आचरण के अपवादों के साथ।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (**अनुच्छेद 326)** सभी योग्य वयस्कों के लिए मतदान के अधिकार सुनिश्चित करता है, समानता को बढ़ावा देता है।
- **चुनाव विवाद: अनुच्छेद 323B** चुनाव विवादों को संभालने के लिए न्यायाधिकरणों के निर्माण की अनुमति देता है। यद्यपि, अभी तक ऐसा कोई न्यायाधिकरण मौजूद नहीं है।
  - चंद्र कुमार मामले (1997) ने चुनाव विवादों में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार को असंवैधानिक घोषित किया। यदि न्यायाधिकरण बनाया जाता है, तो उच्च न्यायालय के पास अपीलीय अधिकार होगा।

भारत में चुनाव के प्रकार — 1. राज्य सभा चुनाव

- **विधि:** एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
- **कार्यकाल:** सदस्य छह वर्ष तक सेवा करते हैं; एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
- **विघटन:** राज्य सभा स्थायी है।

2. लोकसभा चुनाव

- **विधि:** वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव; फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम।
- **आवृत्ति:** प्रत्येक पाँच वर्षों में।
- **संरचना:** 543 सीटें; 131 अनुसूचित जातियों (84) और अनुसूचित जनजातियों (47) के लिए आरक्षित हैं।

3. राज्य विधानसभा चुनाव (विधानसभा)

- **सदस्य:** विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं।
- **कार्यकाल:** पाँच वर्ष; प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित।

4. राज्य विधान परिषद

- **सदस्य:** अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित।
- **संख्या:** राज्य विधानसभा का अधिकतम एक-तिहाई; न्यूनतम 40 सदस्य।
- **निर्वाचन मंडल की संरचना:** स्नातक: 1/12, शिक्षक: 1/12, स्थानीय निकाय सदस्य: 1/3, विधायक: 1/3 , और राज्यपाल द्वारा मनोनयन: 1/6

उप-विषयवार परीक्षा भार एवं विश्लेषणात्मक ग्राफ: चुनाव



IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — चुनाव

मुख्य परीक्षा दृष्टि: चुनाव विवाद: अनुच्छेद 323B चुनाव विवादों को संभालने के लिए न्यायाधिकरणों के निर्माण की अनुमति देता है। यद्यपि, अभी तक ऐसा कोई न्यायाधिकरण मौजूद नहीं है।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: चुनाव • चुनाव की विधियाँ • 2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व • अन्य संवैधानिक प्रावधान • भारत में चुनाव के प्रकार | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1997

5. उपचुनाव

- **उद्देश्य:** नियमित चुनावों के मध्य रिक्तियों को भरना।
- **आचरण:** विशिष्ट मामलों को छोड़कर, रिक्ति के छह महीने के भीतर होना चाहिए।
- **भागीदारी:** राजनीतिक दलों को चुनावी शक्ति का परीक्षण करने की अनुमति देता है।

भारत में चुनाव मशीनरी के घटक

• स्वतंत्र चुनाव आयोग
  - **संवैधानिक प्राधिकरण:** सरकार के प्रभाव से स्वतंत्र स्वायत्त निकाय।
  - **मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी):** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

• प्रमुख निर्वाचन अधिकारी
  - **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ):**चुनाव आयोग द्वारा नामित तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश में चुनावों का पर्यवेक्षण करता है (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950)।
  - **जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ):** जिला स्तर पर चुनावों का प्रबंधन करता है तथा सीईओ को रिपोर्ट करता है (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950)।
  - **रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ):** संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोजित करता है (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951)।
  - **निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ):** निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है।
  - **पीठासीन अधिकारी:** मतदान केंद्रों पर विदेशी मतदान; केंद्र शासित प्रदेशों में डीईओ या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - **पर्यवेक्षक:** चुनावों कीनिगरानी के लिए चुनाव आयोग द्वारा नामित और इसमें सामान्य, चुनाव व्यय और जागरूकता पर्यवेक्षक सम्मिलित हैं, जिन्हें 1996 में संशोधन द्वारा स्थापित वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

• भारत में चुनाव प्रक्रिया
  - चुनाव लड़ने के लिए योग्यता
    - नागरिकता: भारतीय नागरिक होना चाहिए।
    - आयु: लोकसभा/राज्य विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष; राज्यसभा/राज्य परिषद के लिए 30 वर्ष; पंचायत और नगर पालिका चुनावों के लिए 21 वर्ष।
    - अतिरिक्त योग्यताएँ: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार।
  - **चुनावों की क्रियाविधि:** लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षों में, जब तक कि यह पहले भंग न हो जाएँ।
  - **चुनाव की घोषणा:** चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कुछ सप्ताह पहले करता है, जिससे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।
  - **औपचारिक अधिसूचना:** राष्ट्रपति (लोकसभा के लिए) या राज्यपाल (राज्य विधानसभा के लिए) द्वारा जारी की जाती है,जिससे चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है।
  - **नामांकन पत्र दाखिल करना:** इसमें उम्मीदवार का विवरण और दो पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर शामिल होने चाहिए।

- **शपथ और प्रतिज्ञान:** उम्मीदवार अधिकृत अधिकारियों के समक्ष शपथ लेते हैं।
- **सुरक्षा जमा:** आवश्यक; वैध मतों के 1/6 से कम प्राप्त होने पर जब्त कर लिया जाता है।
- **जाँच:** रिटर्निंग अधिकारी अनुपालन के लिए नामांकन की जाँच करताहै।
- **वापसी:** उम्मीदवार जाँच के बाद दो दिनों के भीतर अपना नाम वापस ले सकते हैं।
- **प्रचार:** उम्मीदवार मतदाताओं के बीच खुद को आगे रखते हैं; मान्यता प्राप्त दल राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया का उपयोग कर सकते हैं।
- आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)
  - दिशा-निर्देश: चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा निष्पक्ष आचरण सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई द्वारा निर्धारित। कानूनी रूप से लागू नहीं।
  - प्रभाव: यह चुनाव की घोषणा के साथ शुरू होता है और परिणाम घोषित होने तक रहता है; उल्लंघन की रिपोर्ट सी-विजिल(C-vigil) ऐप के माध्यम से की जा सकती है।
- मतदान प्रणाली
  - मतदाता सूची: आधिकारिक मतदाता सूची, जिसे प्रत्येक पाँच वर्षों में संशोधित किया जाता है।
  - कैदियों के मतदान अधिकार: दोषी व्यक्ति और विचाराधीन कैदी मतदान नहीं कर सकते; निवारक हिरासत में लिए गए लोग डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं।

• **कारागार अधिनियम, 1894:** भारत में कारागारों को नियंत्रित करता है, तथा राज्य सरकारों को कारागार प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

• **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची, मद 4):** कारागार राज्य का विषय है, इसलिए कारागारों का प्रबंधन और प्रशासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

• **राज्य कारागार नियमावली:** राज्यों के पास दैनिक प्रशासन के लिए अपने स्वयं के कारागार नियमावली हैं।

• **गृह मंत्रालय:** कारागार से संबंधित मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है।

• **आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923:**

• **धारा 6:** पुलिस या सैन्य वर्दी का अनधिकृत उपयोग अपराध माना जाता है।

• **धारा 7:** निषिद्ध स्थानों के पास पुलिस अधिकारियों या सशस्त्र बलों के सदस्यों को बाधा पहुँचाने या गुमराह करने पर रोक लगाती है।

• **शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019:** आग्नेयास्त्रों के दुरुपयोग, खास तौर पर लापरवाही या जश्न मनाने के लिए की जाने वाली गोलीबारी को शामिल करता है। उल्लंघन करने वालों को दो वर्षों तक के कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। (यूपीएससी 2023)

• मतदान प्रक्रिया
  - **समय सारिणी:** चुनाव आयोग मतदान के दिन/तिथि निर्धारित करता है।
  - **मतदान केंद्र:** सार्वजनिक स्थलों पर स्थित; प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1,500 मतदाता।
  - **मतदान पद्धति:** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से गुप्त मतदान।
  - **मतों की गिनती:** रिटर्निंग ऑफिसर और पर्यवेक्षकों द्वारा की जाती है; सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजेता होता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1950, लोक सभा और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को नियंत्रित करता है, मतदाता योग्यता और मतदाता सूचियों की स्थापना करता है।

मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

• **सीट आवंटन और परिसीमन:** जनगणना के आँकड़ों के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है और राष्ट्रपति को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से परामर्श करने के बाद परिसीमन आदेशों में संशोधन करने का अधिकार देता है।

• **मतदाता योग्यता:** मतदाताओं के लिए निम्न योग्यताएँ आवश्यक हैं:
  - भारत का स्थायी निवासी हो।
  - कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

◦ गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता या आपराधिक गतिविधियों जैसे कारणों से कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।

• **मतदाता सूची तैयार करना:** मतदाता सूची तैयार करने, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना, जिसमें ईआरओ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के लिए जिम्मेदार होगा।

• **सीटों का आरक्षण:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण अनिवार्य करता है,जिससे ईसीआई को खास तौर पर विशिष्ट पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने की अनुमति मिलती है।

• **निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की भूमिका:** निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करना।

• **रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका:** चुनाव आयोजित करना और मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करना।

• **अनिवासी भारतीयों के लिए मतदान अधिकार:** 2010 में विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान अधिकार दिया गया।

• आरपीए, 1950 की अनुसूचियाँ

◦ **पहली अनुसूची:** लोक सभा में सीटें आवंटित करती है।

◦ **दूसरी अनुसूची:** विधान सभाओं में कुल सीटों की सूची तैयार करती है।

◦ **तीसरी अनुसूची:** विधान परिषदों में सीटें आवंटित करती है।

◦ **चौथी अनुसूची:** विधान परिषद चुनावों के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को परिभाषित करती है | जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत न आने वाले प्रावधानों पर ध्यान रखने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें चुनावों का संचालन, सदस्यता योग्यताएँ और अयोग्यताएँ, चुनाव अपराध और विवाद समाधान इत्यादि सम्मिलित हैं।

मुख्य प्रावधान

• **प्रशासनिक मशीनरी:** भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित चुनाव कराने के लिए रूपरेखा स्थापित करती है।

• **चुनाव अपराध:** निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भ्रष्ट प्रथाओं और चुनावी अपराधों को परिभाषित करता है।

• **चुनाव विवाद:** चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

• **उप-चुनाव:** उपचुनाव कराने के नियम और रिक्तियों को भरने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करता है।

• **राजनीतिक दलों का पंजीकरण:** चुनावों के बाद राजनीतिक दलों का पंजीकरण अनिवार्य करता है, उन्हें राष्ट्रीय, राज्य या गैर-मान्यता प्राप्त के रूप में वर्गीकृत करता है।

योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ

• **योग्यताएँ:**

◦ **मतदाता की स्थिति:** संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए।

◦ **आरक्षित सीटें:** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए।

◦ **आयु:** लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा पंचायत एवं नगरपालिका चुनावों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्यताएँ [यूपीएससी 2020]

◦ **कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि (धारा 8):** यदि निम्नलिखित सजा दी जाए तो अयोग्य घोषित किया जाएगा:

■ निर्दिष्ट अपराधों के लिए 2+ वर्ष।

■ रिश्वतखोरी, चुनाव संबंधी अपराध आदि के लिए 6+ महीने।

◦ **भ्रष्ट आचरण (धारा 8ए):** दोषसिद्धि के पश्चात 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

◦ **सरकारी सेवा से बर्खास्तगी (धारा 9):** भ्रष्टाचार या विश्वासघात के कारण बर्खास्त किए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।

◦ **सरकारी अनुबंध (धारा 9ए):** बिना संबंध तोड़े मौजूदा सरकारी अनुबंधों को धारण किए रहने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।

◦ **निगम का प्रबंध एजेंट/प्रबंधक (धारा 10):** यदि सरकारी संबद्ध कंपनियों में प्रबंधकीय पद पर हैं तो अयोग्य घोषित किया जाएगा।

- **चुनाव व्यय दर्ज न करने पर (धारा 10ए):** चुनाव व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत न करने पर 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

कालानुक्रमिक विकास एवं ऐतिहासिक समय-रेखा आरेख: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

1950	2010	1951	2020
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950	मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं	मुख्य प्रावधान	योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

मुख्य परीक्षा दृष्टि: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्यताएँ *[यूपीएससी 2020]*

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 • मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं • मुख्य प्रावधान • योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ • समय सारिणी | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1950, 2010, 1951, 2020

- **चुनाव आयोग की शक्तियाँ:** सदस्यों की अयोग्यता की जाँच।
- **जाँच और संतुलन:**
  - **चुनाव विवाद प्रबंधन:** विवादों को संभालता है और भ्रष्ट आचरण की जाँच करता है।
  - **सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र:** चुनावी मामलों पर सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है।
- **चुनाव विवाद प्रावधान:**
  - **चुनाव याचिकाओं की सुनवाई:** चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित करता है।
  - **वापसी और उपशमन:** चुनाव याचिकाओं की वापसी और उपशमन के लिए शर्तों की रूपरेखा तैयार करता है।
  - **लागत और सुरक्षा:** चुनाव याचिकाओं से जुड़ी लागतों और लागतों के लिए सुरक्षा को निर्दिष्ट करता है।
  - **अपील:** चुनाव मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है।

परिसीमन

परिभाषा: परिसीमन जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाने के लिए चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया है। भारत में, इसमें लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करना शामिल है, जिससे सीटों का आवंटन प्रभावित होता है। उदाहरण: दिल्ली में 7 लोकसभा और 70 विधानसभा क्षेत्र हैं।

- संवैधानिक प्रावधान
  - **अनुच्छेद 82 :** संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करना चाहिए, तथा परिसीमन आयोग की स्थापना करनी चाहिए।
  - **अनुच्छेद 170 :** प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को इसीप्रकार निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - भारत में, परिसीमन आयोगों का गठन चार बार किया गया है। (यूपीएससी 2024)
  - **पहला परिसीमन आयोग:** 1950-51 में आयोजित किया गया; परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया।
  - **अन्य परिसीमन आयोग:** 1963, 1973, 2002।
  - **42वाँ संशोधन अधिनियम (1976):** 2000 तक सीट आवंटन पर रोक लगा दी गई।
  - **84वाँ संशोधन अधिनियम (2001):** 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया।
  - **87वाँ संशोधन अधिनियम (2003):** 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रदान किया गया, सीट संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया।
  - भविष्य का परिसीमन 2026 के बाद अगली जनगणना के बाद किया जाएगा।
- **संरचना और नियुक्ति:**

- **अध्यक्ष:** सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, संसदीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित।
- **कार्य:** निर्वाचन क्षेत्र की आबादी को समान बनाता है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटों की पहचान करता है।
- **शक्तियाँ:** अनुशंसा लोकसभा और राज्य विधानसभाओंकोप्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन अपरिवर्तनीय होते हैं। विवाद की स्थिति में बहुमत की राय ही मान्य होती है। अनुशंसा में कानून का बल होता है और उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **प्रक्रिया:** हर दस साल के अंतराल में, एक परिसीमन अधिनियम बनाया जाता है। आयोग जनसांख्यिकीय डेटा और वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा करता है, हितधारकों से परामर्श करता है। मूल्यांकन/सुझावों को शामिल किया जाता है, और अंतिम रिपोर्ट आधिकारिक राजपत्रों में प्रकाशित की जाती है। अंतिम आदेश राष्ट्रपति के संचार पर प्रभावी होता है, जो आगामी चुनावों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।
- **नोट:** परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग की अनुशंसा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जब परिसीमन आयोग के अनुशंसा को लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे अनुशंसा में कोई संशोधन नहीं कर सकते। (UPSC 2012) जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **पिछला शासन:**लोकसभा सीटपरिसीमन भारतीय संविधान के अनुसार किया गया; विधानसभा सीट परिसीमन जम्मू और कश्मीर संविधान द्वारा शासित था।
- **आयोग की स्थापना:** मार्च 2020 में, 5 अगस्त 2019 को **अनुच्छेद 370** के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।

• मुख्य अनुशंसाएँ

- **विधानसभा सीटें:** 83 से बढ़कर 90 हो गईं(जम्मू के लिए 6 अतिरिक्त, कश्मीर के लिए 1)।
- **संसदीय निर्वाचन क्षेत्र:** पाँच निर्वाचन क्षेत्र समान रूप से विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं।
- **आरक्षित सीटें:** अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए सात, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए नौ, साथ ही कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक।
- **निर्वाचन क्षेत्र समायोजन:** 28 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए; 19 मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों को हटा दिया गया।
- **कानूनी मान्यता:** सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की स्थापना को वैध माना।

• चुनाव से संबंधित अन्य कानून

- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952: भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के लिए चुनावों को नियंत्रित करता है।
- **संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959:** संसद सदस्यता के लिए कुछ सरकारी कार्यालयों को अयोग्यता से छूट देता है।
- **संघ शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम, 1963:**कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए विधान सभाओंऔर मंत्रिपरिषदों की स्थापना करता है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 1976: संसदीय प्रतिनिधित्व के लिए जाति और जनजाति सूची का प्रबंधन करता है।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991: दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिपरिषद के लिए विधायी प्रावधानों का समर्थन करता है।

• चुनाव से संबंधित नियम

- **निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960:** मतदाता सूची तैयार करना और प्रकाशित करना।
- **चुनाव संचालन नियम, 1961:** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।
- **एक साथ सदस्यता निषेध नियम, 1950:** कई विधायी निकायों में सदस्यता को विनियमित करता है।
- लोकसभा और राज्यसभा के लिए अयोग्यता नियम (1985): दलबदल प्रावधानों को लागू करता है।
- **राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974:** चुनाव प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।
- **संपत्ति घोषणा नियम (2004):** संसदीय सदस्यों के लिए संपत्ति प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता है।

दल-बदल विरोधी कानून

1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किए गए दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना तथा भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में दलीय अनुशासन सुनिश्चित करना है।

52वाँ संशोधन अधिनियम (1985)

- **संशोधित अनुच्छेद:** 101, 102, 190, 191
  - **अनुच्छेद 101 :** सीटों की रिक्ति (संसद)।
  - **अनुच्छेद 102 :** सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ (संसद)।
  - **अनुच्छेद 190 :** सीटों की रिक्ति (राज्य विधानमंडल)।
  - **अनुच्छेद 191 :** सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ (राज्य विधानमंडल)।
- **अन्य प्रावधान:** दसवीं अनुसूची में दल-बदल के कारण अयोग्यता के आधारों का विवरण दिया गया है। (यूपीएससी 2014) दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान
- अयोग्यता का मानदंड
  - **राजनीतिक दल के सदस्य:** अयोग्य घोषित किये जायेंगे यदि:
    - स्वेच्छा से पार्टी से इस्तीफा देने पर।
    - बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करना, जब तक कि 15 दिनों के भीतर ऐसा करने पर क्षमा न कर दी जाए।
  - **स्वतंत्र सदस्य:** चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्य घोषित किए जाएँगे।
  - **मनोनीत सदस्य:** नियुक्ति के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्य घोषित किए जाएँगे। (यूपीएससी 2022)
- **अपवाद:**
  - **विलय:** यदि कोई सदस्य दो-तिहाई सदस्यों द्वारा सहमत विलय के कारण बाहर निकलता है तो अयोग्यता लागू नहीं होती है।
  - **पीठासीन अधिकारी:** पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं।
- **न्यायनिर्णयन और अधिकार:** सदन का पीठासीन अधिकारी (राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष) अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेता है, जिसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती। [यूपीएससी 2022]
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (किहोतो होलोहन मामला, 1993): अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं।
- **नियम बनाने की शक्ति:** पीठासीन अधिकारी दसवीं अनुसूची के लिए नियम बना सकता है, जो 30 दिनों के भीतर सदन की मंजूरी के अधीन है।
  - शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए, जिससे आरोपी सदस्य को निर्णय लेने से पहले जवाब देने का मौका मिल सके।
- **व्हिप की भूमिका:** सदन में पार्टी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सदस्यों के व्यवहार की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार। व्हिप की अवहेलना करने वाले सदस्यों पर दलबदल विरोधी कानून के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

91वाँ संशोधन अधिनियम (2003)

- **अनुच्छेद 75 (1ए):** प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **अनुच्छेद 75 (1बी):** दल-बदल के कारण अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों को फिर से निर्वाचित होने तक मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 164 (1ए):** मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 12 मंत्री (दिल्ली में 10%) होने चाहिए।
- **अनुच्छेद 164 (1बी):** दल-बदल के कारण अयोग्य घोषित किए गए राज्य विधानमंडल के सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य हैं।
- **अनुच्छेद 361बी :** दल-बदल के कारण अयोग्य घोषित किए गए सदस्य कोई लाभकारी राजनीतिक पद नहीं रख सकते।
- **दसवीं अनुसूची:** विधायक दल के 1/3 सदस्यों के विभाजन के कारण अयोग्य घोषित किए जाने से छूट को हटा दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामले

- **किहोतो होलोहन बनाम जचिल्हु (1992):** अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की पुष्टि की गई।
- **रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994):** "स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने" का अर्थ स्पष्ट किया।
- **जी. विश्वनाथन बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु (1996):** पार्टियों सेनिष्कासित सदस्यों को असंबद्ध सदस्यों के रूप में दर्जा प्राप्त रहता है।

• **श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम कर्नाटक (2019):** विश्वास मत के दौरान विधायक व्हिप से बंधे नहीं होते; अयोग्यता मामलों के लिए न्यायाधिकरण की सिफारिश की।

• **के शम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर (2020):** अधिक स्वतंत्र न्याय निर्णय प्रक्रिया के लिए संवैधानिक संशोधनों का सुझाव दिया।

संकल्पनात्मक संरचना एवं मुख्य घटक आरेख: दल-बदल विरोधी कानून

1. दल-बदल विरोधी कानून

2. सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामले

3. अधिनियम,

4. निर्वाचक पंजीकरण नियम,

IUC गहन अध्ययन एवं परीक्षा सारांश कैप्सूल — दल-बदल विरोधी कानून

मुख्य परीक्षा दृष्टि: के शम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर (2020): अधिक स्वतंत्र न्याय निर्णय प्रक्रिया के लिए संवैधानिक संशोधनों का सुझाव दिया।

इस पृष्ठ के प्रमुख की-वर्ड्स: दल-बदल विरोधी कानून • सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामले • अधिनियम, • निर्वाचक पंजीकरण नियम, • चुनाव संचालन नियम, | **प्रमुख तिथियाँ/कालखंड:** 1963, 1976, 1991, 1960, 1961

वैश्विक परिदृश्य

कई देशों में दल-बदल विरोधी कानून विद्यमान हैं, जिनमें सम्मिलित हैं:

• **बांग्लादेश:** **अनुच्छेद 70** के अनुसार पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य है।

• **के न्या:** **अनुच्छेद 40** के अनुसार पार्टी छोड़ने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य है।

• **सिंगापुर:** **अनुच्छेद 46** और 48 में त्यागपत्र या निष्कासन पर अयोग्यता की शर्तें बताई गई हैं।

• **दक्षिण अफ्रीका:** **अनुच्छेद 47** के अनुसार यदि कोई सदस्य अपनी मनोनीत पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। चुनाव सुधार से संबंधित महत्त्वपूर्ण समितियाँ वर्ष समिति/आयोग अनुशंसा/सिफारिशें 1974 तारकुंडे समिति चुनावी कदाचार पर अंकुश लगाना 1975 जे.पी. समिति चुनावी सुधारों के लिए जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित 1983 वोहरा समिति अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़; आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश 1990 दिनेश गोस्वामी समिति चुनावी सुधारों में चुनावी फं डिंग में पारदर्शिता पर जोर दिया गया 1993 वोहरा समिति अपराध और राजनीति के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया; चुनावों में आपराधिक प्रभाव को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश की गई 1998 इंद्रजीत गुप्ता समिति धन-शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए चुनावों में आंशिक राज्य वित्त पोषण की सिफारिश की गई 2001-2002 संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में; संवैधानिक समीक्षा में चुनावी सुधारों पर चर्चा की गई 2004 जीवन रेड्डी समिति चुनावी कानूनों की समीक्षा की और सुधार के लिए सिफारिशें कीं 2007 दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में; चुनाव सुधार और शासन में नैतिकता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई 2010 तंखा समिति चुनाव कानून और सुधार 2014 जे.एस. वर्मा समिति चुनावी उम्मीदवारों से संबंधित आपराधिक कानूनों में संशोधन का सुझाव 2023 रामनाथ कोविंद समिति एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति

विशेष अध्ययन मॉड्यूल 1: प्रस्तावना, मूल अधिकार (भाग-III), नीति निदेशक तत्व (भाग-IV) एवं मूल कर्तव्य

मूल ढाँचे का सिद्धांत (केशवानंद भारती वाद), अनुच्छेद 12-35, DPSP का वर्गीकरण एवं अनुच्छेद 51A

संविधान के दर्शन का चतुर्भुज: प्रस्तावना, मूल अधिकार, DPSP एवं मूल कर्तव्य

• 1. प्रस्तावना (Preamble) एवं संशोधन

उद्देश्य प्रस्ताव (13 दिसंबर 1946 — नेहरू) पर आधारित। 42वें संशोधन (1976) द्वारा 3 शब्द जोड़े गए: 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता'। केशवानंद भारती वाद (1973): प्रस्तावना संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, किंतु मूल ढाँचा नष्ट नहीं किया जा सकता।

• 2. मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35 — भाग III)

समता का अधिकार (14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (19-22), शोषण के विरुद्ध (23-24), धार्मिक स्वतंत्रता (25-28), संस्कृति व शिक्षा (29-30), संवैधानिक उपचार (32 — डॉ. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा)। 44वें

संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति का अधिकार (31) हटाकर अनुच्छेद 300A (विधिक अधिकार) बनाया गया।

• 3. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP: 36-51)

गैर-न्यायोचित (अनुच्छेद 37), कल्याणकारी राज्य की स्थापना। समाजवादी (38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47), गांधीवादी (40 ग्राम पंचायत, 43 कुटीर उद्योग, 43B सहकारी, 46, 47, 48 गोवध निषेध), उदार-बौद्धिक (44 UCC, 45, 48A पर्यावरण, 49, 50 कार्यपालिका-न्यायपालिका पृथक्करण, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति)।

• 4. मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A — भाग IVA)

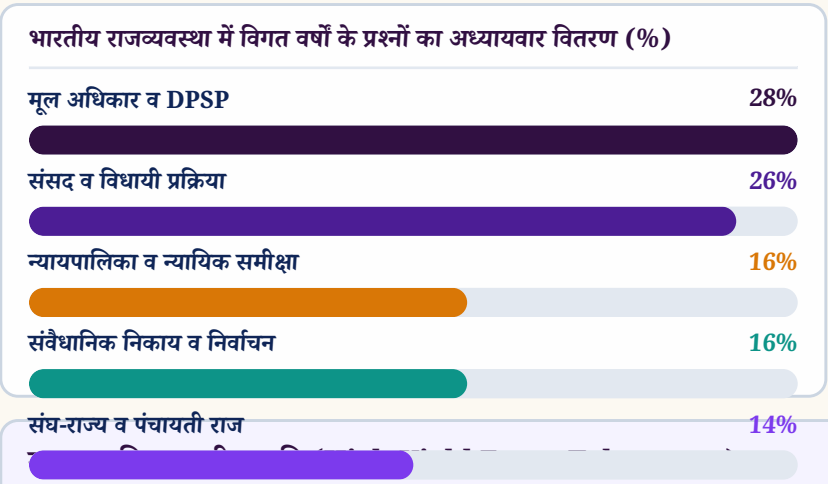
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा 10 मूल कर्तव्य (सोवियत संघ से प्रेरित) जोड़े गए; 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वाँ कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर) जोड़ा गया।

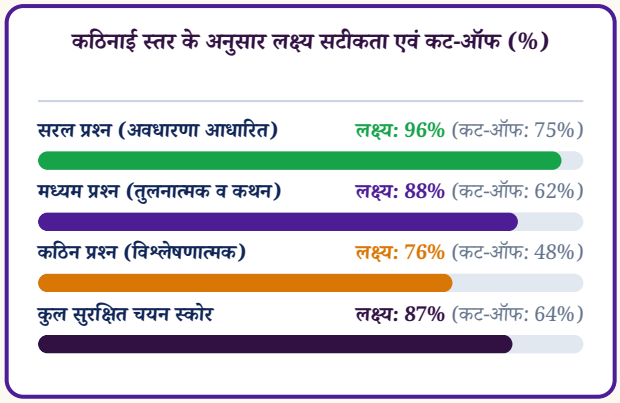
तुलनात्मक विश्लेषण एवं परीक्षा मास्टर सारणी

तुलना बिंदु	मूल अधिकार (Fundamental Rights)	नीति निदेशक तत्व (DPSP)
संवैधानिक स्थान एवं स्रोत	भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35); अमेरिका (USA) से प्रेरित	भाग-IV (अनुच्छेद 36 से 51); आयरलैंड के संविधान से प्रेरित
प्रकृति (Nature)	नकारात्मक (राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं) एवं व्यक्तिवादी	सकारात्मक (राज्य को नीति निर्माण में निर्देश देते हैं) एवं समाजवादी
न्यायोचितता (Justiciability)	न्यायोचित हैं; उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 (SC) व 226 (HC) के तहत प्रवर्तनीय	गैर-न्यायोचित हैं (अनुच्छेद 37); न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते
लोकतंत्र का स्वरूप	राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं	सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र (कल्याणकारी राज्य) की स्थापना करते हैं
कानूनी प्रवर्तन	स्वतः प्रवर्तित हैं; अधिकांश के लिए अलग विधान की आवश्यकता नहीं	स्वतः लागू नहीं होते; इन्हें लागू करने हेतु संसद को कानून बनाना पड़ता है
टकराव की स्थिति (मिनर्वा मिल्स 1980)	मूल अधिकार व DPSP एक ही रथ के दो पहिए हैं (संतुलन मूल ढाँचा है)	अनुच्छेद 39(b) व 39(c) को अनुच्छेद 14 व 19 पर प्राथमिकता प्राप्त है

डेटा ग्राफ एवं प्रमुख अध्ययन बिंदु: प्रस्तावना, मूल अधिकार (भाग-III), नीति निदेशक तत्व (भाग-IV) एवं मूल कर्तव्य

IUC Academy • उच्च-उपज तथ्य एवं स्मृति सूत्र





परीक्षा तथ्य #1: अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र केवल 'मूल अधिकारों' तक सीमित है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य विधिक अधिकारों' के लिए भी रिट जारी कर सकता है; अतः रिट के मामले में HC का क्षेत्राधिकार SC से व्यापक है।

परीक्षा तथ्य #2: मेनका गांधी वाद (1978) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 ('विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया') में 'यथोचित विधि प्रक्रिया (Due Process of Law / नैसर्गिक न्याय)' को समाहित करते हुए जीवन के अधिकार को अत्यंत व्यापक बनाया।

IUC स्पेशल स्मृति ट्रिक्स (Memory Mnemonics)

1. संविधान की 12 अनुसूचियों की प्रसिद्ध ट्रिक: ट्रिक: 'TEARS OF OLD PM' — T=Territories (संघ व राज्य), E=Emoluments (वेतन/भत्ते), A=Affirmations (शपथ), R=Rajya Sabha (सीट आवंटन), S=Scheduled Areas (5वीं), O=Other Tribal Areas (6वीं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम — AMTM), F=Federal Lists (सूचियाँ), O=Official Languages (22 भाषाएँ), L=Land Reforms (9वीं), D=Defection (10वीं दल-बदल), P=Panchayats (11वीं, 29 विषय), M=Municipalities (12वीं, 18 विषय)।

2. केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार: ट्रिक: '15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को' — अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं (विदेशियों को नहीं)। राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते (44वाँ संशोधन 1978)।

विशेष अध्ययन मॉड्यूल 2: संसद, राष्ट्रपति, विधायी प्रक्रिया एवं सर्वोच्च संवैधानिक निकाय

राष्ट्रपति की वीटो व क्षमादान शक्तियाँ, संसदीय प्रस्ताव, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया एवं संवैधानिक पद

भारतीय संसदीय प्रणाली में विधेयकों के प्रकार एवं पारित होने का तंत्र

• 1. साधारण विधेयक (अनुच्छेद 107) बनाम संयुक्त बैठक (108)

किसी भी सदन में प्रस्तुत; गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष → राज्यसभा उपसभापति; राज्यसभा सभापति कभी अध्यक्षता नहीं करता) करता है।

• 2. धन विधेयक (110) एवं वित्त विधेयक (117)

सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक का अंतिम प्रमाणन लोकसभा अध्यक्ष करता है। बजट (अनुच्छेद 112 — वार्षिक वित्तीय विवरण) संवैधानिक शब्द है।

• 3. राष्ट्रपति की वीटो (अनुच्छेद 111) एवं अध्यादेश (123) शक्ति

आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो (धन विधेयक पर नहीं) और पॉकेट वीटो (समय सीमा का अभाव)। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश (अधिकतम अवधि: 6 माह + 6 सप्ताह)। अनुच्छेद 72: क्षमादान (मृत्युदंड व सेना न्यायालय सहित)।

• 4. उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 124-147)

मूल क्षेत्राधिकार (131 — संघ-राज्य विवाद), रिट (32), अपीलीय (132-136), सलाहकारी (143 — राष्ट्रपति को परामर्श), अभिलेख न्यायालय (129) और न्यायिक पुनरावलोकन (137)।

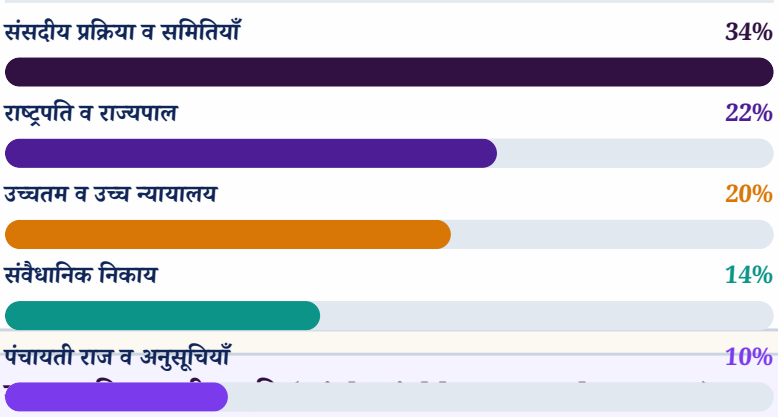
तुलनात्मक विश्लेषण एवं परीक्षा मास्टर सारणी

संवैधानिक निकाय	अनुच्छेद	नियुक्ति एवं कार्यकाल	पद से हटाने की प्रक्रिया एवं विशेष प्रावधान
निर्वाचन आयोग (ECI)	अनुच्छेद 324	राष्ट्रपति द्वारा (चयन समिति: PM + केंद्रीय मंत्री + लोकसभा विपक्ष नेता); 6 वर्ष या 65 वर्ष	मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान (संसद के विशेष बहुमत से) हटाया जाता है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)	अनुच्छेद 148-151	राष्ट्रपति द्वारा; 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं)	SC के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है; लोक लेखा समिति (PAC) का मित्र व मार्गदर्शक
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)	अनुच्छेद 315-323	राष्ट्रपति द्वारा; 6 वर्ष या 65 वर्ष (SPSC के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष)	कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है (अनुच्छेद 317)
वित्त आयोग (Finance Commission)	अनुच्छेद 280	राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर (1 अध्यक्ष + 4 सदस्य); 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढिया	केंद्र और राज्यों के मध्य करों के ऊर्ध्वाधर (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) वितरण की सिफारिश
महान्यायवादी (Attorney General)	अनुच्छेद 76	राष्ट्रपति द्वारा (SC का न्यायाधीश बनने की योग्यता); राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण	संसद के दोनों सदनों व समितियों की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार (अनुच्छेद 88), किंतु मतदान का अधिकार नहीं

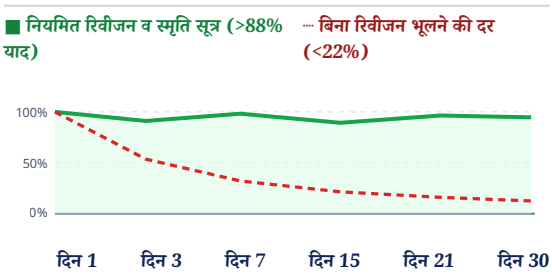
डेटा ग्राफ एवं प्रमुख अध्ययन बिंदु: संसद, राष्ट्रपति, विधायी प्रक्रिया एवं सर्वोच्च संवैधानिक निकाय

IUC Academy • उच्च-उपज तथ्य एवं स्मृति सूत्र

संसद, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका खंड में प्रश्नों का सापेक्षिक भार (%)



नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



परीक्षा तथ्य #1: 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) द्वारा लोकसभा (अनुच्छेद 330A), दिल्ली विधानसभा (239AA) और राज्य विधानसभाओं (332A) में महिलाओं के लिए 1/3 (33%) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

परीक्षा तथ्य #2: अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion — नियम 198) केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है (50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक) और इसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होता; पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

IUC स्पेशल स्मृति ट्रिक्स (Memory Mnemonics)

1. संविधान के विदेशी स्रोत याद रखने की ट्रिक: ट्रिक: 'ब्रिटेन = संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन व रिट; अमेरिका = मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति व महाभियोग; आयरलैंड = DPSP व राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल; कनाडा = सशक्त केंद्र व अवशिष्ट शक्तियाँ; ऑस्ट्रेलिया = समवर्ती सूची व संयुक्त बैठक (108)'।

2. राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल बनाम महाभियोग में शामिल सदस्य: ट्रिक: 'निर्वाचन (अनुच्छेद 54) = केवल निर्वाचित सदस्य (लोकसभा + राज्यसभा + राज्य विधानसभाएँ + दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाएँ)'; 'महाभियोग (अनुच्छेद 61) = संसद (लोकसभा + राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत दोनों); राज्य विधानसभाएँ शामिल नहीं होतीं'।

विशेष अध्ययन मॉड्यूल 3: भारतीय संसद: विधायी प्रक्रिया, संसदीय समितियाँ एवं बजट सत्र विश्लेषण

लोकसभा बनाम राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, धन विधेयक बनाम वित्त विधेयक एवं संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 79–122)

भारतीय संसदीय प्रणाली के 4 मुख्य कार्यात्मक स्तंभ

• 1. संसद की संरचना (अनु. 79)

राष्ट्रपति + राज्यसभा (अनु. 80: अधिकतम 250 सदस्य) + लोकसभा (अनु. 81: अधिकतम 550 सदस्य, 104वें संशोधन से आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त)।

• 2. विधेयकों के प्रकार

साधारण विधेयक (अनु. 107), धन विधेयक (अनु. 110 — केवल लोकसभा में प्रस्तुत, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम), वित्त विधेयक (अनु. 117), संविधान संशोधन (अनु. 368)।

• 3. संयुक्त बैठक (अनु. 108)

राष्ट्रपति द्वारा आहूत, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता; केवल साधारण व वित्त विधेयक पर (धन विधेयक व संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं)।

• 4. वित्तीय समितियाँ

लोक लेखा समिति (22 सदस्य: 15 लो.स. + 7 रा.स.; CAG रिपोर्ट की जाँच), प्राक्कलन समिति (30 सदस्य — सभी लोकसभा से), सार्वजनिक उपक्रम समिति (22 सदस्य)।

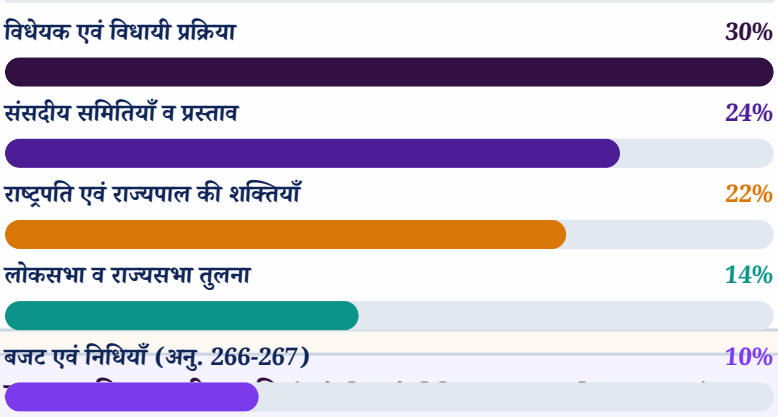
तुलनात्मक विश्लेषण एवं परीक्षा मास्टर सारणी

तुलनात्मक आधार	धन विधेयक (अनुच्छेद 110)	साधारण विधेयक (अनुच्छेद 107)	संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368)
प्रस्तुति का सदन	केवल लोकसभा में	लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में	लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति	अनिवार्य (केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत)	अनिवार्य नहीं (मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य)	पूर्वानुमति आवश्यक नहीं
राज्यसभा की शक्ति	अधिकतम 14 दिन रोक सकती है; संशोधन बाध्यकारी नहीं	6 माह तक रोक सकती है; समान शक्ति	लोकसभा के समान शक्ति (अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य)
संयुक्त बैठक (अनु. 108)	कोई प्रावधान नहीं	गतिरोध पर राष्ट्रपति बुला सकते हैं	कोई प्रावधान नहीं (समान शक्ति के कारण)
राष्ट्रपति की अनुमति	स्वीकृति देते हैं या रोकते हैं (पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते)	स्वीकृति, रोकना या पुनर्विचार हेतु लौटाना	24वें संशोधन (1971) के अनुसार राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु बाध्य हैं

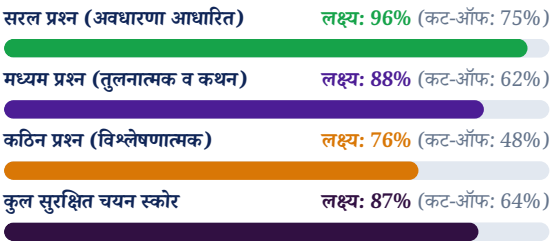
डेटा ग्राफ एवं प्रमुख अध्ययन बिंदु: भारतीय संसद: विधायी प्रक्रिया, संसदीय समितियाँ एवं बजट सत्र विश्लेषण

IUC Academy • उच्च-उपज तथ्य एवं स्मृति सूत्र

संसद एवं संघीय कार्यपालिका अध्याय से प्रश्न वितरण (%)



कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



परीक्षा तथ्य #1: राज्यसभा की दो अनन्य शक्तियाँ हैं — अनुच्छेद 249 (राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाने का अधिकार देना) और अनुच्छेद 312 (नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन)।

परीक्षा तथ्य #2: भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266(1)) से कोई भी धन संसद द्वारा विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114) पारित किए बिना नहीं निकाला जा सकता, जबकि आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) राष्ट्रपति के अधीन होती है।

परीक्षा तथ्य #3: अविश्वास प्रस्ताव (नियम 198) केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।

IUC स्पेशल स्मृति ट्रिक्स (Memory Mnemonics)

1. रीट (Writs — अनुच्छेद 32 व 226) के 5 प्रकार: ट्रिक: 'बंदी प्रत्यक्षीकरण (सशरीर प्रस्तुत करना — निजी व सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध), परमादेश (हम आदेश देते हैं — सार्वजनिक कर्तव्य), प्रतिषेध (रोकना — अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही के दौरान), उत्प्रेषण (प्रमाणित होना — निर्णय रद्द करना), अधिकार-पृच्छा (किस अधिकार से पद धारण किया)'।

2. धन विधेयक (110) बनाम साधारण विधेयक बनाम संविधान संशोधन (368): ट्रिक: 'धन विधेयक = राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, केवल लोकसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन, संयुक्त बैठक नहीं, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते'। 'संविधान संशोधन (368) = किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक नहीं, राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य (24वाँ संशोधन 1971)'।

विशेष अध्ययन मॉड्यूल 4: भारतीय न्यायपालिका, संघवाद एवं प्रमुख संवैधानिक-गैर संवैधानिक निकाय

सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124–147), न्यायिक पुनर्विलोकन, केंद्र-राज्य संबंध एवं निर्वाचन आयोग/CAG/UPSC

एकीकृत न्यायपालिका एवं संवैधानिक नियंत्रण तंत्र

• 1. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार

मूल क्षेत्राधिकार (अनु. 131), रिट (अनु. 32), अपीलीय (अनु. 132-136), सलाहकारी (अनु. 143), अभिलेख न्यायालय (अनु. 129) व न्यायिक पुनरावलोकन (अनु. 137)।

• 2. कॉलेजियम प्रणाली विकास

प्रथम न्यायाधीश मामला (1981), द्वितीय (1993), तृतीय (1998: CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश), चतुर्थ (2015: 99वाँ संशोधन व NJAC असंवैधानिक घोषित)।

• 3. केंद्र-राज्य संबंध (भाग 11-12)

विधायी (अनु. 245-255), प्रशासनिक (अनु. 256-263: अंतर्राज्यीय परिषद), वित्तीय (अनु. 268-293: वित्त आयोग अनु. 280); सरकारिया (1983) व पुंछी आयोग (2007)।

• 4. प्रमुख संवैधानिक निकाय

निर्वाचन आयोग (अनु. 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनु. 315), वित्त आयोग (अनु. 280), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग आयोग (अनु. 338, 338A, 338B), CAG (अनु. 148)।

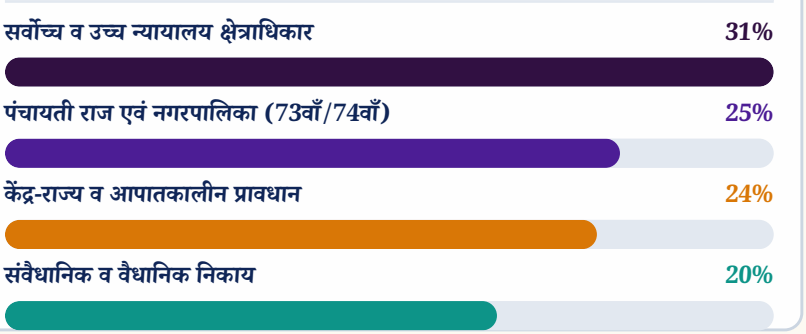
तुलनात्मक विश्लेषण एवं परीक्षा मास्टर सारणी

संवैधानिक निकाय	अनुच्छेद	नियुक्ति एवं कार्यकाल	प्रमुख संवैधानिक कार्य एवं स्वतंत्रता
भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)	अनु. 148–151	राष्ट्रपति द्वारा; 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु	सार्वजनिक धन का संरक्षक; केंद्र व राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा; पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)	अनु. 324	राष्ट्रपति द्वारा (चयन समिति की सिफारिश पर); 6/65 वर्ष	संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनावों का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण
वित्त आयोग (Finance Commission)	अनु. 280	राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर (अध्यक्ष + 4 सदस्य)	केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण एवं सहायता अनुदान (अनु. 275) की सिफारिश
महान्यायवादी (Attorney General)	अनु. 76	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (कोई निश्चित कार्यकाल नहीं)	भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी; संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार (मतदान का नहीं — अनु. 88)

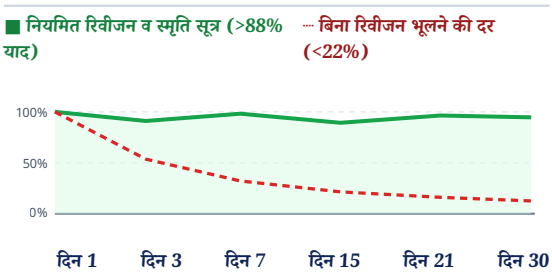
डेटा ग्राफ एवं प्रमुख अध्ययन बिंदु: भारतीय न्यायपालिका, संघवाद एवं प्रमुख संवैधानिक-गैर संवैधानिक निकाय

IUC Academy • उच्च-उपज तथ्य एवं स्मृति सूत्र

न्यायपालिका, पंचायती राज एवं संवैधानिक निकायों से प्रश्न भार (%)



नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



उच्च-प्राथमिकता परीक्षा दृष्टि (High-Yield Exam Takeaways)

परीक्षा तथ्य #1: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'मूल ढाँचे का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया, जिसके तहत संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती।

परीक्षा तथ्य #2: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा भाग-9 (अनुच्छेद 243 से 243-O) और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई; पेसा अधिनियम (PESA Act, 1996) के माध्यम से इसे पांचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित किया गया।

IUC स्पेशल स्मृति ट्रिक्स (Memory Mnemonics)

1. पंचायती राज की प्रमुख समितियाँ (कालक्रम): ट्रिक: 'बलवंत अशोक जीवीके ने एल.एम. सिंघवी को थुंगन और गाडगिल से मिलाया' — बलवंत राय मेहता (1957, त्रि-स्तरीय), अशोक मेहता (1977, द्वि-स्तरीय), जी.वी.के. राव (1985), एल.एम. सिंघवी (1986, संवैधानिक दर्जा), थुंगन (1988), गाडगिल (1988)।

2. आपातकालीन प्रावधान (भाग 18: 352, 356, 360): ट्रिक: 'राष्ट्रीय आपातकाल (352) = मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, 1 माह में विशेष बहुमत से अनुमोदन; राष्ट्रपति शासन (356) = 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन, अधिकतम 3 वर्ष; वित्तीय आपातकाल (360) = 2 माह में साधारण बहुमत, एक बार अनुमोदन के बाद अनिश्चित काल तक (भारत में आज तक कभी नहीं लगा)'।

IUC Academy विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं अभ्यास खंड — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

गहन परीक्षा-उन्मुख विश्लेषण • तुलनात्मक सारणियाँ • महत्वपूर्ण सूत्र • व्याख्या सहित हल प्रश्न

प्रामाणिक आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Official Reference Portals): विधायी विभाग — भारत का संविधान (आधिकारिक पाठ) • डिजिटल संसद पोर्टल (Sansad.in) • भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय • पंचायती राज मंत्रालय — 73वाँ संविधान संशोधन

प्रकाशन एवं शैक्षणिक संकलन: इनक्लूसिव यूनिवर्सल करियर्स अकादमी (Inclusive Universal Careers Academy - IUC Academy) के अभ्यर्थियों एवं सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई 100% मौलिक, कॉपीराइट-मुक्त एवं शुद्ध देवनागरी हिंदी अध्ययन सामग्री।

प्रामाणिक स्रोत एवं संदर्भ आधार: प्रस्तुत ग्रंथ के समस्त संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और संशोधन **विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (Legislative Department)**, **भारतीय संसद के आधिकारिक पोर्टल (Digital Sansad)**, **भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)**, तथा **पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)** के आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित हैं।

भाग 1: भारतीय राजव्यवस्था के आधारभूत स्तंभ (अध्याय 1 से 11)

अध्याय 1: भारत का संवैधानिक विकास (1773 – 1947)

भारत में आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था का विकास दो प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जाता है: **ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम (1773–1853)** तथा **ब्रिटिश ताज (क्राउन) के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम (1858–1947)** (भारतीय संविधान - विधायी विभाग)।

1.1 कंपनी का शासन (1773 – 1853)

• **1773 का रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773):** ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया यह प्रथम संसदीय कदम था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' पदनाम दिया गया और **लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स** प्रथम गवर्नर-जनरल बने। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठित की गई। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत **1774 ई. में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)** की स्थापना की गई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इम्पे) और 3 अन्य न्यायाधीश (चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड) थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया।

• **1781 का संशोधन अधिनियम (Act of Settlement, 1781):** 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की व्यावहारिक खामियों को दूर करने के लिए पारित इस अधिनियम को 'बंगाल जुडिकेचर एक्ट' भी कहा जाता है। इसने गवर्नर-जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया और राजस्व संबंधी मामलों को भी न्यायालय के दायरे से बाहर रखा।

• **1784 का पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India Act of 1784):** इस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक (व्यापारिक) और राजनीतिक कार्यों को एक-दूसरे से पृथक कर दिया। व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की शक्ति 'निदेशक मंडल' (Court of Directors) के पास रहने दी गई, जबकि राजनीतिक और सैन्य मामलों के प्रबंधन के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय एक नए निकाय **'नियंत्रण बोर्ड' (Board of Control)** का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में **'द्वैध शासन प्रणाली' (System of Double Government)** का सूत्रपात हुआ। पहली बार कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों को 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' (British Possessions in India) कहा गया।

• **1793 का चार्टर अधिनियम:** गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अधिभावी (Overrule) करने की शक्ति स्थायी रूप से दी गई। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था प्रारंभ हुई, जो 1919 तक जारी रही।

• **1813 का चार्टर अधिनियम:** इस अधिनियम द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु **'चाय के व्यापार' और 'चीन के साथ व्यापार'** पर कंपनी का एकाधिकार सुरक्षित रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आधिकारिक अनुमति दी गई और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष **1 लाख रुपये** व्यय करने का ऐतिहासिक उपबंध किया गया।

• **1833 का चार्टर अधिनियम:** केंद्रीकरण की दिशा में यह निर्णायक कदम था। बंगाल के गवर्नर-जनरल को अब **'भारत का गवर्नर-जनरल'** बना दिया गया और **लॉर्ड विलियम बेंटिंक** भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ (चाय और चीन सहित) पूर्णतः समाप्त कर दी गईं और वह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। गवर्नर-जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में **विधि सदस्य (लॉर्ड मैकाले)** को शामिल किया गया और 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। धारा 87 के तहत सरकारी सेवाओं में धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करने की घोषणा की गई तथा 1843 में दास प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया गया।

• **1853 का चार्टर अधिनियम:** गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पहली बार अलग किया गया। इसके तहत 6 नए विधान पार्षद जोड़े गए, जिसे 'भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद' या 'लघु संसद' कहा गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु **खुली प्रतियोगिता व्यवस्था (Open Competition)** का आरंभ हुआ और 1854 में 'मैकाले समिति' की नियुक्ति की गई। केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व (मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों से 4 सदस्य) प्रारंभ किया गया।

1.2 ताज का शासन (1858 – 1947)

• **1858 का भारत शासन अधिनियम (Act for the Good Government of India):** 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात पारित इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और शासन की समस्त शक्तियाँ ब्रिटिश महारानी (ताज) को हस्तांतरित कर दीं। भारत के गवर्नर-जनरल को अब **'भारत का वायसराय' (Viceroy of India)** कहा जाने लगा और **लॉर्ड कैनिंग** प्रथम वायसराय बने। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई। भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के रूप में **'भारत के राज्य सचिव' (Secretary of State for India)** का पद सृजित किया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 'भारत परिषद' (Council of India) बनाई गई।

• **1861 का भारतीय परिषद अधिनियम:** कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई (1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया)। मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः लौटाकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई **'पोर्टफोलियो प्रणाली' (विभागीय प्रणाली)** को वैधानिक मान्यता मिली और वायसराय को आपातकाल में परिषद की सहमति के बिना **अध्यादेश (Ordinance)** जारी करने की शक्ति (अवधि 6 माह) प्रदान की गई।

• **1892 का भारतीय परिषद अधिनियम:** केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विधान परिषद के सदस्यों को **बजट पर बहस करने** और कार्यपालिका से **प्रश्न पूछने** का अधिकार दिया गया (किंतु पूरक प्रश्न पूछने या मतदान का अधिकार नहीं था)। गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए परोक्ष रूप से चुनाव का सीमित प्रावधान किया गया।

• **1909 का भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार):** इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में **सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा** (विधि सदस्य) की नियुक्ति हुई। इस अधिनियम का सबसे विवादास्पद पहलू मुसलमानों के लिए **'पृथक निर्वाचक मंडल' (Separate Electorate)** की व्यवस्था थी, जिसके कारण लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक' के रूप में जाना गया।

• **1919 का भारत शासन अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार):** केंद्र और प्रांतों के विषयों की पहचान कर उन्हें पृथक किया गया। प्रांतों में **'द्वैध शासन प्रणाली' (Dyarchy)** लागू की गई, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया— (1) **हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects):** जिन पर गवर्नर का शासन होता था और वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता लेता था (जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन); तथा (2) **आरक्षित विषय (Reserved Subjects):** जिन पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी (जैसे- वित्त, पुलिस, न्याय, भूमि कर)। केंद्र में **द्विसदनीय व्यवस्थापिका** (राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा) स्थापित की गई। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियनों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए **केंद्रीय लोक सेवा आयोग** का गठन हुआ और केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया।

• **1935 का भारत शासन अधिनियम:** भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत (लगभग 250 अनुच्छेद इसी से प्रेरित हैं) यही अधिनियम था (भारतीय संविधान - विधायी विभाग)। इसमें 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसने एक 'अखिल भारतीय संघ' की स्थापना का प्रावधान किया (जो रियासतों के शामिल न होने से अस्तित्व में नहीं आ सका)। शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया: **संघीय सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54 विषय) और समवर्ती सूची (36 विषय)**; अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गईं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर **'प्रांतीय स्वायत्तता'** लागू की गई, जबकि **केंद्र में द्वैध शासन** लागू करने का प्रावधान किया गया। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल बनाए गए। **1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** और **1937 में संघीय न्यायालय (Federal Court)** की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।

• **1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम:** ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की 20 फरवरी 1947 की घोषणा और 3 जून 1947 की **माउंटबेटन योजना** के आधार पर पारित इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों (भारत और पाकिस्तान) का सृजन किया, वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियनों में गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया, और दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने तथा किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने की असीमित शक्ति प्रदान की।

अधिनियम / वर्ष	प्रमुख संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रावधान	ऐतिहासिक प्रभाव एवं परीक्षा-उपयोगी मुख्य बिंदु	आधिकारिक संदर्भ
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773	बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' बनाया गया; 4 सदस्यीय परिषद; 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय।	कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास; लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर-जनरल।	विधायी विभाग
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784	व्यापारिक (निदेशक मंडल) एवं राजनीतिक (नियंत्रण बोर्ड - 6 सदस्य) कार्यों का पृथक्करण।	द्वैध शासन का प्रारंभ; कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया।	विधायी विभाग
चार्टर एक्ट, 1813	कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय व चीन को छोड़कर); शिक्षा हेतु ₹1 लाख वार्षिक; ईसाई मिशनरियों को अनुमति।	भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।	विधायी विभाग
चार्टर एक्ट, 1833	बंगाल का गवर्नर-जनरल अब 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना; विधि सदस्य (मैकाले) का समावेश; कंपनी पूर्णतः प्रशासनिक निकाय।	केंद्रीकरण की चरम सीमा; लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने।	विधायी विभाग
चार्टर एक्ट, 1853	गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण; सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता।	6 नए विधान पार्षद जोड़े गए; केंद्रीय विधान परिषद ने 'लघु संसद' की तरह कार्य किया।	विधायी विभाग
भारत शासन अधिनियम, 1858	कंपनी शासन का अंत; ताज का प्रत्यक्ष शासन; गवर्नर-जनरल को 'वायसराय' बनाया गया; भारत राज्य सचिव (15 सदस्यीय परिषद)।	लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने; मुगल सम्राट के पद को औपचारिक रूप से समाप्त किया गया।	विधायी विभाग
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909	मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक निर्वाचक मंडल; वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा)।	मॉर्ले-मिंटो सुधार; सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को वैधानिक मान्यता; पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार।	विधायी विभाग
भारत शासन अधिनियम, 1919	प्रांतों में द्वैध शासन (हस्तांतरित व आरक्षित विषय); केंद्र में द्विसदनीय विधायिका; प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ।	मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार; 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन; प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया।	विधायी विभाग
भारत शासन अधिनियम, 1935	प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता; केंद्र में द्वैध शासन; 3 सूचियाँ (संघीय 59, प्रांतीय 54, समवर्ती 36)।	1937 में संघीय न्यायालय व 1935 में RBI की स्थापना; वर्तमान संविधान के ढाँचे का मुख्य आधार।	संविधान पीडीएफ
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	ब्रिटिश संप्रभुता का अंत; दो स्वतंत्र डोमिनियन (भारत व पाकिस्तान); संविधान सभा को संप्रभु विधायिका का दर्जा।	15 अगस्त 1947 से प्रभावी; भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त; रियासतों को स्वेच्छा से विलय की स्वतंत्रता।	डिजिटल संसद

अध्याय 2: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble)

प्रस्तावना किसी भी संविधान का दर्शन, सार और कुंजी होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना **13 दिसंबर 1946** को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए तथा **22 जनवरी 1947** को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत **'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution)** पर आधारित है (भारतीय संविधान की प्रस्तावना - विधायी विभाग)।

2.1 प्रस्तावना का मूल पाठ (शुद्ध देवनागरी)

★ "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

2.2 प्रस्तावना के चार मूल घटक

1. **संविधान के अधिकार का स्रोत:** प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे **"भारत के लोगों"** से प्राप्त करता है, न कि किसी बाहरी सत्ता या राजतंत्र से।

2. **भारतीय राज्य की प्रकृति:** यह भारत को **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign)**, **समाजवादी (Socialist)**, **पंथनिरपेक्ष (Secular)**, **लोकतंत्रात्मक (Democratic)** एवं **गणराज्य (Republic)** घोषित करती है।

3. **संविधान के उद्देश्य:** नागरिकों के लिए **न्याय (3 प्रकार: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)**, **स्वतंत्रता (5 प्रकार: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना)**, **समता (2 प्रकार: प्रतिष्ठा और अवसर)** तथा **बंधुता (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता)** सुनिश्चित करना।

4. **संविधान के अंगीकरण की तिथि: 26 नवंबर 1949** (इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है)।

2.3 प्रमुख शब्दावली का तात्त्विक विश्लेषण एवं 42वाँ संशोधन

• **42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976:** प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। इस संशोधन द्वारा इसमें तीन नए शब्द जोड़े गए— **'समाजवादी' (Socialist)**, **'पंथनिरपेक्ष' (Secular)** और **'अखंडता' (Integrity)** (विधायी विभाग - संशोधन अधिनियम)।

• **लोकतांत्रिक समाजवाद:** भारतीय समाजवाद 'साम्यवादी समाजवाद' (जहाँ उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है) से भिन्न एक **'लोकतांत्रिक समाजवाद'** है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है।

• **सकारात्मक पंथनिरपेक्षता:** भारतीय संविधान की पंथनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा (राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव) से भिन्न **'सर्वधर्म समभाव'** पर आधारित है, जहाँ राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, किंतु वह सभी धर्मों को समान संरक्षण और सम्मान प्रदान करता है।

• **न्याय एवं स्वतंत्रता का स्रोत:** प्रस्तावना में प्रयुक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श **1917 की रूसी क्रांति** से प्रेरित हैं, जबकि स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श **1789 की फ्रांसीसी क्रांति** से लिए गए हैं।

2.4 प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति एवं न्यायिक निर्णय

• **बेरुबारी संघ वाद (Berubari Union Case, 1960):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, किंतु यह **संविधान का भाग नहीं है**; अतः अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता (सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सारांश)।

• **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):** 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि **प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है**। इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावना में निहित **'मूल ढाँचे' (Basic Structure)** को नष्ट न करे (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी - ऐतिहासिक निर्णय)।

• **एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वाद (LIC of India Case, 1995):** सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, किंतु यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है, तथा यह न्यायालय में प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं है।

अध्याय 3: मूल अधिकार (भाग 3: अनुच्छेद 12 से 35)

संविधान के **भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35)** में निहित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ('बिल ऑफ राइट्स') से प्रेरित हैं (भारतीय संविधान पीडीएफ - विधायी विभाग)। इसे **'भारत का अधिकार पत्र' (Magna Carta of India)** कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, किंतु **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(च) एवं अनुच्छेद 31) को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के **अनुच्छेद 300(क)** के अंतर्गत एक विधिक/संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं।

3.1 अनुच्छेद 12 एवं 13: आधारभूत परिभाषाएँ एवं न्यायिक पुनर्विलोकन

• **अनुच्छेद 12 ('राज्य' की परिभाषा):** भाग 3 के प्रयोजनों के लिए 'राज्य' शब्द में शामिल हैं— (1) भारत की सरकार और संसद, (2) प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, (3) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी (जैसे नगरपालिकाएँ, पंचायतें, जिला बोर्ड), और (4) अन्य प्राधिकारी (विधिक या गैर-विधिक निकाय जैसे LIC, ONGC, SAIL या सरकारी वित्तपोषित संस्थाएँ, जैसा कि आर.डी. शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, 1979 और अजय हासिया वाद, 1981 में व्याख्यायित किया गया)।

• **अनुच्छेद 13 (मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ):** यह घोषित करता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियाँ (अनुच्छेद 13(1)) तथा राज्य द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली कोई भी विधि (अनुच्छेद 13(2)) उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का अल्पीकरण या उल्लंघन करती है। इससे **'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse)**, **'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability)** और **'अधित्याग का सिद्धांत' (Doctrine of Waiver - भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते)** निकलते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)** की प्रत्यक्ष शक्ति देता है। अनुच्छेद 13(4) (24वें संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया) स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में 'विधि' नहीं है, किंतु केशवानंद भारती वाद (1973) के अनुसार यदि वह मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है।

3.2 छह मूल अधिकारों का अनुच्छेद-वार गहन विश्लेषण

1. **समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18):**

• **अनुच्छेद 14:** राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को **'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law - ब्रिटिश अवधारणा, नकारात्मक स्वरूप, ए.वी. डायसी का विधि का शासन)** या **'विधियों के समान संरक्षण' (Equal Protection of Laws - अमेरिकी अवधारणा, सकारात्मक स्वरूप, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार)** से वंचित नहीं करेगा।

• **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं व बच्चों के लिए, 15(4) व 15(5) सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC), SC एवं ST के लिए, तथा **15(6) (103वाँ संशोधन, 2019)** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण का विशेष प्रावधान करता है।

• **अनुच्छेद 16:** लोक नियोजन (सरकारी नौकरियों) के विषय में अवसर की समता। 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, 16(4क) पदोन्नति में आरक्षण (77वाँ व 85वाँ संशोधन), 16(4ख) बैकलॉग/कैरी फॉरवर्ड नियम (81वाँ संशोधन), और **16(6)** EWS के लिए लोक नियोजन में 10% आरक्षण सुनिश्चित करता है।

• **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध (निरपेक्ष अधिकार; इसके प्रवर्तन हेतु 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' तथा 'SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989' लागू हैं)।

• **अनुच्छेद 18:** सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य सभी उपाधियों का अंत। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण' आदि राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, अनुच्छेद 18 के तहत 'उपाधि' नहीं हैं, बशर्ते उनका उपयोग नाम के आगे या पीछे उपसर्ग/प्रत्यय के रूप में न किया जाए।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22):**

• **अनुच्छेद 19:** सभी नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है— **19(1)(क):** वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार - नवीन जिंदल वाद 2004, और इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार - अनुराधा भसीन वाद 2020 शामिल हैं); **19(1)(ख):** शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार; **19(1)(ग):** संगम, संघ या **सहकारी समितियाँ (97वाँ संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया)** बनाने का अधिकार; **19(1)(घ):** भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार; **19(1)(ङ):** भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार; तथा **19(1)(छ):** कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इन अधिकारों पर अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के तहत संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार व सदाचार के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restrictions) लगाए जा सकते हैं।

• **अनुच्छेद 20:** अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण— **20(1):** कार्योत्तर विधियों से संरक्षण (Ex-post-facto Law - दांडिक विधियाँ भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगी); **20(2):** दोहरे दंड से संरक्षण (Double Jeopardy - एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा); **20(3):** स्व-अभिशंसन से संरक्षण (Self-incrimination - किसी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा; सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के अनुसार बिना सहमति नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ व ब्रेन मैपिंग टेस्ट वर्जित हैं)।

• **अनुच्छेद 21:** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण— "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" ए.के. गोपालन वाद (1950) में न्यायालय ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या की थी, किंतु **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)** में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रक्रिया 'न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और युक्तियुक्त' होनी चाहिए, जिससे भारत में अमेरिकी **'यथोचित विधि प्रक्रिया' (Due Process of Law)** का समावेश हो गया (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पीडीएफ)। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी वाद 2017), स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, त्वरित विचारण का अधिकार, और गरिमा के साथ मरने का अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु व लिविंग विल - कॉमन कॉज वाद 2018) शामिल हैं।

• **अनुच्छेद 21(क): 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002** द्वारा जोड़ा गया; राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा (इसके क्रियान्वयन हेतु 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम - RTE, 2009' पारित किया गया)।

• **अनुच्छेद 22:** कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यह दंडात्मक निरोध (Punitive Detention) में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और **24 घंटे के भीतर** (यात्रा के समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22(4) से 22(7) निवारक निरोध (Preventive Detention) से संबंधित हैं, जिसमें सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक निरुद्ध रखा जा सकता है।

3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24):**

• **अनुच्छेद 23:** मानव के दुर्व्यापार (Human Trafficking) और बेगार (बिना पारिश्रमिक के जबरन श्रम) तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध। अपवाद: राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है (बिना धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के भेदभाव के)।

• **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकटमय (Hazardous) नियोजन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

4. **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28):**

• **अनुच्छेद 25:** लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार (प्रचार करने में किसी व्यक्ति का बलात् धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है - स्टेनिसलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977)। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धर्म का अंग माना गया है।

• **अनुच्छेद 26:** धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, चल-अचल संपत्ति के अर्जन और विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार)।

• **अनुच्छेद 27:** किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (राज्य किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म के पोषण में खर्च की जाती हो; यहाँ 'कर' निषिद्ध है, सेवा के बदले 'शुल्क/फीस' नहीं)।

• **अनुच्छेद 28:** राज्य-निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

5. **संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29–30):**

• **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण— भारत के किसी भी भाग के नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

• **अनुच्छेद 30:** धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32–35):**

• **अनुच्छेद 32:** डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को **"संविधान की आत्मा और हृदय" (Heart and Soul of the Constitution)** कहा था। यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार देता है और सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट (Writs) जारी करने की शक्ति देता है:

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus - 'शरीर को प्रस्तुत किया जाए'):** अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कराने हेतु (सार्वजनिक व निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी हो सकती है)।

2. **परमादेश (Mandamus - 'हम आदेश देते हैं'):** किसी लोक प्राधिकारी, निगम या निचली अदालत को अपने सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने हेतु (राष्ट्रपति, राज्यपाल या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होती)।

3. **प्रतिषेध (Prohibition - 'रोकना'):** वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए (केवल न्यायिक व अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध, कार्यवाही के दौरान)।

4. **उत्प्रेषण (Certiorari - 'प्रमाणित होना या सूचित किया जाना'):** अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार के अभाव में या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में दिए गए आदेश को निरस्त (Quash) करने हेतु।

5. **अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto - 'किस प्राधिकार या वारंट से'):** किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद (Public Office) को अवैध रूप से ग्रहण करने की वैधता की जाँच करने हेतु (कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसे दायर कर सकता है)।

• **अनुच्छेद 33, 34 एवं 35:** अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को युक्तियुक्त रूप से सीमित करने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 34 'मार्शल लॉ' (सैन्य शासन) लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है; और अनुच्छेद 35 केवल

संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों (जैसे अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33, 34) पर कानून बनाने तथा अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) व मानव दुर्व्यापार (अनुच्छेद 23) के लिए दंड निर्धारित करने की अनन्य शक्ति देता है।

3.3 नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्गीकरण

- **केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार (5 अनुच्छेद): अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30।**

मॉड्यूल 1: संविधान की संशोधनशीलता एवं 'मूल ढाँचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) का क्रमिक विकास

1.1 विस्तृत व्याख्या

भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज (Living Document) है जिसमें समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने के लिए **भाग 20 के अनुच्छेद 368** (दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित) में प्रावधान किया गया है (डिजिटल संसद - संविधान संशोधन)। संविधान के लागू होने के तुरंत बाद से ही संसद की संशोधन शक्ति (अनुच्छेद 368) और नागरिकों के मूल अधिकारों की अक्षुण्णता (अनुच्छेद 13(2)) के बीच एक लंबा संवैधानिक संघर्ष चला:

- **शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) एवं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965):** प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 (जिसने भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए अनुच्छेद 31-क, 31-ख और **नौवीं अनुसूची** जोड़ी) को शंकरी प्रसाद वाद में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त 'विधि' शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल हैं, अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन नहीं। अतः संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह वाद (1965) में 17वें संशोधन को चुनौती दिए जाने पर भी न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से यही मत बनाए रखा (यद्यपि न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और न्यायमूर्ति मुधोलकर ने पहली बार मूल अधिकारों की स्थायी प्रकृति पर संदेह व्यक्त किया)।

- **आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):** 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के निर्णयों को पलट दिया। मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव ने **'भविष्यलक्षी अधिनिर्णय के सिद्धांत' (Doctrine of Prospective Overruling)** का प्रयोग करते हुए कहा कि मूल अधिकारों को संविधान में एक लोकोत्तर (Transcendental) और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है; अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन की 'प्रक्रिया' है, संशोधन की 'शक्ति' नहीं, और संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में 'विधि' है। अतः संसद मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती।

- **24वाँ एवं 25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971:** गोलकनाथ निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने **24वाँ संशोधन (1971)** पारित किया, जिसने अनुच्छेद 13 में खंड (4) और अनुच्छेद 368 में खंड (3) जोड़ा, अनुच्छेद 368 का शीर्षक बदलकर 'संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया' किया, और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति को बाध्यकारी बना दिया।

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (24 अप्रैल 1973):** भारतीय न्यायिक इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी **13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने **7:6 के सूक्ष्म बहुमत** से ऐतिहासिक निर्णय सुनाया (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी - ऐतिहासिक निर्णय पीडीएफ)। न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार किया और गोलकनाथ वाद के निर्णय को पलट दिया, किंतु साथ ही **'मूल ढाँचे का सिद्धांत' (Doctrine of Basic Structure)** प्रतिपादित किया। इसके अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के 'मूल ढाँचे' (आधारभूत संरचना) को बदल या नष्ट नहीं कर सकती।

- **इंदिरा नेहरू गांधी वाद (1975), मिनर्वा मिल्स वाद (1980) एवं वामन राव वाद (1981) तथा आई.आर. कोएल्हो वाद (2007): 42वें संविधान संशोधन (1976)** द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़कर संसद की संशोधन शक्ति को असीमित कर दिया गया और उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)** में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368(4) और (5) को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि **'न्यायिक पुनर्विलोकन' स्वयं मूल ढाँचे का हिस्सा है** और संसद अपनी सीमित संशोधन शक्ति को असीमित शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकती। **वामन राव वाद (1981)** और **आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007 - 9 न्यायाधीशों की पीठ)** में न्यायालय ने **'लक्ष्मण रेखा सिद्धांत'** स्थापित किया कि **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की अनुच्छेद 14, 19 और 21 तथा मूल ढाँचे की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पीडीएफ)।

1.2 4-नोड वैचारिक आरेख (4-Node Diagram: मूल ढाँचा विकास चक्र)

[नोड 1: संसदीय सर्वोच्चता का चरण (1951–1965)]
(प्रथम संशोधन 1951 व शंकरी प्रसाद वाद: अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति अनुच्छेद 13(2) के दायरे से बाहर; संसद को असीमित संशोधन अधिकार)
|
▼
[नोड 2: न्यायिक प्रतिरोध एवं संवैधानिक टकराव (1967–1971)]
(गोलकनाथ वाद 1967: 11 जजों की पीठ द्वारा मूल अधिकार असंशोधनीय घोषित प्रत्युत्तर में संसद द्वारा 24वाँ व 25वाँ संशोधन 1971 पारित)
|
▼
[नोड 3: संतुलन का स्वर्णिम बिंदु — मूल ढाँचा सिद्धांत (24 अप्रैल 1973)]
(केशवानंद भारती वाद: 13 जजों की पीठ, 7:6 बहुमत; संसद मूल अधिकार संशोधित कर सकती है, किंतु 'संविधान के मूल ढाँचे' को नष्ट नहीं कर सकती)
|
▼
[नोड 4: न्यायिक पुनर्विलोकन का सुदृढ़ीकरण एवं लक्ष्मण रेखा (1980–2007)]
(मिनर्वा मिल्स 1980 द्वारा 42वें संशोधन की असीमित शक्ति निरस्त; आई.आर. कोएल्हो 2007 द्वारा 24 अप्रैल 1973 के बाद की 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अधीन)

1.3 तुलनात्मक सारणी (मॉड्यूल 1)

न्यायिक वाद / संशोधन	वर्ष एवं संविधान पीठ	मुख्य संवैधानिक प्रश्न	सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / संशोधन का प्रभाव	आधिकारिक संदर्भ
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ	1951 (5 न्यायाधीश)	क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत 'विधि' है?	नहीं; 'विधि' में केवल साधारण विधायी कानून शामिल हैं, संविधान संशोधन नहीं। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।	सर्वोच्च न्यायालय
आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य	1967 (11 न्यायाधीश, 6:5 बहुमत)	क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को न्यून या समाप्त कर सकती है?	नहीं; संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के तहत 'विधि' है। मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं (भविष्यलक्षी अधिनिर्णय लागू)।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम	1971 (संसद द्वारा पारित)	गोलकनाथ निर्णय के पश्चात संसद की संशोधन शक्ति की पुनर्स्थापना।	अनुच्छेद 13(4) व 368(3) जोड़े गए; संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी गई और राष्ट्रपति की सहमति बाध्यकारी बनाई गई।	विधायी विभाग
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य	24 अप्रैल 1973 (13 न्यायाधीश, 7:6 बहुमत)	अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति की सीमा क्या है?	24वाँ संशोधन वैध, किंतु **'मूल ढाँचे का सिद्धांत'** प्रतिपादित; संसद संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ	1980 (5 न्यायाधीश)	42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368(4) व (5) तथा अनुच्छेद 31(ग) के विस्तार की वैधता।	अनुच्छेद 368(4) व (5) असंवैधानिक घोषित; **न्यायिक पुनर्विलोकन** और **FR-DPSP के बीच संतुलन** मूल ढाँचे का अंग घोषित।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य	2007 (9 न्यायाधीश, सर्वसम्मत)	क्या 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त (Blanket Immunity) हैं?	नहीं; **24 अप्रैल 1973** के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल सभी कानून अनुच्छेद 14, 19, 21 और मूल ढाँचे की न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

- **केशवानंद भारती संविधान पीठ (13 न्यायाधीश = 100%) का मत विभाजन:**
- **मूल ढाँचा सिद्धांत के पक्ष में बहुमत (7 न्यायाधीश): 53.85%** (मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी, जे.एम. शेलत, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर, पी. जगनमोहन रेड्डी, एच.आर. खन्ना और बी.के. मुखर्जी)।
- **असहमत न्यायाधीश (6 न्यायाधीश): 46.15%** (ए.एन. रे, डी.जी. पालेकर, के.के. मैथ्यू, एम.एच. बेग, एस.एन. द्विवेदी और वाई.वी. चंद्रचूड़)।

• **संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाओं में आवश्यक बहुमत व अनुसमर्थन मानदंड (%):**

• **साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 से बाहर, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4, 169):** उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का **50% से अधिक (>50%)**।

• **विशेष बहुमत (अनुच्छेद 368(2) — मूल अधिकार व DPSP संशोधन):** सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (**>50%**) तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई (**66.67%**)।

• **विशेष बहुमत + राज्यों का अनुसमर्थन (अनुच्छेद 368(2) परंतु — संघीय ढाँचे से जुड़े प्रावधान):** संसद का विशेष बहुमत (**66.67%**) + कम से कम आधे राज्यों (**50% राज्य विधानमंडलों**) का साधारण बहुमत से अनुसमर्थन।

मॉड्यूल 2: 42वाँ संविधान संशोधन ('लघु संविधान', 1976) बनाम 44वाँ संविधान संशोधन (1978) — आपातकालीन अतिक्रमण एवं लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना

2.1 विस्तृत व्याख्या

भारतीय संवैधानिक इतिहास में **42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** (आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिशों के आधार पर पारित) और **44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** (आपातकाल के पश्चात मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित) एक-दूसरे के पूरक और प्रति-संतुलनकारी हैं (**संविधान संशोधन अधिनियम - विधायी विभाग**)।

• **42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ('लघु संविधान' / Mini-Constitution):** इसने संविधान के इतने व्यापक हिस्सों में परिवर्तन किया कि इसे 'लघु संविधान' की संज्ञा दी गई। इसके प्रमुख प्रावधान थे—

1. **प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य:** प्रस्तावना में 3 नए शब्द (**समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता**) जोड़े गए तथा भाग 4-क (अनुच्छेद 51-क) जोड़कर 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए।

2. **कार्यपालिका एवं विधायिका:** अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए **बाध्य** कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल **5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष** कर दिया गया और 2001 तक जनगणना (1971 के आधार पर) के अनुसार सीटों का परिसीमन स्थिर (Freeze) कर दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों में **कोरम (गणपूर्ति) की अनिवार्यता समाप्त** कर दी गई।

3. **न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती:** सर्वोच्च न्यायालय को केवल केंद्रीय कानूनों और उच्च न्यायालय को केवल राज्य कानूनों की वैधता जाँचने तक सीमित किया गया, तथा भाग 14-क (**अनुच्छेद 323-क और 323-ख**) जोड़कर प्रशासनिक व अन्य अधिकरणों (Tribunals) के गठन का प्रावधान किया गया।

4. **संघीय एवं नीति-निर्देशक परिवर्तन:** राज्य सूची के 5 विषयों (शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन) को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया; 3 नए नीति-निर्देशक तत्त्व (अनुच्छेद 39-क, 43-क, 48-क) जोड़े गए और सभी नीति-निर्देशक तत्त्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दी गई।

• **44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 (लोकतांत्रिक नियंत्रणों की बहाली):** इस संशोधन ने 42वें संशोधन की विकृतियों को समाप्त किया और भविष्य में आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा कवच (Safeguards) स्थापित किए—

1. **कार्यकाल एवं राष्ट्रपति की शक्ति:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः **6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दिया गया। अनुच्छेद 74(1) में यह परंतु जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को **एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है** (किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य है)।

2. **संपत्ति के अधिकार का रूपांतरण:** संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31) से हटाकर **अनुच्छेद 300(क)** के तहत केवल एक विधिक/संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।

3. **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) में ऐतिहासिक सुधार:** (क) आपातकाल लगाने के तीसरे आधार **'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance)** शब्द को हटाकर उसके स्थान पर **'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion)** शब्द प्रतिस्थापित किया गया; (ख) राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल तभी जारी कर सकता है जब **मंत्रिमंडल (Cabinet - अनुच्छेद 352(3) में पहली और एकमात्र बार संविधान में 'कैबिनेट' शब्द का प्रयोग हुआ है) लिखित रूप में** ऐसा विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे; (ग) आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के बजाय **1 माह के भीतर** और साधारण बहुमत के बजाय **विशेष बहुमत** से अनुमोदित कराना अनिवार्य किया गया; (घ) एक बार अनुमोदित होने पर यह 6-6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है और लोकसभा के 1/10 सदस्यों के नोटिस पर विशेष बैठक बुलाकर इसे साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है; तथा (ङ) **अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार कभी निलंबित नहीं होंगे** और अनुच्छेद 19 केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर लगे आपातकाल में ही निलंबित होगा, 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर नहीं (अनुच्छेद 358)।

2.2 4-नोड वैचारिक आरेख (4-Node Diagram: 42वें से 44वें संशोधन का संवैधानिक चक्र)

[नोड 1: 1975 का आंतरिक आपातकाल एवं स्वर्ण सिंह समिति (1976)]
(अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर आपातकाल; कार्यपालिका व संसद को सर्वोच्च बनाने हेतु संविधान समीक्षा)
|
▼
[नोड 2: 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ('लघु संविधान')]
(प्रस्तावना में 3 शब्द, भाग 4-क मूल कर्तव्य, भाग 14-क अधिकरण, 5 विषय समवर्ती सूची में, लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष, राष्ट्रपति बाध्य)
|
▼
[नोड 3: 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 (लोकतांत्रिक सुधार)]
(लोकसभा कार्यकाल पुनः 5 वर्ष, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300-क में, राष्ट्रपति को 1 बार सलाह पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार)
|
▼
[नोड 4: आपातकालीन सुरक्षा कवच (अनुच्छेद 352, 358, 359)]
('आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह', कैबिनेट की लिखित सिफारिश, 1 माह में विशेष बहुमत अनुमोदन, अनुच्छेद 20 व 21 का कभी निलंबन नहीं)

2.3 तुलनात्मक सारणी (मॉड्यूल 2)

संवैधानिक प्रावधान / क्षेत्र	42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1976)	44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1978)	आधिकारिक संदर्भ
लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल	5 वर्ष से बढ़ाकर **6 वर्ष** किया गया।	पुनः 6 वर्ष से घटाकर **5 वर्ष** कर दिया गया।	विधायी विभाग
मंत्रिपरिषद की सलाह (अनुच्छेद 74)	राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह पूर्णतः बाध्यकारी बनाई गई।	राष्ट्रपति को सलाह **1 बार पुनर्विचार हेतु लौटाने** की शक्ति दी गई (पुनर्विचार पश्चात बाध्यकारी)।	संविधान पीडीएफ
राष्ट्रीय आपातकाल का आधार (अनुच्छेद 352)	युद्ध, बाह्य आक्रमण और **'आंतरिक अशांति'** (तथा भारत के किसी एक भाग में भी आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई)।	'आंतरिक अशांति' शब्द हटाकर **'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion)** जोड़ा गया तथा **कैबिनेट की लिखित सलाह** अनिवार्य की गई।	संविधान पीडीएफ
आपातकाल का संसदीय अनुमोदन	2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन; एक बार में 1 वर्ष का विस्तार।	**1 माह के भीतर विशेष बहुमत** से अनुमोदन अनिवार्य; एक बार में केवल 6 माह का विस्तार।	विधायी विभाग
आपातकाल में मूल अधिकार	सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन की छूट (ए.डी.एम. जबलपुर वाद 1976 की पृष्ठभूमि)।	**अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे**; अनुच्छेद 19 केवल बाह्य आपातकाल (युद्ध/बाह्य आक्रमण) में ही निलंबित होगा।	विधायी विभाग
संपत्ति का अधिकार एवं कोरम	संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बना रहा; संसदीय कोरम की अनिवार्यता समाप्त की गई।	संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर **अनुच्छेद 300(क)** में विधिक अधिकार बनाया गया; संसदीय कोरम (1/10) पुनः बहाल किया गया।	विधायी विभाग

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

- **सातवीं अनुसूची की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विषयों का प्रतिशत परिवर्तन (42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों का अंतरण):**
- **राज्य सूची में कमी:** 66 विषयों से घटकर 61 विषय (**7.58% की कमी**)।
- **समवर्ती सूची में वृद्धि:** 47 विषयों से बढ़कर 52 विषय (**10.64% की वृद्धि**)।
- **आपातकाल अनुमोदन के लिए आवश्यक संसदीय बहुमत एवं समय-सीमा परिवर्तन:**
- **अनुमोदन समय-सीमा में कटौती:** 60 दिनों (2 माह) से घटाकर 30 दिन (1 माह) — समय-सीमा में **50% की कमी**।
- **मतदान बहुमत मानदंड में वृद्धि:** साधारण बहुमत (>50%) से बढ़ाकर विशेष बहुमत (उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 अर्थात् **66.67%**)।

• **42वें संशोधन के प्रमुख प्रावधानों की वर्तमान स्थिति (अनुमानित संवैधानिक अस्तित्व %):**

• **स्थायी रूप से संविधान में आज भी विद्यमान प्रावधान (प्रस्तावना संशोधन, भाग 4-क मूल कर्तव्य, भाग 14-क अधिकरण, 4 नए DPSP, 5 समवर्ती विषय):** लगभग 55%।

• **44वें संशोधन (1978) एवं न्यायिक निर्णयों (मिनर्वा मिल्स 1980) द्वारा निरस्त या संशोधित प्रावधान (6 वर्ष कार्यकाल, अनुच्छेद 368(4)-(5), न्यायिक समीक्षा कटौती, कोरम समाप्ति):** लगभग 45%।

मॉड्यूल 3: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) की न्यायिक क्रांति एवं सामाजिक-व्यक्तिगत स्वायत्तता का विस्तार

3.1 विस्तृत व्याख्या

संविधान के **अनुच्छेद 21** ("किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं") की यात्रा भारतीय न्यायपालिका के यांत्रिक प्रत्यक्षवाद (Mechanical Positivism) से सक्रिय संवैधानिक मानवतावाद की ओर संक्रमण की कहानी है (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी - ऐतिहासिक निर्णय):

• **ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) — संकीर्ण व्याख्या एवं 'साइलो सिद्धांत':** निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के तहत कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन की हिरासत को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ केवल यह है कि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून होना चाहिए; न्यायालय उस कानून की औचित्यता या न्यायसंगतता (अमेरिकी 'यथोचित विधि प्रक्रिया' - Due Process of Law) की जाँच नहीं कर सकता। साथ ही न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 अलग-अलग कोष्ठ (Watertight Compartments / Silos) हैं और उनका आपस में कोई संबंध नहीं है (इस वाद में न्यायमूर्ति फजल अली ने अपनी ऐतिहासिक असहमति में व्यापक व्याख्या का समर्थन किया था)।

• **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) — 'स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle) एवं यथोचित विधि प्रक्रिया:** पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किए जाने पर 7 न्यायाधीशों की पीठ ने गोपालन वाद के निर्णय को पलट दिया (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पीडीएफ)। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि— (1) विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता का अंग है; (2) किसी व्यक्ति को प्राण या स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया केवल मनमानी या यांत्रिक नहीं हो सकती, बल्कि वह **"न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और युक्तियुक्त" (Fair, Just and Reasonable)** होनी चाहिए (इस प्रकार अनुच्छेद 21 में अमेरिकी 'Due Process of Law' समाहित हो गया); और (3) **अनुच्छेद 14 (समता), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (प्राण व दैहिक स्वतंत्रता)** अलग-अलग कोष्ठ नहीं हैं, बल्कि वे आपस में गुँथे हुए हैं और एक **'स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle)** का निर्माण करते हैं; किसी भी कानून को इन तीनों की संयुक्त कसौटी पर खरा उतरना होगा।

• **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) — निजता का अधिकार:** आधार योजना की संवैधानिकता के संदर्भ में **9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने सर्वसम्मति (9:0) से एम.पी. शर्मा वाद (1954) और खड़क सिंह वाद (1962) के निर्णयों को पलटते हुए घोषित किया कि **'निजता का अधिकार' (Right to Privacy)** अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार तथा भाग 3 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रताओं का एक आंतरिक एवं अभिन्न मूल अधिकार है। किसी भी राज्य हस्तक्षेप को **त्रि-स्तरीय परीक्षण (Three-fold Test)** पार करना होगा: (1) वैधता (कानून का अस्तित्व), (2) वैध राजकीय उद्देश्य (आवश्यकता), और (3) आनुपातिकता (Proportionality)। (इसी परीक्षण के आधार पर डेटा संरक्षण हेतु न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति बनी और संसद ने **'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023'** पारित किया)।

• **अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हाल के ऐतिहासिक न्यायिक मील के पत्थर (2014–2023):**

• **नालसा (NALSA) बनाम भारत संघ (2014):** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' (Third Gender) के रूप में कानूनी मान्यता दी गई और लिंग पहचान को अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हिस्सा माना गया।

• **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):** 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से तात्कालिक तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को 'स्पष्टतः मनमाना' (Manifestly Arbitrary) और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पीडीएफ)।

• **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018):** 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'गरिमा के साथ जीने के अधिकार' में **'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' (Right to Die with Dignity)** शामिल है, और असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए **'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (Passive Euthanasia)** तथा **'जीवित वसीयत' (Living Will / Advance Medical Directive)** को वैध घोषित किया (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पीडीएफ)।

• **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):** 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से सुरेश कुमार कौशल वाद (2013) को पलटते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को उस सीमा तक असंवैधानिक घोषित किया जहाँ तक वह दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से एकांत में बने समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाती थी; यहाँ **'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality)** को 'सामाजिक नैतिकता' से ऊपर रखा गया।

3.2 4-नोड वैचारिक आरेख (4-Node Diagram: अनुच्छेद 21 एवं स्वर्णिम त्रिभुज का विस्तार)

[नोड 1: गोपालन वाद (1950) — यांत्रिक एवं संकीर्ण दृष्टिकोण]
('विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का शाब्दिक अर्थ; केवल कार्यपालिका की मनमानी से सुरक्षा, विधायिका की मनमानी से नहीं; अनुच्छेद 14, 19, 21 पृथक)
|
▼
[नोड 2: मेनका गांधी वाद (1978) — 'स्वर्णिम त्रिभुज' (अनुच्छेद 14 + 19 + 21)]
(विधि की प्रक्रिया 'न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और युक्तियुक्त' होनी अनिवार्य; भारत में 'यथोचित विधि प्रक्रिया' (Due Process) का प्रवेश)
|
▼
[नोड 3: पुट्टास्वामी वाद (2017) — निजता एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता]
(9 जजों की पीठ द्वारा 9:0 से निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार घोषित; वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता का त्रि-स्तरीय परीक्षण)
|
▼
[नोड 4: गरिमामय जीवन के बहुआयामी विस्तार (2018–2026)]
(निष्क्रिय इच्छामृत्यु व लिविंग विल - कॉमन कॉज 2018; संवैधानिक नैतिकता - नवतेज जौहर 2018; स्वच्छ पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा का अधिकार)

3.3 तुलनात्मक सारणी (मॉड्यूल 3)

ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय	वर्ष एवं संविधान पीठ	मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद	स्थापित विधिक सिद्धांत एवं प्रभाव	आधिकारिक संदर्भ
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य	1950 (6 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 19, 21 एवं 22	'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या; अनुच्छेद 19 और 21 को अलग-अलग कोष्ठ (Mutual Exclusivity) माना गया।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
मेनका गांधी बनाम भारत संघ	1978 (7 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 14, 19 एवं 21	गोपालन वाद उलटा गया; प्रक्रिया न्यायपूर्ण व युक्तियुक्त होनी चाहिए; **अनुच्छेद 14, 19 व 21 का 'स्वर्णिम त्रिभुज'** स्थापित।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य	1993 (5 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 21, 41 एवं 45	14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार घोषित; इसी से **86वाँ संशोधन (2002 - अनुच्छेद 21-क)** जन्मा।	सर्वोच्च न्यायालय
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य	1997 (3 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(छ) एवं 21	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश जारी (जो 2013 के POSH अधिनियम का आधार बने)।	सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ	2017 (9 न्यायाधीश, 9:0 सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 14, 19 एवं 21	**निजता का अधिकार (Right to Privacy)** मौलिक अधिकार घोषित; आनुपातिकता का त्रि-स्तरीय परीक्षण प्रतिपादित।	सर्वोच्च न्यायालय
कॉमन कॉज बनाम भारत संघ	2018 (5 न्यायाधीश, सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 21	गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग; **निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)** और **लिविंग विल** वैध।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• प्रमुख न्यायिक निर्णयों में संविधान पीठ की सहमति का प्रतिशत (%):

• न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी वाद (2017 — 9 न्यायाधीश): 100% सर्वसम्मत (9:0)।

• नवतेज सिंह जौहर वाद (2018 — 5 न्यायाधीश) एवं कॉमन कॉज वाद (2018 — 5 न्यायाधीश): 100% सर्वसम्मत (5:0)।

• मेनका गांधी वाद (1978 — 7 न्यायाधीश): 85.71% बहुमत (6:1)।

• शायरा बानो वाद (2017 — 5 न्यायाधीश, तीन तलाक): 60% बहुमत (3:2)।

• **अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्युत्पन्न अधिकारों (Unenumerated Rights) का विषयगत वितरण (अनुमानित परीक्षा एवं न्यायिक आवृत्ति %):**

• **व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता एवं दैहिक स्वायत्तता (यात्रा, निजता, गरिमा, निष्क्रिय इच्छामृत्यु): 35%।**

• **आपराधिक न्याय एवं बंदियों के अधिकार (त्वरित विचारण, निःशुल्क विधिक सहायता, हथकड़ी व एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार): 25%।**

• **सामाजिक-आर्थिक एवं आजीविका अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय, आजीविका - ओल्गा टेलिस वाद 1985): 25%।**

• **पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक अधिकार (स्वच्छ वायु, जल एवं जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति - एम.सी. मेहता व एम.के. रंजीतसिंह वाद 2024): 15%।**

मॉड्यूल 4: सामाजिक न्याय, सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) एवं महिला प्रतिनिधित्व का संवैधानिक विकास (1वां संशोधन 1951 से 106वाँ संशोधन 2023 तक)

4.1 विस्तृत व्याख्या

भारतीय संविधान का समता का सिद्धांत औपचारिक समता तक सीमित न रहकर **'तात्त्विक एवं आनुपातिक समता' (Substantive Equality)** स्थापित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action / Reservation) का उपयोग करता है (**विधायी विभाग - संविधान संशोधन**):

• **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम (1951) एवं बालाजी वाद (1963):** चंपकम दोरईराजन वाद (1951) में मद्रास के सांप्रदायिक जी.ओ. को रद्द किए जाने के बाद संसद ने प्रथम संविधान संशोधन, 1951 द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड **(4)** जोड़ा, जिसने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) तथा SC/ST की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति दी। एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1963) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार कहा कि आरक्षण एक अपवाद (या विशेष प्रावधान) है, अतः यह सामान्यतः **50% से अधिक** नहीं होना चाहिए।

• **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मण्डल आयोग वाद, 1992):** 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित **बी.पी. मण्डल आयोग** (जिसने अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों की पहचान कर उनके लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी) की रिपोर्ट को 1990 में वी.पी. सिंह सरकार द्वारा लागू किए जाने पर **9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने 6:3 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय सुनाया:

1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए लोक नियोजन में **27% आरक्षण वैध** है, बशर्ते उसमें से उन्नत तबके अर्थात् **'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer)** को बाहर रखा जाए (क्रीमी लेयर की पहचान हेतु 1993 में 'राम नंदन समिति' बनाई गई)।

2. अनुच्छेद 16(4) के तहत दिए जाने वाले कुल ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण की अधिकतम सीमा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर **50% से अधिक नहीं** होगी।

3. आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में ही दिया जा सकता है, **पदोन्नति (Promotion) में नहीं**।

4. केवल आर्थिक आधार पर (जिनका उल्लेख संविधान में न हो) 10% अतिरिक्त आरक्षण (जो नरसिंह राव सरकार ने जोड़ा था) उस समय के संवैधानिक प्रावधानों के तहत अमान्य घोषित किया गया।

• **पदोन्नति में आरक्षण एवं अनुवर्ती संशोधन (77वाँ, 81वाँ, 85वाँ संशोधन) तथा एम. नागराज वाद (2006):** इंद्रा साहनी निर्णय के पदोन्नति और 50% बैकलॉग वाले प्रभाव को बदलने के लिए संसद ने— (1) **77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995** पारित कर अनुच्छेद **16(4-क)** जोड़ा (SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण); (2) **81वाँ संशोधन, 2000** द्वारा अनुच्छेद **16(4-ख)** जोड़ा (अग्रनीत या बैकलॉग रिक्तियों को 50% की वार्षिक सीमा से अलग रखा गया); और (3) **85वाँ संशोधन, 2001** द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के साथ **'परिणामी वरिष्ठता' (Consequential Seniority)** का प्रावधान किया। **एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)** और **जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता (2018)** में सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों संशोधनों की वैधता को बनाए रखा, किंतु राज्य के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व **'मात्रात्मक डेटा' (Quantifiable Data)** एकत्र करने और **अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासनिक दक्षता (Efficiency of Administration)** बनाए रखने की शर्तें रखीं (जरनैल सिंह वाद 2018 में स्पष्ट किया गया कि SC/ST पर भी 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत लागू हो सकता है और उनके पिछड़ेपन का अलग से डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु पदोन्नति में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा आवश्यक है)। इसके अलावा **93वें संशोधन (2005)** द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़कर निजी शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में भी आरक्षण लागू किया गया (अशोक कुमार ठाकुर वाद 2008 में वैध घोषित)।

• **103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 (EWS आरक्षण) एवं जनहित अभियान वाद (2022):** इस संशोधन द्वारा **अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6)** जोड़कर सामान्य वर्ग के **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)** के लिए शिक्षण संस्थाओं और लोक नियोजन में **10% आरक्षण** का

प्रावधान किया गया। **जनहित अभियान बनाम भारत संघ (नवंबर 2022)** में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **3:2 के बहुमत** से 103वें संशोधन को संवैधानिक और वैध घोषित करते हुए कहा कि आर्थिक मानदंड के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करती और 50% की सीमा अनम्य (Inflexible) नहीं है।

• **104वाँ (2019), 105वाँ (2021) एवं 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2023) तथा पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024):**

• **104वाँ संशोधन (2019):** अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष (2030 तक) के लिए बढ़ाया गया, जबकि आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया।

• **105वाँ संशोधन (2021):** मराठा आरक्षण वाद (जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल वाद, 2021) के पश्चात पारित इस संशोधन ने अनुच्छेद 342-क में संशोधन कर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की अपनी स्वयं की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC) की राज्य सूची तैयार करने और बनाए रखने की शक्ति को पुनः बहाल किया।

• **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम'):** इस ऐतिहासिक संशोधन द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 330-क** (लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें), **अनुच्छेद 332-क** (राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें) और **अनुच्छेद 239-कक(2)(ख)** (दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें) जोड़े गए तथा **अनुच्छेद 334-क** के अनुसार यह **33% महिला आरक्षण** इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन (Delimitation) के पश्चात 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

• **पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (1 अगस्त 2024):** मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 **न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत** से ई.वी. चिन्नैया वाद (2004) के निर्णय को पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को न्याय दिलाने के लिए **'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification)** करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है।

4.2 4-नोड वैचारिक आरेख (4-Node Diagram: सकारात्मक कार्रवाई एवं सामाजिक न्याय का विकास)

[नोड 1: जातिगत एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित ढाँचा (1951–1992)]
(प्रथम संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) का समावेश इंद्रा साहनी वाद 1992 द्वारा OBC को 27% आरक्षण, 50% की सीमा एवं क्रीमी लेयर सिद्धांत)
|
▼
[नोड 2: पदोन्नति एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में विस्तार (1995–2006)]
(77वाँ, 81वाँ व 85वाँ संशोधन: अनुच्छेद 16(4क)-(4ख) एवं 93वाँ संशोधन: अनुच्छेद 15(5) एम. नागराज वाद 2006 द्वारा मात्रात्मक डेटा व दक्षता शर्त)
|
▼
[नोड 3: आर्थिक न्याय एवं संघीय स्वायत्तता का समावेश (2018–2022)]
(102वाँ संशोधन: NCBC को अनुच्छेद 338-ख का दर्जा; 103वाँ संशोधन 2019 व जनहित अभियान वाद 2022 द्वारा 10% EWS वैध; 105वाँ संशोधन 2021 द्वारा राज्यों की OBC सूची बहाल)
|
▼
[नोड 4: लैंगिक प्रतिनिधित्व एवं आंतरिक लोकतंत्रीकरण (2023–2024)]
(106वाँ संशोधन 2023 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम': लोकसभा व विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण; दविंदर सिंह वाद 2024: 7 जजों की पीठ द्वारा 6:1 से SC/ST का उप-वर्गीकरण वैध)

4.3 तुलनात्मक सारणी (मॉड्यूल 4)

संविधान संशोधन / न्यायिक निर्णय	वर्ष	संबंधित अनुच्छेद	मुख्य संवैधानिक प्रावधान एवं न्यायिक सिद्धांत	आधिकारिक संदर्भ
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ	1992 (9 न्यायाधीश, 6:3 बहुमत)	अनुच्छेद 16(4) एवं 340	OBC हेतु 27% आरक्षण वैध; **'क्रीमी लेयर'** का बहिष्करण; कुल आरक्षण की **50% सीमा**; पदोन्नति में आरक्षण अमान्य।	सर्वोच्च न्यायालय
77वाँ, 81वाँ एवं 85वाँ संशोधन व एम. नागराज वाद	1995–2006 (5 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 16(4-क), 16(4-ख) एवं 335	SC/ST हेतु पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता सहित आरक्षण और बैकलॉग नियम वैध (मात्रात्मक डेटा व प्रशासनिक दक्षता के अधीन)।	विधायी विभाग

संविधान संशोधन / न्यायिक निर्णय	वर्ष	संबंधित अनुच्छेद	मुख्य संवैधानिक प्रावधान एवं न्यायिक सिद्धांत	आधिकारिक संदर्भ
102वाँ एवं 105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम	2018 एवं 2021	अनुच्छेद 338-ख एवं 342-क	102वें से **NCBC को संवैधानिक दर्जा**; 105वें से राज्यों की अपनी **OBC सूची बनाने की शक्ति** पुनः बहाल।	विधायी विभाग
103वाँ संशोधन एवं जनहित अभियान वाद	2019 एवं 2022 (5 न्यायाधीश, 3:2 बहुमत)	अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (**EWS**) हेतु शिक्षण संस्थाओं व नौकरियों में **10% आरक्षण** संवैधानिक रूप से वैध।	विधायी विभाग
106वाँ संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन)	2023	अनुच्छेद 239-कक, 330-क, 332-क एवं 334-क	लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए **1/3 (33.33%) सीटों का आरक्षण** (परिसीमन पश्चात 15 वर्ष हेतु)।	विधायी विभाग
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह	2024 (7 न्यायाधीश, 6:1 बहुमत)	अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4) एवं 341	ई.वी. चिन्नैया (2004) निर्णय पलटा गया; राज्यों को अति-पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु **SC/ST सूचियों के उप-वर्गीकरण** की शक्ति।	सर्वोच्च न्यायालय

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

- **केंद्रीय स्तर पर कुल 100% सीटों/पदों का वर्तमान संवैधानिक वितरण (103वें संशोधन के पश्चात):**
- **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - गैर-क्रीमी लेयर, अनुच्छेद 15(4)/16(4)): 27.00%**
- **अनुसूचित जाति (SC, अनुच्छेद 15(4)/16(4)): 15.00%**
- **अनुसूचित जनजाति (ST, अनुच्छेद 15(4)/16(4)): 7.50%** (*OBC + SC + ST* का पारंपरिक योग = **49.50%**)
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS, अनुच्छेद 15(6)/16(6) - 103वाँ संशोधन 2019): 10.00%** (कुल आरक्षित कोटा = **59.50%**)
- **अनारक्षित / खुली योग्यता श्रेणी (Unreserved / Open Merit): 40.50%**
- **निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम संवैधानिक आरक्षण प्रतिशत:**
- **पंचायतें (अनुच्छेद 243-घ — 73वाँ संशोधन, 1992) एवं नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243-न — 74वाँ संशोधन, 1992):** न्यूनतम **33.33% (1/3)**।
- **लोकसभा (अनुच्छेद 330-क) एवं राज्य विधानसभाएँ (अनुच्छेद 332-क — 106वाँ संशोधन, 2023): 33.33% (1/3)**।

मॉड्यूल 5: संघवाद, राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) एवं दल-बदल विरोधी कानून (52वाँ व 91वाँ संशोधन) की न्यायिक समीक्षा

5.1 विस्तृत व्याख्या

भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और संघीय संतुलन की रक्षा में दो संवैधानिक तंत्रों— **अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर न्यायिक अंकुश** और **दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून)**— ने निर्णायक भूमिका निभाई है (**भारतीय संविधान पीडीएफ - विधायी विभाग**):

- **अनुच्छेद 356 एवं एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 356 (राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन) की कल्पना एक 'मृत पत्र' (Dead Letter - डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में) के रूप में की थी, किंतु 1950 से 1990 के बीच इसका 100 से अधिक बार राजनीतिक प्रयोग हुआ। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) के बाद **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)** में **9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाकर अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर पूर्ण विराम लगा दिया:

1. **संघवाद और पंथनिरपेक्षता (Secularism) संविधान के 'मूल ढाँचे'** का अभिन्न अंग हैं (यदि कोई राज्य सरकार पंथनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग वैध होगा)।

2. राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) के अधीन** है; यदि उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है और **भंग की गई विधानसभा तथा बर्खास्त सरकार को पुनः जीवित (Restore) कर सकता है** (जैसा कि 2016 में उत्तराखंड के हरीश रावत मामले और अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किया)।

3. मुख्यमंत्री के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं, बल्कि **केवल विधानसभा के पटल (Floor Test of the House)** पर ही होगा।

4. संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन होने से पहले राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को केवल निलंबित (Suspend) कर सकता है, **भंग (Dissolve) नहीं कर सकता**।

• **52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1985) एवं 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2003) — दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची):** राजनीतिक दल-बदल ('आया राम, गया राम' की राजनीति) को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा **52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से अनुच्छेद 102(2) और 191(2) में संशोधन कर संविधान में **दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)** जोड़ी गई। इसके तहत कोई सांसद या विधायक अयोग्य घोषित हो जाता है यदि— (1) वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है; (2) अपने दल के व्हिप (सचेतक) के निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है (और दल 15 दिनों के भीतर उसे क्षमा नहीं करता); (3) निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है; या (4) मनोनीत सदस्य सदन की सदस्यता ग्रहण करने के **6 माह की समाप्ति के बाद** किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

• **91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के दो बड़े सुधार:** 52वें संशोधन में मूलतः यह अपवाद था कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अलग होकर 'विभाजन' (Split) करते हैं तो उन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होगा, जिसका भारी दुरुपयोग हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पारित **91वें संशोधन (2003)** ने— (क) दसवीं अनुसूची के पैरा 3 (1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन के अपवाद) को पूर्णतः समाप्त कर दिया और केवल **2/3 सदस्यों द्वारा दूसरे दल में विलय (Merger)** के अपवाद को बनाए रखा; तथा (ख) **अनुच्छेद 75(1क) और अनुच्छेद 164(1क)** जोड़कर मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया: **केंद्र में प्रधानमंत्री सहित और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी** (किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी; दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239-कक के तहत यह सीमा 10% अर्थात् 7 मंत्री है)।

• **किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (1992) एवं सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्यपाल (2023): किहोतो होलोहन वाद (1992 - 5 न्यायाधीशों की पीठ)** में सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा, किंतु इसके **पैरा 7** (जो अध्यक्ष/सभापति के निर्णय को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखता था) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि दल-बदल के मामले में निर्णय लेते समय लोकसभा अध्यक्ष/विधानसभा अध्यक्ष **एक 'अधिकरण' (Tribunal) के रूप में अर्ध-न्यायिक कार्य करता है**, अतः उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के **न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन** है (यद्यपि अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने से पूर्व न्यायालय सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करेगा)। हाल ही में केइशम मेघचंद्र सिंह वाद (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष को दल-बदल याचिकाओं पर सामान्यतः **3 माह के भीतर** निर्णय लेना चाहिए और संसद को यह शक्ति अध्यक्ष के स्थान पर किसी स्वतंत्र स्थायी अधिकरण को सौंपने पर विचार करना चाहिए। **सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल (मई 2023 - 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ)** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्हिप की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है (विधायक दल नहीं) और केवल पार्टी के आंतरिक मतभेद के कारण राज्यपाल किसी ऐसी सरकार को बहुमत परीक्षण (Floor Test) के लिए नहीं बुला सकता जिसके पास सदन में स्पष्ट बहुमत दिख रहा हो।

5.2 4-नोड वैचारिक आरेख (4-Node Diagram: संघीय स्थिरता एवं दल-बदल नियंत्रण तंत्र)

[नोड 1: 52वाँ संविधान संशोधन (1985) — दसवीं अनुसूची का सृजन]
(दल-बदल, व्हिप उल्लंघन, निर्दलीय के दल में शामिल होने और 6 माह बाद मनोनीत सदस्य के दल ग्रहण पर अयोग्यता)
|
▼
[नोड 2: किहोतो होलोहन वाद (1992) एवं एस.आर. बोम्मई वाद (1994)]
(किहोतो वाद: स्पीकर एक 'अधिकरण' है और उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन; बोम्मई वाद: अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा और फ्लोर टेस्ट अनिवार्य)
|
▼
[नोड 3: 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2003) — स्ट्रक्चरल रिफॉर्म]
(1/3 विभाजन का अपवाद समाप्त, केवल 2/3 विलय मान्य; अनुच्छेद 75(1क) व 164(1क) द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार सदन के 15% तक सीमित)
|
▼
[नोड 4: समकालीन न्यायिक मानदंड (2016–2023: नबाम रेबिया व सुभाष देसाई वाद)]
(स्पीकर को 3 माह की समय-सीमा; व्हिप का अधिकार मूल राजनीतिक दल के पास; राज्यपाल द्वारा आंतरिक दलीय विवाद को सुलझाने हेतु फ्लोर टेस्ट बुलाना अवैध)

5.3 तुलनात्मक सारणी (मॉड्यूल 5)

संशोधन / न्यायिक वाद	वर्ष	संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची	प्रमुख संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान	आधिकारिक संदर्भ
52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम	1985	अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 एवं **10वीं अनुसूची**	दल-बदल के आधार पर संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता (Disqualification) का प्रावधान; निर्णय की शक्ति पीठासीन अधिकारी को।	विधायी विभाग
किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू	1992 (5 न्यायाधीश, 3:2 बहुमत)	10वीं अनुसूची (पैरा 6 एवं 7)	10वीं अनुसूची वैध, किंतु पैरा 7 निरस्त; पीठासीन अधिकारी (स्पीकर) एक अर्ध-न्यायिक अधिकरण है और उसका निर्णय अनुच्छेद 136, 226 व 227 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन है।	सर्वोच्च न्यायालय
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ	1994 (9 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 356	**संघवाद एवं पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचा**; अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन; बहुमत का परीक्षण केवल सदन के पटल (Floor Test) पर; संसदीय अनुमोदन से पूर्व विधानसभा भंग नहीं होगी।	सर्वोच्च न्यायालय
91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम	2003	अनुच्छेद 75(1क), 164(1क), 361-ख एवं 10वीं अनुसूची	1/3 विभाजन का अपवाद समाप्त (केवल 2/3 विलय मान्य); केंद्र व राज्यों में **मंत्रिपरिषद का आकार निचले सदन के अधिकतम 15% तक सीमित** (राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री)।	विधायी विभाग
नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर	2016 (5 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 163, 174 एवं 179(ग)	यदि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प सदन में लंबित हो, तो वह उस दौरान 10वीं अनुसूची के तहत विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता।	सर्वोच्च न्यायालय
सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्यपाल	2023 (5 न्यायाधीश, सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 163, 175 एवं 10वीं अनुसूची	सचेतक (Whip) की नियुक्ति विधायक दल नहीं बल्कि राजनीतिक दल करता है; राज्यपाल दलीय गुटबाजी को सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता।	सर्वोच्च न्यायालय

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

- **91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के आकार की संवैधानिक सीमाएँ (%):**
- **केंद्रीय मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 75(1क) — प्रधानमंत्री सहित):** लोकसभा की कुल संख्या (543) का अधिकतम **15.00%** (अर्थात् अधिकतम 81–82 मंत्री)।
- **राज्य मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 164(1क) — मुख्यमंत्री सहित):** विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम **15.00%** (किंतु न्यूनतम 12 मंत्री अनिवार्य)।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 239-कक(4) — 69वाँ संशोधन, 1991):** दिल्ली विधानसभा की कुल संख्या (70) का अधिकतम **10.00%** (अर्थात् मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 7 मंत्री)।

• **दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलीय विभाजन बनाम विलय के वैधानिक मानदंड (%):**

• **52वें संशोधन (1985) में दलीय विभाजन (Split) के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य (91वें संशोधन 2003 द्वारा निरस्त): 33.33% (1/3 सदस्य)।**

• **वर्तमान में दलीय विलय (Merger) के अपवाद का लाभ लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम विधायक दल सदस्य:** कम से कम **66.67% (2/3 सदस्य)।**

मॉड्यूल 6: सहकारी संघवाद, राजकोषीय एकीकरण (101वाँ संशोधन - GST) एवं अनुच्छेद 370 का संवैधानिक एकीकरण (In re Article 370, 2023)

6.1 विस्तृत व्याख्या

21वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में भारतीय संघवाद ने दो युगांतरकारी संवैधानिक परिवर्तनों का साक्षात्कार किया है— **101वें संविधान संशोधन (2016) द्वारा 'एक राष्ट्र, एक कर' (जीएसटी) के माध्यम से राजकोषीय संघवाद का पुनर्गठन**, तथा **अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेशों एवं दिसंबर 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय द्वारा अनुच्छेद 370 का निरसन और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण संवैधानिक एकीकरण** (विधायी विभाग, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सारांश):

• **101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 (वस्तु एवं सेवा कर - GST) एवं मोहित मिनरल्स वाद (2022):** 1 जुलाई 2017 से लागू इस संशोधन ने केंद्र और राज्यों के 17 से अधिक अप्रत्यक्ष करों (जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, प्रवेश कर, चुंगी) को समाप्त कर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली स्थापित की:

1. **नए संवैधानिक अनुच्छेद:** (क) **अनुच्छेद 246-क:** यह अनुच्छेद 246 और 254 के होते हुए भी संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति (Simultaneous Power) देता है, जबकि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य (Inter-State Trade) पर कर लगाने की अनन्य शक्ति संसद को देता है; (ख) **अनुच्छेद 269-क:** अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और उसे जीएसटी परिषद की सिफारिश पर संघ और राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा; तथा (ग) **अनुच्छेद 279-क (GST Council):** राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक संघीय संस्था, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसमें केंद्र सरकार का मत-भार कुल डाले गए मतों का **1/3 (33.33%)** और सभी राज्यों का संयुक्त मत-भार **2/3 (66.67%)** होता है, तथा किसी भी निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **कम से कम 3/4 (75%) भारित बहुमत** की आवश्यकता होती है (अर्थात् न तो केंद्र अकेले राज्यों पर कोई निर्णय थोप सकता है और न ही राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई प्रस्ताव पारित कर सकते हैं)।

2. **भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्रा. लि. (मई 2022):** न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सहकारी संघवाद की व्याख्या करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया कि अनुच्छेद 246-क संसद और राज्य विधानमंडलों को समान (Simultaneous) विधायी शक्ति देता है, अतः अनुच्छेद 279-क के तहत **जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी (Binding) नहीं हैं**, बल्कि उनका **'अनुन्नयकारी मूल्य' (Persuasive Value)** है और भारतीय संघवाद 'असहयोगात्मक संघवाद' (Uncooperative Federalism) के लिए भी लोकतांत्रिक संवाद का स्थान रखता है।

• **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (69वाँ संशोधन 1991 — अनुच्छेद 239-कक) बनाम केंद्र विवाद (2018 एवं 2023): 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991** द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए अनुच्छेद 239-कक और 239-कख जोड़े गए, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई, सिवाय **3 अपवादित विषयों के— (1) लोक व्यवस्था (Public Order - प्रविष्टि 1), (2) पुलिस (प्रविष्टि 2), और (3) भूमि (Land - प्रविष्टि 18)। मई 2023 के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय (NCT of Delhi v. Union of India, 2023)** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन 3 विषयों (लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को छोड़कर राज्य सूची की प्रविष्टि 41 ('सेवाएँ' / Services एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण) पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की विधायी और कार्यपालिका शक्ति होगी, क्योंकि 'तिहरी जवाबदेही की श्रृंखला' (Triple Chain of Accountability: सिविल सेवक मंत्री विधायिका मतदाता) संसदीय लोकतंत्र के मूल ढाँचे का हिस्सा है।

• **अनुच्छेद 370 के संबंध में निर्णय (In re Article 370 of the Constitution — दिसंबर 2023):** 5 और 6 अगस्त 2019 को जारी संवैधानिक आदेशों (CO 272 एवं CO 273) तथा **'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019'** (जिसने जम्मू-कश्मीर राज्य को दो संघ राज्यक्षेत्रों— विधानसभा सहित जम्मू और कश्मीर तथा विधानसभा रहित लद्दाख— में पुनर्गठित किया) की संवैधानिक वैधता पर **11 दिसंबर 2023** को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली **5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (5:0)** से ऐतिहासिक निर्णय सुनाया:

1. **जम्मू और कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता (Internal Sovereignty) नहीं थी:** महाराजा हरि सिंह द्वारा अक्टूबर 1947 में विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के लागू होने के साथ ही जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था और उसकी संप्रभुता का पूर्णतः भारतीय संघ में विलय हो गया था।

2. **अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान' था:** संविधान के भाग 21 के शीर्षक ('अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध'), ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अनुच्छेद 370(3) की भाषा से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि अनुच्छेद 370 स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी (Temporary) व्यवस्था थी।

3. **राष्ट्रपति की अनुच्छेद 370(3) की शक्ति वैध:** जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा 1957 में भंग हो जाने के बाद भी अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति की यह घोषणा करने की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के समस्त प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर पर लागू करना और अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना संवैधानिक रूप से पूर्णतः वैध ठहराया गया (तथा न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया, जो सितंबर-अक्टूबर 2024 में सफलतापूर्वक संपन्न हुए)।

6.2 4-नोड वैचारिक आरेख (4-Node Diagram: समकालीन संघीय एवं राजकोषीय एकीकरण)

[नोड 1: 69वाँ संशोधन (1991) एवं 2023 का दिल्ली सेवा निर्णय]
(अनुच्छेद 239-कक: दिल्ली विधानसभा को 'लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि' को छोड़कर सभी विषयों पर शक्ति; 2023 निर्णय: तिहरी जवाबदेही की श्रृंखला)
|
▼
[नोड 2: 101वाँ संविधान संशोधन (2016) — सहकारी राजकोषीय संघवाद (GST)]
(अनुच्छेद 246-क द्वारा समवर्ती कराधान शक्ति; अनुच्छेद 279-क द्वारा जीएसटी परिषद में 75% भारित बहुमत तंत्र)
|
▼
[नोड 3: मोहित मिनरल्स वाद (2022) — संवादमूलक संघवाद]
(जीएसटी परिषद की सिफारिशें अनुन्नयकारी प्रकृति की हैं; संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुच्छेद 246-क की समान शक्ति अक्षुण्ण)
|
▼
[नोड 4: अनुच्छेद 370 निर्णय (दिसंबर 2023) — पूर्ण संवैधानिक एकीकरण]
(5 जजों की पीठ का 5:0 से निर्णय: अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था; जम्मू-कश्मीर की कोई पृथक संप्रभुता नहीं; भारतीय संविधान शत-प्रतिशत लागू)

6.3 तुलनात्मक सारणी (मॉड्यूल 6)

संवैधानिक सुधार / न्यायिक वाद	वर्ष	संबंधित अनुच्छेद	मुख्य संवैधानिक सिद्धांत एवं संघीय प्रभाव	आधिकारिक संदर्भ
69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम	1991	अनुच्छेद 239-कक एवं 239-कख	दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT) का विशेष दर्जा तथा 70 सदस्यीय विधानसभा व 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद (लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि को छोड़कर विधायी शक्ति)।	विधायी विभाग
101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम	2016 (1 जुलाई 2017 से लागू)	अनुच्छेद 246-क, 269-क एवं 279-क	वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत; अनुच्छेद 279-क के तहत संघीय **जीएसटी परिषद** का गठन।	विधायी विभाग
भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्रा. लि.	2022 (3 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 246-क एवं 279-क	जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं बल्कि अनुन्नयकारी (Persuasive) हैं; संघ और राज्यों की समवर्ती विधायी शक्ति बराबर है।	सर्वोच्च न्यायालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ	मई 2023 (5 न्यायाधीश, सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 239-कक	लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के 3 अपवादों को छोड़कर राज्य सूची की प्रविष्टि 41 ('सेवाएँ') पर चुनी हुई सरकार का नियंत्रण; 'तिहरी जवाबदेही' मूल सिद्धांत।	सर्वोच्च न्यायालय
अनुच्छेद 370 के संबंध में (In re Article 370)	दिसंबर 2023 (5 न्यायाधीश, 5:0 सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 1, 3 एवं 370	**अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था**; जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी; अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन एवं भारतीय संविधान का पूर्ण विस्तार संवैधानिक रूप से वैध।	सर्वोच्च न्यायालय

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

- **जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279-क) में संवैधानिक मत-भार एवं निर्णय बहुमत का प्रतिशत विखंडन:**

• **केंद्र सरकार का मत-भार (1/3): 33.33%**

• **सभी राज्य सरकारों का संयुक्त मत-भार (2/3): 66.67%**

• **जीएसटी परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भारित बहुमत (3/4): 75.00%**

• **जीएसटी परिषद की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम — कुल सदस्यों का 1/2): 50.00%**

• **अनुच्छेद 370 संविधान पीठ (दिसंबर 2023) एवं संवैधानिक विस्तार (%):**

• **5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सर्वसम्मति (5:0): 100.00%**

• **जम्मू और कश्मीर पर भारतीय संविधान के प्रावधानों का वर्तमान प्रवर्तन विस्तार: 100.00%**

भाग 3: भारतीय राजव्यवस्था के 10 अद्वितीय एवं अचूक स्मृति सूत्र (Memory Tricks in Pure Devanagari Hindi)

सिविल सेवा (UPSC एवं State PCS) परीक्षाओं में अनुसूचियों, अनुच्छेदों, संविधान के स्रोतों और समितियों के क्रम में होने वाले भ्रम को शत-प्रतिशत समाप्त करने के लिए नीचे **10 मौलिक एवं वैज्ञानिक हिंदी स्मृति सूत्र (Mnemonics)** दिए गए हैं (*भारतीय संविधान - विधायी विभाग*):

ट्रिक 1: भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियों का क्रमिक सूत्र

• **स्मृति वाक्य: "सवेरा में शशि और जन-जाति ने पूर्व से शक्ति पाकर भाषा और भूमि बदली, फिर पंचायत व नगर बसाए।"**

• **क्रमबद्ध विखंडन (1 से 12):**

1. **स** (1ली अनुसूची) **संघ और राज्यक्षेत्र** (28 राज्य व 8 संघ राज्यक्षेत्र)।
2. **वे-रा** (2री अनुसूची) **वेतन और भत्ते** (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश एवं CAG)।
3. **श-शि** (3री अनुसूची) **शपथ या प्रतिज्ञान** के प्रारूप (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ इसमें नहीं, बल्कि अनुच्छेद 60, 69 व 159 में है)।
4. **रा** (4थी अनुसूची) **राज्यसभा में स्थानों (सीटों) का आवंटन**।
5. **जन-जाति** (5वीं अनुसूची) **अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों** के प्रशासन व नियंत्रण का उपबंध।
6. **पूर्व (अ-मे-त्रि-मि)** (6ठी अनुसूची) पूर्वोत्तर के 4 राज्यों (**असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम** — उप-ट्रिक: **"अमित्र मेघा"** — इसमें मणिपुर शामिल नहीं है!) के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।
7. **शक्ति** (7वीं अनुसूची) **शक्तियों का विभाजन** (3 सूचियाँ: संघ सूची 100, राज्य सूची 61, समवर्ती सूची 52)।
8. **भाषा** (8वीं अनुसूची) संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त **22 भाषाएँ** (मूलत: 14; 21वें संशोधन 1967 से सिंधी; 71वें संशोधन 1992 से **'नमक'** = नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी; 92वें संशोधन 2003 से **'बोडमास'** = बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली)।
9. **भूमि** (9वीं अनुसूची) **भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन** अधिनियम (प्रथम संशोधन, 1951 द्वारा जोड़ी गई)।
10. **बदली** (10वीं अनुसूची) **दल-बदल** के आधार पर निरर्हता (52वें संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ी गई)।
11. **पंचायत** (11वीं अनुसूची) **पंचायतों की शक्तियाँ** व 29 विषय (73वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ी गई)।
12. **नगर** (12वीं अनुसूची) **नगरपालिकाओं की शक्तियाँ** व 18 विषय (74वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ी गई)।

ट्रिक 2: भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोतों का स्मृति सूत्र

• **स्मृति दोहा:**

★ **"ब्रिटेन से संसद-विधि-रिट ली, अमरीका से न्याय-अधिकार,
आयरलैंड से नीति-निर्देशक, कनाडा से सशक्त केंद्र का आधार।
ऑस्ट्रेलिया समवर्ती-संयुक्त, जर्मनी आपात, रूस कर्तव्य-न्याय,
फ्रांस गणतंत्र-समता-बंधुता, अफ्रीका से संशोधन हो जाए!"**

• **प्रमुख बिंदु:** ब्रिटेन (संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार); अमेरिका (मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया); आयरलैंड (नीति-निर्देशक तत्त्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति); कनाडा (सशक्त केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति); ऑस्ट्रेलिया (समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक - अनुच्छेद 108, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता); जर्मनी का वाइमर संविधान (आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन); सोवियत संघ/रूस (मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय); फ्रांस (गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श); दक्षिण अफ्रीका (संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन); जापान (विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया)।

ट्रिक 3: केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त 5 मूल अधिकार (विदेशियों को प्राप्त नहीं)

• **स्मृति सूत्र: "केवल भारतीय नागरिकों को मिले 15-16 के 19 अवसर और 29-30 की संस्कृति!"** (अंक कोड: **15 – 16 – 19 – 29 – 30**)

• **विस्तार:** अनुच्छेद **15** (धर्म, जाति, लिंग आदि पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद **16** (लोक नियोजन में अवसर की समता), अनुच्छेद **19** (वाक्, अभिव्यक्ति व 6 स्वतंत्रताएँ), अनुच्छेद **29** (अल्पसंख्यकों की भाषा-लिपि का संरक्षण), और अनुच्छेद **30** (शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन)। इनके अतिरिक्त शेष सभी मूल अधिकार (अनुच्छेद 14, 20–28) नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं।

ट्रिक 4: अनुच्छेद 19(1) की 6 स्वतंत्रताओं का सटीक अनुक्रम (क से छ तक)

• **स्मृति कथा वाक्य: "बोलो (क), सभा करो (ख), संघ बनाओ (ग), देश में घूमो (घ), वहीं बस जाओ (ङ), और व्यापार करो (छ) — बस संपत्ति (च) को भूल जाओ!"**

• **क्रमबद्ध विखंडन:**

• **19(1)(क) [19(1)(a)]: बोलो** वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

• **19(1)(ख) [19(1)(b)]: सभा करो** शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार।

• **19(1)(ग) [19(1)(c)]: संघ बनाओ** संगम, संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार।

• **19(1)(घ) [19(1)(d)]: देश में घूमो** भारत में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार।

• **19(1)(ङ) [19(1)(e)]: वहीं बस जाओ** भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार।

• *[19(1)(च) / 19(1)(f) — संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 द्वारा निरस्त]*

• **19(1)(छ) [19(1)(g)]: व्यापार करो** कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

ट्रिक 5: 5 संवैधानिक रिटों (अनुच्छेद 32 व 226) के अर्थ एवं कार्य-प्रकृति का सूत्र

• **स्मृति वाक्य: "बंदी को सशरीर लाओ, परमादेश से काम कराओ; प्रतिषेध से कार्यवाही रोको, उत्प्रेषण से फैसला मिटाओ, और अधिकार-पृच्छा से कुर्सी का हक पूछो!"**

• **मुख्य अंतर पहचान: प्रतिषेध (Prohibition = रोकथाम)** तब जारी होता है जब निचली अदालत में मुकदमा **चल रहा हो** (कार्यवाही रोकने हेतु), जबकि **उत्प्रेषण (Certiorari = इलाज व निरसन)** तब जारी होता है जब निचली अदालत ने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर **निर्णय या आदेश सुना दिया हो** (उस आदेश को रद्द करने हेतु)।

ट्रिक 6: गांधीवादी नीति-निर्देशक तत्त्वों (भाग 4) के 6 अनुच्छेदों का सूत्र

• **स्मृति वाक्य: "गांधी जी ने 40 पंचायतों में 43 कुटीर-सहकारी उद्योग लगाए, 46 दुर्बलों को पढ़ाया, 47 का नशा छुड़ाया और 48 की गौ-माता को बचाया!"**

• **अंक मिलान: अनुच्छेद 40** (ग्राम पंचायतों का गठन), **अनुच्छेद 43** (ग्रामीण कुटीर उद्योग), **अनुच्छेद 43-ख** (सहकारी समितियाँ - 97वाँ संशोधन), **अनुच्छेद 46** (SC/ST व दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हित), **अनुच्छेद 47** (मादक पेयों व नशीले पदार्थों पर रोक), और **अनुच्छेद 48** (गौ-वंश व दुधारू पशुओं के वध पर रोक)।

ट्रिक 7: राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों (52 से 61) का अचूक सूत्र

• **स्मृति सूत्र: "पकाने को का दियो दशम (पकानी कोका दुयो दशम)"**

• **क्रमबद्ध अनुच्छेद (52 से 61):**

• **प (अनुच्छेद 52): प**द (भारत का राष्ट्रपति)।

• **का (अनुच्छेद 53): का**र्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित।

• **नी (अनुच्छेद 54): नि**र्वाचन (निर्वाचक मंडल)।

• **को (अनुच्छेद 55):** निर्वाचन का **को**टा एवं रीति (आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत)।

• **का (अनुच्छेद 56): का**र्यकाल (5 वर्ष)।

• **दु (अनुच्छेद 57): दु**बारा (पुनः) निर्वाचन के लिए पात्रता।

• **यो (अनुच्छेद 58): यो**ग्यताएँ (अर्हताएँ — 35 वर्ष आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता)।

• **द (अनुच्छेद 59):** राष्ट्रपति पद के लिए **द**शाएँ (शर्तें)।

• **श (अनुच्छेद 60):** राष्ट्रपति द्वारा **श**पथ या प्रतिज्ञान (CJI के समक्ष)।

• **म (अनुच्छेद 61): म**हाभियोग चलाने की प्रक्रिया।

ट्रिक 8: केंद्र और राज्य के अनुच्छेदों को 1 सेकंड में निकालने का गणितीय सूत्र (+89 एवं +90 नियम)

संघ की कार्यपालिका और विधायिका (भाग 5: अनुच्छेद 72 से 200 के मध्य) के किसी भी अनुच्छेद में **89 (89) या 90 (90) जोड़ने** पर सीधे राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल (भाग 6) का समतुल्य अनुच्छेद प्राप्त हो जाता है:

• **+89 का नियम (अनुच्छेद 72 से 111 तक):**

• अनुच्छेद **72** (राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति) + **89** = **अनुच्छेद 161** (राज्यपाल की क्षमादान शक्ति)।

• अनुच्छेद **74** (केंद्रीय मंत्रिपरिषद) + **89** = **अनुच्छेद 163** (राज्य मंत्रिपरिषद)।

• अनुच्छेद **75** (प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति) + **89** = **अनुच्छेद 164** (मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति)।

• अनुच्छेद **76** (भारत का महान्यायवादी) + **89** = **अनुच्छेद 165** (राज्य का महाधिवक्ता)।

• अनुच्छेद **78** (प्रधानमंत्री के कर्तव्य) + **89** = **अनुच्छेद 167** (मुख्यमंत्री के कर्तव्य)।

• अनुच्छेद **79** (संसद का गठन) + **89** = **अनुच्छेद 168** (राज्य विधानमंडल का गठन)।

• अनुच्छेद **85** (संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन) + **89** = **अनुच्छेद 174** (राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान व विघटन)।

• अनुच्छेद **110** (केंद्र में धन विधेयक की परिभाषा) + **89** = **अनुच्छेद 199** (राज्य में धन विधेयक की परिभाषा)।

• अनुच्छेद **111** (राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति) + **89** = **अनुच्छेद 200** (राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति)।

• **+90 का नियम (अनुच्छेद 112 से 123 तक):**

• अनुच्छेद **112** (केंद्रीय बजट / वार्षिक वित्तीय विवरण) + **90** = **अनुच्छेद 202** (राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण)।

• अनुच्छेद **123** (राष्ट्रपति का अध्यादेश - 1-2-3) + **90** = **अनुच्छेद 213** (राज्यपाल का अध्यादेश - 2-1-3)।

• अनुच्छेद **124** (सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना: 1-2-4) ⇄ **अंकों का स्थान परिवर्तन** ⇄ **अनुच्छेद 214** (उच्च न्यायालय की स्थापना: 2-1-4)।

ट्रिक 9: पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रमिक सूत्र (1957 से 1988)

• **स्मृति वाक्य: "बलवंत ने अशोक से कहा — राव और सिंघवी के साथ थुंगन-गाडगिल से मिलो!"** (शॉर्ट कोड: **B – A – G – L – T – G**)

• **कालानुक्रम:**

1. **बलवंत बलवंत राय मेहता समिति (1957)** — त्रि-स्तरीय पंचायती राज।
2. **अशोक अशोक मेहता समिति (1977)** — द्वि-स्तरीय पंचायती राज।
3. **राव (G) जी.वी.के. राव समिति (1985)** — ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन ('बिना जड़ की घास')।
4. **सिंघवी (L) एल.एम. सिंघवी समिति (1986)** — पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की प्रथम सिफारिश।
5. **थुंगन (T) पी.के. थुंगन समिति (1988)** — जिला नियोजन व संवैधानिक मान्यता।
6. **गाडगिल (G) वी.एन. गाडगिल समिति (1988)** — 73वें संशोधन के प्रावधानों का प्रत्यक्ष आधार।

ट्रिक 10: 73वें संविधान संशोधन के समस्त 16 अनुच्छेदों (243 से 243-O) को याद रखने का सूत्र

• **स्मृति कविता (अंग्रेजी वर्णमाला A से O तथा हिंदी क से ण का समन्वित कोड):**

• **243 (मूल):** परिभाषाएँ।

• **243-A (क): A = Assembly ग्राम सभा**।

• **243-B (ख): B = Build / Body** पंचायतों का **गठन** (त्रि-स्तरीय)।

• **243-C (ग): C = Composition** पंचायतों की **संरचना**।

• **243-D (घ): D = Deprived classes Reservation** स्थानों का **आरक्षण** (SC/ST एवं महिला 1/3)।

• **243-E (ङ): E = Era / Duration** पंचायतों की **अवधि (5 वर्ष कार्यकाल)**।

• **243-F (च): F = Fail / Disqualification** सदस्यता के लिए **निरर्हताएँ** (न्यूनतम आयु 21 वर्ष)।

• **243-G (छ): G = Genius / Powers** पंचायतों की **शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व** (29 विषय)।

• **243-H (ज): H = Heavy Tax** पंचायतों द्वारा **कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ** और निधियाँ।

• **243-I (झ): I = Income** वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए **राज्य वित्त आयोग** का गठन।

• **243-J (ञ): J = Janch (जाँच / Audit)** पंचायतों के **लेखाओं की संपरीक्षा**।

• **243-K (ट): K = Karana Election** पंचायतों के लिए **राज्य निर्वाचन आयोग**।

• **243-L (ठ): L = Load on UTs संघ राज्यक्षेत्रों** को लागू होना।

• **243-M (ड): M = Mana (मनाही / Exempt)** इस भाग का **कतिपय क्षेत्रों (5वीं अनुसूची, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम) को लागू न होना**।

• **243-N (ढ): N = Non-stop** विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।

• **243-O (ण): O = Out of Court** निर्वाचन संबंधी मामलों में **न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन**।

अध्याय 1: भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, संविधान सभा एवं प्रस्तावना

भारतीय संविधान का निर्माण एक दीर्घकालिक संवैधानिक विकास तथा संविधान सभा के गहन विचार-विमर्श का परिणाम है। विधायी विभाग (legislative.gov.in) पर उपलब्ध मूल संवैधानिक पाठ के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना (1946) की संस्तुतियों के आधार पर गठित संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन की अवधि में विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधान की रचना की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तत्पश्चात् 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जो आगे चलकर संविधान की 'प्रस्तावना' (Preamble) का आधार बना। 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) का गठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया तथा इस दिन नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और संक्रमणकालीन उपबंधों से जुड़े कुल 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से प्रवर्तित हुआ।

सारणी 1.1: भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, विषय एवं संबंधित अनुच्छेद (विधायी विभाग)

संविधान का भाग	संबंधित विषय	अनुच्छेद विस्तार	प्रमुख संवैधानिक एवं परीक्षापयोगी विशेषताएँ	आधिकारिक स्रोत संदर्भ
भाग I	संघ और उसका राज्यक्षेत्र	अनुच्छेद 1 से 4	भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा; नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना एवं सीमा परिवर्तन।	legislative.gov.in
भाग II	नागरिकता	अनुच्छेद 5 से 11	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता तथा संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन।	legislative.gov.in
भाग III	मूल अधिकार	अनुच्छेद 12 से 35	समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति-शिक्षा एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।	legislative.gov.in
भाग IV	राज्य की नीति के निदेशक तत्व	अनुच्छेद 36 से 51	लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांत (अवादयोग्य प्रकृति)।	legislative.gov.in
भाग IVA	मूल कर्तव्य	अनुच्छेद 51क	42वें संशोधन (1976) द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए; वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य।	legislative.gov.in
भाग V	संघ (कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका)	अनुच्छेद 52 से 151	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक।	legislative.gov.in
भाग VI	राज्य (कार्यपालिका, विधानमंडल, उच्च न्यायालय)	अनुच्छेद 152 से 237	राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना।	legislative.gov.in
भाग VIII	संघ राज्यक्षेत्र	अनुच्छेद 239 से 242	केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन एवं दिल्ली/पुदुचेरी के विशेष संवैधानिक उपबंध (अनुच्छेद 239कक)।	legislative.gov.in
भाग IX	पंचायतें	अनुच्छेद 243 से 243ण	73वें संशोधन (1992) द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं 11वीं अनुसूची (29 विषय)।	legislative.gov.in
भाग IXA	नगरपालिकाएँ	अनुच्छेद 243त से 243यछ	74वें संशोधन (1992) द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन एवं 12वीं अनुसूची (18 विषय)।	legislative.gov.in
भाग IXB	सहकारी समितियाँ	अनुच्छेद 243यज से 243यतन	97वें संशोधन (2011) द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं स्वायत्त संचालन।	legislative.gov.in
भाग X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	अनुच्छेद 244 से 244क	पाँचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध।	legislative.gov.in

संविधान का भाग	संबंधित विषय	अनुच्छेद विस्तार	प्रमुख संवैधानिक एवं परीक्षापयोगी विशेषताएँ	आधिकारिक स्रोत संदर्भ
भाग XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	अनुच्छेद 245 से 263	विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255) तथा प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263) एवं अंतर्राज्यीय परिषद।	legislative.gov.in
भाग XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद	अनुच्छेद 264 से 300क	संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), वस्तु एवं सेवा कर परिषद (अनुच्छेद 279क) एवं संपत्ति का अधिकार।	legislative.gov.in
भाग XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	अनुच्छेद 308 से 323	अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद 312) तथा संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323)।	legislative.gov.in
भाग XIVA	अधिकरण (Tribunals)	अनुच्छेद 323क से 323ख	42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्य मामलों के लिए अधिकरण।	legislative.gov.in
भाग XV	निर्वाचन	अनुच्छेद 324 से 329क	भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) एवं चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन।	legislative.gov.in
भाग XVI	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	अनुच्छेद 330 से 342क	लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण, राष्ट्रीय आयोग (338, 338क, 338ख)।	legislative.gov.in
भाग XVII	राजभाषा	अनुच्छेद 343 से 351	संघ की राजभाषा (हिंदी और देवनागरी लिपि), प्रादेशिक भाषाएँ तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा।	legislative.gov.in
भाग XVIII	आपात उपबंध	अनुच्छेद 352 से 360	राष्ट्रीय आपातकाल (352), राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन (356) एवं वित्तीय आपात (360)।	legislative.gov.in
भाग XX	संविधान का संशोधन	अनुच्छेद 368	संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी विशेष प्रक्रिया।	legislative.gov.in

क्या आप जानते हैं?
भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को न तो टाइप किया गया था और न ही मुद्रित किया गया था। **विधायी विभाग (legislative.gov.in)** के अभिलेखों के अनुसार, इसकी अंग्रेजी प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने इटैलिक शैली में अपने हाथों से सुलेखित (Calligraphed) किया था, जबकि शांतिनिकेतन के कलाकारों— नंदलाल बोस और ब्योहर राममनोहर सिन्हा— ने इसके प्रत्येक पृष्ठ को भारतीय इतिहास और संस्कृति के चित्रों से अलंकृत किया था। हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। मूल प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में हीलियम गैस से भरे विशेष प्रकोष्ठों में सुरक्षित रखी गई हैं।

परीक्षा सतर्कता (Exam Alert):
प्रतियोगी परीक्षाओं (**www.iucacademy.com**) में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। ध्यान रखें कि प्रस्तावना में केवल **एक बार** 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (**legislative.gov.in**) द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से इसमें तीन नए शब्द— **'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता' (Integrity)**— जोड़े गए। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के तीन रूप (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित हैं, जबकि स्वतंत्रता (5 प्रकार: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना), समता (2 प्रकार: प्रतिष्ठा और अवसर) तथा बंधुता के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति (1789) से ग्रहण किए गए हैं।

★ स्मृति ट्रिक (Memory Trick):
भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का क्रम याद रखने का सूत्र:
"रा-वे-श-रा, अ-ज-सू-भा, भू-द-पं-न"
1. **रा** — राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र (प्रथम अनुसूची)
2. **वे** — वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार (द्वितीय अनुसूची)
3. **श** — शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप (तृतीय अनुसूची)
4. **रा** — राज्यसभा में स्थानों का आवंटन (चतुर्थ अनुसूची)
5. **अ** — अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन (पाँचवीं अनुसूची)
6. **ज** — जनजातीय क्षेत्र: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम — 'अमित्र मे' (छठी अनुसूची)
7. **सू** — सूचियाँ: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची)
8. **भा** — भाषाएँ: संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ (आठवीं अनुसूची)
9. **भू** — भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम (नौवीं अनुसूची - प्रथम संशोधन 1951)
10. **द** — दल-बदल के आधार पर निरर्हता (दसवीं अनुसूची - 52वाँ संशोधन 1985)
11. **पं** — पंचायतों की शक्तियाँ एवं 29 विषय (ग्यारहवीं अनुसूची - 73वाँ संशोधन 1992)
12. **न** — नगरपालिकाओं की शक्तियाँ एवं 18 विषय (बारहवीं अनुसूची - 74वाँ संशोधन 1992)

अध्याय 2: मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य

संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) को 'भारत का अधिकार-पत्र' (Magna Carta of India) कहा जाता है। **विधायी विभाग (legislative.gov.in)** के अनुसार, मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग XII के अनुच्छेद 300क के अंतर्गत एक संवैधानिक/विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 में 'राज्य' की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की आधारशिला रखता है और घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी (**sci.gov.in**)।

दूसरी ओर, भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व' (DPSP) शामिल हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इन्हें संविधान की 'अनोखी विशेषता' (Novel Features) कहा है, जबकि ग्रैनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों को संयुक्त रूप से 'संविधान की अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (वादयोग्य) नहीं हैं, तथापि ये देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

सारणी 1.2: भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उनका विश्लेषणात्मक विवरण (विधायी विभाग)

अनुच्छेद संख्या	संवैधानिक उपबंध का शीर्षक	विस्तृत विषय-वस्तु एवं परीक्षापयोगी विश्लेषण	संबंधित अपवाद / संशोधन / न्यायिक संदर्भ	आधिकारिक स्रोत
अनुच्छेद 14	विधि के समक्ष समता	राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता (ब्रिटिश अवधारणा - नकारात्मक) या विधियों के समान संरक्षण (अमेरिकी अवधारणा - सकारात्मक) से वंचित नहीं करेगा।	अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 15	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध	केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं; महिलाओं, बच्चों, सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़े वर्गों तथा EWS (103वाँ संशोधन) के लिए विशेष उपबंध संभव।	93वें संशोधन (2005) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 16	लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता	राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता; पिछड़े वर्गों व EWS (अनुच्छेद 16(6)) हेतु आरक्षण।	इंद्रा साहनी वाद (1992) में 50% आरक्षण सीमा एवं क्रीमी लेयर सिद्धांत प्रतिपादित।	sci.gov.in
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का अंत	अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है; यह एक निरपेक्ष (Absolute) अधिकार है जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है।	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 द्वारा दंडनीय अपराध घोषित।	legislative.gov.in

अनुच्छेद संख्या	संवैधानिक उपबंध का शीर्षक	विस्तृत विषय-वस्तु एवं परीक्षापयोगी विश्लेषण	संबंधित अपवाद / संशोधन / न्यायिक संदर्भ	आधिकारिक स्रोत
अनुच्छेद 19	वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण	केवल नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ: (क) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (ख) शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन, (ग) संगम/संघ/सहकारी समिति, (घ) अबाध संचरण, (ङ) निवास, (छ) वृत्ति या कारोबार।	अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restrictions) लागू।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण	(1) कार्योत्तर विधि से संरक्षण (आपराधिक मामलों में), (2) दोहरे दंड से संरक्षण (Double Jeopardy), (3) स्व-अभिशंसन (Self-incrimination) से संरक्षण।	44वें संशोधन (1978) के बाद अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण	किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।	मेनका गांधी वाद (1978) द्वारा 'यथोचित विधि प्रक्रिया' (Due Process of Law) का समावेश।	sci.gov.in
अनुच्छेद 21क	शिक्षा का अधिकार	राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा।	86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अंतःस्थापित; RTE Act 2009।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण	गिरफ्तारी के कारण जानने, विधिक व्यवसायी से परामर्श करने तथा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार; निवारक निरोध (अधिकतम 3 माह बिना सलाहकार बोर्ड के)।	शत्रु देशीय व्यक्तियों और निवारक निरोध (Preventive Detention) पर सामान्य अधिकार लागू नहीं।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 25	अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता	लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता; कृपाण धारण करना सिख धर्म का अंग माना गया है।	राज्य धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक क्रियाकलाप का विनियमन कर सकता है।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार एवं 5 रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा)।	डॉ. अंबेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा; यह संविधान के मूल ढाँचे का भाग है।	sci.gov.in
अनुच्छेद 39क	समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता	राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे।	42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया; इसी के तहत NALSA Act, 1987 पारित हुआ।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 40	ग्राम पंचायतों का संगठन	राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाएँ।	गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित; 73वें संशोधन (1992) द्वारा संवैधानिक रूप दिया गया।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 44	नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता	राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।	उदार-बौद्धिक सिद्धांत; गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 50	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण	राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।	दंड प्रक्रिया संहिता (1973) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों का पृथक्करण।	legislative.gov.in
अनुच्छेद 51	अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि	अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधि बाध्यताओं के प्रति आदर और मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटारा।	भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार।	legislative.gov.in

क्या आप जानते हैं?

भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार **केवल भारतीय नागरिकों** को प्राप्त हैं और विदेशियों को नहीं। **विधायी विभाग (legislative.gov.in)** के अनुसार, ये पाँच अनुच्छेद हैं: **अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30**। शेष सभी मूल अधिकार (अनुच्छेद 14, 20, 21, 21क, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28) भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी व्यक्तियों (शत्रु देशीय को छोड़कर) को भी समान रूप से प्राप्त हैं।

परीक्षा सतर्कता (Exam Alert):
उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) की रिट अधिकारिता में सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है (sci.gov.in):
1. उच्चतम न्यायालय **केवल मूल अधिकारों** के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ **अन्य विधिक अधिकारों ('किसी अन्य प्रयोजन के लिए')** के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार रिट के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है।
2. अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, अतः उच्चतम न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता के प्रयोग से इनकार नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन (Discretionary) है।

★ स्मृति ट्रिक (Memory Trick):
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार याद रखने की ट्रिक:
"15 और 16 के लड़के ने 19 की उम्र में 29 और 30 को अपनाया"
अर्थात् अनुच्छेद **15, 16, 19, 29 और 30** केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं।
42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्व (DPSP) याद रखने की ट्रिक:
"39 के बच्चे (39च), 39क का न्याय, 43क के श्रमिक और 48क का पर्यावरण"
- **अनुच्छेद 39(च):** बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर।
- **अनुच्छेद 39क:** समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
- **अनुच्छेद 43क:** उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना।
- **अनुच्छेद 48क:** पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।

अध्याय 3: संघ एवं राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका (संसद एवं राज्य विधानमंडल)

भारतीय
संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों में संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) को अपनाया है, जिसे 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' भी कहा जाता है। **विधायी विभाग (legislative.gov.in)** के अनुसार, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52), उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63), प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-75) तथा भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को अपनी कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करता है (42वें एवं 44वें संशोधन के पश्चात् राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने को बाध्य हैं)।

अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों— राज्यसभा (उच्च सदन / राज्यों की परिषद) और लोकसभा (निम्न सदन / लोगों का सदन)— से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति (अनुच्छेद 111) के बिना अधिनियम नहीं बन सकता।

सारणी 1.3: प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी, निर्वाचन/नियुक्ति, कार्यकाल एवं पदमुक्ति प्रक्रिया (विधायी विभाग)

संवैधानिक पद एवं अनुच्छेद	न्यूनतम आयु	नियुक्ति / निर्वाचन प्रणाली	कार्यकाल एवं पुनर्निर्वाचन	त्यागपत्र एवं पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया	आधिकारिक स्रोत
भारत का राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-62)	35 वर्ष	निर्वाचक मंडल (संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + राज्य व दिल्ली/पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत से।	5 वर्ष; पुनः निर्वाचन के लिए पात्र (अनुच्छेद 57)।	त्यागपत्र: उपराष्ट्रपति को; पदमुक्ति: संविधान के अतिक्रमण पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग (संसद के किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से)।	legislative.gov.in
उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-71)	35 वर्ष	संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों) से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा।	5 वर्ष; पुनः निर्वाचन के लिए पात्र।	त्यागपत्र: राष्ट्रपति को; पदमुक्ति: राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा (अनुच्छेद 67ख)।	legislative.gov.in

संवैधानिक पद एवं अनुच्छेद	न्यूनतम आयु	नियुक्ति / निर्वाचन प्रणाली	कार्यकाल एवं पुनर्निर्वाचन	त्यागपत्र एवं पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया	आधिकारिक स्रोत
प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री (अनुच्छेद 74-75)	25 वर्ष (लो.स.) / 30 वर्ष (रा.स.)	प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा।	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (अनुच्छेद 75(2)) एवं लोकसभा में बहुमत रहने तक।	त्यागपत्र: राष्ट्रपति को; मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3)); अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र।	legislative.gov.in
भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी)।	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (संविधान में निश्चित कार्यकाल नहीं)।	त्यागपत्र: राष्ट्रपति को; राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। संसद की कार्यवाही व समितियों में भाग लेने व बोलने का अधिकार, किंतु मतदान का अधिकार नहीं (अनुच्छेद 88)।	legislative.gov.in
लोकसभा अध्यक्ष (अनुच्छेद 93-96)	25 वर्ष	लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से साधारण बहुमत से निर्वाचित।	लोकसभा के जीवनकाल तक (नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक पद पर रहते हैं)।	त्यागपत्र: लोकसभा उपाध्यक्ष को; पदमुक्ति: लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित संकल्प द्वारा (14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक)।	legislative.gov.in
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 124)	कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं	कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।	65 वर्ष की आयु तक।	त्यागपत्र: राष्ट्रपति को; पदमुक्ति: साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन के बाद राष्ट्रपति के आदेश से (अनुच्छेद 124(4))।	sci.gov.in
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - CAG (अनुच्छेद 148)	संविधान में विनिर्दिष्ट नहीं (संसद की विधि अनुसार)	राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त।	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो); सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के लिए अपात्र।	त्यागपत्र: राष्ट्रपति को; पदमुक्ति: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति से और उन्हीं आधारों (साबित कदाचार या असमर्थता) पर।	legislative.gov.in
राज्यपाल (अनुच्छेद 153-162)	35 वर्ष	राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त (केंद्र का प्रतिनिधि एवं राज्य का संवैधानिक प्रमुख)।	सामान्यतः 5 वर्ष, किंतु राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 156)।	त्यागपत्र: राष्ट्रपति को; राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए पद से हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है।	legislative.gov.in
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 324)	अधिनियम द्वारा निर्धारित	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)।	त्यागपत्र: राष्ट्रपति को; पदमुक्ति: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति साबित कदाचार या असमर्थता पर संसदीय प्रक्रिया द्वारा; अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाए जा सकते हैं।	legislative.gov.in

क्या आप जानते हैं?

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 (legislative.gov.in) के द्वारा अनुच्छेद 75(1क) और अनुच्छेद 164(1क) जोड़कर मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया है। इसके अनुसार, केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के **15 प्रतिशत** से अधिक नहीं होगी। राज्यों में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के **15 प्रतिशत** से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या **12** से कम नहीं होगी (दिल्ली विधानसभा के मामले में अनुच्छेद 239कक के तहत यह सीमा कुल सदस्य संख्या का **10 प्रतिशत** अर्थात् मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 7 मंत्री है)।

परीक्षा सतर्कता (Exam Alert):
धन विधेयक (अनुच्छेद 110) और वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117) के संबंध में परीक्षाओं (www.iucacademy.com) में पूछे जाने वाले मुख्य बिंदु:
1. प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता।
2. धन विधेयक केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर **लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम** होता है (अनुच्छेद 110(3))।
3. राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती; उसे इसे अधिकतम **14 दिनों** के भीतर लौटाना होता है। धन विधेयक पर दोनों सदनों की **संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) नहीं** बुलाई जा सकती।
4. राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, किंतु उसे संसद के **पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते** (अनुच्छेद 111)।

★ स्मृति ट्रिक (Memory Trick):
राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद (अनुच्छेद 52 से 61) याद रखने का प्रसिद्ध सूत्र:
"पकानी कोका दुयो दशम"
- **प (52):** पद (भारत का एक राष्ट्रपति होगा)
- **का (53):** कार्यपालिका शक्ति (संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित)
- **नी (54):** निर्वाचन (राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल)
- **को (55):** कोटा / निर्वाचन की रीति (आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत)
- **का (56):** कार्यकाल (पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष)
- **दु (57):** दुबारा नियुक्ति / पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
- **यो (58):** योग्यता / राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ
- **द (59):** दशाएँ / राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
- **श (60):** शपथ या प्रतिज्ञान (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा)
- **म (61):** महाभियोग चलाने की प्रक्रिया (संविधान के अतिक्रमण पर)

अध्याय 4: भारतीय न्यायपालिका, ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन एवं प्रमुख न्यायिक वाद

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 4: भारतीय न्यायपालिका, ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन एवं प्रमुख न्यायिक वाद

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
सारणी 1.4: भारतीय संविधान के प्रमुख संवैधानिक संशोधन अधिनियम (विधायी विभाग)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
सारणी 1.5: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संवैधानिक वाद एवं न्यायिक सिद्धांत (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)

भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली (Integrated Judicial System) है, जिसके शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्यायालय (sci.gov.in) स्थित है और उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214) तथा अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसने 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित 'संघीय न्यायालय' (Federal Court) का स्थान लिया। भाग V के अध्याय IV में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है।

उच्चतम न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक बनाया गया है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत इसकी आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction), अनुच्छेद 132-136 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारिता, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति तथा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति (Advisory Jurisdiction) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष किसी वाद या विषय में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक डिक्री पारित करने या आदेश देने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है।

सारणी 1.4: भारतीय संविधान के प्रमुख संवैधानिक संशोधन अधिनियम (विधायी विभाग)

संशोधन संख्या एवं वर्ष	संशोधित अनुच्छेद / अनुसूची	प्रमुख प्रावधान एवं संवैधानिक प्रभाव	परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व	आधिकारिक स्रोत
प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951	अनुच्छेद 15(4), 19(2), 31क, 31ख एवं 9वीं अनुसूची	सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध; भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।	अंतरिम संसद द्वारा पारित प्रथम संविधान संशोधन; अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' और 'विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध' जोड़े गए।	legislative.gov.in
7वाँ संशोधन अधिनियम, 1956	प्रथम व चतुर्थ अनुसूची, भाग VII निरसित, अनुच्छेद 153, 231	राज्यों के चार वर्गों (भाग क, ख, ग, घ) को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन; दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल व साझे उच्च न्यायालय का प्रावधान।	राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग) की सिफारिशों को लागू करने के लिए पारित।	legislative.gov.in
24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971	अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368	संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति दी गई; संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए अपनी अनुमति देना बाध्यकारी बनाया गया।	गोलकनाथ वाद (1967) के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए पारित; अनुच्छेद 13(4) और 368(3) जोड़े गए।	legislative.gov.in
42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976	प्रस्तावना, भाग IVA, XIVA, अनुच्छेद 39क, 43क, 48क, 74 आदि	प्रस्तावना में 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता' शब्द जोड़े गए; 10 मूल कर्तव्य (भाग IVA) जोड़े गए; शिक्षा, वन, वन्यजीव, नाप-तौल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।	इसे 'लघु संविधान' (Mini Constitution) कहा जाता है; स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित।	legislative.gov.in
44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978	अनुच्छेद 19, 20, 21, 31, 74, 300क, 352, 356	संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300क में विधिक अधिकार बनाया; अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखा; मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य की।	अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनंतिम (अ-निलंबनीय) बनाया गया।	legislative.gov.in
52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985	अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 एवं 10वीं अनुसूची	राजनीतिक दल-बदल पर रोक लगाने हेतु संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई और संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के उपबंध किए गए।	इसे 'दल-बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) के रूप में जाना जाता है; 91वें संशोधन (2003) द्वारा इसे और कड़ा किया गया।	legislative.gov.in
61वाँ संशोधन अधिनियम, 1988 (प्रभावी 1989)	अनुच्छेद 326	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने की न्यूनतम आयु को **21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** कर दिया गया।	तारकुंडे समिति की अनुशंसा व युवा भागीदारी बढ़ाने हेतु किया गया ऐतिहासिक सुधार।	legislative.gov.in
69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991	अनुच्छेद 239कक एवं 239कख	केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली' (NCT of Delhi) का विशेष दर्जा तथा 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध।	दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के तीन विषयों— लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस और भूमि (Land)— को छोड़कर शेष विषयों पर विधि बनाने की शक्ति।	legislative.gov.in
73वाँ एवं 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992	भाग IX (11वीं अनुसूची) एवं भाग IXA (12वीं अनुसूची)	पंचायती राज संस्थाओं (29 विषय) और नगरीय स्थानीय निकायों (18 विषय) को संवैधानिक दर्जा; महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य वित्त आयोग का गठन।	73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ (इसलिए 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है)।	legislative.gov.in
86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002	अनुच्छेद 21क, अनुच्छेद 45 एवं अनुच्छेद 51क(ट)	6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार (अनुच्छेद 21क) बनाया गया; अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और अनुच्छेद 51क(ट) में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया।	एकमात्र संशोधन जिसने संविधान के तीनों भागों— मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य— में एक साथ परिवर्तन किया।	legislative.gov.in

संशोधन संख्या एवं वर्ष	संशोधित अनुच्छेद / अनुसूची	प्रमुख प्रावधान एवं संवैधानिक प्रभाव	परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व	आधिकारिक स्रोत
101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016	अनुच्छेद 246क, 269क, 279क एवं 6ठी व 7वीं अनुसूची	देश में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) लागू किया गया; अनुच्छेद 279क के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 'जीएसटी परिषद' का गठन।	1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत पर जीएसटी प्रवर्तित हुआ।	legislative.gov.in
102वाँ, 103वाँ, 104वाँ, 105वाँ एवं 106वाँ संशोधन (2018-2023)	अनुच्छेद 338ख, 15(6), 16(6), 330-334, 342क, 330क, 332क	**102वाँ (2018):** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा; **103वाँ (2019):** EWS को 10% आरक्षण; **104वाँ (2019):** आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त व SC/ST आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया; **105वाँ (2021):** राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार पुनः बहाल; **106वाँ (2023):** लोकसभा, राज्य विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 (33%) आरक्षण।	106वाँ संशोधन 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के नाम से पारित हुआ, जो जनगणना और परिसीमन के पश्चात् लागू होगा।	legislative.gov.in

सारणी 1.5: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संवैधानिक वाद एवं न्यायिक सिद्धांत (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)

ऐतिहासिक वाद का नाम एवं वर्ष	प्रमुख संवैधानिक प्रश्न	सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय एवं प्रतिपादित सिद्धांत	भारतीय राजव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव	आधिकारिक स्रोत
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)	अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ एवं निवारक निरोध की वैधता।	न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की और कहा कि 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ विधायिका द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से है, न कि अमेरिकी 'यथोचित विधि प्रक्रिया' से।	इस निर्णय को 28 वर्ष बाद मेनका गांधी वाद (1978) में पलट दिया गया।	sci.gov.in
बेरुबारी संघ वाद (In re Berubari Union, 1960)	क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है?	न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है; भारतीय क्षेत्र विदेशी राज्य को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन आवश्यक है (9वाँ संशोधन, 1960 पारित)।	केशवानंद भारती वाद (1973) में प्रस्तावना को संविधान का भाग न मानने वाले मत को उलट दिया गया।	sci.gov.in
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)	क्या संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों को छीन या न्यून कर सकती है?	11 न्यायाधीशों की पीठ (6:5 बहुमत) ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है और संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में 'विधि' है, अतः संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती।	इसी वाद में मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने 'भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत' (Doctrine of Prospective Overruling) लागू किया।	sci.gov.in
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)	24वें, 25वें व 29वें संविधान संशोधनों की वैधता तथा संसद की संशोधन शक्ति की सीमा।	13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ (7:6 बहुमत) ने **'संविधान के मूल ढाँचे का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine)** प्रतिपादित किया; संसद संविधान के किसी भी भाग (मूल अधिकार सहित) में संशोधन कर सकती है, किंतु उसके 'मूल ढाँचे' को नष्ट नहीं कर सकती।	24 अप्रैल 1973 को सुनाए गए इस निर्णय ने संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित किया तथा प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना।	sci.gov.in
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)	पासपोर्ट जब्ती एवं अनुच्छेद 14, 19 और 21 के मध्य अंतर्संबंध।	गोपालन वाद के निर्णय को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया 'न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और युक्तियुक्त' (Just, Fair and Reasonable) होनी चाहिए; अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक-दूसरे से पृथक् न होकर **'स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle)** बनाते हैं।	भारत में 'यथोचित विधि प्रक्रिया' (Due Process of Law) को न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया और अनुच्छेद 21 का व्यापक विस्तार हुआ।	sci.gov.in

ऐतिहासिक वाद का नाम एवं वर्ष	प्रमुख संवैधानिक प्रश्न	सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय एवं प्रतिपादित सिद्धांत	भारतीय राजव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव	आधिकारिक स्रोत
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)	42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368(4) एवं 368(5) तथा अनुच्छेद 31ग के विस्तार की वैधता।	न्यायालय ने अनुच्छेद 368(4) व (5) को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि 'सीमित संशोधन शक्ति' स्वयं संविधान का मूल ढाँचा है; कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों (भाग III) और नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) के बीच **संतुलन और सामंजस्य की आधारशिला** पर टिका है।	न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को अखंडनीय मूल ढाँचा घोषित किया गया।	sci.gov.in
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल आयोग वाद, 1992)	ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता एवं आरक्षण की अधिकतम सीमा।	9 न्यायाधीशों की पीठ ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, किंतु 'क्रीमी लेयर' (संपन्न वर्ग) को बाहर रखने का निर्देश दिया; असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण की अधिकतम सीमा **50 प्रतिशत** निर्धारित की।	प्रोन्नति में आरक्षण को अमान्य किया (जिसे बाद में संसद ने 77वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4क) जोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु बनाए रखा)।	sci.gov.in
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)	अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग पर रोक, संघवाद एवं पंथनिरपेक्षता।	9 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा **न्यायिक पुनर्विलोकन** के अधीन है; राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं अपितु केवल **विधानसभा के पटल (Floor Test)** पर होगा।	'पंथनिरपेक्षता' (Secularism) और 'संघवाद' (Federalism) को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया गया और राज्यों में मनमाने राष्ट्रपति शासन पर अंकुश लगा।	sci.gov.in
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (9वीं अनुसूची वाद, 2007)	क्या 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक पुनर्विलोकन से पूर्णतः मुक्त हैं?	9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की अनुच्छेद 14, 19, 21 और मूल ढाँचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।	9वीं अनुसूची का 'पूर्ण संवैधानिक कवच' समाप्त हो गया।	sci.gov.in
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)	क्या 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है?	9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (9:0) से एम.पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) वादों के निर्णयों को पलटते हुए घोषित किया कि **निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तथा भाग III का एक अंतर्भूत मौलिक अधिकार है**।	डेटा संरक्षण, व्यक्तिगत स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रताओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ।	sci.gov.in
जनहित अभियान बनाम भारत संघ (EWS आरक्षण वाद, 2022)	103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण) की संवैधानिक वैधता।	5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **3:2 के बहुमत** से 103वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 15(6) और 16(6)) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया और कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता।	इंद्रा साहनी वाद की 50% सीमा को केवल सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़े वर्गों (SC/ST/OBC) के संदर्भ में माना गया और EWS आरक्षण को पृथक् वर्ग के रूप में मान्यता मिली।	sci.gov.in

अध्याय 5: केंद्र-राज्य संबंध, पंचायती राज, संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक निकाय

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का त्रि-स्तरीय विभाजन किया गया है (legislative.gov.in):

1. **संघ सूची (Union List):** मूलतः 97 विषय (वर्तमान में गणना की दृष्टि से लगभग 100 विषय), जिन पर केवल संसद को विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है (जैसे— रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, जनगणना)।

2. **राज्य सूची (State List):** मूलतः 66 विषय (वर्तमान में 61 विषय), जिन पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल विधि बनाता है (जैसे— लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, कारागार, स्थानीय शासन, भूमि)।

3. **समवर्ती सूची (Concurrent List):** मूलतः 47 विषय (वर्तमान में 52 विषय), जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु विरोध की स्थिति में संसद की विधि अभिभावी होती है (अनुच्छेद 254)। 42वें संशोधन (1976) द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों— **(1) शिक्षा, (2) वन, (3)**

वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, (4) बाट और माप, तथा (5) उच्चतम और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन (न्याय प्रशासन)— को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।

4. **अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers - अनुच्छेद 248):** वे सभी विषय जो तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं हैं (जैसे— साइबर कानून, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी), उन पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति कनाडा के संविधान की तर्ज पर **संसद** को दी गई है।

सारणी 1.6: भारत के प्रमुख संवैधानिक, सांविधिक एवं कार्यकारी निकायों का तुलनात्मक विश्लेषण (विधायी विभाग)

निकाय का नाम	प्रकृति एवं संवैधानिक अनुच्छेद / अधिनियम	संरचना (अध्यक्ष एवं सदस्य)	नियुक्ति प्राधिकारी एवं कार्यकाल	प्रमुख कार्य एवं परीक्षापयोगी तथ्य	आधिकारिक स्रोत
वित्त आयोग (Finance Commission)	संवैधानिक एवं अर्ध-न्यायिक निकाय (अनुच्छेद 280)	1 अध्यक्ष + 4 अन्य सदस्य (अर्हताएँ संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम, 1951 के तहत निर्धारित)।	राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर (या उससे पहले) गठित; सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र।	केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275) के सिद्धांत; सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। (16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया)।	legislative.gov.in
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)	संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय (भाग XIV, अनुच्छेद 315-323)	1 अध्यक्ष + अन्य सदस्य (सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर, सामान्यतः 9 से 11)।	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; कार्यकाल: **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (राज्य लोक सेवा आयोग हेतु 6 वर्ष या 62 वर्ष)।	अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं का संचालन तथा अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श; इसे 'भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी' कहा जाता है।	legislative.gov.in
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)	स्थायी एवं स्वतंत्र संवैधानिक निकाय (भाग XV, अनुच्छेद 324)	1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त + राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्त (1993 से बहु-सदस्यीय: 1+2)।	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत चयन समिति की सिफारिश पर); कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष।	संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण; पंचायत व नगरपालिका चुनाव **राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ट व 243यक)** कराता है।	legislative.gov.in
वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council)	संवैधानिक एवं संघीय निकाय (101वाँ संशोधन, अनुच्छेद 279क)	अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री; सदस्य: केंद्रीय राजस्व/वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों व विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त/कराधान मंत्री।	राष्ट्रपति के आदेश से गठित; गणपूर्ति (Quorum): कुल सदस्यों का 50%।	जीएसटी दरों, छूटों और मॉडल कानूनों पर सिफारिश; निर्णय उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के **3/4 (75%) भारित बहुमत** से (केंद्र का मतभार 1/3 तथा सभी राज्यों का संयुक्त मतभार 2/3)।	legislative.gov.in
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग (NCSC, NCST, NCBC)	संवैधानिक निकाय: NCSC (अनुच्छेद 338), NCST (अनुच्छेद 338क - 89वाँ संशोधन 2003), NCBC (अनुच्छेद 338ख - 102वाँ संशोधन 2018)	प्रत्येक आयोग में: 1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य (कुल 5 सदस्य)।	राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त; सेवा शर्तें व कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित (सामान्यतः 3 वर्ष)।	संबंधित वर्गों के संवैधानिक रक्षोपायों की जाँच और निगरानी; शिकायतों की जाँच करते समय इन्हें **सिविल न्यायालय (Civil Court)** की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं; वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं।	legislative.gov.in
नीति आयोग (NITI Aayog)	गैर-संवैधानिक एवं गैर-सांविधिक (मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित कार्यकारी थिंक-टैंक)	अध्यक्ष: प्रधानमंत्री; उपाध्यक्ष (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, कैबिनेट मंत्री का दर्जा); शासी परिषद (सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल); मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)।	प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।	'सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Cooperative and Competitive Federalism) तथा 'बॉटम-अप' (Bottom-up) दृष्टिकोण पर आधारित नीति निर्माण; इसने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग (1950) का स्थान लिया।	indiabudget.gov.in

निकाय का नाम	प्रकृति एवं संवैधानिक अनुच्छेद / अधिनियम	संरचना (अध्यक्ष एवं सदस्य)	नियुक्ति प्राधिकारी एवं कार्यकाल	प्रमुख कार्य एवं परीक्षापयोगी तथ्य	आधिकारिक स्रोत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एवं लोकपाल	सांविधिक निकाय (संसद के अधिनियम द्वारा गठित): NHRC (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993; संशोधित 2019); लोकपाल (लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013)	**NHRC:** 1 अध्यक्ष (उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश) + 5 पूर्णकालिक सदस्य + 7 पदेन सदस्य। **लोकपाल:** 1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक सदस्य)।	राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त; कार्यकाल: **NHRC (3 वर्ष या 70 वर्ष); लोकपाल (5 वर्ष या 70 वर्ष)**।	NHRC मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में 1 वर्ष के भीतर संज्ञान लेता है; लोकपाल प्रधानमंत्री (कुछ अपवादों सहित), केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और केंद्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जाँच करता है।	legislative.gov.in

क्या आप जानते हैं?

भारत में पंचायती राज के विकास के लिए गठित प्रमुख समितियों का कालानुक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं (www.iucacademy.com) का सबसे प्रिय प्रश्न है:

1. **बलवंत राय मेहता समिति (1957):** लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं **त्रि-स्तरीय पंचायती राज** (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) की सिफारिश की। इसी के आधार पर **2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले (बगदरी गाँव)** में देश की पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बना।
2. **अशोक मेहता समिति (1977): द्वि-स्तरीय पंचायती राज** (मंडल पंचायत और जिला परिषद) तथा पंचायती चुनावों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी की सिफारिश की।
3. **जी.वी.के. राव समिति (1985):** ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए गठित; इसने नौकरशाहीकरण के कारण पंचायतों को 'बिना जड़ की घास' (Grass without roots) कहा और 'जिला विकास आयुक्त' के पद के सृजन की सिफारिश की।
4. **एल.एम. सिंघवी समिति (1986):** राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित; इसने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को **संवैधानिक दर्जा** देने तथा ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति मानने की प्रबल संस्तुति की।
5. **पी.के. थुंगन समिति (1988) एवं गाडगिल समिति (1988):** इन्होंने पंचायतों के निश्चित 5 वर्षीय कार्यकाल, त्रि-स्तरीय ढाँचे और संवैधानिक मान्यता की रूपरेखा तैयार की, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (legislative.gov.in) का प्रत्यक्ष आधार बनी।

परीक्षा सतर्कता (Exam Alert):

आपातकालीन उपबंधों (भाग XVIII: अनुच्छेद 352-360) के अनुमोदन एवं बहुमत के अंतर को समझें (legislative.gov.in):

- **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):** युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित। संसद के दोनों सदनों द्वारा **1 माह** के भीतर **विशेष बहुमत** (कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत) से अनुमोदन आवश्यक। इसे वापस लेने (Revocation) के लिए राष्ट्रपति कभी भी उद्घोषणा कर सकते हैं या **लोकसभा साधारण बहुमत** से संकल्प पारित कर सकती है।
- **राष्ट्रपति शासन / राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356):** संसद के दोनों सदनों द्वारा **2 माह** के भीतर **साधारण बहुमत** से अनुमोदन आवश्यक; अधिकतम अवधि 3 वर्ष (1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए दो शर्तें— राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव संभव नहीं हैं)।
- **वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):** संसद के दोनों सदनों द्वारा **2 माह** के भीतर **साधारण बहुमत** से अनुमोदन आवश्यक; एक बार अनुमोदित होने पर यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है (बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं) और भारत में आज तक कभी भी अनुच्छेद 360 लागू नहीं हुआ है।

★ स्मृति ट्रिक (Memory Trick):

पंचायती राज की समितियों का कालानुक्रम याद रखने की ट्रिक:

"बलवंत और अशोक ने राव से मिलकर सिंघवी और थुंगन को पंचायत में बुलाया"

1. **बलवंत** राय मेहता समिति (1957) — 3 स्तर
2. **अशोक** मेहता समिति (1977) — 2 स्तर
3. जी.वी.के. **राव** समिति (1985) — जिला स्तर नियोजन
4. एल.एम. **सिंघवी** समिति (1986) — संवैधानिक दर्जा
5. पी.के. **थुंगन** समिति (1988) — निश्चित 5 वर्ष कार्यकाल

अध्याय 6: भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान — 40 उच्च-स्तरीय हल बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जबकि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।

2. संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।

3. मूल संविधान की प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द विद्यमान थे, जबकि 'समाजवादी' शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (A) केवल 1 और 2

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, कथन 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं। प्रांतीय संविधान समिति तथा मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को तथा राष्ट्रगान ('जन-गण-मन') और राष्ट्रगीत ('वंदे मातरम्') को संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कथन 3 असत्य है क्योंकि मूल प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता'— तीनों में से कोई भी शब्द नहीं था; इन तीनों शब्दों को एक साथ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा प्रस्तावना में अंतःस्थापित किया गया था।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायिक वाद और उसका निष्कर्ष सही सुमेलित **नहीं** है?

(A) बेरुबारी संघ वाद (1960) — प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।

(B) केशवानंद भारती वाद (1973) — प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है।

(C) एल.आई.सी. ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर (1995) — प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है।

(D) मिनर्वा मिल्स वाद (1980) — प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय (वादयोग्य) है और यह विधायिका को स्वतंत्र शक्ति का स्रोत प्रदान करती है।

• **सही उत्तर:** (D) मिनर्वा मिल्स वाद (1980) — प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय (वादयोग्य) है और यह विधायिका को स्वतंत्र शक्ति का स्रोत प्रदान करती है।

• **विस्तृत व्याख्या:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in) के सुस्थापित न्यायशास्त्र के अनुसार, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग तो है (केशवानंद भारती वाद, 1973 और एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वाद, 1995), किंतु यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावना की प्रकृति गैर-न्यायोचित (Non-justiciable / अवादयोग्य) है, अर्थात् इसके उपबंधों को न्यायालय के माध्यम से सीधे लागू नहीं कराया जा सकता। अतः विकल्प (D) सही सुमेलित नहीं है।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के भाग I (संघ और उसका राज्यक्षेत्र) के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 3 के अधीन किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

2. राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचार जानने के लिए भेजे गए विधेयक पर राज्य विधानमंडल की सहमति राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी होती है।

3. अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (B) केवल 1 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार, अनुच्छेद 3 के परंतुकों में स्पष्ट है कि नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है और सिफारिश करने से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार जानने के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर भेजते हैं। किंतु बाबूलाल परांते बनाम बंबई राज्य (1960) वाद (sci.gov.in) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों या संशोधनों को मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं हैं (अतः कथन 2 गलत है)। अनुच्छेद 4(2) के अनुसार ऐसे कानून संसद द्वारा साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया से पारित किए जाते हैं तथा उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. नागरिकता अधिनियम, 1955 एवं संविधान के भाग II के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 यह उपबंध करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तो भी वह भारत का नागरिक बना रहेगा।

(B) संविधान का अनुच्छेद 11 राज्य विधानमंडलों को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में विधि बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है।

(C) नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं— जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा तथा क्षेत्र समाविष्ट किए जाने द्वारा।

(D) भारत में केवल जन्मजात नागरिक ही भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, देशीयकृत (Naturalised) नागरिक नहीं।

• **सही उत्तर:** (C) नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं— जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा तथा क्षेत्र समाविष्ट किए जाने द्वारा।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार, अनुच्छेद 9 एकल नागरिकता को सुदृढ़ करते हुए कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तो वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के अधीन भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 11 केवल **संसद** को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति देता है। अमेरिका के विपरीत, भारत में जन्म से नागरिक और देशीयकृत नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद (अनुच्छेद 58) के लिए समान रूप से पात्र होते हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता अर्जन के 5 तरीके और समाप्ति के 3 तरीके (परित्याग, पर्यावसान और वंचन) निर्धारित करता है।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' (Law) शब्द की परिभाषा और न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत सही है?

(A) 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) केवल संविधान के लागू होने के बाद बनी विधियों पर लागू होता है, संविधान-पूर्व विधियों पर नहीं।

(B) अनुच्छेद 13(3)(क) के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश (Ordinances) 'विधि' की परिभाषा में सम्मिलित हैं और मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है।

(C) अनुच्छेद 13(4) के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संविधान संशोधन किसी भी परिस्थिति में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं हो सकता।

(D) 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) का अर्थ है कि यदि किसी अधिनियम की एक भी धारा असंवैधानिक है, तो संपूर्ण अधिनियम स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

• **सही उत्तर:** (B) अनुच्छेद 13(3)(क) के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश (Ordinances) 'विधि' की परिभाषा में सम्मिलित हैं और मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 13(3)(क) के अनुसार, 'विधि' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा शामिल है। भीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) वाद (sci.gov.in) में प्रतिपादित 'आच्छादन का सिद्धांत' मुख्यतः संविधान-पूर्व विधियों (अनुच्छेद 13(1)) से संबंधित है। केशवानंद भारती वाद (1973) और मिनर्वा मिल्स वाद (1980) के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन भी 'मूल ढाँचे' के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं। पृथक्करणीयता के सिद्धांत के तहत केवल असंगत भाग को ही हटाया जाता है, जब तक कि वह शेष अधिनियम से अभिन्न रूप से जुड़ा न हो।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 16(3) के अनुसार, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अधीन नियोजन के लिए निवास (Residence) संबंधी शर्त लगाने की विधि बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं।

2. अनुच्छेद 16(4क) राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में परिणामी ज्येष्ठता (Consequential Seniority) सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण का उपबंध करने की शक्ति देता है।

3. एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है और इसके लिए पिछड़ेपन या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े जुटाना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (A) केवल 1 और 2

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार, अनुच्छेद 16(3) लोक नियोजन में निवास को अर्हता बनाने का अधिकार केवल संसद को देता है। 77वें संशोधन (1995) और 85वें संशोधन (2001) द्वारा अनुच्छेद 16(4क) में SC/ST के लिए परिणामी ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। किंतु एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) तथा जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता (2018) वाद (sci.gov.in) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4क) केवल समर्थकारी प्रावधान (Enabling Provisions) हैं और प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य को लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े (Quantifiable Data) तथा प्रशासनिक दक्षता (अनुच्छेद 335) का ध्यान रखना अनिवार्य है (यद्यपि जरनैल सिंह वाद में SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने की शर्त हटा दी गई, किंतु अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े जुटाने की शर्त बरकरार रखी गई)। अतः कथन 3 गलत है।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित मौलिक अधिकार घोषित किए गए हैं?

1. विदेश यात्रा करने का अधिकार (मेनका गांधी वाद, 1978)

2. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997)

3. गरिमा के साथ मरने का अधिकार एवं निष्क्रिय इच्छामृत्यु / लिविंग विल (कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, 2018)

4. काम के बदले समान वेतन को न्यायालय द्वारा सीधे मूल अधिकार के रूप में प्रवर्तित कराने का निरपेक्ष सांविधिक अधिकार (केवल अनुच्छेद 39(घ) के तहत बिना अनुच्छेद 14 के)

सही कूट का चयन कीजिए:

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2, 3 और 4

• **सही उत्तर:** (A) केवल 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** **भारत के सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in)** ने अनुच्छेद 21 का उदार विस्तार करते हुए सतवंत सिंह व मेनका गांधी वाद में विदेश यात्रा के अधिकार, विशाखा वाद (1997) में कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के अधिकार (अनुच्छेद 14, 19 व 21 के तहत), तथा कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) वाद में 'गरिमा के साथ मरने के अधिकार' (Right to die with dignity) और 'लिविंग विल' (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) को अनुच्छेद 21 का भाग माना है। उधर, 'समान कार्य के लिए समान वेतन' मूल रूप से अनुच्छेद 39(घ) में एक नीति निदेशक तत्व है, जिसे रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) में अनुच्छेद 14 और 16 के साथ पढ़कर संवैधानिक लक्ष्य माना गया, न कि केवल अनुच्छेद 39(घ) के तहत एक स्वतंत्र निरपेक्ष अधिकार।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 20(1) का कार्योत्तर विधि (Ex-post-facto law) से संरक्षण केवल आपराधिक विधियों पर लागू होता है, सिविल या कर (Tax) विधियों पर नहीं; अर्थात् सिविल और कर कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect) से लागू किया जा सकता है।

2. अनुच्छेद 20(2) का 'दोहरे दंड' (Double Jeopardy) से संरक्षण विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे न्यायिक प्रकृति की नहीं होतीं।

3. सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग परीक्षण कराना अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** **विधायी विभाग (legislative.gov.in)** एवं **सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in)** के निर्णयों के अनुसार तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 20(1) भूतलक्षी आपराधिक कानूनों (जिनसे किसी कार्य को पूर्व-तिथि से अपराध बनाया जाए या दंड की मात्रा बढ़ाई जाए) को प्रतिबंधित करता है, किंतु सिविल/कर कानूनों या निवारक निरोध पर यह रोक लागू नहीं होती। मकबूल हुसैन बनाम बंबई राज्य (1953) में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 20(2) केवल न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष अभियोजन और दंड पर लागू होता है, विभागीय जाँच पर नहीं। सेल्वी वाद (2010) में अनैच्छिक नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट को अनुच्छेद 20(3) (स्व-अभिशंसन से संरक्षण) का उल्लंघन माना गया।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) के अंतर्गत जारी की जाने वाली रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):** यह सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों— दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

2. **परमादेश (Mandamus):** यह भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों या किसी निजी व्यक्ति/संस्था (जब तक उस पर कोई सांविधिक लोक कर्तव्य न हो) के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती।

3. **उत्प्रेषण (Certiorari):** 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् यह न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है।

4. **अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto):** इसे केवल पीड़ित व्यक्ति (Aggrieved Person) द्वारा ही दायर किया जा सकता है, किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा नहीं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 1, 3 और 4

(C) केवल 2, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 और 4

• **सही उत्तर:** (A) केवल 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in) के रिट न्यायशास्त्र के अनुसार कथन 1, 2 और 3 सही हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि अन्य चार रिटों (बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर शेष तीनों में सामान्यत: पीड़ित व्यक्ति का नियम लागू होता है) के विपरीत, **अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto)** की रिट किसी भी सार्वजनिक पद के अवैध अधिग्रहण की वैधता की जाँच करने के लिए होती है, अत: इसके लिए आवेदन केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही नहीं अपितु **किसी भी न्यायप्रिय या इच्छुक व्यक्ति (Any public-minded person)** द्वारा किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (भाग IV) के अनुच्छेदों और उनके विषयों का सही मिलान कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद) — सूची-II (संवैधानिक उपबंध)

A. अनुच्छेद 39(ख) और (ग) — 1. कृषि और पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठन

B. अनुच्छेद 43ख — 2. सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का संवर्धन

C. अनुच्छेद 47 — 3. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

D. अनुच्छेद 48 — 4. भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का सामूहिक हित में वितरण एवं धन के अहितकारी संकेंद्रण की रोकथाम

कूट:

(A) A-4, B-2, C-3, D-1

(B) A-2, B-4, C-3, D-1

(C) A-4, B-2, C-1, D-3

(D) A-3, B-1, C-4, D-2

• **सही उत्तर:** (A) A-4, B-2, C-3, D-1

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार: अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) समाजवादी सिद्धांत हैं, जिन्हें 25वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा अनुच्छेद 31ग के माध्यम से अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दी गई। अनुच्छेद 43ख को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया जो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य तथा मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के प्रतिषेध का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक संगठन तथा दुधारू पशुओं के वध के प्रतिषेध से संबंधित है।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. भारतीय संविधान के भाग IVA (अनुच्छेद 51क) में उल्लिखित 'मूल कर्तव्यों' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है?

(A) स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए।

(B) स्वर्ण सिंह समिति द्वारा अनुशंसित 'कर अदायगी का कर्तव्य' (Duty to pay taxes) वर्तमान में अनुच्छेद 51क के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य के रूप में शामिल है।

(C) 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वाँ मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51क(ट)) जोड़ा गया, जिसके तहत माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

(D) न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (1999) ने कुछ मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित विद्यमान कानूनी प्रावधानों की पहचान की थी।

• **सही उत्तर:** (B) स्वर्ण सिंह समिति द्वारा अनुशंसित 'कर अदायगी का कर्तव्य' (Duty to pay taxes) वर्तमान में अनुच्छेद 51क के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य के रूप में शामिल है।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार, सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने नागरिकों द्वारा 'कर अदायगी के कर्तव्य' को मूल कर्तव्य बनाने तथा कर्तव्यों के उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड निर्धारित करने की सिफारिश की थी, किंतु संसद ने इन दोनों सिफारिशों को स्वीकार **नहीं** किया। अतः कर अदायगी का कर्तव्य अनुच्छेद 51क के 11 मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन (अनुच्छेद 54 और 55) तथा महाभियोग (अनुच्छेद 61) की तुलना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, किंतु राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) भाग लेते हैं।

2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, किंतु राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते।

3. राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में तभी पेश किया जा सकता है जब उस सदन के कम से कम एक-चौथाई (1/4) सदस्यों ने हस्ताक्षर करके 14 दिन की पूर्व सूचना दी हो।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 61 का यह तुलनात्मक अंतर परीक्षाओं (www.iucacademy.com) में बार-बार पूछा जाता है। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, किंतु अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग (जो एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है) में भाग लेते हैं। वहीं राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान करते हैं, किंतु महाभियोग में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। महाभियोग का संकल्प दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग **उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत** से पारित होना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123) और क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र में रहते हुए भी किसी तात्कालिक मामले पर अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

(B) अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है; इस प्रकार बिना संसदीय अनुमोदन के किसी अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है।

(C) राज्यपाल (अनुच्छेद 161) को भी राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) के समान ही मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा (Pardon) करने और सेना न्यायालय (Court Martial) के दंडादेशों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है।

(D) कूपर वाद (1970) और डी.सी. वाधवा वाद (1987) के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की संतुष्टि पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से परे है।

• **सही उत्तर:** (B) अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है; इस प्रकार बिना संसदीय अनुमोदन के किसी अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 123 के अनुसार, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कम से कम एक सदन सत्र में न हो। चूंकि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है और सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह होती है, अतः इसकी अधिकतम अवधि 6 माह + 6 सप्ताह होती है। अनुच्छेद 72 और 161 के बीच दो मुख्य अंतर हैं: (1) मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा (Pardon) करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है (राज्यपाल इसे निलंबित, परिहार या लघुकरण तो कर सकते हैं, किंतु पूर्ण क्षमा नहीं), और (2) सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के संबंध में शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। आर.सी. कूपर (1970), डी.सी. वाधवा (1987) और कृष्ण कुमार

सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) वाद (sci.gov.in) के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है और बार-बार अध्यादेश जारी करना (Re-promulgation) संविधान के साथ कपट है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 74, 75 और 78) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मूल संविधान में कहीं भी 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द का उल्लेख नहीं था; इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा केवल अनुच्छेद 352(3) में अंत:स्थापित किया गया।

2. कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।

3. अनुच्छेद 78 के अंतर्गत संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार तीनों कथन पूर्णत: सत्य हैं। अनुच्छेद 74 और 75 में 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द पूरे संविधान में केवल एक स्थान पर— अनुच्छेद 352(3) में— प्रयुक्त हुआ है, जिसे 44वें संशोधन (1978) द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 75(5) के तहत बिना संसद सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी बनाता है।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. राज्यसभा और लोकसभा की तुलनात्मक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से विशेष अधिकार केवल **राज्यसभा** को अनन्य रूप से प्राप्त हैं?

1. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रहित में संसद को विधि बनाने के लिए अधिकृत करने का संकल्प पारित करना (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से)।

2. अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक नई अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन हेतु संकल्प पारित करना।

3. उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प (अनुच्छेद 67ख) का सर्वप्रथम प्रारंभ करना।

4. अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को पुर:स्थापित करना और सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना।

सही कूट चुनिए:

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 और 4

• **सही उत्तर:** (B) केवल 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार, संघीय ढाँचे में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के कारण राज्यसभा को तीन अनन्य (Exclusive) शक्तियाँ प्राप्त हैं: (1) अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद को 1 वर्ष के लिए विधि बनाने का अधिकार देना, (2) अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना (वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं— IAS, IPS और 1966 में सृजित भारतीय वन सेवा -

IFoS), तथा (3) अनुच्छेद 67(ख) के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ हो सकता है। इसके विपरीत, धन विधेयक (अनुच्छेद 110) पेश करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना (अनुच्छेद 75(3)) केवल **लोकसभा** के अनन्य अधिकार हैं।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting - अनुच्छेद 108) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों (Ordinary Bills) या वित्त विधेयकों (Financial Bills - अनुच्छेद 117) पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है; धन विधेयक (अनुच्छेद 110) या संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

2. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है, और उसकी अनुपस्थिति में क्रमशः लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उसके भी अनुपस्थित होने पर राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है; राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।

3. भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक केवल तीन विधेयकों— दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (1978) और आतंकवाद निवारण विधेयक (POTA, 2002)— को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 118(4) के अनुसार तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। संयुक्त बैठक में विधेयक को दोनों सदनों के **उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कुल साधारण बहुमत** से पारित किया जाता है तथा इसकी कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. भारतीय संसद की स्थायी वित्तीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही सुमेलित है?

(A) लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) — इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं।

(B) प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) — यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं (राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता)।

(C) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (Committee on Public Undertakings) — इसकी स्थापना 1921 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत हुई थी और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है।

(D) उपर्युक्त तीनों समितियों में केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

• **सही उत्तर:** (B) प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) — यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं (राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता)।

• **विस्तृत व्याख्या:** संसदीय प्रक्रिया नियमों के अनुसार:

1. **लोक लेखा समिति (PAC):** स्थापना 1921 (भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत); इसमें कुल **22 सदस्य** (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं। 1967 से परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। यह CAG के प्रतिवेदनों की जाँच करती है, इसलिए CAG को इस समिति का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है।

2. **प्राक्कलन समिति (Estimates Committee):** जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठित; इसमें कुल **30 सदस्य** होते हैं और सभी **केवल लोकसभा** से होते हैं। इसे 'सतत मितव्ययिता समिति' (Continuous Economy Committee) भी कहा जाता है।

3. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (COPU):** कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में गठित; इसमें भी **22 सदस्य** (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं।

तीनों वित्तीय समितियों के सदस्यों का कार्यकाल **1 वर्ष** होता है, चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व (एकल संक्रमणीय मत) से होता है और **कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं बन सकता**।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता (Disqualification) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या अपने दल के व्हिप (Whip) के विपरीत सदन में मतदान करता है और दल द्वारा 15 दिनों के भीतर उसे क्षमा नहीं किया जाता, तो वह अयोग्य हो जाता है।

2. यदि कोई निर्दलीय (Independent) निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह अपनी सदस्यता खो देता है; जबकि मनोनीत (Nominated) सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है।

3. किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (1992) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दसवीं अनुसूची के तहत पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) का निर्णय एक अधिकरण (Tribunal) के रूप में होता है और वह उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) की दसवीं अनुसूची और सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in) के किहोतो होलोहन वाद (1992) के अनुसार तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। ध्यान रहे कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची के पैरा 3 (जिसमें एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन पर छूट थी) को समाप्त कर दिया गया है और अब केवल किसी दल के कम से कम **दो-तिहाई (2/3) सदस्यों के दूसरे दल में विलय (Merger)** को ही दल-बदल के अपवाद के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. भारतीय बजट प्रक्रिया और संसदीय निधियों (अनुच्छेद 112, 266 और 267) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है?

(A) संविधान के अनुच्छेद 112 में 'बजट' शब्द का प्रयोग न कर उसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement) कहा गया है।

(B) भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266(1)) से कोई भी धन विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114) के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता।

(C) भारत की संचित निधि पर 'भारित व्यय' (Charged Expenditure) जैसे राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG के वेतन आदि पर संसद में न तो चर्चा हो सकती है और न ही मतदान हो सकता है।

(D) भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और उसकी ओर से वित्त सचिव द्वारा संचालित की जाती है।

• **सही उत्तर:** (C) भारत की संचित निधि पर 'भारित व्यय' (Charged Expenditure) जैसे राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG के वेतन आदि पर संसद में न तो चर्चा हो सकती है और न ही मतदान हो सकता है।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 113(1) के अनुसार, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय (Charged Expenditure) से संबंधित प्राक्कलनों को संसद में मतदान के लिए तो प्रस्तुत **नहीं** किया जाएगा, किंतु संसद के किसी भी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी पर भी **चर्चा (Discussion) करने पर कोई रोक नहीं है**। अर्थात् भारित व्यय पर संसद में **चर्चा हो सकती है, केवल मतदान नहीं होता**। अतः विकल्प (C) गलत है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction) में केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच के संघीय विवाद आते हैं, किंतु अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (अनुच्छेद 262) इससे बाहर रखे गए हैं।

2. अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा माँगे गए परामर्श (Advisory Jurisdiction) पर यदि कोई प्रश्न संविधान लागू होने से पूर्व की किसी संधि या करार से संबंधित है (अनुच्छेद 143(2)), तो उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है, यद्यपि राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

3. अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) घोषित करता है, जिसके तहत उसके निर्णयों का साक्ष्य मूल्य होता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) और सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in) के अनुसार तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श मांगने की दो श्रेणियाँ हैं: अनुच्छेद 143(1) में सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर न्यायालय अपनी राय देने से मना कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 143(2) (संविधान-पूर्व संधि, करार या सनद से उत्पन्न विवाद) में न्यायालय के लिए अपनी राय देना **अनिवार्य (Mandatory)** है। दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय केवल सलाहकारी होती है और राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. भारत में न्यायधीशों की नियुक्ति की 'कॉलेजियम प्रणाली' के विकास (Judges Cases) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

1. प्रथम न्यायाधीश वाद (एस.पी. गुप्ता वाद, 1981) — अनुच्छेद 124 में प्रयुक्त 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) नहीं है, अर्थात् कार्यपालिका को प्राथमिकता।

2. द्वितीय न्यायाधीश वाद (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद, 1993) — 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' है और मुख्य न्यायमूर्ति को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

3. तृतीय न्यायाधीश वाद (In re Presidential Reference, 1998) — उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायमूर्ति को **4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों** के समूह (कुल 5 सदस्यीय कॉलेजियम) से परामर्श करना अनिवार्य किया गया।

4. चतुर्थ न्यायाधीश वाद (NJAC वाद, 2015) — 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता (मूल ढाँचा) के उल्लंघन के आधार पर 4:1 बहुमत से असंवैधानिक घोषित किया गया।

कूट:

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) 1, 2, 3 और 4

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2, 3 और 4

• **विस्तृत व्याख्या:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in) के चार ऐतिहासिक न्यायाधीश वादों (Four Judges Cases) का यह सटीक संवैधानिक विकास क्रम है। 2015 में न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत (न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की असहमति) से 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. राज्यों के राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 153 से 213) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित (Reserve) रख सकता है; और यदि विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता है, तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना राज्यपाल के लिए अनिवार्य (Mandatory) है।

2. अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब कोई राज्य विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है और राष्ट्रपति उसे राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटाता है तथा विधानमंडल उसे पुनः पारित कर देता है, तब भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य **नहीं** है।

3. नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 163 के अंतर्गत विधानसभा का सत्र बुलाने या सत्रावसान करने में राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से बँधा होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक के अनुसार, उच्च न्यायालय की शक्तियों को अल्पीकृत करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 201 में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर है कि संसद के साधारण विधेयक (अनुच्छेद 111) में पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति अनुमति देने को बाध्य हैं, किंतु राज्य विधानमंडल के आरक्षित विधेयक (अनुच्छेद 201) को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के पश्चात् पुनः पारित किए जाने पर भी **राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं**।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. राज्यों में 'विधान परिषद' (Legislative Council) के सृजन या उत्सादन (समाप्ति) से संबंधित अनुच्छेद 169 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन के लिए पहले संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना होता है और तत्पश्चात् संसद इसे अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधित करती है।

(B) संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद, संसद **साधारण बहुमत** से विधि बनाकर विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

(C) विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे (1/2) से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निर्धारित है।

(D) विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं।

• **सही उत्तर:** (B) संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद, संसद **साधारण बहुमत** से विधि बनाकर विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 169 के अनुसार, विधान परिषद के सृजन या समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा को विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना होता है, जिसके बाद संसद **साधारण बहुमत** से कानून बनाती है (अनुच्छेद 169(3) स्पष्ट करता है कि यह अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं माना जाएगा)। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के **एक-तिहाई (1/3)** से अधिक और न्यूनतम **40** से कम नहीं होगी। सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन अनुपात: **1/3** स्थानीय निकायों द्वारा, **1/3** विधानसभा के सदस्यों द्वारा, **1/12** स्नातकों द्वारा, **1/12** शिक्षकों द्वारा तथा शेष **1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत** किए जाते हैं (अतः विकल्प D गलत है)। वर्तमान में भारत के **6 राज्यों** (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में द्विसदनीय विधानमंडल है।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. उच्च न्यायालयों (High Courts - अनुच्छेद 214-231) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित **राज्य की संचित निधि** पर भारित होते हैं, किंतु उनकी पेंशन **भारत की संचित निधि** पर भारित होती है।

2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं और उनकी आयु के संबंध में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है (अनुच्छेद 217(3))।

3. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न अंग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 202(3)(घ) और अनुच्छेद 112(3)(घ)(iii) के बीच यह अंतर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का **वेतन राज्य की संचित निधि** से दिया जाता है, जबकि उनकी **पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)** से दी जाती है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर **62 वर्ष** की गई थी।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. संविधान के भाग XI के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद सही सुमेलित **नहीं** है?

(A) अनुच्छेद 249 — राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।

(B) अनुच्छेद 252 — दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना।

(C) अनुच्छेद 253 — अंतर्राष्ट्रीय करारों, संधियों और अभिसमयों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी बिना किसी राज्य की सहमति के विधि बनाने की संसद की शक्ति।

(D) अनुच्छेद 263 — अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 'अंतर्राज्यीय परिषद' का गठन।

• **सही उत्तर:** (D) अनुच्छेद 263 — अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 'अंतर्राज्यीय परिषद' का गठन।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार, अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच और केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए **राष्ट्रपति** (न कि प्रधानमंत्री) को 'अंतर्राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) के गठन की शक्ति देता है। सरकारिया आयोग (1983-88) की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया, जिसके पदेन **अध्यक्ष प्रधानमंत्री** होते हैं। वहीं अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख भाग XIII के अनुच्छेद 307 में है।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित आयोगों और समितियों का सही कालानुक्रमिक क्रम (Chronological Order) कौन-सा है?

1. राजमन्नार समिति (तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित)

2. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (मोरारजी देसाई / के. हनुमंतैया)

3. सरकारिया आयोग

4. पुंछी आयोग (न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी)

कूट:

(A) 2 - 1 - 3 - 4

(B) 1 - 2 - 3 - 4

(C) 2 - 3 - 1 - 4

(D) 1 - 3 - 2 - 4

• **सही उत्तर:** (A) 2 - 1 - 3 - 4

• **विस्तृत व्याख्या:** केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े प्रमुख आयोगों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है:

1. **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (First ARC):** जनवरी **1966** (अध्यक्ष: मोरारजी देसाई, बाद में के. हनुमंतैया; अध्ययन दल के अध्यक्ष: एम.सी. सीतलवाड़)।

2. **राजमन्नार समिति: 1969** (तमिलनाडु की डीएमके सरकार द्वारा डॉ. पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में गठित)।

3. **आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973)** एवं **पश्चिम बंगाल स्मरण-पत्र (1977)**।

4. **सरकारिया आयोग:** जून **1983** (अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया; अन्य दो सदस्य: बी. शिवरामन और डॉ. एस.आर. सेन; 1988 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 247 सिफारिशें कीं)।

5. **पुंछी आयोग:** अप्रैल **2007** (अध्यक्ष: पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी; 2010 में 7 खंडों में रिपोर्ट प्रस्तुत की)।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 27. भारत के संविधान के भाग IX (पंचायतें - अनुच्छेद 243 से 243ण) के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कौन-से प्रावधान राज्यों के लिए **अनिवार्य (Mandatory)** हैं और कौन-से **स्वैच्छिक (Voluntary)**?

1. ग्राम सभा का गठन और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज ढाँचा (अनुच्छेद 243क एवं 243ख)।

2. पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (1/3) स्थानों का आरक्षण तथा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना (अनुच्छेद 243घ एवं 243च)।

3. प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन (अनुच्छेद 243झ) और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन (अनुच्छेद 243ट)।

4. पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए पंचायतों में आरक्षण तथा पंचायतों को कर, शुल्क और पथकर (Tolls) लगाने की वित्तीय शक्तियाँ सौंपना।

उपर्युक्त में से कौन-से प्रावधान **अनिवार्य (Mandatory)** श्रेणी में आते हैं?

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) 1, 2, 3 और 4

• **सही उत्तर:** (A) केवल 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के भाग IX के अनुसार, कथन 1, 2 और 3 में वर्णित प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के बाध्यकारी (अनिवार्य) हिस्से हैं जिन्हें हर राज्य के पंचायती राज कानून में शामिल करना अनिवार्य है। इसके विपरीत, कथन 4 में उल्लिखित प्रावधान— पिछड़े वर्गों (OBC) को आरक्षण देना (अनुच्छेद 243घ(6)), पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना, महिलाओं के आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 50% करना तथा 11वीं अनुसूची के 29 विषयों व करारोपण की शक्तियों का वास्तविक हस्तांतरण (अनुच्छेद 243छ व 243ज)— राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिए गए हैं अर्थात् ये **स्वैच्छिक (Voluntary)** प्रावधान हैं।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996' (PESA Act, 1996) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति (1994) की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था और यह संविधान की **पाँचवीं अनुसूची** में शामिल 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर भाग IX के प्रावधानों का कुछ संशोधनों के साथ विस्तार करता है।

2. पेसा (PESA) अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए कम से कम आधे (50%) स्थान आरक्षित होते हैं और सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के सभी पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं।

3. पेसा अधिनियम के तहत लघु वनोपज (Minor Forest Produce) का स्वामित्व, भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और गौण खनिजों के खनन पट्टे के लिए पूर्व सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभा को प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 243म के अनुसार भाग IX के प्रावधान पाँचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होते, किंतु संसद विधि द्वारा इन्हें लागू कर सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग कर संसद ने भूरिया समिति की सिफारिश पर PESA Act, 1996 पारित किया जो 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) पर लागू होता है। इसमें ग्राम सभा को स्वशासन की धुरी बनाया गया है और उपर्युक्त तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG - अनुच्छेद 148-151) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) CAG को भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर पूर्व-नियंत्रण (Ex-ante control) की शक्ति प्राप्त है, अर्थात् उसके वारंट के बिना राजकोष से धन नहीं निकाला जा सकता।

(B) अनुच्छेद 149 के अंतर्गत CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए संसद ने 'नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971' पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित कर केंद्र सरकार के लेखांकन (Accounting) को लेखापरीक्षा (Auditing) से पृथक् कर दिया गया।

(C) CAG अपने केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीधे लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है।

(D) CAG की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है और सेवानिवृत्ति के बाद वह किसी राज्य के राज्यपाल या वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता, किंतु केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नियुक्त हो सकता है।

• **सही उत्तर:** (B) अनुच्छेद 149 के अंतर्गत CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए संसद ने 'नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971' पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित कर केंद्र सरकार के लेखांकन (Accounting) को लेखापरीक्षा (Auditing) से पृथक् कर दिया गया।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार:

1. ब्रिटेन के CAG के विपरीत, भारत के CAG का कार्य केवल 'महालेखापरीक्षक' (Auditor General) का है; धन खर्च हो जाने के बाद ही वह लेखापरीक्षा करता है (Ex-post facto audit), संचित निधि से धन निकासी पर उसका कोई पूर्व नियंत्रण नहीं है।

2. 1976 में केंद्र के स्तर पर लेखांकन (Accounting) का कार्य CAG से अलग कर CGA (महालेखा नियंत्रक) को दे दिया गया, हालांकि राज्यों के लेखों का संकलन अभी भी CAG ही करता है।

3. अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG केंद्र से संबंधित अपनी तीन रिपोर्टें **राष्ट्रपति** को (जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं) और राज्य से संबंधित रिपोर्टें **राज्यपाल** को (जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं) सौंपता है।

4. अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति (6 वर्ष या 65 वर्ष) के बाद CAG भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और पद के लिए पात्र नहीं होता।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. संविधान के भाग XVIII (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के संदर्भ में अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकारों के स्वतः निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है।

2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात् अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 तभी स्वतः निलंबित होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा **'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण'** के आधार पर की गई हो; **'सशस्त्र विद्रोह'** के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता।

3. अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में आपातकाल की पूरी अवधि के लिए लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि और देश के किसी भाग या संपूर्ण भाग के लिए लागू हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार अनुच्छेद 358 और 359 के बीच ये तीनों अंतर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा स्थापित किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक रक्षोपाय हैं। ध्यान रखें कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल को 'बाह्य आपातकाल' और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल को 'आंतरिक आपातकाल' कहा जाता है, और आंतरिक आपातकाल में अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पुरःस्थापित किया जा सकता है।

2. यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों (जैसे— राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, सातवीं अनुसूची की कोई सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या स्वयं अनुच्छेद 368) में परिवर्तन करता है, तो उसे संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम **आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत** से अनुसमर्थित (Ratified) किया जाना आवश्यक है।

3. 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के पश्चात् राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर न तो अपनी अनुमति रोक सकते हैं और न ही उसे संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 368 के अनुसार तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। ध्यान रहे कि संविधान संशोधन विधेयक केवल **संसद** में ही प्रारंभ किया जा सकता है, किसी राज्य विधानमंडल में नहीं। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती और दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है (संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है)। संघीय विषयों पर आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन **साधारण बहुमत** से होता है।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) के प्रशासन से संबंधित चार राज्यों का सही समूह कौन-सा है?

(A) असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड

(B) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम

(C) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम

(D) असम, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय

• **सही उत्तर:** (B) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार, संविधान की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों— **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (स्मृति सूत्र: AMTM / 'अमित्र मे')**— के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें स्वायत्त जिलों का गठन किया जाता है जिनकी जिला परिषदों में कुल **30 सदस्य** होते हैं (जिनमें से 26 वयस्क मताधिकार से निर्वाचित और 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं)। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश छठी अनुसूची में शामिल **नहीं** हैं।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. संविधान के भाग XVII (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) और आठवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं; 21वें संशोधन (1967) द्वारा सिंधी, 71वें संशोधन (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संशोधन (2003) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़े जाने के बाद कुल संख्या 22 हो गई है।

3. अनुच्छेद 350क प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश देता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 350क और अनुच्छेद 350ख (भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी) को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त, 96वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा आठवीं अनुसूची में 'उड़िया' (Oriya) के स्थान पर 'ओडिया' (Odia) शब्द प्रतिस्थापित किया गया। ध्यान रखें कि **अंग्रेजी और राजस्थानी** भाषाएँ आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल **नहीं** हैं।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 371ञ (भाग XXI) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के संबंध में किए गए विशेष उपबंधों का सही मिलान कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद) — सूची-II (संबंधित राज्य)

A. अनुच्छेद 371क — 1. नागालैंड

B. अनुच्छेद 371ख — 2. असम

C. अनुच्छेद 371ग — 3. मणिपुर

D. अनुच्छेद 371च — 4. सिक्किम

कूट:

(A) A-1, B-2, C-3, D-4

(B) A-2, B-1, C-3, D-4

(C) A-1, B-3, C-2, D-4

(D) A-4, B-2, C-1, D-3

- **सही उत्तर:** (A) A-1, B-2, C-3, D-4
- **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के भाग XXI के अंतर्गत राज्यों के विशेष उपबंधों का क्रम परीक्षाओं (www.iucacademy.com) में अत्यंत महत्वपूर्ण है:
- **अनुच्छेद 371:** महाराष्ट्र और गुजरात
- **अनुच्छेद 371क (371A):** नागालैंड (13वाँ संशोधन, 1962)
- **अनुच्छेद 371ख (371B):** असम (22वाँ संशोधन, 1969)
- **अनुच्छेद 371ग (371C):** मणिपुर (27वाँ संशोधन, 1971)
- **अनुच्छेद 371घ व 371ङ (371D & E):** आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (32वाँ संशोधन, 1973)
- **अनुच्छेद 371च (371F):** सिक्किम (36वाँ संशोधन, 1975 — पूर्ण राज्य का दर्जा; जबकि 35वें संशोधन 1974 से सहयुक्त राज्य बनाया गया था)
- **अनुच्छेद 371छ (371G):** मिजोरम (53वाँ संशोधन, 1986)
- **अनुच्छेद 371ज (371H):** अरुणाचल प्रदेश (55वाँ संशोधन, 1986)
- **अनुच्छेद 371झ (371I):** गोवा (56वाँ संशोधन, 1987)
- **अनुच्छेद 371ञ (371J):** कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु 98वाँ संशोधन, 2012)

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. भारत में निर्वाचन सुधारों और 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में **2 वर्ष या उससे अधिक** के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषसिद्धि की तिथि से ही तत्काल प्रभाव से अपनी सदस्यता खो देता है और रिहाई के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है।

2. पी.यू.सी.एल. (PUCL) बनाम भारत संघ (2013) वाद के निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों और ईवीएम में 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' (NOTA) का विकल्प शामिल किया।

3. राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार का उसी राज्य का निर्वाचक (मतदाता) होना अनिवार्य है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (A) केवल 1 और 2

• **विस्तृत व्याख्या:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in) के निर्णयों के अनुसार कथन 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 3 असत्य है क्योंकि वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधन (जिसे कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ, 2006 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया) के द्वारा राज्यसभा के चुनावों से 'उस राज्य का निवासी/मतदाता होने की बाध्यता' (Domicile requirement) को समाप्त कर दिया गया और गुप्त मतदान के स्थान पर **खुला मतदान (Open Ballot System)** लागू किया गया। अब राज्यसभा का उम्मीदवार भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. भारत के संविधान के भाग XIVA (अधिकरण / Tribunals) के अंतर्गत अनुच्छेद 323क और अनुच्छेद 323ख की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) अनुच्छेद 323क लोक सेवाओं से संबंधित विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना केवल संसद द्वारा किए जाने का उपबंध करता है, जबकि अनुच्छेद 323ख के अंतर्गत अन्य मामलों (कर, भूमि सुधार, श्रम आदि) के लिए अधिकरण संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

(B) अनुच्छेद 323क और 323ख मूल संविधान का हिस्सा थे।

(C) प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील या रिट दायर नहीं की जा सकती, केवल अनुच्छेद 136 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है।

(D) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थापना 1950 में की गई थी।

• **सही उत्तर:** (A) अनुच्छेद 323क लोक सेवाओं से संबंधित विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना केवल संसद द्वारा किए जाने का उपबंध करता है, जबकि अनुच्छेद 323ख के अंतर्गत अन्य मामलों (कर, भूमि सुधार, श्रम आदि) के लिए अधिकरण संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुसार, भाग XIVA (अनुच्छेद 323क और 323ख) को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 323क का प्रयोग कर संसद ने 'प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985' पारित किया और 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थापना हुई। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) वाद (sci.gov.in) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील जाने की बाध्यता असंवैधानिक है और उनके निर्णयों के विरुद्ध पहले संबंधित **उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench)** के समक्ष अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका दायर की जाएगी।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. भारत की राजकोषीय और संवैधानिक व्यवस्था में 'वस्तु एवं सेवा कर परिषद' (GST Council - अनुच्छेद 279क) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जीएसटी परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति (Quorum) परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का आधा (1/2) है।

2. जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई (3/4 अर्थात् 75%) बहुमत से लिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के मत का भार कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3) और सभी राज्य सरकारों के मतों का संयुक्त भार दो-तिहाई (2/3) होता है।

3. मोहित मिनरल्स बनाम भारत संघ (2022) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 279क के तहत जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य विधानमंडलों के लिए बाध्यकारी न होकर 'प्रेरक मूल्य' (Persuasive value) रखती हैं क्योंकि अनुच्छेद 246क के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (D) 1, 2 और 3

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के अनुच्छेद 279क और सर्वोच्च न्यायालय (sci.gov.in) के मोहित मिनरल्स वाद (2022) के अनुसार तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 246क भारतीय संघवाद में एक अनूठा प्रावधान है जो केंद्र और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर पर एक साथ (Simultaneous) कानून बनाने की शक्ति देता है, जबकि अंतर्राज्यीय व्यापार (IGST) पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति अनुच्छेद 246क(2) के तहत संसद के पास है।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों और उनके विदेशी स्रोतों (Sources of the Constitution) का सही मिलान कीजिए:

सूची-I (संवैधानिक प्रावधान) — सूची-II (स्रोत देश का संविधान)

A. विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं द्विसदनीय व्यवस्था — 1. ब्रिटेन का संविधान

B. न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग — 2. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

C. सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना एवं राज्यपाल की नियुक्ति — 3. कनाडा का संविधान

D. समवर्ती सूची, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक — 4. ऑस्ट्रेलिया का संविधान

कूट:

(A) A-1, B-2, C-3, D-4

(B) A-2, B-1, C-3, D-4

(C) A-1, B-2, C-4, D-3

(D) A-3, B-4, C-1, D-2

• **सही उत्तर:** (A) A-1, B-2, C-3, D-4

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) के संवैधानिक इतिहास के अनुसार सभी युग्म सही सुमेलित हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्रोत हैं:

• **आयरलैंड:** नीति निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन।

• **दक्षिण अफ्रीका:** संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।

• **सोवियत संघ (रूस):** मूल कर्तव्य (भाग IVA) और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का आदर्श।

• **फ्रांस:** गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श।

• **जर्मनी का वाइमर संविधान:** आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन।

• **जापान:** 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by Law - अनुच्छेद 21)।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239कक में संशोधन तथा नए अनुच्छेद 330क, 332क और 334क अंतःस्थापित करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई (1/3) आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी (क्षैतिज आरक्षण / कोटा के भीतर कोटा)।

3. यह आरक्षण राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों में भी समान रूप से लागू होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

• **सही उत्तर:** (A) केवल 1 और 2

• **विस्तृत व्याख्या:** विधायी विभाग (legislative.gov.in) द्वारा प्रकाशित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसार कथन 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 3 असत्य है क्योंकि यह आरक्षण केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनों— **लोकसभा (अनुच्छेद 330क), राज्यों की विधानसभाओं (अनुच्छेद 332क) और दिल्ली विधानसभा (अनुच्छेद 239कक(2)(ख))**— में ही लागू होगा; **राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है**। अनुच्छेद 334क के अनुसार यह आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आँकड़ों के प्रकाशन और उसके आधार पर किए गए परिसीमन (Delimitation) के पश्चात् प्रभावी होगा तथा प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. भारत में वरीयता अनुक्रम (Table of Precedence) और संवैधानिक पदाधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा अवरोही क्रम (उच्च से निम्न पद की ओर) सही है?

(A) राष्ट्रपति → उपराष्ट्रपति → प्रधानमंत्री → राज्यों के राज्यपाल (अपने-अपने राज्यों में) → पूर्व राष्ट्रपति

(B) राष्ट्रपति → प्रधानमंत्री → उपराष्ट्रपति → भारत के मुख्य न्यायमूर्ति → राज्यों के राज्यपाल (अपने-अपने राज्यों में)

(C) राष्ट्रपति → उपराष्ट्रपति → भारत के मुख्य न्यायमूर्ति → प्रधानमंत्री → लोकसभा अध्यक्ष

(D) राष्ट्रपति → उपराष्ट्रपति → प्रधानमंत्री → भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं लोकसभा अध्यक्ष → राज्यों के राज्यपाल (अपने-अपने राज्यों में)

• **सही उत्तर:** (A) राष्ट्रपति → उपराष्ट्रपति → प्रधानमंत्री → राज्यों के राज्यपाल (अपने-अपने राज्यों में) → पूर्व राष्ट्रपति

• **विस्तृत व्याख्या:** गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक 'वरीयता तालिका' (Table of Precedence) के अनुसार शीर्ष पदों का क्रम इस प्रकार है:

1. **राष्ट्रपति**
2. **उपराष्ट्रपति**
3. **प्रधानमंत्री**
4. **राज्यों के राज्यपाल (अपने-अपने राज्यों के भीतर)**
5. **पूर्व राष्ट्रपति** (5क: उपप्रधानमंत्री)
6. **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा लोकसभा अध्यक्ष** (दोनों समान वरीयता क्रम संख्या 6 पर हैं)
7. केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने-अपने राज्यों में), पूर्व प्रधानमंत्री तथा राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता (7क: भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति)।

मास्टर स्मृति ट्रिक्स बैंक (Complete Mnemonics Compendium) — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

परीक्षा हॉल में त्वरित स्मरण हेतु IUC Academy के विशेष निमोनिक्स सूत्र

स्मृति ट्रिक #1: संविधान की 12 अनुसूचियों की प्रसिद्ध ट्रिक

ट्रिक: 'TEARS OF OLD PM' — T=Territories (संघ व राज्य), E=Emoluments (वेतन/भत्ते), A=Affirmations (शपथ), R=Rajya Sabha (सीट आवंटन), S=Scheduled Areas (5वीं), O=Other Tribal Areas (6वीं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम — AMTM), F=Federal Lists (सूचियाँ), O=Official Languages (22 भाषाएँ), L=Land Reforms (9वीं), D=Defection (10वीं दल-बदल), P=Panchayats (11वीं, 29 विषय), M=Municipalities (12वीं, 18 विषय)।

स्मृति ट्रिक #2: केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार

ट्रिक: '15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को' — अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं (विदेशियों को नहीं)। राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते (44वाँ संशोधन 1978)।

स्मृति ट्रिक #3: संविधान के विदेशी स्रोत याद रखने की ट्रिक

ट्रिक: 'ब्रिटेन = संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन व रिट; अमेरिका = मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति व महाभियोग; आयरलैंड = DPSP व राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल; कनाडा = सशक्त केंद्र व अवशिष्ट शक्तियाँ; ऑस्ट्रेलिया = समवर्ती सूची व संयुक्त बैठक (108)'।

स्मृति ट्रिक #4: राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल बनाम महाभियोग में शामिल सदस्य

ट्रिक: 'निर्वाचन (अनुच्छेद 54) = केवल निर्वाचित सदस्य (लोकसभा + राज्यसभा + राज्य विधानसभाएँ + दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाएँ)'; 'महाभियोग (अनुच्छेद 61) = संसद (लोकसभा + राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत दोनों); राज्य विधानसभाएँ शामिल नहीं होतीं'।

स्मृति ट्रिक #5: रीट (Writs — अनुच्छेद 32 व 226) के 5 प्रकार

ट्रिक: 'बंदी प्रत्यक्षीकरण (सशरीर प्रस्तुत करना — निजी व सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध), परमादेश (हम आदेश देते हैं — सार्वजनिक कर्तव्य), प्रतिषेध (रोकना — अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही के दौरान), उत्प्रेषण (प्रमाणित होना — निर्णय रद्द करना), अधिकार-पृच्छा (किस अधिकार से पद धारण किया)'।

स्मृति ट्रिक #6: धन विधेयक (110) बनाम साधारण विधेयक बनाम संविधान संशोधन (368)

ट्रिक: 'धन विधेयक = राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, केवल लोकसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन, संयुक्त बैठक नहीं, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते'। 'संविधान संशोधन (368) = किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक नहीं, राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य (24वाँ संशोधन 1971)'।

स्मृति ट्रिक #7: पंचायती राज की प्रमुख समितियाँ (कालक्रम)

ट्रिक: 'बलवंत अशोक जीवीके ने एल.एम. सिंघवी को थुंगन और गाडगिल से मिलाया' — बलवंत राय मेहता (1957, त्रि-स्तरीय), अशोक मेहता (1977, द्वि-स्तरीय), जी.वी.के. राव (1985), एल.एम. सिंघवी (1986, संवैधानिक दर्जा), थुंगन (1988), गाडगिल (1988)।

स्मृति ट्रिक #8: आपातकालीन प्रावधान (भाग 18: 352, 356, 360)

ट्रिक: 'राष्ट्रीय आपातकाल (352) = मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, 1 माह में विशेष बहुमत से अनुमोदन; राष्ट्रपति शासन (356) = 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन, अधिकतम 3 वर्ष; वित्तीय आपातकाल (360) = 2 माह में साधारण बहुमत, एक बार अनुमोदन के बाद अनिश्चित काल तक (भारत में आज तक कभी नहीं लगा)'।

स्मृति ट्रिक #9: प्रमुख संसदीय समितियाँ एवं सदस्य संख्या

ट्रिक: 'प्राक्कलन समिति (Estimates) = 30 सदस्य (केवल लोकसभा से, सबसे बड़ी समिति); लोक लेखा समिति (PAC) व सार्वजनिक उपक्रम समिति (CoPU) = 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)'। मंत्री किसी भी वित्तीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

स्मृति ट्रिक #10: प्रमुख संविधान संशोधन (91वाँ से 106वाँ)

ट्रिक: '91वाँ (2003: मंत्रिपरिषद आकार 15% तक), 97वाँ (2011: सहकारी समितियाँ), 99वाँ (NJAC — रद्द), 100वाँ (भारत-बांग्लादेश भूमि), 101वाँ (GST), 102वाँ (NCBC), 103वाँ (EWS 10%), 104वाँ (SC/ST आरक्षण बढ़ाया व आंग्ल-भारतीय समाप्त), 105वाँ (राज्यों को OBC सूची अधिकार), 106वाँ (2023: नारी शक्ति वंदन — 33% महिला आरक्षण)'।

स्मृति ट्रिक #11: भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ

ट्रिक: 'TEARS OF OLD PM' — T (1: संघ व राज्य क्षेत्र), E (2: वेतन/भत्ते), A (3: शपथ), R (4: राज्यसभा सीटें), S (5: अनुसूचित क्षेत्र), O (6: असम-मेघालय-त्रिपुरा-मिजोरम), F (7: संघ-राज्य-समवर्ती सूची), O (8: 22 भाषाएँ), L (9: भूमि सुधार - 1st संशोधन), D (10: दलबदल - 52वाँ संशोधन), P (11: पंचायत - 73वाँ संशोधन, 29 विषय), M (12: नगरपालिका - 74वाँ संशोधन, 18 विषय)।

स्मृति ट्रिक #12: संविधान के विदेशी स्रोत

ट्रिक: 'ब्रिटेन से संसद-विधि, अमेरिका से मूल अधिकार-न्यायिक पुनर्विलोकन, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, कनाडा से सशक्त केंद्र' — समवर्ती सूची (ऑस्ट्रेलिया), आपातकाल (जर्मनी का वाइमर संविधान), संविधान संशोधन (दक्षिण अफ्रीका), मूल कर्तव्य व न्याय आदर्श (सोवियत संघ)।

स्मृति ट्रिक #13: रिट (Writs - अनुच्छेद 32 व 226) के 5 प्रकार

ट्रिक: 'बंदी को परमादेश, प्रतिषेध से उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा' — 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus: शरीर प्रस्तुत करना), 2. परमादेश (Mandamus: हम आदेश देते हैं), 3. प्रतिषेध (Prohibition: कार्यवाही रोकना), 4. उत्प्रेषण (Certiorari: प्रमाणित करना/रद्द करना), 5. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto: किस प्राधिकार से)।

स्मृति ट्रिक #14: पंचायती राज समितियाँ (कालानुक्रम)

ट्रिक: 'बलवंत ने अशोक के साथ जी.वी.के. और सिंघवी को थुंगन में मिलाया' — बलवंत राय मेहता (1957: त्रि-स्तरीय), अशोक मेहता (1977: द्वि-स्तरीय), जी.वी.के. राव (1985), एल.एम. सिंघवी (1986: संवैधानिक दर्जे की सिफारिश), पी.के. थुंगन (1988)।